

आयुर्वेद दर्शन



लेखक

आचार्य राजकुमार जैन

एच पी ए दर्शनायुर्वेदाचार्य एम ए (हिन्दी-संस्कृत)

साहित्यायुर्वेद शास्त्री साहित्यायुर्वेदरत्न

प्राप्तकथन

पद्मभूषण वृद्धारत्न पं० शिवशर्मा

प्रकाशक

अनेकान्त साहित्य शोध संस्थान

तिलक फार्मोसी संघन, इटारसी (म० प्र०)

मुद्रक

प्रिय प्रिंटिंग प्रेस,

५ ४७ गली ब्राह्मण वाली

पहाड़ी धीरज दिल्ली ६

प्रकाशक

अनेकान्त साहित्य शोध संस्थान

तिलक फार्मोसी भवन

इटारसी ४६११११ (म प्र)

सर्वाधिकार लेखकाधीन

संस्करण जनवरी १९७९

मूल्य ^{₹ १००/-} ~~₹ १००/-~~ ^{₹ १००/-} ~~₹ १००/-~~

पुस्तक प्राप्ति स्थान

भाचार्य राजकुमार जैन

प्रथम सल

१ ई/६ स्वामी रामतीर्थ नगर

नई दिल्ली-११ ०२५

वी के प्रकाशन

बङ्गाल, (उ० प्र)

जिला—मेरठ

समर्पण

जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ आयुर्वेद की सूक्ष्म सेवा में
अपने जीवन के ८४ वर्ष लगा दिए और जिन के
शुभाशीर्वाद व प्रेरणा से मैं अपनी इस कृति
को मूर्तरूप देने में सफल हो सका हूँ उन
पूज्य पिता श्री के चरण कमलों में
अत्यन्त श्रद्धा एवं विनय के साथ
समर्पित मेरे तुच्छ प्रयास का
यह सुवासित पुष्प ।

प्राक्कथन

सन् १९२८ मे (भारत विभाजन से लगभग २० वर्ष पूर्व) लाहौर औरिएण्टल कान्फेन्स का एक महाधिवेशन हुआ था। उन दिनों में श्रीमद क्यामन्द आयुर्वेद महाविद्यालय लाहौर मे कायचिकित्सा का प्राध्यापक था। महाविद्यालय के प्राचार्य तथा प्रबन्धकारिणी के आदेश पर उस सस्था की ओर से उस महाधिवेशन में मैंने भी भाग लिया था। वही पहली बार यह चर्चा सुनी कि चरक ने जिस ढंग से चरक संहिता मे सांख्य का प्रतिपादन किया है वह सांख्य का दर्शन अथवा साध्यकारिका का धतप्रतिपात अनुकरण नहीं है एक स्वतन्त्र सांख्य का स्वरूप है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि चरक ने एक नवीन दर्शन का निर्माण कर दिया क्योंकि उसका कोई भी वाक्य सांख्य के मौलिक सिद्धान्तो का विरोध अथवा खण्डन नहीं करता। जो भी थोडा बहुत परिवर्तन कहीं हुआ है उसका लक्ष्य आयुर्वेद के अपने विशिष्ट सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए एक सुविधाजनक तथा अनुकूल दार्शनिक नींव डालना है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक आचार्य राजकुमार जैन केवल सांख्य के क्षेत्र मे ही नहीं सम्पूर्ण दार्शनिक क्षेत्र मे आयुर्वेद के दृष्टिकोण को स्वतन्त्र मानते हैं।

मैं लेखक के दृष्टिकोण से सहमत हू। आत्मा मन और शरीर का काल-द्रव्य के साथ संयोग वियोग के बीच का अन्तर आयु का प्रमाण है। इस अवधि में मनुष्य को प्राकृतावस्था मे रखना आयुर्वेद का उद्देश्य है। परन्तु आयुर्वेद ने जन्म और मरण की भी रोगो में ही गणना की है—स्वाभाविक रोगो मे। आयुर्वेद का यह प्रसंग उन अर्थों मे से है जिनके कारण यह शास्त्र अन्य चिकित्सा प्रणालियो से अधिक भिन्न अधिक व्यापक तथा सम्पूर्ण समझा जाता है। बौद्धिक चिन्तन ने इसे और भी अधिक सार्थकता प्रदान की है। इसी कारण से इस प्रणाली को दर्शनशास्त्र की भूमिका धारण कर प्राक् चिकित्सक विज्ञान का स्वरूप भी स्वयं ही ग्रहण करना पड़ता है।

इस भूमिका मे षड्दशनों की पूरकभूमि का पूरा सम्मान रखते हुए उनके आधारभूत सिद्धान्तो के साथ एक व्यापक जीवनशास्त्र की क्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयुर्वेद के प्रवर्तकों ने इस शास्त्र के मौलिक सिद्धान्तो का एक उपाय तथा वैज्ञानिक सामञ्जस्य बिठाया है। यही आयुर्वेद दर्शन है।

विद्वान् लेखक ने इस महत्त्वपूर्ण विषय को सरल सुव्यवस्थित तथा सुगमपिठ्य पाठ के रूप में उपस्थित किया है। प्रस्तुत पुस्तक आयुर्वेद के आभ्यासको तथा विद्याभियोगों के लिए तथा साधारण अध्ययनशील शास्त्र प्रेमी व्यक्तियों के लिए उपादेय तथा शिक्षाप्रद सिद्ध होगी।

‘सन्मन्तरि

—शिवशर्मा

बी ४/५३ सफदरजय एन्क्लेव
नई दिल्ली



आत्म निवेदन

आयुर्वेद शास्त्र मात्र चिकित्सा शास्त्र नहीं है अपितु वह एक सम्पूर्ण जीवन विज्ञान है जो आध्यात्मिकता एवं दर्शन से अनुप्राणित है। आयुर्वेद ने से यदि इन दोनों तत्वों को निकाल दिया जाय तो वह स्वयं निर्जीव शरीर की भाँति हो जायगा। आध्यात्मिकता यदि आयुर्वेद की आत्मा है तो दार्शनिकता उसके प्राण हैं। यह निर्विवाद है कि जब से पृथ्वी पर मानव जीवन प्रारम्भ हुआ है, तब से ही आयुर्वेद अपने मौलिक स्वरूप के साथ विद्यमान है। अतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि वह शास्त्र है। अपनी कतिपय मूलभूत विशेषताओं के कारण आयुर्वेद मानव जीवन के जितना अधिक निकट है उतना कोई अन्य शास्त्र नहीं है।

आयुर्वेद की अपनी चिन्तन पद्धति है, अपना मौलिक दर्शन है और उससे अनुप्राणित अपनी मौलिक विचार धारा है जिसने उसके आधारभूत सिद्धान्तों, रोग निदान पद्धति एवं चिकित्सा सिद्धांतों की उद्घाटना की है। वे इतने व्यापक साधक उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं कि आज भी बदले हुए परिवेश में उनकी उपादेयता को नकारा नहीं जा सकता। यही उनके प्राग्गत होने का एक पुष्ट प्रमाण है। परिस्थिति वश हमारे दृष्टिकोण एवं विचारधारा में जो परिवर्तन आया है उसने ही यह पुरातन है अतः उपयोगी एवं प्राज्ञ नहीं है — कह कर उनको अस्वीकार करने का प्रयत्न किया है जो वास्तविकता से मुख फेरने जैसा है।

आयुर्वेद शास्त्र में जितने भी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है वे सब पूर्णतः दार्शनिकता से अनुप्राणित हैं। उन सिद्धान्तों की विवेचना भी उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार दार्शनिक विषयों एवं सिद्धान्तों की जाती है। यद्यपि आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थ पुरुषों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर (रोगी) मनुष्यों के विकार का प्रशसन करना है तथापि अतदीगत्वा आत्मा के निर्विकार स्वरूप की प्राप्ति ही इस शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। आयुर्वेद का यह वैशिष्ट्य है कि उसने अभ्युदय और निःश्वेस दोनों के लिए समान रूप से और देकर दोनों को ही अपना लक्ष्य बनाया है। यहाँ अभ्युदय का अर्थ है भौतिक समृद्धि और निःश्वेस का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति। इस सन्दर्भ में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि चाहे अभ्युदय प्राप्त करना हो अथवा निःश्वेस दोनों की प्राप्ति के लिये मानव शरीर की स्वच्छता नितान्त रूप से अपेक्षित है।

आयुर्वेदीय स्वतन्त्र मौलिक दर्शन के सम्बन्ध में प्रकृत ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में ही पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। यहाँ मात्र इतना कहना पर्याप्त होगा कि भले ही दर्शनों की सख्या एव परिगणन में आयुर्वेद दर्शन को स्थान नहीं दिया है किन्तु अपनी मौलिक चिन्तन पद्धति के कारण आयुर्वेद दर्शन की मौलिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इतना तो स्पष्ट है कि दशन शास्त्र की अपेक्षा आयुर्वेद का विषय क्षेत्र अधिक व्यापक है। इसमें सैद्धान्तिक पक्ष की विवेचना तो है ही व्यवहारिक पक्ष की विवेचना भी अधिक प्रासंगिकता पूर्वक गई है जो अन्य दर्शनों में उपलब्ध नहीं है।

आयुर्वेद के अन्यान्य विद्वानों ने आयुर्वेदीय दर्शन या आयुर्वेद के दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर जिन ग्रन्थों या पुस्तकों का निर्माण किया है उन्हें प्रायः आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान की संज्ञा दी गई है जो सीमित विषय का संकेत करती है। आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान यद्यपि आयुर्वेद का आधारभूत विज्ञान है और उसमें उन सभी तत्वों एव विषयों का समावेश है जो आयुर्वेद रूपी विशाल भवन को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। अतः आयुर्वेद के लिए उसकी ग्राह्यता असदिग्ध एव अपरिहार्य है। यह भी सुस्पष्ट है कि आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान में प्रतिपादित समस्त विषयों की विवेचना का मूल दार्शनिक तत्त्व है। जिन्हें पूषत आयुर्वेदीय परिवेश में ढाल कर उन्हें आयुर्वेदोपयोगी बनाया गया है। अतः उनकी विवेचना एव समीक्षा आयुर्वेदीय दृष्टि से किया जाना अपेक्षित है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आयुर्वेद का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा और जीवन विज्ञान के रूप में आयुर्वेद की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिह्न लग जायगा। इससे स्पष्ट है कि इतने व्यापक सन्दर्भ एव परिवेश को मात्र 'आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान' शीर्षक व्याप्त नहीं कर सकता। उसके लिए व्यापक क्षत्र वाला शीर्षक ही अपेक्षित है जो उसकी मौलिकता एव साक्ष्यता का प्रतिपदन करने में समर्थ हो। इन सब बातों पर विचार कर मुझे आयुर्वेद दर्शन शीर्षक ही समीचन प्रतीत हुआ।

मेरा अपना विनम्र अभिमत है कि अयुर्वेद दर्शनों की भाँति आयुर्वेद दर्शन को भी दर्शन शास्त्र की श्रेणी में रखा जाना चाहिये। जब चार्वाक जैसे नास्तिक दर्शन को इतना माना गया है तो शायद ही जीवन विज्ञान को सुदृढ़ आधार प्रदान करने वाले आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित दार्शनिक सिद्धान्तों को दर्शन की श्रेणी में रखने में आपत्ति नहीं होना चाहिये। श्राभा है बिद्वज्जन इसी सन्दर्भ में मेरे इस कृत्र प्रयास को देखने की कृपा करेंगे।

विदुषामनुचर

राजकुमार जैन

विषयानुक्रमिका

प्रथम अध्याय

संयोजन	१
विषय प्रवेश	१
दक्षिण शब्द का अर्थ और उसकी व्यापकता	२
दर्शन की उद्भूति	३
आयुर्वेद पर दर्शनों का प्रभाव	४
दर्शनों की सख्या और क्षणी विभाजन	५
आयुर्वेद से सम्बन्धित दर्शन	६
आयुर्वेदीय स्वतन्त्र मौलिक दर्शन	७
आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान की उपयोगिता	७
पदार्थ का लक्षण	८
पदार्थ विभाजन एवं सख्या	९
भाव पदार्थ-अभाव पदार्थ	९

द्वितीय अध्याय द्रव्य निरूपण

द्रव्य का लक्षण	१२
द्रव्य सख्या	१४
द्रव्य क अन्य भेद	१५
पृथ्वी का लक्षण व भेद	१७
जल का लक्षण व भेद	१७
तेज का लक्षण व भेद	१९
वायु का लक्षण व भेद	२०
आकाश का लक्षण व भेद	२१
वायु और आकाश की सिद्धि	२१
पंच महाभूत	२३
महाभूतों के लक्षण व गुण	२४
महाभूतों के सत्त्वादि गुण	२७
महाभूतों की उत्पत्ति एवं उनका परस्परानुप्रवेश	२८
काल निरूपण	३१
काल शब्द की उत्पत्ति	३१
काल शब्द की परिभाषा और लक्षण	३३
काल के औपान्तिक भेद	३३
आयुर्वेद में काल का महत्त्व	३५
विषय निरूपण	३५
आस्था निरूपण	३६
आस्था का लक्षण	३६

आयुर्वेद सम्मत आत्मा और उसके अंग	४५
परम आत्मा या परम पुरुष	४६
आतिबाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीरयुक्त आत्मा	४७
राशि पुरुष या स्थल चेतन शरीर	४५
विक्रितस्व पुरुष या कर्म पुरुष	४६
संयोग पुरुष अथवा षड घात्वात्मक पुरुष	४६
राशि पुरुष	४७
देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व	४६
आत्मा के लक्षण	४६
आत्मा की ज्ञान की प्रवृत्ति	४६
आत्मा की उत्पत्ति	४७
मनो निरूपण	६७
मन का लक्षण	६६
मन के गुण	७२
मन के विषय तथा कम	७३
मन का स्थान	७६
तम का द्रव्यत्व खण्डन	७६

तृतीय अध्याय—गुण निरूपण

गुण का लक्षण	२
गुण सख्या	८४
वैशेषिक गुण	८६
कर्मण्य सामान्य गुण	८६
आख्यात्मिक गुण	८८
परादि सामान्य गुण	८६
गुणों का परिचय	८६
वैशेषिक गुण	८६
शब्द (निरूपण)	८६
(शब्द) उत्पत्ति और भेद	९
स्पर्श निरूपण	९२
रूप निरूपण	९३
रस निरूपण	९४
गंध निरूपण	९६
कर्मण्य सामान्य गुण	९७
गुरु-लघु	९७
शीत-उष्ण	९७
स्निग्ध-रूक्ष	९९
मन्द-तीक्ष्ण	९७

निम्न-स्तर	१०१
सुख-कठिन	१०२
पिच्छिल-विशद	१०३
दृढकण-सर	१०४
सूक्ष्म स्थूल	१०५
द्रव सान्द्र	१०६
आध्यात्मिक गुण	१०७
बुद्धि निरूपण	१०८
सुख निरूपण	१११
दुःख निरूपण	११२
दृष्टा निरूपण	११३
दृष्ट निरूपण	११४
प्रयत्न निरूपण	११५
परादि सामान्य गुण	११६
परत्वापरत्व निरूपण	११७
युक्ति निरूपण	११८
सङ्घा निरूपण	११९
सयोग निरूपण	१२०
विभाग निरूपण	१२१
पृथक्त्व निरूपण	१२२
परिमाण निरूपण	१२३
संस्कार निरूपण	१२४
अभ्यास निरूपण	१२५
न्यायोक्त चतुर्विंशति गुण	१२६
गुणो का साधर्म्य	१२७
गुणों का वैधर्म्य	१२८
द्रव्यो मे पाए जाने वाले गुण	१२९
गण प्राधान्य निरूपण	१३०

चतुर्थ अध्याय—कर्म निरूपण

कर्म का लक्षण	१३१
कर्म के भेद	१३२
लौकिक कर्म के प्रकार	१३३
न्यायोक्त कर्म के भेद	१३४

पंचम अध्याय—सामान्य निरूपण

सामान्य निरूपण	१३५
----------------	-----

सामान्य का लक्षण	१३३
सामान्य का आशय	१३४
सामान्य के भेद	१३५
सामान्य के अन्य भेद	१३८

षष्ठ अध्याय—विशेष निरूपण

विशेष निरूपण	१३९
विशेष का लक्षण	१४
विशेष के भेद	१४२
प्रवृत्तिरुपयस्य तु	१४३

सप्तम अध्याय—समवाय निरूपण

समवाय का लक्षण	१४५
----------------	-----

अष्टम अध्याय—अभाव निरूपण

अभाव का लक्षण	१४७
अभाव के भेद	१४९
प्रसङ्गाभाव	१४९
प्रध्वसाभाव	१४९
अत्यन्ताभाव	१५
अन्योन्याभाव	१५

नवम अध्याय—प्रमाण निरूपण

प्रमाण निरूपण	१५१
प्रमाण का लक्षण	१५२
आयुर्वेद मे परीक्षा शब्द का व्यवहार	१५२
प्रमा-प्रमेय प्रमाता और प्रमाण	१५३
प्रमा	१५३
प्रमेय	१५४
प्रमाता	१५४
प्रमाण	१५५
प्रमाण का महत्त्व	१५५
प्रमाण का फल	१५५
आयुर्वेद सम्मत प्रमाण	१५८
स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य	१६०

दशम अध्याय—प्रत्यक्ष लक्षण-निरूपण

प्रत्यक्ष का लक्षण	१६१
ज्ञानोत्पत्ति प्रकार	१६२
इन्द्रियों का स्वरूप एवं लक्षण	१६४
इन्द्रियों का श्रेणी विभाजन एवं संख्या	१६४
ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय उभयेन्द्रिय	१६५
इन्द्रियों के विषय	१६६
इन्द्रियों का भौतिकत्व	१६६
पंच पञ्चक	१६६
इन्द्रियों की वृत्तियाँ	१७०
त्रयोदश करण	१७१
करणो मे अन्त करण का प्राधान्य	१७१
अन्त-करणो की वृत्तियाँ	१७२
प्रत्यक्ष के भेद	१७३
निबिकल्पक प्रत्यक्ष	१७३
सविकल्पक प्रत्यक्ष	१७४
सन्निकर्ष का स्वरूप एवं भेद	१७४
सामान्य लक्षणा-ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति-योगज	१७६
आयुर्वेद में इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष का स्वरूप	१७७
वेदना का अधिष्ठान	१७९
वेदनानाश के हेतु	१८१
इन्द्रियों की प्राप्यकारिता विचार	१८२
विविध यज्ञो द्वारा प्रत्यक्ष का विस्तार	१८३
प्रत्यक्ष के रहते हुए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता	१८४
प्रत्यक्ष के बाधक	१८५
आयुर्वेद मे प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता	१८७

एकादश अध्याय—अनुमान-निरूपण

अनुमान का स्वरूप एवं लक्षण	१८९
चरकोक्त अनुमान का सञ्जन एवं भेद	१९२
अनुमान के अन्य भेद एवं पञ्चावयव	१९४
शिक्षा परामश	१९५
अन्वय ध्यतिरेकी-केवलान्वयी	१९६
न्यायोक्त अनुमान के भेद	१९७
हेतु का स्वरूप और भेद	१९८
अहेतु, असद् हेतु या हेत्वाभास	२०३
आप्त विमर्श	२०६
सूक्तान्त	२०७
सर्क का स्वरूप एवं महत्व	२०९

द्विदश अध्याय-आप्तोपदेश प्रमाण निरूपण

आयुर्वेद में आप्तोपदेश का प्राथम्य	२३२
आप्तोपदेश का लक्षण एवं आप्त का स्वरूप	२३३
अल्पम प्रमाण	२३७
शास्त्र का लक्षण	२४८
दृष्टिहास प्रमाण	२२
निष्पत्तु	२२१
शब्द प्रमाण	२२३
लोक संग्रह ५ अनुसार शब्द	
अरकोक्त शब्द का लक्षण एवं भेद	२३
शब्दायबोधक वृत्तियाँ	२२६
वाक्य स्वरूप एवं वाक्याथ ज्ञान में हेतु	२ ८
अवकाशा-योग्यता-सन्निधि	२२९
शक्तिब्रह्म एवं शक्ति ब्राह्म	२३

त्रयोदश अध्याय अन्य प्रमाण निरूपण

युक्ति प्रमाण	२ ४
युक्ति का स्वरूप एवं लक्षण	२३५
युक्ति प्रामाण्य विचार	२३८
युक्ति प्रमाण का वैशिष्ट्य	२४
उपमान प्रमाण निरूपण	२४१
उपमान का आयुर्वेद सम्मत लक्षण	२४२
आयुर्वेद में उपमान प्रमाण की उपयोगिता	२४४
अर्थापत्ति प्रमाण निरूपण	२४५
अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण	२४५
संभव प्रमाण	२४६
केष्टा प्रमाण परिशेष प्रमाण	२४७
इतिहास प्रमाण	२४७

चतुर्दश अध्याय—तद्विद्य सम्भाषा

तद्विद्य सम्भाषा से लाभ	२४८
तद्विद्य सम्भाषा के भेद	२४९
अक्ष-जल्प और वितण्डा	२५३
अल्प और वितण्डा	२५४
निब्रह्मस्थान	२५५
ओन्ति या विपर्यय	२५६
पंचदश अध्याय—सृष्टि उत्पत्ति क्रम एवं तत्त्व निरूपण	
सृष्टि या सग निरूपण	२६०
प्रकृति या अभ्यक्त	२६२
महान् और अहंकार की उत्पत्ति	२६३
इन्द्रियो की उत्पत्ति	२६३
पञ्चतन्मात्राबो एवं महाभूतो की उत्पत्ति	२६४
तत्त्व निरूपण	२६५
सत्त्वो का वर्गीकरण	२६७
प्रकृति या अभ्यक्त	२६८
महत्तत्त्व	२६८
अहंकार	२६९
आयुर्वेद सम्मत सृष्टिक्रम	२७१
चरकानुमत चतुर्विंशति तत्त्व	२७१
अ्यक्त और अभ्यक्त मे अन्तर एवं साम्य	२७३
प्रकृति-पुरुष साधर्म्य-बैधर्म्य	२७३
प्रकृति पुरुष के संयोग का कारण	२७४
त्रिगुण निरूपण	२७६
सत्त्व रज तम के लक्षण	२७८
सत्त्व गुण लक्षण	२७८
रजो गुण के लक्षण	२७९
तमो गुण के लक्षण	२८०
सौतो गुणों के समान लक्षण	२८२
षोडश अध्याय—सत्य और प्रलय निरूपण	
पुनर्जन्म	२८५
चतुर्विंश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि	२८९
मोक्ष या अपुनर्भव	२९३

सप्तदश अध्याय—कार्यकरण भाव एवं वाद निरूपण

कारण का स्वरूप एवं भेद	३१७
समवायि कारण असमवायि कारण (निमित्त कारण)	
आपूर्णेद में कार्यकारण भाव	३१६
सत्कार्यवाद	३१५
असत्कार्यवाद	३१४
परमाणुवाद	३१३
स्वभावोपरमवाद	३१२
परिणामवाद	३११
विकृतवाद	३१०
क्षणभगुरवाद	३०९
पीलुपाक-पिठरपाक	३०८
अनेकान्तवाद	३०७

अष्टादश अध्याय-तन्त्रयुक्ति विज्ञानीय

तन्त्रयुक्ति को उपयोगिता	३०६
तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन	३०५
तन्त्रयुक्तियों की सख्या	३०५
अधिकरण योग	३०४
पदार्थ हेत्वर्थ	३०३
उद्देश निर्देश उपदेश अपदेश	३०२
प्रदेश अतिदेश	३०१
अपवग वाक्यशेष अथापत्ति	३००
विपर्यय प्रसंग	२९९
एकान्त अनेकान्त पूर्वपक्ष निर्णय	२९८
अनुमत विधान	२९७
अनाशतावेक्षण असीतावेक्षण सशय	२९६
व्याख्यान स्वसज्ञा	२९५
निर्गुण निदशन नियोग	२९४
समूह्य विकल्प उद्देश	२९३
प्रयोजन प्रत्युत्सार उद्धार, सम्भव	२९२

एकोनविंश अध्याय

व्याख्या कल्पना ताच्छील्य अर्थाभय एवं तन्त्रदोष	
पञ्चदशविध व्याख्या	२९१
सप्तदश कल्पना	२९०
सप्तदश ताच्छील्य	२८९
एकविंशति अर्थाभय	२८८
तन्त्रगुण	२८७
अतुदश तन्त्रदोष	२८६

प्रथम अध्याय

मंगलाचरण

दीर्घायुष्यं विद्वत्सु सुखमपि परमं धीः प्रकाशमानम्
सौभाग्यं वासुदेवं सर्वप्रियमन्तः शत्रुहं प्रतिष्ठति ।
प्रवृत्ताधिभ्याधिभ्यः निवृत्तमलभ्य सर्वैर्भक्त्युत्तमैः-
मात्रेण वाञ्छित्वैर्लोकैः चरकमन्तरि देवैश्चान्वयति वा ॥

अर्थात् जो मनुष्य के दीर्घायुष्य को करता है जो लोगों को सतत रूपसे परम सुख प्रदान करता है एक बार मनन करने मात्र से जो लोगों के जाल रूपी पाश को आसुरहृत्पूर्वक काट देता है, जिसने समस्त अधि व्याधि बुरे को नष्ट कर दिया है दोष समूह को नष्ट करने वाले समस्त प्राणियों द्वारा कान्यवीय महर्षि बालीय भधवा महर्षि अग्निवेश महर्षि चरक या भगवान् धन्वन्तरि को नमस्कार है ।

विषय प्रवेश

जब से सृष्टि का आरम्भ हुआ है तब ही से प्राणियों को सुख और दुःख की अनुभूति हीने लगी थी । मनुष्यों की अनुभूति में सुख उसके लिए अनुकूल प्रतीत एवं हितकारी प्रवृत्ति थी । इसके विपरीत दुःख उसके लिए अतिकूल प्रतीत एवं अक्षयस्कार प्रवृत्ति थी । अतः आरम्भ से ही मनुष्य सुख की प्राप्ति एवं सतत उत्तरी स्थिति तथा दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता रहा । मनुष्यों के इस स्वाभाविक संघर्ष में उसे सफलता दिलाने लिए इस दुःखमूल पर आधुर्बेद का अवतरण हुआ । क्योंकि मनुष्यों की तत्कालीन अनुकूल प्रतीति अनित्य सुख (असौख्य) की उपलब्धि एवं अतिकूल प्रतीति अनित्य दुःख (विकार) की निवृत्ति के लिए आधुर्बेद ही समर्थ था । मूलतः आधुर्बेद का प्रयोग ही यही है - "विशेषतः स्वास्वरक्षणम्, आधुर्बेद विना संशयान्तरम्" अर्थात् स्वस्व मनुष्यों के स्वास्व की रक्षा करना और तथा कालोत्तरी के विकार का प्रयत्न करना ।

आधुर्बेद का अर्थ है कि जो सुख के लिए प्रयत्न करता है वह ही स्वस्व रक्षा करता है ।

है। उन मौलिक सिद्धान्तों के अध्ययन के बिना आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करना संभव असम्भव है। अतः सर्वप्रथम उनका अध्ययन एवं ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। यद्यपि आयुर्वेद के समस्त मौलिक सिद्धान्त एवं सम्पूर्ण आयुर्वेद का आधारभूत विज्ञान आयुर्वेद की निजी चिन्तनधारा उसका अपना प्रयोजन एवं उसके स्वकीय दृष्टिकोण पर ही आधारित है तथापि वे सिद्धान्त और वह विज्ञान भारतीय दर्शनशास्त्र एवं तात्विक विषयों से अनुप्राणित हैं। उन सिद्धान्तों में दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सिद्धान्तों का समावेश इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। भारतीय दर्शनशास्त्र की चिन्तनधारा अध्ययन पद्धति मनन शली एवं अनुशीलन परम्परा का उसकी समकालीन विद्याओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धान्त भी दर्शनशास्त्र और दार्शनिक तत्वों से पर्याप्त प्रभावित है। इसका एक कारण यह भी है कि आर्य काल में जिन जिन विषयों एवं विद्याओं का अध्ययन तथा अध्यापन हुआ है तथा जिन गुरुओं ने आयुर्वेद आदि विद्याओं की शिक्षा दीक्षा दी है वे स्वयं आयुर्वेद के साथ साथ दर्शनशास्त्र एवं अन्य विषयों के भी ज्ञाता कर्ता एवं प्रवक्ता थे। अतः उनके द्वारा आयुर्वेदीय मौलिक सिद्धान्तों का विवेचन दार्शनिक सिद्धान्त से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

दर्शन शब्द का अर्थ और उसकी व्यापकता

दर्शन का सामान्य अर्थ होता है देखना। दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम् अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाय वह दर्शन कहलाता है। सामान्यतः नत्रों के माध्यम से चक्षु इन्द्रिय द्वारा जो क्रिया प्रतिपादित की जाती है वह दर्शन शब्द से अभिप्रेत है। वस्तुओं के स्वरूप को उसके तात्विक अथवा वास्तविक रूप में देखना ही दर्शन कहलाता है। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप ज्ञान को ही दर्शन कहते हैं। कुछ आचार्यों के अनुसार दर्शन शब्द का मोटा और स्पष्ट अर्थ है साक्षात्कार करना अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान से किसी वस्तु का निष्कर्ष करना।

तात्पर्य यह है कि विभिन्न दर्शनकार ऋषियों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार वस्तु के स्वरूप को जानने की चेष्टा की और उसी का बार-बार मनन चिन्तन और निदिध्यासन किया। जिसका यह स्वाभाविक फल है कि उन्हें अपनी बलवती भावना के अनुसार वस्तु का वह स्वरूप स्पष्ट प्रतिभासित हुआ।

अभिप्राय यह है कि प्रत्येक दर्शनकार ऋषि ने प्रथम चेतन और और जड़ के स्वरूप उनका पारस्परिक सम्बन्ध तथा दृश्य जगत् की व्यवस्था को जानने का अपना दृष्टिकोण बनाया। पश्चात् उसी का सतत चिन्तन और मनन धारा के परिपाक से जो तत्त्व साक्षात्कारकी प्रकृष्ट और बलवती भावना जाग्रत हुई उसके विशद और स्फुट आभास से निश्चय किया कि उन्होंने विश्व का यथार्थ दर्शन किया है। तत्त्वों का साक्षात्कार किया है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अवलोकन किया है तथा स्वात्मानुभूति के अनन्त

सागर मे अखण्ड अक्षय और परमोत्कृष्ट अलौकिक सुख का अनुभव किया है। इस प्रकार दशन का मूल उद्गम सृष्टिकोष से हुआ है और उनका अन्तिम परिपाक है भावनात्मक साक्षात्कार में।

दर्शन का मुख्य प्रयोजन आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना कर उसके यथार्थ स्वरूप के रहस्य का ज्ञानोपाजन कराना है। आध्यात्मिक तत्वों के अतिरिक्त अन्य तत्वों का विवेचन एवं दिग्दर्शन कराना भी दर्शन शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। तत्व चिन्तन की उच्चात्युच्च कल्पना विचारों की सूक्ष्मता विविध आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन मनन एवं अनुशीलन की गम्भीरता तथा प्रत्येक तत्व की सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचना ही दशन का आधार है।

दशन की उद्भूति

भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। अतः भारतीय जन जीवन मे आध्यात्मिकता धार्मिक भावना एवं सामाजिक सौहार्द भाव की जड़ें इतनी गहरी जमी हुई हैं कि अनेक वर्षों के आघात प्रत्याघात भी उनका समूलोच्छेदन नहीं कर सकते। भारतीय चिन्तन धारा ने जहाँ परहित विवेक की प्रतिष्ठापना की वहाँ इसने मैं और विश्व तथा उसके पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर उन्मुक्त और गम्भीर मनन किया है। दिव्य द्रष्टा ऋषियों ने ऐहिक चिन्ता से मुक्त होकर आत्म तत्व की गवेषणा मे अपनी समग्र शक्ति एकाग्र चित्त से लगाई। उन्होंने आत्म साधना की प्रक्रिया का अवेषण किया और ज्ञान के आधार पर अलौकिक चक्षुओं द्वारा ससार के परिध्रमणशील चक्र का अवलोकन कर इसकी यथार्थता से मानव मात्र को अवगत कराया।

सृष्टि के आदि काल से ही बौद्धिक चिन्तन एवं आत्मानुशीलन मे एकाग्र चितवृत्ति द्वारा समस्त प्रवृत्तियों को अन्तर्मुख करने वाले ऋषि महर्षियों के हृदय मे सृष्टि के प्रति बाल सुलभ जिज्ञासा एवं औत्सुक्य वृत्ति प्रादुर्भूत हुई। इस सृष्टि तथा उससे सम्बन्धित विविध भावों के विषय मे अनेक प्रश्न उन ऋषियों के अन्तःकरण मे समुत्पन्न हुए। उन प्रश्नों का समाधान उन्होंने अपनी तप साधना द्वारा आम साक्षात्कार पूर्वक किया। कालान्तर मे एवभूत विविध जिज्ञासाओं का समाधान लिपिबद्ध करके शास्त्र के रूप मे उन्हें सुरक्षित रखा गया। जिन ग्रन्थों मे विशेषतः उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया है इस प्रकार के शास्त्र एव ग्रन्थों को ही दशन शास्त्र की सज्ञा से व्यवहृत किया गया। दर्शनशास्त्र एक बज्ञानिक शास्त्र है, जो नित्यप्रति अनेक तत्वों के विषय मे अवेषण कर गम्भीरता पूर्वक उनका चिन्तन करता है उससे सम्बन्धित प्रत्येक पहलू का विचार कर उसके रहस्य का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है।

यह सृष्टि क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? इसकी उत्पत्ति कब हुई? इसका सृष्टा कौन है? सृष्टि करने का उद्देश्य क्या था? अत्मा क्या है? परमात्मा क्या

है ? हम कौन हैं ? क्या हैं ? और कहा से आये हैं ? हमारा क्या कतव्य है ? और जीवन का अन्तिम ध्येय क्या है ? इत्यादि प्रश्नों का समुचित समाधानात्मक उत्तर हमें दर्शन शास्त्र ही दे सकता है ? क्योंकि उपयुक्त प्रश्नों का समाधान करना ही दर्शन शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है । तत्व ज्ञान द्वारा परम सुख या मोक्ष प्राप्ति का उपाय बतलाना दर्शनशास्त्र की मौलिक विशेषता है ।

आयुर्वेद पर दर्शनों का प्रभाव

लगभग समस्त भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता से अनुप्राणित रहे हैं । इसके परिणाम स्वरूप भारतीय दर्शनों ने आत्मा मन इन्द्रिय और उससे सम्बन्धित विषयों के प्रतिपादन को विशेष महत्त्व दिया । भारतीय दर्शनों की स्वतन्त्र चिन्तन धारा ने अपनी समकालीन विधाआ को भी पर्याप्त रूप से प्रभावित किया । इसके परिणाम स्वरूप आयुर्वेद भी दार्शनिक विचारधारा दार्शनिक तत्वों एवं दार्शनिक अनुचिन्तन के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका । यह बात दूसरी है कि दृष्टिकोण की भिन्नता और आयुर्वेदीय सिद्धान्तों के अनुसार कतिपय विषयों में दार्शनिक तत्वों की अनुकूलता के कारण किसी दर्शन ने अपरूप में तो किसी दर्शन ने अधिक रूप में आयुर्वेद को प्रभावित किया । किन्तु यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सभी दर्शनों ने आयुर्वेद और उसके सिद्धान्तों को न्यूनान्धिक रूप में प्रभावित किया है । आयुर्वेद का इतना वशिष्ठ्य अवश्य है कि उसने दर्शनों के प्रतिपाद्य आत्मा मन इन्द्रिय के अधिष्ठान भक्त शरीर का सर्वांगपूर्ण विवेचन कर दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुरूप उसकी उपयोगिता एवं साधकता को प्रतिपादित किया ।

भारतीय दर्शनशास्त्र एवं आयुर्वेद दोनों ही भारतीय सस्कृति का पोषण एवं मवधन करने वाले अभिन्न अंग रहे हैं । भारतीय दर्शनकार ऋषिया ने दर्शनशास्त्र के माध्यम से जहाँ विश्व की चेतना भूत आत्मा को जाग्रत कर उसे निश्चय के पथ पर अग्रसर किया वहाँ आयुर्वेद ने आत्मा के निवास स्थान भक्त शरीर की स्वास्थ्य रक्षा आरोग्य एवं अनातुरावस्था के लिए विभिन्न उपायों का निदर्श किया ताकि स्वस्थ एवं अनातुर शरीर के माध्यम से आत्मा अपने चरम तथ्य निवृत्ति को प्राप्त कर सके । जिस प्रकार सत्सत्तार चक्र के रूप में आत्मा और शरीर परस्पर संयुक्त हैं उसी प्रकार शास्त्रीय अध्ययन पद्धति के रूप में दर्शन और आयुर्वेद का पारस्परिक सम्बन्ध प्रारम्भ से ही चला आ रहा है ।

आयुर्वेद के दार्शनिक पक्ष को इस दृष्टि से ग्रहण किया जाना चाहिए कि आयुर्वेदीय चिकित्सा के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्त दार्शनिक सिद्धान्तों से पूर्णतः प्रभावित अथवा उन पर आधारित हैं । इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है—

वैशेषिक दर्शन ने अन्य पदार्थों के साथ सामान्य और विशेष को पदार्थ माना है । आयुर्वेद में भी इन्हें पदार्थ स्वीकार किया गया है । इसका अतिरिक्त आयुर्वेद में चिकित्सा सिद्धान्त के रूप में भी इन दोनों पदार्थों की व्यापकता हुई । जैसे शरीर में

रक्ताल्पता की स्थिति की चिकित्सा में सामान्य सिद्धांत के अनुसार 'सामान्य वृद्धिकारण' के आधार पर रक्त के समान गुणधर्म वाले द्रव्यों के प्रयोग से रक्त का वृद्धि होती है तथा रक्ताल्पता दूर होकर व्याधि का नाश होता है। ज्वर के रोगी को पित्त नाशक द्रव्यों का प्रयोग विपरीत गुण धर्म होने से 'विशेष' के आधार पर किया जाता है। जैसे बडचीसत्व पित्तनाशक एवं वरघ्न होने से 'वर' का शमन करता है। इसी प्रकार आयुर्वेद में अथ दार्शनिक तत्वों एवं सिद्धान्तों का विवेचन भी चिकित्सा सिद्धान्तानुसारी होने से महत्वपूर्ण है। अतः यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आयुर्वेद का दार्शनिक पक्ष अत्यधिक समृद्ध सन्तुलित एवं प्रबल है।

दर्शनों की सख्या और श्रेणी विभाजन

भारत में प्रचलित दर्शनों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—

(१) आस्तिक दर्शन और (२) नास्तिक दर्शन।

आस्तिक दर्शन वह माना जाता है जो वेद मतावलम्बी है वेदों में श्रद्धा व भक्ति रखता है वेदों को अपौरुषेय एवं ईश्वरकृत मानता है तथा वेदों का अस्तित्व व प्रामाण्य स्वीकार करता है। एतद्विध वैदिक या वेदमतावलम्बी दर्शनों की सख्या छ है। यथा—गौतमकृत न्याय दर्शन कणादकृत वशेषिक दर्शन कपिलकृत सांख्य दर्शन जमिनीकृत भौमासा दर्शन तथा व्यासकृत ब्रह्मसूत्र या वेदान्त दर्शन। इन षड्विध दर्शनों का मूलस्रोत उपनिषद् हैं। इन दर्शनों (तब ज्ञान या तत्त्व चिन्तन के मूल शास्त्रों) का जन्म उपनिषदों से ही हुआ है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। दर्शन के बीज उपनिषदों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उपनिषद् वेद के भाग हैं। इन उपनिषदों की सख्या १८ है। जिनमें १ उपनिषद् ऋग्वेद से सम्बन्धित है १९ शुक्ल यजुर्वेद से ३२ कृष्ण यजुर्वेद से १६ सामवेद से और ३१ अथर्ववेद से सम्बन्धित है।

नास्तिक दर्शन वे समझ जाते हैं जो वेदों को ईश्वरकृत नहीं मानते। वे वेदों में श्रद्धा भक्ति या विश्वास नहीं रखते। उनके मतानुसार वेद पौरुषेय हैं। नास्तिक समझ जाने वाले दर्शनों की सख्या तीन है। यथा—जैनदर्शन बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। इनमें चार्वाक दर्शन पूर्णतः नास्तिक अनामवादी भौतिकवादी एवं प्रत्यक्षवादी है। उसके मतानुसार आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक मोक्ष आदि कुछ नहीं है। जो कुछ प्रत्यक्ष है वही सत्य है अन्य समस्त अप्रत्यक्ष असत्य मिथ्या एवं भ्रममात्र है। अतः असत्य मिथ्या और भ्रम को स्वीकार करना कभी हितकारी नहीं हो सकता। चार्वाक के अतिरिक्त अन्य दोनों (जैन व बौद्ध) दर्शन स्वयं को नास्तिक नहीं समझते। क्योंकि वे आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक मोक्ष कर्म कर्म फल पुण्य-पाप धर्म-अधर्म पुनर्जन्मादि समस्त तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनके मतानुसार जो अनात्मवादी होता है और उपर्युक्त तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है वही

नास्तिक कहलाता है। मात्र वेद मन्त्रों को अपौरुषय मानने से किसी को नास्तिक धानना संकुचित मनोवृत्ति का ही द्योतक है। अतः दशन के क्षेत्र में दृष्टिकोण की भिन्नता होते हुए भी उदात्त भाव पूर्वक अन्य आचार्यों के भिन्नत्व एव विचार सरणि के विषय में चिन्तन एव मनन पूर्वक उसे ग्राह्याग्राह्य करना एक स्वस्थ परम्परा है। किन्तु उपर्युक्त दोनों दर्शनों को केवल वेदों को ही ईश्वर कृत (अपौरुषय) न मानने तथा उनमें श्रद्धा व भक्ति न होने के कारण उन्हें नास्तिक माना गया है।

आयुर्वेद से सम्बन्धित दशन

सामान्यतः सभी दर्शनों ने न्यूनाधिक रूप में आयुर्वेद और उसके सिद्धान्तों को प्रभावित किया है। क्योंकि आयुर्वेद के सहिता ग्रन्थ ऐसे काल की देन है जब दर्शनों ने भारत में प्रचलित तत्कालीन समस्त विद्याओं को प्रभावित किया था। अतः आष काल में दशन और आयुर्वेद का विकास समान रूपेण होने से तथा दोनों शास्त्रों का समान ज्ञान अर्जित करने वाले प्रवक्ताओं (ऋषिओं) द्वारा इनकी रचना किये जाने से दशन तथा दार्शनिक विचारों का पर्याप्त प्रभाव आयुर्वेद पर पड़ा है। तथापि साख्य दशन एव वैशेषिक दशन के तात्त्विक विवेचन ने आयुर्वेद के सद्धान्तिक पक्ष को विशेष रूप से प्रभावित किया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार तो आयुर्वेद ने साख्य दशन के कतिपय उपयोगी सिद्धान्तों को अविकल रूप से ग्रहण कर लिया है तथा उनका प्रतिपादन भी अपने शास्त्रों में उसी रूप में किया है। मेरे विचार से इस कथन में कुछ सयाश हो सकता है किन्तु उसमें यह तथ्य अन्तर्निहित है कि आयुर्वेद ने अपने मूल उद्देश्य के लिए ही सम्भवतः ऐसा किया था।

किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि आयुर्वेद का कोई मौलिक दशन ही नहीं है तथा उसने अपने दार्शनिक पक्ष की परिपुष्टि के लिए साख्य और वैशेषिक दशन (विशेष रूप से साख्य दशन) को प्रमुख आधार बनाया है। इसके विपरीत आयुर्वेद का अपना स्वतंत्र मौलिक दशन है तथा अपने सद्धान्तिक विवेचन में कतिपय स्थलों पर न्यूनाधिक रूप में अन्य दर्शनों का भी आश्रय लिया है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद में जहाँ कहीं भी विभिन्न दर्शनों के दार्शनिक सिद्धान्तों को अविकल रूप में ग्रहण की जो प्रतीति होती है वह दोनों की सजाआ में समानता होने के कारण है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि दशनशास्त्र और आयुर्वेद दोनों के ग्रन्थों में सजाआ की समानता होने पर भी दर्शन ने एक ही पदार्थ के विषय में जो कुछ भी प्रतिपादित किया है उसी के सम्बन्ध में आयुर्वेद ने अपने मूल प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अपने भिन्न मन्तव्य को भी व्यक्त किया है जिससे स्थिति अधिक स्पष्ट हो गयी है तथा आयुर्वेद के दार्शनिक पक्ष की मौलिकता स्पष्टतः प्रतिभासित होती है।

आयुर्वेद के दार्शनिक पक्ष को इस रूप में ग्रहण किया जाना चाहिये कि जिससे यह ज्ञात हो कि आयुर्वेदीय चिकित्सा के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्त दार्शनिक सिद्धान्तों से पूणतः प्रभावित अथवा उन पर आधारित हैं।

आयुर्वेदीय स्वतन्त्र भौतिक दर्शन

जो लोग यह सोचते हैं कि आयुर्वेद का अपना कोई स्वतंत्र भौतिक दर्शन नहीं है और वह सर्वथा अन्य दर्शनों पर आधारित है तो उनकी यह धारणा सर्वथा भ्रम भूलक एव मिथ्या है। कुछ विद्वानों का मत है कि जिस प्रकार अन्य दर्शनों में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव इन पदार्थों का दार्शनिक विवेचन किया गया है तथा इनके ज्ञान और सिद्धि के लिए प्रमाणों का आधार लिया गया है उसी प्रकार आयुर्वेद में भी षट् पदार्थों का परिगणन उनका स्वतंत्र विवेचन तथा उनके ज्ञानार्जन एव सिद्धि के लिए प्रमाणों का अद्वान्तर भेद सहित सागोपाग वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य दर्शनों की भांति आयुर्वेद में सृष्टि के मूल तत्व प्रकृति पुरुष एकादश इन्द्रियो पञ्चतन्मात्राओं और पञ्चमहाभूतों का अविकल वर्णन किया गया है। इसके उल्लेख में मेरा बिनम्र निवेदन कि पदार्थ विज्ञान एव सृष्टि विज्ञान का वर्णन प्रायः समस्त दर्शनों में किया गया है किन्तु आयुर्वेद में इनका वर्णन कुछ भिन्न रूप में भिन्न उद्देश्य के आधार पर है। अतः आयुर्वेदीय दर्शन कुछ अंशों में अन्य दर्शनों से पृथक् हो जाता है। अन्य दर्शनों में पदार्थ विज्ञान का वर्णन सप्ताह के विविध विषयों के ज्ञान के लिए तथा सृष्टि के मूल तत्व प्रकृति पुरुष का वर्णन सप्ताह के सद्धान्तिक एव व्यवहारिक विषयों की सिद्धि के लिए किया गया है। इसके विपरीत आयुर्वेदीय दर्शन में उपयुक्त समस्त तत्वों का विवेचन रोग रोगी औषधि और चिकित्सा की सिद्धि के लिए किया गया है। आयुर्वेद का उद्देश्य अन्य दर्शनों से भिन्न है। अन्य दर्शन केवल आत्मा की मुक्ति या मोक्ष साधन के लिए ही प्रयत्नशील है तथा उसी के लिए अपने सिद्धान्तों एव प्रमाणों द्वारा उसका माग निर्देशन करते हैं। इसके विपरीत आयुर्वेद का उद्देश्य अन्य दर्शनों में सर्वथा भिन्न है। वह केवल स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा एव आतुर (रोगी) मनुष्यों के विकार प्रशमन के लिए प्रयत्नशील रहता है और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति तथा रोग रोगी औषधि और चिकित्सा की सिद्धि के लिए उसने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। अतः आयुर्वेदीय दर्शन भी अन्य दर्शनों की भांति सर्वथा भौतिक एव स्वतंत्र दर्शन है।

आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान की उपयोगिता

आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद का आधारभूत विज्ञान है। आयुर्वेद का सम्पूर्ण दार्शनिक पक्ष उसके पदार्थ विज्ञान पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के अन्य चिकित्सा आदि विषयक सिद्धान्त भी पदार्थ विज्ञान पर ही आधारित हैं। आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान के अध्ययन के बिना आयुर्वेद और उसके अन्य सिद्धान्तों का ज्ञान असंभवित है। जिस प्रकार आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के लिए उसके आधारभूत भौतिक विज्ञान (फिजिक्स) रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) और जीव विज्ञान

(बायलाजी) का अध्ययन और ज्ञान नितान्त आवश्यक है उसी प्रकार भारतीय चिकित्सा शास्त्र (आयुर्वेद) के अध्ययन और ज्ञानार्जन के लिए उसके आधारभूत पदार्थ विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है।

आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान केवल चिकित्सा शास्त्र का ही आधारभूत नहीं है अपितु यह आयुर्वेदीय रचना शारीर क्रिया शारीर द्रव्यगुण विज्ञान स्वस्थवृत्त रसायन तथा वाजीकरण के सिद्धांतों की भी समुचित व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त रोग परीक्षा एवं रोगी परीक्षा के लिए भी समुचित माग दर्शन करता है। चिकित्सा के लिए जो सिद्धान्त अपेक्षित हैं उनका विवेचन भी आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान के अन्तर्गत आ जाता है। उदाहरणार्थ धातव पुनः शारीर समानगुण समानगुणभूयिष्ठर्वाऽप्याहारविहाररम्यस्यमानेव द्विः प्राप्नुवन्ति ह्लासस्तु विपरीतगुण विपरीतगुणभयिष्ठर्वाऽप्याहारविहाररम्यस्यमाने अर्थात् शरीर में स्थित धातुएँ समान गुण वाले अथवा समान गुण की अधिकता वाले आहार के सेवन से वृद्धि को प्राप्त होती है तथा विपरीत गुण वाले अथवा विपरीत गुणों की अधिकता वाले आहार विहार के सेवन से ह्लास को प्राप्त होती है। आयुर्वेदीय चिकित्सा का यह सिद्धान्त पूणतः पन्थाय विज्ञानीय सामान्य एवं विशेष सिद्धान्त पर आधारित है। क्योंकि सामान्य वृद्धि का और विशेष ह्लास का कारण होता है। इसी भाँति पदार्थ विज्ञान के सिद्धान्त भी चिकित्सा व अन्य अंगों के लिए लागू होतें हैं।

आयु ही जीवन है आयु का ज्ञान ही आयुवद है अतः आयुवद एक सम्पूर्ण जीवन विज्ञान है। उस दृष्टि से आयुवद में पदार्थ विज्ञान का महत्त्व और भी अधिक है। क्योंकि पदार्थ विज्ञान के अन्तर्गत जिन विषयों एवं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है वे सब सामान्य जीवन में प्रतिघटित होने में महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। पदार्थ विज्ञान के अन्तर्गत की गई द्रव्य व्यवस्था के अनुसार सत्कार का प्रत्येक द्रव्य उसमें समाविष्ट हो जाता है। उन द्रव्यों में से अधिकांश द्रव्य जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि वे जीवन के लिए उपयोगी हैं और नियम प्रति उनका व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार गुण और कम भी जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि गुण और कम प्रत्येक द्रव्य में अवश्य होते हैं। गुण और कम के कारण ही द्रव्य की उपयोगिता है। मान लीजिए हम दूध का उपयोग करते हैं। दूध एक द्रव्य है उसमें शीत द्रव स्निग्ध आदि गुण तथा शरीर की पुष्टि करना पित्त का शमन करना आदि कम होते हैं। इन्हीं गुण-कमों के कारण दूध की उपयोगिता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य हमारे सामान्य जीवन के लिए अथवा चिकित्सा के लिए उपयोगी हो सकता है। अतः आयुवद के लिए इन से सम्बन्धित सिद्धान्तों का ज्ञान अपेक्षित है। जिसकी पूर्ति पूणतः पदार्थ विज्ञान द्वारा हो जाती है।

पदार्थ का लक्षण

पदस्थ पदयोः पाठनां वाऽर्थ इति पदार्थ अर्थात् पद के अर्थ को दो पदों के अर्थ को तीन पद या उससे अधिक पदों के अर्थ को पदार्थ कहते हैं।

पद का अभिप्राय यहा शब्द से है। वण (अक्षर) के समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक पद या शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। अतः अर्थ का ज्ञान कराने वाली अभिधा शक्ति से युक्त वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। जिस पद से जिस वस्तु का अर्थ प्रतीत होता है वही पदार्थ है। जैसे घट 'पट आदि। यहा घट और पट ये दोनो पद (शब्द) हैं। इन पदों का अर्थ क्रमशः घडा और कपडा है। अतः ये दोनो क्रमशः पदार्थ है। पदो (शब्दो) के समूह (वाक्य) से भी जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह पदार्थ कहलाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घडा घट पद का और कपडा पट पद का अर्थ है अतः जिस वस्तु के लिए पद या शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है वही पदार्थ कहलाता है।

शास्त्रा का प्रतिपाद्य विषय भी पदार्थ कहलाता है। किसी ग्रन्थ या शास्त्र को पढने वाला व्यक्ति यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि अमुक ग्रन्थ मे क्या लिखा है ? ग्रन्थकार भी अपने ग्रन्थ मे किसी न किसी विषय का प्रतिपादन अवश्य करता है। इसके अतिरिक्त पढने वाला व्यक्ति एव अपने ग्रन्थ मे विषय का प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थकार दोनो का लक्ष्य ऐसे विषय की ओर होता है जिसका ससार मे किञ्चिन्मात्र भी अस्तित्व हो। अस्तित्वहीन वस्तु या विषय की कोई उपादेयता नही रहती। जैसे खर विषाण आकाश कुसुम बध्या पुत्र आदि। ये ऐसे विषय हैं जिनका अस्तित्व नही होने से इनकी कोई उपादेयता नही है। ऐसे विषय किसी ग्रन्थ या शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय नही हो सकते और न ही ये विषय जानने के योग्य हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विषय या वस्तु को जानने के लिए उत्सुक रहता है तो वह वस्तु या विषय प्रमेय या ज्ञय कहलाता है। इसी प्रकार ग्रन्थकार किसी वस्तु या विषय के सबध मे कुछ कहना चाहता है तो वह वस्तु या विषय कथन की अपेक्षा रखता है। अतः वह वस्तु या विषय अभिधेय कहलाता है। प्रमेय और अभिधेय वस्तु वही होती है जिसका ससार मे कुछ अस्तित्व रहता है। अतः वह वस्तु या विषय जो अस्तित्ववान हो अभिधेय हो और प्रमेय हो पदार्थ कहलाता है। यही पदार्थ का सामान्य लक्षण है^१।

१—(क) पदजन्यप्रतीतिविषयत्व पदार्थत्वम् ।

(ख) पदार्थस्तु पदस्यार्थोऽभिधेयत्वादिबुद्ध्यते ।

२— यथापि पदार्थानां साधर्म्यमस्तित्वाभिधेयत्वब्रमेयत्वानि —अस्तपदाभावात्

पदाथ विभाजन एवं सख्या

पदार्थ को सामान्यत दो भागो मे विभाजित किया है^१—(१) भाव पदार्थ और (२) अभाव पदार्थ ।

भाव पदाथ

आयुर्वेद मे केवल भाव पदाथ ही स्वीकार किए गए हैं । भवन्ति सत्ताम नभवन्तीति भाव अर्थात् जो सत्तावान् हो और जिसका अनुभव किया जा सके वही भाव है । ससार मे ऐसे भाव पदार्थ असंख्य हैं किन्तु फिर भी आयुर्वेद मे सुविधा की दृष्टि मे मुख्य भाव पदार्थों की सख्या छह मानी गई है । यथा-द्रव्य गुण कम सामाय विशेष और समवाय । शेष समस्त पदार्थों का समावेश इन्ही षट पदार्थों मे हो जाता है । इन षट पदार्थों से अतिरिक्त किसी अन्य पदाथ की सत्ता नहीं है । आयुर्वेद के अतिरिक्त कुछ अन्य दशन भी उपर्युक्त षडविध पदाथ मानते हैं^२ ।

अभाव पदाथ

भाव के विपरीत जिसका अभाव हो अर्थात् न तो जिसकी सत्ता हो और न ही जिसका अनुभव हो सकता हो वह अभाव पदाथ कहलाता है । इसे असत् पदाथ भी कहते हैं । यह चार प्रकार का होता है । यथा—प्रागभाव प्रध्वसाभाव अन्योयाभाव और अत्यताभाव । आयुर्वेद मे अभाव को पदाथ नहीं माना गया है । किन्तु जो दशन अभाव को भी पथक पदाथ मानते हैं उनके मतानुसार पदार्थों की सख्या सात हो जाती है ।

आयुर्वेद मे यद्यपि एक स्थान पर सत् और असत् (भाव और अभाव) का उ-लेख किया गया है । किन्तु वह उ-लेख प्रसंगवशात् ही किया गया है सिद्धान्त रूप मे नहीं । यथा—द्विविधमेव खलु सत्त्वासत्त्वं — चरक संहिता सूत्रस्थान १/१७ अर्थात् इस ससार मे समस्त वस्तुए दो भागो मे विभक्त है—सत् और असत् ।

इस सत्य का स्पष्टीकरण किया जा चुका है कि आयुर्वेद केवल भाव पदार्थान्तगत षट पदार्थ ही मानता है । उसे सप्तम अभाव पदाथ अभीष्ट नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है कि अभाव तो स्वत सिद्ध है । अभाव से कोई कार्य नहीं होता । मानव शरीर मे रोगोत्पत्ति भाव पदाथ से ही होती है तथा उस रोग का उपचार भी भाव पदार्थ (द्रव्यो) द्वारा ही सम्भावित है । जो वस्तु ससार मे है ही नहीं अथवा ससार मे

१—सक्षपत् पदार्थो द्विविधः भावोऽभावश्च ।

२—सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च ।

समवाय च तज्ज्ञात्वा ॥—चरक संहिता सूत्रस्थान १ । २७

३—भाव षडविध द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायभवात् ।

४—द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावात् सप्तपदार्थाः—सर्क संग्रह

जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसे कैसे मना जा सकता है ? अतः आयुर्वेद में अभाव को स्वीकार नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त अभाव में कोई कारण नहीं होता । इसके विपरीत भाव पदार्थ सदा सकारण होता है । साधर्म्य और वैधर्म्य भाव की कल्पना भी केवल भाव पदार्थों में ही सम्भव है । अभाव में इस साधर्म्य-वैधर्म्य भाव की कल्पना भी असम्भावित है । अतः ऐसी स्थिति में अभाव को पदाथ न मानना ही उचित एवं युक्ति सगत है ।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि आयुर्वेद में महर्षि चरक ने एक स्थल पर जगत के पदार्थों को सत और असत् रूप में स्वीकार कर पदाथ के द्विविध्य का उल्लेख किया है ।^१ हमसे इस तथ्य की पुष्टि होनी है कि आयुर्वेद के आचार्यों ने अभाव का नितान्त निषेध नहीं किया है । उन्होंने सृष्टि में अभावात्मक पदार्थों को स्वीकार किया है । किन्तु आयुर्वेद में उन अभावात्मक पदार्थों का प्रयोजन एवं उपयोगिता नहीं होने से आयुर्वेदीय पदाथ परिगणन में केवल षट् भाव पदाथ का ही निरूपण किया गया है । आयुर्वेद के अध्यक्षात् एव भावी चिकित्सक को रोगी की उत्तम चिकित्सा के लिये प्रधानतः स्थूल भावात्मक औषधि द्रव्यो (पदार्थों) का ही आश्रय लेना पड़ता है । अतः उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध भाव पदाथ से होने के कारण अभाव उसके लिये अभीष्ट एवं प्रतिपाद्य नहीं है ।

१ सबसत्त्वाद्बिधा भिन्न सप्तधा परिकीर्तितः ।— चरक

द्वितीय अध्याय

द्रव्य निरूपण

द्रव्य का लक्षण

यत्राधिता कमगुणा कारण समवायि यत ।

तद द्रव्यम्

।

—चरकसंहिता सूत्रस्थान १/१५

द्रव्यलक्षणं तु क्रियागणवत् समवायिकारणम् ।—सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान ४ /३

गणवत्त्वं द्रव्यत्वजातिमत्त्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम्

कर्म (क्रिया) और गण जिसमे समवाय सम्बन्ध से रहते हो तथा जो द्रव्य गणो और कर्मों के प्रति समवायि कारण हो वह द्रव्य कहलाता है ।

अथवा जो गणवत् तथा द्रव्यत्व जाति से युक्त होता है वह द्रव्य कहलाता है । यही द्रव्य का सामान्य लक्षण है ।

द्रव्य के उपयुक्त लक्षणों के अनुसार द्रव्य में निम्न तीन बातें आवश्यक रूप से विद्यमान होना चाहिये—गुण कम और द्रव्यव जाति । इन तीनों की स्थिति द्रव्य में नित्य एव स्थायी रूपेण होती है । अर्थात् गण कम और द्रव्यव जाति द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहती है ।

संसार में द्रव्यों अथवा पदार्थों का पारस्परिक सम्बन्ध दो प्रकार का होता है । एक नित्य सम्बन्ध और दूसरा अनित्य सम्बन्ध । प्रथम नित्य सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध कहलाता है और दूसरा अनित्य सम्बन्ध सयोग सम्बन्ध कहलाता है । प्रथम प्रकार के नित्य समवाय सम्बन्ध में काय द्रव्य अपने कारण द्रव्य की अपेक्षा रखता है अथवा आधार द्रव्य अपने आधेय द्रव्य की अपेक्षा रखता है । इनमें दोनों ही द्रव्यों का पारस्परिक जो सम्बन्ध होता है वह स्थायी होता है । इसीलिये उसे नित्य माना गया है । द्रव्य का अपने अवयवों गुणों और कर्मों से जो सम्बन्ध होता है वह स्थायी होने से नित्य होता है । अर्थात् जब तक उस द्रव्य की स्थिति बनी रहती है तब तक उसका अपने अवयवों गणों व कर्मों से सम्बन्ध भी बना रहता है । यही उसका स्थायित्व व नित्यत्व है । द्रव्य का अपने गुणों और कर्मों के साथ एतद्विध सम्बन्ध ही समवाय सम्बन्ध कहलाता है । इसी बात को अन्य प्रकार से कहा जाय तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से

अधिक पदार्थों या द्रव्यों का इस प्रकार का पास्परिक सम्बन्ध जो परस्पर मिले हुए पदार्थों को उस की अपनी स्थिति (अस्तित्व) पर्यन्त कभी बिच्छेदित विघटित या पृथक् न कर सके नित्य ही उन का सम्बन्ध बना रहे समावाय सम्बन्ध कहलाता है । जैसे तन्तु और पट मिट्टी और घट । इसी प्रकार द्रव्य का अपने अवयवों गुणों और कर्मों के साथ जो अविच्छिन्नात्मक या अविनाभाव सम्बन्ध होता है वह समावाय सम्बन्ध कहलाता है । इसी प्रकार द्रव्यों या पदार्थों का परस्पर होने वाला अल्पकालिक एव अस्थायी सम्बन्ध सयोग सम्बन्ध कहलाता है । यह अनित्य होता है । अर्थात् कुछ काल पश्चात् उन द्रव्यों या पदार्थों का सम्बन्ध विघटित हो जाता है और वे द्रव्य अलग-अलग हो जाते हैं । जैसे घोड़ा और घुड़सवार वस्त्र और जुलाहा घट और कुम्भकार आदि ।

द्रव्य के उपयुक्त लक्षण से यह आभास मिलता है कि द्रव्य अपने गुणों एव कर्मों के प्रति समवायि कारण होता है । यहा पर उल्लेखनीय है कि उत्पद्यमान द्रव्य गुण या कर्म का जिसके साथ समवाय सम्बन्ध हो वह उसका कारण होता है और उस कारण को ही समवायि कारण कहते हैं । अथवा जिस द्रव्य या पदार्थ का जिसके साथ समवाय सम्बन्ध होता है वह द्रव्य या पदार्थ ही समवायि कारण कहलाता है । जैसे मिट्टी का घन्टा शीतल जल श्वेत वस्त्र आदि । यहाँ क्रमश मिट्टी जल और वस्त्र का अपने अवयव या गुण क्रमश घडा शीतल और श्वेत (वण) के साथ समवाय सम्बन्ध है । क्योंकि वे अवयव या गुण उस मिट्टी जल एव वस्त्र से पथक नहीं है । अत वे तीनों द्रव्य क्रमश अपने अपने अवयव एव गुण के प्रति समवायि कारण है । मिट्टी घट के प्रति जन अपने शीतल गुण के प्रति एव वस्त्र अपन श्वेत वण के प्रति समवायि कारण है ।

यहा सुविधा की दृष्टि से ऐसा भी समझा जा सकता है कि द्रव्यों या पदार्थों में यदि आधाराद्येय भाव की कल्पना की जाय तो समवायि कारण आधार द्रव्य होता है और तद्गत गुण कम आदि आधेय होते हैं । अत आधार होने से द्रव्य समवायि कारण है ।

द्रव्य के उपयुक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि द्रव्य में गुण और कर्म सदैव समवाय सम्बन्ध से रहते हैं । द्रव्य का अपने गुण और कर्म के साथ समवाय सम्बन्ध होने से वह अपने अवयवों गुण और कर्म के प्रति समवायि कारण होता है । क्योंकि उपद्यमान गुण और कर्म जिस द्रव्य के आश्रित होकर रहेंगे अथवा जिस द्रव्य में वे स्थित रहेंगे उस द्रव्य के साथ उनका नियम्बन्ध होने से समवाय सम्बन्ध होगा । अत वह द्रव्य उन गुणों और कर्मों के प्रति समवायि कारण कहलायेगा ।

ससार में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी कारण की अपेक्षा अवश्य रखता है । बिना कारण कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । इसमें कुछ कारण ऐसे होते हैं जो द्रव्य की उत्पत्ति के अन्तर भी द्रव्य के साथ संयुक्त रहते हैं तथा उन्हें द्रव्य

से पृथक नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कुछ कारण ऐसे होते हैं जो द्रव्य की उचित के पश्चात् उससे पृथक हो जाते हैं और फिर द्रव्य के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। प्रथम प्रकार के कारण जो द्रव्य के साथ द्रव्योत्पत्ति के पश्चात् भी बने रहते हैं द्रव्य में नित्य या समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। ये कारण ही समवायि कारण कहलाते हैं। इन्हें द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे तन्तु और पट। यहाँ तन्तु कारण है और पट द्रव्य है। तन्तु और पट का समवाय सम्बन्ध होने से तन्तु पट के प्रति समवायि कारण है और पट द्रव्य है। इसी भाँति मिट्टी और घट। समार के अन्य द्रव्य जो अपने अवयवों गुणों तथा कर्मों के आश्रयभूत हैं आधार कहलाते हैं तथा उन द्रव्यों में जो गुण और कर्म रहते हैं वे आधय कहलाते हैं। वे गुण और कर्म उनमें समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। अतः वे द्रव्य अपने उन गुण और कर्मों के प्रति समवायि कारण होते हैं। इस प्रकार द्रव्य और उनमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाले गुण व कर्म का अधाराधय भाव सम्बन्ध भी होता है।

मन्त्र में यदि कहा जात तो जिसमें गुण और कर्म इस प्रकार से रहे कि उन्हे उससे पृथक न किया जा सके तथा जो अपने गुण और कर्म के प्रति समवायि कारण अर्थात् कभी पृथक न होने वाला कारण हो द्रव्य कहलाता है अर्थात् जिसमें गुण व कर्म समवाय सम्बन्ध से रहते हो तथा जो अपने उन गुण व कर्म के प्रति समवायि कारण हो द्रव्य कहलाता है।

द्रव्य सख्या

सादीन्यात्मा मन कालो विशश्च द्रव्य सग्रह ।

(चरक संहिता सूत्रस्थान १/४)

‘पृथिव्यप्तेजवाय्वाकाशकालदिगात्मान्मनासीति नव द्रव्याणि ।

‘अित्पतेजोमरुद्व्योमकालदिग्देहितो मन इति द्रव्याणि । (कारिकाबलि)

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ।

(बशेषिक सूत्र १/१५)

आकाश आदि (आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी) पांच महाभूत आत्मा मन काल और दिशा ये नव द्रव्य होते हैं।

अथ आचार्यों ने भी नव द्रव्य ही माने हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन में भी द्रव्यों की सख्या नौ ही मानी गई है। केवल द्रव्यों के क्रम परिगणन में भिन्नता है जिसका कोई महत्व नहीं है। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में नव द्रव्यों को निम्न क्रमानुसार परिगणित किया गया है—पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन।

ससार मे द्रव्यों की सख्या अपरिमित है। उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तथापि आयुर्वेद में मूल द्रव्यों की सख्या नौ ही मानी गई है। मूल द्रव्य कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि ससार के अन्य समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति इन्हीं नौ द्रव्यों से होती है। ससार का कोई भी द्रव्य इन नव द्रव्यों से अतिरिक्त नहीं है। ससार के समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति का कारण होने से इन्हें मूल द्रव्य कहा गया है।

इन नव द्रव्यों मे प्रारम्भ के पाच द्रव्य—पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश महाभूत कहलाते है। द्रव्यों की उत्पत्ति मे इन पच महामतो का महत्त्वपूर्ण योग रहवा है। इसीनिष्ठ स्थलो द्रव्यों को भौतिक या पाच भौतिक कहा जाता है। द्रव्यों की स्थूलता एव आकृति विशेष के निर्माण मे महाभूतो की प्रमुखता रहती है। अत ससार के प्रत्यक्षगम्य समस्त जड चेतन द्रव्य भौतिक कहलाते है।

द्रव्य के अ य भेद

मुद्ध्य रूप से द्रव्य यद्यपि नौ ही प्रकार के होते है किन्तु कारण मापेक्षता की दष्टि स उसके अय भेद भी होते है। जसे—

१ उत्पत्ति भेद से द्रव्य दो प्रकार का होता है—कारण द्रव्य या मूल द्रव्य तथा काय द्रव्य। इनमे पृथ्वी आदि नव द्रव्य कारण या मूल होते हैं। क्योंकि इन्ही द्रव्यों स ससार के अय द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। अत ससार के अन्य द्रव्यों की उत्पत्ति म कारण होने से इन्हें कारण द्रव्य कहा गया है। इन नव कारण द्रव्यों के अतिरिक्त ससार के अन्य समस्त काय द्रव्य कहलाते हैं।

२ ससार के समस्त द्रव्यों को दो भागो मे बाँटा गया है—प्रत्यक्ष द्रव्य और अप्रत्यक्ष द्रव्य। कुछ द्रव्य स्थूल रूप होने से प्रत्यक्ष होने योग्य हैं तथा कुछ द्रव्य अत्यन्त सूक्ष्म रूप होने से प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं हैं। प्रत्यक्ष द्रव्य—जो द्रव्य इन्द्रियगोचर अथवा इन्द्रियो द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य होते हैं वे प्रत्यक्ष द्रव्य कहलाते है। इन्द्रिय गोचर द्रव्यों मे कुछ द्रव्य चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य होते हैं कुछ द्रव्य श्रोत्रन्द्रिय द्वारा कुछ द्रव्य घ्राणेन्द्रिय द्वारा कुछ द्रव्य रसनेन्द्रिय द्वारा और कुछ द्रव्य त्वगिन्द्रिय द्वारा ग्राह्य होते हैं। अप्रत्यक्ष द्रव्य—कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं जो इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते। वे परमाणु रूप या अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। इन्द्रिय द्वारा अगोचर होने से उन्हें अप्रत्यक्ष द्रव्य कहते हैं।^१

१ तत्र पृथिव्यादिनी मूलद्रव्याणि तेषाम् ।

—रस बभौविक सुख

पृथिव्यादीनि पृथिव्यग्नेजवाकाकाशानि मूलद्रव्याणि तेषामिति स्वाचरअं जानां कायद्रव्याणाम् भाष्य ।


२ अथ प्रत्यक्षाप्रत्यक्षद्रव्याणि परमाणुद्रव्यके अत्यन्त महत्त्वभूतत्वत्तव यत् तानि पृथिवीजलतेजांसि प्रत्यक्षाणि आत्मा च मानसप्रत्यक्ष-वाग्वाकाशकालदिव्यात्म मनसांस्वप्रत्यक्षाणि । अहिर्ब्रह्मप्रत्यक्षं प्रति ब्रह्मत्वे सत्यद्रव्यैरुत्पत्तयोर्यजकम् ।

३ चेतनता की दृष्टि से भी द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार भी द्रव्य दो प्रकार का होता है - चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। जो द्रव्य चतन्य युक्त होते हैं वे चेतन द्रव्य कहलाते हैं। चेतन द्रव्यों में प्रायः इन्द्रिय या इन्द्रियों का समावेश होता है। क्योंकि इन्द्रियों के माध्यम से ही उनकी चेतनता व्यक्त होती है। अतः चेतन द्रव्य चेतन्य कहलाते हैं। इसके विपरीत जो द्रव्य चतन्य विरहित होते हैं वे द्रव्य अचेतन या जड कहलाते हैं। उन द्रव्यों में इन्द्रियाभिव्यक्ति नहीं होने से उन्हें निरीन्द्रिय द्रव्य कहा जाता है।^१

इस प्रकार भिन्न दृष्टि से द्रव्य के भिन्न भिन्न भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्य के कुछ अवांतर भेद भी होते हैं। अतः सशपन उनका स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। उपर्युक्त नव द्रव्यों में आकाश काल आत्मा और दिशा ये द्रव्य विभरूप हैं। मन परमाणु रूप है पृथ्वी जल तेज वायु ये द्विविध रूप हैं। अर्थात् प्रत्येक दो दो प्रकार के हैं। परमाणु और सावयव। सावयव द्रव्य पुनः त्रिविध रूप हाता है। अर्थात् सावयव के पुनः तीन भेद होते हैं - शरीर इन्द्रिय और विषय।

इस प्रकार विविध प्रकार के अवांतर भेद वाला द्रव्य अनेक प्रकार का होते हुए भी द्रव्यत्व जाति सामान्य होने से एक ही प्रकार का होता है।

आयुर्वेद के मतानुसार द्रव्य का वर्गीकरण बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। निम्न तालिका द्वारा द्रव्य के वर्गीकरण का अच्छी तरह से समझा जा सकता है—



१ सेन्द्रिय चेतनं द्रव्य निरीन्द्रियमचेतनम् । —धरक संहिता सत्रस्थान १/४

पृथ्वी का लक्षण व भेद

'तत्र गन्धवती पृथ्वी यह पृथ्वी का सामान्य लक्षण है। अर्थात् गन्ध गुण जिसमे समवाय सम्बन्ध से रहता हो वह पृथ्वी कहलाती है। यद्यपि गन्ध गुण अन्यत्र जल आदि में भी पाया जाता है किन्तु अन्यत्र वह गन्ध गुण सयोग सम्बन्ध से रहता है। समवाय सम्बन्ध से तो गन्ध गुण केवल पृथ्वी में ही रहता है अन्यत्र जल आदि में नहीं। अतः गन्धवान् होना पृथ्वी का लक्षण है।

वह पृथ्वी दो प्रकार की होती है—नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी परमाणु रूप अत्यन्त सूक्ष्म होती है। उनका कभी विनाश नहीं होने (अविनाशी होने) से ही उसे नित्य कहा गया है। दूसरी अनित्य अर्थात् विनाशशील, होती है। अनित्य पृथ्वी स्थलरूप होती है। यह व्यवहार में आने वाले घट पट आदि रूप में होने से कायरूपा भी कहलाती है। इस अनित्य स्थूलरूप या कार्यरूपा पृथ्वी में तीन भेद होते हैं शरीर इन्द्रिय और विषय^१।

पार्थिव शरीर—इस भयलोक में दृश्यमान मानव शरीर पशु शरीर पक्षि शरीर तथा अन्य जीव जंतुओं के शरीर पृथ्वी तत्त्व द्वारा निर्मित होने से पार्थिव शरीर कहलाते हैं। अनित्य होने से ये शरीर नश्वर हैं। इनके माध्यम से आत्मा सुख दुःख इत्यादि का अनुभव करता है। अतः यह शरीर आत्मा का भोगायतन है तथा समस्त इन्द्रियों व चेतना का आश्रय है।

पार्थिव इन्द्रिय—जिस इन्द्रिय के द्वारा पृथ्वी के प्रयात्मनियत गुण गन्ध का ग्रहण होता है नासिका के अग्रभाग में शक्तिरूप से स्थित घ्राण ही पार्थिव इन्द्रिय है। पृथ्वी तत्त्व से निर्मित तथा पृथ्वी के गन्ध गुण को ग्रहण करने के कारण ही घ्राणन्द्रिय पार्थिव है। नासा (नासिका) घ्राणन्द्रिय का अधिष्ठान है।

पार्थिव विषय—जो पार्थिव वस्तु पार्थिव शरीर एवं पार्थिव इन्द्रिय से भिन्न है वे ही पृथ्वी के विषय कहलाते हैं। जैसे—मिट्टी पत्थर स्थावर आदि।

जल का लक्षण व भेद

'श्रोतस्पर्शकस्याप यह जल का सामान्य लक्षण है। अर्थात् शीतल स्पर्श

१ सा द्वेषा नित्या अनित्या च । नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्य रूपा । (अनित्या)

पुनस्त्रिविधा-शरीरेन्द्रियविषयभेदात् ।

२ शरीरंति इति शरीरम् षष्ट्यध्यायार्थम् शरीरम् (न्या सू १/१/११)

षोडशय इन्द्रियावयव अर्थावयव अथ अर्थावयव सङ्ख्युक्तान्यतर पर आत्मनो भोगायतनमिति वात्सर्थात् ।

जिस द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता हो वह जल कहलाता है। यद्यपि स्पष्ट अन्व द्रव्यों में भी पाया जाता है किन्तु वहाँ शीतल स्पर्श का उस द्रव्य के साथ संयोग सम्बन्ध होता है। अतः वह द्रव्य जल नहीं कहा जा सकता। शीतल स्पर्श का समवाय सम्बन्ध तो केवल जल के साथ ही होता है अन्य द्रव्य के साथ नहीं। अन्य द्रव्य में शीतल स्पर्श की अनुभूति उस में विद्यमान जल के कारण होती है। अतः शीतल स्पर्श होना जल का सामान्य लक्षण है।

यह जल भी दो प्रकार का होता है—नित्य और अनित्य। नित्य जल परमाणु रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह ससार के समस्त जलीयानुषंग वाले द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण होता है। इस परमाणु रूप जल का कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी होने से ही उसे नित्य कहा गया है। द्वितीय प्रकार का जल अनित्य होता है। यह अनित्य जल विनाशशील होता है। यह स्थूल रूप होने से प्रत्यक्षगम्य होता है। स्नान पान आदि के व्यवहार में आने से यह स्थूल जल कार्य रूप भी कहलाता है। यह कार्यरूप स्थूल अनित्य जल पुनः शरीर इन्द्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार का होता है^१।

जलीय शरीर—जलीय शरीर वरुण लोक में अवस्थित है। वह भी आमा के मुख दुख आदि के उपभोग का साधन होने से आमा का भोगायतन है। यद्यपि वह शरीर भी पांच भौतिक है किन्तु जिस प्रकार पार्थिव शरीर में पृथ्वी तत्त्व की प्रधानता होती है। उसी प्रकार जलीय शरीर में जल तत्त्व की प्रधानता होती है। वरुण लोक जल प्रधान स्थान है। अतः वहाँ जलीय शरीर की अवस्थिति ही सम्भावित है। अन्य शरीर की नहीं।

जलीय इन्द्रिय—जिस इन्द्रिय के द्वारा मधुरादि षड् रसों का ग्रहण एवं ज्ञान होता है तथा जो जिह्वा के अग्रभाग में स्थित रसनेन्द्रिय है वही जलीय इन्द्रिय है। रस जल का प्रत्यामनियत गुण है। मधुर अम्ल लवण कट तिक्त और कषाय भेद से वह रस छः प्रकार का होता है। इसी रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय द्वारा होने से रसनेन्द्रिय जलीय इन्द्रिय मानी गई है। रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान जिह्वा है।

जलीय विषय—नदी समुद्र तालाब बर्फ ओले इत्यादि जल के विषय रूप द्रव्य हैं। जलीय विषय रूप द्रव्य ही सामान्य व्यवहार में लाये जाते हैं।

१ ता द्विविधा-नित्या अनित्याश्च । नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा (अनित्या)

पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् ।

२ शरीर वरुणलोके प्रसिद्धम् ।

३ इन्द्रिय रसप्राहक रसनाप्रवर्ति ।

४ विषय सत्सिद्धमुद्रादि ।

तेज का लक्षण व भेद

उष्णस्पर्शकरीज— यह तेज का सामान्य लक्षण है। अर्थात् जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्शरूप गुण समवाय सम्बन्ध से विद्यमान हो वह तेज कहलाता है। तेज के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में जहाँ उष्ण स्पर्श की अनुभूति होती है वहाँ उष्ण स्पर्श उस द्रव्य में सयोग सम्बन्ध से रहता है। अतः वह द्रव्य तेज नहीं है। तेज में उष्ण स्पर्श समवाय सम्बन्ध से होता है।

यह तेज भी दो प्रकार का होता है—नित्य और अनित्य। नित्य तेज परमाणु रूप अत्यन्त सूक्ष्म होता है। यह ससार के समस्त तैजस् द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण होता है। इस परमाणुरूप तेज का कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी होने से उसे नित्य कहा गया है। द्वितीय प्रकार का तेज अनित्य होता है। यह अनित्य तेज विनाश शील होता है। यह स्थूल रूप होने से प्रत्यक्षगम्य होता है। भोजन बनाने यन्त्रादि चलाने प्रकाश रूप में उपयोग करने आदि के व्यवहार में आने से यह स्थूल तेज कार्य रूप कहलाता है। यह कार्य रूप स्थूल अनित्य तेज शरीर इन्द्रिय और विषय भेद से पुनः तीन प्रकार का होता है^१।

तैजस् शरीर— आवृत्य लोक में तैजस् शरीर होता है। सौर मण्डल के देदीप्यमान ग्रह नक्षत्र तैजस् शरीर वाले होते हैं। स्वयं भगवान् सूर्य तैजस् शरीरवान् हैं। तैजस् शरीर में तेज महाभूत की प्रधानता होती है।

तजस इन्द्रिय— तेज का प्रत्यामनियत गुण है रूप। अतः जिस इन्द्रिय द्वारा रूप का ग्रहण व ज्ञान होता है तथा नेत्रान्तर्गत कृष्ण तारा मण्डल के अग्रभाग में स्थित कनीनिका रूप चक्षु इन्द्रिय ही तेज होती है। इस चक्षु इन्द्रिय की उत्पत्ति तैजस् तत्व द्वारा होती है। इसका अधिष्ठान नेत्र है^२।

तैजस् विषय— यह चार प्रकार का होता है। यथा भूमि दिव्य औदर्य और आकरज।

भूमि तेज— भूमण्डल पर दृश्यमान अग्नि जो भोजन आदि पकाने के काम में आती है।

दिव्य तेज— आकाश में अपूर्व धन जल से उत्पन्न होने वाली विद्युत् आदि।

१ तत् द्विविधं नित्यमनित्य च । नित्य परमाणुरूपसमित्य कार्यरूपम् । (अनित्य)

पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात् ।

२ शरीरमदित्यलोके प्रसिद्धम् ।

३ इन्द्रिय रूपग्राहक चक्षुः कृष्णताराप्रवर्ति ।

और्ध्वं तेजः—अग्नि त पीत लीढ खादित रूप चतुर्विध अन्न का पाक करने वाली उदरस्थ अग्नि ।

आकरज तेजः—खान से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि ।

वायु का लक्षण व भव

अनुष्णशीतस्पर्श वान वायु तथा रूपरहितस्पर्श वान वायु इस लक्षण के अनुसार जो द्रव्य रूप रहित किन्तु स्पर्श युक्त होता है वह वायु कहलाता है । अर्थात् वायु में स्पर्श गुण होता है । वायुगत यह स्पर्श अनुष्णशीत होता है । वायु के सामान्य स्पर्श में न उष्णत्व होता है और न शीतत्व । वायु के स्पर्श में यदि उष्णत्व या शीतत्व की अनुभूति होती है तो उसे अग्नि या जल से संपक्त समझना चाहिये । इसीलिए वायु को योगवाही कहा गया है ।

यह वायु भी दो प्रकार का होता है—नित्य और अनित्य । नित्य वायु परमाणु रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है । वह स्पर्श द्वारा ग्राह्य नहीं होता । यह समस्त वायवीय द्रव्यों की उत्पत्ति या निर्माण में कारण होता है । इस परमाणु रूप नित्य वायु का विनाश नहीं होता । अविनाशी होने से उस नित्य कहा गया है । इसके विपरीत अनित्य वायु नश्वर होता है । यह अनित्य वायु काय रूप होता है । इसे स्थूल रूप भी कहा जाता है । स्थूल कायरूप वायु हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होने से हमारे जीवन में विभिन्न रूप में व्यवहृत होता है । जैसे—श्वासोच्छ्वास लेना मोटर-साइकिल आदि के ट्यूब में हवा भरना ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पखे द्वारा वायु प्राप्त करना आदि । यह कायरूप अनित्य वायु शरीर चन्द्रिय और विषय भेद से पुन तीन प्रकार का होता है^१ ।

अथ पृथ्वी जल और तेज की भाँति कायरूप या स्थूल रूप वायु चक्षुग्राह्य नहीं है । वह केवल चन्द्रिय ग्राह्य है । प्रयामनियत इन्द्रिय ही उसे ग्रहण करने में समर्थ है ।

वायवीय शरीर—वायवीय शरीर वायु लोक में स्थित है । वायु की भाँति वायवीय शरीर भी वायु द्वारा निर्मित होने से चक्षु गोचर नहीं है ।

वायवीय इन्द्रिय—वायु की प्रतिनिधि इन्द्रिय त्वक है । चन्द्रिय द्वारा मात्र स्पर्श का ज्ञान होता है । स्पर्श वायु का नैसर्गिक गुण है । त्वचिन्द्रिय शरीर के सम्पूर्ण बाह्य प्रदेश में व्याप्त है । अतः शरीर के किसी भी बाह्यांग द्वारा स्पर्श का ज्ञान हो

१ स द्विविधः नित्योऽनित्यश्च । नित्य परमाणुरूपोऽनित्यः कायरूपः । (अनित्य) पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् ।

सकता है। यदि वायु ग्रीष्म कालीन सूर्य के ताप से संयुक्त होकर हमारे शरीर से टकराती है तो त्वग्निद्रिय द्वारा उसके स्पर्श से उष्णता की अनुभूति होती है। इसी भाँति शीतल जल आदि से संयुक्त वायु द्वारा शरीर के किसी भी अंग का स्पर्श होने से शीतलता की प्रतीति होती है। अतः त्वग्निद्रिय का वायवीय होना प्रमाणित है।

वायवीय विषय—वृक्ष आदि के कम्पन का हेतु विषय रूप वायु है। इसके अतिरिक्त आध्मी शरीरगत वायु-संचार तथा अन्त विधियों द्वारा वायु का ग्रहण करना आदि वायु के समस्त स्वरूप वायवीय विषय हैं।

आकाश का लक्षण व भेद

शब्दगुणाकाशन अथवा, समवायेन शब्दाश्रयत्ववाकाशत्वम् —आकाश के इस लक्षण के अनुसार शब्द गण वाला आकाश होता है अथवा जो समवाय सम्बन्ध से शब्द का आश्रय हो वह आकाशत्व है। शब्द आकाश का प्रत्यात्मनियत गुण है। अतः शब्दव आकाश में समवाय रूप से विद्यमान रहता है।

आकाश का सामान्य अर्थ अवकाश (खाली स्थान) होता है। अतः वह सर्वत्र व्यापक रूप में अवस्थित है। यह अय पृथ्वी आदि की भाँति काय रूप अथवा स्थूल रूप में नहीं होता। अतः वह विनाशशील या अनित्य नहीं है। विनाशशील नहीं होने से सवदा उसका स्थिति बनी रहती है। अतः वह नित्य है। उसके कोई अवान्तर या मौलिक भेद प्रभेद नहीं होने से यह एक ही है। इसीलिए आकाश के विषय में कहा गया है — तद्वच्च विभु नित्य च अर्थात् वह आकाश एक है विभु (व्यापक) और नित्य है।

आकाश के प्रत्यात्मनियत गुण शब्द की ग्राहक श्रोत्र द्रिय है जो कर्ण शष्कुलि के आभ्यन्तर प्रदेश को व्याप्त कर अवस्थित रहती है। श्रोत्र द्रिय आकाशात्मक होने से आकाश के मूल गुण केवल शब्द को ही ग्रहण करती है अन्य को नहीं। यहाँ यह स्मरणीय है कि श्रोत्र द्रिय ही आकाश नहीं है अपितु वह आकाश द्वारा निमित्त होने से आकाशात्मक है। मूलतः आकाशत्व एव श्रोत्र द्रिय भिन्न भिन्न वस्तुएँ हैं। आकाश का मूल गुण शब्दत्व है जो आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता है। श्रोत्र द्रिय आकाश के उस गुण को ग्रहण मात्र करती है।

वायु और आकाश की सिद्धि

वायु और आकाश दोनों अपूर्त द्रव्य हैं। ये दोनों पृथ्वी जल और तेज की भाँति चक्षुःग्राह्य नहीं हैं? चक्षुः द्वारा केवल उन्हीं द्रव्यों का ग्रहण होता है जो भूतिमान होते हैं तथा जिनका कुछ आकार या परिणाम विशेष होता है। वायु और आकाश न

तो स्मृतिमान हैं और न ही इन दोनों का कोई आकार प्रकार या परिमाण विशेष होता है। अतः चक्षु द्वारा इन दोनों द्रव्यों का ग्रहण नहीं होता। दोनों क्रमशः त्वक् एवं श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्षगम्य हैं। इनका अनुमान क्रमशः स्पर्श और शब्द द्वारा किया जाता है।

स्पर्श और शब्द ये दोनों गुण हैं। गुण की स्थिति सदैव द्रव्याश्रित होती है। गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकता। स्वतन्त्र रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता और न ही उस की कोई प्रतीति या अनुभूति हो पाती है। गुण का परिज्ञान द्रव्य के माध्यम से ही होता है तथा द्रव्य के माध्यम से ही गणानुसार क्रिया होती है। अतः स्पर्श और शब्द गुण जिस किसी के आश्रित हो वह द्रव्य विशेष अवश्य है। वायु का जो लक्षण किया गया है उसके अनुसार तदगत स्पर्श अनुष्णशीत होता है। अर्थात् वायु का स्पर्श न तो उष्ण होता है और न शीतल होता है। यह अनुष्णशीत स्पर्श यदि पृथ्वी के आश्रित मान लिया जाय तो उस स्पर्श में गन्ध का होना नितान्त अपेक्षित है जबकि स्पर्श में गन्ध का अभाव रहता है। तत्र गन्धवती पृथ्वी — पृथ्वी के इस लक्षण के अनुसार पृथ्वी में केवल गन्ध ही आश्रित रहता है स्पर्श नहीं। अतः स्पर्श का आश्रय पृथ्वी नहीं है। इसी प्रकार जल और तज को भी इसका आश्रय मानना सम्भव नहीं है। क्योंकि जल शीतल होता है और तज उष्ण होता है। अतः तत् सयुक्त स्पर्श भी केवल शीतल अथवा केवल उष्ण होगा। इसके अतिरिक्त जल केवल रस का आश्रय और तज केवल रूप का आश्रय होता है। अतः ये दोनों स्पर्श के आश्रय नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में जब कि पृथ्वी जल और तज तीनों ही अनुष्णशीत स्पर्श के आश्रय नहीं हैं चतुर्थ वायु ही इसका आश्रय हो सकता है। इस प्रकार अनुमान द्वारा अमूर्त (आकार प्रकार रहित) वायु की सिद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त अवशिष्ट आकाश काल दिक् और आत्मा में भी अनुष्णशीत स्पर्श का आश्रय सिद्ध नहीं होता। क्योंकि ये चारो ही द्रव्य विष्णु (व्यापक) हैं। विष्णु द्रव्य स्पर्श का आश्रय नहीं होत अर्थात् उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता। स्पर्श गुण का आश्रय मन भी नहीं हो सकता। क्योंकि मन परमाणु है और परमाणु सदा अतीन्द्रिय होता है। परमाणु और अतीन्द्रिय द्रव्य का स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत अनुष्णशीत स्पर्श का अनुभव अवश्य त्वगिन्द्रिय द्वारा होता है जिसका माध्यम वायु है। अतः चक्षु द्वारा अग्राह्य वायु की सिद्धि होती है।

आकाश भी वायु की भाँति चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है। जिस प्रकार अन्य रूप रस गन्ध आदि गुण किसी द्रव्य विशेष का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं उसी प्रकार शब्द गुण भी किसी न किसी द्रव्य के आश्रित अवश्य होता है। पृथ्वी में उसका

आश्रयत्व सिद्ध नहीं है। क्योंकि उस शब्द में बंध नहीं है। शब्द में रस रूप और स्पर्श का अभाव होने से उसे जलाश्रित या तेज या वाय्वाश्रित भी नहीं माना जा सकता। काल दिक् आत्मा और मन में शब्द का आश्रयत्व किसी भाँति प्रमाणित नहीं है। अतः उपर्युक्त आठ द्रव्यों में से किसी में भी शब्दाश्रयत्व सिद्ध नहीं होने से केवल आकाश ही शेष रह जाता है। अतः वही शब्द का आश्रय है। शब्द का आश्रय होने से आकाश के द्रव्यत्व की सिद्धि होती है।

पच महाभूत

द्रव्य प्रकरण के अन्तर्गत पृथ्वी जल तज वायु और आकाश का जो वर्णन किया गया है वह उनके द्रव्यत्व की दृष्टि से किया गया है। आयुर्वेद में इन्हीं पाँचों द्रव्यों को महाभूत की सज्ञा दी गई है। यद्यपि अन्य दर्शन शास्त्रों में भी इन द्रव्यों को महाभूत माना गया है। तथापि आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से इनकी विशेष उपादेयता एव महत्व है। आयुर्वेद का पचमहाभूत सिद्धान्त अपनी भौतिक विशेषता रखता है। यह सिद्धान्त आयुर्वेद की ऐसी आधार शिला है जिस पर समस्त आयुर्वेद टिका हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार समस्त द्रव्य पाच भौतिक हैं। अर्थात् ससार के समस्त कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति पच महाभूतों से होती है। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन पुरुष की चिकित्सा कर उसे स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना है। चिकित्सा शरीर की की जाती है। यह शरीर तथा इसके समस्त अवयव पाच भौतिक ही होते हैं। जिन औषध द्रव्यों से शरीर की चिकित्सा की जाती है वे द्रव्य भी पाच भौतिक ही होते हैं। चिकित्सा के साधनभूत औषधि द्रव्य एव चिकित्स्य शरीर में यदि भौतिकत्व की एकरूपता न हो तो चिकित्सा का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

हमारे शरीर का आधार दोष धातु-मल हैं। उन्हीं पर यह शरीर अवलम्बित है। ये दोष धातु-मल भी पाच भौतिक ही होते हैं। यद्यपि इसका भौतिकत्व स्थूलत्वेन प्रत्यक्षगम्य नहीं है तथापि गुणकर्मानुमेय होने से इनके भौतिकत्व की सिद्धि की जाती है। इसी भाँति अन्य द्रव्यों के विषय में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। अर्थात् समस्त द्रव्यों की भौतिकता गणकर्मनुमेय होती है। जैसे कोई द्रव्य तैजस् (आग्नेय) है। उसका आग्नेयत्व सामान्यतः प्रत्यक्षगम्य नहीं है। किन्तु शरीर में इस द्रव्य का आध्यन्तरिक प्रयोग करने पर जब उष्णता (गरमी) बढ़ जाती है या जलन आदि होने लगती है तब अनुमान लगाया जाता है कि अमुक द्रव्य आग्नेय अथवा तेज महाभूत प्रधान है। इसी भाँति अन्य महाभूतों का अनुमान भी द्रव्य के गुण—कर्मों के आधार पर लगा लिया जाता है।

१ दोष-धातु-मलमूलं हि शरीरम् ।

प्रत्येक महाभूत के गण और कर्म पृथक् पृथक् होते हैं। किन्तु भौतिकत्व की दृष्टि से सभी महाभूत समान होते हैं। इनके जो जो गण और कर्म होते हैं वे ही गुण कर्म इनसे ममुत्पन्न द्रव्य में व्यष्टि या समष्टि रूपेण विद्यमान रहते हैं। किसी द्रव्य में किसी महाभूत की न्यूनता रहती है और अथ महाभूत की अधिकता। इसी आधार पर उस द्रव्य में कोई गण कर्म कम होता है और कोई गुण कम अधिक। जैसे गिलोय का सेवन करने से शरीर में पित्त (उष्णता) का शमन होता है तथा चन्दन भी पित्त शामक है। किन्तु गिलोय की अपेक्षा चन्दन में पित्त शामक व गुण अधिक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गिलोय की अपेक्षा चन्दन में जल महाभूत का शय गण अधिक है।

आयुर्वेद में महाभूतों की स्थूल रचना का यथोक्त नहीं मिलता। यही कारण है कि उनका स्थूल स्वरूप चाक्षुष प्रत्यक्षगम्य नहीं है। द्रव्यों की उत्पत्ति में भी महाभूतों का स्थूल स्वरूप कारण नहीं होता। स्थूल रूपेण दृश्यमान पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश मूल महाभूत तब नहीं हैं अपितु महाभूतों के विषय अथवा विकार हैं। इनमें एक महाभूत की अपेक्षा अथ महाभूतों का भी मिश्रण अथवा अनुप्रवेश होता है। मूल महाभूत तब जा सूक्ष्मतम होता है केवल काय में ही उत्पत्ति में कारण होता है तथा उस द्रव्य में एक समान गण कर्म का अधिष्ठाता होता है। इसका विपरीत स्थूल रूपेण ही व अपने गणों का अथ द्रव्य में अभिनिविष्ट करने में समर्थ होते हैं। अतः इन्हीं महाभूतों की समझना चाहिए। मूल महाभूत तब सूक्ष्मतम एवं कर्तव्य गण कर्मनिर्णय होते हैं। चाक्षुष प्रत्यक्ष द्वारा उनकी उपनिधि सम्भव नहीं है। इस सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कायद्रव्य के कण्टक हो जाने पर भी इनका विनाश नहीं होता और यथासम कायद्रव्य का पुनः उत्पत्ति में कारण बन जाते हैं।

महाभूतों के लक्षण व गुण

जसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि चिकित्सा की दृष्टि से महाभूतों का आयुर्वेद में विशेष महत्त्व होने से महाभूतों के सम्बन्ध में आयुर्वेद में अन्य दर्शनों की अपेक्षा न रखते हुए स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाया है। अतः यहाँ आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से महाभूतों का लक्षण व उनके गणों का विवेचन अपेक्षित है। आयुर्वेद में महाभूतों की गणना एवं उनके गुणों का निदर्श निम्न प्रकार से किया गया है—

महाभूतानि च वायुरग्निराप क्षितिस्तथा ।

शब्दः स्पशश्च रूपं च रसो गन्धश्च तदगुणा ॥

—चरक संहिता शारीर स्थान १/२७

आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत होते हैं तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध ये उनके लक्षण प्रतिपादक क्रमशः पांच गुण होते हैं। अर्थात् आकाश का गुण शब्द वायु का गुण स्पर्श अग्नि का गुण रूप जल का गुण रस और पृथ्वी का गुण गन्ध होता है। इन्हीं गुणों के आधार पर महाभूतों का ज्ञान होता है। ये गण महाभूतों के नैसर्गिक गुण कहलाते हैं जो इन महाभूतों के अतिरिक्त अन्यत्र अनुपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त महाभूतों के असाधारण लक्षण भी हैं जो उनके भौतिक गुणों पर ही आधारित हैं—

खरद्व चचलोष्णत्व भज तानिलतेजसाम ।

आकाशस्याप्रतिघातो वृष्ट लिंग यथाक्रमम् ॥

चरक संहिता शारीर स्थान १/२६

पृथ्वी का खरत्व (खुरदुरापन) जल का द्रवत्व (पतलापन) वायु का चलत्व (गतिशीलता) अग्नि का उष्णत्व (गरम होना) तथा आकाश का अप्रतिघात (गति में बाधक नहीं होना तथा स्पृश नहीं होना) ये महाभूतों के विशेष चिह्न होते हैं।

महाभूतों के उपर्युक्त शब्द स्पर्श आदि गुण दार्शनिक दृष्टि से एक खरत्व द्रवत्व आदि गण चिकित्सा की दृष्टि से उपयोगी व महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आयुर्वेद में शब्द आदि गणों को महाभूतों का साधारण लक्षण एक खरत्व आदि गुणों को असाधारण (विशेष) लक्षण माना है। इसका एक कारण यह भी है कि महाभूतों के साधारण गणों की अपेक्षा असाधारण गुणों में एक विशेषता होती है। वह यह कि असाधारण गण स्पर्शनेन्द्रिय गोचर होते हैं। अर्थात् उनका ज्ञान वचा से होता है। यह तथ्य निम्न श्लोक द्वारा स्पष्ट है—

लक्षण सर्वमेवेतत् स्पर्शनेन्द्रियगोचरम् ।

स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञाय स्पर्शां ह सविपर्ययम् ॥

—चरक संहिता शारीर स्थान १/३

अर्थात् महाभूतों के उपर्युक्त खरत्व आदि समस्त लक्षण स्पर्शनेन्द्रिय (त्वचा) के द्वारा जाने जाते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा विपरीत स्पर्श अर्थात् स्पृश के अभाव का भी ज्ञान होता है। जैसे किसी वस्तु के उष्णत्व का ज्ञान होना तथा अन्य वस्तु के उष्णत्वाभाव का ज्ञान होना स्पर्शनेन्द्रिय का ही विषय है।

यही महाभूतों के जिन विशेष लक्षणों का निर्देश किया गया है उनमें पृथ्वी का खर होना जल का द्रव होना वायु का चल (गतिशील) होना तथा अग्नि का उष्ण होना इनका ज्ञान तो त्वगिन्द्रिय से हो जाता है किन्तु आकाश के अप्रतिघात या स्पर्श

के अभाव का ज्ञान त्वचा द्वारा कैसे सम्भव है ? इस प्रश्न के उत्तर में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि जिन इंद्रियों के द्वारा जिसके भाव का प्रत्यक्ष होता है उन्हीं इंद्रियों से उसके अभाव का ज्ञान भी होता है । जब स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिघात (स्कावट) का ज्ञान होता है तो उसी प्रतिघात के अभाव (स्कावट के न होने) का ज्ञान भी स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा ही होता है । जैसे किसी अग्नि सतप्त वस्तु का स्पर्श करने पर त्वचा के द्वारा उसकी उष्णता का ज्ञान होता है । उसके बाद किसी शीतल वस्तु का स्पर्श करने पर त्वचा के द्वारा उस वस्तु में उष्णता के अभाव का ज्ञान भी होता है । इसी प्रकार किसी व्यक्ति की आँख बन्द कर उसे आगे बढ़ने (चलने) के लिए कहा जाय । बीच में किसी वस्तु के आ जाने पर उसे ज्ञान होगा कि यहाँ प्रतिघात या व्यवधान है । किन्तु वह वस्तु वहाँ से हटा लेने पर उस प्रतिघात (स्कावट) के अभाव का ज्ञान भी उसे स्पर्श के द्वारा ही होगा । अपने हाथ को इतस्ततः हिनाकर वह कह सकता है कि वहाँ कुछ नहीं है । यही आकाश (खाली स्थान) है और प्रतिघात नहीं होना ही उसका विशेष लक्षण है जिसका ज्ञान स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा होता है । इस प्रकार पंच महाभूतों के ये विशेष लक्षण स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं । अतः महाभूतों का वाच प्रत्यक्ष होता है यह उपयुक्त प्रमाण से सिद्ध है ।

महाभूतों के लक्षणानामक गुण विवचन के सन्दर्भ में अन्य आचार्यों के मत भी दृष्टय है जिनमें महाभूतों के अन्य गुणों का प्रतिपादन किया गया है । यथा—

स्रस्याप्रतिषेधो लिंग वायोद्वचलन तेजस औष्ण्य अपां द्रवत्व पृथिव्या
स्थयस ।

—काश्यप संहिता शारीरस्थान पृष्ठ ७६

अथात आकाश का लक्षण अप्रतिषेध (स्कावट न होना) वायु का लक्षण चलन अग्नि का लक्षण उष्णता जल का लक्षण द्रवता और पृथ्वी का लक्षण स्थिरता है ।

यहाँ पर अन्य लक्षण तो पूर्ववत् ही बतलाए गए हैं । केवल पृथ्वी का लक्षण खरब के स्थान पर स्थिरता बतलाया गया है । स्थिरता यद्यपि पृथ्वी का ही गुण है किन्तु यह त्वाच प्रत्यक्ष (स्पर्शनेन्द्रिय गोचर) नहीं होने से इसे विशेष लक्षणों में नहीं गिना गया है ।

एक अन्य आचार्य के मतानुसार—

लघुगु रुस्तथा स्निग्धो रुक्षस्तीक्ष्ण इति क्रमात् ।

नभोभूवारिवातानां बह्व रते गुणा स्मृता ॥

—भाव प्रकाश

लघ (हल्का) गुरु (भारी) स्निग्ध (चिकना) रुक्ष (रूखा) और तीक्ष्ण (तीव्र) ये क्रमशः आकाश पृथ्वी जल वायु और अग्नि के गुण होते हैं । अर्थात्

आकाश का संयुक्त पृथ्वी का गुरुत्व जल की स्निग्धता वायु की रुक्षता और अग्नि की तीव्रता ये महाभूतों के नैसर्गिक गुण होते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से इन गुणों की उपयोगिता होने से आयुर्वेद में इन गुणों का भी महत्व है।

महाभूतों के सत्त्वादि गुण

‘तत्र सत्त्वबहुलमाकाशम् रजोबहुलो वायु सत्त्वरजोबहुलमोऽग्निः सत्त्वतमोबहुला आप तमोबहुला पृथिवीति।

—सुश्रुत संहिता शारीर स्थान १/२

इनमें सत्व गुण की अधिकता वाला आकाश है रजो गुण की अधिकता वाला वायु है सत्व और रजो गुण की अधिकता वाली अग्नि है सत्व और तमो गुण की अधिकता वाला जल है तथा तमो गुण की अधिकता वाली पृथ्वी है।

आकाश आदि पाँचों महाभूतों में यद्यपि सत्व रज-तम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं तथापि प्रत्येक महाभूतों में एक या दो गुणों की अधिकता होने से उनमें उसी अधिकता वाले गुण का व्यपदेश मुख्य रूप से किया जाता है। गुण की यह अधिकता ही प्रत्येक महाभूतों की अपनी अपनी विशेषता एवं अपने अपने गुण कर्म के कारण होती है।

आकाश आदि पाँचों महाभूतों में सत्व गुण की बहुलता उसके प्रकाशत्व (विषयो का ज्ञान कराने में सहायक होने) के कारण होती है। वायु में रजोगुण की बहुलता उसके चलत्व (गतिशीलता अचलता एवं समस्त चेष्टाओं के कारण होने से) होती है। अग्नि में सत्व और रजो गुण की बहुलता उसके प्रकाशत्व एवं चलत्व होने से होती है। जल में सत्व और तमो गुण की अधिकता उसके स्वच्छ एवं प्रकाशकत्व गुरुत्व और आवरणत्व के कारण होती है तथा पृथ्वी में तमोगुण की अधिकता उसके आवरणत्व के कारण होती है। इस प्रकार समस्त महाभूत त्रिगुणात्मक होते हैं तथा इन्हीं गुणों के आधार पर वे अपने क्रिया कलापो का सम्पादन करते हैं।

स्वतन्त्र रूप से महाभूत किसी भी काम को करने में असमर्थ हैं। वे प्रायः द्रव्य के माध्यम से ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। द्रव्य से अभिप्राय यहाँ कार्य द्रव्य से है। आकाश आदि महाभूत भी द्रव्य हैं किन्तु उनकी गणना कारण द्रव्यों में की जाती है। जिस कार्यद्रव्य में जिस महाभूत की अधिकता होती है वह द्रव्य उसी महाभूत के आधार पर क्रिया करता है। द्रव्य में संक्रमित महाभूत के ये गुण उसके नैसर्गिक गुण भी होते हैं। उसके सञ्चलन विशेष को बतलाने वाले असाधारण गुण भी उसमें होते हैं तथा उसमें व्याप्त सत्त्वादि गुण भी होते हैं। सभी गुणों की अनुकूलता के अनुसार ही द्रव्य कार्य करता है। किसी भी द्रव्य में न तो परस्पर विरोधी गुण ही होते हैं और न ही द्रव्य

परस्पर विरोधी कार्य करता है। उदाहरणार्थ जो द्रव्य खर गुण वाला होगा उसमें मलक्षणत्व गुण असम्भावित है। इसी भाँति जो द्रव्य उष्ण गुण प्रधान है उसमें शैत्य गुण असम्भावित है। कार्य की दृष्टि से जो द्रव्य उष्णता कारक है वह उष्णता का शमन नहीं कर सकता—यह एक सामान्य सिद्धान्त है। इस प्रकार द्रव्यों में गणों की अनुकूलता एवं तदमुरूप क्रियाशीलता महाभूत और उनके गुणों के कारण होती है।

महाभूतों की उत्पत्ति एवं उनका परस्परानु प्रवेश

तन्मयान्येव भूतानि तव गुणान्यव चादिशेत ।

तच्च तल्लक्षणं कृत्स्नो भूतभ्रामो व्यसन्नत ॥

तस्योपयोगोऽहिभहितश्चिकित्सां प्रति सबद्धा ।

भूतेभ्यो हि पर यस्मान्नास्ति चि ता चिकित्स्ते ॥

—सृष्टुत संहिता शारीर स्थान २/१२ १३

अपने पृथक पृथक गण धर्म वाले पाँच वी आदि महाभूत तमय अर्थात् मूल प्रकृतिमय है। उस मूल प्रकृति से ही अवातर रूपेण पाँच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए पाँच महाभूतों का मूल प्रकृति का परिणाम या विकार बतलाया गया है तथा उह तमय कहा गया है। प्रकृति के अय परिणामो या विकारो की भाँति ये पाँच महाभूत भी तद्गुणामक (त्रिगुणामक याने सब रज तम इन तीनों गुणों से युक्त) होते हैं। उन्हीं महाभूतों से उन्हीं महाभूतों वाला यह समस्त भूतभ्राम (स्थावर जगम युक्त सम्पूर्ण जगत) उत्पन्न होता है। कथन का अभिप्राय यह है कि तीनों (सत्व रज-तम गणों से युक्त महाभूतों में जिस गण या जिन गणों की अधिकता होती है उन्हीं गुणों के अनुसार उन महाभूतों में अपने अपने विशेष धर्म तथा गुण कर्म होते हैं। एतद्विध पाँच महाभूतों के संयोग से ही विभिन्न गण धर्मों वाले स्थावर व जगम समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। महाभूतों में जो गुरुत्व स्थिरत्व उष्णत्व द्रवत्व आदि गुण होते हैं वे ही गण स्थावर जगम द्रव्यों में भी होते हैं। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आयुर्वेद में मात्र चिकित्सा की दृष्टि से किया गया है। क्योंकि चिकित्सा में महाभूतों एवं उनके गुण कर्मों की ही उपयोगिता है। महाभूतों के अतिरिक्त उनके मूल कारण रूप प्रकृति आदि का विचार चिकित्सा शास्त्र में उपयोगी नहीं होने से नहीं किया गया है।

इस प्रकार महाभूतों की उत्पत्ति मूल प्रकृति या अव्यक्त से होती है। इसलिए प्रकृति के गुण महाभूतों में सक्रान्त हो जाते हैं और वे भूतावि प्रकृतिमय तथा प्रकृति के गुण युक्त कहलाते हैं। सृष्टयुत्पत्ति क्रम में अव्यक्त (प्रकृति) से महत्त्व की उत्पत्ति होती है महत्त्व से अहकार की उत्पत्ति होती है अहकार से पञ्च तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और पञ्च तन्मात्राओं से पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इन समस्त

तत्वों की उत्पत्ति का मूल कारण अव्यक्त तत्व है जो मूल प्रकृति कहलाता है। अतः उस अव्यक्त या प्रकृति के गुण क्रमानुसार उससे समुत्पन्न समस्त तत्वों (द्रव्यों) में सक्रमित हो जाते हैं।

महाभूतों के उत्पत्ति क्रम में एक तथ्य यह भी है कि एक महाभूत से क्रमशः अन्य महाभूत की उत्पत्ति होती जाती है और अपने नैसर्गिक गुण के अतिरिक्त उसमें पहले वाले महाभूत के गुण सक्रमित होते जाते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि के आदि में प्रथम आकाश महाभूत स्वयं सिद्ध रहता है। वह नित्य और विशु (व्यापक) होने से विनाश को प्राप्त नहीं होता। आकाश का नैसर्गिक गुण शब्द है। जिस प्रकार आकाश को नित्य माना जाता है उसी प्रकार उसका नैसर्गिक गुण शब्द भी नित्य होता है। जिस समय केवल आकाश वर्तमान रहता है उस समय उसमें केवल एक गुण शब्द ही पाया जाता है। उसके बाद जब आकाशाद्वायु — आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है तो उस वायु में उसका अपना नैसर्गिक गुण स्पर्श तो विद्यमान रहता ही है, किन्तु उसके साथ जिस आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है उस आकाश का शब्द गुण भी आ जाता है। इस प्रकार वायु में शब्द और स्पर्श ये दो गुण रहते हैं। इसके अनन्तर जब वायोरग्नि — वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है तो उसमें अग्नि का अपना नैसर्गिक गुण रूप तो होता ही है इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती आकाश और वायु के गुण क्रमशः शब्द और स्पर्श भी उसमें रहते हैं। इस प्रकार अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप ये तीन गुण रहते हैं। तत्पश्चात् जब अग्नेर्जल — अग्नि से जल महाभूत समुत्पन्न होता है तब जल में उसका अपना नैसर्गिक गुण रस तो विद्यमान रहता ही है इसके अतिरिक्त उसमें तत्पूर्ववर्ती महाभूत आकाश वायु और अग्नि के गुण भी अवस्थित रहते हैं। इस प्रकार जल महाभूत क्रमशः शब्द स्पर्श, रूप और रस इन चार गुणों से समन्वित रहता है। इसके बाद सबसे अन्त में अव्यक्त पृथ्वी — जल से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का अपना नैसर्गिक गुण गन्ध है जो उसमें सर्वदा विद्यमान रहता है किन्तु इसके अतिरिक्त उसमें उसके पूर्ववर्ती महाभूत आकाश वायु, अग्नि और जल के क्रमशः शब्द स्पर्श रूप और रस गुण भी रहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी में अपने नैसर्गिक गुण गन्ध के साथ अन्य चारों महाभूत के गुण विद्यमान रहने से उसमें पाँच गुण हो जाते हैं। महाभूतों का यह उत्पत्ति क्रम उनमें स्थित गुणों की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। निम्न श्लोक द्वारा यही भाव व्यक्त होता है—

तेषामेकगुण पूर्वो गुणमुद्भिः परे परे ।

पूर्वं पूर्वगुणप्रवेश क्रमशो गुणेषु सृष्टत् ॥

—अरक संहिता सारीर स्वाम १/२५

महाभूतों में पहला महाभूत आकाश एक गुण वाला है। अर्थात् आकाश में केवल एक गुण शब्द विद्यमान रहता है और उनके बाद पिछले पिछले महाभूत में अपने से पूर्व पूर्व महाभूत के गुणों के अनुप्रवेश से क्रमशः गुण की वृद्धि हो जाती है। गुणी अर्थात् महाभूत में क्रमानुसार पूर्व में रहने वाले महाभूत और उनके गुणों का अनुप्रवेश माना जाता है।

उपयुक्त तथ्य के स्पष्टीकरण अर्थात् भूतानुप्रवेशजन्य गुणवृद्धि क्रम को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

आकाश—शब्द

वायु—शब्द स्पर्श

अग्नि—शब्द स्पर्श रूप

जल—शब्द स्पर्श रूप रस

पृथ्वी—शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध

महाभूतों के उपयुक्त उत्पत्ति क्रम के अनुसार एक एक महाभूत में उत्तरोत्तर एक एक गुण की वृद्धि होती जाती है। गुण वृद्धि के इस क्रम के आधार पर इस तथ्य का स्वतः प्रतिपादन होता है कि प्रत्येक महाभूत उत्पत्ति क्रम से अपने अपने पूर्व के महाभूतों से युक्त होता है। जैसे वायु में आकाश का प्रवेश होता है अग्नि में वायु और आकाश का प्रवेश होता है जल महाभूत में अग्नि वायु और आकाश महाभूत का प्रवेश होता है तथा पृथ्वी महाभूत में जल अग्नि वायु और आकाश महाभूत का प्रवेश रहता है। यही अन्योन्यानुप्रविष्ट कहलाता है। अर्थात् एक महाभूत में अन्य महाभूत का प्रवेश होना कहलाता है। महर्षि सुश्रुत ने इस तथ्य का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया है—

अन्योन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्बिद्योत् ।

स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥

—सुश्रुत संहिता शारीर स्थान १/२१

अर्थात् ये पाँचों महाभूत एक दूसरे में अनुप्रविष्ट समझना चाहिए। किन्तु इन महाभूतों के अपने विभिन्न लक्षण अपने अपने द्रव्य में ही व्यक्त होते हैं।

काल-निरूपण

काल का सामान्य अर्थ होता है समय । आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से भी काल का महत्व पूर्ण स्थान है । आयुर्वेद के अनुसार यह भी एक द्रव्य है और संसार के अन्य द्रव्यों के आवस्थिक परिवर्तन में कारण होता है । संसार में उत्पन्न होने वाले सभ्यत कार्य द्रव्य काल द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । कारण की दृष्टि से काल समस्त कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में निमित्त कारण होता है । भिन्न-भिन्न द्रव्यों का युगपत् होना और होना विलम्ब से होना रात्रि में होना दिन में होना वर्षा ऋतु, हेमन्त शिशिर वसंत शीष्म आदि किसी ऋतु में होना वर्तमान काल में होना आदि इस प्रकार का ज्ञान केवल अनित्य (उत्पत्तिशील) द्रव्य में होता है । नित्य द्रव्य के विषय में उपर्युक्त प्रकार का ज्ञान सम्भव नहीं है । चितके द्वारा यह ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं ।

काल शब्द की उत्पत्ति

‘कलाशाब्दस्य ककाराकारौ ली घातोश्च लकारभावात् ‘काल’ शब्दस्य निष्पत्तिः ।

अर्थात् कला शब्द का ककार और ‘अकार’ तथा ली घातु का लकार’ लेकर काल शब्द की निष्पत्ति हुई है ।

इसे निम्न प्रकार से समझना चाहिए—

कला शब्द का ककार + अकार और ली’ घातु का ‘लकार’ अर्थात्
 क + अ + ल = काल ।

काल शब्द की परिभाषा और लक्षण

१ ‘कालो हि नाम भवमान् स्वयम्भुरनाविमर्शनिधनोऽत्र रसाध्यापस्तम्बती वीक्षितमरुचे च मनुष्याणामायत । —सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान ६/२

२ ‘स सूक्ष्मायति कालां न लीयत इति कालः’ । —सुश्रुत सूत्रस्थान ६/२

३ संकलयति वा भूतानीति कालः । —सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान ६/४

४ ‘कालनात् सर्वभूतानां स कालः परिकीर्तितः’ ।

समस्त प्राणियों का संकलन करने से यह काल कहलाता है ।

५ सुश्रुतःशब्दाणां भूतानि वीक्षयतीति कालः ।

समस्त प्राणियों को जो सुख और दुःख से युक्त करता है वह काल कहलाता है ।

६ कलयति संक्षिपयतीति कालः मृत्युं समीपं वा नयतीति कालः”

जो वायु को भट्टता है अथवा प्राणियों को मृत्यु के समीप ले जाता है वह काल कहलाता है ।

७ अपरस्मिन्नपर युगचिह्नं क्षिप्रमिति काललिंगानि । — वै व २२-६
अपर मे अपर ज्ञान पर मे पर ज्ञान युगपत् ज्ञान चिरज्ञान क्षिप्रज्ञान ये
सब काल के चिन्ह है ।

८ ज्ञानां जनक कालो जगतामाश्रयो मत ।

परापरत्वधीह तु क्षणादि स्यादुपाधित ॥

—सुप्तावस्ति

उत्पन्न होने वाले पदार्थों का जनक जगत का आश्रय परत्व और अपरत्व बुद्धि का हेतु 'काल' है । यह काल एक होने पर भी उपाधि भेद से क्षण आदि व्यवहार वाला होता है ।

९ कालो निमित्त कार्याणां सर्वाधारस्तथा मत ।

परापरत्वधीह नित्यो व्यापक उच्यते ॥

उपाधिभेदादेकोऽपि क्षणादिव्यवहार भाक ॥

काल ससार के ममस्त अनिय (उत्पत्ति और विनाश वाले) कार्यं द्रव्यों का निमित्त कारण समस्त द्रव्यों का आधार परव (येष्ट) और अपरत्व (कनिष्ठ) बुद्धि का कारण नित्य और व्यापक होता है । उपाधि भेद से एक होता हुआ भी क्षण आदि व्यवहार वाला होता है ।

१ अतीतादिव्यवहारहेतु काल — स चको विभुनित्यश्च ।

भूत भविष्य वतमान आदि व्यवहार के कारण को काल कहते हैं । वह एक विभ (व्यापक) और नित्य होता है ।

काल का सम्बन्ध प्रत्यक्ष सूय क्रिया से है । बिना सूय क्रिया के काल की स्थिति असम्भावित है । लोक व्यवहार में भी सूय क्रिया के आधार पर ही काल का व्यवहार किया जाता है । जैसे सूर्योदय होने पर प्रातःकाल मध्याह्नकाल में सूय की स्थिति होने पर मध्याह्नकाल सूर्यास्त के समय सायंकाल और सूर्यास्त के पश्चात् रात्रिकाल का व्यवहार सुविधित है । अतः काल का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सूय क्रिया से है । किसी वस्तु का उत्पन्न होना कुछ समय तक उसका स्थित रहना एवं नियत समय आने पर उनका विनाश होना काल के ही आधीन है । वस्तु का वृद्धिगत होना भी काल की अपेक्षा रखता है । हम नित्य प्रति जो यह व्यवहार करते हैं कि अमक बच्चा एक दिन का है और अमुक दस वर्ष का । इस व्यवहार का कारण काल ही है । जो बच्चा एक दिन का है वही बच्चा आगे जाकर एक वर्ष दस वर्ष पचास वर्ष या इससे भी अधिक का कहलाता है । इसमें काल अथवा सूर्य क्रिया की ही अपेक्षा है । यदि काल न हो अथवा सूर्य क्रिया न हो तो उपयुक्त समस्त व्यवहार समाप्त हो जायेगा । ऐसी स्थिति में न किसी द्रव्य की उत्पत्ति होगी न उसकी स्थिति होगी और न उसका विनाश होगा ।

उपयुक्त आधार पर ही द्रव्यों 'अथवा मनुष्यों में पर एव अपर व्यवहार किया जाता है । दस वर्ष के बालक की अपेक्षा बारह वर्ष का बाल क ज्येष्ठ (बड़ा) कहलाता

है यही उसका परत्व है। षष्ठ वर्ष वाला बालक कनिष्ठ (छोटा) कहलाता है। यही उसका अपरत्व है। किन्तु आठ वर्ष के बालक की अपेक्षा यही षष्ठ वर्ष वाला बालक ज्येष्ठ होने से पर है और आठ वर्ष वाला अपर। इस प्रकार संसार के समस्त द्रव्यों से परत्व और अपरत्व भाव की योजना भी काल कृत ही होती है।

आयुष्य के अनुसार काल भी एक द्रव्य है। आयुष्यदौक्त द्रव्य लक्षण के अनुसार जिसमें कर्म और गुण समवाय सम्बन्ध से अश्रय हो वह द्रव्य कलाता है। इस लक्षण के अनुसार काल में भी कर्म और गुण समवाय सम्बन्ध से आश्रित होना चाहिए। सूर्य क्रिया के कारण काल भी गमनशील होता है। अतः गमन काय समवाय सम्बन्ध से कलाश्रित है। इसी प्रकार परत्व अपरत्व आदि गुण का समवाय सम्बन्ध से आश्रय होने के कारण काल एक स्वतन्त्र द्रव्य है।

काल के औपाधिक भन

काल के विषय में कहा गया है कि वह एक नित्य और त्रिभु होता है। किन्तु व्यवहार में वतमान भतकाल भविष्यकाल आदि का प्रयोग होने से उसके अनेकत्व की पुष्टि होती है। ऐसी शका कुछ लोगों द्वारा की जानी है। उनके अनुसार—
अतीतभविष्यत्प्रकारहेतु काल यह जा काल का लक्षण प्रतिपादित किया गया है वह भी काल के भूत वतमान भविष्य आदि भेदा की ओर संकेत करता है। इसका समाधान यह है कि क्षण निमेष दिन मास वर्ष वर्तमान भूत भविष्य आदि जो काल के भेद प्रतीत होते हैं वे वस्तुतः काल के भेद न होकर उसकी उपाधियाँ हैं। इसलिए काल के लक्षण में निर्दिष्ट है कि क्षणमासव्याप्तुर्भक्षित तथा उपाधिभेदात्केकोऽपि क्षण द्वि ब्यबह रभाक् । इससे स्पष्ट है कि उपाधियाँ सूर्य क्रिया से उत्पन्न होती हैं अर्थात् सूर्य की गति के कारण ही क्षण निमेष दिन रात मास वर्ष आदि का निर्माण होता है। अतः समस्त उपाधियाँ सूर्य क्रिया की अपेक्षा रखती हैं।

सूर्य क्रिया की अपेक्षा रखने वाले काल प्रविभाग का वर्धन महर्षि सुधरत ने निम्न प्रकार से किया है—

तस्य सवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषेणाक्षिनिमेषकाष्ठाकलामुहूर्तां होरात्रयक्षमास्तत्रवनसंवत्सरयुगप्रविभाग करोति । —सप्तत संहिता, सूत्रस्थान ३/३

अर्थात् भगवान् सूर्य अपनी गति विशेष से उस सवत्सरात्मक काल का अक्षि निमेष काष्ठा कलां मुहूर्त अहोरात्र पक्ष मास ऋतु अयन वर्ष और युग इस प्रकार विभाग करते हैं।

इसी का स्पष्टीकरण करते हुए महर्षि सुश्रुत ने आगे लिखा—

‘तत्र लघ्वक्षरौच्चारणमात्रोऽक्षिनिमेष पञ्चदशाक्षिनिमेषाः काष्ठा त्रिंशत्काष्ठा-
कला त्रिकातिकलो मुहूर्त कलादशभागश्च त्रिंशन्मुहूर्तमहोरात्र पञ्चदशाहोरात्राणि पक्ष-
स च द्विविध शुक्ल कृष्णश्च तौ मास । तत्र माषादयो द्वादशमासौ ।’

अर्थात् अकार आदि लघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे ‘अक्षिनिमेष’ या निमेष कहते हैं। ऐसे पंद्रह निमेषों की एक काष्ठा होती है। तीस काष्ठाओं की एक कला बीस कला का एक मुहूर्त तीस मुहूर्त का एक अहोरात्र (दिन रात) पंद्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है। वह पक्ष दो प्रकार का होता है—शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष—इन दो पक्षों का एक मास होता है। माष आदि कुल बारह मास होते हैं। दो दो मास की एक ऋतु के अनुसार छ ऋतुएं होती हैं। तीन तीन ऋतुओं के दो अयन होते हैं—उत्तरायण और दक्षिणायन। दो अयन अथवा छ ऋतुओं या बारह मास का एक सवत्सर या वर्ष होता है। पाच सवत्सर का एक युग होता है।

आयुर्वेद में काल का महत्त्व

आयुर्वेद में व्यवहारिक रूप से काल की उपयोगिता एवं महत्त्व तो है ही किन्तु चिकित्सा भेषज प्रयोग एवं आतुरावस्था की दृष्टि काल का बहुत ही महत्त्व है। आयुर्वेद में काल का जो वणन किया गया है वह इसी दृष्टि से है। महर्षि चरक ने स्पष्ट रूप से काल के व्यावहारिक प्रयोग एवं आतुरावस्था सम्बन्धी प्रयोग का उल्लेख किया है। यथा—

काल पुनः सवत्सरश्चातुरावस्था च । तत्र सवत्सरो द्विधा त्रिधा षोढा द्वादशधा
भूयश्चाप्यतः प्रविभज्यते तत्सत्कालमनिसमीक्ष्य । चरक संहिता विमान स्थान /१२४

अर्थात् काल दो प्रकार होता है—सवत्सर और आतुरावस्था। इनमें सवत्सर (दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से) दो प्रकार का (शीत उष्ण और वर्षा भेद से) तीन प्रकार का (वर्षा शरद हेमन्त शिशिर वसन्त-भीष्म इन षड ऋतु भेद से) छह प्रकार का (चैत्र बसाख येष्ठ आषाढ श्रावण आश्विन कार्तिक मृगशीर्ष पौष माघ फाल्गुन इन द्वादश मास भेद से) बारह प्रकार का तथा इससे भी अधिक विभाग वाला होता है।

आतुरावस्था के प्रति महर्षि चरक ने निम्न मन्तव्य स्पष्ट किया है—

आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकाय प्रति कालाकालसंज्ञा । तत्राप्य-अस्थामवस्था
यामस्य भेषजस्याकाल काल पुनरन्यत्येति एतदपि हि भवत्यवस्थाविशेषेण तस्मादा-
तुरावस्थास्वपि हि कालाकालसंज्ञा । —चरक संहिता विमान स्थान ८/१२६

अर्थात् आयुर्वेदशास्त्रों में भी कार्य एवं अकार्य के प्रति काल और अकाल की सजा होती है। जैसे रोगी की अमुक अवस्था से अमुक औषधि का अकाल है (अर्थात् अमुक अवस्था में अमुक औषधि देने योग्य नहीं है) और अमुक अवस्था से औषधिकाल है। यह सब रोगी की अवस्था विशेष से होता है। इसलिए रोगी की अवस्थाओं में काल—अकाल संज्ञा होती है।

महावि चरक ने उपयुक्त प्रकार से विभक्त काल की नित्यग और आवस्थिक संज्ञा भी दी है। यथा—

कालो हि नित्यगश्चावस्थिकश्च । तत्रावस्थिको विकारःअपेक्षते नित्यगस्तु ऋतु-
सात्त्व्यापेक्ष ।
—चरक संहिता विमान भाग १/३०

अर्थात् काल दो प्रकार का होता है—नित्यग और आवस्थिक। इनमें आवस्थिक काल विकार की अपेक्षा रखता है और नित्यग काल ऋतु सात्त्व्य की।

यहां पर सबत्सर काल को नित्यग और आवस्थिक काल को आयुर्वेदशास्त्रों में काल कहा गया है।

आयुर्वेद में रोगी की चिकित्सा के लिए जो औषधि दी जाती है—काल के अनुसार उसका बड़ा महत्व है। आयुर्वेद में इसका स्पष्ट निर्देश किया गया है कि काल के अनुसार औषधि देने से अपेक्षित फल की प्राप्ति (आरोग्य लाभ) होती है। इसीलिए आचार्यों ने रोगी का स्वभाव प्रकृषित दोष औषधि-द्रव्य आदि को ध्यान में रखते हुए औषधि देने के दस काल निर्धारित किये हैं। यथा—

१ अशक्त (खाली पेट) २ प्राग्भक्त (खाने के पूर्व) ३ अघोभक्त (खाने के बाद) ४ मध्यभक्त (भोजन के मध्य में) ५ अन्तरा भक्त (दो भोजनकाल के मध्य में) ६ सभक्त (भोजन के साथ साथ) ७ सामुद्रा (अन्नपान के पहले और बाद में) ८ मुहुमुहु (बार बार) ९ सप्रास (एक या कुछ प्रासों के साथ) १० प्रासान्तर (दो प्रासों के मध्य)।

इस प्रकार चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त औषधि देने के दस काल का उल्लेख प्रायः सभी आचार्यों ने किया है। इसका विस्तृत विवरण सुश्रुत संहिता उत्तर २ तन्त्र अ ६४ अष्टांगसंग्रह-सूत्रस्थान अ २३ भास्कराचार्य संहिता प्र खं० अ २ तथा अ ६ सू १३ में देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त वैद्य यादव जी त्रिकम जी आचार्यदेव प्रवृत्त-विज्ञान (उत्तरार्ध) के परिभाषा खण्ड में भी इसका विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

दिशा निरूपण

लोक व्यवहार में दिशा का प्रयोग पूर्व पश्चिम आदि के लिए किया जाता है । आयुर्वेद में भी इसी रूप में दिशा का प्रयोग किया गया है । किन्तु आयुर्वेद में दिशा के सद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों को समान रूप से प्रतिपादित किया गया है । दर्शन शास्त्र एवं आयुर्वेदीय दृष्टि कोण से दिशा का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया गया है—

इत इवन्निति यस्तद्विषय लिगम ।

—वशाधिक वषण २ २ १

अर्थात् इसकी अपेक्षा यह दूर है और इसकी अपेक्षा यह समीप है—इस प्रकार का ज्ञान जिसके द्वारा होता है वह दिशा कहलाती है ।

दरात्तिकादि धीह्नुरका नित्या दिगुच्यते ।

उपाधिभेदावकापि प्राच्यादि व्यपवशाभाक ॥ —मक्तावली

अर्थात् दूर और अन्तिक (समीप) के ज्ञान का कारणभूत दिशा निय और व्यापक होती है । वह एक होते हुए भी उपाधि भेद से प्राची आदि नाम से व्यवहृत होती है ।

सामान्यतः पूर्व पश्चिम उत्तर-दक्षिण इन चार दिशाओं का ज्ञान दिशा शब्द से होता है । किन्तु दिशा शब्द का व्यापक अर्थ करने पर हमारे दैनिक जीवन में इसकी व्याप्ति की अनुभूति होती है । हम यदि पूर्व पश्चिम उत्तर-दक्षिण दिशा बोधक इन चार शब्दों तक ही सीमित रहे तो उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहने पर भी हम इनका नहीं पा सकते । उदाहरणार्थ यदि हम पूर्व दिशा में उसकी प्राप्ति के लिए सतत बढ़ते चले जाव तो अनन्त काल तक भी उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती । अतः पूर्व पश्चिम आदि मात्र दिशा वाचक शब्द हैं ।

आयुर्वेद में दिशा के व्यावहारिक पक्ष का समर्थन करते हुए दिशा का अर्थ देश या स्थान किया गया है । यथा— दिशा देश स्थानम् । अतः व्यवहार में देश या स्थान का प्रयोग होने से उसके व्यापकत्व की ओर कभी भी उसका विनाश नहीं होने से उसके नित्यत्व की सिद्धि होती है ।

जिस प्रकार सामान्य व्यवहार में कालिक परत्व (चञ्चलत्व) और कालिक अपरत्व (कनिष्ठत्व) का प्रयोग होता है उसी प्रकार दक्षिण परत्व और अपरत्व का प्रयोग भी होता है । दैहिक परत्व का अभिप्राय दूर और दैहिक अपरत्व का अभिप्राय समीप होता है । जैसे अमुक वस्तु इससे इतनी दूर है—यह दक्षिण परत्व है और अमुक वस्तु इससे समीप है—यह दक्षिण अपरत्व है । इस प्रकार दूरत्व

का अभिप्राय दैशिक परत्व और अस्तिकत्व (समीपत्व) का अभिप्राय दैशिक अपरत्व होता है। इन दोनों (दूरत्व और अस्तिकत्व) का हेतु दिशा है।

व्यवहार से इसका प्रयोज्य प्रभूत रूप में होता है कि अमुक वस्तु दूर है अथवा अमुक वस्तु समीप है। समीप देश (स्थान) में विद्यमान मूर्त द्रव्य में दिशाकृत परत्व होता है। इसी प्रकार दूर देश में विद्यमान घट आदि मूर्त द्रव्य की अपेक्षा समीप देश में विद्यमान मूल द्रव्य में दिशा कृत अपरत्व होता है। इसी आधार पर दिशा के द्रव्यत्व की सिद्धि भी की गई है। अर्थात् परत्व-अपरत्व ये दोनों गुण होते हैं। घट आदि मूलद्रव्य में जिस प्रकार रूप आदि गुण जन्य होते हैं उसी प्रकार परत्व-अपरत्व गुण भी जन्य हैं। जन्य गुण सबव असमवायि कारण के द्वारा जन्य होता है और असमवायि कारण सयाग दो द्रव्यों का ही हो सकता है। यहाँ घट आदि एक द्रव्य तो विद्यमान है उसमें परत्व-अपरत्व गुणोत्पादक असमवायिकारण संयोग रूप अन्य द्रव्य होना चाहिये वह अथवा द्रव्य दिशा ही है।

आयुवद सम्मत द्रव्य लक्षण के अनुसार द्रव्य में गुण और कर्म समवाय सम्बन्ध से होना चाहिए। दिशा में सख्या परिमाण पथकत्व संयोग और विभाग गुण समवायि रूप से विद्यमान रहते हैं और द्रव्यों में दूरत्व या अस्तिकत्व उत्पन्न करना ये कम भी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। इस प्रकार दिशा के द्रव्यत्व की सिद्धि होती है।

लोक व्यवहार में प्रधानतः चार दिशाओं का प्रयोग होता है पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण। दिशा का यह चतुर्विधत्व अथवा नानाविधत्व केवल औपधिक है वास्तविक नहीं। दिशा की उपाधि आदित्य संयोग है। आदित्य संयोग रूप उपाधि होने से ही दिशा में पूर्व-पश्चिम आदि का व्यवहार होता है। वस्तुतः दिशा एक ही है। पूर्व दिशा को प्राची पश्चिम दिशा को प्रतीची उत्तर दिशा को उदीची और दक्षिण दिशा को अवाची भी कहा गया है। इसके क्रमशः निम्न लक्षण हैं —

१ प्राची (पूर्व दिशा) — आदित्यसंयोगात् भूतपूर्वादि भविष्यतो मृताश्च प्राची अर्थात् भूत भविष्य और वर्तमान काल में होने वाले सूर्य के संयोग से दिशा की प्राची संज्ञा है। अथवा 'प्रागस्यामञ्चरति सूर्य इति प्राची' अथवा 'प्रचञ्चत्यतीति प्राची' अर्थात् जिस दिशा में सूर्य का उदय होता है या जिस दिशा में भगवान् सूर्य का दर्शन सर्व प्रथम होता है उसको प्राची कहते हैं अथवा तत्रोदयाचलसन्निहितमूर्ता वच्छिन्ना विक प्राची' अर्थात् उदयाचल के समीप की दिशा प्राची या पूर्व कहलाती है।

२ प्रतीची (पश्चिम दिशा) — प्रतिकूल्येनास्यामञ्चरति सूर्य इति प्रतीची अथवा प्रत्यक्ष अञ्चरतीति प्रतीची अर्थात् जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है या जिस दिशा में भगवान् सूर्य का दर्शन अन्त में होता है उसे प्रतीची या 'पश्चिम' दिशा

कहते हैं अथवा तद् व्यबहितनर्तावच्छिन्ना (अस्ताचलसन्निहिता) च द्विक प्रतीची' अर्थात् उसके (पूर्व दिशा के) विपरीत अस्ताचल (जहा भगवान सूर्य का अस्त होता है) के समीप की दिशा प्रतीची या पश्चिम कहलाती है ।

६ उदीची (उत्तर दिशा)— उदगस्यामञ्चति सूर्य इति उदीची' अथवा उदगञ्चतीति उदीची अर्थात् जिस दिशा में सूर्य सयोग ऊँचे होकर गमन करते हैं । या पूर्वाभिमुख स्थित होने पर वाम हस्त की ओर वाली दिशा उदीची या उत्तर दिशा कहलाती है अथवा मेरुसन्निहित नर्तावच्छिन्ना त्रिगुदीची अर्थात् सुमरु पर्वत के समीप में स्थित दिशा को उदीची या उत्तर दिशा कहते हैं ।

४ अवाची (दक्षिण दिशा) अर्वागस्यामञ्चति सूर्य इति अवाची अथवा अर्वागञ्चतीति अवाची अर्थात् जिस देश में सूर्य सयोग नीचे होकर होता हो या पूर्वाभिमुख होने पर दक्षिण (दहिने हाथ की ओर वाली) दिशा को अवाची या दक्षिण दिशा कहते हैं । अथवा तद् व्यबहतमूर्तावच्छिन्ना तु द्विदक्षिणा अर्थात् उसके (उत्तर दिशा के) विपरीत दिशा को दक्षिण दिशा कहते हैं ।

आत्मा निरूपण

पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांच महाभूतों तथा काल और दिशा द्रव्यों के अनन्तर अष्टम द्रव्य आत्मा का निरूपण किया जा रहा है। आयुर्वेद में आत्मा की गणना द्रव्यों के अन्तर्गत की गई है। यह आयुर्वेद का सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण द्रव्य है। वैसे तो समस्त द्रव्यों एवं पदार्थों की उपयोगिता एवं महत्ता अपने अपने स्थान पर है तथापि आत्मा को विशेष महत्त्व दिया गया है। इसके अनेक कारण हैं जिनका उल्लेख आगे प्रसंगवश किया जायगा। यहाँ एक बात यह स्मरणीय है कि आयुर्वेद में आत्मा के लिए 'पुरुष' शब्द का व्यवहार किया गया है। इसकी सार्थकता में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। यद्यपि आत्मा एक ऐसा रहस्यमय गूढ़ तत्व है कि उसके मम ज्ञानोपलब्धि हेतु अनेक मनीषियों योगियों एवं ऋषियों ने अपने जीवन का व्युत्सर्ग कर दिया। समस्त भारतीय दक्षिण शास्त्रों में आत्मा सम्बन्धी गहनतम विवचन विस्तृत रूपेण प्रस्तुत किया गया है। तथापि आयुर्वेद में आत्मा के विषय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है तथा कुछ ऐसे तथ्य स्वीकार किए गए हैं जो आयुर्वेद के क्षेत्र तक ही सीमित हैं और आयुर्वेद के लिए ही जिनकी विशेष उपयोगिता है। अतः यह आवश्यक है कि आयुर्वेद में आत्मा के सम्बन्ध में जिन तथ्यों का प्रतिपादन जिस रूप में किया गया है उसे उसी रूप में समझकर ग्रहण किया जाय।

आत्मा का लक्षण

ज्ञानाधिकरण आत्मा निर्विकारोऽद्वितीयकः ।

अनादिनिश्चयो व्यापी जीवो सोवाधिकस्तु स ॥

उपाधिपरिनिमुक्तः केवलत्व प्रपद्यते ॥

अर्थात् आत्मा ज्ञान का अधिकरण निर्विकार अद्वितीय अनादि अनन्त और व्यापक होता है। वही आत्मा उपाधि विधिष्ट से युक्त होने पर जीव सज्ञा द्वारा व्यवहृत होता है। अर्थात् जीव कहलाता है। उपाधियों से रहित होकर जीव केवल विशुद्ध आत्म स्वरूप होता है। तब वह मुक्ति अथवा मोक्ष को प्राप्त होता है।

'ज्ञानाधिकरणआत्मा—अधिकरणपदं सम्बन्धेन ज्ञानाध्यत्वसाधारणम् । भूतत्वाविचारपश्चात् ज्ञानेति कालाद्विकारमाय सम्बन्धेनेत्यपि हेयम् । अतो लक्षणकल्पितम् ज्ञानज्ञानात्मा अत्यन्तसाधारणवान् वा ।'

आत्मा ज्ञान का अधिकरण (आध्य) है। यहाँ अधिकरण पद सम्बन्धी रूप से आत्मा में ज्ञानाध्यत्व प्रतिपादन के लिए दिया गया है। पृथ्वी आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति निवारण हेतु ज्ञान पद तथा काल आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति निवारण

हेतु समवाय पत्र का प्रयो किया गया। अत लक्षण यह हुआ — आत्मा ज्ञानवान् अथवा आत्मत्व सामान्यवान् होता है।

आत्मा सम्बन्धी उपयुक्त लक्षणा के अनुसार आत्मा ज्ञान का अधिकरण है। अर्थात् जो द्रव्य समवाय सम्बन्ध से ज्ञान का आश्रय है उसे आत्मा कहते हैं। सामान्यतः हमें जो ज्ञान हाता है वह त्रिद्रव्य और अर्थ का मन्तिकष होने के पश्चात् आत्मा को ही होता है। इन्द्रिय और अर्थ के मन्तिकष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान पृथ्वी जल वायु आकाश काल दिशा और मन इन आठ द्रव्यों में से किसी में भी नहीं रहता। वह ज्ञान इन आठ द्रव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में रहता है। क्योंकि ज्ञान गुण है और गुण किसी द्रव्य विशेष का आश्रय करके ही रहता है। गुण बिना द्रव्य में रह नहीं सकता। द्रव्य में बिना गुण का कोई अस्तित्व नहीं होता। पृथ्वी आदि उपयुक्त आठ द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं होता। अतः उपयुक्त आठ द्रव्यों के अतिरिक्त नवम द्रव्य को ही ज्ञान का आश्रय स्वीकार किया जायेगा। वह नवम द्रव्य आत्मा है। इस प्रकार ज्ञानाधिकरण नवम द्रव्य आत्मा की सिद्धि अनुमान द्वारा होती है।

इसके अतिरिक्त तथ्यपूर्ण तर्कों के आधार पर भी ज्ञान का आश्रय तत् आत्मा की सिद्धि होती है। ज्ञान गुण है और वह मानस प्रयक्ष होता है। महाभूतों के रूप रस गन्ध आदि गुण मानस प्रयक्ष नहीं हात। कवल चक्षु रसना घ्राण आदि के प्रत्यक्ष होते हैं। ज्ञान ईन्द्रिय प्रयक्ष नहीं होता। अतः ज्ञान महाभूतों का गुण नहीं हो सकता। ज्ञान एक विशेष गुण होता है तथा अपन आश्रय द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहता है। मन्तिकष काल और दिशा का गुण भी नहीं हो सकता। अतः काल दिशा और मन्तिकष गुण नहीं होता तथा समवाय सम्बन्ध से काल आदि में ज्ञान का अभाव है। जो ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है और वह आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहता है। इस प्रकार तर्कों के द्वारा आत्मा और उसके अधिकरणत्व की सिद्धि होती है। उपनिषदों में आत्मा को ज्ञानरूप मानकर उसका विवेचन किया गया है। किन्तु यहाँ आत्मा को ज्ञानरूप गुण का अधिकरण माना है। इसका कारण यह है कि आयुर्वेद में आत्मा को द्रव्य माना गया है। अतः प्रथम प्रातर्परिचित द्रव्य के लक्षण के अनुसार किसी भी द्रव्य में गुण और कम का समवाय रूप से रहना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। जो द्रव्य समवाय रूप से किसी गुण और कम का आश्रय नहीं है वह द्रव्य नहीं हो सकता। इस सैद्धांतिक दृष्टि से आत्मा ज्ञान गुण का समवाय सम्बन्ध से आश्रय है। अतः आत्मा एक द्रव्य है।

आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जो चपत्तों द्वारा देखा नहीं जा सकता अतः द्वारा जिसका कोई शब्द नहीं सुना जा सकता अतः द्वारा उसका कोई स्पर्श नहीं किया जा

सकता रसना द्वारा जिसका कोई आस्वादन नहीं किया जा सकता और घ्राण द्वारा जो सूँघा नहीं जा सकता अर्थात् भौतिक इन्द्रियों द्वारा वह ग्राह्य नहीं है। अनुमान द्वारा ही उसकी सिद्धि सम्भावित है। आप्तबन्धन अथवा आश्रम उसकी सिद्धि में प्रमाण हैं। तथापि कुछ मूढ़मति वाले भ्रमवशात् चैतन्य युक्त होने से शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं और कुछ लोग इन्द्रियों में ही आत्मा का व्यवहार करने लगते हैं। क्याञ्चि इन्द्रियों द्वारा ही ज्ञानोपलब्धि होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अल्पज्ञ जन मन को ही आत्मा समझ लते हैं। क्योंकि मनसा संयुक्त इन्द्रिया ही ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती हैं। इनके विपरीत वस्तुस्थिति यह है कि शरीर इन्द्रियाँ और मन से भिन्न आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है। इसी तथ्य का प्रतिपादन मुक्तावलि की निम्न कारिका में निम्न प्रकार से किया गया है—

आत्मोऽविच्छिन्नात् कारणं हि सकलं कम् ।

शरीरस्य न चतन्य मूलेषु व्यभिचारतः ॥

तथात्वं चेन्द्रियाणामुपघाते कथं स्मृतिः ।

मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्ष तदा भवेत् ॥

अर्थात् आत्मा इन्द्रियों का अधिष्ठाता है क्योंकि कारणों का कोई न कोई कर्ता (अधिष्ठाता) अवश्य होता है। चेतनता शरीर का गुण नहीं है क्योंकि मृत्यु हा जाने पर शरीर चतन्य का अभाव पाया जाता है। मृत में व्यभिचार होने से शरीर में चतन्य नहीं होता। चेतनता इन्द्रियों का गुण मानने पर इन्द्रियों के उपघात होने पर इन्द्रियाँ द्वारा ग्रहीत विषयों का स्मरण कैसे होगा? इसी भाँति मन भी चतन्यवान् नहीं है। क्योंकि मन के अंदर होने वाले ज्ञान सुख दुःख आदि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि वह स्वयं अणु परिमाण वाला है।

आत्मा एक शाश्वत अचिन्ताशी नियम द्रव्य है। अज्ञ उसका उपघात या विनाश कभी नहीं होता। आत्मा में बुद्धि सुख-दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार आदि गुणों का निवास रहता है। शरीर इन्द्रिय और मन में इन गुणों का सर्वथा अभाव रहता है। अतः आत्मा शरीर इन्द्रिय और मन से भिन्न एक स्वतन्त्र सत्तात्मक द्रव्य है। शरीर द्वारा अनेक प्रकार जो अहं शब्द का प्रयोग होता है वह शरीर के लिए न होकर वस्तुतः आत्मा के लिए ही होता है। यहाँ यह शक्य उत्पन्न होती है कि आत्मा का चाक्षुष प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, शरीर का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, अहं शब्द का व्यवहार भी तत्कालीन प्रत्यक्षगम्य शरीर के लिए ही होता है। अहं शरीर को ही आत्मा मान लना उपयुक्त है। इससे भिन्न वस्तु की कल्पना निरर्थक है। इस शक्य का समाधान निम्न प्रकार से किया गया है—यदि शरीर को ही आत्मा मानने से मृत शरीर से भी इच्छित व्यभिचार होगा। अर्थात् चतन्य आत्मा का स्वभाव है और

ज्ञान आत्मा का गुण है। मृत शरीर में चतन्य का सबथा अभाव होता है। अतः शरीर आत्मा नहीं हो सकता। ज्ञान गण का अभाव जीवित और मृत दोनों प्रकार के शरीर में होता है। जबकि ज्ञान गण उसमें समवाय सम्बन्ध से अनिवाय रूपेण होगा चाहिए। जिसमें ज्ञान गुण समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता वह आत्मा नहीं हो सकता। अतः ज्ञान गुण और चैतन्य धर्म वाला आत्मा स्वतन्त्र सत्तावान् शरीर से सबथा पृथक् द्रव्य है। इसके अतिरिक्त शरीर को आत्मा मानने में एक यह भी आपत्ति है कि शरीर क हस्त-पाद आदि अवयवों के विनष्ट हो जाने पर कई बार शरीर का भी विनाश हो जाता है। शरीर को ही आत्मा मान लेने पर आत्मा का भी विनाश हो जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता। वह शब्द का प्रयोग भी मृत शरीर द्वारा नहीं किया जाता है। अतः शरीर आत्मा नहीं है।

इन्द्रिया भी आत्मा नहीं हैं। क्योंकि इन्द्रिया भौतिक होती हैं और वे भौतिक गुणों एवं भौतिक विषयों को ही ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। समवायत्वेन इन्द्रियों में ज्ञान गुण का अभाव होता है। वे तो केवल भौतिक अथ (विषय) को ही ग्रहण करती हैं। इन्द्रिया में चतन्य का भी सबथा अभाव रहता है। इसके अतिरिक्त इन्द्रियों को ही आत्मा मान लेने पर इन्द्रियों की भाँति आत्मा का भी पञ्चविधत्व स्वीकार करना पड़गा। जब कि शरीरान्तगत आत्मा एक ही होता है। उपयुक्त स्थिति में इन्द्रियों के द्वारा ग्रहीत वस्तु का ज्ञान भी भिन्न भिन्न इन्द्रिय के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होगा और वह वस्तु एक न होकर दो तीन चार या पाँच हो सकती है। अर्थात् जिस इन्द्रिय के द्वारा जिस वस्तु का ग्रहण किया जायगा वह वस्तु तदिन्द्रिय जनित ज्ञानरूप होगी। उसके पश्चात् दूसरी इन्द्रिय द्वारा उसी वस्तु का ग्रहण किए जाने पर तज्जनित ज्ञान भी भिन्न प्रकार का होगा और उस ज्ञान के आधार पर वही वस्तु प्रथम इन्द्रिय द्वारा ग्रहीत वस्तु से सबथा भिन्न प्रतीत होगी। इसी भाँति तृतीय इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किए जाने पर पुनः उसमें भिन्नता की प्रतीति होगी। इस प्रकार एक ही वस्तु भिन्न इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किए जाने पर उसमें द्विविध्य त्रिविध्य चातुर्विध्य या पाँचविध्य उत्पन्न हो जायगा। इसके विपरीत जब हम अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं तथा रुचिकर होने पर उसे हम अपने हाथों से छते भी हैं आवश्यकता पड़ने पर उसे सूँघते भी हैं और अन्त में उसे खा भी लेते हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में हमारा ज्ञान यह रहता है कि वस्तु एक ही है। किन्तु इन्द्रियों का आत्मत्व स्वीकार कर लेने पर वस्तु का ज्ञान एकात्मक न होकर चतुर्विधात्मक होगा। ऐसी स्थिति में वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान होने में बाधा उत्पन्न होती है। किन्तु इन्द्रिय व्यतिरिक्त शरीरान्तगत स्वतन्त्र एक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने में यह बाधा या अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती।

प्रायः देखा जाता है कि इन्द्रिय द्वारा किसी वस्तु का ग्रहण किए जाने पर

तज्जनित ज्ञान की स्मृति बिना काल तक बनी रहती है। किंचित् कालोपरान्त उस इन्द्रिय के नष्ट हो जाने पर या इन्द्रियोपघात हो जाने पर भी तज्जनित ज्ञान की स्मृति बनी रहती है। इन्द्रिय को ही आत्मा मान लिया जाय तो इन्द्रिय का विनाश हो जाने पर तज्जनित ज्ञान का भी विनाश हो जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता। इन्द्रियोपघात के अनन्तर भी आत्मा में तज्जनित ज्ञान की स्मृति सुरक्षित रहती है। अतः इन्द्रिय से भिन्न आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है।

इसी प्रकार अनुभव से यह सिद्ध है कि एक इन्द्रिय का प्रभाव दूसरी इन्द्रिय पर भी पड़ता है। उदाहरणतः अपने समीपस्थ व्यक्ति को रसगुला खाता हुआ देखकर देखने वाले उस व्यक्ति के मुख से लालास्राव होने लगता (सार टपकने लगती) है। इससे प्रतीत होता है कि एक इन्द्रिय का प्रभाव दूसरी इन्द्रिय पर भी पड़ता है। इसका कारण यह है कि जिसके मुख से लालास्राव होने लगता (सार टपकने लगती) है उसने पूर्व में कभी रसगुले का आस्वादन किया है। जिसका स्मरण उसे पुनः रसगुला देखने पर हुआ। उसे पूर्व में आस्वादित रसगुले के मधुर रस के कारण ही बतमान में उसी के आस्वादन का पुनः स्मरण हो आया। ऐसी स्थिति में प्रथमावस्था में अनुभवकर्ता एव बाद में स्मरणकर्ता का एक होना आवश्यक है। इन्द्रियो को आत्मा मानने से एतद्विध अनुभूतिजन्य स्मृति असम्भव है। क्योंकि जो इन्द्रिय अनुभवकर्ता होगी उसे ही स्मरणकर्ता भी होना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में एक इन्द्रिय का प्रभाव दूसरी इन्द्रिय पर नहीं पड़ना चाहिए। किन्तु अनुभवकर्ता एव स्मरणकर्ता आत्मा एक होने से ऐसा होना संभव है। अतः आत्मा इन्द्रियो से सर्वथा भिन्न द्रव्य है। इन्द्रियो में आत्मत्व या चतन्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अब पुनः यह शका होती है कि यदि शरीर और इन्द्रियो को आत्मा मानने में व्यवधान होता है तो मन को ही आत्मा मान लेना चाहिए। क्योंकि मन नित्य होता है और उसी के संयोग से इन्द्रिया अपने विषयो को ग्रहण करने में प्रवृत्त होती हैं। अतः मन को ही आत्मा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके समाधान के लिए कहा गया है कि मन को भी आत्मा स्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि मन नित्य है किन्तु आत्मा के लिए केवल नित्यत्व हीना ही आवश्यक नहीं है। मन अणुरूप होता है और अणु द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः मन भी प्रत्यक्ष द्रव्य नहीं है। जिन द्रव्यो में इन्द्रिय मोचरता होती है वे ही प्रत्यक्ष द्रव्य कहलाते हैं। अर्थात् इनका ज्ञान देखकर सुनकर, सूँघकर स्वादकर अथवा चूँचकर किया जा सकता है। इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्धजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अहिन्द्रिय प्रत्यक्ष के लिए उनमें महत् परिमाण तथा उद्भूतरूप का होना अनिवार्य है। परमाणु और द्रवणुक अव्यक्त होते हैं। इसके बाद से प्रमाणु आदि प्रत्यक्ष होते हैं। क्योंकि उनमें महत्

और उद्भूतस्वत्व दोनों विद्यमान रहते हैं। आत्मा मानस प्रत्यक्ष होता है। मन अणु रूप होने से प्रत्यक्ष नहीं है। यदि मन को ही आत्मा मान लिया जाय तो आत्मा से होने वाले समस्त दुःख-सुख इच्छा द्वेष आदि गुण मन के भी हो जायेंगे। किन्तु मन का प्रत्यक्ष नहीं होने से उसमें विद्यमान सुख दुःख आदि का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। इससे बड़ी विडम्बना उत्पन्न हो जायगी। अतः मन में आत्मत्व सिद्धि नितांत असम्भाव्य है। आत्मा मज्ञावान मन से पृथक् एक स्वतंत्र द्रव्य है।

इन्द्रियप्रतिबिम्बित्वात्तन्मात्रस्य हेतुः । (ब. ब. ३।१२)

अर्थात् इन्द्रिय तथा उसमें गद्यदि विषयों में यह चक्षु है यह रूप है इस प्रकार का ज्ञान इन्द्रिय तथा विषय से भिन्न प्रकार के द्रव्य की सिद्धि में हेतु है। जिस प्रकार घट निर्माण प्रक्रिया के साधनभूत दण्ड कुन्नाल चक्र मिट्टी पानी आदि का प्रयोग करन वाला वन साधनों से सवथा भिन्न होता है उसी प्रकार ज्ञान के साधनभूत चक्षु आदि इन्द्रियों का प्रत्यक्ष भी उन इन्द्रियों से भिन्न है क्योंकि जो प्रेरक है वह साधनों से भिन्न होता है यह नियम है। इस नियम के अनुसार जो चक्षु आदि इन्द्रियाँ की रूप आदि विषयों में प्रेरित करता है वह एक स्वतंत्र सत्तावान् द्रव्य है। वही आत्मा शब्द से व्यवहृत जाता है।

सामान्यत आत्मा दो प्रकार का होता है—जीवात्मा और परमात्मा। सब शरीरों में अवस्थित शरीर के माध्यम में समस्त कर्मों का कर्ता तथा कम फल का भोक्ता जीवात्मा ही होता है। यह जीवात्मा सुख दुःख आदि के ज्ञान का समवाय सम्बन्ध से अधिकरण अल्पज्ञ तथा अल्प शक्ति वाला होता है। इच्छा द्वेष सुख दुःख आदि आध्यात्मिक गुणा का आश्रय यह जीवात्मा ही है। यह प्रति शरीर भिन्न भिन्न होता है तथा निय और विश्व होता है। आत्मा जब शरीर इन्द्रिय और मन से समुक्त होकर त्रिविध योनिमा में भ्रमित होता है तब वह जीवात्मा सज्ञा को धारण करता है। कर्मों का कर्ता एवं कमफल का भोक्ता होने से वह जीवात्मा बन्धन और मोक्ष के योग्य होता है। परमात्मा इससे भिन्न सबज्ञ सबशक्तिमान निय ज्ञान का अधिकरण ईश्वर कहता है। वह नित्य यापक तथा एक होता है। रूप रस गन्ध स्पृश शब्द रसित होने से वह बाह्य प्रत्यक्षगम्य नहीं है। सुख दुःख आदि से परे होने के कारण इसका अन्तर (मानस) प्रत्यक्ष भी सवथा असम्भव है। अतः अनुमान एवं आप्त वचन ही ईश्वर की सत्ता में प्रमाणभूत होते हैं। ससार में जितने भी काम द्रव्य उपलब्ध होते हैं उनका कोई न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। बिना कर्ता के कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति असम्भावित है। इसी भाँति द्वयणुक बीजों के उत्पन्न होने वाले अकुरों आदि का भी कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। मनुष्य की शक्ति इनके मूल निर्माण या मूल उत्पत्ति में सवथा असम्भव है। अतः ईश्वर ही इनका कर्ता है। इस तथ्य की पुष्टि

स्वतः हो जाती है। वह ईश्वर ही सम्पूर्ण जगत् का कर्ता विद्यन्ता और संहारकर्ता है। इस तरह जीवात्मा और परमात्मा भेद से आत्मा दो प्रकार का होता है। जीवात्मा और परमात्मा सम्बन्धी उपयुक्त विवेचन का सारांश यह निकलता है कि अनित्य ज्ञान और इच्छादि का समवायी कारण जीवात्मा तथा नित्य ज्ञान और इच्छा आदि का अधिकरण परमात्मा (ईश्वर) है।

आयुर्वेद सम्मन आत्मा और उसके भेद

आयुर्वेद में आत्मा के विषय में उतना ही विशद एवं व्यापक विवेचन किया गया है जितना दशन शास्त्रों में किया गया है। किन्तु दोनों के उद्देश्य में अन्तर है। दशन शास्त्रों में आत्म तत्व का विवेचन उसकी मक्ति या कबल्य के लिए किया गया है। ससार की विविध योनियों में भ्रमित होने वाले आत्मा को कम बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उसके स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। किन्तु आयुर्वेद में आत्म तत्व का विवेचन भिन्न प्रयाजन से किया गया है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर पुरुष के विकार का प्रशमन करना है। इसके लिए आत्मा सत्व और इन्द्रियो से अधिष्ठित शरीर ही अभिप्रत है। यही स्वास्थ्य रोग और चिकित्सा का विषय है। स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगों के उपशयन के लिए आयुर्वेद में आत्मा रहित शरीर सत्व और इन्द्रियों का कोई महत्व नहीं है। इसी भाँति शरीर सत्व और इन्द्रियों से रहित आत्मा को भी कोई महत्व नहीं है। क्योंकि केवल आत्मा या केवल शरीर का रोगग्रस्त होना संभव नहीं है। अतः उसकी चिकित्सा का भी प्रश्न नहीं उठता। यद्यपि आयुर्वेद में आत्मा की मुक्ति या कम बंधन से छुटकारे अथवा जन्म मरण से छुटकारे का भी बयान है किन्तु वह प्रसंगवश एवं गौण रूप से है। मुख्य रूप से आत्मा युक्त शरीर की चिकित्सा करना या उसे रोग मुक्त करना ही उद्देश्य है। इसी लिए आयुर्वेद में मोक्ष को विशेष महत्त्व न देकर घम अथ और काम को ही विशेष महत्त्व दिया गया है। क्योंकि इह लौकिक जन्म में सशरीर आत्मा के लिए ये तीन ही साध्य हैं। इन समस्त कारणों से आयुर्वेद में आत्मा को पुरुष शब्द से व्यवहृत किया गया है। पुरुष शब्द अपने आप में परिपूर्ण एवं सार्वक शब्द है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार पुरि शरीरे श्रोते वसति इति पुरुष अर्थात् जो शरीर में निवास करता है वह पुरुष है। आयुर्वेदाभिमत आत्मा के लिए यह अर्थ अत्यन्त उपयोगी महत्वपूर्ण एवं साधक है। आयुर्वेद में आत्मा या पुरुष के तीन प्रकार स्वीकृत किए गए हैं। अर्थात् उसके तीन स्वरूप होते हैं—१—परम आत्मा या परम पुरुष २—आतिबाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर (लिंग शरीर) युक्त आत्मा ३—स्थूल चेतन शरीर या कमपुरुष।

१—परम आत्मा या परम पुण्य

निर्विकार परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणोन्मिबे ।

च तन्ये कारण नित्यो वृष्टा पश्यति हि किया ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान १/५६

परम आत्मा निर्विकार होता है। वही आत्मा जब सत्त्व (मन) भूत (पञ्च महाभूत) गुण (महामूतो के गुण शब्द स्पश रूप रस गन्ध या सत्त्व रज-सम) और दस इंद्रियो से युक्त होता है तब वह चैतन्य (शरीर को चेतनता प्रदान करने और ज्ञान प्राप्त करने) में कारण होता है। वह आत्मा नित्य है समस्त चराचर जगत का दशक है और क्रियाओ को देखता है।

आत्मा शब्द का व्यवहार सामान्यतः परमात्मा एव जीवात्मा दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ निमल शुद्ध स्वरूपवान् आत्मा ही परमात्मा शब्द से अभिप्रेत है। यह परमात्मा स्वभावतः निर्विकार होता है। निर्विकार का अर्थ है निर्दोष अर्थात् विकार रहित या दोष रहित। विकार का अभिप्राय यहाँ षड्विकारो से है। यथा जन्म मरण अस्तित्व विपरीत परिणाम वृद्धि और क्षय। आत्मा इन छ प्रकार के विकारो से रहित होता है अतः निर्विकार माना गया है। निर्विकार का अभिप्राय निर्दोष भी होता है। राग-द्वेष आदि द्वन्द्व भाव दोष कहलाते हैं। इन राग-द्वेष आदि प्रत्येक प्रकार के द्वन्द्वा से रहित होने के कारण उसे निर्दोष भी कहा जा सकता है।

यह परम आत्मा ज्ञानवान् चतन्यवान् वृष्टा और नित्य होता है। यह अद्वितीय एक और जन्म-मरण से रहित होता है। इसकी कभी उत्पत्ति नहीं होने से अनादि तथा कभी अन्त (विनाश) नहीं होने से अनन्त होता है। यह परम आत्मा अतीन्द्रिय और व्यापक है। यह किसी लक्षण से वेद्य नहीं है क्योंकि किसी वैशिष्ट्य युक्त वस्तु का ही किसी लक्षण विशेष द्वारा ग्रहण सम्भव है किन्तु आत्मा तो निर्विशेष है। अतः वह किसी लक्षण विशेष द्वारा ग्राह्य नहीं है। यह चैतन्यवान् ज्ञानरूप परमात्म तत्त्व सत्त्वरूप उपाधि वैशिष्ट्य से युक्त होकर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बनता है तथा विविध देव तियञ्च मनुष्य आदि योनियो को प्राप्त कर स्वपूर्वोपाजित कर्मों के अनुसार शरीर को धारण कर इतस्तत् भ्रमित होता है। जब वह आत्मा एतद्विध शरीरो को धारण करता है तो वह परमात्मा रूप न होकर जीवात्मा शब्द से व्यवहृत एव बोधित होता है।

आत्मा नित्य होता है किन्तु तदाश्रित ज्ञान अनित्य होता है। यदि यह शक्य की जाय कि आत्मा का गुण ज्ञान जब अनित्य होता है तो उस ज्ञान गणका अधिकरण गुणी आत्मा भी अनित्य है। किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि शब्द गण के अनित्य होते

यह भी उसका अन्वय गुणी (धर्म) आकाश अनित्य नहीं होता। अतः आत्मा नित्य होता है। उसमें स्वभावतः उत्पत्ति और विनाश का अभाव होने से उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। इसी लिए जन्म धारण करने के अनन्तर अनुभूतिजन्म विषयों का यह आत्माभी जन्मान्तर में अनुसन्धान करता है जिससे वह नवजन्म में प्रायः अज्ञात विषयों को भी ग्रहण करने में समर्थ होता है। जैसे बालक का जन्म होने के पश्चात् मातासर्व बालक का मुख अपने स्तन में लगाती हैं। बालक का मुख स्तन में लगने पर वह स्वतः ही स्तन को चूसने लगता है और उसमें से स्रवित होने वाले दूध को पीने लगता है। इसके लिए बच्चे को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वह बिना शिक्षा दिए ही स्तन आचूषण एवं दुग्धपान प्रारम्भ कर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस बच्चे ने जब इससे पूर्व जन्म धारण किया था तब भी इसी भाँति माता के स्तन का आचूषण एवं दुग्धपान किया था। उसी अनुभव के आधार पर वह आत्माभी जन्मान्तर में भी उसी भाँति की क्रिया करता है। यह पूर्वजन्म कृत सत्कार कहलाता है। यदि आत्मा को अनित्य मान लिया जाय तो उसे पूर्व जन्म में अनुभूत विषयों का स्मरण नहीं होगा। उस स्मृति के अभाव में बालक की दुग्धपान की स्वतः प्रवृत्ति एवं स्वसम्पादित क्रिया का होना सम्भव नहीं है। क्योंकि उसमें शिक्षा का अभाव है। अतः इससे आत्मा का नित्यत्व सिद्ध है।

आत्मा को दृष्टा बतलाया गया है। दृष्टा का सामान्य अर्थ होता है देखने वाला। अभिप्राय यह है कि चैतन्यवान् और ज्ञानवान् आत्मा ससार के समस्त पदार्थों और उनकी समस्त पर्यायों को सबविध रूपेण जानता व देखता है। जिस प्रकार कोई योगी या आप्त पुरुष जिसने राग-द्वेष आदि भावों से मुक्त होकर वैराग्य धारण कर लिया है तथा निलिप्त भाव से ससार में स्थित है, तटस्थ भावेन वह ससार की समस्त वस्तुओं का अपने ज्ञान चक्षुओं द्वारा अवलोकन करता है। राग-द्वेष आदि भाव नहीं होने के कारण वह न किसी के प्रति अनुरक्त रहता है और न किसी से घृणा करता है किन्तु सामान्य रूप से निलिप्त भावेन वह सभी को जानता व देखता है। वस्तुओं के एतद्विध दशन में उसे न सुखानुभूति होती है और न दुःखानुभूति। उसी भाँति आत्मा भी ससार की समस्त वस्तुओं को देखता है। इसीलिए आत्मा के लिए दृष्टा विशेषण का प्रयोग किया गया है। ससार के समस्त द्रव्यों के प्रति समत्व दृष्टि रखने के कारण वह दृष्टा आत्मा ही परमात्मा कहलाता है। यह परमात्मा सत्व और शरीर से वधक होने पर भी सत्व तथा शरीर के सम्पर्क में आता है और राशि पुरुष में चैतन्य का कारण बनता है। तब वही एक परमात्मा जीवात्मा सत्ता का धारक बन जाता है और जीवात्मा सत्ता से व्यवहृत होता है। आत्मा की उपर्युक्त दोनों ही

अवस्थाओं (परमात्मा एवं जीवात्मा) में चतन्य की स्थिति प्रत्यात्मनियत लक्षण के रूप में होती है। सामान्यतः चेतनस्य भाव चैतन्यम् अर्थात् चेतन का भाव ही चैतन्य अथवा चेतनता कहलाती है। यह चेतना यद्यपि स्वयं प्रकाशरूपा है किन्तु परंप्रकाशिनिय है। सत्वादि के योग से आत्मगत चेतनता प्रकाशित होती है। जैसे रांशि पुरुष में प्राणापानोमेषनिमेष आदि लक्षणों की अभिच्यक्ति तब ही होती है जब वह शशिपुरुषगत आत्मा शरीरगत मन इन्द्रिय तथा महाभूतों के गुण शब्द आदि विषयों के सम्पर्क में आता है। तब चेतना का प्रकाश तथा उससे भौतिक विषयों की ज्ञानोपलब्धि होती है। इस प्रकार आत्माश्रित इन्द्रिय द्वारा विषयों के सन्निकष से जो ज्ञान संमुत्पन्न होता है वह आम स्वरूप भूत ज्ञान से भिन्न है। क्योंकि इस ज्ञान में प्रथम आत्मा का मन के साथ संयोग होता है तदनंतर आत्मसयुक्त मन का इन्द्रियों के साथ और मन सयुक्त इन्द्रिय का अपने विषय के साथ संयोग होता है। इसके पश्चात् ज्ञान की संमुत्पत्ति होती है। भौतिक विषयों के ज्ञान का यही संमुत्पत्ति क्रम है। ये मन और इन्द्रिय जड़ होने के कारण विषयों में स्वात्प्रवृत्त नहीं हो सकते। किन्तु आत्मा के संयोग और तत्जनित प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार आत्मा द्वारा विषयों में प्रेरित किए गए मन और इन्द्रियाँ आत्माधिष्ठित या आत्माश्रित कहलाती हैं।

उपयुक्त रूप से आत्माश्रित हुई चक्षु आदि इन्द्रियों का प्रत्येक रूप आदि विषयों के साथ सयुक्त सयुक्त समवाय सयुक्तसमवत समवाय आदि सन्निकष द्वारा विषयों का जो ग्रहण व ज्ञान होता है वह जन्य (उत्पत्तिशील) होने से आत्मा के स्वरूप ज्ञान से सबधा भिन्न होता है। अर्थात् नियत आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान में सबधा भिन्न होता है और जय ज्ञान जाना होने के कारण जीवात्मा चेतन नहीं किन्तु चिद्रूप होने से चेतन और जन्य ज्ञान का साक्षी या दृष्टा है। इस अभिप्राय से उपयुक्त श्लोक में आत्मा का दृष्टा अर्थात् समस्त क्रियाओं को देखने वाला कहा गया है।

ज्ञ साक्षीत्यच्यते नाज्ञ साक्षी त्वात्मा यत् स्मृत ।

सब भाषा हि सर्वेषां भूतानामात्मसाक्षिका ॥

—अथर्वसंहिता शारीर स्थान १ ८३

जो (ज्ञ) ज्ञाता अथवा जानने वाला होता है—ही साक्षी होता है अज्ञ (अज्ञानी) नहीं। आत्मा ही ज्ञ अर्थात् ज्ञाता या जानने वाला है। अतः आत्मा को ही साक्षी माना जाता है। समस्त महाभूतों के समस्तभाव (काय) आत्मा की साक्षी में ही होते हैं।

ऊपर आत्मा के लिए दृष्टा विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उसी आत्मा को दृष्टा होने के कारण साक्षी बतलाया गया है। वस्तुतः जो दृष्टा होगा

वही साक्षी बन सकता है, अन्य नहीं। सामान्य अर्थ में साक्षी गवाह को कहा जाता है। आत्मा को भी इसी रूप में साक्षी कहा गया है। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है— 'साक्षीभूतवत् कस्याय कर्ता ह्यन्ये न विद्यते ?' अर्थात् जब आत्मा के पूर्व कोई वस्तु नहीं है तब यह गवाह किसका है ? इसी प्रश्न का उत्तर उपयुक्त श्लोक में दिया गया है। मतलाया गया है कि काय के पूर्व जो सदा व्रतमान रहता है, वह होने वाले काय स्वरूप महाभूतो का साक्षी (गवाह) तो होगा ही। क्योंकि वह सभा की उत्पत्ति को देखता है। आयुर्वेद के मतानुसार 'साव्यश्चेत्सवा षष्ठा घास्व पुरुष स्मृत' से पंच महाभूत और आत्मा के संयोग को पुरुष कहते हैं। अतः महाभूतो के समस्त काय आत्मा के साक्षित्व में ही सम्पादित होते हैं। इसके अतिरिक्त राशि पुरुष के चतुर्विंशति तत्त्वों में महदादि भाव आत्मा की साक्षी में ही होते हैं। इस प्रकार समार के समस्त भावों की उत्पत्ति आत्म साक्षी पूर्वक मानी गई है। अतः आत्मा को साक्षी कहा गया है।

एतद्विध रूपण आत्मा के लिए दृष्टा न साक्षी आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो साथक रूप में प्रयुक्त होने से तद्वाचक पर्याय के रूप में व्यवहृत होते हैं। आत्मा के इन पर्यायवाचक शब्दों द्वारा आत्मा में ज्ञान के नित्य अस्तित्व का बोध होता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि आत्मा में रहने वाला नित्य ज्ञान उस ज्ञान से सवथा भिन्न है जो आत्मा का संयोग होने पर मल और इन्द्रिय के द्वारा समुत्पन्न होता है। क्योंकि इन्द्रिय और मानस जन्य ज्ञान समुत्पत्तिशील है तथा भौतिक साधनों एवं विषयों से सम्बन्धित है अतः अनिय होता है। इसके विपरीत आत्म स्वरूपभूत ज्ञान जो आत्मा में सवदा विद्यमान रहता है पुनः पुनः उत्पत्तिशील नहीं होने से नित्य एवं शाश्वत होता है। आत्मा उस शाश्वत नित्य ज्ञान का आश्रय या अधिकरण है।

अव्यक्तात्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वतो विभरव्यय ।

—बरक सङ्ग्रह आरीरस्थान १/६१

वह आत्मा (परमात्मा) अव्यक्त क्षेत्रज्ञ शाश्वत विभु और अव्यय होता है। आयुर्वेद में अव्यक्त शब्द का व्यवहार आत्मा (परमात्मा) अथवा प्रकृति पुरुष के लिए किया जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रकृति-पुरुष का संयुक्त स्वरूप ही अव्यक्त कहलाता है और वह अव्यक्त ही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है। सांख्य शास्त्र में केवल प्रकृति को ही सृष्टि का कारण माना गया है और वह प्रकृति ही अव्यक्त पद वाच्य है। किन्तु इसके अतिरिक्त जहाँ आत्मा के नित्यत्वानित्यत्व (स नित्य किञ्चनित्यो विद्विषित) का प्रश्न उत्पन्न होता है वहाँ अव्यक्त पद से केवल आत्मा का ही ग्रहण होता है और व्यक्त पद से राशि पुरुष लिया जाता है। अव्यक्त पुरुष

नित्य और व्यक्त राशि पुरुष अनित्य होता है। व्यक्त राशि पुरुष का ग्रहण इन्द्रियों के द्वारा होता है और अव्यक्त पुरुष परमात्मा का केवल लिंग अर्थात् सक्षय या अक्षु भान के द्वारा ही ज्ञान किया जा सकता है। वह अतीन्द्रिय होने से भौतिक इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। महर्षि चरक ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है—

व्यक्तमेन्द्रियक चैव ग्रह्यते तद्विन्द्रियं ।

अतोऽन्यत् पुनरव्यक्त लिंगग्रह्यमतीन्द्रियम् ॥

—चरक संहिता शारीर स्थान १/६२

अर्थात् जिसका इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है वह व्यक्त और ऐन्द्रियक होता है। इससे भिन्न जो होता है वह अव्यक्त कहलाता है। अव्यक्त अतीन्द्रिय होता है और केवल लिंग (लक्षण या अनुमान) के द्वारा ही वह ग्राह्य होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अव्यक्त पद का प्रयोग परमात्मा के लिए ही किया गया है क्योंकि वह इन्द्रियातीत (अतीन्द्रिय) इन्द्रियागोचर (इन्द्रियों द्वारा अग्राह्य) और इन्द्रियों के द्वारा अज्ञेय है। वह परमात्मा प्रकृति तथा उससे उत्पन्न द्रव्य जिसे क्षेत्र कहा जाता है उनका ज्ञाता होने से क्षत्रज्ञ कहलाता है। वह उत्पत्ति और विनाश से रहित है अनादि निघन है अतः शाश्वत माना जाता है। वह सर्वगत एव सर्वत्र व्यापक होने से विभु कहलाता है तथा उसका कभी ह्रास या क्षय (व्यय) नहीं होता। अतः वह अव्यय होता है। इस प्रकार परम पुरुष या परम आत्मा अव्यक्त क्षत्रज्ञ शाश्वत विभु अव्यय आदि विशेषणों से युक्त होता है।

अनादि पुरुषो नित्य ।

—चरक संहिता शारीरस्थान १/५९

प्रभवो न ह्यनादित्वाद् विद्यते परमात्मन । चरक संहिता शारीरस्थान १/५३

विभुत्वमत एवास्य यस्मात् सर्वगतो महान् । चरक संहिता शारीर स्थान १/

आत्मा सम्बन्धी इस तथ्य का प्रतिपादन किया जा चका है कि परम पुरुष या परमात्मा आदि (उत्पत्ति) और अन्त (विनाश) से रहित होने से अनाद्यनन्त है और अनाद्यनन्त होने से नित्य या शाश्वत है। वह सर्वगत और महान् होने से उसमें व्यापकत्व है।

३ आतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीरयुक्त आत्मा

आयुर्वेद में आतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा को लिंग शरीर धारक आत्मा भी कहा गया है। आयुर्वेद में लिंग शरीर की कल्पना सर्वथा मौलिक है। अन्य दशनों में आत्मा के एतद्विध स्वरूप का विवेचन समुपलब्ध नहीं है। आत्म तत्त्व के जिज्ञासु महर्षियों के अन्तःकरण में जब यह प्रश्न जिज्ञासा के रूप में समुद्भूत हुआ कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? (वेहस्त कथं वेहमुचैति आन्यमात्मा) तब उन्होंने समाधिस्थ होकर अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा इस तथ्य का अवलोकन किया कि भौतिक शरीर के पचत्व प्राप्ति के अनन्तर आत्मा अपने लिंग

(सूक्ष्म) शरीर के साथ शरीर के बाहर निकलता है और अन्य के साथ इसे लिंग (सूक्ष्म) शरीर के साथ संयुक्त होकर नवीन शरीर (वर्ण) में प्रवेश करता है। यह लिंग शरीर अत्यन्त सूक्ष्म होता है। वह भौतिक वस्तुओं के द्वारा यह दिखलाई नहीं पड़ता। केवल द्रिश्य दृष्टि के द्वारा ही उसका स्वरूप दर्शन सम्भव है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर युक्त आत्मा ही आतिवाहिक पुरुष तन्मा से अभिप्रेत है।

परमात्मा के प्रकरण में इस तथ्य का प्रतिपादन किया जा चुका है कि आत्मा ही विशु अर्थात् सर्वत्र व्यापक है। यद्यपि परम आत्म तत्त्व एक निम्न और साध्यत है, किन्तु प्रति शरीर की दृष्टि से वे आत्माएं अलग हैं। प्रलय काल में समस्त आत्माएं परम आत्म तत्त्व में विलीन हो जाती हैं। प्रलय काल समाप्त होने पर नवीन सृष्टि के प्रारम्भ में प्रत्येक आत्मा को एक एक लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर (आतिवाहिक शरीर) प्राप्त होता है। आत्मा के साथ इस शरीर का संयोग अथवा प्रलय काल आने तक रहता है। प्रलय काल आने पर इस लिंग शरीर का विनाश हो जाता है। सृष्टि चक्र में इस सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा का ही मृत्यु के समय एक देह से निष्क्रमण तथा अन्य देह में प्रवेश होता है। एक देह से निष्क्रमण तथा अन्य देह में लिंग शरीर युक्त आत्मा के प्रवेश का मुख्य कारण यह है कि आत्मा लिंग शरीर के साथ साक्ष मन से जो 'युक्त रहता है। उस मन में जन्म जमान्तरो की अनेक वासनार्यो निहित होती हैं। उन्हीं वासनार्यो के वशीभूत होकर आत्मा मानस जनित व्यापार के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता रहता है। माता और पिता (रज और शुक्र) के संयोग से प्राप्त शरीर को आत्मा जब तक उपभोग के योग्य समझता है तब तक वह उसे धारण किए रहता है और 'यों ही स्थूल शरीर निरुपभोग्य हुआ त्यों ही आत्मा उस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण कर लेता है। इस सिद्धान्त को वस्त्रो के उदाहरण से भलीभांति समझा जा सकता है। अर्थात् मनुष्य नवीन वस्त्रो को धारण करता है और पुराने वस्त्रो को फेंक देता है। मनुष्य जिन वस्त्रो को धारण करता है वे जब तक उसके उपभोग के योग्य (धारण करने योग्य) होते हैं तब तक वह उन्हें धारण करता है किन्तु जब वे वस्त्र फट जाते हैं और मनुष्य उन्हें उपभोग के योग्य नहीं समझता तो वह उन्हें उतार कर फेंक देता है। उनके स्थान पर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। इसी भांति यह आत्मा भी निरुपभोग्य शरीर का त्यागकर उपभोग के योग्य नवीन शरीर को धारण कर लेता है।^१ जब आत्मा निरुपभोग्य पुराने शरीर का परित्याग करता

१ वासांति जीवाणि यथा विहृत्य नवानि युवांसि शरीर्यन्वसि ।

तथा शरीरानि विहाय जीवांश्चिन्वन्वसि संवांसि नवानि वेही ॥

श्री सद् गुरुभ्यो नमः

है तो वह शरीर से अकेला ही नहीं निकलता है अपितु उसके साथ कुछ न कुछ बन्धन अवश्य रहता है। वह है स्वोपाजित शुभाशभ कर्मों का बन्धन। शरीर और मन के माध्यम से आत्मा विविध प्रकार के शुभाशभ कर्मों को करता है। पश्चात् उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे पुनः अन्य शरीर को धारण करना पड़ता है। इस प्रकार जिस शरीर को वह धारण करता है उसमें वह पूर्वोपाजित कर्मों का फलोपभोग एवं नवीन कर्मों को अजित करता है। इस प्रकार यह क्रम सतत चलता रहता है और कम बन्धन के वशीभूत आत्मा जन्म मरण के द्वारा नवीन शरीर को धारण और पूर्व देह का त्याग करता रहता है। यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा। आत्मा को इस जन्म मरण के चक्कर में और विविध योनियों में उसके परिभ्रमण से मुक्ति तब मिल सकती है जब वह समस्त कम-बन्धन से मुक्त हो। कम बन्धन से मुक्ति कवल तपश्चरण के द्वारा कर्मों की निजरा (क्षय) से ही सम्भव है।

आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश का उल्लेख आयवद में स्पष्ट रूप से किया गया है। निम्न श्लोक द्वारा इसकी पुष्टि होती है—

भतश्चतुर्भि सहित सुसङ्गैर्मनोजवो देहमुपति वेहात ।

कर्मात्मकत्वान्न तु तस्व दश्य दिव्य बिना दशनमस्ति रूपम ॥

—चरक संहिता शारीर स्थान २/३१

अर्थात् मनोजव (मन के वेग से गमन करने वाला) आत्मा आकाश को छोड़ कर शेष चार महाभूतों के साथ मत देह से निकल कर पन नूतन शरीर को प्राप्त करता है। इस प्रकार जीण देह का त्याग करना और नतन देह को प्राप्त करना आत्मा का यह कार्य पूर्वजन्मकृत कर्म के अनुसार होता है। आत्मा जब नवीन शरीर में प्रवेश करता है तब उसका रूप दिखलाई नहीं पड़ता। किन्तु जिन लोगों को तपश्चरण अथवा योग द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे लोग ही आत्मा के एतद्विध रूप को देखने में समर्थ हैं।

यद्यपि आत्मा का निर्णय माना जाता है किन्तु मन के सयोग से किए गए शुभाशुभ कर्मों का कर्ता और उनके परिणाम का उपभोक्ता आत्मा ही है। अतः शुभाशुभ कर्मों के वशीभूत आत्मा स्पष्टतमात्रा रूपतमात्रा रसतमात्रा और गद्यतन्मात्रा इन अतीन्द्रिय सूक्ष्म चार महाभूतों और मन के साथ सयुक्त होकर नाना योनियों में गमन करता है।

आत्मा को नानाविध योनियों में गमन कराने वाला मन ही होता है। आकाश क्रियाशून्य है। उसमें अवकाश प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य क्रिया का अभाव है। अतः वह गमन क्रिया में आत्मा के साथ गमनशय्य में नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त

आकांक्ष विभु अर्थात् सर्वत्र व्यापक होने के कारण पहले से ही वहाँ विद्यमान रहता है। अतः केवल चार महाभूत ही सचदा (सृष्टि से प्रलय पर्यन्त) प्रत्येक आत्मा से सम्बन्ध रहते हैं। सूक्ष्म और अतीन्द्रिय महाभूतों के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर से मन बुद्धि अहंकार और सत्व रज तम ये तीन गुण भी सर्वदा विद्यमान रहते हैं। सत्व गुण के उत्कर्ष से होने वाली मन की सात प्रकृतियाँ रजोगुण के आधिपत्य से होने वाली छ प्रकृतियाँ तथा तमोगुण के प्राबल्य से होने वाली तीन चित्त वृत्तियों का समावेश भी इस सूक्ष्म शरीर में होता है। यही सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर या आतिबाह्यिक शरीर कहलाता है। इस सूक्ष्म शरीर का आत्मा के साथ नित्य (सृष्टि से प्रलय पर्यन्त) स्पर्श सम्बन्ध होने से इसे 'स्पृक शरीर' की सजा भी दी गई है। अन्य ग्रन्थों के अनुसार इस सूक्ष्म शरीर में पाँच ज्ञानद्रव्यों ज्ञानोद्भवों के पाँच सूक्ष्म विषय या शब्द तन्मात्रा आदि पाँच तन्मात्रा प्राण-अपान-उदान-समान-व्यान ये पाँच प्राण एक मन एक बुद्धि—इस प्रकार कुल मिलाकर १७ तत्व होते हैं। प्रलय आने पर यह शरीर नष्ट हो जाता है—सब गच्छति—अतः यह लिंग शरीर कहलाता है।

स सर्वत्र सर्वशरीरभूषण स विश्वकर्मा स च विश्वकर्म ।

स चेतनाघातुरतीन्द्रियश्च स नित्ययुक्त सानुशय स एष ॥

—चरक संहिता शारीर स्वान २/३२

अर्थात् लिंग शरीर से युक्त वह आत्मा सर्वत्र व्यापक समस्त शरीरों को धारण करने वाला विश्वकर्मा जगत रूप चेतना घातु अतीन्द्रिय (इन्द्रियातीत)। नित्ययुक्त (मन बुद्धि और इन्द्रियों से सदैव युक्त रहने वाला) तथा सानुशय (सब राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों से युक्त) होता है।

सूक्ष्म शरीर से युक्त वह आतिबाह्यिक आत्मा सर्वत्र गमनशील होने से 'सर्वत्र (सर्वत्र गच्छतीति सर्वत्र) कहलाता है। समस्त भौतिक स्थूल शरीरों को अपने कर्मांनुसार धारण करने से सर्वशरीरभूषण कहलाता है। स्थूल शरीरों में रहता हुआ वह आत्मा मन की सहायता से विभिन्न सांसारिक कर्मों को करता है, अतः विश्वकर्मा कहलाता है। यह आत्मा विविध योनियों में भ्रमित होता हुआ अन्यान्य मनुष्य पशु, पक्षी कीट पतङ्ग आदि विश्व के विविध रूपों को धारण करता है अतः विश्वकर्म कहलाता है। यह स्थूल शरीर को चेतना प्रदान करता है अतः चेतना घातु कहलाता है। भौतिक इन्द्रियों द्वारा इसका ग्रहण सम्भव नहीं है, अतः अतीन्द्रिय कहलाता है। यह सदैव (सृष्टि से प्रलय पर्यन्त) मन बुद्धि और इन्द्रियों से संयुक्त रहता है अतः 'नित्ययुक्त' कहलाता है। राग-द्वेष सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से युक्त होने से इसे 'सानुशय'

कहते हैं। मन की सहायता से मनन करने विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से वर्णन स्पर्शन आदि ज्ञान प्राप्त करने कर्मेन्द्रियों की सहायता से विविध कर्म करने एक नए नए शरीरों का उत्पादक होने के कारण इस आत्मा को हेतु कारण निश्चित कर्ता मन्ता वैदित्ता वेदयिता बोद्धा स्पृष्टा दृष्टा प्राप्ता श्रोता रसयिता गन्ता साक्षी वक्ता प्राप्ता ब्रह्मा बुद्धि का स्वामी क्षयज्ञ प्रकृष और स्रष्टा कहा जाता है। अपने निर्माण के लिए भूतों का ग्रहण करने वाला होने से इसे ग्रहण भूतों के गुणों से युक्त होने से इसे 'गुणी' भूतों का अधिष्ठाता होने से भूतात्मा एक इन्द्रिय और मन का अधिष्ठाता होने से अंतरात्मा कहते हैं। इस प्रकार एक ही आत्मा विभिन्न कारणों से भिन्न भिन्न सजा वाचक होता है।

अतानि अन्वार्णि तु कमजानि यान्यात्मलीनानि विधाति गजम ।

स बीजधर्मा ह्यपरामराणि देहान्तराध्यात्मनि याति याति ॥

—चरक संहिता शरीर स्थान २/३७

अर्थ—जो चार महाभूत आत्मा में लीन होकर अर्थात् आत्मा के साथ संयुक्त होकर गम में प्रविष्ट होते हैं वे कमज' कहलाते हैं। अर्थात् अपन द्वारा पूर्वजम में उपाजित शुभाशुभ कम के वशीभूत होकर गम में प्रविष्ट होते हैं। यह बीजधर्मा (सूक्ष्म कारण भूत) आत्मा चेतना धातु रूप आत्मा में जाती हुई विभिन्न शभागभ शरीर में चली जाती है।

यहाँ बीजधर्मा से सूक्ष्म लिंग शरीर का ग्रहण किया गया है। यह बीजधर्मा कम के वशीभूत होकर ही चेतना धातु में जब प्रविष्ट होता है तो तत्काल दूसरे शरीर में चला जाता है। जब तक आत्मा मुक्त नहीं होता तब तक वह लिंग शरीर से युक्त रहता है। स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद इसी लिंग शरीर से दूसरे नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे सूक्ष्म बीज बड़ से बड़ वृक्ष को पैदा करता है वैसे ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को उत्पन्न करता है। इसी तथ्य का प्रतिपादन महर्षि सुश्रुत ने भी अपने निम्न वचन द्वारा किया है— क्षयज्ञो वेदयिता स्पृष्टा प्राप्ता, बुद्धा श्रोता रसयिता पुरुष स्रष्टा गन्ता साक्षी वक्ता य कोऽस्तान्त्वित्येवमादिभि पर्यायवाचकैर्नाम भिरवधीयते वक्षस्योगावक्षयोऽध्ययोऽधिचिन्त्यो भूतात्मना सहायकस्य सत्त्वरजस्तमोभिर्विधा-सत्तरपरदेश भावैर्वाचनानिप्रेर्यमाणः गर्भाशयात्मनुप्रवहयान्वितिच्छेत्ते ।

—सुश्रुत संहिता शरीर स्थान अ ३/५

महर्षियों के उपयुक्त वचनों से स्पष्ट है कि एक शरीर से अन्य शरीर में संक्रमण करने वाला मूल ब्रह्म लिंग शरीर है। स्त्री और पुरुष का संयोग होने पर संयोग (संयुक्त) क्रिया द्वारा शुक्र और शोणित का सम्मूच्छल होता है। स्त्री के शरीर

(गर्भाशय) में उपयुक्त प्रकार से शक्ति संचित कर संयोग होने पर प्रकल्प यह। सूक्ष्म शरीर ही अपने पूर्ण शरीर (मृत शरीर) को छोड़कर उत्पन्न होने वाले नवीन गर्भ के शरीर में प्रवेश करता है। वस्तुतः यदि देखा जाय तो चैतन्यवान् आत्मा सर्व व्यापक है अतः न तो वह किसी शरीर का त्याग करता है और न ही किसी शरीर में प्रवेश करता है। होता यह है कि सीमित (असब व्यापक) सूक्ष्म शरीर ही मन के द्वारा अधिष्ठित होकर पूरा शरीर का त्याग एवं नवीन गर्भ शरीर में प्रवेश करता है। किन्तु आत्मा मन को भी चैतन्य प्रदान करता है अतः मन का अधिष्ठाता होने से सबत्र आत्मा का ही व्यवहार किया जाता है। अर्थात् मृत्यु और जन्म के समय मन से समुक्त लिङ्ग शरीर के निष्क्रमण एवं प्रवेश को आत्मा का ही निर्गमन एवं प्रवेश कहा जाता है। इस प्रकार अलक्षित आत्मा मन और लिङ्ग शरीर की सहायता से निरन्तर एक शरीर से अन्य शरीर में ससरण किया करता है। यही 'मनोजव' कहलाता है। महर्षि चरक ने आत्मा के ससरण में इसी मनोजव शब्द का प्रयोग किया है (देखिए चरक शारीर २/३१) आत्मा या लिङ्ग शरीर की प्रक्रिया अर्थात् एक शरीर से अन्य शरीर में संक्रमण उसके द्वारा पूजात्म में उपाजित कर्मों के कारण होता है। लिङ्ग शरीर एवं मन से विमुक्त आत्मा इन समस्त सासारिक बन्धनों पुनः पुनः जन्म—मरण के कष्टों एवं ससरण की विविध यातनाओं से मुक्त होकर अक्षय मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जहाँ उसे अनन्त सुख की अनुभूति होती है।

३ राशि पुरुष या स्थूल चेतन शरीर

आयुर्वेद में यही राशि पुरुष विभिन्न तन्त्राओं से व्यक्त होता है। यथा सयोग पुरुष कम पुरुष चिकित्स्य पुरुष जीवात्मा राशि पुरुष आदि। आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्रोपयुक्त पुरुष से यही राशि पुरुष अभिप्रेत है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य आतुर मनुष्यों की चिकित्सा करना है। चिकित्सा केवल शरीर को ही की जाती है। शरीर भी अब सचेतन होता है तब वह चिकित्सा के उपयुक्त होता है। चेतनता रहित अथवा अचेतन शरीर चिकित्सा शास्त्रोपयुक्त स्वीकार नहीं किया गया है। शरीर सचेतन तब होता है जब आत्मा के साथ उसका संयोग होता है। चेतना के बिना यह शरीर पञ्च महाभूतों का समुदाय मात्र रह जाता है। इस प्रकार पञ्च महाभूतों में आत्मा इन छ' तत्वों के संयोग से जो यह सचेतन शरीर बनता है वही 'संयोग पुरुष' कहलाता है। इस ही संयोग पुरुष अथवा सचेतन स्थूल शरीर की चिकित्सा की जाती है तथा यही शरीर चिकित्सा के योग्य होने से 'चिकित्स्य पुरुष' या 'कर्म पुरुष' कहलाता है। इस संयोग पुरुष में पृथ्वी जैसे तैल वायु अक्काश और आत्मा इन चार घटकों का संयोग होने से वह 'संयोगपुरुष' भी कहलाता है।

चिकित्स्य पुरुष या कम पुरुष

सत्त्वमात्मा शरीर च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत् ।
लोकस्तिष्ठति सयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥
स पद्माश्चेतन तच्च तस्याधिकरण स्मृतम् ।
वदस्यास्य तदथ हि वेदोऽयं सप्रकाशित ॥

—चरकसंहिता सत्रस्थान १/४६ ४७

अथ-सत्त्व (मन) आमा (चतना धातु) और शरीर (पांच भौतिक) इन तीनों के सयोग स त्रिदण्ड क समान यह लाक (पुरुष) स्थित है। उसी को पुमान् (पुरुष) कहा गया है। वह पुमान् चेतन होता है और उसे उस चेतना का अधिकरण कहा गया है। उसी के लिए अथर्ववेद का उपवेद यह आयुर्वेद शास्त्र प्रकाशित किया गया है।

यहा पर चिकित्सा शास्त्रोपयुक्त पुरुष का उद्घरण बतलाया गया है कि मन चतना धातु एव पांच महाभूता के सयोग मे जो कर्म पुरुष उत्पन्न होता है वही चिकित्सा के योग्य है और चिकित्सा शास्त्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण आयुर्वेद का प्रकाशन उसी कम पुरुष या चिकित्स्य पुरुष के लिए किया गया है। जिस प्रचार किसी तिपाई की स्थिति उमके तीनों पायों की विद्यमानता मे ही होती है। एक भी पाये का अभाव होने पर तिपाई का निर्माण किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है उमी प्रकार आमा मन और सेन्द्रिय भौतिक शरीर इन तीनों मे से किसी एक का भी अभाव होने पर आयुर्वेद सम्मत चिकित्सा शास्त्रोपयुक्त कम पुरुष या चिकित्स्य पुरुष का निर्माण सम्भव नहीं है। अतः चिकित्स्य पुरुष की उत्पत्ति म सत्त्व आमा और शरीर इन तीनों का सयोग नितान्त अपेक्षित है। यह स्पष्ट किया जा चका है कि सम्पूर्ण चिकित्सा इसी पुरुष के अधीन है। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के कम भी इसी पुरुष के अधीन हैं। अर्थात् इस पुरुष के न होने पर किसी भी प्रकार का कम सम्पन्न होना सम्भव नहीं है तथा ससार के समस्त प्रकार के कम निष्प्रयोजन भूत हो जावने। अतः यह कम पुरुष कहलाता है।

सयोग पुरुष अथवा षड् धातवात्मक पुरुष

‘आव्यश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुष स्मृतः’

—चरक संहिता शारीरस्थान १/१५

अस्मिन् षष्ठास्त्रे षड्महाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इत्युच्यते ।

—सुश्रुत संहिता शारीरस्थान १/२२

पद्मशास्त्रे समुच्चिता पुरुष इति शब्दं लभते तत्रात्रा-मुचिस्वानपस्तेजो वायुराकाश
ब्रह्म वाव्यक्तमिति । एत एव च षड् धात्व ससुच्चिता पुरुष इति शब्दं लभते ।

—चरक संहिता शरीरस्वान ५/४

अर्थ—आकाश आदि पाच महाभूत और छठी चतना धातु का संयोग ही पुरुष कहलाता है । इस आयुर्वेद शास्त्र में पाच महाभूत और आत्मा के संयोग को ही 'पुरुष' कहते हैं ।

छह धातुएं मिल कर पुरुष इस शब्द को प्राप्त करती हैं । जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और अव्यक्त ब्रह्म (आत्मा) ये छह धातुएं मिलकर ही पुरुष शब्द को प्राप्त होते हैं ।

उपयुक्त छह धातुओं के संयोग से जिस पुरुष की उत्पत्ति होती है वह 'संयोग पुरुष' अथवा षड् धात्वात्मक पुरुष कहलाता है । यह संयोग पुरुष ही आयुर्वेद सम्मत एव चिकित्सा शास्त्रोपयुक्त स्वीकृत किया गया है । आयुर्वेद में प्रतिपादित समस्त क्रियाएं इसी संयोग पुरुष को लक्ष्य करके वर्णित की गई हैं । इस पुरुष की ही चिकित्सा की जाती है तथा यही पुरुष चिकित्सा कर्म फल का आश्रय है । प्रस्तुत प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि सब आत्मा और शरीर का उपयुक्त प्रकार का संयोग जगम प्राणि मात्र में पाया जाता है और इस लक्षण के अनुसार प्राणि मात्र पुरुष शब्द वाच्य है । तथापि चरक सुभूत आदि महर्षियों द्वारा उपदिष्ट आयुर्वेद का निर्माण (अभिव्यक्ति) प्रमुख रूप से मनुष्य को ही लक्ष्य करके किया गया है । इसके अतिरिक्त सृष्टि के समस्त पदार्थ मनुष्य उपकरण भूत हैं तथा मात्र उन्हीं के लिए उनका निर्माण किया गया है । अतः मनुष्य के लिए मनुष्यातिरिक्त समस्त पदार्थ उसके उपकरण हैं और मनुष्य उन उपकरणों का उपकार्य है । अतः आयुर्वेद द्वारा प्रतिपादित संयोग पुरुष पुरुष या आत्मा शब्द से मनुष्य (नर-नारी) का ही ग्रहण होता है ।

राशि पुरुष

पुरुष धातुभेदेन अतुर्विगतिक स्मृत ।

अन्ये बहोन्निशास्यर्था प्रकृतिरक्षाष्टधातुकी ॥

—चरक संहिता शरीरस्वान १/१७

बुद्धीन्निषसन्नोऽयर्ना विद्याद् योगधर परम् ।

अतुर्विगतिक इत्येव राशिपुरुष संशकः ॥

—चरक संहिता शरीरस्वान १/३४

अथ—पुनः धातु भद्र से वह पुरुष चौबीस तत्वों वाला कहा गया है। जिसमें मन वस इन्द्रिया अथ (पंच महाभूत) तथा अव्यक्त महान् अहकार और पंच तन्मात्राएँ ये आठ-प्रकृतियाँ सब मिलाकर चौबीस तत्व होते हैं। इसी प्रकार बुद्धि इन्द्रियाँ मन और अथ तथा इनके योग को धारण करने वाली आत्मा इन सबकी संयुक्त राशि के परिणाम स्वरूप जो पुरुष निर्मित होता है वह राशि पुरुष सज्ञक होता है।

यह राशि पुरुष पूर्वोक्त चिकित्स्य पुरुष कम पुरुष संयोग पुरुष तथा षड् धात्वामक पुरुष से भिन्न नहीं है अपितु उपयुक्त समस्त पुरुष एक ही है। उनमें केवल सज्ञा भिन्नता है। आयुर्वेद में इसी पुरुष का स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न सज्ञा द्वारा व्यवहार किए जाने के कारण यह भिन्नता प्रतीत होती है। किन्तु किसी भी सज्ञा का व्यवहार करने पर चिकित्सा शास्त्राधिवृत्त एक ही पुरुष का बोध होता है। एक ही पुरुष की विभिन्न सज्ञाएँ होने का कारण यह भी है कि भिन्न भिन्न दशन शास्त्रों ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिए उसका अलग अलग नामकरण कर दिया। जैसे विशेषिक दशन में पुरुष शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है— आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत अर्थात् इन से निर्मित इन्द्रियाँ तथा मन सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा (चतना धातु) इन छह धातुओं के समुदाय (संयोग) को पुरुष कहते हैं।

सांख्य दशन के मतानुसार तत्त्वा (धातुओं) का संयोग निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है — पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच क्रमन्द्रिया मन पांच महाभूत मूल प्रकृति (अव्यक्त) महत्तत्त्व अहकार और पांच तन्मात्राएँ इन चौबीस तत्वों की राशि का संयुक्त परिणाम पुरुष कहलाता है। यहाँ आत्मा का भी प्रकृति के समान अव्यक्त रूप होने से प्रकृति शब्द से ही ग्रहण कर लिया गया है। इस प्रकार तत्वों से निर्मित पुरुष एक ही है। कहीं पर उसे तीस धातुओं का संयोग बतलाया गया है कहीं उसे षड् धातुओं का संयोग बतलाया गया है और कहीं उसे चौबीस तत्वों का संयोग माना गया है। पुरुष शब्द की इन अन्यान्य परिभाषाओं में पुरुष के मूल घटक महाभूत आत्मा प्रकृति आदि तत्त्व पुरुष का धारण (निर्माण) करते हैं। अतः वे धातु शब्द से व्यवहृत किए गए हैं। आचार्य चक्रपाणिदत्त ने भी यही स्पष्टीकरण दिया है—

पुरुषधारणाद्भूतु^१—अरक सहिता शारीर स्थान १/३ पर चक्रपाणि टीका

इस पुरुष का निर्विकार रूप परम पुरुष (परम आत्मा) तथा आतिवाहिक पुरुष [सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा] से पृथक बोध कराने के लिए इसे कर्म पुरुष चिकित्स्य

पुरुष संयोग पुरुष समुदाय पुरुष राशि पुरुष षड् धात्वात्मक अथवा चतुर्विधतक पुरुष कहते हैं। इन्हें पूर्वोक्त पहले के दो पुरुष परम पुरुष एवं आधिवाहिक पुरुष न तो किसी प्रकार का कर्म कर सकते हैं न ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और न ही किसी कर्म फल के अधिकारी हैं। इन दोनों पुरुषों में रोग के अधिष्ठानभूत भौतिक शरीर का अभाव होने से इनकी चिकित्सा भी सम्भव नहीं है। अतः ये दोनों पुरुष चिकित्सा शास्त्राधिकृत एवं चिकित्सा शास्त्रीययुक्त नहीं माने गए हैं। इन दोनों पुरुषों के अतिरिक्त सचेतन स्थूल शरीर समस्त प्रकार के कर्म कर सकता है, इसलिए उसे कम पुरुष कहा गया है। इस शरीर में ही अनेक प्रकार के रोग होते हैं। रोगोपशमन हेतु उसी सचेतन शरीर की चिकित्सा की जाती है। अतः इसे चिकित्स्य पुरुष' कहा गया है। इसमें छह धातुओं का संयोग या समुदाय होने से यह सयोग पुरुष' 'समुदाय पुरुष अथवा षड् धात्वात्मक पुरुष कहा जाता है। यह षोडश तत्त्वों की राशि से युक्त होने से 'राशि पुरुष' अथवा चतुर्विधतक पुरुष कहलाता है। इस प्रकार यह एक ही सचेतन स्थूल भौतिक शरीर युक्त पुरुष विभिन्न स्थिति के कारण भिन्न भिन्न सज्ञा को धारण करता है।

देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व

समस्त दर्शन शास्त्रों में चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त यह तथ्य एक मत से स्वीकार किया गया है कि आत्मा का अस्तित्व सदैव देहातिरिक्त रहा है। अर्थात् आत्मा और शरीर ये दोनों सदा भिन्न भिन्न माने गए हैं। स्थूल रूप से प्रत्यक्षत यह देखा गया है कि यह सचेतन शरीर जब आत्मा से शून्य हो जाता है तो शरीर की जगत्त कियार्थ संपाप्त हो जाती है और शरीर मृत हो जाता है। जब तक शरीर में आत्मा का निवास रहता है तब तक ही शरीर जीवित माना जाता है। यदि देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो शरीर में से आत्मा का निर्गमन होने अथवा शरीर के मृत होने के पश्चात् भी शरीर के द्वारा कियार्थ सम्पादन की जाती चाहिए तथा जब तक भौतिक स्थूल शरीर का विनाश नहीं कर दिया जाता अथवा उसे जला नहीं दिया जाता तब तक उसमें चेतना एवं अन्य कियार्थ विद्यमान होनी चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः इससे देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इ सके अतिरिक्त देहातिरिक्त आत्मा के सम्बन्ध निरूपण में निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं—

कारणान्यत्र यथा कदाचित् जीवता स एव तु ।

कदा हि कारणैर्मुक्तः कारणं सर्वकारणम् ॥

अहोकारः यथा कर्म देहातिरिक्त स्फूर्तिः ।

विद्यते सति भूतानां कारणे देहमन्तरा ॥
 निमेषकालात् भावानां काल शीघ्रतरोज्ञयथे ।
 भगवानां च पुनर्भाव कृत नान्यमुपैति च ॥
 मत तत्त्वबदावेतत् यस्मात्तस्मात् स कारणम् ।
 क्रियोपभोग भताना नित्य पुरुष सज्ञकः ॥

— चरक संहिता शारीरस्थान १/४८ ५१

अर्थ इन्द्रियो की अयान्यता स्पष्ट है । अर्थात् ज्ञान के द्वारभूत इन्द्रिया अनेक हैं— यह स्पष्ट है । किन्तु कर्त्ता तथा भाक्ता वही एक आत्मा है । उस प्रकार समस्त कर्मों का कारण करणो (इन्द्रियो) से युक्त कर्त्ता आत्मा ही है । अहंकार कम कम फल देहान्तर गमन विगत भावो का स्मरण इन सब म देह के अतिरिक्त कोई अन्य कारण है और वह कारण केवल आत्मा ही है । भावो के विनाश म निमेष (पलक का झपकना) काल स भी शीघ्रतर काल कारण है । भग्न (टटे हुए स्थानो) का पुन सरोहण हो जाता है । एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं भोगता । अत इन सब कारणो से तत्त्वविद विद्वानो का मत है कि प्राणियो के क्रियो पभोग म वह आत्मा ही कारण है और वह आत्मा नित्य एव पुरुष सज्ञक है ।

उपर्युक्त प्रमाण के द्वारा दहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया गया है । जो लोग शरीर और आत्मा को अभिन्न मानते हैं अथवा इन्द्रियो एव आत्मा का एकत्व प्रतिपादित करते हैं उनके मत का खडन उपयुक्त प्रमाण द्वारा किया गया है । देह एव आत्मा की अभिन्नता को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता । क्योंकि शरीर मे भग्न हुए अवयवो का सघन अथवा सरोहण क्रिया शरीर की सचेतनावस्था मे ही सम्भव है । मृत शरीर मे जब चेतना (आत्मा) का अभाव रहता है तब भग्न अवयवो का सन्धान या सरोहण सम्भव नहीं है । अत इससे स्पष्ट है कि शरीर से अतिरिक्त भी भिन्न कोई द्रव्य है जो उपयुक्त क्रियाविधि मे कारण है । वह द्रव्य केवल आत्मा ही है । इसके अतिरिक्त इन्द्रियो को भी आत्मा स्वीकार नहीं किया जा सकता । क्योंकि इन्द्रिया स्वयं ज्ञानरूप अथवा ज्ञान स्वभाव वाली नहीं हैं । ज्ञान स्वभाव वाला तो मात्र आत्मा ही है । इन्द्रियाँ तो ज्ञान के साधन हैं । वे आत्मा को ज्ञान कराने मे सहायक होती हैं । अर्थात् आत्मा को इन्द्रियो के माध्यम से ही ज्ञान होता है । किन्तु इन्द्रियाँ स्वयं ज्ञानरूप नहीं हैं । क्योंकि यह प्रत्यक्षत देखा जाता है कि किसी समय आत्मा को किसी इन्द्रिय के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हुआ । कालान्तर मे किसी कारण वश उस इन्द्रिय के नष्ट हो जाने पर पूर्व समय मे उसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान एव आत्मा दोनो को भी नष्ट हो जाना चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं होता । उस इन्द्रिय

के द्वारा प्रथमकाल में उपार्जित ज्ञान की स्मृति उन्नत इन्द्रियों के विनिष्ट हो जाने पर भी आत्मा को सतत बनी रहती है। इसके अतिरिक्त इन्द्रियाँ भौतिक (सहाभूती से समुत्पन्न) एवं नाशवान हैं जबकि आत्मा अनादि एवं अविनाशी है। अतः इन्द्रियों का आत्मत्व स्वीकार नहीं किया सकता।

इस प्रकार आत्मा देह और इन्द्रियों से व्यक्तिरिक्त एक स्वतंत्र द्रव्य है जो नित्य अव्यक्त क्षेत्रज्ञ विभु और अव्यय है। आयुर्बोध शास्त्र में वह 'सुख' शब्द द्वारा अभिहित एवं प्रतिपादित है।

आत्मा के लक्षण

प्राणापानी निमेषाद्या जीवन मनसो गति ।
इन्द्रियान्तरसंचार प्रेरण धारण च यत् ॥
देशान्तरगति स्वप्ने पञ्चत्वग्रहणं तथा ।
दृष्टस्य वक्षिणेक्षणा सर्व्येनावगमस्तथा ॥
इच्छा द्वेष सख दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृति ।
बुद्धि स्मृत्यहंकारी लिंगानि परमात्मन ॥

—चरकसंहिता शारीरस्थान अ १/६९ ७१

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यत्पन्नो लिंगविति ।

—न्याय ११११

प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा सुखदुःखेच्छा
प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानि ।

—व ३२१४

अथ—प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन मनोगति इन्द्रियान्तर संचार या इन्द्रियान्तर विकार प्रेरणा धारणा स्वप्न में देशान्तर गमन मरण बाहिनी आँख से देखे हुए विषय का बाई आँख से ज्ञान इच्छा द्वेष सुख दुःख, प्रयत्न चेतना धैर्य बुद्धि स्मृति अहंकार ये सब परमात्मा के लक्षण हैं।

जो वायु नासिका के द्वारा श्वास रूप से ग्रहण की जाती है वह 'प्राणवायु' कहलाती है। शरीर के द्वारा प्राणवायु का ग्रहण तब ही होता है जब वह आत्मा से समुक्त होता है। आत्मा विरहित शरीर उपर्युक्त प्राणवायु का ग्रहण करने में असमर्थ है। जो वायु नासिका के द्वारा ही निःश्वास के रूप में बाहर निकाली जाती है वह इक्षित वायु शरीर के लिए अनुपयोगी एवं अहितकारी होती है। यही वायु 'अपान' कहलाती है। चरक संहिता के टीकाकार आचार्य चक्रपाण्डित ने निःश्वास वायु को ही अपान वायु कहा है। यथा 'प्राणापानी उच्छ्वासनिश्वासी । आयुर्वेद में सामान्यतः अपान वायु

से शुक्र-पुरीष-सूत्र आदि को नीचे की ओर ले जाने वाली वायु अभिप्रेत है। प्रस्तुत प्रकार में अपान वायु के दोनो अथ ग्रहण किए जा सकते हैं। निमेष और उन्मेष नेत्र के पलक की क्रिया की ओर संकेत करते हैं। अर्थात् आँखों की पलक का बन्द होना 'निमेष' और पलक का खुलना उन्मेष कहलाता है। नेत्रों की यह तिमेषोन्मेष क्रिया अर्ध-चिच्छक रूप से सम्पादित होती है। यह क्रिया तब ही सम्पादित होती है जब शरीर सचेतन होता है। अचेतन शरीर में इस क्रियाद्वय का संवधा अभाव रहता है। अतः इन्हें भी आत्मा का लक्षण माना गया है। एक निश्चित कालावधि तक शरीर को चैतन्य प्रदान करना जीवन कहलाता है। प्रत्येक सचेतन शरीर की एक निश्चित आय रहती है। उस आयु की कालावधि तक शरीर में आत्मा का निवास रहता है। जब तक शरीर में आत्मा की स्थिति रहती है तब तक उसमें वृद्धि ह्रास व्रण रोपण आदि क्रियाएँ स्वतः सम्पन्न होती रहती हैं। आत्मा के न रहने पर उपयुक्त समस्त क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं। अतः आत्मा का लक्षण 'जीवन' बतलाया गया है। 'मनो गति' आत्मा की स्थिति का ज्ञापक एक प्रमुख लक्षण है। स्वभावतः मन गतिशील एवं चंचल होता है। किन्तु भिन्न भिन्न विषयों के ज्ञानार्जन हेतु आत्मा मन को तत्तत् इन्द्रियों में नियोजित एवं गतिशील रखता है। आत्मा द्वारा प्रदत्त चेतन्य के अभाव में मन स्वतः निष्क्रिय एवं गति शून्य हो जाता है। आम संयोग ही उसे गतिशील बनाए रखता है। अतः मनोगति भी आत्मा के ज्ञापक लक्षणों में से एक है। मन जब अन्यान्य विषयों का ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न इन्द्रियों से समुक्त होकर तथा वहाँ से ज्ञान ग्रहण कर आत्मा को पहुँचाता है तब एक इन्द्रिय से अन्य इन्द्रिय में मन संचार का काय आत्मा अधिष्ठित होता है। क्योंकि आत्मा जिस विषय का ज्ञान उपलब्ध करना चाहता है वह उस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को तत्सम्बन्धी इन्द्रिय के साथ संयोजित करता है। इसी प्रकार वह मन को एक इन्द्रिय से हटा कर दूसरी इन्द्रिय के साथ नियोजित कर देता है। यही 'इन्द्रियान्तर संचार' कहलाता है जो पूर्णतः आत्मा अधिष्ठित होता है। इन्द्रियों को अपना विषय ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना प्रेरणा कहलाता है। इन्द्रियों को यह प्रेरणा आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है। आत्मा शरीर को धारण करता है अतः वह धारण लक्षणात्मक होता है। स्वप्नावस्था में भिन्न भिन्न देशों की गति करना तथा शरीर से आत्मा के निकल जाने पर शरीर का पञ्चव को प्राप्त करना अर्थात् मृच्छा होना आत्मा का ही लक्षण है। बाह्यी आँख से किसी वस्तु का ग्रहण करने पर बाईं आँख द्वारा भी उसका ज्ञान होना आत्मा का ही लक्षण है। इस प्रकार विभिन्न लक्षणों के द्वारा देहातिष्ठित आत्मा के सम्भाव्य की पुष्टि होती है।

आत्मा को ज्ञान की प्रवृत्ति

आत्मा ज्ञान का कार्यकारी भाग है इसके अर्थ में ।

करणानामय आत्मावयवोपाहारो भवति ॥

यद्यतोऽपि यथाऽप्यर्थो संकल्पते नास्ति धर्मितम् ।

यद्व्यक्तं वा कल्पते तैतस्युपहृते तथा ॥

—चरक संहिता शारीरस्थान १/५३ ५४

अर्थ—आत्मा जानने वाला है । करणों (साधनों) के सयोग से उसे ज्ञान होता है । प्रस्तुत प्रकरण में करण शब्द का अभिप्राय मन बुद्धि तथा पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से है । आत्मा का सयोग आवश्यकतानुसार जब इन कारणों से होता है तब उसे ज्ञान की प्रवृत्ति होती है । कारणों की निर्मलता नहीं होने से अथवा आत्मा के साथ उनका विधिबद्ध सयोग नहीं होने से आत्मा को ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे मलिन दर्पण में देखने पर भी रूप का दर्शन नहीं होता तथा कल्पित जल में प्रतिबिम्ब दिखलाई नहीं पड़ता उसी भाँति मन बुद्धि तथा इन्द्रियों के विकृत होने पर अथवा आत्मा के साथ इनका अयोग होने पर आत्मा को ज्ञान नहीं होता है ।

न्याय भाष्य में ज्ञानोत्पत्ति के उपर्युक्त क्रम का वर्णन बड़ी सुन्दरता से किया गया है । यथा— आत्मा मनसा लयव्यति भव इन्द्रियेण इन्द्रियमन्वय ततो ज्ञानम् । अर्थात् सर्व प्रथम आत्मा मन के साथ संयुक्त होता है मन इन्द्रिय के साथ और इन्द्रिय अपने विषय के साथ साथ संयुक्त होती है तब आत्मा को ज्ञान की प्रवृत्ति होती है । ज्ञानोत्पत्ति के इस क्रम के अनुसार आत्मा का मन के साथ निकटतम सम्बन्ध रहता है । इन्द्रियों से आत्मा का सीधा सम्बन्ध नहीं होता अपितु मन के माध्यम से वे आत्मा से संयुक्त होती हैं । मन का आत्मा के साथ भी सीधा सम्बन्ध रहता है और इन्द्रियों के साथ भी । इस प्रकार मन दोनों ओर से अनुबन्धित रहता है ।

यद्यपि इन्द्रियों के अभाव में आत्मा को कार्यात्मक ज्ञान का अभाव माना गया है । क्योंकि जो क्रिया जिन भावों के आधीन होती है उन भावों के अभाव में उस क्रिया का होना असम्भव है । जिस प्रकार घट निर्माण कला में दक्ष कुशल अनेक घटों का निर्माण कर सकता है तथापि मृत्तिका के अभाव में वह घट नहीं बना सकता । ठीक इसी प्रकार कारणों के अभाव में आत्मा को बाह्य विषयों का ज्ञान कैसे हो सकता है ? किन्तु बाह्य शक्त के न होने से हम आत्मा से ज्ञान का साधनिक (निदान्त) अभाव नहीं कह सकते । इन्द्रियों और अज्ञान मन को आत्मा के कर्तृत्व करने की शक्ति प्रकृत अपने अन्तः ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं । तब उनको इन्द्रिय और मन के विषय भी संसार के समस्त विषयों का ज्ञान होने लगता है ।

प्रस्तुत प्रसंग में एक शका यह उत्पन्न होती है कि जब आत्मा स्वयं ज्ञानरूप है तथा समस्त पदार्थों का ज्ञाता है तब रात्रि में निद्रावस्था में उसे बाह्य विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होता है ? मनुष्य जब सो जाता है तब क्या आत्मा भी सो जाता है ? इसका उत्तर महर्षि सुश्रुत ने बड़े अच्छे ढंग से दिया है—

करणानां तु च कल्प तमसाभिप्रवर्षते ।

अस्वपन्नपि भतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते ॥

—सुश्रुत संहिता शारीरस्थान ४

अर्थात् तमोगुण के कारण इंद्रियों की विकलता होने पर इन्द्रियाँ और मन जब तमोगुण से आवृत हो जाती हैं तब वे अपने विषयों को ग्रहण करने में शिथिल या असमर्थ हो जाती हैं और मनुष्य में निद्रा की प्रवृत्ति होती है। तब शरीर मन और इंद्रियों के साथ न सोया हुआ भी जीवात्मा सोया हुआ सा कहा जाता है। अर्थात् केवल इंद्रियाँ और मन ही सोते हैं आत्मा नहीं सोता। किन्तु जिस शरीर में मन और इंद्रियाँ हैं उसी शरीर में स्थित होने के कारण ही वह आत्मा न सोता हुआ भी उपचार वशात् सोया हुआ सा व्यवहारित होता है। आत्मा स्वयं निर्विकार होने के कारण उसका ऊपर न तो तम का प्रभाव पड़ता है और न उसमें निद्रा की विकृति उत्पन्न हो सकती है। किन्तु व्यवहार में यही कहा जाता है कि आत्मा सोता है। एक दृष्टि से ऐसा कहना उपयुक्त भी है। क्योंकि आत्मा जब अपने शशाशुभ कर्मों के वशीभूत होकर इस शरीर में निबद्ध होता है तब वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए पराश्रयी हो जाता है। अर्थात् बिना मन और इंद्रियों की सहायता के उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब इंद्रियाँ नहीं होती हैं तब आत्मा का ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार जब इन्द्रियाँ विकृत हो जाती हैं तब भी ठीक ठीक ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। जब मन और इंद्रियाँ तमोगुण के द्वारा आवृत होकर प्रसुप्त हो जाती हैं तब ज्ञान की अनुभूति नहीं होती और मन तथा इंद्रियों के साथ आत्मा भी प्रसुप्त की भाँति प्रतीत होता है। वस्तुतः वह सोता नहीं है क्योंकि निद्रावस्था में जब इंद्रियाँ समस्त व्यवहार वाणी एवं चेष्टाओं से विहीन होकर निष्क्रिय पड़ी रहती हैं तब विभिन्न प्रकार के स्वप्ना की प्रवृत्ति होती है। उन स्वापनिक विषयों का ज्ञान एवं तज्जय सुख दुःख का अनुभव आत्मा को होता है जिसकी स्मृति जाग्रत हान पर भावनी रहती है।

आत्मा की उत्पत्ति

प्रभवो न ह्यनाविरवाद्दिद्यते परमात्मन ।

पुरुषो रात्रिसक्तस्तु मोहेच्छाद्वेषकर्मज ॥

—शरक संहिता शारीरस्थान १/५३

अर्थ—अनादि होने के कारण परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती है किन्तु मोह इच्छा द्वेष और कर्म के अधीन रात्रि पुरुष उत्पन्न होता है।

परम आत्मा सर्वत्र अविद्याकी, अनन्त एवं अकारिणी होती है। तब उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राशि पुरुष को उत्पन्नमान एक तन्त्रर इतलवाया गया है। राशि पुरुष को अत्यन्त जन्म के समय को आयु प्राप्त होती है उसकी उत्पत्ति के पश्चात् उसका भौतिक शरीर नष्ट ही जाता है, किन्तु तन्त्ररगत आत्मा का विनाश नहीं होता। क्योंकि भौतिक शरीर के माध्यम से अपने द्वारा उपाजित कर्मों का फल भोगने के लिए उसे पुनः नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। वह आत्मा जब भौतिक शरीर से विरहित हो जाता है तब वह राशि पुरुष सत्ता विहीन रहता है। उस समय उसके साथ एक अत्यन्त सूक्ष्म शरीर होते से वह लिंग शरीर युक्त कहलाता है। लिंग शरीर से युक्त यह आत्मा एक भौतिक शरीर का परित्याग कर अन्य शरीर को धारण करता है। जब वह किसी भौतिक शरीर को धारण करती है तब उसका जन्म और जब वह भौतिक शरीर का परित्याग करता है तब उसका मरण मना जाता है। इस प्रकार जन्म-मरण का चक्र सतत चलता रहता है। जन्म-मरण का यह चक्र अथवा लिंग शरीर युक्त जीवात्मा का एक योनि से अय योनि में संसरण (गति) होने से ससार कहलाता है। इस ससार चक्र का मूल कारण रज और तम ये दो मानस दोष हैं। तमो गुण की अधिकता होने से पुरुष में मोह अर्थात् अज्ञान या मिथ्या ज्ञान होता है। उस तम गुण की स्थिति में वह ससार के पदार्थों को अपने सुख और दुःख का कारण समझता है तथा जिन वस्तुओं को अपने सुख का हेतु मानता है उनके प्राप्ति करने की इच्छा तथा जिन्हें दुःख का हेतु मानता है उनके प्रति द्वेष (उनके परिहार की या उनसे बचने की इच्छा) उसके मन में उदित होता है। एतद्विषय अनुकूल विषयो में इच्छा तथा प्रतिकूल विषयो में द्वेष दोनों ही मोह के कारण उत्पन्न होते हैं।

इस मोह (इच्छा और द्वेष) ही के कारण पुरुष इष्ट विषयो की प्राप्ति तथा द्विष्ट वस्तुओं के परिहार के लिए प्रवृत्ति या कर्म करता है। यह प्रवृत्ति शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती है। शुभ प्रवृत्ति धर्म रूप होती है और अशुभ प्रवृत्ति अधर्मरूप। शुभ प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप पुण्य का सचय तथा अशुभ प्रवृत्ति (अधर्म) के परिणाम स्वरूप पाप का सचय होता है। जिसका फल क्रमशः सुख और दुःख होता है। अर्थात् धर्म या पुण्य का फल सुख रूप में तथा अधर्म या पाप का फल दुःख रूप में मिलता है। इस सुख दुःख रूप फलों को भोगने के लिए पुरुष को बलात् शरीर धारण करना पड़ता है। इसीलिए शरीर को आत्मा का भोगायतन माना गया है— 'आत्मनो भोगायतनं शरीरं मतम्'। अर्थात् आत्मा अपने सुवर्णोपाजित सुभाष्य कर्मों के फल का उपभोग करने के लिए जिस आयतन (संघन) का आश्रय लेता है उस आश्रय (साधन) का नाम शरीर है। इस शरीर में जब आत्मा प्रविष्ट हो जाता है तब वह राशि पुरुष कहलाता है।

आत्मा क्रमशः एक शरीर का परित्याग कर अन्य शरीर को धारण करता है तथा अनन्त काल से चला आ रहा यह क्रम अनन्त काल पर्यन्त चलता रहेगा। उत्तरीय शरीरों की प्राप्ति की यह परम्परा तब तक चलती रहेगी जब तक निर्मल सत्व गुण का उदय होकर वह रज और तम इन दोनों दोषों से मुक्त नहीं हो जाता। सत्व गुण का उद्वेग होने पर उसे सम्यक् तत्व ज्ञान (आम ज्ञान) होता है तब वह सांसारिक विषयों में मोह का परित्याग कर देता है जिससे उसे सांसारिक सुख प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रहती है। परिणामतः इच्छा द्वेष के बशीभूत होकर वह कोई प्रवृत्ति नहीं करता। जिससे उसे किसी काम का बन्धन नहीं होता और कर्मबन्धन के अभाव में वह उसका फल भोगने के लिए बलात् शरीर धारण करने के लिए बाध्य नहीं होता है। इस प्रकार वह कम बन्धन से रहित होकर अनन्त सुख की प्राप्ति के लिए मोक्ष गमन करता है। जहाँ से पुनः वह कभी ससार में लौटकर नहीं आता। यही उसका चरम लक्ष्य है।



मनो निरूपण

संसार के समस्त पंचेन्द्रिय प्राणियों में मनुष्य का विशेष स्थान है। प्रत्येक सभी पंचेन्द्रिय प्राणियों के शरीर में मन की अवस्थिति रहती है। मानव शरीर में तो यह की स्थिति उपभोगिता एवं महत्व विशेष है। मनुष्य की समस्त इन्द्रियों का एक और यदि विनाश हो जाय और मन अविकृत रूप से स्थिर हो तो उस व्यक्ति का कार्य चल सकता है किन्तु उसकी समस्त इन्द्रियां स्वस्थ एवं प्रकृत हों और मन विकृत हो तो उसकी समस्त क्रियाएं एवं समस्त इन्द्रिय व्यापार अवच्छेद हो जायगा। वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहेगा। अतः इस तथ्य की बर्तीकार नहीं किया जा सकता कि मानव शरीर में मन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण द्रव्य है।

मन का महत्व एवं तत्सम्बन्धी विशेषताओं का प्रतिपादन अन्य शास्त्रों की अपेक्षा दर्शन शास्त्र में विशेष रूप से किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि दर्शन शास्त्र का प्रतिपाद्य मुख्य विषय विशेष रूप से आध्यात्मिक तत्त्व रहे हैं। आत्मा की भाँति मन भी उन आध्यात्मिक तत्त्वों में प्रमुख रहा है। अतः दर्शन शास्त्रों में मन का सर्वांगपूर्ण विवेचन किया गया है।

आयुर्वेद यद्यपि एक चिकित्सा शास्त्र है तथा आध्यात्मिक विषयों के प्रतिपादन से उसे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तथापि मन भी रोमाघिष्ठान होने से वह आयुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय बन जाता है। इसी प्रकार मन का सम्बन्ध आत्मा से होने के कारण तथा जिस शरीर की चिकित्सा की जाती है उसे चैतन्य प्रदान करने वाला होने के कारण आत्मा भी आयुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसके अतिरिक्त आत्मा और मन दोनों ही आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय हैं। इसके अतिरिक्त महर्षि चरक ने न्याय वैशेषिक एवं वेदान्त दर्शन से सम्बन्ध रखने वाले विचार व्यक्त किए हैं। अतः मन के विवेचन में भी आयुर्वेद में उन दर्शनों के विचारों का अवलम्बन लिया गया है। आयुर्वेद में मन के विषय में जो चिन्तन द्वारा अवगत है उसके अनुसार निम्न विवरण प्रस्तुत है।

शरीर में मन का महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में सम्पादित होने वाली प्रत्येक क्रिया मन से प्रभावित है। यद्यपि मन इन्द्रिय और शरीर को चैतन्य का प्रकाश आत्मा के द्वारा ही मिलता है। शरीर में जब तक आत्मा का अनुपस्थान नहीं होता तब तक शरीर, उसमें आश्रित मन इन्द्रियों और अन्त्यान्त हृदय आदि अवयव चैतन्य मूल्य एक किमिहीन होते हैं तथा आत्मा के संयोग से इनमें चैतन्यता एवं क्रियाशीलता आती है। किन्तु आत्मा की सम्बोधिता परम्परा में मन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहती है। मन के अभाव से इन्द्रियों के द्वारा आत्मा को सम्बोधित होना

नितान्त असम्भव है। यद्यपि मन स्वयं एक इन्द्रिय है तथा अन्य इन्द्रियों की भाँति मन की उत्पत्ति भी महाभूतों से हुई है तथापि मन सामान्य इन्द्रियों से किन्तु है। आत्मा को जो ज्ञानोपलब्धि होती है उसका मुख्य साधन मन ही है। मन के अभाव में अथवा मन के विकृत हो जाने पर आत्मा को ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर में मन की स्थिति अन्तःकरण के रूप में है। अन्य ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कमन्द्रियाँ बाह्य करण कहलाती हैं। मन की यह विशेषता है कि महाभूतों से समुद्भूत होने पर भी वह अन्य इन्द्रियों की भाँति स्थूलरूप नहीं है। इसलिए अन्य इन्द्रियों की भाँति यह मन इन्द्रिय बाह्य नहीं है। जिस प्रकार शरीर में बाह्य इन्द्रियाँ दिखाई देती हैं उस प्रकार मन का प्रत्यक्ष नहीं होता। इसका एक कारण यह है कि बाह्य इन्द्रियों की भाँति मन की स्थिति शरीर के बाह्य प्रदेश में नहीं है। शरीर के अन्दर अवस्थित होने से उसे अन्तःकरण की सजा दी गई है तथा बाह्य इन्द्रियाँ की भाँति इन्द्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होने से उसे अतीन्द्रिय या इन्द्रियातीत कहा गया है।

मन का सामान्य अथ ज्ञान के योग में किया जाता है। जसा कि मन शब्द की निरुक्ति से स्पष्ट है— मन ज्ञाने बोधने वा धातु अर्थात् मन् ज्ञाने धातु से मनस् या मन शब्द निर्मित हुआ है। जिसकी व्युत्पत्ति के अनुसार मन्थते ज्ञान्यते बुद्ध्यतेऽनेनेति मन ।

संस्कृत व्याकरण के अनुसार मन् धातु ज्ञान अथवा बोधन क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। तदनुसार जिसके द्वारा जाना जाता है या ज्ञान प्राप्त किया जाता है अथवा बोध होता है वह मन कहलाता है।

मन स्वतन्त्र रूप से ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। आत्मा और इन्द्रियों के साथ मन का संयोग होने पर ही मन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अतः इन्द्रियाँ भी ज्ञान का साधन हैं। वे इन्द्रियाँ भी स्वतन्त्र रूप से ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इन्द्रियों को ज्ञानोपलब्धि के लिए आत्मा के द्वारा चतन्य एवं मन के द्वारा प्रेरणा मिलना आवश्यक है। इन दोनों में से किसी एक के अभाव में इन्द्रियाँ भी ज्ञान ग्रहण करने में असमर्थ रहती हैं। वस्तुतः यदि देखा जाय तो इन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति का साधन अवश्य हैं किन्तु मूलतः वे ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं। वे तो केवल विषयों का ग्रहण करने हेतु प्रवृत्त होती हैं। अथवा विषयों के साथ संयुक्त मात्र होती हैं। वस्तुओं का ज्ञान तो मन के द्वारा ही होता है। मन के अभाव में ज्ञान कदापि संभव नहीं है। मन एक होता और ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच होती हैं। अतः मन को एक विशेषता यह भी होती है कि वह जिस इन्द्रिय के साथ संयुक्त होता है केवल वही इन्द्रिय अपने विषय के साथ संयुक्त होकर उस विषय का ग्रहण करती है और तत्कालतर मन के द्वारा उस

विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। किन्तु जिस इन्द्रिय के साथ मन का संयोग नहीं होता है उस इन्द्रिय का अपने विषय के साथ संयोग होने पर भी वह इन्द्रिय उस विषय का ग्रहण नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में उस विषय या वस्तु का ज्ञान होना भी सम्भव नहीं है। मन एक बार में केवल एक इन्द्रिय के साथ ही संयुक्त होता है। अतः एक बार में केवल एक इन्द्रिय के द्वारा ही अपने विषय के साथ संयोग एवं उस विषय का ग्रहण संभव है तथा मन को भी एक बार में केवल एक ही विषय का ज्ञान होता है। इस प्रकार मन जिस समय जिस इन्द्रिय के साथ संयुक्त होता है उस समय वह केवल उसी इन्द्रिय के द्वारा उससे सम्बन्धित विषय का ज्ञान प्राप्त करता है अन्य का नहीं।

मन का लक्षण

मन सम्बन्धी उपयुक्त निर्बचन से शरीर में उसकी स्थिति उपयोहिता एवं महत्व का आभास मिल जाता है। शास्त्रों में मन का जो लक्षण दिया गया है उससे भी उपयुक्त भाव ही ध्वनित होता है। महर्षि चरक ने मन का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया है—

लक्षण मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च
सति आत्मेन्द्रियाणां सन्निकर्षे न वर्तते ॥
बन्धुत्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यत् तच्छ वर्तते ॥

—चरक संहिता शारीर स्थान १/१८ १६

अर्थ—ज्ञान का नहीं होना अथवा होना ही मन का लक्षण है। आत्मा इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ (इन्द्रियों के विषय) क सन्निकर्ष होने पर मन का संयोग नहीं होने से ज्ञान नहीं होता तथा उपयुक्त आत्मेन्द्रियाय सन्निकर्ष होने पर मन का सान्निध्य (संयोग) होने से ज्ञान होता है।

आत्मा का बन्धु आदि इन्द्रियों और शब्द आदि विषयों से सम्बन्ध होते हुए भी कभी किसी विषय का ज्ञान होता है और कभी नहीं होता है। यह ज्ञान का होना या नहीं होना किसी कारणान्तर को सूचित करता है। यही कारणान्तर मन है। यह मन जब इन्द्रियों के साथ संयुक्त होता है तो इन्द्रियों अपने रूप आदि विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। अर्थात् मन के सान्निध्य से ज्ञान होता है और सान्निध्य नहीं होने से ज्ञान नहीं होता।

शरीर में अपोवय विद्य (तेरह प्रकार के) करण होते हैं। इन तेरह करणों को दो भागों में विभाजित किया गया है—बाह्य करण और अन्त करण। इनमें पाँच आत्मेन्द्रियाँ (श्रोत्र) स्पर्शन बन्धु रसना और घ्राण) और पाँच कर्मेन्द्रियाँ (हस्त पाद, मुख, उरुज और वाक्) इन दस इन्द्रियों की गणना बाह्य करण में की जाती है तथा मन बुद्धि

और अहंकार की गणना अन्तःकरण में की जाती है। इस तरह ही कारणों से मन प्रधान है। वह ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों का सहायक होने से उभयेन्द्रिय माना जाता है। सांख्य दर्शन की दृष्टि से मन की उत्पत्ति अहंकार से होने के कारण वह अहंकारिक माना गया है किन्तु आयुर्वेद के मतानुसार अन्य द्रव्यों (इन्द्रियों) की भांति मन की उत्पत्ति भी महाभूतो से होने के कारण वह भौतिक होता है। दोनों ही दृष्टि से अहंकारिक होने पर अथवा भौतिक होने पर मन की उत्पत्ति का मूल कारण प्रकृति (अव्यक्त) होती है। अतः उस प्रकृति से विद्यमान तीन गुण सत्त्व रज-तम मन में भी होते हैं। तदनुसार तीनों गुणों के अनुरूप सत्त्व से ज्ञान रज से प्रवृत्ति और तम से अज्ञान आदि कार्य प्रत्येक मन में दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें जिस गुण की अधिकता से जो ज्ञान आदि लक्षण मन में उत्पन्न होते हैं उसी गुण के आधार पर उस मन को अथवा उस मन के अधिष्ठाता को सात्विक राजस या तामस कहा जाता है। मन के इन गुणों की अभिव्यक्ति मनुष्य की प्रकृति अथवा स्वभाव के द्वारा भी होती है। अतः उसकी प्रकृति का निर्धारण इन्हीं मानसिक गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे सात्विक प्रकृति राजसी प्रकृति तामसी प्रकृति।

मन को ज्ञान सुख-दुःख आदि का साधन माना गया है। अतः अन्य कुछ आचार्यों ने इसी आधार पर मन का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया है -

सुखादिसाक्षात्कारस्य कारण मन उच्यते ।

अस्पृशमणु ज्ञानन्त प्रत्यात्मनियतस्त्वत ॥

अर्थात् मन को सुख आदि के साक्षात्कार का कारण भी कहा गया है। मन स्पर्श रहित और अणु परिमाण वाला होता है। प्रत्येक शरीरस्थ आत्मा के साथ भिन्न भिन्न मन का सयोग होने से मन अनन्त (अपरिसङ्ख्येय) होते हैं।

वैशेषिक दर्शन मन का निम्न लक्षण प्रति पादित किया गया है—

आत्मेन्द्रियार्थसन्निकष ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिंगम ॥

—वैशेषिक दर्शन ६/२५१

अर्थात्—आत्मा इन्द्रिय और इन्द्रियाथ (इन्द्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध) का सन्निकर्ष होने पर जिस वस्तु का सयोग होने से ज्ञान होता है तथा जिसका सयोग नहीं होने से ज्ञान नहीं होता वहवस्तु ही मन है—

आत्मनः करणदीर्घाभिन्निपाणां ज्ञप्त्वावधिधियाणां च सर्वभाषेऽपि कदाचित् कुत्रचिद्विषयं ज्ञानं भवति न भवति चेति वृत्तयः । तेन इषी ज्ञानस्य भावस्यासौ कारणान्तरं सूचयतः यच्च तदैव ज्ञानं ।

इसके अतिरिक्त मन का एक निम्न लक्षण और भी दिया गया है—

“य मयज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मेवसौ विद्वान्” — न्याय श्रुति २/१/२६

अर्थात् एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होना ही मन का लक्षण है।

एक अन्य लक्षण निम्न प्रकार है—

सुखदुःखानुभवविद्यासाधनमिन्द्रियं मनः — तर्क सञ्ज्ञ

अर्थात् सुख-दुःख आदि की अनुभूति का साधन रूप इन्द्रिय ही मन है। अथवा जिस इन्द्रिय से सुख-दुःख आदि का अनुभव होता है वह इन्द्रिय ही मन कहलाती है।

शरीर में मन के अस्तित्व को सच्चा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि शरीर के लिए मन एक अत्यावश्यक द्रव्य है। इसकी उपयोक्ता ज्ञान श्रृंखला के लिए विशेष रूप से है। अतः ज्ञानोत्पत्ति का कार्य मन का अस्तित्व मानने से ही सम्पूर्ण होता है। यदि मन का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाय तो इस प्रश्न का समाधान कर पाना असम्भव होगा कि ज्ञानोत्पत्ति किस क्रम से होती है? मन के अभाव में ज्ञानोत्पत्ति का होना नितांत असम्भव है। ज्ञानोत्पत्ति क्रम में यदि केवल आत्मा इन्द्रिय और इन्द्रियो के विषय को ही कारण माना जाय तो इतने मात्र से निर्वाह होना सम्भव नहीं है। क्योंकि केवल उपर्युक्त कारणों का संयोग ज्ञानोत्पत्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इन कारणों के अतिरिक्त एक अन्य कारण और होता है जिसका संयोग होने पर ज्ञान होता है तथा उसका संयोग नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता। वह अतिरिक्त कारण मन ही है।

इसके अतिरिक्त यदि मन का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाय तो स्थिति यह होती है कि व्यापक होने का कारण आत्मा का इन्द्रियो का साथ सदा संयोग बना रहता है। इन्द्रिया भी अपने-अपने विषयों के साथ सदैव संयुक्त रहती हैं। अतः इन्द्रियो को हमेशा ज्ञानोत्पत्ति होते रहना चाहिये। इसका अतिरिक्त आत्मा समस्त इन्द्रियों के साथ एक साथ ही संयुक्त रहता है। अतः समस्त इन्द्रियो को ज्ञान भी एक साथ संयुक्त रूप से ही होना चाहिए। किन्तु व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं देखा जाता। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया में कोई ऐसा महत्वपूर्ण द्रव्य अवश्य है जिसके बिना ज्ञान नहीं होता तथा जिसके रहने पर ज्ञान होता है। वह महत्वपूर्ण द्रव्य मन ही है।

मन के अस्तित्व की सिद्धि के लिए यह प्रमाण भी दिया जा सकता है कि रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द इनके साक्षात्कार के लिए क्रमशः चक्षु, रसना, श्रवण स्पर्शन और श्रोत्र इन्द्रियाँ हैं जिनके द्वारा उपर्युक्त रूप आदि विषयों का ग्रहण एवं ज्ञान होता है। किन्तु सुख-दुःख आदि भावों का अनुभव उपर्युक्त चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा सम्भव नहीं है। अतः इसके लिए उपर्युक्त इन्द्रियों से भिन्न कोई अतिरिक्त पृथक् साधन होना चाहिए। वह साधन है मन। अर्थात् चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों के

द्वारा अन्नाह्य सुख-दुःख आदि क अनुभव का साधन मन है। इसीलिए मन का एक लक्षण यह भी किया गया कि 'सुखदुःखदुःखदुःखसाधनमिन्द्रिय मन'। इससे मन का स्वतन्त्र अस्तित्व स्पष्ट प्रतीत होता है।

मन के गुण

अणुत्वस्य चकत्व द्वौ गुणौ मनस स्मृतौ ।

अथ—अणुत्व (सूक्ष्मत्व अथवा सूक्ष्म होना) तथा एकत्व (एक होना) ये मन के दो गुण होते हैं। अर्थात् मन अणु परिमाण वाला तथा एक होता है।

मन को अणु परिमाण वाला मानने से उसके सब व्यापकत्व का निराकरण तथा असवव्यापकत्व की निवृत्ति होती है। मन को प्रति शरीर एक मानने से इन्द्रियो की भांति उनके अनेकत्व का निराकरण होता है।

यदि मन का अणुत्व तथा एकत्व स्वीकार न कर उसे महत् परिमाण वाला तथा अनेक माना जाय तो इन्द्रियो के साथ उसका सम्पर्क निरंतर बना रहेगा और ऐसी स्थिति में उसे समस्त इन्द्रियो के द्वारा एक साथ ही सबविध ज्ञान की अनुभूति होने लगगी। जिससे ज्ञान परम्परा में एक प्रकार की विडम्बना उत्पन्न हो जायगी। अर्थात् उपयुक्त स्थिति में मन को वतमान की भांति व्यवस्थित ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पायगी। क्योंकि एक साथ समस्त इन्द्रियो के द्वारा ज्ञान होने से समस्त ज्ञान परस्पर में टकराएंगे और ज्ञान परम्परा में व्यवधान होने लगेगा। जिससे मन को किसी भी वस्तु के सम्यक् ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकेगी। क्योंकि क्रमानुसार और व्यवस्थित ज्ञान शृङ्खला ही वस्तु में सम्यक् ज्ञान का प्रतिपादक है तथा मन ऐसी ही ज्ञान की उपलब्धि में सहायक होता है। अबाधित तथा विषमताओं से रहित ज्ञान ही मानस ग्राह्य है और इस प्रकार का ज्ञान एक काल में केवल एक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रति शरीर में मन एक ही होता है।

मन के अणुत्व प्रतिपादन का अभिप्राय यह है कि मन की स्थिति शरीर में अणु या सूक्ष्म रूप में है। वह आत्मा की भांति सब शरीर में व्याप्त होकर रहने वाला द्रव्य नहीं है। सूक्ष्म होने के कारण वह शरीर के एक प्रवेश के कई हजारों भाग में स्थित रहता है। किन्तु अपनी सूक्ष्मता चञ्चलता एवं तीव्र भविसाक्षता के कारण वह सबदेहव्यापी की भांति प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष में यह देखा जाता है कि जब मन किसी एक इन्द्रिय के साथ संयुक्त रहता है तो केवल उसी इन्द्रिय के द्वारा ज्ञान का ग्रहण होता है अन्य के द्वारा नहीं। जैसे कई बार कोई व्यक्ति किसी कर्म विशेष संस्था

अभ्यास में संलग्न होकर लग जाया है तो बाहर का जन्म स्थान से जाने वाली व्यक्तियों का ज्ञान उसे नहीं होता। इसी प्रकार परस्पर दो या अधिक व्यक्तियों के वार्तालाप करने पर किसी व्यक्ति का मन वार्तालाप की ओर न होकर अन्य विषयों के चिन्तन में लग जाता है। ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों के वार्तालाप का स्वर निरन्तर उस व्यक्ति के कान में पड़ते रहने पर भी उसे इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता कि उन व्यक्तियों से परस्पर क्या वार्तालाप हो रहा है? इसी भाँति कोई पुस्तक पढ़ते पढ़ते बीच में मन किसी अन्य विषय में लग जाता है तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता कि क्या पढ़ा गया है? जब कक्षा में छात्रगण अपने अध्यापक के प्रबचन (भाषण) को सुनते हैं तो कई छात्रों का मन अन्यत्र विषय में संलग्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस छात्र के लिये यह कह सकना कठिन हो जाता है कि कक्षा में अध्यापक महोदय ने अपने भाषण में क्या कहा? इसी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं।

उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन जब जिस इन्द्रिय के साथ संयुक्त होता है तब केवल उसी इन्द्रिय के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। इससे इस तथ्य की पुष्टि भी होती है कि मन आत्मा के सदृश महान् या सब शरीर व्यापी नहीं है अपितु अणुरूप है। अणुरूप होने के कारण वह एक ही समय में समस्त इन्द्रियों से संचार नहीं कर सकता। यही कारण है कि वह एक काल में केवल एक ही इन्द्रिय के साथ संयुक्त होता है। जसा कि उपयुक्त उदाहरणों से भी स्पष्ट है। कई बार हमको ऐसी प्रतीति भी होती है कि पाँचों इन्द्रियों के द्वारा एक साथ ही ज्ञान हो रहा है। जैसे भोजन करते समय हाथ के स्पर्श द्वारा भोजन के शीतत्व उष्णत्व का ज्ञान होता है। रसना के द्वारा रस का ज्ञान भी होता है। घ्राण के द्वारा गन्ध की अनुभूति होती है। चक्षु के द्वारा उसे सतत देखते रहते हैं। साथ में वार्तालाप करते रहते और शब्द श्रवण भी होता है। अतः उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हमें समस्त ज्ञानों का अनुभव एक साथ हो रहा है। किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। मन की चञ्चलता एवं तीव्र गतिशीलता के कारण वह समस्त इन्द्रियों के साथ क्रमशः सम्पर्क बनाता है। अर्थात् एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौथी चौथी के बाद पाँचवीं-इस प्रकार क्रमशः इन्द्रियों के साथ संयुक्त होता है। इन्द्रियों के साथ उसका संबंध इतनी तीव्रता और तीव्र गति से होता है कि एक इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने के क्षण के व्यवधान वा अन्तर की प्रतीति नहीं हो पाती। अतः ऐसा समझना है कि मन समस्त इन्द्रियों के साथ एक साथ संयुक्त है। इन्द्रियों के साथ मन के संबंध की यह प्रतीति जो कि उसी प्रकार संभवित होती है जिस प्रकार के जल के प्रवाह की सूचना कर उन्हें

एक के ऊपर एक रख दिया जाय। तदनन्तर उन समस्त पत्तों का वेधन एक सुई द्वारा किया जाय। सुई द्वारा पत्तों का वेधन करने पर ऐसा लगता है कि समस्त पत्तों का वेधन एक साथ ही हो गया है किन्तु ऐसा नहीं होता। अर्थात् उन पत्तों का वेधन तो क्रमशः एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा इस प्रकार होता है किन्तु यह वेधन इतनी तीव्र गति से होता है कि क्रमशः उनके वेधन का ज्ञान नहीं हो पाता और हम यह समझते हैं कि सभी पत्तों का वेधन एक साथ ही हो गया है। ठीक वहाँ स्थिति इन्द्रियों के साथ मन के संयोग की है। इस सन्दर्भ में एक अन्य उदाहरण अलास चक्र का भी दिया जा सकता है। अर्थात् एक पतली लौह शलाका के दोनों सिरों पर थोड़ा सा कपड़ा बाँध कर उसे मिट्टी के तेल में भिगो कर उसमें आग लगा दी जाती है। उसके बाद उसे जोरो से घुमाया जाता है जिससे प्रज्वलित अग्नि के चक्र की भाँति प्रतीति होती है। यही अलास चक्र कहलाता है। इनमें शलाका के केवल दो सिरों में आग लगी रहती है किन्तु उसके घूमने की गति अत्यन्त तीव्र होने के कारण चक्र के समान अनुभव होता है। इसी प्रकार मन भी तीव्र गति से शरीर में इतस्ततः घूमता है और क्रमशः इन्द्रियों के साथ संयुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करता है।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मन अणु परिमाण वाला तथा एक है। मन के अणुत्व तथा एकत्व की सिद्धि में युगपत् ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होना विशेष महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर अन्य विद्वानों एवं आचार्यों ने भी मन के अणुत्व तथा एकत्व की सिद्धि किया है। महर्षि गौतम ने मन के एकत्व की सिद्धि के लिये कहा है— ज्ञानायौ गच्छादक मन इति न्याय दपण ३/५/६ अर्थात् ज्ञान के एक साथ नहीं होने से मन एक है। इसी का समर्थन महर्षि कणाद ने भी किया है। उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन में इस सन्दर्भ में कहा है— प्रयत्नायौगपद्याज्ज्ञानयौगपद्यच्च इति-नै व ३।२।३ अर्थात् एक समय में एक ही प्रयत्न तथा ज्ञान होने से अथवा प्रयत्न तथा ज्ञान के अयौगपद्य से मन एक होता है। आचार्य विश्वनाथ ने कारिकावलि में ज्ञानों के एक कालिक नहीं होने के कारण मन को अणु परिमाण वाला कहा है। यथा— अयौगपद्या ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते इति विश्वनाथ कारिका ३२५

कभी कभी एक समय में ही दीर्घ शङ्कुली भक्षण में मग्ध रस रूप आदि अनेक विषयों का ज्ञान होने की भाँति होती है। यह मन के अति तीव्र संचार के कारण होती है। इस प्रकारण को शत कमल पत्र भेदन के उदाहरण से पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है।

मन के विषय तथा कर्म

चिन्तय चिचार्यमूढः च ध्येयं लोकलभयेव च ।
 अस्मिन्चिन्तयन्ती श्रेयं तत्सर्वं दुःखार्थं चकार ॥
 इन्द्रियाणि च ह कर्म मनसस्तथस्य निग्रहं
 ऊहौ विचारयव तत पर बुद्धि अवर्तते ॥

—चरक संहिता आरीरख्यान १/२ २१

अर्थ—चिन्ता के योग्य गुणगुण का विचार के योग्य तर्क के योग्य ध्यान के योग्य जोर सकल्प के योग्य भाव या पदार्थ तथा मन के द्वारा अनुभव किए जाने वाले अन्य सुख दुःख आदि भाव ये सब मन के विषय हैं । समस्त इन्द्रियों को अपने अपने विषय में प्रेरित करना तथा अहित विषयों में उनकी प्रवृत्ति को रोकना अर्थात् इन्द्रियों का नियन्त्रण करना अथवा अपना नियन्त्रण करना किसी विषय से तक करना हितहित का विचार करना ते सब मन के कर्म हैं ।

चिन्तय—मन के द्वारा चिन्तन किए जाने योग्य विषय जैसे यह करने योग्य है या नहीं । विचार्य—उपपत्ति या अनुपपत्ति (तर्क) के द्वारा यह करने से लाभ होगा और यह करने से हानि होगी अथवा किसी विषय के गुण दोष का ज्ञान करना विचार कहलाता है । इस प्रकार के विचार योग्य विषय को विचार्य कहा जाता है । उद्बन्ध—सम्भावना के द्वारा जैसे यह कार्य इसी प्रकार होगा अथवा शास्त्रानुसूल तर्कों के द्वारा किसी विषय के सशय पूर्वपक्ष आदि का निवारण और उत्तर पक्ष के स्थापन आदि क निर्णय के लिये परीक्षण को ऊहा कहते हैं । उस ऊहा के योग्य विषय ऊह्य कहलाते हैं । ध्येय—भावना ज्ञान का विषय ध्येय कहलाता है अथवा एकाग्र मन से किसी वस्तु के स्वरूप का अनु चिन्तन करना ध्यान कहलाता है और ध्यान के योग्य विषय को ध्येय कहते हैं । सकल्प—अयुक्त विषय या वस्तु गुण युक्त है अथवा दोषयुक्त इसका नियन्त्रण करना अथवा कर्तव्याकर्तव्य का नियन्त्रण कर अभीष्ट प्राप्ति (सिद्धि) के लिये बन्नी करना है ऐसे निर्णय को सकल्प कहते हैं । सकल्प के योग्य जो विषय होता है वह सकल्प्य कहलाता है ।

ऊपर जिन विषयों का उल्लेख या प्रतिपादन किया गया है वे सब विषय मन के होते हैं । इनके अतिरिक्त कुछ और भी विषय मन के होते हैं जो मन के द्वारा ग्रहण होते हैं अथवा मन की सहायता से जिनका ग्रहण होता है । इस दृष्टि से मन के विषयों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं । अर्थात् मन के विषय दो प्रकार के होते हैं—प्रथम प्रकार के विषय वे हैं जो पांच ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से मन के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं । जैसे शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध । ये विषय अक्षिप्त सुख रूप से इन्द्रियों के विषय कहलाते हैं । तथापि इन्द्रियों की सहायता से मन ही इनका ग्रहण

करता है। दूसरे प्रकार के विषय इन्द्रिय निरपेक्ष होते हैं। ये मन के स्वतन्त्र विषय होते हैं। अतः मन के विषयों से मुख्यतः इन्हीं इन्द्रिय निरपेक्ष स्वतन्त्र विषयों का ग्रहण किया जाता है। इन चिन्त्य आदि विषयों के ग्रहण में इन्द्रियों सर्वथा असंमर्थ रहती हैं। अतः मन के द्वारा इन्द्रियातीत विषयों का ग्रहण किए जाने से वह अतीन्द्रिय कहलाता है।

इन्द्रियों के विषय नियत है— प्रतिनियतविषयैकाशीन्द्रियाणि अर्थात् जिस इन्द्रिय का जो विषय प्रतिनियत है वह इन्द्रिय मात्र उसी विषय का ग्रहण करती है, अन्य का नहीं। जैसे चक्षुः इन्द्रिय के द्वारा केवल रूप विषय का ही ग्रहण होता है अन्य शब्द आदि विषयों का नहीं। किन्तु मन सब इन्द्रियों के साथ समस्त विषयों का ग्रहण करता है। इतना ही नहीं इन्द्रियों के विषयों के अतिरिक्त विविध विषयों का चिन्तन किसी विषय के गुण व गुण का विचार शास्त्रों के अनुकूल तक करना एकाग्र मनसा वस्तु विशेष का ध्यान कतव्याकर्तव्य का विचार कर किसी विषय का सकल्प करना सुख-दुःख आदि आभ्यन्तरिक भावों का अनुभव करना इत्यादि भी मन के विषय हैं। इस प्रकार इन्द्रिय ग्राह्य और इन्द्रियातीत दोनों प्रकार के विषयों का ग्रहण मन के द्वारा होता है।

मन के उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कर्म भी होते हैं। मन च कि एक द्रव्य है। अतः द्रव्यत्व की दृष्टि से उसमें गण और कम समवाय सम्बन्ध से आश्रित रहना चाहिए। गुण और कर्म के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं रहता। अतः मन के कर्मों का भी निदर्श किया गया। मुख्य रूप से मन के दो कर्म होते हैं— एक है इन्द्रियों को नियन्त्रित करना अथवा उन्हें अहित विषयों से पराङ्मुख करना और स्वविषयों में प्रवृत्ति करना। मन का दूसरा कर्म है धृति की सहायता से स्वयं अपना निग्रह अथवा नियन्त्रण करना। इसके अतिरिक्त विभिन्न तथ्यपूर्ण एवं युक्ति संगत तर्क प्रस्तुत करना तथा हितार्हित या गण व गुण का विचार करना भी मन का ही कर्म है।

मन का स्थान

सत्त्वाविज्ञानहृदय स्तनोरकोष्ठमध्यगम् — अष्टांग हृदय शारीरस्थान अ० ४

हृदयमिति कृतवीर्यो बृहन्नसत्त्व स्थानत्वात् — सुश्रुत संहिताशारीर स्थान अ० ३

चञ्चलमर्थाविज्ञानमिन्द्रियाप्यथपञ्चकम् ।

आत्मा च सगुणश्चेत्तद्विश्वस्य च हृदि स स्थितम् ॥

— अष्टक संहिता सूत्रस्थान ३०/४

अर्थ— सत्त्व (मन) आदि का स्थान हृदय है, जो दोनों स्तनों और उर-कोष्ठ (कक्षस्थल) के मध्य में स्थित है। (अष्टांग हृदय)

हृदय में बुद्धि और मन का निवास होने से मन में प्रकृत हृदय का निर्माण होता है—ऐसा उपनिषद् का मत है। (उपनिषद्)

शरीर के ऊर्ध्व अंगों (जो हृदय जो पिर मध्य भाग तथा शिरोधीमा) का ज्ञान कराने वाली इन्द्रियाँ (श्रोत्र स्वक शक्त, रसना और आँख) और उनके पार्श्व अंग (शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध) समुण आत्मा और चित्त (मन) ये सब हृदय में अवस्थित रहते हैं।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मन और चेतना का स्थान हृदय है। यहाँ पर कुछ लोग हृदय शब्द के अर्थ में भ्रम उत्पन्न करते हैं। उनका कथन है कि हृदय शब्द से यहाँ वक्ष प्रदेश में स्थित मांसपेशीमय हृदय का ग्रहण न करके शिरोमूल मस्तिष्क का ग्रहण करण करना चाहिए। क्योंकि "बुद्ध निवास हृदय प्रबुध्य" इत्यादि वाक्यों के द्वारा बुद्धि का निवास स्थान हृदय को शिर कपाल (प्रदेश) में स्थित मस्तिष्क मानने की पुष्टि होती है। किन्तु यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता। अष्टांग हृदय के उपर्युक्त बचन द्वारा प्रथम ही मन के स्थान रूप हृदय की स्थिति वक्ष प्रदेश में दोनों स्तनों के मध्य में निरूपित की गई है। अतः हृदय शब्द से सर्व सामान्य में प्रचलित मांसपेशीमय हृदय का ही ग्रहण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हृदयस्थी वाक्यतः प्लीहा कण्ठुलवच इतिभक्तो यद्वत् क्लोम च इत्यादि सुख त बचन के द्वारा वक्ष प्रदेश में स्थित हृदय का ही बोध होता है। अतः शिर कपाल में स्थित मस्तिष्क को हृदय मानना उपयुक्त नहीं है—

कुछ लोगों ने मन का स्थान हृदय की अपेक्षा जो मस्तिष्क निरूपित किया है एक दृष्टि से यह भी मान्य हो सकता है। क्योंकि समस्त इन्द्रियों का आधार शिर ही है। चरक ने शिर को समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठान निरूपित करते हुए शिर का महत्त्व निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है।

प्राणाय श्वाणभृतां च अत्र सर्वेन्द्रियानि च ।

तदुत्तमापमंनसां शिरस्तदधिकीयते ॥ —चरक संहिता सुखस्थान १७/१७

अर्थ—जिसमें प्राणियों के प्राण आधित रहते हैं जिसमें समस्त इन्द्रियाँ आधित हैं और जो शरीर के समस्त अंगों में उत्तमार्थ (अच्छ) है वह शिर कहलाता है।

इसी प्रकार भेल संहिता में भी मन का स्थान शिर में प्रतिपादित किया गया है—

शिरस्तमाचक्षरणां सर्वेन्द्रियपरं मनः ।

तत्र बुद्धि विचारविनिश्चयान् रसादिकान् ॥

समीपस्थान् विमानति चोन्मत्तानि च विपश्यति ।

अन्तर्गतं चोन्मत्तं चोन्मत्तं सर्वेन्द्रियपरं मनम् ॥

कारणं सर्वबुद्धीनां चित्तं हृदयसंस्थितम् ।

क्रियाणां चेतरासां च चित्तं सर्वस्य कारणम् ॥

अर्थात् समस्त इन्द्रियों में ओष्ठ मन शिर तालु में स्थित रहता है । वह वहाँ पर समीपस्थ इन्द्रियों के रसादि विषयो का ज्ञान प्राप्त करता है तथा तीन भागों का नियन्त्रण करता है । वह मन समस्त इन्द्रिय रूप प्रभावशाली और बलयुक्त होता है । सभी प्रकार की बुद्धियों का कारण चित्त हृदय में स्थित रहता है । वह समस्त क्रियाओं का भी कारण है ।

इस प्रकार शिर भी मन का स्थान स्वीकृत किया गया है । समस्त ज्ञानेन्द्रियों का अधिष्ठान शिर होने के कारण मन का अधिष्ठान भी शिर स्वतः प्रतिपादित होता है । क्योंकि मन स्वयं एक इन्द्रिय है । इसके अतिरिक्त शरीर में ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा केन्द्र शिर ही है । समस्त इन्द्रिया वहा केन्द्रित नियन्त्रित और उपस्थित रहती हैं । अतः दीर्घ अवधि तक मन का भी वहाँ उपस्थित रहना स्वाभाविक है । इस दृष्टि से शिर को मन का स्थान माना गया है । सक्षय में मन का स्थायी निवास नियन्त्रण केन्द्र और काय क्षेत्र की दृष्टि से मन के स्थान को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है । मन का मूल स्थायी स्थान हृदय है—इस तथ्य को समस्त आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है । इसका अतिरिक्त समस्त इन्द्रियों का केन्द्र मस्तिष्क है जहाँ विषय के स्वरूप का निषय एवं इन्द्रियों को प्रवृत्ति या निवृत्ति हेतु आज्ञा प्राप्ति होती है । मन हृदय से मनोबह स्रोतों के द्वारा मस्तिष्क में जाता है और वहाँ से समस्त इन्द्रियों का निग्रह या नियन्त्रण करता है । अतः मन का नियन्त्रण केन्द्र या कार्यालय मस्तिष्क है । मन का कायक्षेत्र सम्पूर्ण शरीर है । सब शरीर में मनोबह स्रोतों की व्याप्ति होने के कारण शरीर के किसी भी सूक्ष्मलतम परमाणु भाग में मन स्वरित गति से पहुँच जाता है । अतः उसका कायक्षेत्र सम्पूर्ण शरीर है । केवल हृदय में स्थित रहता हुआ मन इन्द्रियों का नियन्त्रण वस्तु स्वरूप का ग्रहण एवं सब शरीर परिभ्रमण नहीं कर सकता । अतः वह हृदय से मनोबह स्रोतों के द्वारा शिर और सम्पूर्ण शरीर में सतत भ्रमण करता हुआ हृदय में स्थित अत्मा को ज्ञान कराता है । इस प्रकार कार्य विभाजन की दृष्टि से मन का स्थान भिन्न भिन्न समझना चाहिए । किन्तु मूल रूपेण मन का स्थान हृदय है ।

तम का द्रव्यत्व

कुछ आचार्यों का मत है कि जिस प्रकार पृथ्वी आदि नी द्रव्य माने गए हैं उसी प्रकार तम (अंधकार) को भी दसवाँ द्रव्य मान लेना चाहिये। क्योंकि द्रव्य का जो लक्षण बतलाया गया है वह इसमें पूर्णतः चटित हो जाता है। पूर्वोक्त द्रव्य लक्षण के अनुसार जो गुण और कर्म का आश्रय होता है तथा जो गुण और कर्म का सम्वाची कारण होता है वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य का यह लक्षण तम में पूर्णतः प्रतिचटित होता है। क्योंकि नील तमश्चलित' इस वाक्य में तम का नीलत्व (रूपत्व कर्म) उसका गुण है तथा चलन रूप क्रिया उसका कर्म है। तम में गुण और कर्म दोनों होने से वह भी एक स्वतन्त्र द्रव्य है। पूर्वोक्त नी द्रव्यों में से किसी में भी इसका (अन्तर्भाव) नहीं किया जा सकता। यथा—(१) पृथ्वी में इसका अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि पृथ्वी की भाँति इसमें न तो गन्ध है और न ही इसमें स्पर्श है। अतः गन्धभाव एव स्पर्शाभाव होने से यह पृथ्वी नहीं हो सकता।

(२) जल में इसका अन्तर्भाव सम्भव नहीं है। जल में जिस प्रकार रस कीट स्पर्श एव शुक्ल स्वरूप पाया जाता है उसी प्रकार इसमें इन गुणों का अभाव होने से जलान्तगत भी इसे नहीं माना जा सकता।

(३) तेज में इसका अन्तर्भाव नहीं क्योंकि हो सकता। तेज में उष्ण स्पर्श एव भास्वर स्वरूप होता है। किन्तु तम में इसका अभाव होने से इसे तेज या तेजोऽन्तगत भी नहीं मान सकते।

(४) वायु में इसका अन्तर्भाव सम्भव नहीं है। क्योंकि वायु का प्रत्यात्मनिवृत्त गुण स्पर्श है। इसके अतिरिक्त सदा चतिमत्त्व भी उसका गुण है। तम में इन दोनों गुणों का सर्वथा अभाव है। अतः वायु के अन्तर्गत इसे नहीं माना जा सकता।

(५) आकाश विरोधी गुणधर्मी होने के कारण तम को आकाश के अन्तर्गत भी नहीं माना जा सकता। क्योंकि आकाश एक रूप विहीन द्रव्य है जबकि तम एक रूपी द्रव्य है। इसके अतिरिक्त आकाश एक व्यापक द्रव्य है, जबकि तम व्यापक नहीं है। अतः आकाश में इसका अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता।

(६) अन्य आत्मा मन काज और दिशा में इसका अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये चारो द्रव्य भी रूप विहीन हैं। इनके विपरीत तम में रूप गुण का सदाभाव है। इस प्रकार उपर्युक्त नी द्रव्यों में तम का अन्तर्भाव नहीं होने से इसे एक अतिरिक्त स्वतन्त्र दसवाँ द्रव्य मानना चाहिये।

आचार्यों ने तम के द्रव्यत्व का खण्डन करते हुए उपयुक्त कारणों का उत्तर निम्न प्रकार से दिया है—तम कोई द्रव्य नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें द्रव्यत्व का

अभाव है। तम कोई द्रव्य नहीं है वह तो प्रकाश का अभाव मात्र है। यदि यह कहा जाय कि तम का अभाव ही प्रकाश है तो यह कहना अनुचित युक्त है। क्योंकि प्रकाश तेज रूप है। तेज का अनुभव स्पष्ट है। यह चक्षु एव त्वग् इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य है। तेज के इहम पञ्च आदि कम प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। इसके विपरीत तम चक्षु इन्द्रिय के मातृ के द्वारा ग्राह्य है। तम की गतिमान (चलन) क्रिया का निराकरण करते हुए महर्षि कणाद ने कहा है कि तम स्वतः कभी नहीं चलता। तेज को आवृत करने वाला कोई द्रव्य जब चलता है तब हमें यह प्रतीति होती है कि छाया चल रही है। वस्तुतः गति छाया की नहीं अपितु जिस द्रव्य की वह छाया है उस द्रव्य की गति होती है। तम में गति की जो प्रतीति होती है वह भ्रम मात्र है। अतः तमाश्रित कोई कर्म नहीं है।

दूसरी बात यह है कि तम जब चक्षु इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य है तो इसे रूपवान् द्रव्य माना जा सकता है। क्योंकि चक्षु इन्द्रिय के द्वारा केवल रूपवान् द्रव्य का ग्रहण होता है। इसके समाधान में कहा गया है कि चक्षु इन्द्रिय रूपवान् द्रव्य का ही ग्रहण केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही करती है। यदि तम वस्तुतः रूपवान् द्रव्य है तो प्रकाश की उपस्थिति में भी उसका ग्रहण या ज्ञान होना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता। प्रकाश की उपस्थिति में तत्काल तम का विनाश या अभाव हो जाता है। अतः इसे रूपवान् द्रव्य भी नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त तम में नीलत्व (कृष्णत्व) वर्ण की प्रतीति के कारण यह रूप विहीन द्रव्य भी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में तेज (प्रकाश) का अभाव मात्र ही तम मानना उपयुक्त है। वस्तुतः तम में नील (कृष्ण) रूप एव चलन क्रिया का ज्ञान भ्रान्ति मात्र है। वास्तविक रूप से तो केवल दीपक की अपसरण क्रिया के कारण ही तम की चलन क्रिया का भान होता है। अतः तम स्वतन्त्र अस्तित्ववान् नवम द्रव्य नहीं हो सकता। प्रस्तुत प्रसंग में न्याय भुक्तावलि का निम्न उद्धरण दृष्टव्य है—

आवश्यकतेऽभावेनैवोपपत्तौ द्रव्यान्तरकल्पनायाः अन्याय्यत्वात् । रूपवत्ता प्रतीतिस्तु भ्रमरूपा कर्मवत्ताप्रतीतिरप्यालोकापसरणीप्राधिकी भ्रान्तिरेव । तमसोऽतिरिक्तद्रव्यत्वेऽनन्तावयवादि कल्पनागौरव च स्य च ।

—न्यायभक्तावलि ४

तृतीय अध्याय

गुण निरूपण

द्रव्य वर्णन के पश्चात् गुण का वर्णन किया जा रहा है। गुण का परिभाषण पदार्थ के अन्तर्गत किया गया है। अर्थात् गुण भी एक पदार्थ है। द्रव्य के पश्चात् गुण का वर्णन उसके महत्व के कारण किया जा रहा है। गुण सामान्यतः द्रव्य का उपकरण माना जाता है। अर्थात् गुण के अभाव से द्रव्य का अस्तित्व ही सम्भव नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में कोई न कोई गुण अवश्य ही विद्यमान रहता है। वह द्रव्य के अस्तित्व के लिए तदन्तर्गत स्थित गुण का विशेष महत्व है। द्रव्य और गुण में दोनों यद्यपि भिन्न भिन्न पदार्थ हैं तथापि दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण ही दोनों का अस्तित्व विद्यमान रहता है। अर्थात् दोनों ही पदार्थ अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। द्रव्य से पृथक् हुए गुण का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। उसकी अनुभूति प्रव्यापित होने पर ही होती है। इसी भाँति द्रव्य का अस्तित्व भी बिना गुण के नहीं रहता। अर्थात् द्रव्य के अस्तित्व के लिए गुण का समोपनिर्गत अपेक्षित है।

द्रव्य और गुण परस्पर आधार-आधेय भाव अथवा आश्रय-आश्रयी भाव से स्थित रहते हैं। गुण सदा द्रव्य के आश्रित होकर रहता है। अतः द्रव्य आधार या आश्रय होता है तथा गुण आधेय या आश्रयी होता है। गुण हमेशा द्रव्य की विशेषता बतलाने वाला होता है। अतः वह विशेषण भी कहलाता है। गुण द्रव्य के आश्रित होकर रहता है। अतः द्रव्य प्रधान होता है और गुण अप्रधान। जो दूसरों का आश्रय तथा कर्ता होता है वह प्रधान या मुख्य होता है और जो आश्रयित उपकरण या विशेषण होता है वह अप्रधान आश्रय होता है। अस्तित्व प्रकरण का अभिप्रेय पदार्थ गुण अन्तर्गत (द्रव्यविद्य) उपकरण तथा द्रव्य की विशेषता का प्रतिपादक होता है, अतः वह प्रधान होता है और जोर होने के कारण उसकी गुण संज्ञा है। यह प्रकार गुण को गुण संज्ञा प्रीत संज्ञक है जो अपने भाव में उपयोगी महत्वपूर्ण एवं परिपूर्ण है। अपनी वस्तु विशेषताओं एवं महत्व के कारण गुण का अन्तर्गत विशेष अन्वय पदार्थ में नहीं किया जा सकता। अतः उसे एक स्वतन्त्र पदार्थ माना जाता है।

गुण का लक्षण

समवायी तु निद्रवेष्ट कारण गुण । —चरक संहिता सूत्रस्थान १/५१
अथ द्रव्याश्रिता श्लेषा निग या निष्क्रिया गुणा । —कारिकावलि ।

‘द्रव्याश्रयगुणवान्-सर्वोपनिषागोप्यकारणमनयोक्त इति गुणलक्षणम् +

—चरकविक वपण १/१/१६

गुणत्वजातिमत्वमिति गुणसामान्यलक्षणम् । —प्रशस्तपाद

विद्वलक्षणा गथा ।

—रस वशेषिक सूत्र १/१६

गुण सम्बन्धी उपयुक्त परिभाषाओं में आचार्यों ने स्वकीय दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से गुण का लक्षण कहा है। इन लक्षणों में यद्यपि विशेष अन्तर नहीं है किन्तु फिर भी कुछ भिन्नता अवश्य है।

गुण के उपयुक्त लक्षण के अनुसार जो द्रव्य में समवाय सम्बन्ध (नित्य सम्बन्ध) से रहता हो वेष्टा रहित हो स्वयं भी वेष्टा (क्रिया या कम) रूप न हो स्वयं निगुण (गुण रहित) हो तथा स्वसमान गणान्तर (अन्य गुण) की उत्पत्ति में कारणभूत हो वह गुण कहलाता है। अभिप्राय यह है कि जो द्रव्य में आश्रय करके रहता (द्रव्याश्रयी) हो गुण रहित हो कम रहित या कम से भिन्न हो और जो स्वसमान गणान्तर की उत्पत्ति में असमवायी कारण हो उसे गुण कहते हैं।

उपयुक्त प्रकार से गुण का जो लक्षण प्रतिपादित किया गया है उसमें प्रत्येक पद सकारण अपेक्षित एवं महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार द्रव्य से गुण का नियम सम्बन्ध है उसी प्रकार द्रव्य से कम का भी नियम सम्बन्ध है। इसीलिए कर्म से भिन्न जो पदार्थ समवाय सम्बन्ध से द्रव्य में रहता हो वह गुण कहलाता है। किन्तु गुण की यह परिभाषा भी निर्दोष एवं समीचीन नहीं है। क्योंकि द्रव्य में द्रव्यत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है और वह द्रव्यत्व कम से भिन्न भी है। अतः गुण की यह परिभाषा द्रव्य में भी सचटित हो जाने से अतिव्याप्ति दोष आ जाता है। इसलिये गुण को यह परिभाषा सम्बुद्धित एवं उपयुक्त नहीं है।

गुण की सामान्य परिभाषा करने के लिये यह कहना पड़ेगा कि जो पदार्थ कर्म से भिन्न हो समवाय सम्बन्ध से द्रव्य में रहता हो तथा गुण और कर्म का आश्रय न हो वह गुण कहलाता है। इस प्रकार की परिभाषा करने पर गुण का लक्षण द्रव्य में अतिव्याप्त नहीं होता। क्योंकि द्रव्य तो मुख्य रूप से गुण और कम का ही आश्रय है। जबकि गुण स्वयं निगुण एवं कमरहित होता है। इसीलिये गुण के लक्षण में निष्क्रिया निगुणा गुणा कहा गया है।

किन्तु गुण का इस प्रकार का लक्षण करने पर भी बड़े लक्षण समान्य और विशेष में घटित हो जाता है। क्योंकि सामान्य और विशेष से जो ही कर्म से भिन्न हैं, दोनों ही गुण व कर्म से रहित हैं तथा दोनों ही द्रव्य में लक्षण-लक्षण से रहते हैं। अतः गण का उपयुक्त लक्षण सामान्य विशेष में अतिरिक्त होने से निरूपित नहीं कहा जा सकता। गुण का निरूपित एक सर्वमान्य लक्षण बनाने के लिये उसके परिभाषा निम्न प्रकार से करनी होगी—जो पदार्थ कम से भिन्न हो भुण्य और कर्म से रहित हो समवाय सम्बन्ध से द्रव्य में रहता हो तथा कर्म के प्रति असमवायि कारण हो अर्थात् स्वसमानगुणान्तर की वृद्धि करने वाला हो उसे गुण कहते हैं। गुण की उपयुक्त परिभाषा करने पर सामान्य और विशेष में गुण के लक्षण की अतिरिक्त नहीं होती है। क्योंकि कारणत्व सामान्य-विशेष में नहीं होता है। अतः गुण का यह लक्षण पूर्यत निरूपित एक परिपूर्ण है।

ऊपर कहा जा चुका है कि गुण एक स्वतन्त्र पदार्थ है। गुण के स्वतन्त्र पदार्थ होने का कारण यह है कि गुण का जो लक्षण बतलाया गया है वह लक्षण किसी अन्य में घटित नहीं होता। इसके अतिरिक्त गुण में स्वतन्त्र गणत्व जाति रहती है। गणत्व जाति वाला होने से गण एक स्वतन्त्र पदार्थ है। जैसे द्रव्य में द्रव्यत्व जाति और कर्म में कर्मत्व जाति होती है उसी भाँति गुण में भी गुणत्व जाति होती है। गुणत्व जाति के बिना कोई पदार्थ गुण नहीं कहला सकता।

एक अन्य आचार्य ने गुण का लक्षण भिन्न प्रकार से किया है। उनके मतानुसार विश्वलक्षणा गुण। अर्थात् जिनका लक्षण विश्व रूप में ही। विश्व की भाँति फैले हुए विकीर्ण या भिन्न लक्षण वृत्ति वाले पदार्थ को गुण कहते हैं। आचार्य भदन्त नासाजुन के मतानुसार ससार में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण विद्यमान रहते हैं। उन सब को एक श्रेणी में या एक लक्षण में बाँध कर रखना सम्भव नहीं है। भिन्न भिन्न बुद्ध होने के कारण उनका लक्षण भी भिन्न भिन्न ही होगा। जैसे क्षीर-उष्ण आदि गुण स्पर्शनिन्द्रिय द्वारा ग्राह्य हैं स्निग्ध और रूक्ष गुण श्क्षुर्ग्राह्य और स्पर्शनिन्द्रिय द्वारा ग्राह्य हैं। इस प्रकार समस्त गुण भिन्न भिन्न लक्षण वाले होने से उनका एक ऐसा लक्षण नहीं बन सकता जिसमें सब गुणों का अन्तर्भाव होता है। अतः गुण विश्व लक्षण अर्थात् भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं। इसी कारण से उनका एतद्विध लक्षण किया गया है।

गुण—लक्षण का विमर्श करने के उपरांत निष्कर्ष यह निकलता है कि जिसमें भिन्न वर्तते पाई जायें वह गुण कहलाता है —

१—द्रव्याश्रयी (द्रव्य के आश्रित) हो।

२—निरूपण (गुण से रहित) हो।

- ३—निष्कर्म (कर्म से रहित) हो ।
 - ४—स्वयं कर्म रूप न हो ।
 - ५—कार्य के प्रति असमवायि कारण अथवा स्वसमान गुणान्तर की उत्पत्ति करने वाला हो । संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं हो ।
 - ६—गुणत्व जाति वाला हो ।
१. उपयुक्त छ लक्षणों वाला गुण होता है ।

गण सख्या

आयुर्वेद में गुणों की संख्या इकतालीस स्वीकार की गई है । किंतु वैशेषिक मतानुसार केवल चौबीस गुण ही माने गए हैं । आयुर्वेद में जो ४१ गुण माने गये हैं उनको चार श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है । यथा वशषिक गुण सामान्य गण तथा आध्यात्मिक या आत्म गण । पुनः सामान्य गुण दो प्रकार के होते हैं—कमण्य सामान्य गुण (ये शारीर गुण भी कहलाते हैं) तथा परादि सामान्य गुण । इनमें वशषिक गण पाच कमण्य सामान्य गुण बीस आध्यात्मिक या आत्म गुण छह तथा परादि सामान्य गुण दस इस प्रकार कुल इकतालीस गुण होते हैं ।

कुछ आचार्यों ने गुणा की संख्या छियालीस मानी है । वे उपयुक्त ४१ गुणों के अतिरिक्त ५ अन्य गुणों को और मानते हैं । इसमें से तीन महागुण होते हैं और दो निमित्त गण होते हैं ।

आयुर्वेदोक्त ४१ गुण निम्न प्रकार हैं—

सार्था गुर्वादिषो बुद्धि प्रयत्नान्ता परादय ।

गुणा प्रोक्ता ————— ॥ — चरक संहिता सत्र स्थान १।४६

अथ—पाँचों इन्द्रियों के अथ (विषय) अर्थात् शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध इन पाँच को वशषिक गुण कहा गया है । क्योंकि ये प्रत्येक महाभूत के अपने विशेष गुण हैं । एक महाभूत के गुण अन्य महाभूतों में भी उपलब्ध होते हैं । वे भूतान्तरानु प्रवेश से (अन्य महाभूतों के संयोगवश) आते हैं । गरु-लघु शीत-उष्ण स्निग्ध रूक्ष मद-तीक्ष्ण स्थिर-सर मुहु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्ष्ण-खर स्यूल-सूक्ष्म सान्द्र द्रव ये २ गुण कमण्य सामान्य गुण कहलाते हैं । आचार्य श्री गंगाधर जी ने इन्हें शारीर गुण की संज्ञा दी है । शरीर में इन गणों के आधार पर ही कम होता है अर्थात् शरीर में द्रव्य का प्रयोग करने के पश्चात् सूक्ष्म से सूक्ष्म जितनी भी क्रियाएँ होती हैं व सब इन गणों पर ही आधारित रहती हैं अतः इहे कमण्य गुण कहा जाता है । ये गुण सामान्यतया पृथिव्यादि महाभूतों में वतमान रहते हैं अतः इहे सामान्य गुण भी कहा जाता है । शरीर के लिए विशेषतः इन्हीं गुणों की उपयोगिता होने से इहे शारीर गुण भी कहा जाता है । बुद्धि (ज्ञान) जिसके अन्तर्गत स्मृति चेतना

धृति अहंकार आदि आत्मा के गुणों का भी समावेश है अर्थात् बुद्धि शब्द से स्मृति आदि इन गुणों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए इच्छा द्वेष सुख दुःख और प्रयत्न ये छह आत्मा के विशेष गुण हीने से आध्यात्मिक या आम गुण' कहलाते हैं। परत्वादि दस गुण भी सामान्य गुण ही कहलाते हैं। इन्हें साधारण गुण भी कहा जाता है। ये गुण मुख्यतः द्रव्य के आभ्यन्तरिक न होकर बाह्य होते हैं। अतः इनकी साधारण संज्ञा है। परत्वादि दस गुण निम्न हैं—परत्व अपरत्व युक्ति सख्या सयोग विभाग पद्यक्त्व परिमाण सस्कार और अभ्यास। इस प्रकार कुल ४१ गुण होते हैं। इन ४१ गुणों में से गुर्वादि द्रवान्त २ गुणों का उपयोग आयुर्वेद में मुख्य रूप से होता है।

अथ आचार्यों ने इन ४१ गुणों के अतिरिक्त पांच और भी गुणों को माना है जिससे गणों की कुल संख्या ४६ हो जाती है। अतिरिक्त ५ गुणों में सत्व रज और तम ये तीन महागुण होते हैं जैसा कि बार्भट ने बतलाया है—

सत्वरजस्तमश्चेति त्रयो प्रोक्ताः महा गुणाः । —अष्टांग सग्रह सूत्रस्थान १

इनके अतिरिक्त धम और अधम ये दो गुण और होते हैं जो तियञ्च मानुष और देवयोनि में आत्मा के परिभ्रमण में निमित्त बनते हैं। अतः ये निमित्त गुण कहलाते हैं।

आयुर्वेद में इन पांचों गुणों की विशेष उपयोगिता नहीं होने से गुण गणना में इनका परिगणन नहीं किया गया।

वैशेषिक मतानुसार गुणों की संख्या २४ मानी गई है। उन्होंने अन्य गुणों का समावेश इन्हीं २४ गुणों में कर लिया है। वैशेषिक मत समस्त २४ गुण निम्न लिखित होते हैं—रूप रस गन्ध स्पृश संख्या परिमाण पृथक्त्व सयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न द्रवत्व गुस्त्व स्नेह, सस्कार धम अधर्म और शब्द। यहाँ यह स्मरणীয় है कि कारिकावलि में धर्म और अधर्म गुण के लिए अदृष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः अदृष्ट शब्द से धर्म और अधर्म दोनों ही गुणों का ग्रहण कर लेना चाहिये। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिये कि इन चतुर्विंशति गुणों का उल्लेख वैशेषिक दर्शन के मतानुसार किया गया है। अर्थात् वैशेषिक दर्शन के मतानुयायी केवल २४ गुणों को ही मानते हैं किन्तु इसके पहले गुण संख्या प्रकरण के प्रारम्भ में गुणों का जो धर्मी विभाजन किया गया है और उसमें किन्तु पांच वैशेषिक गुणों का निर्देश किया गया है वे इन गुणों से भिन्न हैं। अर्थात् पांच महाभूतों के विशेष गुण हीने से उन्हें वैशेषिक गुण की संज्ञा दी गई है।

वैशेषिक गुण

इनकी संख्या पाच होती है। ये पाच गुण पाचों महाभूतों के होते हैं। प्रत्येक महाभूत का पृथक् पृथक् विशेष गुण होता है। अतः इन्हें वैशेषिक गुण कहा जाता है। यथा—

महाभूतानि च वायुरग्निराप क्षितिस्तथ ।

शब्द स्पशश्च रूप च रसो गन्धश्च तद्गुणा ॥

— चरक संहिता शारीरस्थान १।२७

अर्था शब्दावधौ ज्ञेया गोचरा विषया गुणा ।

— चरक संहिता शारीरस्थान १।३१

पञ्चेन्द्रियार्थाः—शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः ।

— चरक संहिता सूत्रस्थान १३१

पाँच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होते हैं। इनके विशेष गुण क्रमशः शब्द स्पश रूप रस और गन्ध होते हैं। अर्थात् आकाश महाभूत का विशेष गुण शब्द वायु महाभूत का विशेष गुण स्पर्श अग्नि महाभूत का विशेष गुण रूप जल महाभूत का विशेष गुण रस और पृथ्वी महाभूत का विशेष गुण गन्ध होता है। इन विशेष गुणों का ग्रहण एक एक ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा होता है। अतः ये इंद्रियाथवा इंद्रियों के विषय भी कहलाते हैं। जिस ज्ञानेन्द्रिय में जिस महाभूत की अधिकता होती है वह ज्ञानेन्द्रिय उसी महाभूत के विशेष गुण का ग्रहण करती है। जैसे आकाशीय होने से श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा केवल शब्द गुण का ग्रहण होता है वायव्य होने से स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा केवल स्पर्श गुण का ग्रहण होता है आग्नेय होने से चक्षु के द्वारा केवल रूप गुण का ग्रहण होता है जलीय होने से रसनेन्द्रिय के द्वारा केवल रस गुण का ग्रहण होता है और पार्थिव होने से घ्राणनेन्द्रिय के द्वारा केवल गन्ध गुण का ग्रहण होता है। इस प्रकार महाभूतों के विशेष गुण का ग्रहण या ज्ञान नियत इंद्रियों के द्वारा होता है। इन्हें अर्थ विषय ज्ञेय और गोचर सज्ञा के द्वारा भी व्यवहृत किया जाता है।

इन पाँचों वैशेषिक गुणों का स्वतंत्र उल्लेख वैशेषिक दशनोक्त चतुर्विंशति गुणों में भी किया गया है। अर्थात् इनकी स्वतंत्र सत्ता होने से किसी अन्य गुण में इनका या इनमें से किसी एक का भी अन्तर्भाव नहीं किया गया है।

कर्मण्य सामान्य गुण

आयुर्वेद में इन गुणों की विशेष उपयोगिता है। उन्हें कर्मण्य गुण कहने का कारण यह है कि शरीर में जब किसी द्रव्य का प्रयोग किया जाता है तो उसके द्वारा शरीर में किसी न किसी प्रकार का कर्म अवश्य होता है। वह कर्म पूणतः गुण पर आधारित रहता है। अर्थात् द्रव्य में जिस प्रकार का गुण होता है उसी प्रकार के कर्म का सम्पादन होता है। यथा स्निग्ध द्रव्य क्षुत्तादि के प्रयोग से उसके स्नेह गुण के कारण शरीर में स्नेहन कर्म होता है। इसी धाति अन्य गुणों के विज्ञान में भी सप्तसप्तत्रिंशत् चर्मण्य ।

इन कर्मण्य गुणों को 'शरीर गुण' की श्रेणी में भी रखा है। अतः कविराज गणाधर जी का मत है।

इन गुणों की संख्या २ होती है। यथा—

गुर्वादिग्रस्तुगुरु लघुशीतोष्णस्निग्धरुक्षमन्दतीक्ष्णस्थिरसरमृदुकठिनविभ्रमपिच्छल-
क्षलक्षरस्थूलसूक्ष्मसान्द्रद्रव्या विवसति । एते च सामान्यगुणा पृथिव्यादीनां क्षय-
रथावसतः ।

—चक्रपाणि

अर्थात् गुरु लघु शीत-उष्ण स्निग्ध रुक्ष मन्द-तीक्ष्ण स्थिर-सर मृदु-कठिन विशद पिच्छल क्षलक्षर स्थूल-सूक्ष्म सान्द्र-द्रव्य ये बीस गुण होते हैं। पृथ्वी आदि म ये सामान्यत रहते हैं अतः इन्हें सामान्य गुण कहा जाता है। इन गुणों के आधार पर ही शरीर में क्रिया होती है। अतः ये कर्मण्य सामान्य गुण कहलाते हैं।

रस वैशेषिक सूत्र में आचार्य भदन्त नागाजु न ने कर्मण्य गुणों की संख्या केवल दस बतलाई है। यथा— शीतोष्ण स्निग्ध रुक्ष विभ्रद पिच्छल-गुरु-मृदु-तीक्ष्ण गुणा कर्मण्यः । बतलाया गया है कि चिकित्सा कर्म में इन गुणों की विशेष उपयोगिता होने के कारण इन्हे कर्मण्य गुण कहा गया है। किन्तु अथ दस गुण जिनका परिगणन यहाँ नहीं किया गया है चिकित्सा कर्म में उपयोगी होते हैं। अतः उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। आयुर्वेद में कर्मण्य गुण २ ही माने गए हैं। जैसा कि चक्र-पाणि दत्त के उपयुक्त वचन से एव अष्टाग हृदय के निम्न वचन से स्पष्ट है—

गुरु-मन्द हम स्निग्ध-क्षलक्ष-सान्द्र-मृदु स्थिरा ।

गुणा समकर्मविशदा विवसति सविपर्यया ॥ —अष्टाग हृदय सूत्रस्थ न

ऊपर जिन गुरु आदि बीस गुणों का उल्लेख किया गया है चिकित्सा कर्म में इन गुणों की ही अधिक उपयोगिता है। यद्यपि गुरु आदि शब्द का व्यवहार सामान्यतः द्रव्यों के विशेषण के रूप में किया जाता है। जैसे अमुक द्रव्य गुरु है अमुक द्रव्य लघु है आदि। किन्तु गुणों के प्रसंग में इन्हे भाव वाचक समझना चाहिए। अर्थात् गुरु शब्द से गहृता या गौरव लघु से लघुता या लाघव स्निग्ध से स्निग्धता आदि का ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि आचार्य चक्रपाणि दत्त का अभिमत है—

रुक्षाद्यो भावप्रधाना तेन रूपात्वाद्यो गुणा भवन्त्याः ।

विभिन्न द्रव्यों में रुक्षत्व आदि जो गुण होते हैं उन्हीं के आधार पर शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। उन क्रियाओं को देखकर ही गुण के विषय में अनुमान लगाया जाता है कि अमुक गुण के कारण शरीर में अमुक प्रकार की क्रिया हुई। अतः गुण के अस्तित्व का अनुमान संज्ञानित कर्म के आधार पर होने का प्रमाण शास्त्रों में भी उपलब्ध होता है। जैसा कि सुब्रत के निम्न वचन से स्पष्ट है—

कर्मत्रिस्त्वनुभूयन्ते नानाद्रव्याभ्या य गुणा ।

—सधृत संहिता सूत्रस्थान ४६/११४

इसका अभिप्राय यह है कि सामान्य व्यवहार में जिन द्रव्यों को गुरु (भारी) लघु (हल्का) स्निग्ध (चिकना) आदि कहा जाता है आयुर्वेदीय द्रव्य गुण शास्त्र के अनुसार उनको गुरु लघु आदि नहीं माना गया है किन्तु द्रव्यों के सेवन के पश्चात् शरीर में जाकर ये गण गौरव (गुरुता) लाघव (लघुता) आदि भावों को उत्पन्न करते हैं। अतः इस आधार पर इनमें गुरु लघु आदि का अनुमान किया जाता है।

गुरु-लघु आदि गण द्रव्यों में कभी स्वाभावतः ही होते हैं। यथा माष (उड़द) में जो गुरुता होती है वह स्वभाव सिद्ध है। ऐसे द्रव्यों को प्रकृति-गुरु कहते हैं। ये गुण कभी सस्कार वश भी द्रव्य में समुत्पन्न हो जाते हैं—अर्थात् द्रव्यों को सेवन योग्य बनाने के लिए त्रिपाक आदि प्रक्रियाएँ की जाती हैं उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप गुणों की उत्पत्ति या न्यूनाधिकता होती रहती है। सस्कार प्रायः गुणान्तराधान के लिए ही किया जाता है। कहा भी है—सकारो हि गुणान्तराधानमच्यते। जैसे अत्यधिक पाक करने से दूध गुरु हो जाता है खील के रूप में चावल हल्का और वमनहर हो जाता है। कभी कभी ये गुण मात्रा की न्यूनाधिकता से भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे लघु गुणवाली वस्तु भी यदि अधिक मात्रा में सेवन की जाय तो गुरु हो जाती है और गुरु वस्तु भी मात्रावत सेवन करने से लघु सिद्ध होती है।

आध्यात्मिक गण

इनकी संख्या ६ होती है। यथा—बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। आत्मा में इन गुणों की विशेष सक्ति होने के कारण ये अध्यात्मिक गुण कहलाते हैं। इहे आमगण भी कहा जाता है। यद्यपि स्मृति चेतना धृति अहंकार आदि गुण भी आत्मा के ही हाते हैं किन्तु ये बुद्धि की ही अवस्था विशेष होने के कारण इनका समावेश बुद्धि के अन्तर्गत ही कर लिया गया है। प्रकरणांतर से आत्मा के निम्नलिखित गुण भी बतलाए गए हैं—

इच्छा द्वेष सुख दुःख प्रयत्नश्चेतना धृति ।

बुद्धि स्मृत्यहंकारो लिंगानि परमात्मनः ॥

—अरक संहिता शारीर स्थान १/७१

अर्थात् इच्छा द्वेष सुख दुःख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति और अहंकार ये आत्मा के लक्षण (गुण) हैं।

आचार्य शिवदास सेन ने धृति चेतना स्मृति और अहंकार को बुद्धि के अन्तर्गत ही समाविष्ट कर लिया है। यथा— बुद्धि ज्ञानम अनेन च स्मृति-चेतना धृत्यहंकारादीनां बुद्धिर्बिषोयायां ग्रहणम् । अर्थात् अध्यात्म गुण सप्तह में जिन छह गुणों का

परिगणन किया गया है उनमें बुद्धि शब्द से स्मृति चेतना धृति और अहंकार का भी ग्रहण कर लेना चाहिये । क्योंकि ये चारो गुण बुद्धि विशेष होने से इनका स्वतन्त्र परिगणन नहीं किया गया है ।

परादि सामान्य गुण

पर गुण है आदि में जिसके ऐसे परादि गुण हैं । इहे सामान्य गुण भी कहा जाता है । पूर्वोक्त कमप्य सामान्य गुणों से सबधा भिन्न होने के कारण इन परादि गुणों का स्वतन्त्र पाठ किया गया है । इसके अतिरिक्त गुर्वादि २ गुणों की अपेक्षा आयुवद में इनकी सख्या दस होती है । ये दस गुण निम्नलिखित हैं—

परापरत्वे युक्तिश्च सख्या संयोग एव च ।

विभागश्च पृथक्त्व परिमाणमथापि वा ॥

संस्कारोऽभ्यास इत्येते गुणा प्रोक्ता परादयः ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान २६/४७-४८

परव अपरव युक्ति सख्या संयोग विभाग पृथक्त्व परिमाण संस्कार और अभ्यास ये परादि सामान्य गुण कहलाते हैं ।

ये परादि दस गुण गुर्वादि गुणों की भाँति द्रव्यों के अन्त स्थित नहीं होते इनका प्रयोग बहिरंग के रूप में होता है । अतः ये साधारण गुण होते हैं और साधारण होने से इहे सामान्य गुण कहा जाता है । इन गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से चिकित्सा काय में सुविधा होती है अतः आयुवद में इन गुणों का वर्णन किया गया है ।

गुणों का परिचय

आयुर्वेद में गुणों की कुल सख्या ४१ बतलाई गई है । यहाँ उन्हीं गुणों का विस्तृत परिचय दिया जा रहा है ।

वर्षाधिक गुण

सख्या में ये गुण ५ होते हैं । यथा शब्द स्पृश रूप रस और गन्ध । इन गुणों का सामूहिक परिचय इसी गुण प्रकरण में पहले दिया जा चुका है । यहाँ उनका एकैकश विस्तृत वर्णन किया जा कहा है ।

शब्द

“अत्र निम्नप्राप्तो गुणः शब्दः ।

अत्रैवप्राप्तो गुणः शब्दो ध्वनिर्वर्ण इति हि धा ।

‘कार्यकारणोपबन्धविरोधी सयोगविभाग शब्दश्च प्रवेशवृत्तिः सजानासथान्वा
जातीय करण ।

आकाशादि संघर्षतिराकाशास्य गुणो अतः ॥

‘शब्दोऽम्बरमुक्त्वा श्रोत्रप्राह्य क्षणिकः ।

—प्रशस्तापाद्य

श्रोत्रोपलब्धिमु द्विनिप्राह्य प्रयोगणाभिचलति आकाशदेशः शब्दः ।

—महाभाष्य

जिस गुण का ग्रहण श्रोत्र द्विद्रय के द्वारा होता है वह शब्द कहलाता है । यह शब्द आकाश महाभूत का विशेष गुण है । श्रोत्रेन्द्रिय आकाश महाभूत प्रधान होती है अतः वह केवल शब्द का ही ग्रहण करती है अन्य का नहीं । इसी भाँति शब्द का ज्ञान भी अन्य किसी इन्द्रिय के द्वारा नहीं होता । क्योंकि अन्य इन्द्रियो में आकाश महाभूत की प्रधानता नहीं होती । यह शब्द क्षणिक होता है । काय-कारणदोनों का विरोधी है । यह सयोग और विभाग तथा शब्द से उत्पन्न होने वाला है एक देश में रहने वाला अर्थात् अव्याप्त वृत्ति वाला होता है । भूतान्तरानुप्रवेश होने के कारण यह पाचों महाभूतों में सामान्यतः पाया जाता है ।

महाभाष्य के अनुसार शब्द उसे कहते हैं जो कान से सुना जाय बुद्धि जिसका भली भाँति ग्रहण करे वाणी के द्वारा बोलने से (प्रयोग करने) से जो जाना जाय तथा आकाश जिसका स्थान हो ।

उत्पत्ति और भेद

संयोगाद्भिन्नाकारश्च शब्दनिवृत्तिः ।

तत्र वर्णलक्षणस्योत्पत्तिः—आत्ममनस सयोगात् स्मृत्यपेक्षाद्वर्णोच्चारणेच्छा तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणत्वात्सयोगाद्वायौ कर्म जायते स जोर्ध्वं गच्छन् कण्ठा दीनमभिहन्ति ततः स्थानवायसयोगापेक्षमाणात् स्थानाकाशसयोगात् वर्णोत्पत्तिः ।

अवणलक्षणोऽपि भेरीदण्डसयोगापेक्षात् भेरीकाशसयोगाद्बुत्पद्यते । वणुपव विभागात् वण्वाकाशविभागाच्च शब्दाच्च सयोगविभागनिवृत्त्यात् बीबिसन्तानवच्छिन्नसन्तान इत्येव सन्तानेन श्रोत्रप्रदेशमागतस्य ग्रहण नास्ति परिशेषात् सन्तानसिद्धिरिति ।

—प्रशस्तापाद्य

अर्थात् सयोग विभाग और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है । भेरी दण्ड आदि के सयोग वेणु-मर्द (बास की गाँठ) का विभाग तथा बीचीतरंग न्याय के द्वारा शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है । इनमें वर्ण लक्षणात्मक (अकरादि तथा कवर्गादि) शब्द की उत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है—आत्मा और मन के सयोग से स्मृति की अपेक्षा पूर्वक वण के उच्चारण की इच्छा होती है । तत्पश्चात् प्रयत्न आरम्भ होता है । इस प्रयत्न की अपेक्षा से आत्मा और वायु का सयोग होने से वायु में कर्म की उत्पत्ति होती

है तब वायु ऊपर की ओर जाता हुआ कण्ठ (स्वरमण्डल) आदि प्रदेश को अग्रहत करता है, जिसके फलस्वरूप स्थानीय वायु के सञ्चोप से वर्णोत्पत्ति होती है।

व्यंज अवर्ण (ध्वनि) लक्षणमात्मक शब्द भेरी (वर्णमय) और वण्ड के संयोग से तथा भेरी आकाश के संयोग से उत्पन्न होता है। वेणु पत्र के विभाग से तथा वेणु आकाश के विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है। एतद्विध संयोग तथा विभाज्य से समुत्पन्न हुआ शब्द बीचोतरम न्याय से श्रात्रन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्योंकि शब्द स्वयं श्रोत्र प्रदेश में नहीं जाता और न श्रोत्र ही शब्द के पास आता है अपितु बीचोतरम न्याय से श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। जिस प्रकार एक तरंग से दूसरी तरंग की दूसरी से तीसरी तरंग की तीसरी से चौथी तरंग की अर्थात् एक तरंग से उत्तरोत्तर तरंग की उत्पत्ति होती है उसी भाँति आकाश प्रदेश में समुत्पन्न हुए शब्द की क्रमिक तरंगों द्वारा प्रवृत्ति होती है जिससे श्रोत्रन्द्रिय को शब्दज्ञान होता है। यही बीचो तरंग न्याय कहलाता है।

शब्द सामान्यतः दो प्रकार का होता है—वण लक्षणमात्मक और ध्वनि लक्षणमात्मक। इसमें वर्ण लक्षणमात्मक शब्द कवर्ग चवय आदि पाँच वर्णों वाला होता है। ध्वनिलक्षणमात्मक शब्द स्वर प्रधान होता है। इसमें अकारादि स्वरों का समावेश रहता है तथा शब्द मृदग भेरी मोटर आदि के स्वर (वर्ण रहित) शब्द इसके अन्तर्गत जाने जाते हैं। इन्हीं अवण लक्षणमात्मक शब्द भी कहा जाता है।


वर्णामक शब्द पुनः दो प्रकार के होते हैं—साथक और निरर्थक। साथक शब्द राम नदी वृक्ष पर्वत वाराणसी आदि सज्ञा रूप में तथा अस्ति भवति पचति गच्छति आदि क्रिया रूप में होता है। ये शब्द अथ विशेष का ज्ञान कराते हैं। अतः अथयुक्त होने से साथक कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनसे किसी अथ विशेष का बोध नहीं होता या जो अर्थात् रहित होते हैं। जैसे दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले खाना खाना नाथ वाय रोटी ओटी आदि। इनमें खाना वाद्य ओटी आदि ऐसे शब्द हैं जो अथ शून्य है अर्थात् उन शब्दों से किसी अर्थ विशेष का बोध नहीं होता। व्याकरण के नियम के अनुसार निरर्थक शब्द पद नहीं बन सकते और उनके समूह से न वाक्य रचना ही सम्भव है।

साथक शब्द पुनः दो प्रकार के होते हैं—मिथ्या और यथार्थ। मिथ्या शब्द झूठापूर्ण, अज्ञान युक्त असत्य भावधर आडम्बर पूष मिथ्या ज्ञान युक्त, निरक्षर धन तथ्य हीन तथा अशक्ति युक्त होते हैं। ऐसे शब्द मनुष्यों का सही मार्ग ज्ञान एक सम्बन्ध ज्ञानोपलब्धि कराने से असमर्थ रहते हैं, अतः उन्हें प्रमाण स्वरूप नहीं माना जाता।

इसके विपरीत यथार्थ शब्द प्रमाण की कोटि में लिये जाते हैं। यथाय शब्दों में ही सम्यक ज्ञान की निधि का सचय रहता है। निर्मल ज्ञान से युक्त आप्त पुरुषों द्वारा जिन वचनों या शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे ही यथाय शब्द कहलाते हैं।

आप्त वाक्य प्रमाणम् के अनुसार आप्त पुरुष जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वे वाक्य शब्द समूह से निर्मित होते हैं वे शब्द यथाय होते हैं अतः वे प्रमाण स्वरूप होते हैं। उन यथार्थ शब्दों से जो ज्ञान समुत्पन्न होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है और वही सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है।

इस प्रकार शब्द के उपयुक्त भेद होते हैं। शब्द के उपयुक्त भेदों को निम्न तालिका के द्वारा सरलता पूर्वक ससम्प्राप्त जा सकता है—



स्पश निरूपण

स्पशस्त्वग्निद्रियप्रसङ्ग वायोर्वैशेषिको गुणः ।

अनृणशीतशीतोष्णकाठिन्यादिप्रभेदवान् ॥

स्पशस्त्वग्निद्रियप्रसङ्ग कित्यदकञ्जलनपवनवृत्ति त्वग् सहकारी रूपानुविधायी
शीतोष्णानृणशीतभेदात् त्रिविधः ।

—प्रसस्तस्पाद्य

‘त्वग्निद्रियप्रसङ्गो गुणः स्पर्शः ।

अर्थात् केवल स्पशनेन्द्रिय (त्वचा) के द्वारा जिस गुण का ज्ञान होता है वह स्पर्श कहलाता है। यह स्पश वायु महाभूत का विशेष गुण होता है। त्वग्निद्रिय में वायु महाभूत की प्रधानता रहती है। अतः उसके द्वारा केवल स्पश का ही ग्रहण होता है अन्य गुण का नहीं। इसी भाँति स्पर्श गुण का ज्ञान केवल त्वग्निद्रिय के द्वारा होता है अन्य इन्द्रियक द्वारा नहीं। सामान्यतः स्पश गुण वायु अग्नि जल और पृथ्वी में होता है अन्य में नहीं। यह बोधगम्य एव रूपानुविधायी होता है।

स्पर्श गुण के उपर्युक्त लक्षण में त्वचा मात्र ही न कह कर यदि ऐसा कहा जाय कि त्वचा के द्वारा जिस गुण का ज्ञान होता है वह स्पर्श कहलाता है तो त्वचा और संयोग गुण का भी त्वचा एवं नेत्र के द्वारा ग्रहण होता है इससे संख्या और संयोग में भी स्पष्ट का लक्षण अतिव्याप्त हो जाता है। अतः संख्या एवं संयोग गुण में अति व्याप्ति वारणाथ 'मात्र' शब्द का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार यदि गुण वद का प्रयोग नहीं किया जाता तो त्वचा मात्र द्वारा स्पष्टत्व जाति में अतिव्याप्ति होती है अतः उसके वारणाथ गुण पद का तथा रूपादि गुणों में अतिव्याप्ति के वारणाथ 'त्वग्निन्द्रियामत्रप्राह्य' पद का सन्निवेश किया गया।

स्पष्ट तीन प्रकार का होता है—उष्ण शीत और अनुष्णशीत। अग्नि में उष्ण स्पष्ट जल में शीत स्पष्ट और पृथ्वी तथा वायु में अनुष्णशीत स्पष्ट रहता है। इस प्रकार पृथ्वी जल तेज और वायु त्रिविध रूप स्पर्श के आधार हैं।

रूप निरूपण

चक्ष मात्रप्राह्यो गुणो रूपम्

—तर्क सग्रह

तत्र रूपं चक्षुःप्राह्यम् । पृथिव्यवकाज्ज्वलनवृत्तिं द्रव्याद्यप्यलम्भकं नयनसहकारिं शुक्लाद्यनेकप्रकारं सलिलादिपरमाणुषु नित्यं पार्थिवपरमाणुज्वलितयोगविरोधिं सवकायद्रव्येषु कारणगुणपूर्वकमाश्रयविनाशादेव विनश्यति ।

—प्रशस्तप

रूपं चक्ष मात्रप्राह्यं तेजसस्तु गुणं स्मृतम् ।

तच्छ सप्तविधं नील पीतं रक्तवादि भेदतः ॥

अथ—जिस गुण का ग्रहण केवल चक्ष इन्द्रिय के द्वारा होता है वह रूप कहलाता है। यह रूप अग्नि महाभूत का विशेष गुण होता है। चक्ष इन्द्रिय अग्निमहाभूत प्रधान होती है अतः चक्षु के द्वारा केवल अग्नि के विशेष गुण रूप का ही ग्रहण होता है अन्य विषयों का नहीं।

यह रूप गुण पृथ्वी उदक और अग्नि में रहता है। यह द्रव्य आदि का उपलम्भक है अर्थात् जिस द्रव्य में रूप गुण रहता है उस द्रव्यगत गुण कर्म और सामान्य (जाति) का अबोध कराता है। यह नयन सहकारी है अर्थात् नेत्र की सहायता से इनका ज्ञान होता है। यह शकल आदि अनेक प्रकार का होता है। जल आदि (जल और तेज) के परमाणुओं में यह नित्य रूप रहता है। (कार्यभूत जल और तेज में अनिय रूप होता है। पृथ्वी के परमाणु तथा महापृथ्वी में भी अनित्य और पाकज रूप होता है।) पृथ्वी के परमाणुओं में अग्नि संयोग का विरोधी है। सभी काय द्रव्यों में कारण गुण के अनुसार रहता है। आश्रय के विनाश से इसका भी विनाश हो जाता है।

अपर रूप वह जो लक्षण किञ्चन स्यात् हैं उसमें अत्रि शब्द का सन्निवेश नहीं किञ्चन आता तो लक्षणा शब्दों आदि गुणों का ग्रहण चक्षु एक स्वकिञ्चिन्मय से भी होता है। इससे रूप का लक्षण अतिव्याप्ति दोष युक्त हो जाता। इह शब्द के निवारण के लिए ही मात्र पद का प्रयोग किया गया। लक्षणा शब्दों आदि गुण चक्षुर्मन्त्र ग्राह्य नहीं हैं। मात्र पद के प्रयोग से केवल चक्ष ही अभिप्रेत होता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होती। उपर्युक्त लक्षण में गुण' पद का सन्निवेश भी महत्वपूर्ण है। चक्षुमात्र के द्वारा केवल रूप गण का ही ग्रहण नहीं होता अपितु रूपस्व जाति का भी ग्रहण होता है। चाक्षुर्मात्रग्राह्यो रूपम्' ऐसा लक्षण करने से यह लक्षण रूपत्व जाति में भी अतिव्याप्त हो जाता है। अतः इस अतिव्याप्ति दोष के निवारण के लिए गुणपद का सन्निवेश किया गया यदि केवल गुणो रूपस इतना ही लक्षण किया जाय तो अन्य रसादिगणों में भी अतिव्याप्ति हो जाती है। इसके निवारण के लिए चक्षुर्मात्रग्राह्य पद का सन्निवेश किया गया। इस प्रकार चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपस यह रूप का एक निदुष्ट लक्षण बना।

यह रूप सात प्रकार का होता है। यथा—नील पीत रक्त हरित कपिश शुक्ल और चित्र। इन सातों ही प्रकार के रूप का आश्रय पृथ्वी जल और तेज है। पृथ्वी में सातों प्रकार का रूप रहता है। तेज का रूप भास्वर शुक्ल होता है। भास्वर शुक्ल रूप उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश रूप हो और जो अस्तुए उसके सम्पर्क में आवे उनको भी वह प्रकाशित करे। सूर्य विद्युत् दीपक आदि का भास्वर शुक्ल रूप होता है। जो रूप ध्वेत तो होता है किन्तु उसमें चमक नहीं होती उसे अभास्वर शुक्ल रूप कहते हैं। इस प्रकार का रूप जल में पाया जाता है। जल में प्रकाश हीन शुक्ल रूप होता है।

रस निरूपण

रसानामग्राह्यो गणो रस-

—तक सग्रह

रसनार्थो रसस्तस्व प्रव्यनाथ कितिस्तथा ।

निवृत्तो च विज्ञेये च प्रत्ययाः सावयस्त्रय ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान १/६३

रसो रसनग्राह्य । पृथिव्युत्कृष्टत्वि जीवन्मुष्टिजलारोग्यनिमित्त रसना सहकारी मधुराम्ललवणकटु तिक्तकषायभेदभिन्न /अस्यापि नित्याग्निस्वस्वस्मिन्पचत्यो ज्वयत् ।

—प्रशस्त्याय

रसस्तु रसनाग्राह्यो जलस्यैव शुभो सत् ।

अव्यक्तो भूतससर्गात्स च धोढा विभिद्यते ॥

'रस्यते आस्थाद्यते इति रस ।

अथ—रसना इन्द्रिय (जिह्वा) के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है

वह रस कहलाता है। रस-जल महाभूत का मिश्रित गुण होता है। रसना इन्द्रिय जल महाभूत प्रधान होती है अतः वह केवल रस का ग्रहण करती है, अन्य विषयों का नहीं।

जल और पृथ्वी उसके आधार कक्षरण हैं। रस की उत्पत्ति और उसके मधुर आदि भेद में आकाश वायु और तेज ये तीन महाभूत निश्चित कारण होते हैं।

रसना के द्वारा ग्राह्य गुण रस कहलाता है। वह पृथ्वी और जल महाभूत से रहता है। वह जीवन पुष्टि बल और आरोग्य को देने वाला है। रसना की सहायता से उसका ज्ञान होता है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय भेद से वह विभक्त है। वह भी रूप के समान ही नित्य और अनित्य दो प्रकार का होता है।

रस गुण के उपपुक्त लक्षण में गुण पद का सन्निवेश रसत्व जाति में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति के निवारण हेतु किया गया है। क्योंकि रसना के द्वारा रस गुण के अतिरिक्त रसत्व जाति का भी बोध होता है। इससे गुण पद नहीं देने से रस का लक्षण रसत्व जाति में भी अतिव्याप्त हो जाता है। अतः गुण पद दिया गया है। रसना ग्राह्य पद का सन्निवेश रूपादि गुणों में अतिव्याप्ति के वारण के लिए किया गया है। क्योंकि 'रसना ग्राह्य पद नहीं देने से अन्य इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य गुणों में भी यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाता। इसके निवारण के लिए रसना ग्राह्य पद दिया गया है। इस प्रकार रसनाग्राह्यो गुणो रस' यह एक निदुष्ट लक्षण है।

यह रस छ प्रकार का होता है। यथा—

रसा स्वादाम्ललवणा तिपेत्तोषणकषायका ।

षडद्रव्यमाभितास्ते च यथापूर्वं जलाचहा ॥

—अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अ० १

रसास्तावत् षट् मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषाया ।

—चरक संहिता वि भाग स्थान अ० १

मधुर-अम्ल-लवण-कटु तिक्त-कषाय ये छह रस हैं जो द्रव्यों का आश्रय करके रहते हैं। इनमें अन्त से पूर्व-पूर्व रस अधिक बल देने वाला है। जैसे-कषाय से कटु, कटु से तिक्त तिक्त से लवण लवण से अम्ल और अम्ल से मधुर रस विशद बल देने वाला होता है।

उपयुक्त षट् बिन्न रस की अभिव्यक्ति महाभूतों के उत्कर्षाधिकर्ष से होती है। यद्यपि रस का आधार जल और पृथ्वी महाभूत है तथापि मधुरादि भेद विभक्त विशेष रसों की अभिव्यक्ति में आकाश वायु और तेज महाभूत भी सहायक होते हैं। अर्थात् पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता से मधुर रस पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता से अम्ल रस जल और जल महाभूत की अधिकता से लवण रस वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता से कटु रस, वायु और आकाश महाभूत की अधिकता

से तिक्तरस तथा वायु और पृथ्वी महाभूत की अधिकता से कषाय रस की अभिव्यक्ति होती है ।

जल के परमाणु मे निय रस और काय रूप जल मे अनित्य रस रहता है । पृथ्वी मे अनित्य रस ही रहता है ।

गन्ध निरूपण

घ्राणग्राह्यो गुणो गन्ध ।

— तर्क सग्रह

गन्धो घ्राणग्राह्य । पृथ्वीवत्ति घ्राणसहकारी सुरिभिरसुरभिश्च । अस्यापि पूबबहुत्पास्याबयो व्याख्याता ।

— प्रशस्तपाद

घ्राणग्राह्यो गुणो गन्ध क्षितेरेव गुणो भत ।

स चापि द्विविधो ज्ञेय सौरभासौरभत्वत ॥

अथ—घ्राणद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है वह गन्ध कहलाता है । यह गन्ध गण पृथ्वी मे रहता है नासिका की सहायता से इसका बोध हाता है । यह सुरभि और असुरभि भेद से दो प्रकार का होता है । इसकी उत्पत्ति भी पूर्ववत् रस के समान ही है । यह पृथ्वी महाभूत का विशेष गण होता है । घ्राणद्रिय मे पृथ्वी महाभूत की प्रधानता रहती है अतः वह केवल गन्ध गण का ही ग्रहण करती है अथ विषयो का नहीं । इसी भाँति गन्ध गण भी केवल घ्राणद्रिय के द्वाराग्राह्य विषय है अन्य इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं ।

गण के उपयुक्त लक्षण निवचन मे गण पद का प्रयोग लक्षण की गन्धव जाति मे अतिव्याप्ति के निवारण हेतु किया है । अर्थात् घ्राणद्रिय के द्वारा गन्ध गुण के अतिरिक्त गन्धव जाति का भी ग्रहण होता है इससे गन्धत्व जाति मे लक्षण की अति-याप्ति होती है । अतः इस अतिव्याप्ति के निवारण के लिए गुण पद का सन्निवेश किया गया । इसी भाँति रूपदि गणो मे अतिव्याप्ति के निवारण हेतु घ्राणग्राह्य' पद दिया गया है ।

सामान्यतः गन्ध दो प्रकार की होती है सुरभि (सुगन्ध) और असुरभि (दुगन्ध) । पुनः यह दो प्रकार की होती है— उद्भूत (व्यक्त) और अनुद्भूत (अव्यक्त) । मिट्टी लोहा आदि को सूँघने पर सामान्यतः गन्ध की अनुभूति नहीं होती । किन्तु उसे यदि तपा लिया जाय पश्चात् उसे सूँघा जाय तो गन्ध की अनुभूति होने लगती है । अतः लोहा मिट्टी आदि मे स्थित इस प्रकारकी गन्ध अनुद्भूत या अव्यक्त गन्ध कहलाती है । इसके विपरीत पुष्प आदि की जो गन्ध होती है वह दूर से ही बिना प्रयत्न के द्वारा प्रतीत होने लगती है । इस प्रकार की गन्ध उद्भूत या व्यक्त गन्ध कहलाती है ।

गन्ध पृथ्वी महाभूत का विशेष गुण होने के कारण वह केवल पृथ्वी में ही रहता है अन्यत्र नहीं। अतः पृथ्वी महाभूत की उपस्थिति रहने से गन्ध की अनुभूति होती है तथा उसकी उपस्थिति नहीं रहने से गन्ध की अनुभूति नहीं होती। इस प्रकार अन्यत्र व्यतिरेक के द्वारा गन्ध की पृथ्वी में सिद्धि होने से जल अग्नि में गन्ध का जो भान होता है उसे पृथ्वी की ही गन्ध समझना चाहिए। इसी भाँति वायु में प्रतीत होने वाली गन्ध भी पृथ्वी के कारण ही होती है।

कमण्डय सामान्य गुण

गुरु लघु

यद्यपि इन दोनों के पृथक लक्षण होते हैं पुनरपि गुरु और लघु दोनों गुण वैपरीत्य दृष्टि से सापेक्ष्य होते हैं। अतः दोनों का बणन एक साथ किया जा रहा है।

आद्यपतनासमवायिकारण गुरुत्वम् ।

यथाद्यपतने हेतुगुरुत्व तदुदाहृतम् ।

गुरुत्व जलभूम्यो पतनकमकारणम् । अप्रत्यक्ष पतनकर्मानुमेय सयोग-प्रयत्न सस्कारविरोधी । अस्य चावादिपरमाणरूपादिवन्वित्यत्वात्नित्यत्वनिष्पत्तय

— प्रज्ञास्तपाह

सादोपलेपबलकृद् गुरुस्तपज् बृहण ।

— सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान ४६/५१७

गुरुवातहर पण्डित्लेखकचिचरपाकि च ।

— भावप्रकाश

अथ—प्रथम पतन के असमवायिकारणको गुरुत्व कहते हैं। अर्थात् वृक्ष से फल का जो प्रथम पतन होता है उसके असमवायि कारण भूत गुण का नाम 'गुरुत्व' है। जल और भूमि के पतन कम का कारण गुरुत्व है। यह अप्रत्यक्ष गुण है जो पतन कम के द्वारा अनुमान से जाना जाता है। यह सयोग प्रयत्न-सस्कार इन तीनों का विरोधी है। जिस प्रकार जल आदि के परमाणु के रूप नित्य और अनित्य होते हैं उसी प्रकार गुरुत्व भी नित्य और अनित्य होता है। अर्थात् परमाणु रूप में निय और काय रूप में अनित्य (आश्रय के नाश होने से नाश होने वाला) है।

आयुर्वेद के अनुसार गुरु गुण के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ एवं परिणाम होते हैं। गुरु गुण के कारण शरीर में अगमद उपलेप (मसबूढ़ि) तथा बल की वृद्धि होती है। गुरु गुण तर्पक और बृहण करने वाला होता है। जिस गुण के कारण शरीर पुष्ट होता है कफ पुरीषादि मल तथा बल की वृद्धि होती है वायु का क्षय और तृप्ति का अनुभव होता है—द्रव्यों में विद्यमान वह गुण गुरु कहलाता है।

गुरु गुण से विपरीत लघु गुण होता है। गुरु और लघु ये दोनों ही परस्पर विपरीत एव सापेक्ष्य गुण होते हैं। लघु गुण शरीर में निम्न क्रियाओं का सम्पादन करता है—

लघुस्तद्विपरीत स्यात्लेखनो रोपणस्तथा

—सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान ४६५/१८

लघु पथ्य पर प्रोषत कफघ्न शीघ्रपाक च — भवप्रकाश

अथात गुरु से विपरीत लघु गुण लेखन (कफ को शिथिल करना) तथा रोपण (घावा को भरना) करने वाला होता है। यह पथ्य होता है कफ का नाश करने वाला तथा शीघ्रपाक (शीघ्र पचने वाला) होता है।

ग द्रव्या में पृथिवी और जल महाभूत की अधिकता रहती है तथा लघु द्रव्य आकाश वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता वाले होते हैं।

शीत—उष्ण

ल्लाहवन स्तम्भन शीतो मूर्च्छातटस्वदवाहजित ।

उष्णस्तद्विपरीत स्यात् पाचनश्च विदापत ॥

—सभ्रत संहिता सूत्रस्थान ४६/५१५

शीत गुणसामायत शीतल क्रिया एव शीत स्पश का द्योतक है। शीत गुण उष्णताभिन्नत व्यक्ति को तपित एव आनन्द देने वाला होता है। शीतगुण के कारण ही शरीर तथा बाह्य जगत की उष्णता का शमन होता है। यह आल्हाद अर्थात् प्रसन्नता कारक तथा स्तम्भक अर्थात् वमन अतिसार श्वेतस्राव आदि बहून्शील (बहने वाले) भावों को रोकता है अथवा उनकी गति को मंद कर देता है किंवा शरीर में संचार करने वाले (गतिशील) द्रव पदार्थों की गति को मंद कर देता है। इसके अतिरिक्त जो मूर्च्छा पिपासा स्वेद और दाह का शमन करता है द्रव्य से स्थित उस गुण को शीत कहते हैं।

शीत गुणवाले द्रव्यों में जल महाभूत की प्रधानता होती है और गौण रूप से पृथ्वी और वायु महाभूत विद्यमान रहते हैं। यह स्पश में शरीर के बाह्य भाग को ठण्डा करता है। अन्तिम परिणति भी शीत ही होने से इसके सेवन के अनन्तर शरीर के अंदर भी शीतलता का संचार करता है।

इसके अतिरिक्त जो गुण शीत के नितान्त विपरीत होता है कष्टकारक स्वेद मूर्च्छा पिपासा और दाह को उत्पन्न करने वाला वमन आदि क्रियाओं को उत्पन्न

करने अथवा बढ़ाने वाला होता है वह उष्ण कहलाता है। उष्ण गुण खाने करने वाले अर्थात् खाए हुए अन्नपान को पका कर रस रूप में और रस को रक्ताङ्गि रूप में परिणत करने वाला पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला तथा आम (अपक्व) वृणों का पाक करने वाला होता है।

उष्ण गुणवाले द्रव्यों में अग्नि महाभूत की अधिकता होती है।

स्निग्ध रूक्ष

स्नेहमार्दवकृत् स्निग्धो बलवर्षकरस्तथा ।

रूक्षस्तद्विपरीत स्याद् विशेषात् स्तम्भन क्षर ॥

—सुश्रुत संहिता सत्रस्थान ४६।५।१६

स्निग्ध वातहर श्लेष्मकारि वृष्य बलावहम् ।

रूक्ष समीरणकर पर कफहर मतम् ॥

—भाव प्रकाश पूर्वखण्ड

स्नेहोऽप्य विश्वगुण । सग्रहमुजाविहेतु । अस्यापि गुरुत्वबन्धित्यानिःश्वब
निष्पत्तय ।

—प्रवृत्तापार

जिस गुण के कारण द्रव्य शरीर में स्निग्धता मृदुता बल और वृण (कान्ति) की वृद्धि करता है जिस गुण से शरीर में वृष्यता होती है वायु का शमन और कफ का पोषण (वृद्धि) होता है तथा बल की वृद्धि होती है वह स्निग्ध गुण कहलाता है।

स्निग्ध गुण वाले द्रव्यों में जल महाभूत की अधिकता रहती है। स्नेह जल का विशेष गुण है। पिण्डीभाव के हेतु (कारण) का नाम स्नेह है तथा वस्तु में मृदुता आदि भी स्नेह के कारण ही होती है। स्नेह भी गुरुत्व के समान नित्य और अनित्य है। सासान्यत लोक भाषा में चिकनापन ही स्नेह कहलाता है। यह स्नेह या चिकनापन ही वस्तुओं के फैले हुए कणों का सम्राहक अथवा पिण्डीभूत करने वाला होता है। घूल (मिट्टी) आटा आदि का पिण्ड जो जल डालकर बनाया जाता है उसको पिण्डी भाव कहते हैं। आटे या मिट्टी का एतद्विध पिण्डीभाव जलगत स्नेह के कारण होता है। आचार्य हेमाद्रि के अनुसार जिस गुण युक्त द्रव्य में शरीर को आग्र करने की शक्ति होती है वह स्निग्ध होता है।

इसके विपरीत रूक्ष गुण होता है। रूक्ष गुण वाले द्रव्य शरीर में रूक्षता कठिनता आदि उत्पन्न करने वाले वायु को बढ़ाने वाले तथा कफ का शमन करने वाले होते हैं। रूक्षगुण वाले द्रव्यों में पृथ्वी और वायु महाभूत की अधिकता होती है।

आचार्य हेमाद्रि के अनुसार त्रिदोषैःपोषण करने की शक्ति होती है उसे रूक्ष कहते

हैं। वैशेषिक दर्शन में स्नेहाभाव को ही रूक्ष माना गया है। अतः पूवक् से उसका कथन नहीं किया है।

मन्द-तीक्ष्ण

मन्दो यात्राकर स्मृत । —सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान ४६/५३२
यात्राकर इति शरीरस्थापित्वाद्देहस्य यात्रावत्तां करोति ।

जिस गण के कारण द्रव्य अपनी समस्त क्रियाय मन्द गति से अल्पता शिथिलता और चिरकाल पूवक करता है वह मन्द कहलाता है। मन्द गुण वाले द्रव्य पृथ्वी महाभूत की अधिकता वाले होते हैं।

आचार्य हेमाद्रि के अनुसार जिसमें शमन करने की शक्ति हो उसे मन्द कहते हैं।

तीक्ष्ण पित्तकर प्रायो लेखन कफवातहृत । —भाव प्रकाश

दाहपाककरस्तीक्ष्ण स्नावणो । —सुश्रुत संहिता सत्रस्थान ४६/५१६

तीक्ष्ण गुण प्रायः पित्त का प्रकोप करने (बढ़ाने) वाला लेखन क्रिया करने वाला तथा कफ व वायु का नाशक होता है। जिस गण के कारण द्रव्य दाह पाक अथवा स्नाव उत्पन्न करता है वह तीक्ष्ण कहलाता है। तीक्ष्ण गण वाले द्रव्य में अग्नि महाभूत की अधिकता रहती है।

आयुर्वेद के आचार्यों में इस गण युग्म (मन्द तीक्ष्ण) के विषय में किंचित विरोधाभास या बमय प्राप्त होता है। मन्द गण के विषय में तो सभी आचार्य एकमत हैं किन्तु तीक्ष्ण गण के विषय में कछ मत भिन्नता है। महर्षि चरक ने मन्द का विरोधी गण तीक्ष्ण माना है जबकि सुश्रुत और भावमिश्र ने मन्द गण का विरोधी गुण आशु या आशुकारी माना है। यद्यपि सुश्रुत ने भी तीक्ष्ण गण का वणन किया है किन्तु वह भिन्न अर्थ वाला है। जसा कि सुश्रुताक्त उपयुक्त तीक्ष्ण गण के लक्षण से स्पष्ट है। व्यवहारिक रूप से तीक्ष्ण शब्द सुश्रुताक्त अर्थ में ही प्रचलित है। सुश्रुत ने तीक्ष्ण का विरोधी गण मद्दु' बतलाया है। चरक ने भी मद्दु गण का उल्लेख किया है किन्तु सुश्रुताक्त अर्थ में नहीं। चरक ने से कठिन विरोधी गुण के रूप में वर्णित किया है। इसके आतिरिक्त यहा यह भी स्मरणीय है कि सुश्रुत ने मन्द विरोधी गुण व्यव्यायी विकासि और आशुकारी माना है। इन तीनों गुणों को आशुकारी गुण के ही अन्तगत मानकर उन्हें आशुकारी का ही भेद मान लिया जाय तो विशति सख्या का निर्वाह हो जाता है और सुश्रुत ने गणों की सख्या अनेक स्थलों पर बीस लिख कर भी जो बाइस गुणों के नाम और लक्षणों का निदर्शन किया है उसका भी समुचित समाधान हो जाता है। सुश्रुत ने व्यव्यायी विकासि और आशुकारी गुणों के निम्न लक्षण बतलाये हैं—

व्यवायी चाश्रितं हेतुं व्याप्तं चाकार्यं कल्पते ।
विकासी विकसनेन घातुबन्धान् विगोचयेत् ।
आशुकारी तथाऽऽशुस्वाद् धातुव्ययभसि तैलवत् ॥

—सुखसंहिता, सूत्रस्थान ४६/५२२ २३

अथ जिस गुण के कारण द्रव्य परिपाक होने के पूर्व ही सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर फैल जाय और बाद में वह पाक को प्राप्त हो वह 'व्यवायी' गुण कहलाता है । जिस गुण के कारण द्रव्य व्यवायी द्रव्य की भाँति अपक्वभावस्था में ही प्रथम शरीर में व्याप्त होकर घातको और घातु बंधों को शिथिल (स्थानच्युत) करे उसे 'विकासी' कहते हैं । जिस गुण के कारण द्रव्य शरीर में उसी भाँति फैल जाय जैसे पानी में तैल फैल जाता है तथा शरीर में फैलने के बाद शीघ्रतापूर्वक अपनी क्रिया करे उसे 'आशु' या 'आशुकारी' कहते हैं ।

महर्षि चरक ने विंशति गुणों का उल्लेख किया है उनमें व्यवायी विकासी और आशुकारी गुणों का निदर्शन नहीं मिलता । किन्तु अन्य प्रकरण (मद्य और विष के वर्णन प्रसंग) में इन गुणों का निदर्शन करते हुए वहाँ मद्य में उक्त तीनों गुण बतलाए हैं । इसके अतिरिक्त चिकित्सास्थान के ही अध्याय २३ के २४ वें श्लोक में उन्होंने विष के लक्षणों में भी इन तीनों गुणों का अस्तित्व स्वीकार किया है । चरक ने बस गुणों का निर्देश आहार गुणों के रूप में किया है और उपयुक्त तीनों गुण सामान्यत आहार द्रव्यों में नहीं होते । ये तीनों गुण मुख्यत ओषध के गुण होते हैं । अतः चरक ने विंशति गुणों के अन्तर्गत इन गुणों का उल्लेख नहीं होना गुणों की संख्या की दृष्टि से मौलिक मतभेद का ज्ञापक नहीं माना जा सकता ।

स्थिर सर

स्थिरो वातम्लस्तम्भी सरस्तेसां प्रवर्तकः । —भाव प्रकाश पूव श्लोक

'सरोऽनुलोमन श्रेष्ठ । —सुखत संहिता सूत्रस्थान ४६/५२२

अथ—जिस गुण के कारण आहार द्रव्य अथवा ओषध द्रव्य वायु और मल का स्तम्भन करते हैं अर्थात् उन्हें अधोमार्ग से निकलने से रोकते हैं वह स्थिर गुण कहलाता है । इसके विपरीत जिस गुण के कारण अधोमार्ग द्वारा वायु और मल की प्रवृत्ति होती है वह सर गुण कहलाता है ।

गतिशील अथवा चलायमान द्रव्य जिस गुण के कारण बाधित गति होकर रुक जाय वह गुण स्थिर कहलाता है । स्थिर गुण मुख्य रूप से पृथ्वी महाभूत का है अतः स्थिरता कारक द्रव्य पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं । आयुर्वेद में स्थिर गुण स्तम्भन का श्रेष्ठतम होता है । जब शरीर में से मल मूत्र या अन्य किसी द्रव्य की वृत्ति भाग्य से प्रवृत्ति होने लगती है तो इसकी गति अवरुद्ध करने के लिए स्थिर गुण, जैसे किसी

पाथिव द्रव्य का प्रयोग किया जाता है जिमसे मल आदि का बहिर्नि सरण बन्द हो जाता है। आयुवद मे यह क्रिया स्तम्भन कहलाती है। अतिसार ग्रहणी प्रवाहिका रक्तपित्त आदि व्याधियों मे तथा शक्र का विकृति रूप मे अथवा अधिक मात्रा मे स्खलन या स्राव होने पर उमे रोकने या मल मूत्र रक्त आदि की अति प्रवृत्ति अथवा उनके बहिर्नि सरण को रोकने के लिए स्तम्भन क्रिया करने वाले स्तम्भक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ये स्तम्भक द्रव्य स्थिर गण प्रधान होते है।

इसके विपरीत गुण का नाम सर है। आयुवद के कुछ विद्व जन स्थिर के विपरीत गुण को चल मानते है। वस्तत सर और चल म कोई मौलिक भेद नही है। दोनों एक ही गण के पर्यायवाची नाम है। सर गुण के कारण द्रव्य जिस कम को करता है वही कम चल गण के कारण भी होता है। सर या चल गण अप महाभत प्रधान द्रव्यों मे पाया जाता है। इस गण के कारण अवरुद्ध गति वाले पन्थ (पुरीष मूत्र शक्र आदि) गतिशाल हो जात है और शरीर के बाहर उनका नि सरण होने लगता है। जो द्रव्य सर अथवा चल गण प्रधान होते हैं व स सक सारक रेचक भेदक आदि पर्याया के द्वारा व्यवहृत होते है। सर गण के कारण पुरीष द्रव्य ज्विक तीव्रगति से गदमाग की ओर प्रवाहित हाता है। इसी भाँति अन्य द्रव्य भी सर गण के कारण अयत तीव्रगति वा हो जाते है।

मृदु कठिन

यस्य द्रव्य इलथने कमणि शक्ति स मृदु दृढने कठिन ।

— अष्टाग हृदय सत्रस्थान १।१ पर हेमाद्रि

अय — जिस गुण के कारण द्रव्य (बाह्य या आभ्यतर प्रयोग के द्वारा) शरीर के एकाग अथवा सर्वांग को शिथिल करे वह मृदु कहलाता है। इसके विपरीत जिस गण के कारण द्रव्य (बाह्य या आभ्यतर प्रयोग के द्वारा) एकाग अथवा सर्वांग को दृढ करे वह कठिन कहलाता है।

व्यवहारिक रूप से मृदु और कठिन दोनों गण स्पशन इन्द्रियगम्य भाव है। किसी भी वस्तु की मृदुता अथवा कठिनता का ज्ञान त्वचा के द्वारा स्पश करने पर ही होता है। जसे स्पर्श के द्वारा ही ज्ञात होता है कि स्पज एक मृदु द्रव्य है तथा पत्थर एक कठिन द्रव्य है। किन्तु आयुर्वेद में शरीर के अन्दर तत्त गुणो के द्वारा होने वाला प्रभाव ही यहा ग्राह्य है। जब कोई आहार द्रव्य अथवा औषध द्रव्य ग्रहण किया जाता है तब वह द्रव्य अपने गुणो के आधार पर विशिष्ट क्रिया करता है ॥ और तज्जनित परिणाम तदनुकूल गुण की ओर सकेत करता है। इसी भाँति मृदु और कठिन गुण भी स्वानुकूल परिणाम के प्रति उ स्रदायी हैं। अर्थात् मृदु गुण वाले आहार या औषध

द्रव्यों का सेवन करने पर शरीर में अथवा शरीरगत मलादिकों में शिथिलता आ जाती है। जिस प्रकार सूखी मिट्टी का ढेला जल का सयोग पाकर शिथिल (मृदु) हो जाता है उसी भाँति शरीर अथवा शरीरगत भाव मृदु गण वाले द्रव्यों के सयोग से शिथिल (मृदु) हो जाते हैं। मृदु गुण वाले द्रव्यों में आकाश और जल महाभूत के गुणों की अधिकता रहती है।

इसके विपरीत कठिन गुण वाले द्रव्यों में पृथ्वी महाभूत के गुणों की अधिकता रहती है। कठिन गुण वाले द्रव्यों का आभ्यन्तरिक प्रयोग करने पर शरीर के अवयवों तथा मल आदि द्रव्यों में कठिनता उत्पन्न होती। शरीर में अनेक बार ग्रन्थि या अबुद (उभार) की प्रतीति होती है जो स्पष्ट करने पर कठिन लगती है। कठिन गुण वाले द्रव्य के प्रयोग का ही यह परिणाम होता है जो उससे ग्रन्थि अथवा अबुद की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त अनेक बार शरीर के किसी एक भाग में कुछ काठिन्य का अनुभव होता है जो वकारिक परिणाम होता है। वह भी कठिन गुण के कारण ही होता है। मल (पुरीष) का कठिन हो जाना अवयवों का कठिन हो जाना अथवा मांस पेशियों की कठिनता कठिन गुण के कारण होती है।

सूत्र त न मृदु का विरोधी गुण कठिन न बतला कर तीक्ष्ण बतलाया है उन्होंने तीक्ष्ण को क्षार स्वभावी गुण माना है। अतः उसका विपरीत गुण मृदु बतनाया है। महर्षि च क एव वाग्भट मृदु एव कठिन को ही परस्पर विरोधी गुण मानते हैं। यहाँ इन्हीं के मत का प्रतिपान्न किया गया है।

पिच्छिल विशद

पिच्छिलो जीवनो बय सधान श्लेष्मलो गुरु ।

विशदो विपरीतोऽस्मात् क्लेशाच्छरणरोपण ॥

—सधत संहिता सूत्रस्थान ४६/५१७

पिच्छिलस्त तलो बय सधान श्लेष्मलो गुरु ।

क्लेशच्छदकर श्पातो विशदो व्रणरोपण ॥

—भावप्र काश पूर्वखण्ड

‘यस्य द्रव्यस्य लेपने क्षणित स पिच्छिल’ । —हृषाद्रि

अर्थ—जिस गुण के कारण द्रव्य जीवन कारक (प्राणों को धारण करने वाला) बल्य (बल देने वाला) सधान कारक (भ्रम अस्थि को जोड़ने वाला) कफ वर्धक पुरु और तन्मुमान (जो शक्कर की चासनी के सामान तार युक्त होता है) हो वह पिच्छिल कहलाता है। इसके विपरीत विशद गुण होता है। विशद गुण के कारण द्रव्य

क्लेद (त्वचा व्रण शरीरावयव आदि मे स्थित द्रवाश) का शोषण तथा व्रण का रोपण करने वाला होता है जिससे शरीर मे आद्र भाव का विनाश होता है । जिसमें लेपन करने की शक्ति होती है वह पिच्छल होता है ।

पिच्छल गुण वाले द्रव्य सामान्यतः जल महाभत की प्रधानता वाले होते हैं । बाह्य रूप से पिच्छल गुण वाले द्रव्य साधारणतः वे होते हैं जो देखने मे गीले कुछ चिक्के और स्पश करने मे चिपचिपे से लगते हैं । जैसे—आद्र गोद या भिन्डी के अन्दर स्थित लेसदार पदार्थ । पिच्छल गुण वाले द्रव्यो मे सामान्यतः तत्त्वता पाई जाती है । अर्थात् उनका छेदन या विभक्तीकरण करने पर उनमे ताद्र का सा निर्माण होने लगता है और उनमे चिपकाने का वशिष्ट्य पाया जाता है ।

आन्तरिक रूप से पिच्छल गुण वाले द्रव्यो का प्रयोग करने पर ये जीवन दायी अर्थात् जीवन को स्थिर रखने वाले होते हैं । आयुवद मे जो द्वादश (अग्नि सोम वायु सत्व रज तम पाँच, इन्द्रिया और भूतात्मा) प्राण बतलाए गए है । इनके प्रीणन कम मे पिच्छल गुण सहायक होता है । यह गुण शरीर मे बल कारक होता है अर्थात् पिच्छल गुण वाले द्रव्यो का सेवन करने से शरीर मे बल की वृद्धि होती है । शरीर मे सदब टट फट की क्रिया होती रहती है । इसकी पूर्ति भी पिच्छल गुण वाले द्रव्यो के द्वारा होती है । शरीर मे कोषो म जो टट फट होती रहती है उमके सधान का फाय भी पिच्छल गुण वाले द्रव्यो के द्वारा होता है । जल महाभूत की अधिकता के कारण पिच्छल गुण वाले द्रव्य प्रायः कफ को बढ़ाने वाले एव गुरु गुण युक्त होते हैं ।

इसके विपरीत विशद गुण के द्वारा आद्र ताप्या क्लि नता का विनाश होता है । विशद गुण वाले द्रव्या मे पृथ्वी एव वायु महाभत की प्रधानता होती है जिससे क्लेद का शोषण होता है । इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागो मे स्थित द्रवाश का आचूषण (शोषण) होने के कारण यह व्रण का रोपण करने वाला होता है । क्योंकि क्लेद के अभाव मे व्रण मे पूय का निर्माण नहीं हो पाता जिससे शीघ्रता पूर्वक व्रण का रोपण होता है । आचार्य हेमाद्रि के कथनानुसार जिसमे क्षालन करने की शक्ति होती है उसे विशद कहते है ।

इलक्षणा खर

इलक्षण पिच्छलवज्जेय कर्कशो विशदो यथा ।

—सुश्रुत संहिता सत्रस्थान ४६/५२१

यस्य द्रव्यस्य रोपणे शक्ति स इलक्षण लेखने पर ।

—अष्टांग हृदय सूत्रस्थान १/ १ पर हेमाद्रि

इलक्षण स्नेहं विनाऽपि स्यात् कठिनोऽपि हि चिकित्सा ।

—भायप्रकाश पूर्वखण्ड

अर्थ—श्लक्ष्ण गुण पिच्छिल के समान ही होता है। अर्थात् पिच्छिल गुण वाले द्रव्यों के द्वारा जो कर्म सम्पादित किए जाते हैं वे ही कर्म श्लक्ष्ण गुण वाले द्रव्यों के द्वारा भी किए जाते हैं। किन्तु अन्तर केवल इतना है कि पिच्छिल द्रव्य जाद्र तथा घा क्लेद युक्त स्निग्ध होता है तथा श्लक्ष्ण द्रव्य स्नेह रहित होता हुआ भी कठिनता युक्त चिकना होता है। श्लक्ष्ण गुण वाले द्रव्य में रोपण शक्ति होती है। अर्थात् वह व्रण का रोपण करने वाला होता है। आचार्य हेमाद्रि के अनुसार जिस द्रव्य में रोपण करने की शक्ति होती है वह श्लक्ष्ण गुण वाला होता है।

इसके विपरीत खर गुण होता है। उसे ककश भी कहा जाता है। खर या ककश गुण वाले द्रव्य विशद गण के समान ही होते हैं और विशद की ही भांति क्रिया करते हैं। खर या ककश गुण वाले द्रव्य अपने खरत्व गण के कारण व्रण आदि के उभरे हुए भाग के लेखन (छीलने) का काय करते हैं।

यहाँ पर श्लक्ष्ण गुण को पिच्छिल गुण के समान बतलाया गया है। आभ्यन्तरिक प्रयोग की दृष्टि से दोनों गुण तथा दोनों गुण वाले द्रव्य समान ही होते हैं। किन्तु बाह्य दृष्टि से दोनों गुणों में अन्तर होता है। पिच्छिल गुण क्लिन्नता एव स्निग्धता लिए हुए चिकना होता है। इस गुण वाले द्रव्य प्रायः द्रव या द्रवाश युक्त होते हैं। किन्तु श्लक्ष्ण गुण वाले द्रव्य प्रायः द्रवाश एव स्नेहाश (स्निग्धता) रहित कठिनता युक्त चिकने होते हैं। जैसे पालिश की हुई लकड़ी मणि सगमरमर आदि। स्निग्धता के अभाव में भी इनका स्पर्श चिकना ही प्रतीत होता है। मछली श्लक्ष्ण गुण का ही एक उत्तम उदाहरण है। उसमें श्लक्ष्णता इतनी अधिक मात्रा में होती है कि हाथ में रखते ही तत्काल फिसल जाती है।

श्लक्ष्ण गुण के विपरीत खर गुण होता है जो खुरदुरेपन की ओर सकेत करता है। इसमें वायु और पृथ्वी महाभूत के गुणों की प्रधानता होती है। आभ्यन्तरिक प्रयोग करने पर खर गुण वाले द्रव्य शरीर में सञ्चित श्लेष्मा वृद्धता अथवा दोष सघात का छेदन-भेदन कर उसे खुरच कर कणश रूप में विभक्त कर देता है ताकि वे कणश किए गए अश शरीर के बाहर निकाले जा सकें। खर गुण के द्वारा किया जाने वाला खुरचने का कार्य ही लेखन कहलाता है। अनेक व्याधियों में लेखन कर्म की उपयोगिता रहती है। जिस प्रकार शरीर में लगे हुए मूल को खुरदुरे पत्थर से खुरच कर निकाला जाता है उसी प्रकार अन्त शरीर में स्थित दोष सघात को खुरचना खर गुण वाले द्रव्य का ही कार्य है। इसमें वायु और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है।

सूक्ष्म स्थूल

सूक्ष्मस्तु सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मेव स्रोतस्वनसर स्मृतः ।

—सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान ४६।५२४

स्थूल स्थौल्यकरो देहे स्रोतसामवरोधकृतः ।

देहस्य सूक्ष्मछिद्रेषु विशदयत सूक्ष्ममुच्यते ॥ —भावप्रकाश

यस्य द्रव्यस्य विवरणे शक्तिः स सूक्ष्मः सवरणः स्थूलः ।

—अष्टांग हृदय सूत्रस्थान १।१८ पर हेमाद्रि

अर्थ जिस गण के कारण द्रव्य सूक्ष्म (बारीक) स्रोतो में भी प्रविष्ट हो जाता है उस सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म गण वाले द्रव्या में स्रोतो के विवरण का—उहे विस्तृत करने का सामर्थ्य होता है। इस विपरीत जिस गण के कारण द्रव्य स्रोतो को अवरुद्ध करता है (और व्य को उनमें प्रविष्ट होकर अपना काम करने में रोकता है) वह स्थूल कहलाता है। जिस द्रव्य में विवरण (स्रोतो को खोलने) की शक्ति होती है वह सूक्ष्म गुण होता है। जिस द्रव्य में सवरण (स्रोतो-वरोध करने) की शक्ति होती है वह स्थूल होता है।

सूक्ष्म और स्थूल गण सामान्यतः अय गणों की भाँति इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य अथवा प्रत्यक्ष गम्य नहीं हैं। जिन प्रकार स्निग्ध रूक्ष मधु-कठिन श्लेष्मण खर आदि गणा को इन्द्रिया के द्वारा ग्रहण कर जाना जा सकता है उस प्रकार सूक्ष्म स्थूल गण बोधगम्य नहीं हैं। इन गणों के आधार पर द्रव्य के द्वारा जो काम किया जाता है त-जनित परिणाम के द्वारा ही इन गणों का बोध होता है। जैसे तल सूक्ष्म गुण वाला होता है। किन्तु उसकी सूक्ष्मता सामान्यतः प्रतीत नहीं होती। जब शरीर पर उसका अभ्यग (मालिश) किया जाता है तब व अपने सूक्ष्म गण के कारण ही शरीर के सूक्ष्म स्रोतो (रोमकपो) में प्रविष्ट होकर अपना काम करता है। इसी भाँति सूक्ष्म गुण वाले जिन द्रव्यों का आभ्यन्तरिक प्रयोग किया जाता है व जिन गण के कारण सूक्ष्म स्रोतो में प्रविष्ट होकर स्रोतो के द्वारा को खाल देते हैं। सूक्ष्म गुण वाले द्रव्य आकाश और वायु महाभूत प्रधान होते हैं।

इसके विपरीत स्थूल गण वाले द्रव्य स्रोतो के मुख को अवरुद्ध करने वाले होते हैं। जैसे ज्वर उत्पन्न होने के पूर्व दाँष स्थूल गण के कारण सम्पूर्ण शरीर के त्वचान्तगत समस्त रोम छिद्रों में व्याप्त होकर स्थित हो जाते हैं जिससे रोककपो का भाग अवरुद्ध हो जाता है और उस भाग से निकलने वाला स्वेद एव ताप बाहर नहीं निकल पाता है। परिणामतः ज्वर प्रवृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त स्थूल गण सामान्यतः स्थूलता कारक भी होता है स्थूल गुण वाले द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत के गुणों

की प्रधानता रहती है। स्थूल गुण में पार्थिव एवं आप्य महाभूतों के गुणों की प्रधानता होने से तदगुण वाले द्रव्य स्वसमान घातुओं की पुष्टि करने वाले घातुवर्धक एवं देह पुष्टिकर भी होते हैं। किन्तु मध्य रूप से वे स्रोतों में अवरोध ही उत्पन्न करते हैं।

सूक्ष्म गुण युक्त द्रव्य सामान्यतः विवरण शक्ति प्रधान एवं स्थूल गुण युक्त द्रव्य सवरण शक्ति प्रधान होते हैं।

द्रव सान्द्र

द्रव प्रक्लेदन सान्द्र स्थूल स्याद् बन्धकारक ।

—सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान ४६।५२

द्रव प्रक्लेदनो व्यापी शुष्क स्याद् बन्धकारक ।

—उल्हण निदिष्ट पाठान्तर

द्रव क्लेशकरो व्यापी शुष्कस्तद्विपरीतक । —भाव प्रकाश पूर्व खण्ड

द्रवत्व स्यन्दनकमकारणम् ।

—प्रशस्तपाद

अर्थ जिस गुण के कारण द्रव्य शरीर में आद्रता उत्पन्न करता है और व्याप्त होने की प्रवृत्ति रखता है वह द्रव कहलाता है। द्रव गुण मध्यतः स्यन्दन (वहन) कम में कारण होता है। जहां द्रवत्व गुण विद्यमान रहता है वहां स्यन्दन कम की प्रवृत्ति अवश्य होती है।

द्रव गुण के विपरीत सान्द्र गुण होता है जो अवयवों में शुष्कता अथवा आद्रता का अभाव उत्पन्न करने वाला होता है। सान्द्र गुण को कही कही शुष्क गुण भी कहा गया है। किन्तु दोनों के अभिप्राय में कोई अंतर नहीं है।

द्रव गुण प्रधान द्रव्यों में सामान्यतः जल महाभूत की प्रधानता होती है। जल महाभूत वाले द्रव्य ही स्यन्दन कर्म में प्रवृत्ति वाले होते हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ द्रव्य ऐसे भी हैं जिनमें द्रवत्व गुण दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे बर्फ ओला आदि। अतः इस आधार पर द्रवत्व गुण दो प्रकार का होता है—१ सांसिद्धिक तथा २ नैमित्तिक। स्वतः सिद्ध द्रवत्व का नाम सांसिद्धिक है और (तेजोरूप) निमित्त के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले द्रवत्व का नाम नैमित्तिक है। जल में द्रवत्व गुण स्वतः सिद्ध होने से सांसिद्धिक है और पृथ्वी तथा तेज में तन्निमित्त के कारण होने से नैमित्तिक है। जैसे सुवर्ण आदि घातु।

इसके विपरीत सान्द्र गुण बतलाया गया है। महर्षि सुश्रुत ने सान्द्र को ही द्रव का विरोधी गुण बतलाया है। किन्तु टीकाकार आचार्य उल्हण एवं भावमिश्र से द्रव का विरोधी गुण 'शुष्क' निदिष्ट किया है। द्रव गुण की विपरीतता के कारण सान्द्र या शुष्क गुण बन्धकारक होते हैं। बन्धकारक का अभिप्राय स्रोतों के विवरण शक्ति

या जोरों में अकरोघ उत्पन्न करने वाला समझना चाहिए। साम्प्र गुण भी स्थूल के समान ही कार्यकारी होता है। साम्प्र गुण वाले द्रव्य प्रायः पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं। यदि उनमें नितान्त शुष्कता व्याप्त हो तो तेज का अणु एव कुछ क्लिन्नता व्याप्त हो तो आप्य अणु की विद्यमानता समझना चाहिए।

उपयुक्त गुर्वाद बीस गुण (गुरु-लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष भृन्द-तीक्ष्ण स्थिर-सर, मृदु-कठिन विशद पिच्छिल श्लक्ष्ण खर सूक्ष्म-स्थूल साद्र द्रव) सामान्य गण कहलाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में इन गुणों की उपयोगिता मुख्यतः चिकित्सा कार्य के लिए होती है। अतः इसी दृष्टि से यहाँ इन गुणों का विवेचन किया गया है। प्रायो गिक रूपेण ये गुण अत्यन्त उपयोगी होते हैं। इन गुणों में प्रारम्भ के आठ गुणों (गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष विशद पिच्छिल) को रस वैशेषिक में कमप्य गुण कहा गया है। क्योंकि ये आठ गुण ही विशेष उपयोगी एव अपेक्षित होते हैं। इन आठ गुणों के आधार पर ही द्रव्य अपनी क्रियाओं को करने में समर्थ होता है अथवा द्रव्य में अन्य गुणों के रहने या न रहने पर भी इनमें से कोई एक या अधिक गुण अवश्य होते हैं। इसीलिए चरक सुश्रुत आदि संहिता ग्रन्थों में नागाञ्जु नोक्त इन अष्ट विध कर्मण्य गुणों को वीर्य भी कहा गया है। इसी आधार अष्टविध वीर्यवादी मत प्रचलित हुआ है। अर्थात् जो विद्वान् अष्टविध वीर्य का प्रतिपादन करते हैं वे इन्हीं आठ गुणों के आधार पर अष्टविध वीर्य की कल्पना करते हैं। वैसे आयुर्वेद में सामान्यतः द्विविध (शीत उष्ण) वीर्य ही सब सम्मत है।

आध्यात्मिक गुण

बुद्धि निरूपण

सर्वव्यवहारहतुर्ज्ञानं बुद्धिः अनुव्यवसायगम्यं ज्ञानस्वमेव लक्षणम्

—तत्त्व दीपिका

व्यवहारमात्रहेतुर्ज्ञानं बुद्धिः प्रकीर्तिता।

सा चापि द्विविधा ज्ञेया ह्यनुभूतिः स्मृतिस्तथा ॥

अथ —समस्त व्यवहार के कारण भूत ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। अथवा अनुव्यवसाय गम्य ज्ञान बुद्धि है—ऐसा दीपिकाकार का मत है। पदार्थ मात्र का ज्ञान प्राप्त करना व्यवसाय है और उस व्यवसाय का ज्ञान अनुव्यवसाय है। जैसे यह घट है घट का एतिद्विध प्रथम चाक्ष ष प्रत्यक्ष व्यवसाय कहलाता है। तत्पश्चात् मुझे घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है इस प्रकार का जो पुनः ज्ञान होता है वह अनुव्यवसाय कहलाता है। यह अनु व्यवसाय रूप जो ज्ञान होता है वही बुद्धि कहलाती है। श्री शिवादित्य ने आत्मा का

आशय करके स्थित रहने वाले प्रकाश की बुद्धि प्रज्ञा द्वारा सम्बोधित किया है। सांख्य दशम के आचार्य प्रकृति के प्रथम परिणाम रूप अहंकार तत्त्व के परिणाम महत्तत्त्व रूप अन्त करण विशेष को बुद्धि मानते हैं और निर्मल बुद्धि जनित परिणाम ही उनकी दृष्टि में ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि विषयक अनेक मत होते हुए भी उनमें कोई भौतिक एवं स्थूल भलभिन्नता परिलक्षित नहीं होती।

सांख्य दशम के मतानुसार बुद्धि की उत्पत्ति बिना किसी रूप वाली अव्यक्त नामधेय समस्त सृष्टि की कारणभूत प्रकृति से होती है। सत्व रज और तम इन तीन गुण वाले प्रकृति तत्त्व से तद्गुण युक्त महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है। यह महत्तत्त्व ही बुद्धि कहलाता है। यह बुद्धि अध्यवसायात्मिक होती है। इसके अनुसार अध्यवसाय ही बुद्धि का लक्षण है। अध्यवसान को अध्यवसाय कहते हैं। जैसे बीज में उत्पन्न होने वाला अकुर विद्यमान रहता है उसी प्रकार यह घट है यह पट है इत्यादि रूप से जो अध्यवसाय करती है उसको बुद्धि कहते हैं। निर्मल बुद्धि का विशेष परिणाम ही ज्ञान कहलाता है। अर्थात् अन्त करण रूप मन एव बाह्यकरण रूप ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा विषय देश में पहुँचकर घट पट आदि विषय रूप में परिणाम को प्राप्त हुई बुद्धि ही ज्ञान कहलाती है। एतदविध रूपेण ज्ञान रूप में परिणत हुई बुद्धि जब चैतन्य रूप पुरुष से स्वयं को भिन्न न मानते हुए अपने ज्ञानमय स्वरूप को व्यक्त कराती है तब अभिमानात्मक भाव उत्पन्न होता है। यही भाव अहं जानामि (मैं जानता हूँ) इस रूप में प्रकट होता है। जिससे स्वच्छ बुद्धि में रहे हुए ज्ञान से चैतन्य पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं होने से उपयुक्त प्रकार की उपलब्धि होती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि प्रकरण में मुख्यतः तीन बातें हमारे समक्ष आती हैं। प्रथम महत्तत्त्व नामधेयात्मक बुद्धि द्वितीय अध्यवसाय के परिणाम स्वरूप घट पट आदि विषय के रूप में परिणत ज्ञान रूपात्मक बुद्धि और तृतीय चैतन्य पुरुष से अभेद ज्ञानात्मक प्राप्त हुई अभिमानात्मक उपलब्धि।

इसके विपरीत न्याय और वैशेषिक दर्शन ज्ञान और उपलब्धि को सांख्य दर्शन की भाँति बुद्धि का परिणाम नहीं मान कर उन्हें बुद्धि का पर्याय ही मानते हैं उनके मतानुसार बुद्धि ज्ञान उपलब्धि और प्रत्यक्ष ये चारों ही पर्यायवाची शब्द हैं। आयुर्वेद के अनुसार बुद्धि पाँच प्रकार की मानी गई है। यथा धी (प्रज्ञा) धृति (धैर्य) स्मृति (स्मरण) अहंकार और चेतना।


सामान्यतः बुद्धि के दो भेद होते हैं—अनुभव और स्मृति। अनुभव का अनुभूति और स्मृति का स्मरण पर्याय है। अहंकारमात्रजन्य ज्ञान स्मृति—यह स्मृति का

लक्षण है। अर्थात् केवल सस्कार से उत्पन्न हुए ज्ञान की स्मृति कहते हैं तथा अनुभव जन्य भावना को सस्कार कहते हैं। अथवा इसे यो भी कहा जा सकता है कि पूब मे अनुभव किए हुए पदार्थ का कालान्तर मे सस्कारवश बिना इन्द्रिय सन्निकर्ष के जो ज्ञान होता है वह स्मृति कहलाती है। प्रत्यभिज्ञा भी तो सस्कार से होती है। अतः प्रत्यभिज्ञा मे स्मृति के लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए केवल सस्कारजन्य कहा है। प्रत्यभिज्ञा केवल सस्कार से नहीं होती है। किंतु सस्कार और प्रत्यक्ष इन दोनों से होती है जबकि स्मृति केवल सस्कार से ही होती है। पुनः स्मृति दो प्रकार की बतलाई गई है।—१ भावित स्मृतय और २ अभावित स्मृतय। स्वप्नावस्था मे जो ज्ञान होता है वह भावित स्मृतय कहलाता है तथा जाग्रत अवस्था मे विषयो का जो स्मरण होता है वह अभावित स्मृतय कहलाता है।

उपयुक्त स्मृति से भिन्न ज्ञान का नाम अनुभव है। अर्थात् इन्द्रियो के द्वारा विषय का प्रत्यक्ष करने पर जो यथाय ज्ञान तत्काल होता है वह अनुभव कहलाता है। यह अनुभव इन्द्रिय सन्निकर्षजन्य होता है। इसी को अनुभूति भी कहते है। यह अनुभूति विद्या और अविद्या भेद से दो प्रकार की होती है। जो वस्तु जसी है उसका वसा ही (यथाय) ज्ञान होना विद्या कहलाता है—तद्वत् तत्प्रकारकानभतिविद्या। इसके विपरीत मिथ्या अथवा अयथाय ज्ञान का नाम अविद्या है। उपयुक्त विद्या पुनः तीन प्रकार की होती है—प्रत्यक्षा लङ्घनी और शाब्दी। उसीको क्रमशः प्रत्यक्षज्ञान अनुभूति ज्ञान और शब्द ज्ञान भी कहते है। अविद्या दो प्रकार की होती है—सशय और विषयय। एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्धनानाधर्मप्रकारक ज्ञानं सशय अर्थात् एक धर्मो मे उसके विरुद्ध नाना धर्मो को बतलाने वाल ज्ञान का नाम सशय है। किसी ऐसी वस्तु को देखकर जिसमे अन्य वस्तु के भ्रम हाने की भी सम्भावना रहती है उसका निश्चय नहीं कर पाना ही सशय कहलाता है। जैसे सायकालीन झरमुट मे दूर स्थित किसी स्थाण (ठूठ) को देख कर यह निश्चय नहीं हो पाता कि यह स्थाणु है अथवा पुरुष। इस प्रकार का अनिश्चयात्सक ज्ञान ही सशय कहलाता है। महर्षि चरक ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है। यथा सशयो नाम सदेहलक्षणानसन्निग्धत्ववर्षेण निश्चयः। अर्थात् सदेह उत्पन्न करने वाल लक्षणा से युक्त पदार्थो मे निश्चय नहीं होना 'सशय कहलाता है। अविद्या का दूसरा भेद विषयय है। इसका सामान्य अर्थ होता है विपरीत ज्ञान। एक वस्तु मे अन्य वस्तु का ज्ञान होना। जैसे अक्षरकार मे रस्ती को देखकर उसमे सर्प का भ्रम (ज्ञान) होना विषयय कहलाता है। यह मिथ्या ज्ञान होता है। यथा मिथ्याज्ञान विषयय। विषयय का एक अन्य लक्षण निम्न प्रकार है—'सबद्ध

वृत्ति तत्प्रकरक शान्ति विषयय अर्थात् किसी स्थान पर एक वस्तु का अभाव होने पर भी वहाँ उस वस्तु का मिथ्या ज्ञान होना 'विषयय' कहलाता है। इसी को वैशेषिक एवं न्याय दर्शन में 'अन्यथास्मृति' कहा गया है।

बुद्धि के उपरि वर्णित भेदों को निम्न प्रकार से समजा जा सकता है—



सुख निरूपण

अनुग्रह हलक्षण सुखम् । अनुग्रहस्वभाव तु सुखम् ।

धमजन्यमनुकलवेदनीय गुण सुखम् ।

—प्रशस्तपाद

इष्टोपलब्धीन्द्रियसंशर्षिकर्षाव धर्माद्यपेक्षादात्ममनसो संयोगाद्यनुग्रहा

निषमनयनादिप्रसादजनकमृत्पद्यते तत्सुखम् ।

—प्रशस्तपाद

अर्थ—अनुग्रह जिसका लक्षण है अथवा अनुग्रह स्वभाव है जिसका ऐसे गुण को सुख कहते हैं अथवा अनुकूल स्वभावात्मक सुख होता है। अनुकूल सवेदना का कारण या धर्म से अनित अनुकूल ज्ञान विषय की उपलब्धि एवं तद्विषय रूप ज्ञान होने पर तथा इन्द्रिय इष्ट विषय मन और आत्मा का संयोग होने से अनुकूल प्रतीति अनुराग और नेत्र आदि की प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाले गुण का नाम सुख है।

प्रसन्नता अथवा अनुकूल प्रतीत की अनुभूति का नाम ही सुख है। अर्थात् जो समस्त प्राणियों को अनुकूल प्रतीत ही वह सुख कहलाता है। इसकी प्राप्ति धम से होती है। सुख और धम परस्पर काय कारण भाव से सम्बन्धित हैं। अपने वश में होने वाले सभी कार्य सुखदायी होते हैं। इसीलिए जो अन्य की इच्छा के वश में (पराधीन) न होकर स्वाधीन होता है वह सुख कहलाता है।

सुख के लिए अनेक विषय हो सकते हैं। अनेक बार भूत कालीन विषय के स्मरण से और भविष्य कालीन विषय के सकल्प से भी सुख होता है। जानी पुरुष इन दोनों की ही अपेक्षा नहीं रखते हैं। उनको तो विषय स्मरण इच्छा और सकल्प के न होते हुए भी ज्ञान शम सन्तोष और धम विशेष जनित सुख होता है। इसमें मैं सुखी हूँ इस प्रकार के अनुव्यवसाय से जिस का ज्ञान होता है वह व्यवसायिक ज्ञान ही सुख है। सामान्य रूपेण वास्तविक सुख वह होता है जो इष्टोपलब्धि की इच्छा किसी अथ इच्छा के आधीन न हो ऐसी इच्छा के विषय को ही सुख कहते हैं। जैसे हम अथ प्राप्ति की इच्छा से विविध कार्य करते हैं। कार्य करने की इच्छा अथ प्राप्ति की इतर इच्छा के आधीन है। अतः वह सुख या सुख का विषय नहीं हो सकती। अथ प्राप्ति ही सुख का विषय है।

दुःख निरूपण

अधममात्रासाधारणको गण । बाधनालक्षण दुःखम् — यायसूत्र
 इतरत्तु धानधीनद्वेषविषय-धम । — या वा
 उपघातलक्षण दुःखम् । सुख परवश दुःखम् ।
 अधमजय प्रतिकलबदनीय गणो दुःखम् ।

अथ—अधम मात्र से उत्पन्न असाधारण गुण अथवा बाधना लक्षण वाला या उपघात लक्षण वाला दुःख होता है। अथवा अधम से उपन्न प्रतिकल वेदना (ज्ञान का विषय) रूप गुण का नाम दुःख है।

पराधीन को दुःख कहते हैं। जो आत्मा मन और इन्द्रिय के प्रतिकल हो वह दुःख कहलाता है। इसकी उत्पत्ति अधम से होती है। अतः यह त्याज्य है।

दुःख भी एक अनुभूति है जो आत्मा को होती है। प्रत्येक प्राणी इससे बचना चाहता है और अपने लिए कभी इसकी कामना नहीं करता। दुःख अनिच्छा का विषय एवं प्रतिकल प्रतीति रूप होता है। सामान्यतः विषण्णता को दुःख मान सकते हैं। अधम आदि के द्वारा किसी विषय में अनिष्टता का ज्ञान तथा इन्द्रिय और अनिष्ट विषय का सन्निकष होने पर आत्मा और मन के संयोग से असहिष्णुता दुःखानुभव दीनता खिन्नता आदि को उत्पन्न करने वाले गण का नाम दुःख है। भूतकालीन अनिष्ट विषय के स्मरण

से और भविष्य कालीन अनिष्ट विषय की आसंका से दुःख होता है। मैं दुखी हूँ—इस प्रकार के अनुब्यवसाय से जिसका ज्ञान होता है वह व्यवसायात्मक ज्ञान ही दुःख है। दूसरे शब्दों में दुःख का लक्षण इतरद्वेषानधीनद्वेषविषयत्व होता है। यदि कबल इतना ही लक्षण किया जाय कि दुःख द्वेष का विषय है तो—ग्रह लक्षण अतिव्याप्ति दोष में दूषित हो जाता है। क्योंकि द्वेष का विषय तो सर्पादि भी हैं अतः सर्प आदि में यह लक्षण अतिव्याप्त होने से इतरद्वेषानधीनद्वेष विशेषण लगाया गया। हमें सप से दुःख होता है इसलिए हम सर्प से द्वेष करते हैं। वहाँ सर्प का द्वेष इतर (द्वेष) द्वेष के आधीन है। अतः जो द्वेष दूसरे द्वेष के आधीन नहीं हो ऐसे द्वेष का द्वेष— दुःख कहलाता है।

इच्छा निरूपण

इच्छा का

—तर्क संग्रह

स्वार्थ पराथ वाऽप्राप्त प्रार्थनेच्छा।

—अक्षरतपाव

अथ—किसी विषय वस्तु की कामना करना इच्छा कहलाती है। अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए अप्राप्त वस्तु की कामना करना इच्छा कहलाती है। आत्मा तथा मन के सयोग से सुख और स्मृति की अपेक्षा पूर्वक यह इच्छा प्रायः उसी वस्तु की होती है—जिसके सम्पादित करने के उपाय का ज्ञान होता है। इसमें इच्छात्व जाति होती है। पुष्पमाला चन्दन वनिता इत्यादि विषयों के सेवन से समुत्पन्न सुख से उत्तरोत्तर उमके सजातीय सुख में अथवा सुख के साधन में राग अर्थात् इच्छा उत्पन्न होती है। विषय के निरन्तर सम्बन्ध से उत्पन्न जो दृढतर सत्कार होता है वही तमयता कहलाती है। उसी तमयता से इच्छा होती है। इच्छा से ही धर्म अधम स्मृति और प्रयत्न में प्रवृत्ति होती है। अतः इन चारों की प्रवृत्ति का हेतु यह इच्छा ही है। काम अभिलाषा राग, सकप कारुण्य वैराग्य उपधा और भाव आदि इच्छा के ही भेद हैं। इन्हे इच्छा के विषय भी कह सकते हैं। इनमें मीथन की इच्छा को काम अभ्य—वहारेच्छा अथवा भोजन की इच्छा को अभिलाषा पुनः पुनः एक ही विषय में अनुरजन अथवा विषयासक्ति की इच्छा को राग भविष्य में किसी क्रिया को करने की इच्छा को सकल्प स्वार्थ का परित्याग कर अन्य प्राणियों के कष्ट निवारण की इच्छा को कारुण्य दोषों को देखकर विषय त्याग की इच्छा को वैराग्य दूसरों को ठगने की इच्छा को उपधा और अन्तः निगूढ़ या गुप्त इच्छा को भाव कहते हैं। इसके अतिरिक्त चिकीर्षा जिह्वीर्षा इत्यादि क्रियाओं के भेद से भी इच्छा के अनेक भेद हो सकते हैं।

द्वेष निरूपण

प्रयत्नवात्मकोद्वेष। अस्मिन् सति प्रवृत्तितनिवारमान मन्यते स द्वेष।

‘कोषो द्वेषः।’

—तर्क संग्रह

अर्थ—क्रोध को ही द्वेष कहते हैं। यह ज्वलनात्मक होता है। जिसके होने पर मनुष्य स्वयं को प्रबलित की भांति अनुभव करता है वह द्वेष कहलाता है। दुःख अथवा दुःख की स्मृति के कारण आत्मा एव मन के संयोग से द्वेष उत्पन्न होता है। यह अनिष्ट साधनता ज्ञान जन्म होता है। द्वेष करता है इस प्रकार के अनुभव से सिद्ध जाति वाले अथवा द्विष्टसाधनताज्ञानजन्य गण को द्वेष कहते हैं। यहाँ पर द्विष्ट साधनताज्ञान को ही अनिष्ट साधनता ज्ञानत्व समझना चाहिए।

यह द्वेष सामान्यतः दुःख में अथवा दुःख के साधन में होता है। जैसे सर्प कण्टक इत्यादि से उत्पन्न दुःख में और उस दुःख के साधन भूत सर्प कण्टक आदि में द्वेष होता है। यह भी तन्मयता अदृष्टविशेष और जाति विशेष से उत्पन्न होता है। तन्मयताजन्य—एक बार सप्तदश होने पर पुनः पुनः उसे सबत्र सप्त का ही दिखाई देना। अदृष्टविशेष—जैसे कभी सप्त दशजय दुःख का अनुभव नहीं हुआ उसे भी सप्त से द्वेष होना। जातिविशेष—कुत्ते का बिल्ली से बिल्ली का चूहे से सप्त का नेवले से द्वेष होना।

द्वेष वशात् भी धर्म अधम स्मृति एव प्रयत्न में प्रवृत्ति होती है। अतः द्वेष भी इन चारों का हेतु या मूल होता है। क्रोध द्रोह मयु अक्षमा अमर्ष आदि द्वेष के विषय अथवा प्रकार होते हैं।

व्यवहारिक रूप से द्वेष घणा का परिचयक होता है। क्योंकि किसी वस्तु अथवा किसी विषय में अनिच्छा रखना या उससे घृणा करना ही द्वेष कहलाता है। इच्छा सामान्यतः अनुकूल विषयों में होती है। इसके विपरीत प्रतिकूल विषयों में द्वेष होता है। यह एक प्रकार से मानस दोष है जो आत्मा के लिए अशुभ परिणामकारक अथवा अशुभ बध का हेतु होता है।

प्रयत्न निरूपण

कृति प्रयत्न ।

—सक सप्रह

प्रयत्न सरम्भ उत्साह इति पर्याया । स द्विविध जीवनपूर्वक
इच्छाद्वेषपूर्वकश्चेति ।

—प्रशस्तपाद

अर्थ कृति को ही प्रयत्न कहते हैं। कार्यात्मक गण विशेष का नाम प्रयत्न है अर्थात् काय प्रारम्भ करने वाले गण को प्रयत्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में चेष्टा का नाम प्रयत्न है। अर्थात् किसी काय का सम्पादन करने के लिए जो चेष्टा विशेष की जाती है वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न सरम्भ उत्साह ये प्रयत्न के पर्याय वाची शब्द हैं। यह सामान्यतः दो प्रकार का होता है—१ जीवनपूर्वक और २ इच्छा-द्वेषपूर्वक।

१ जीवन पूर्वक प्रयत्न—जब मनुष्य निद्रावस्था में होता है तब भी उसकी श्वास प्रश्वास की क्रिया सतत होती रहती है। अतः स्वप्नावस्था में जो प्राण-अपान का प्रेरक (श्वास प्रश्वास की क्रियात्मक परस्परा को बाधू रखने वाला) होता है तथा जाग्रत अवस्था में अन्त करण (मन) का इन्द्रियो के साथ संयोग कराने में हेतु अथवा मन को एक इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय में पहचानने वाला होता है और जो आत्मा मन तथा इन्द्रियो का संयोग कराता है वह जीवन पूर्वक प्रयत्न कहलाता है। यह प्रयत्न स्वतः सम्पादित होता है तथा जीवन के लिये अपेक्षित है।

२ इच्छा-द्वेष पूर्वक प्रयत्न—यह प्रयत्न हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए समर्थ होने वाले (योग्य) व्यापार का हेतु और शरीर को धारण करने वाला होता है। यह प्रयत्न इच्छा और द्वेष के कारण होता है। अपने या पर के हित साधन के लिए जो प्रवृत्तिमूलक चेष्टा की जाती है वह इच्छा पूर्वक प्रयत्न तथा अपने या पर के अहित का परिहार करने के लिए जो निवृत्तिमूलक चेष्टा की जाती है वह द्वेष पूर्वक प्रयत्न कहलाता है। यह इच्छा-द्वेष पूर्वक प्रयत्न आत्मा और मन का संयोग होने पर इच्छा और द्वेष से समुत्पन्न होता है।

प्रकारान्तर से प्रयत्न को तीन प्रकार का भी बतलाया गया है। यथा प्रवृत्ति रूप प्रयत्न निवृत्ति रूप प्रयत्न और जीवन योनि रूप प्रयत्न। इच्छाजय गुण प्रवृत्ति कहलाती है। द्वेषजन्य गुण का नाम निवृत्ति है तथा जीवन रूप अदृष्टजन्य गुण को जीवनयोनि कहते हैं। यह जीवनयोनि ही शरीर में प्राण संचार का कारण है। इसके अभाव में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है।

परादि सामान्य गुण

परत्वापरत्व निरूपण

परत्वापरत्व च परापरभिधानप्रत्ययनिमित्तम् । तस्य द्विविधं विककृत कालकृत च । तत्र विककृत दिग्विशेषप्रत्यायकम् । कालकृतं च वयोभेदप्रत्यायकम् ।

—प्रज्ञस्तपाव

देशकालवयोमानपाकवीर्यरसादिषु । परापरत्वे— ॥

—धरक संहिता सूत्रस्थान २६/६१

परत्व और अपरत्व क्रमशः पराभिधान अपराभिधान तथा परप्रत्यय अपरप्रत्यय के कारण हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—दिककृत और कालकृत। इनमें दिककृत प्रत्यय दिग्विशेष के और कालकृत प्रत्यय वयोभेद के बोधक हैं।

परत्व और अपरत्व का व्यवहार देश काल वय परिमाण पाक वीर्य रसादि के उत्कृष्ट-निकृष्ट के निर्देश के लिए होता है। जैसे कोई स्थान (देश) किसी व्यक्ति

के स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ होने से पर है तथा अन्य स्थान अपर। शीतकाल सामान्यतः स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी एवं उत्तम होने से पर तथा अन्य ग्रीष्म काल आदि अपर। वय (अवस्था) की दृष्टि से तरुण अवस्था पर एवं बाल्य एवं वृद्ध अवस्था अपर है। किसी व्यक्ति के लिए मधुर विपाक अनुकूल होने से पर तथा अन्य अम्ल या कट विपाक अपर होता है। इसी प्रकार शीतवीर्य अनुकूल होने से पर एवं उष्ण वीर्य अपर होता है। मधुरादि षष्ठ रसों में जो अनुकूल हो वह पर तथा अन्य अपर होते हैं। महा पर परव का अभिप्राय उच्छृष्ट एवं अपरव का अभिप्राय निकृष्ट होता है।

दूर और समीप अथवा बड़े और छोटे व्यवहार के प्रधान कारण को परव और अपरव कहते हैं। यह परव एवं अपरव पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन पाँच द्रव्यों में रहता है। दिशा और काल की अपेक्षा यह दो प्रकार का होता है। यथा दिक्कृत परव एवं दिक्कृत अपरव। इसमें देश से सम्बन्ध होने के कारण यह दक्षिण परव-अपरत्व भी कहलाता है। दिक्कृत परत्व अथवा दक्षिण परव का व्यवहार दूर देशीय अथवा दूरस्थ वस्तु में तथा दिक्कृत अपरव अथवा दक्षिण अपरव का व्यवहार निकटदेशीय अथवा समीपस्थ वस्तु में होता है।

इसी भाँति काल की अपेक्षा से कालकृत परव एवं कालकृत अपरव होता है। इसमें काल का सम्बन्ध होने से यह कालिक परव एवं कालिक अपरव कहलाता है। कालकृत परव का व्यवहार येष्य में तथा कालकृत अपरव का व्यवहार कनिष्ठ में होता है।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह विप्रकृष्ट (दूर) है और यह सन्निकृष्ट (समीप) है—ऐसा प्रयोग जिन गुणों के कारण होता है उनको क्रमशः परत्व और अपरत्व कहते हैं। आयुर्वेद के मनीषियों ने सन्निकृष्ट अर्थात् उपयोगिता में समीप (प्रधान या उत्कृष्ट) और विप्रकृष्ट अर्थात् उपयोगिता में दूर (अप्रधान या निकृष्ट) ऐसा अर्थ ग्रहण कर के देश काल वय मान विपाक वीर्य रस आदि में परवापरत्व सम्बन्ध बतलाया है।

युक्ति निरूपण

युक्तिश्च योजना या त यज्यते ।

—चरक संहिता सूत्रस्थान २६/३१

या कल्पना यौगिकी भवति सा तु युक्तिश्च्यते । अयोगिकं तु कल्पनाऽपि सती युक्तिर्नोच्यते पुत्रोऽप्यपुत्रवत् ।

अर्थ—दोष देश काल प्रकृति बल आदि को ध्यान में रखते हुए औषधि आहार विहार आदि का विचार पूर्वक यथा योग्य निगम्य करके जो निर्देश दिया जाता है—इसी का नाम योजना है और यही योजना युक्ति कहलाती है।

जो कल्पना यौगिकी (युक्ति युक्त या विधिपूर्वक) होती है वहीं युक्ति कहलाती है किन्तु जो कल्पना अयौगिक (अयुक्त या बिना विधिपूर्व) होती है तो वह कल्पना के होने पर भी युक्ति नहीं कहलाती। जैसे षड धातुसंयोग से गर्भोत्पत्ति मध्य मन्थानक और मन्थान के योग से अग्नि की उत्पत्ति वैद्य परिवारक औषधि और रोगी के समुचित संयोग से रोग निवृत्ति तथा ऋतु क्षेत्र अम्बु एव बीज के संयोग से शस्य (अनाज) की उत्पत्ति होती है। यही युक्ति कहलाती है। उपर्युक्त वस्तुओं के विद्यमान रहने पर भी यदि उनकी संयोजना समुचित रूप से नहीं हो पाती है तो अभीष्ट सिद्धि नहीं होती। वहा युक्ति नहीं होती है।

सख्या निरूपण

सख्या स्याद् गणितम् ।

—चरक संहिता सूत्रस्थान २६/३२

एकत्वाविध्यवहारहेतु सख्या ।

—वैश्विक द्रपण

गणना व्यवहारे तु हतु सख्याऽभिधीयते ।

—कारिकावलि

गणना व्यवहारासाधारण कारण सख्या ।

—मुक्तावलि

अर्थ—एक दो तीन आदि शब्दों से जिस गण विशेष का बोध होता है अथवा गणना रूप व्यवहार का जो हेतु होता है वह सख्या कहलाती है। एक दो तीन इत्यादि यह सख्या गुण कही सख्या का वाचक होता है और कही सख्येय का। एक सख्या सख्येय वाचक होती है तथा दस के बाद की सख्या सख्या और सख्येय दोनों की वाचक होती है। यह सख्या दो द्रव्यों में स्थित होती है तथा एकत्व इत्यादि से लेकर परार्ध पर्यन्त होती है। यथा—एकत्वादिपरार्धपर्यन्ता नवद्रव्यवस्ति एकत्व तु नित्यगत नित्य अनित्यगतमनित्य द्वित्वादिस्तु सबथाऽनित्यमेव । एक से लेकर परार्ध पर्यन्त सख्या निम्न प्रकार होती है—इकाई दहाई सकडा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड दस करोड अरब दस अरब बन्द दस बन्द खब दस खबे निखब दस निखब शख दस शख पध दस पद्म सागर दस सागर अन्त्य दस अन्त्य मध्य दस मध्य परार्ध दस परार्ध । इस प्रकार यथाक्रम दस-दस का गुणन करके परार्ध पर्यन्त सख्या है। इसमें एकत्व प्रतिपादक सख्या नित्य पदार्थों में नित्य एव अनित्य पदार्थों में अनित्य होती है। जैसे जीव (आत्मा) ईश्वर एव प्रकृति ये तीनों नित्य हैं। अत एकत्व का व्यवहार होने पर एक सख्या नित्य होती है। अन्य अनिय पदार्थों जैसे शरीर, वृक्ष पर्वत आदि में व्यवहृत होने वाली एक सख्या अनित्य होती है। अत एक सख्या नित्य भी है और अनित्य भी। इसके अतिरिक्त द्वित्व आदि सख्या सर्वथा अनित्य है। क्योंकि दो से लेकर परार्ध पर्यन्त सख्या अपेक्षा बुद्धिजन्य होती है। अत वह अनित्य है। अपेक्षा बुद्धि के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। अपेक्षा बुद्धि अनेक

एकत्व बुद्धि की परिचायक होती है। जैसा कि वैशेषिक दर्शन के निम्न वचन से सुस्पष्ट है अयमेकोऽयमेक इत्याकाराबुद्धिरपेक्षाबुद्धि। अर्थात् यह एक है यह एक है इस प्रकार के पथक पृथक ज्ञान का नाम अपेक्षा बुद्धि है।

सयोग निरूपण

योगं सह सयोग उच्यते ।

द्रव्याणां द्वन्द्वं सवत्र कमजोऽनित्य एव च । — चरक संहिता सूत्रस्थान २६/३१

सयक्तव्यवहारहतुसयोग सवद्रव्यवृत्ति ।

—सक सग्रह

अप्रा तयोस्तु या प्राप्ति संघ सयोग ईरित ।

—कारिकावलि

अर्थ—द्रव्यों के एक साथ मिलने की सयोग कहते हैं अथवा दो या दो से अधिक द्रव्यों का योग होना सयोग कहलाता है अथवा सयुक्त (मिला हुआ) है इस प्रकार के व्यवहार का कारण सयोग कहलाता है। यह सभी नव द्रव्यों में होता है। यह सयोग द्वन्द्व कमज सव कमज तथा एक कमज होता है। इसके अतिरिक्त अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति को सयोग कहा जाता है।

दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने हेतु उनका जो पारस्परिक सम्बन्ध (मिलना) होता है वह सयोग कहलाता है। जो पदाद्य पूर्व में परस्पर असम्बद्ध (मिले हुए नहीं) थे उनका किसी स्थान विशेष या समय विशेष में आपस में मिल जाना ही सयोग होता है। ऊपर जो तीन प्रकार का सयोग बतलाया गया है वह चरक के अनुसार है। कारिकावलि में भी तीन प्रकार का सयोग बतलाया गया है यथा—अन्यतर कमज उभय कमज और सयोगकमज। इसमें चरकोक्त द्वन्द्व कमज और एक कमज कारिकावलि के क्रमशः उभय कमज एव अन्यतर कमज से मेल खा जाता है। किन्तु चरक का सव कमज तथा कारिकावलि का सयोगकमज अलग कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं। उन्हें दोनों के भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

१ चरकोक्त एककमज तथा कारिकावलि का अन्यतरकमज दोनों एक ही हैं। आचाय श्री चक्रपाणिदत्त वक्ष पर पक्षी के बठने को एक कमज मानते हैं क्योंकि इसमें एक पक्षी के द्वारा ही चेष्टा होती है। न्यायदर्शन वाले (कारिकावलिकार) बाज का पखत पर बठना रूपा सयोग अन्यतर कमज होता है। इसमें दोनों उदाहरण समान हैं।

२ द्वन्द्वकमज (चरक) और उभयकमज (कारिकावलि) दोनों एक ही हैं। क्योंकि दोनों के उदाहरण समान अभिप्राय को प्रकट करते हैं। यथा—चक्रपाणि के अनुसार दो भेड़ों का परस्पर लड़ना और न्यायदर्शन के अनुसार उड़ते हुए दो पक्षियों का परस्पर मिलना ये दोनों समान हैं। क्योंकि दोनों भेड़ों और पक्षियों में क्रिया धाई जाती है। अतः दोनों एक ही हैं।

३ महर्षि ऋक के द्वारा प्रतिपादित 'सर्व कर्मज' और कारिकाकलि में कथित 'सयोगज सयोग' दोनों परस्पर भिन्न हैं। बहुत से तिलो का योग होने पर उनसे तैल निकालना यह सबकर्मज है और वृक्ष की डाल पर कीबे का बठना सयोगज सयोग है। यहां पर वृक्ष से कीबे का सयोग है ऐसा माना जाता है। अर्थात् अवयव संयुक्त होने पर वह अवयवों से भी संयुक्त है। अतः इस प्रकार का सयोगज ज्ञान सयोगज सयोग कहलाता है।

यद्यपि सबकर्मज सयोग और सयोगज सयोग परस्पर भिन्न प्रतीत होते हैं किन्तु वस्तुतः दोनों एक ही हैं। दोनों में अन्तर केवल इतना है कि सर्वकर्मज सयोग एक काल में ही होता है और सयोगज सयोग उत्तर काल में सभी से संयुक्त होता है। ये समस्त सयोग अनित्य होते हैं। क्योंकि विभाग के द्वारा इनका विनाश होता है।

विभाग निरूपण

विभागस्तु विभक्ति स्याद्विद्योगो भागशो ग्रहः ।

—चरक संहिता सूत्रस्थान २६/३३

सयोगनाशको गुणो विभागः ।

—तक सग्रह

अर्थ—वस्तुओं का पारस्परिक विभजन (अलग-अलग करना) अथवा एक एक भाग करना विभाग कहलाता है। सयोग नाशक गुण को विभाग कहते हैं।

यह सयोग का विरोधी गुण है। अतः जिस गुण के कारण दो या अधिक द्रव्यों के विषय में यह बुद्धि हो कि ये संयुक्त नहीं (विभक्त) हैं उसे विभाग कहते हैं। विभाग का ही अपर पर्याय वियोग होता है। वियोग में भागशः ग्रह होना है। किसी संयुक्त औषधि में समस्त औषधियों की नियत मात्रा का ज्ञान करना कि कौन सी औषधि कितनी मात्रा में है—वियोग या विभाग कहलाता है। सयोग की भाँति विभाग भी तीन प्रकार का होता है। यथा १ द्वन्द्वकर्मज २ एककर्मज और ३ सबकर्मज। सयोग के उदाहरण ही विभाग के उदाहरण के रूप में प्रप्रिषटित समझना चाहिए। जैसे वृक्ष से पत्तों का अलग होना दोनों भडों का परस्पर अलग होना तथा तैल तिलों को परस्पर अलग कर देना।

पृथक्त्व निरूपण

पृथक्त्वं स्यादसंयोगो ब्रह्मण्यमनेकताः । —चरक संहिता सूत्रस्थान २६/३९

पृथक्त्वव्यवहारसाधारणकारणं पृथक्त्वम् ।

—तक सग्रह

अर्थ—असयोग का नाम ही पृथक्त्व है। यह इससे अलग है—यह ज्ञान जिस गुण के कारण होता है उसका नाम पृथक्त्व है। जैसे यह 'घट' अमुक 'घट' से पृथक्

(भिन्न) है। इस प्रकार की बुद्धि जिसके द्वारा उत्पन्न होती है उसे पथक्त्व कहते हैं। अथवा पथक् व्यवहार के असाधारण कारण को पथक्त्व कहते हैं। यह सब द्रव्यों में होता है।

यह तीन प्रकार का होता है—असंयोग लक्षण—जिसका कभी संयोग होना सम्भव नहीं है। जैसे विन्ध्य पर्वत और हिमालय का पथक्त्व। २ बलक्षण्य रूप विलक्षणता (लक्षणों की असमानता) होने के कारण जहाँ संयोग नहीं हो सकता। जैसे माय भस बकरी मुअर में विलक्षणता (लक्षण की असमानता) के कारण पथक्त्व। ३ अनेकना रूप-समान जाति वाले द्रव्यों में भी अनेक रूपता होने से उनमें पथक्त्व पाया जाता है। जैसे—गाय में काली गाय सफेद गाय लाल गाय आदि।

परिमाण निरूपण

परिमाण पुनर्निर्माण।

—चरक संहिता सत्रस्थान अ २६

मानव्यवहार साधारणकारण परिमाणस तत्त्वतुर्विधमण दीध महत ह्रस्व च।

—तक सप्रह

अर्थ—मान को ही परिमाण कहते हैं। मान (माप तौल) के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। जिस गण के कारण माप होता है वह परिमाण कहलाता है। माप या तौल के द्वारा जो मान ज्ञात किया जाता है उस मान व्यवहार क हेतु भूत गण का नाम ही परिमाण है। जिस गण को माप और तौल के विभिन्न साधनों (किलो ग्राम मीटर लीटर आदि के द्वारा जाना जाता है) वह परिमाण कहलाता है। परिमाण के द्वारा ही वस्तुओं का माप या मानदण्ड नियत किया जाता है। वह सभी द्रव्यों में पाया जाता है। वह चार प्रकार होता है—अण महत दीध और ह्रस्व।

सस्कार निरूपण

सस्कार करण मतम

—चरक संहिता सूत्रस्थान २६/६४

करण पुन र्भाविकाना द्रव्याणामभिसस्कार।

सस्कारो हि गुणातराधानमच्यते।

—चरक संहिता विमान स्थान १/२६

सामान्यगुणात्मविशेषगुणोभयवस्तिव्याप्यजातिमान सस्कार। —शुक्ल मध्यक प्रकारेण क्रियते इति सस्कार।

स कारस्त्रिविध बगो भावना स्थितिस्थापकश्च।

—प्रकृतस्तपत्र

अर्थ—क्रिया के द्वारा गुणाधान करने को सस्कार कहते हैं। औषध या आहार

को तैयार करने में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएँ की जाती हैं। उन प्रक्रियाओं से द्रव्य में अन्य गुण की उत्पत्ति होती है उसे ही सस्कार कहते हैं। इसका अपर पर्याय करण है।

जिन द्रव्यों में जो गण स्वभावतः नहीं पाए जाते हैं उन गुणों को उन द्रव्यों में सस्कार क्रिया विशेष के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह सस्कार जल अग्नि ससग मन्थन देश काल भावना काल प्रकर्ष एव पात्र संयोग के द्वारा किया जाता है। यह सस्कार सामान्यतः तीन प्रकार का होता है—१—वेग २—भावना और ३—स्थिति स्थापक। १ वेग यह पृथ्वी जल-वायु-अग्नि इन चार मूलद्रव्यों में और अमृत मन में पाया जाता है। उपयुक्त इन पाँच द्रव्यों में कारण विशेष से जो गति प्रवाह उत्पन्न होता है वह वेग नामक सस्कार कहलाता है। इससे द्रव्यों के संयोग और वियोग का नाश होता है। २ भावना—अनुभव प्रत्यक्ष आदि होने के पश्चात् उन अनुभवों का जो कुछ भी अज्ञ मनमें रह जाता है उसीके द्वारा उन अनुभव विषयों का स्मरण होता है और वे पुनः पहचानी जाती हैं। अतः पूर्वानुभूत विषयों की प्रत्यभिज्ञा जिस सस्कार के द्वारा होती है वही भावना सस्कार से अभिप्रत है। सस्कार केवल आत्मा में रहता है। पुनः पुनः अथवा एक बार जिस वस्तु का अनुभव होता है उससे उस वस्तु की भावना मन में अंकित हो जाती है। पश्चात् वही प्रादुर्भूत होती है। ३ स्थिति स्थापक जिस गुण के कारण द्रव्यों में लचकीलापन पाया जाता है तथा जिससे द्रव्य को दोनों ओर से खींचने पर द्रव्य फैल जाता है किंतु छोड़ देने पर पुनः अपनी स्वाभाविक पूर्व स्थिति को प्राप्त हो जाता है वह स्थितिस्थापक गण (सस्कार) कहलाता है। जैसे रबर के टुकड़ को खींचने पर वह लम्बा हो जाता है या वक्ष की डाल पकड़ कर खींचने पर वह झक जाती है किन्तु छोड़ देने पर पुनः अपनी स्वाभाविक पूर्व स्थिति को प्राप्त हो जाती है। यह पृथ्वी जल अग्नि और वायु में पाया जाता है।

अभ्यास निरूपण

भावाभ्याससंभ्यास शीलन सततक्रिया — चरक संहिता, सत्रस्थान २६/३४

अर्थ—किसी भी भाव पदार्थ का पुनः पुनः पालन (सेवन) करने को अभ्यास कहते हैं। शीलन और सतत क्रिया ये दो अभ्यास के पर्यायवाची शब्द हैं।

जब कोई काय लगन के साथ लगातार किया जाता है वही सतत क्रिया कहलाता है। इसी भाँति बारम्बार द्रव्यों का अनुशीलन (सेवन करना) शीलन कहलाता है। ये दोनों ही अभ्यास कहलाते हैं।

इस प्रकार ये परादि १ गण होते हैं तथा सार्यां गुर्वाद्यो बुद्धिः प्रत्यक्षान्ता पराद्रव्य के अनुसार कुल ४१ गण होते हैं। न्याय दर्शनोक्त धर्म और असर्म इन दोनों गुणों को आयुर्वेद में नहीं माना गया है। अतः उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है।

न्यायोक्त चतुर्विंशति गुण

न्याय दर्शन में आयुर्वेद की भाँति ४१ गुणों को नहीं माना गया है। उन्होंने केवल २४ गुणों का ही उल्लेख किया है। और उही २४ गुणों के अन्तर्गत आयुर्वेदोक्त ४१ गुणों को समाविष्ट कर लिया है। न्यायोक्त २४ गुण निम्न प्रकार हैं—

अथ गुणा रूप रसो गन्धस्ततः परम ।

स्पर्श सलया परिमिति पथक्त्व च तत परम ॥

संयोगश्च विभागश्च परत्व चापरत्वकम् ।

बद्धि सुख दुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम् ।

द्रवत्व स्नेहसकाराव दृष्ट शब्द एव च ॥

— कारिकावलि

अर्थात् १ रूप २ रस ३ गन्ध ४ स्पर्श ५ सख्या ६ परिमिति (परिमाण) ७ पथक्त्व ८ संयोग ९ विभाग १ परत्व ११ अपरत्व १२ बुद्धि १३ सुख १४ दुःख १५ इच्छा १६ द्वेष १७ प्रयत्न १ गुरुत्व १९ द्रवत्व २ स्नेह २१ सस्कार २२ धम २३ अधम और २४ शब्द ये २४ गुण हैं। ऊपर श्लोक में जो अदृष्ट शब्द आया है उससे धर्म और अधम इन दो गुणों का ग्रहण किया गया है।

वस्तुतः ये २४ गुण ही माने गए हैं। इन्हीं २४ गुणों में आयुर्वेदोक्त ४१ गुणों का समावेश कर लिया जाता है। धम और अधम ये दो गुण आयुर्वेद में नहीं माने गए हैं। शेष समस्त गुणों को आयुर्वेद में स्वीकार किया गया है। आयुर्वेद में उपर्युक्त न्यायोक्त गुणों के अतिरिक्त १७ लघुत्वादि गुण तथा युक्ति एव अभ्यास ये दो (परादि) गुण इस प्रकार कुल १९ गुण अधिक माने गए हैं। इन गुणों का समन्वय इस प्रकार किया जा सकता है—अभ्यास को सस्कार में युक्ति को संयोग में गुर्वादि गुणों में गुरुत्व द्रवत्व और स्नेह इन इन तीन गुणों को छोड़कर शेष गुणों को सस्कार और धम में समाविष्ट किया जा सकता है। आयुर्वेदोक्त गर्वादि २ गुणों दो प्रकार से प्राप्त होते हैं—सांसिद्धिक (स्वभाव सिद्ध) और २—निमित्तिक (कारणजन्य)। जब इनकी प्राप्ति स्वभावतः होती है तब यह इस द्रव्य का धम है ऐसा कहा जाता है और औषधि द्रव्य का वह धम अदृष्टजय होता है। ऐसी स्थिति में इनका समावेश धम में किया जाता है। जब निमित्तों के द्वारा इन गुणों की प्राप्ति होती है तब इन गुणों का समावेश सस्कार में कर लिया जाता है। इस प्रकार कुल चौबीस गुण ही माने जाते हैं और गुणों की सख्या सम्बन्धी मतभेद का समाधान हो जाता है।

कुछ विद्वान् इस प्रकरण में भिन्न मत रखते हैं। उनके मतानुसार चरकोक्त गुणों की सख्या भी २४ मानी जा सकती है। चरक में गुणों का वर्गीकरण एवं सख्या

निर्देश सार्था गुर्वादयो इत्यादि पद से किया गया है। २४ गुण भगने बाले विद्वानो के अनुसार इस पद का अर्थ यदि वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार किया जाय तो चरक के सिद्धान्तानुसार भी २४ ही गण होते हैं। जैसे वैशेषिक दशन में क्यरसगन्ध स्पश सख्या परिमाणानि पचस्त्व सयोगविभागे परापरस्व ब्रह्म सुखसुखे इच्छाद्वेषी प्रयस्त्वाश्च (वैशेषिक दपण १ १ ६) ये १७ गण बतलाए गए हैं। प्रशस्तशाद आप्य मे उपयुक्त प्रयत्नाश्च पाठ के च पद से ७ और गुण स्वीकार किए गए है। यथा च शब्दसमच्छितास्तु गुरुत्व ब्रह्म स्नेह सस्कार-धर्माधम-शब्दा सप्तवेत्येव चतविंशति गुणा । इस प्रकार मूलत कुल २४ गुण होते हैं। इसी भाति आयुर्वेदोक्त सार्था शब्द से स्पर्श रूप रस गन्ध ये ४ गण गुर्वादयो' शब्द से गुरुत्व-ब्रह्मत्व-स्नेह-सस्कार-धर्म अधर्म शब्द ये ७ गुण बुद्धि इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न ये ६ गुण परादय शब्द से सस्कार युक्ति और अभ्यास इन गुणो को छोडकर शेष ७ गुण ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार चरक के अनुसार भी २४ गुण होते हैं।

उपर्यक्त मत आयुर्वेद की दृष्टि से समीचीन एव उपयोगी नहीं है। जो लोग इस धारणा के अनुसार सोचते हैं उनकी कल्पना निराधार एवं अयुक्ति युक्त है। क्योंकि महर्षि चरक के द्वारा वर्णित ४१ गुण चिकित्सा की दृष्टि से उपयोगी एव महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक गण का अपना स्वतन्त्र महत्व एव उपयोगिता है। अत उन्हें केवल सख्या की दृष्टि से 'यूनाधिक नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सार्था शब्द से सर्वत्र पचमहाभूतो के शब्द स्पर्शादि पाच गणो का ही ग्रहण किया गया है। यथा— अर्था शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणः। (चरक संहिता शारीरस्थान १) गुर्वादि शब्द से आयुर्वेद मे सर्वत्र गुरु आदि २ गुण ही ग्रहण किए जाते हैं। यथा गुरुमन्वह्निमस्निग्धदलकणसाद्भ्रमद्बुस्थिरा। गुणा ससूक्ष्मविज्ञादा विज्ञाति सविषयया ॥ (अ हू स १) परादि शब्द से आयुर्वेद मे सदा १ गुणी का ही ग्रहण होता है। यथा—परापरस्व यक्तिश्च सख्या सयोग एव च। विभागश्च पृथक्त्व च परिमाणमव्याधि च। सस्कारोभ्यास इत्येते गुणा प्रोक्ताः परादय ॥ (च सू अ २५) इस प्रकार सार्था गुर्वादयो इत्यादि चरकोक्त वाक्य से केवल उन्ही गुणो का ग्रहण करना उपयुक्त है जिनका निर्देश आयुर्वेद के आचार्यों ने अपनी मूल संहिताओ मे किया है। इन गुणो को छोडकर अन्य दशानोक्त गुणो के साथ समन्वय हेतु व्यर्थ की खीचातानी पूर्वक प्रयास करना अनुपयुक्त है।

गुणों का साधर्म्य

आयुर्वेद शास्त्र में जिन ४१ गुणो का वर्णन किया गया है वे यद्यपि परस्पर एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि उनमें कुछ धर्म ऐसे हैं जो सभी मे समान रूप से पाए

जाते हैं। अतः परस्पर भिन्न होते हुए भी उनमें जो धर्म समान रूप से मिलता है वही साधर्म्य कहलाता है। सभी गुणों में समान रूप से मिलने वाले धर्म निम्न हैं—

- १ सभी गुण में गणत्व जाति पाई जाती है। गणत्व जाति के कारण ही वे गुण कहलाते हैं।
- २ सभी गुण द्रव्य में अश्रित रहते हैं। अतः वे आश्रित धर्म वाले हैं।
- ३ सभी गण गौणत्व धर्मयुक्त होने से गौण (अप्रधान) होते हैं।
- ४ सभी गण नियम होते हैं। उनमें कोई अन्य गुण नहीं होता।
- ५ सभी गण निष्क्रिय होते हैं। वे किसी प्रकार का क्रिया (कर्म) नहीं करते अथवा उनमें कोई क्रिया नहीं पाई जाती है।
- ६ संयोग और विभाग में सभी गण अनपेक्ष अकारण हैं।

गणों का बध्म्य

गणों में पाया जाने वाला वह धर्म जो समस्त गणों में समान रूप से विद्यमान नहीं रहता अर्थात् कुछ गणों में पाया जाता है और कुछ गुणों में नहीं पाया जाता बध्म्य कहलाता है। गणों में बध्म्य निम्न प्रकार से होता है—

- १ रूप रस गन्ध स्पृश परब अपरब तथा गुर्वादि बीस गुण मत होते हैं। अर्थात् ये मत गण केवल स्थूल स्वरूप वाले द्रव्यों में पाए जाते हैं। यथा—पृथ्वी जल तज और वायु में।
- २ बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सस्कार और शब्द ये अमत गुण होते हैं तथा जिनका स्थूल स्वरूप नहीं होता उनमें ये पाए जाते हैं। जस आत्मा और आकाश में।
- ३ संख्या परिमाण पथक्त्व संयोग और विभाग ये पाँच मूर्तामृत गुण हैं तथा समस्त द्रव्यों में पाए जाते हैं।
- ४ बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये गण उभयेन्द्रियरूप अन्तःकरण (मन) के द्वारा ग्राह्य हैं।
- ५ शब्द स्पृश रूप रस गन्ध ये पाँच गुण ज्ञानेन्द्रियों के प्रत्यात्मनियत विषय हैं। अर्थात् मात्र ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ही ग्राह्य हैं। इसीलिए ये बाह्य गुण भी कहलाते हैं।
- ६ धर्म और अधर्म अतीन्द्रिय होते हैं।
- ७ संयोग और विभाग कभी भी एक द्रव्य में नहीं पाए जाते। किन्तु संख्या एक द्रव्य में और कभी अनेक द्रव्यों में पाई जाती है।
- ८ शब्द स्पृश रूप रस गन्ध बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म

अधर्म सस्कार और बुद्धि कील गुण ये विशेष गुण कहलाती हैं। क्योंकि इन गुणों के आधार पर ही वस्तु एक दूसरे से भिन्न समझी जाती है। विशेषवस्तु पृथक्त्वकृत् के आधार पर ही ये विशेष गुण हैं।

६ सख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व और द्रवत्व से सामाय (नैमित्तिक) गुण होते हैं। अर्थात् अनेक द्रव्यों में ये एक साथ ही पाए जाते हैं। इनके द्वारा वस्तु एक दूसरे से पथक नहीं की जा सकती है। इनके द्वारा अनेक द्रव्य एक साथ समझे जाते हैं। जैसे संयोग के द्वारा दो या अधिक संयुक्त द्रव्यों का ज्ञान होता है।

द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण

भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाने वाले गुणों की सख्या भिन्न भिन्न है। न्याय दर्शन के अनुसार निम्न द्रव्यों में उपलब्ध होने वाले गुण और उनकी सख्या निम्न प्रकार है—

वायोरनैवकादश तेजसो गुणा जलकितिप्राणभतां चतुदश ।

विष्कालयो पच षड्वाम्बरे महेश्वरेऽष्टौ मनसस्तथव च ॥

अर्थात् वायु के नौ तेज (अग्नि) के ग्यारह जल पृथ्वी और जीवात्मा के चौदह चौदह दिशा और काल के पाच-पाँच आकाश में छह परमात्मा तथा मन के आठ आठ गुण होते हैं। द्रव्यों के उपयुक्त वर्णित गुणों का विवरण निम्न प्रकार है—

१ न्यायोक्त चतुर्विंशति गुणों में से स्पष्ट सख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व तथा वेगाध्य सस्कार ये नौ गुण वायु में होते हैं।
२ उपयुक्त नौ गुणों के साथ रूप और द्रवत्व ये ग्यारह गुण तेज में होते हैं।
३ उपयुक्त नौ गुणों के अतिरिक्त द्रवत्व गुरुत्व रूप रस और स्नेह ये चतुदश गुण जल में होते हैं।

४ उपयुक्त चतुदश गुणों में स्नेह के स्थान पर गन्ध ग्रहण कर लेने से चौदह गुण पृथ्वीगत हो जाते हैं।

५ बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न परिमाण सख्या पृथक्त्व संयोग विभाग भावनाध्य सस्कार धर्म और अधर्म ये चौदह गुण जीवात्मा में होते हैं।

६ सख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग ये पाँच गुण दिक् और काल के होते हैं।

७ सख्या आदि उपयुक्त पाँच तथा शब्द ये छ गुण आकाश में विद्यमान रहते हैं।

८ संख्या आदि उपयुक्त पाच गुण तथा बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ये आठ गुण परमात्मा में पाए जाते हैं ।

९ संख्या आदि उपयुक्त पाच गुण तथा परत्व अपरत्व एव वेग नामक सस्कार ये आठ गुण मन के होते हैं ।

गण प्राधाय निरूपण

कुछ विद्वान् द्रव्यादि पदार्थों में गुण को प्रधान तथा अन्य द्रव्यादि को अप्रधान मानते हैं । गुणों का प्राधान्य वे निम्न आधार पर मानते हैं—

- १ गुण के अभाव में द्रव्य का कोई महत्व नहीं है ।
- २ गुणों के अनुसार ही द्रव्य कम करने में तत्पर होता है ।
- ३ रसों का उकषापकष द्रव्याश्रित गुणाधीन है ।
- ४ गुणों से रसों का पराभव होता है ।
- ५ गुणों को विपाक का कारण भूत माना जाता है ।
- ६ संख्या की दृष्टि से गण सर्वाधिक होते हैं ।
- ७ बाह्य एव आभ्यन्तर दोनों प्रकार से गुणों का प्रयोगाधिक्य देखा जाता है । उपदेश अपदेश एव अनुमान के द्वारा गुणों का प्राधाय सिद्ध है ।



चतुर्थ अध्याय

कर्म निरूपण

कर्म का लक्षण

संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाधितम् ।

कतद्रव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान १/५२

प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुच्यते ।

—चरक संहिता सूत्रस्थान १/४१

द्रव्याधितं च कर्म यदुच्यते क्रियेति ।

—चरक संहिता सूत्रस्थान ८/१३

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेऽनपेक्षकारणमितिकर्मलक्षणम् ।

—वैशेषिक सूत्र १/१/१७

अर्थ— जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो तथा द्रव्य में आधित हो वह कर्म कहलाता है। कतद्रव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। अर्थात् कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। यत्नपूर्वक की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं। द्रव्याधित जो क्रिया होती है वही कर्म कहलाता है। इस प्रकार जो एक द्रव्याधित गुण से रहित संयोग तथा विभाग के उत्पन्न करने में अपने से उत्तरभावी किसी भावपदाद्य (कारण) की अपेक्षा न करता हुआ कारण है वह कर्म कहलाता है। आयुर्वेद में कर्म से प्रवृत्ति का भी ग्रहण होता है। यथा—

प्रवृत्तिस्तु क्षणं चेष्टा कार्यायां सैव क्रिया कर्म यत्नः कायं समारम्भश्च ।

—चरक संहिता विज्ञान स्थान अ ८

अर्थात् काय के लिए जो चेष्टा की जाती है वह प्रवृत्ति कहलाती है। वही क्रिया कर्म यत्न और काय समारम्भ कहलाती है।

कर्म में सामान्यतः निम्न तथ्य अपेक्षितरूपेण होना चाहिये—

एकद्रव्यम्—कर्म एक द्रव्याधित होता है। यद्यपि गुण भी द्रव्य के ही आधित रहता है किन्तु दोनों के आधितत्व में अन्तर होता है। सभी गुण एक द्रव्याधित नहीं होते। कुछ ऐसे गुण भी हैं जो अनेक द्रव्याधित होते हैं। जैसे संयोग गुण एक द्रव्याधित कभी नहीं होता। जैसे किसी स्थान पर जल समूह एकत्रित होने पर उनका संयोग

अनेक द्रव्याश्रित होगा। इसी भाँति रोटी और घृत का संयोग दो द्रव्य (रोटी और घृत) के आश्रित होगा। अतः वह सबनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुण हुआ। किन्तु कर्म में ऐसा नहीं होता। वह सदा एक ही द्रव्य के आश्रित रहता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दो द्रव्यों या अनेक द्रव्यों के अश्रित हो। एक द्रव्याश्रित होने से कम एकनिष्ठ या एक द्रव्यम कहलाता है।

अगुणम—जिस प्रकार किसी गुण में अय गुण आश्रित होकर नहीं रहता उसी प्रकार कम में भी कोई गुण आश्रित होकर नहीं रहता। कम किसी गुण का आश्रय अथवा किसी गुण का आधार नहीं होने के कारण वह गुण रहित होता है अतः उसे अगुणम या निगुणम कहा गया है।

सयोगविभागोऽवनपेक्षकारणम—कम के द्वारा सयोग और विभाग दोनों एक ही साथ सम्पादित होते हैं। अर्थात् कम जिस द्रव्य के आश्रित होकर रहता है उस द्रव्य का पूरा देश से विभाग तथा उत्तर देश से सयोग तदाश्रित कम के द्वारा ही होता है। यद्यपि सयोग भी तो उत्तर देश से सयोग में हेतु होता है किन्तु वह पूर्व देश के विभाग में हेतु नहीं हो सकता। उसी भाँति विभाग भी पूरा देश के विभाग में हेतु होता है किन्तु वह उत्तर देश के सयोग में हेतु नहीं हो सकता। कम एक साथ पूरा प्रदेश के विभाग एवं उत्तर प्रदेश के सयोग में हेतु होता है। अर्थात् कम के द्वारा सयोग और विभाग एक साथ होता है। इसके अतिरिक्त द्रव्य भी तो सयोग और विभाग में युगपत् कारण होता है तथापि उसे कम की अपेक्षा रहती है। अर्थात् कम के कारण ही द्रव्य सयोग विभाग करने में समर्थ होता है। जब द्रव्य कम से युक्त होना है तब ही वह सयोग और विभाग कर सकता है। अभिप्राय यह है कि द्रव्य को सयोग विभाग करने में कम रूप कारणान्तर की अपेक्षा रहती है। किन्तु समुत्पन्न कम किसी कारणान्तर की अपेक्षा किए बिना स्वयं ही सयोग विभाग को युगपत् करता है। यही **सयोगविभागोऽवनपेक्षकारणम** कहलाता है।

इन तीनों (एक द्रव्य अगुण और सयोगविभागोऽवनपेक्षकारण) के मिलने से कम का यह लक्षण उत्पन्न होता है कि जो द्रव्यों के परस्पर सयोग तथा विभाग को उत्पन्न करता है तथा उसके उत्पन्न करने में समवायी द्रव्य एवं सम्पूर्ण सयोगनाश की अपेक्षा करता हुआ भी अपनी उत्पत्ति के पश्चात् उत्पन्न होने वाले किसी भाव पदार्थ की (कारणान्तर के रूप में) अपेक्षा नहीं करता और सदा नियमपूर्वक एक द्रव्य के आश्रय में रहता तथा स्वयं किसी गुण का आश्रय नहीं होता वह कर्म कहलाता है।

कम के भेद

यद्यपि कम असंख्य हैं और उसके अनेक प्रकार हैं। अतः उनकी इयत्ता निश्चित

किया जाना सम्भव नहीं है। तथापि इनको समझने के लिए और व्यवहार के लिए उन कर्मों का भेद ज्ञान आवश्यक है। इसी दृष्टि से शास्त्रो में कम के जो भद या प्रकार निरूपित किए गए हैं उसी आधार पर यहाँ उनका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

कम से सामान्यतः दो प्रकार के कम अभिप्रेत हैं—इहलौकिक कम और पारलौकिक कम। इहलौकिक कम उपयुक्त प्रकार से सयोग तथा विभाग में निरपेक्ष कारण होता है और पारलौकिक कम क्तव्य की क्रिया को कहते हैं। क्तव्य से सामान्यतः सद्वृत्त या सदाचार का ग्रहण किया जाता है। उसकी क्रिया अर्थात् पालन करने से जो कम उत्पन्न होना है वह पारलौकिक कम कहलाता है। दोनों कम केवल क्रिया की अपेक्षा करते हैं और दोनों सयोग एव विभाग में युगपत् कारण होते हैं। जैसे—उक्षेपण कम में उच्च देश से सयोग और उसी क्षण अधः देश से विभाग भी होता है। इसी भाँति सदवत्तरूप क्तव्य का पालन करने से जब शुभ कर्म से सयोग होता है उसी क्षण अशुभ कम से विभाग भी होता है। इस प्रकार सयोग और विभाग में कम निमित्त कारण होता है।

चरक संहिता में कम का निरूपण करते हुए महर्षि चरक ने लिखा है—

प्रयत्नादि कम चष्टितमच्यते अर्थात् प्रयत्न यानि श्रम पूबक की जाने वाली चेष्टा ही कम कहलाती है। अथवा ऐसी चेष्टा जो प्रयत्न (जीवनयोनि प्रवृत्ति और निवृत्ति) का कारण है कम कहलाती है। इस कम की वृत्ति केवल मृत द्रव्यो में ही रहती है। अल्प परिमाण वाले द्रव्य ही मृत कहलाते हैं। व्यापी (सबत्र व्याप्त रहने वाला) या विभु द्रव्य मृत नहीं होता। अतः पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन पांच मृत द्रव्यो में ही कम की वृत्ति रहती है। विभु द्रव्य जैसे आकाश काल दिक् आमा में कम की वृत्ति कदापि सम्भव नहीं है। इन द्विविध कर्मों को ही कुछ अन्य विद्वानों ने क्रमशः लौकिक एव आध्यात्मिक कम की सज्ञा दी है। अर्थात् इहलौकिक कम को लौकिक तथा पारलौकिक कम को आध्यात्मिक कम माना है।

लौकिक कम के प्रकार

लौकिक कम पुनः तीन प्रकार का बतलाया गया है। यथा—१ सप्रत्यय २ असप्रत्यय और ३ अप्रत्यय।

सत्प्रत्यय—ज्ञान पूबक यानि जान बूझकर किया गया प्रयत्न (कम) सप्रत्यय कहलाता है। जैसे गद को ऊपर उछालना।

असत्प्रत्यय—अज्ञान पूर्वक किया गया कम असप्रत्यय कहलाता है। यह कम अनायास ही हमारी बिना जानकारी या बिना प्रयास के होता है। जैसे ऊपर उछाली हुई गद नीचे आने के बाद धरती से टकरा कर पुनः ऊपर उछल जाती है इस प्रकार गद के नीचे गिरने के बाद पुनः जो उच्च गमन

क्रिया होती है वह अज्ञान मूलक एव अप्रयास जन्य होने से असत्प्र यथ कहलाता है । इसी प्रकार मस्तिष्कीय सौषुम्निक वर से पीडित रोगी जब अपने एक पैर को सिकोडता है तो उसका दूसरा पर अनायास ही अज्ञान पूर्वक सिकुड जाता है । यह भी असप्रयय का उदाहरण समझना चाहिए । यह कम चेतन और अचेतन दोनों मे पाया जाता है ।

अप्रत्यय—अप्रयय कम केवल अचेतन यो मे ही होता है । इसे निम्न तीन क्रियाओ या कारणो से समझा जा सकता है —

१ नोदन २ गुरुत्व और ३ वेग या सस्कार । नोदन—नो न का अथ है प्ररित करना या ढकेलना । जैसे पानी मे ककड या को^१ वस्तु गलने से उसमे हिलने की क्रिया होती है । गुरुत्व—निगाधार वस्तु या द्रव्य का स्वत नीचे गिरना । जैसे किसी तिपाई पर घडा रखा हुआ है । यहाँ तिपाई घड का आधार है । यदि तिपाई हटा ली जाय तो निराधार होने से तथा घडा अपने गुरुत्व क कारण नीचे गिर जायगा । बग—गति की अस्य त तीव्रता । जैसे—धनुष की खीची गई प्रयञ्चा को छोडने से उत्पन्न गति की तीव्रता (वेग) के कारण धनुष स छटा हुआ बाण बहुत दूर तक चना जाता है और अपने लक्ष्य का भेदन करता है ।

यायोक्त कम के भव

न्याय शास्त्र मे कम के पाँच भेद बतलाए गए हैं । यथा

उत्क्षेपण ततोऽपक्षेपणमाकुचन तथा ।

प्रसारण च गमन कर्माण्येतानि पञ्च च ।

भ्रमण रेचन स्यन्दनोर्ध्वञ्चलनमेव च ।

तिर्यंगमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥

—कारिकावलि

अर्थ—उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुचन प्रसारण और गमन ये पाँच कर्म के भेद हैं । भ्रमण रेचन स्यन्दन उध्व चलन तिर्यंगमन आदि समस्त कर्म गमन कर्म से समझना चाहिए ।

उक्षेपण—ऊर्ध्वदेशसयोगहतरक्षेपणम् ।

—तक सग्रह

उपर की ओर गति करना या ऊपर की ओर फकना । जिसके द्वारा पदाथ का उपर के प्रदेश के साथ सयोग हो तथा अध प्रदेश के साथ वियोग (विभाग) हो वह उक्षेपण कम कहलाता है । जैसे पथर का ऊपर फकना गद का उपर उछा सना पतंग का उडाना आदि ।

अपक्षेपण—अधोदेशसयोगहेतुरपक्षेपणम् ।

—तर्क सग्रह

अर्थात् जो कम अध प्रदेश से सयोग कराने मे कारण होता है वह अपक्षेपण कहलाता है । अपक्षेपण कम के द्वारा द्रव्य का निचले प्रदेश के साथ सयोग तथा उर्ध्व

प्रदेश के साथ वियोग होता है। साधारणत नीचे की ओर गति करना अथवा नीचे फकना ही अपक्षेपण कर्म होता है। जैसे सीढियों के द्वारा नीचे उतरना पत्थर का नीचे की ओर फकना पेड़ स पत्तों का नीचे गिरना आदि अपक्षेपण के उदाहरण हैं।

आकुचन— शरीरस्य सन्निकृष्टसयोगहेतु आकुचनम् । —सक सग्रह

अर्थात् जिस कम के द्वारा द्रव्य का शरीर के सन्निकृष्ट प्रदेश के साथ सयोग हो वह आकुचन कम कहलाता है। जिस क्रिया के द्वारा सीधे अथवा फँले हुये द्रव्य का अप्रभाग उम प्रदेश से विभाग अथवा अपने मूल प्रदेश से सयोगरूप सिकुडकर सकुचित अथवा अल्प देश यापि होता है वह आकुचन कम कहलाता है। जैसे फँले हुये हाथो को सिकोडना फले हुये कपड को समेटना किसी वस्तु को अपनी ओर खीचना आदि।

प्रसारण— विप्रकृष्टसयोगहेतु प्रसारणम् । —सक सग्रह

अर्थात् जिसके द्वारा वस्तु का विप्रकृष्ट (दूरस्थ) प्रदेश के साथ सयोग हो उसे प्रसारण कम कहते हैं। यह कम आकुचन से सर्वथा विपरीत होता है। इसमे वस्तु का परवर्ती (दूरवर्ती) प्रदेश के साथ सयोग तथा सन्निकृष्ट या समीपवर्ती प्रदेश के साथ विभाग होता है। हाथ का फलना कपड का फँलना लताओ का फँलना पानी का फँलना आदि।

गमन— उत्तरदेशसयोगहेतुगमनम् । —सक सग्रह

अर्थात् जिसके द्वारा वस्तु का उत्तर वर्ती प्रदेश से सयोग तथा पश्चात् वर्ती प्रदेश से विभाग होता है वह गमन कर्म के द्वारा व्यवहृत होता है। इस सयोग विभाग के कारण रूप कम की दिशा तथा प्रदेश अनियत होता है और वस्तु की गति किसी भी प्रदेश की ओर हो सकती है। गमन से गति या चलनात्मक क्रिया का बोध होता है। इसके अति रिक्त भ्रमण रेचन स्यन्दन उध्वज्वलन तथा तियगमन आदि समस्त कर्मों का समावेश गमन कर्म मे हो जाता है।

आयुर्वेद मे कर्म के भेदो के अन्तर्गत उपयुक्त उत्क्षेपणादि पचविध कर्मों के अतिरिक्त अन्य पचविध कर्मों का प्रतिपादन किया गया है। यथा— तस्य ष्यस्य कम पचविधमत्त वधनादि —च सू २६/२० अर्थात् द्रव्य के पांच प्रकार के कर्म होते हैं। यथा—१-वमन २ विरेचन ३ निरुह बस्ति ४-अनुवासन बस्ति और ५-नस्य (शिरोविरेचन)। ये सभी कर्म उपयुक्त वैशेषिक कम मे समाविष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शास्त्र मे (विशषत शल्य चिकित्सा मे) १ पूर्व कर्म २ प्रधान कर्म और ३ पश्चात् कर्म—इन तीन प्रकार के कम को भी माना गया है। ये समस्त कर्म उपरि निर्दिष्ट कम के लक्षण के द्वारा सिद्ध होते है। इन्हीं कर्मों के आधार पर आयुर्वेद मे कम के लक्षण को प्रतिपादित किया गया है ताकि वह अतिव्या प्यादि दोष से रहित हो।

पचम अध्याय

सामान्य निरूपण

यह आयुर्वेदीय चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसे वस्तुतः चिकित्सा का सूत्र समझना चाहिये। आचार्यों ने आयुर्वेद का प्रयोजन बतवाते हुए कहा है—

धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तत्रस्यास्य प्रयोजनम्। अर्थात् शरीर में स्थित धातु पित्त कफ (धातु रूप) इन तीनों दोषों रस रक्तादि सप्त धातुओं को समावस्था में रखना ही इस आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है। तापय यह है कि क्षीण हुई धातुओं को उपयुक्त औषध एवं आहार विहार के द्वारा बढ़ाकर उन्हें सम अवस्था में रखना चाहिये। यही वचन का मुख्य कर्तव्य है। यही कारण है कि राजयक्ष्मा रोग में जब मास अत्यन्त क्षीण हो जाता है तब **बद्धान्मांसादमांसानि बृहणानि** विशयत। इत्यादि वचनों के द्वारा रोगी को मांस खाने वाले पशु पक्षियों के मांस सेवन का निरूपण किया गया है। चिकित्सक के मांस तथा अन्न खाद्य मांस में मांसव सामान्य है—अतएव मांस बृहण करने वाला होता है। कहा भी है— **शरीरं बृहणं नायत्स्य ह्य मासाद्विशिष्यते।**

इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य का प्रतिपादन मात्र दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में नहीं किया गया है अपितु चिकित्सा की दृष्टि से उसकी विशेष उपयोगिता है। क्योंकि **सम्मानगुणान्मांसो हि धातूनामभिवृद्धिकारणम्।** इस वाक्य के अनुसार सामान्य के आधार पर ही शरीर के विभिन्न भावों की क्षीणता को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार यह आयुर्वेदीय चिकित्सा का सूत्र एवं आयुर्वेद का मौलिक सिद्धान्त है।

दार्शनिक दृष्टि से सामान्य के प्रतिपादक महर्षि कणाद हैं। उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के रूप में इसका प्रतिपादन एवं विवेचन किया है। किन्तु आयुर्वेद में इसे चिकित्सा के आधारभूत सिद्धान्त के रूप में अंगीकृत किया गया है। वैशेषिक दर्शन में तो इसका साधारण रूप में ही विवेचन मिलता है जबकि आयुर्वेद में इसका विशद एवं सारगर्भित विवेचन किया गया है। आयुर्वेद में यह मात्र सद्दान्तिक रूप में ही प्रतिपादित नहीं है अपितु व्यवहारिक रूप में भी उसे अत्यन्त व्यापकता पूर्वक अपनाया गया है। यही कारण है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा को व्यापक रूप से सफलता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में सामान्य का उपयोग रोग निदान रोग

निवारण के साथ-साथ दार्शनिक दृष्टि से दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति हेतु भी किया गया है। तदनुसार इसका तात्त्विक ज्ञान अपेक्षित बतला कर लोक-पुरुष का साम्य (पुरुषोऽयं लोकसम्मित) जिस प्रकार बतलाया गया है और इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थिर किया गया है वह अपने आप में सारगर्भित एव पूणता लिये हुए है। शरीर और ससार के प्रत्येक भाव में एकरूपता स्थापित करने और इस विषय में सिद्धान्त स्थिर करने का श्रेय मात्र आयुर्वेद शास्त्र को है।

सामान्य का लक्षण

सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धिकारणम् — च सू ११४४

सामान्यमेकत्वकरणम् — च सू ११४५

तुल्यार्थता हि सामान्यम् — च सू २१४५

अनुवृत्तिप्रत्यहेतु एकमनेकसमवेत च सामान्यम् । तदेकत्वकर वृद्धिकर सादृश्य च । —सप्तम्यार्थी

नित्यमनेकानुगतसामान्यम् द्रव्य-गुण कमवृत्ति नित्यतो सत्यनेक समवेतत्वमिति वा सामान्यलक्षणम् ।

अथ—सदा समस्त भाव पदार्थों की वृद्धि करने वाला कारण सामान्य होता है। सामान्य एक व करने वाला होता है। तुल्यार्थता ही सामान्य कहलाती है स्व विषय के समस्त द्रव्यों में रहने वाला आमस्वरूपानुगम प्रत्यय का उत्पादक अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण सामान्य होता है। सामान्य नित्य एक तथा अनेक में अनुगत समवाय सम्बन्ध से रहता है। यह एक व वृद्धि तथा सादृश्य को उत्पन्न करने वाला होता है। अर्थात् नित्य होते हुए जो अनेक पदार्थों में समवेत रहता है उसे सामान्य कहते हैं। यह द्रव्य गुण और कर्म तीनों में रहता है।

सयोग आदि भी अनेक पदार्थों में समवेत रूप से रहते हैं। अतः उनमें अतिव्याप्ति के निवारणार्थ नित्यत्व का सन्निवेश किया गया है। सयोग नित्य नहीं होता। नित्य होते हुए आकाश परिभाणादि द्रव्यों में समवेत रहते हैं। किन्तु वे एक काल में एक ही वस्तु में समवेत रहते हैं। अर्थात् आकाश परिमाण नित्य है। किन्तु वह मात्र एक आकाश में रहता है। अतः अनेक पद लगाया गया। अत्यान्ताभाव में भी नित्यत्व और अनेक वृत्ति दोनों ही गुण हैं। अतः वृत्तित्व सामान्य का परित्याग करके समवेतत्व शब्द लगाया गया। इस प्रकार सामान्य का निदुष्ट लक्षण निम्न हुआ।

सामान्य जाति—सामान्य से जाति का भी ग्रहण किया जाता है। जो लक्षण या धर्म समान गुण धर्मों द्रव्य में पाया जाता है [वह जाति कहलाता है। जैसे समस्त

गायो मे समान रूप से रहने वाला घम गोत्व' है। इसे गोत्व जाति कहते है। इसी प्रकार मनुष्यो मे मनुष्यत्व और अश्वो मे अश्वत्व आदि।

सामान्य के उपयुक्त लक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस पदार्थ के द्वारा भिन्न भिन्न देश और काल मे रहे हुए अनेक द्रव्या म समा नता का ज्ञान होता है उसे सामान्य अथवा जाति कहते। जैसे भिन्न भिन्न देश और काल मे रही हुई अनेक गाय है। उनमे जिस पदार्थ के द्वारा हम यह गाय है यह गाय है इस प्रकार की समानता का जो ज्ञान होता है वह है गोव। जिस जिस पदार्थ मे हमे गोव की प्रतीति होती है। उसे ही हम गाय कहते हैं। अत सिद्ध है कि समस्त गायो मे गोत्व समान रूप से विद्यमान रहता है। जो अनेक द्रव्यो मे समान रूप से विद्यमान हो वही सामान्य या जाति कहलाती है।

गोत्व जाति के ज्ञान से ससार के समस्त भागो मे रहने वाली विभिन्न रगो विभिन्न गुणो और विभिन्न अवस्थाओ वाली गाय गोत्व' जाति से भिन्न या पथक नही हो सकती और उसी मे समाविष्ट होने स सभी एक ही रूप मे जानी जाती हैं। अर्थात् इनमे भेद होते हुए भी इनका जो तात्विक ज्ञान और गोव घम या जाति है वह समस्त गायो मे सदा से रहता आया है और आगे भी रहेगा। गायो के नष्ट होने पर भी गोव जाति का विनाश नही होगा। गाय तो उत्पन्न भी होती है उसका विनाश भी होता है किन्तु उसमे रहने वाला गोत्व न कभी उत्पन्न होता है और न कभी विनष्ट होता है। अर्थात् गोत्व निय होता है। गाय अनेक होने पर भी उनमे स्थित गोत्व एक ही होता है और गाय मे वह समवाय (अपथगभाव) सम्बन्ध से रहता है। तात्पर्य यह है कि अनेक द्रव्यो मे रहता हुआ भी जो स्वय एक और निय होता है वह सामान्य कहलाता है।

इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए आचार्यों ने सामान्य का नित्यत्व अनेका नुगत सामान्यमे यह लक्षण प्रतिपादित किया है। यह केवल द्रव्य गुण और कम मे रहता है। सामान्य मे सामान्य नही होता। क्योंकि सामान्य म सामान्य मानने से अनवस्था होती है। विशेष मे सामान्य रह नही सकता क्योंकि विशेष सामान्य से सबथा विपरीत होता है। इसी लिए वह असामान्य कहलाता है।

सामान्य का आश्रय

सामान्य की सत्ता या स्थिति किस किस पदार्थ मे होती है इसका प्रतिपादन करते हुए आचार्य ने कहा है— द्रव्य गुण कमवृत्ति सामान्यमे। अर्थात् यह सामान्य द्रव्य गुण और कर्म मे रहता है। इनके अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ मे सामान्य की वृत्ति नही है। इससे यह भी स्पष्ट है कि सामान्य स्वय सामान्य मे नही रहता जसाकि गुण स्वय गुण म नही रहता है। यदि सामान्य मे सामान्य की स्थिति मान ली जाय तो

वह अनवस्था दोष से दूषित हो जायगा और दोष युक्त पदार्थ न तो दक्षन शास्त्र में और न ही आयुर्वेद शास्त्र में ग्राह्य है। सामान्य की अवस्थिति विशेष में भी स्वीकार नहीं की गई है। क्योंकि वह (विशेष) इस (सामान्य) के सर्वथा विपरीत या विरुद्ध होता है। परस्पर विरोधी पदार्थों या द्रव्यों में एक दूसरे की अवस्थिति कदापि सम्भव नहीं है। समवाय एक पदार्थ होते हुए भी एक नियम सम्बन्ध रूप होता है जो द्रव्य गण और कम मूलक होता है। अतः उसमें सामान्य की स्थिति सम्भव नहीं है। सामान्य ता समान गण घट भी वृद्धि का कारण है न कि वह सम्बन्ध कारक है। इस प्रकार सामान्य मात्र द्रव्य गण-कम वृद्धि वाला होता है। ये तीन पदार्थ ही उसके आश्रय हैं।

सामान्य के भेद—

टीकाकार आचार्य चक्रपाणि दत्त के द्वारा आयुर्वेद में चरक संहिता में सामान्य तीन प्रकार का माना गया है। यथा—१ द्रव्य सामान्य २ गुण सामान्य और ३ कर्म सामान्य। चरक में तीन स्थलों पर सामान्य के लक्षणों का उल्लेख मिलता है। वे तीनों लक्षण भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान्य का प्रतिपादन करने वाले हैं। जैसे—
(१) द्रव्य सामान्य—सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धिकारणम् (२) गुण सामान्य—सामान्यमेकत्वकरम् (३) कर्म सामान्य—तुल्यायता हि सामान्यम् ।

द्रव्य सामान्य—मनुष्य के शरीर में स्थित और बाह्य जगत् में स्थित (अन्य प्राणियों के शरीर को छेदन कर लाया गया गया) मांस समान है। क्योंकि दोनों में समानता है। इसी भाँति बाह्य जगत् में स्थित रक्त मज्जा शुक्र और शरीर गत रक्त मज्जा शुक्र के ही समान है। सामान्य युक्त बाह्य द्रव्य के द्वारा सामान्य युक्त शरीर गत द्रव्य की सर्वोत्तम पुष्टि (वृद्धि) होती है। जैसे मांस से मांस की रक्त से रक्त की मज्जा से मज्जा की शुक्र से शुक्र की इत्यादि। इस प्रकार एक द्रव्य स्वजातीय एवं स्वयंनि द्रव्य की वृद्धि में कारण होता है। यही द्रव्य सामान्य कहनाता है।

गुण सामान्य—जिस गुण वाले द्रव्य का सेवन किया जाता है। शरीर में दोष धातु एवं मल गत उसी गुण की वृद्धि होती है। जिस मांस आदि बाह्य द्रव्यों में स्थित गुरु गुण तथा मांस आदि विभिन्न शरीरगत धातुओं में स्थित गुरु गुण परस्पर सामान्य है। बाह्य द्रव्यों का सेवन करने पर तद्गत गुरु आदि गुण शरीरावयवगत गुरु आदि गुणों की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार लघु स्निग्ध रूक्ष शीत आदि गुणों के उदाहरण निम्न प्रकार जानना चाहिए—

पयशुक्रयोर्भिन्नजातीयोरपि मधुरत्वादिसामान्य तत्रकतां करोति' अर्थात् शुक्र से भिन्न होने पर भी दूध माधुर्य गुण से शुक्र की वृद्धि करता है अथवा एकत्व की उत्पत्ति करता है। अतः गुणों की समानता होने से यह गुण सामान्य है।

कम स साम्न्—किसी बाह्य कर्म को करने से शरीरगत तद्रूप कम की वृद्धि होती है। एक ही स्थान पर सतत बठ रहने से या विश्राम करने से स्वैर्य (स्थिरता) करने वाले कफ की वृद्धि होती है। इसी प्रकार अधिक ससरण (तरना) से चलन कम रूप वायु की वृद्धि होती है। इस प्रकार कम का सेवन शरीरगत उसी कर्म की वृद्धि करने वाला होता है।

भट्टार हरिश्चन्द्र ने चक्रपाणि दत्त द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त त्रिविध—द्रव्य सामायं गुण सामान्य एव कम सामायं को पथक पथक न मानकर तीनों का समावेश सबदा सबभावाना सामायं वृद्धिकारणम् इस परिभाषा के अंतर्गत ही कर लिया है। अतः इन्होंने सामायं के पृथक तीन भेदों का मानना अयुक्तियुक्त समझा। उन्होंने सामान्य के निम्न तीन भेद स्वीकार किये हैं—(१) अयन्त सामायं (२) मध्य सामायं और (३) एकदश सामान्य। इसमें सबदा सबभावाना सामान्य वृद्धिकारणम् को अयन्त सामान्य सामान्यमेकत्वकरम् को मध्य सामायं और तद्यार्थता हि सामान्यम् को एकदश सामायं माना है। किंतु चक्रपाणि दत्त ने उक्त त्रिविध सामायं का कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। उन्होंने विशेष प्रयोजन वाला नहीं होने से श्रद्धा योग्य एव मायं नहीं समझा। इसके अतिरिक्त उन्होंने आगे कहा कि अनेक आचार्य सामायं को दो प्रकार का मानते हैं—(१) उभयवृत्ति सामान्य और (२) एकवृत्ति सामान्य।

उभयवृत्ति सामान्य—उभयवृत्ति सामायं वह होता है जिसमें वधक और वर्धनीय दानो द्रव्यों में द्रव्यत्व या गुणत्व सामायं पाया जाता है। जैसे—मांस मांसवधकम् अर्थात् बाह्य मांस खाने से शरीरगत मांस की वृद्धि होती है। इसमें बाह्य मांस पोषक एव शरीरगत मांस पोष्य होता है। यहाँ पर पोषक और पोष्य दोनों में मासत्व सामान्य है। अतः यह उभयवृत्ति सामान्य हुआ।

एकवृत्ति सामायं—एकवृत्ति सामायं वह होता है जिसमें एक पक्षीय अर्थात् पोषक सामायं होता है। जैसे घृतमग्निकरम् अर्थात् घृत का सेवन करने से अग्नि की वृद्धि होती है। यहाँ घृत और अग्नि में कुछ भी सामान्य नहीं है। प्रभाववश घृत अग्नि की वृद्धि (प्रदीप्त) करता है। वृद्धिकारक होने से सामान्य के उदाहरण के अन्तर्गत उसे लिया गया है। घृत में स्थित घृतत्व ही अग्नि की वृद्धि में कारण होता है। अग्नि में घृतत्व का अभाव है। अतः वह एकवृत्ति सामान्य हुआ। इसी भाँति (दौडना) आदि से वायु की तथा निद्रा से कफ की वृद्धि होना आदि उदाहरण एकवृत्ति सामायं के ही परिचायक हैं।

इस प्रकार समान और असमान दोनों प्रकार के द्रव्य वृद्धि में कारण होते हैं। हम तथ्य को देखकर कुछ आचार्यों का मत है कि महर्षि धरकोक्त उपर्युक्त लक्षण

'सामान्य वृद्धिकारणम् निरर्थक प्रतीत होता है। इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि जहाँ-जहाँ द्रव्य गुण अथवा कर्म की समानता हो वहाँ-वहाँ वृद्धि अवश्य होती है। यहाँ जहाँ-जहाँ सामान्य हो वहाँ-वहाँ वृद्धि हो और जहाँ-जहाँ वृद्धि हो वहाँ-वहाँ सामान्य हो ऐसी व्याप्ति नहीं बनाई जाती है। क्योंकि देखा गया है कि पर सामान्य के अभाव में भी वृद्धि होती है। यह आवश्यक नहीं कि जहाँ सामान्य हो तु-यायता हो अथवा एकत्वकर हो वही वृद्धि होती है। अपितु भिन्न द्रव्य-च भिन्न गुणत्व एव भिन्न कर्मत्व होने पर भी प्रभाववश वृद्धि सम्भव है। जसा कि उपयुक्त एकवृद्धि सामान्य के अन्तर्गत घृतमग्निकरम् के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट है।

यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि सामान्य और प्रभाव में पर्याप्त भिन्नता है। द्रव्य में स्थित प्रभाव के द्वारा जो काय सम्पन्न होता है वह सामान्यतः द्रव्य-गुण कर्मातीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रभाव के द्वारा जो कम विशेष का सम्पादक होता है यदि उसे सामान्य का भी उदाहरण बतलाया जाता है तो वह कथमापि मान्य नहीं हो सकने की स्थिति में यहाँ भी उसी प्रकार का अर्थ करना उपयुक्त होगा जो उभयवृत्ति में सामान्य किया गया है। अर्थात् द्रव्य-गुण कर्म इन तीनों में से किसी एक की समानता होने पर उसके प्रयोग से जो वृद्धि होती है उसे एक देखा सामान्य कहना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि वृद्धि के प्रति द्रव्य गुण और कम ये तीनों कारण होते हैं। इनमें से किसी एक दो या तीनों में से सामान्य के आधार पर शरीरगत द्रव्य गुण या कम इन तीनों में किसी एक दो तीन की वृद्धि होती है। इन तीनों में से कोई एक भी नहीं होने पर वृद्धि का होना सवथा असम्भव है। यदि इनके बिना ही शरीरगत भावों की वृद्धि स्वीकार ली जाय तो सामान्य सिद्धान्त की स्थापना का कोई प्रयोजन ही शेष नहीं रह जाता। वस्तुतः आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रकृतिसम समवाय पर आधारित है। उसके विपरीत वृद्धि का जो भी उदाहरण दृष्टिगोचर होता है वह विकृति विषम समवायारब्ध होता है अथवा उसे द्रव्यगत प्रभावजन्य समझना चाहिए।

उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहना अयुक्त सगत नहीं होगा कि किसी भी रोग विशेष को दूर करने के लिए जब विभिन्न भेषज प्रयोग किए जाते हैं तब केवल द्रव्य सामान्य जिसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है से ही कार्य की सिद्धि सम्भव नहीं है, अपितु द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों का आश्रय लेकर चिकित्सा की जाती है तब ही स्वरित रूप से लाभ होता है और तब आयुर्वेद के प्रयोजन की सिद्धि होती है।

सामान्य के अन्य भेद

व्यापकता की दृष्टि से सांख्यदर्शन में सामान्य के निम्न भेद बतलाए गए हैं—

सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च ।
 द्रव्यादिविभक्तवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥
 परमिन्ना तु या जातिः सत्त्वापरतयोच्यते ।
 द्रव्यत्वाधिकं जातिस्तु परापरतयोच्यते ॥
 व्यापकत्वात्परापि स्याद् व्याप्यं वादपरापि च ।

— कारिकाशलि १ ८

सामान्य दो प्रकार होता—(१) पर सामान्य और (२) अपर सामान्य । द्रव्यादि तीन पदार्थों (द्रव्य गुण और कम) में रहने वाली सत्ता को पर सामान्य और पर से भिन्न जाति को अपर सामान्य कहते हैं । द्रव्यव आदि जाति तो पर सामान्य भी कहलाती है । सामान्य व्यापक होने पर 'पर और व्याप्य होने से अपर भी होता है । क्योंकि व्यापकता की दृष्टि से पर सामान्य अधिक देश या अधिक व्यक्तियों में व्याप्त रहता है और अपर सामान्य अल्प देश या अल्प व्यक्तियों में ही व्याप्त रहता है ।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक व्यक्तियों में रहने वाली अथवा अधिक देश में रहने वाली जाति पर सामान्य और कम व्यक्तियों अथवा अल्प देश में रहने वाली जाति अपर सामान्य कहलाती है । जो दोनों के बीच में रहने वाली जाति है वह अपर सामान्य कहलाती है जैसे द्रव्य गुण और कम इन तीनों पदार्थों में पदार्थत्व जाति पर सामान्य है । इसे सत्ता भी कहते हैं । क्योंकि इसके अन्तर्गत अन्य समस्त प्रकार के सामान्यों का समावेश हो जाता है । जैसे द्रव्यव गुणत्व कमत्व घटत्व पटत्व आदि । पर सामान्य कभी अपर भी हो सकता है और अपर सामान्य कभी पर भी हो सकता है । अर्थात् सामान्य भाव बुद्धि विशेष के अधीन है । दृष्टि भेद से अथवा प्रकार वक्ष दोनों प्रकार की स्थिति सम्भव है । जस पदार्थव द्रव्यत्व की अपेक्षा पर सामान्य है और पदार्थत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व अपर सामान्य है । किन्तु पृथ्वीव की अपेक्षा द्रव्यत्व भी पर सामान्य हो जाता है और पदार्थत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व अपर सामान्य है ।

अतः ये दोनों परत्वापरत्व परस्पर सापेक्ष होते हैं । एक-दूसरे की अपेक्षा रखें बिना सामान्य में परत्वापरत्व भाव सम्भव नहीं है ।

षष्ठ अध्याय

विशेष निरूपण

आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य की भाँति विशेष का भी महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष भी सामान्यवत् आयुर्वेदीय चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धान्त है। मिथ्या आहार विहार के द्वारा शरीर में स्थित दोष प्रकुपित (वृद्धि को प्राप्त) हो जाते हैं तो वे विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। उन रोगों के उपशमनार्थ या उनकी चिकित्सार्थ बढ हुए दोषों का शमन या क्षय या निर्हरण करना आवश्यक है। दोषों का इस प्रकार का शमन या क्षय विशेष सिद्धान्त की अपेक्षा रखता है। अर्थात् विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से दोषों का उपशमन या क्षय हो सकता है। जसा कि शास्त्र में निर्दिष्ट है—'विपरीतगुणैर्द्रव्यैः शक्तैः सम्प्रशाम्यति'। इसी प्रकार पित्त और कफ के विषय में भी समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त शरीर में स्थित विभिन्न अंगों अवयवों भावों आदि की पृथक् सत्ता का ज्ञान भी मात्र विशेष के द्वारा होता है। रक्त से अस्थि मज्जा आदि धातुएँ पृथक्-पृथक् सत्तावान हैं। हृदय यकृत प्लीहा आदि अन्याय अवयव भी अलग-अलग अस्तित्व वाले हैं। इन समस्त भावों के पृथक् अस्तित्व में मात्र विशेष ही कारण है। इस प्रकार चिकित्सा की दृष्टि से तथा शरीरान्तगत समस्त भावों में पृथक्त्व ज्ञापित करने की दृष्टि से विशेष नामक पदार्थ को आयुर्वेद शास्त्र में अंगीकार कर प्रतिपादित किया गया है।

आयुर्वेद शास्त्र में विशेष पदार्थ को विशिष्ट प्रयोजन से अपनाया गया है। रोगों की उत्पत्ति और उनका विनाश स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा चिकित्सौ प्रयोगी द्रव्यों गुण और कर्म का पृथक्त्व एवं पृथक् कामुकता का विवेचन विशेष के ही आधीन है। अन्यथा सत्ता में विद्यमान समस्त भावों पदार्थों में एकत्व या एकरूपता हो जायेगी। ऐसी स्थिति में हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पायेगा। विशेष सिद्धान्त के द्वारा आयुर्वेद शास्त्र में प्रतिपादित मूल प्रयोजन की सिद्धि होती है। द्रव्य गुण विज्ञान के लिए तो इसकी उपयोगिता सर्वांगिक है। विभिन्न रोगों में भेदक प्रयोग का मूल आधार ही विशेष सिद्धान्त है। अतः आयुर्वेद शास्त्र में इसके महत्व और उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

षडदर्शनों में कणाद दर्शन का विशिष्ट महत्त्व है। कणाद दर्शन सामान्यतः वैशेषिक दर्शन के नाम से व्यवहृत होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रस्तुत विशेष पदार्थ विशेष (कणाद दर्शन) का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पदार्थ है और इसका प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है। अतः कणाद दर्शन में विशेष पदार्थ का विशिष्ट एव विशिष्ट उपादेयता होने के कारण वह वैशेषिक दर्शन कहलाने लगा।

विशेष का लक्षण

ह्लासहेतुविशेषश्च ।

—चरक संहिता सूत्र स्थान १/४३

विशेषस्तु पृथक्त्वकृत ।

—चरक संहिता सूत्र स्थान १/४४

विशेषस्तु विपर्यय ।

—चरक संहिता सूत्र स्थान १/४४

अत्य तद्व्यावृत्तिहेतुविशेष ।

‘सजातीयैभ्यो व्यावर्तन विशेष शिष असर्वोपयोगे इति धात्वनुसारात्

—वामनाचार्य

व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुरनेक प्रतिद्रव्यसम्भवेतो विशेष स ह्लासहेतु पृथक्त्वकृत वसावश्यश्च

—सप्तपदार्षी

सामान्यरहितत्वे सति नित्यकद्रव्यमात्रवृत्तिविशेष ।

अजातिरेकवृत्तिश्च विशेष इति शिष्यते ।

सवर्षां भावानां द्रव्यगुणकर्मणां विशेषो ह्लासहेतु ।

विशिष्टो हि भावो विशिष्टानि द्रव्यगुणकर्माणि ह्लासयित् प्रपुड त इति

विशिष्टानां द्रव्यगुणकर्मणां ह्लासे प्रयोजको विशेष ।

—गगाधर

अथ—ह्लास का कारण विशेष होता है। विशेष पृथक्त्व करने वाला होता है। सामान्य से ठीक विपरीत (उल्टा) विशेष होता है। एक वस्तु से अन्य समस्त वस्तुओं को अन्ततः पृथक् करने वाला कारण विशेष होता है। सजातीय द्रव्यों से पृथक् करने वाला विशेष होता है और यह शिष्य धातु से असर्वोपयोग अर्थ में निष्पन्न हुआ है। व्यावृत्ति प्रत्यय का हेतु प्रति द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से स्थित वह ह्लास का हेतु, पृथक्त्व करने वाला तथा बैसादृश्य उत्पन्न करने वाला विशेष होता है। सामान्य के अभाव में (सामान्य से विपरीत) नित्य और एकत्व द्रव्य में रहने वाला विशेष होता है।¹

जाति रहित और एक वृत्ति वाला विशेष होता है। समान (गुण धर्म) वाले द्रव्यों से समान भावों की वृद्धि होती है तथा तद्विपरीत असमान याने विशेष से हानि या ह्लास होता है। द्रव्य-गुण-कर्म आदि समस्त भावों के ह्लास में विशेष हेतु होता है।

विभिन्न आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित विशेष के उपर्युक्त लक्षणों से स्पष्ट है कि नित्यद्रव्य में रहने वाले सामान्य से ठीक विपरीत दूसरे द्रव्य को परस्पर व्यावृत्त करने वाला विशेष होता है। संसार के समस्त परमाणु एक-दूसरे से भिन्न हैं। अनेक परमाणु सजातीय होने पर भी उनकी स्वतन्त्र सत्ता एव महत्व है। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र अस्तित्ववान् है। अतः वह दूसरे परमाणु से सर्वथा भिन्न है। परमाणुओं की इस पृथक्ता का कारण विशेष है। यदि विशेष नामक स्वतन्त्र पदार्थ न माना जाय तो संसार के समस्त परमाणुओं एव द्रव्यों में कोई विभेद या पार्थक्य नहीं रह जायगा और सभी आत्मा मिलकर एकरूप हो जायेंगी। अतः वतमान में हमें प्रति शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा की जो प्रतीति होती है वह विशेष के कारण ही है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का मन एक-दूसरे से पृथक् एव भिन्न है। मन की भिन्नता के कारण ही हम लोग एक-दूसरे के मन की बात को नहीं जान पाते हैं। इस भिन्नता का कारण भी विशेष ही है। इस प्रकार संसार के समस्त द्रव्यों एव द्रव्यगत परमाणुओं में पारस्परिक विभेद (पार्थक्य) स्पष्ट करने के लिए षट् पदार्थात्मगत स्वतंत्र रूपेण विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विशेष पृथक्कार बुद्धि का कारण है। जैसे गो व ही अपर गो व्यक्ति की अपेक्षा से एकाकार बुद्धि को उत्पन्न करने से सामान्य है वही गोत्व अश्व (घोड़ा) आदि की अपेक्षा से पृथक् बुद्धि उत्पन्न करने के कारण अश्व आदि के प्रति विशेष कहलाता है।

जिस प्रकार सामान्य को वृद्धि का कारण बतलाया गया है उसी प्रकार विशेष ह्रास में कारण है। किन्तु ये दोनों वृद्धि और ह्रास में तभी कारण होते हैं जबकि उनका कोई प्रबल विरोधी कारण उपस्थित न हो। जैसे भोज्य मांस में मांसत्व होने से वह शरीर के धातु रूप मांस के समान है परन्तु शोणित अस्थि से असमान या पृथक् होने का कारण विशिष्ट है। अतः यद्यपि भोज्य मांस का सेवन करने से शरीर के धातु रूप मांस की वृद्धि तो होती है किन्तु असमान या पृथक् होने से शोणित अस्थि आदि धातुओं का विशेष की अपेक्षा से ह्रास या क्षय (कमी) होना चाहिये। किन्तु ऐसा होता नहीं है। इसका कारण यही है कि शोणित आदि के ह्रास के लिए विरोधी कारण उपस्थित नहीं है। अथवा जहां विशेष से ह्रास या क्षय अपेक्षित है वहाँ विशेष से विरुद्ध विशेष का ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि आचार्यों ने शास्त्र में स्थान स्थान पर उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर ही वृद्धि और क्षय का उपाय निर्दिष्ट किया है। यथा—

वृद्धिः समानं सब धां विपरीतैर्विषय ।

तथा— विपरीतगुणद्रव्य भक्षित सम्प्रज्ञान्म्यति ।

इत्यादि बचनो से विरुद्धत्व विशेष का ही संकेत मिलता है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि अविरुद्ध विशेष यद्यपि वृद्धि या ह्रास में कारण नहीं है तथा असमान द्रव्यों का उपयोग करने से विनश्यद द्रव्यों का ह्रास होता ही है क्योंकि उसका पूरण या पोषण करने वाला हेतु उपस्थित नहीं है। इसे इस प्रकार समझना चाहिये— यदि शरीर में स्थित शोणित के विरोधी द्रव्य का सेवन नहीं किया जाय और न ही तत्समान द्रव्य का सेवन किया जाय जिससे तत्सम द्रव्य गुण की वृद्धि हो तो परिणाम यही होगा कि शरीर में स्थित वतमान रक्त में कमी होती जायेगी। इसका कारण यही है कि यद्यपि विरुद्ध विशेष का सेवन नहीं किया जा रहा है फिर भी स्वतः क्षीयमाण रक्त के पूरक हेतु के विद्यमान या सेवन नहीं होने से रक्त स्वयमेव क्षीण होता जायगा। अतः अविरुद्ध विशेष का सेवन करने पर भी ह्रास या क्षय को देखते हुए ही ह्रास हेतुविशेषज्ञ इति इति प्रकार का कथन किया गया है। यह ज्ञातव्य है कि द्रव्य भी किसी कारण से विनाश या क्षय को प्राप्त होते हैं उन कारणों को ही विरुद्ध विशेष समझना चाहिये। इस प्रकार विरुद्ध एवं अविरुद्ध विशेष के आधार पर आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा हेतु उसकी उपयोगिता है।

विशेष पदार्थ की व्याप्ति सामान्यतः नियम द्रव्यों में जैसे—पृथ्वी जल तेज एव वायु के परमाणुओं में एवं आकाश काल दिक् मन और आत्मा में है। अतः नित्य द्रव्यों में रहने के कारण विशेष भी नित्य है। विशेष सख्या में अनेक होने के कारण अनन्त हैं अथवा जिन द्रव्यों में विशेष की व्यापकता (स्थिति) है उन द्रव्यों की अनन्तता के कारण विशेष भी अनन्त हैं। विशेष इन्द्रिय गोचर नहीं होने के कारण इन्द्रियातीत अथवा अतीन्द्रिय होते हैं। इनकी व्यापकता अल्प देश में ही होती है। अर्थात् वैधर्म्य तक ही ये सीमित रहते हैं।

विशेष के भेद

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है—विशेष सामान्य से ठीक विपरीत होता है। सामान्य की भाँति यह भी तीन प्रकार का होता है—द्रव्य विशेष गुण विशेष और कर्म विशेष। ऊपर विशेष के जो विभिन्न लक्षण बतलाये गए हैं उनमें से 'ह्रास हेतुविशेषज्ञ' यह लक्षण द्रव्य विशेष का 'विशेषस्तु पृथक्त्वकृत्' यह लक्षण गुण विशेष का और विशेषस्तु विषयय यह लक्षण कर्म विशेष का स्वीकृत किया गया है। इन लक्षणों के अनुसार विशेष को निम्न उदाहरणों के द्वारा समझना चाहिये—

द्रव्य विशेष—वृद्धिगत किसी द्रव्य को अन्य द्रव्यों के प्रयोग के द्वारा घटाना या कम करना द्रव्य विशेष कहलाता है। जैसे शरीर में वृद्धिगत मेद को घटाने के लिए उष्ण जल के साथ मधु का सेवन करना जी-बाजरा आदि अन्न द्रव्यों का सेवन करना। इसी प्रकार मांस को कम करने के लिए अस्थि का प्रयोग उपयुक्त होता है। अस्थि प्रयोग के लिए शब्द शुक्ति कौडी की भस्म आदि द्रव्य लिए जा सकते हैं।

गुण विशेष—किसी द्रव्य का प्रयोग करने पर उसके विपरीत गुणों को हानि होना गुण विशेष कहलाता है। शरीर में वायु की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वायु शीत रक्त व लघु गुण प्रधान होता है और तेल उष्ण स्निग्ध व गुरु गुण वाला होता है। निरन्तर अभ्यास या प्रयोग करने से अपने विशेष गुण के कारण तेल वायु के गुणों का शमन करता है और वायु को दूर करता है। इसी प्रकार गुड़नी शीत गुण के कारण पित्त के उष्ण गुण का शमन करती है। अतः विपरीत गुणों का ह्रास होने के कारण यह गुण विशेष कहलाता है।

कर्म विशेष—एक कर्म के द्वारा अन्य विपरीत कर्म की हानि होना कर्म विशेष कहलाता है। वायु का कर्म चलन है। जब उसकी वृद्धि हो जाती है तो उसके विपरीत रोगी को विश्राम कराया जाता है। अथवा लघन जल प्लावन भ्रमण आदि कर्मों के द्वारा स्थिरता कारक कफ के कर्मों का ह्रास या शमन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य कर्मों के द्वारा शरीर में वृद्धिगत कर्मों की हानि करना कर्म विशेष होता है।

प्रवृत्तिरुभयस्य तु

सामान्य और विशेष के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि सामान्य वृद्धि करता है और विशेष ह्रास या पथक्त्व करता है। परन्तु सामान्य और विशेष बिना उपयोग के ही वृद्धि एवं ह्रास में कारण नहीं हुआ करते। अर्थात् अजमास में मांसत्व रहते हुए भी जब तक उसका उपयोग नहीं किया जाता तब तक मनुष्य में तज्जन्य मांस की अभिवृद्धि होना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार विशेष में भी समझना चाहिए। महर्षि चरक ने भी यही भाव 'प्रवृत्तिरुभयस्य तु' इस वचन के द्वारा व्यक्त किया है। अर्थात् दोनों की प्रवृत्ति ही वृद्धि एवं ह्रास में कारण होती है। अथवा इसका अर्थ यह किया जा सकता है कि धातु साम्य के लिए सामान्यवत् यथा विशेषवत् द्रव्यों का उपयोग करना उचित है। क्योंकि आयुर्वेद में द्रव्यों का उपयोग आरोग्य साधन के लिए ही होता है। जैसा कि कहा गया है— आरोग्यार्थां च भवेच्चप्रवृत्तिः। कथन का अभिप्राय यह है कि भिन्न भिन्न कारणों से दोषों या धातुओं के प्रवृद्ध होने पर दोष वैषम्य या धातु वैषम्य हो सकता है। उस समय उसके गुणों से विपरीत गुण वाले विशिष्ट द्रव्यों के उपयोग से दोषसाम्य या धातु साम्य प्रति स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी दोष या धातु के किन्हीं कारणों से क्षीण

हो जाने पर उस दोष या धातु के समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से उस दोष या धातु की अभिवृद्धि होकर दोष साम्य या धातु साम्य स्थापित हो जाता है ।

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है सम्यक प्रकार से प्रयुज्यमान एक ही द्रव्य वृद्धि और ह्रास को युगपात् करता है । एक और वह स्वसमान द्रव्य गुण और कम की वृद्धि करता है तो दूसरी ओर वह अपने विरोधी या विपरीत द्रव्य गुण और कम की हानि भी करता है । तब ही वह धातु साम्यकर होता है । आयुर्वेद शास्त्र में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित है । यथा—

तस्माद् भवज्ज सम्यगवचायमाण युगपद्भूनातिरिक्तानां धातूनां साम्यकर भवति अधिकमपकषति न्यूनमाप्यायति ।

अर्थात् सम्यक रूप से प्रयोग की गई भेषज (औषध) युगपात् न्यून एवं प्रवृद्ध धातुओं में साम्य को उत्पन्न करती है । वह अधिक को घटाती है और न्यून को बढ़ाती है ।

इस प्रकार सामान्यतः सामान्य एवं विशेष के आधार पर वृद्धि और ह्रास की प्रवृत्ति एक साथ होती है ।

सप्तम अध्याय

समवाय निरूपण

लक्षण—

समवायोऽपृथग्भाव भूम्यादीनां गुणमतः ।

स नित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्रानियता गुणा ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान १/४६

भूम्यादीनां गुणरपृथग्भाव समावाय मतः । स नित्य यत्र तत्र गुण अनियत न ।

तेना धारणाभावेयर्थोऽपृथग्भाव स समावाय । स नित्य इति समावायोऽ विनाशी । सत्यपि समवायिना द्रव्याणां नाशे समवायो न विनश्यति ।

—चक्रपाणि इति

घटादीनां कपालादी द्रव्येषु गुणकर्मणो ।

तेषु जातेषु सम्बन्ध समवाय प्रकीर्तितः ॥ —कारिकावलि १/१३

अवयवावयविनोर्जातियुक्त्योर्गुणगणिनो क्रियाक्रियावतोनित्यद्रव्यविशेषयोश्च य सम्बन्ध स समवाय ।

—मत्स्यवलि

अयुतसिद्धानामाद्यर्थाधारभूतानां य सम्बन्ध इहति प्रत्यय हतु स समवाय ।

—प्रशस्तपाद

इहेवमिति यतः कायकरणयोः । —ब्रह्मसिद्धि दर्पण ७/२/२४

अथ—भूमि आदि आधार द्रव्य के साथ गुर्वादि आधेय गुणो का जो अपथग्भाव (अलग-अलग न रहने का) सम्बन्ध है उसे समवाय कहते हैं । यह सदा नित्य होता है जहाँ भी द्रव्य है वहाँ गुण अनियत नहीं है अर्थात् नियत रूप से विद्यमान है ।—(चरक)

इससे आधार का आधेय से जो (अपथग्भाव पथक नहीं होकर रहने का) सम्बन्ध है वह समवाय है । वह नित्य है । इस प्रकार समवाय अविनाशी होता है । समवायि द्रव्यो के नाश होने पर भी समवाय नष्ट नहीं होता है ।

कपाल आदि मे घट आदि का द्रव्यो में गुण और कर्मों का उन ही द्रव्य गुण और कर्म मे जाति का जो सम्बन्ध है वह समवाय कहलाता है । —(मुक्तावलि)

इसमे यह है इस प्रकार की बुद्धि (ज्ञान) जिसके कारण कार्य-कारण भाव (अवयवावयवी) मे होती है वह समवाय है । —(वै द)

दो अथवा दो से अधिक तत्वों का पारस्परिक संयोग होने पर उनमें कोई न

कोई सम्बन्ध अवश्य होता है। इस सम्बन्ध के कारण ही द्रव्य परस्पर सयुक्त रूप से स्थित रहते हैं। यह सम्बन्ध दो प्रकार का होता है—(१) नित्य सम्बन्ध (२) अनित्य सम्बन्ध।

इसमे प्रथम नित्य सम्बन्ध वह होता है जिसके द्वारा द्रव्य स्थायी रूप से एक दूसरे से सयुक्त रहते हैं। इसमे द्रव्यो का सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता है और सयुक्त द्रव्य कभी एक दूसरे से पृथक नहीं होते। यह स्वतः सिद्ध होता है और किसी बाह्य कर्म के द्वारा उसे नियोजित नहीं किया जा सकता है। नित्य सम्बन्ध वाले द्रव्य पहले पृथक पृथक सत्तावान् नहीं होते। अतः किसी भी कर्म के द्वारा उन्हें सयुक्त नहीं किया जा सकता और न ही किसी कर्म के द्वारा उन्हें पृथक किया जा सकता है।

द्वितीय अनित्य सम्बन्ध वह होता है जिसमे द्रव्यो का पारस्परिक सयोग अस्थायी होता है और उ-हे कभी भी पृथक किया जा सकता है। अनित्य सम्बन्ध मे सयोजित द्रव्य पहले पृथक-पृथक सत्तावान् नहीं होते हैं और सयुक्त होने पर भी उनकी स्वतन्त्र सत्ता विद्यमान रहती है। उन द्रव्यो को किसी बाह्य कर्म के द्वारा सयोजित किया जाता है। यह सम्बन्ध स्वतः सिद्ध नहीं होता।

उपयुक्त दोनों प्रकार के सम्बन्धो मे प्रथम नित्य सम्बन्ध ही समवाय सम्बन्ध कहलाता है और द्वितीय अनित्य सम्बन्ध साधारण सयोग मात्र होने से सयोग कहलाता है।

समवाय केवल वही होता है जहाँ पदार्थों मे अयुतसिद्धिवृत्ति आध्याधार भाव एवं काय-कारण भाव हो। अयुतसिद्ध पदार्थों मे स्वभावतः अपथाभाव सम्बन्ध रहता है। अर्थात् वे पदार्थ एक दूसरे के बिना स्थित नहीं रह सकते और न ही उ-हे एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। जब दो पदार्थों मे से एक की स्थिति पर दूसरे की स्थिति तथा एक के विनाश पर दूसरे का विनाश निर्भर हो तो वे पदार्थ अयुतसिद्ध अथवा अयुतसिद्ध बन्ति वाले होते हैं—जैसे अवयव और अवयवी गुण और गुणो (द्रव्य) क्रिया और क्रियावान् (द्रव्य) जाति और व्यक्ति नित्य द्रव्य और विशेष इन सब का परस्पर समवाय सम्बन्ध ही होता है। इसमे अवयव अवयवी से गुण गुणी (द्रव्य) से क्रिया क्रियावान् (द्रव्य) से जाति व्यक्ति से और नित्य द्रव्य विशेष से कभी पृथक नहीं हो सकता। अतः इसमे परस्पर समवाय सम्बन्ध है।

उपयुक्त सिद्धान्त को निम्न उदाहरण के द्वारा भली भाँति समझा जा सकता है। जैसे तन्तु और कपडे मे परस्पर समवाय सम्बन्ध है। क्योंकि कपडा शब्द का प्रयोग करने पर कपड के निर्माण मे तन्तु अपेक्षित है। अर्थात् बिना तन्तुओ के कपड का निर्माण सम्भव नहीं है और केवल तन्तु पृथक रहने पर वह कपडा नहीं कहलाया जा सकता। इस प्रकार कपडा और तन्तु दोनों एक-दूसरे से पृथक् नहीं रह सकते। इमे ही अयुतसिद्धि या अयुतभाव कहते हैं।

जिन द्रव्यों में समवाय सम्बन्ध होता है उनमें अयुतसिद्ध वृत्ति के अतिरिक्त आध्यायाधार भाव भी होता है। अर्थात् एक आध्याय (आधेय) एवं दूसरा आधार होता है। तन्तु और पट (कपडे) में भी यही भाव विद्यमान रहता है। इनमें तन्तु आधार है और पट (कपडा) आध्याय या आधेय है। इसी प्रकार ऊपर जो अनेक दृष्टान्त दिये गए हैं उनमें अवयव आधार है और अवयवी आधेय गुण आधार एवं गुणी आधेय क्रिया आधार और क्रियावान् आधेय जाति आधार और व्यक्ति आधेय तथा नित्य द्रव्य आधार और विशेष आधेय। इस प्रकार समवाय सम्बन्ध वाले पदार्थ अयुतसिद्ध एवं आध्यायाधारभूत होते हैं।

उपयुक्त समवाय को सयोग नहीं कहा जा सकता। क्योंकि समवाय नित्य होता है और एक होता है। यह स्वतः सिद्ध होने से किसी प्रक्रिया विशेष के द्वारा सयोजित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत सयोग अनित्य होता है, सख्या में अनेक होते हैं और क्रिया विशेष के द्वारा सयोजित होने के कारण कृत्रिम होता है।

आयुर्वेद शास्त्र में समवाय को भी एक पृथक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए जिन दानस्पतिक खनिज या अन्य द्रव्यों तथा औषधियों का प्रयोग किया जाता है उनमें स्थित गुण के आधार पर ही वद्य यह निणय करने में समर्थ होता है कि कौन सा द्रव्य या औषधि किस रोग में प्रयोग करने योग्य है। द्रव्यों में स्थित गुण किस सम्बन्ध से या किस भाव से बहा स्थित है—इसकी व्यापक एवं सम्यक विवेचना आचार्य चक्रपाणिदत्त ने की है। महर्षि चरकोक्त भूम्यादीना गुणों को और अधिक स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं— भूम्यादीना गुणै यह अपृथग्भाव की विशेषता को बतलाता है। भूम्यादीना से तात्पर्य भूमि सदृश अन्य द्रव्य आदि से है। भूमि अनेक आधेय पदार्थों का आधार है अतः आधारत्व के उदाहरण के लिए ऐसा कहा गया है। क्योंकि भूमि समस्त रूप रस आदि अथ गुरुत्व आदि विशति गुण तथा परत्वादि वस गुण अवयवों जो सामान्य कर्मों का आधारभूत है और ये सब आधेय हैं। अन्य किसी भी द्रव्य में इतने आधेय नहीं हैं। भूम्यादीना का अभिप्राय यहाँ भूमि आदि समस्त आधारों का यह अर्थ लगाना चाहिए। गुणों का अर्थ आधेयों से है जो अप्रधान होते हैं। आधार की अपेक्षा आधेय सब अप्रधान होते हैं। अप्रधान को गौण कहा जाता है। अप्रधान में गुण शब्द का भी व्यवहार पाया जाता है। जैसे—गुणीभूतोऽयम्” अर्थात् यह गुणीभूत याने अप्रधान या गौण है। कथन का अभिप्राय यह है कि आधारों को आधेय से सहायस्थिति है यही समवाय सम्बन्ध है।

इस प्रकार समवाय के द्वारा द्रव्य और गुण का नित्य (अविनाशी) सम्बन्ध प्रतिपादित करने की दृष्टि से यहाँ उसका पदार्थत्व बतलाया गया है जो महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी है।

अष्टम अध्याय

अभाव निरूपण

आयुर्वेद में यद्यपि अभाव को स्वीकार नहीं किया गया है और न ही इसकी कोई उपयोगिता प्रतिपादित की गई है। तथापि प्रारम्भ में द्विविध पदार्थों (भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ) का परिगणन होने के कारण परिशेष्य न्याय के अनुसार अन्त में अभाव पदार्थ का सक्षिप्त निरूपण कर देना समीचीन प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से यहाँ अभाव का सक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है।

लक्षण—

प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानविषयत्वमभावत्वम् ।

अभावत्वमखण्डोपाधिधमविशेष इति केचित्

भावभिन्नत्वमभावत्वमिति परे ।

अर्थ—जिस पदार्थ का ज्ञान उसके प्रतियोगी (विरोध) के ज्ञान के अधीन हो उसे अभाव कहते हैं।

कुछ विद्वानों का मत है कि अखण्डोपाधि धम विशेष का नाम ही अभावत्व है। अन्य विद्वानों के मतानुसार भाव से भिन्नत्व का नाम ही अभावत्व है।

अभाव के उपयुक्त लक्षणों से स्पष्ट है कि किसी वस्तु का नहीं होना ही अभाव कहलाता है। यह अभाव अकालिक हो सकता है। अर्थात् वर्तमान में वस्तु का नहीं होना या अनुपलब्धि होना भूतकाल में वस्तु का नहीं होना या अनुपलब्धि होना और भविष्यकाल में वस्तु का नहीं होना या अनुपलब्धि होना। भाव पदार्थ का ज्ञान तो स्वतः होता है। जैसे घट का ज्ञान घट से होता है किन्तु घटाभाव का ज्ञान स्वतः न होकर घट के द्वारा होता है अर्थात् घटाभाव का ज्ञान घट के अधीन होता है। जब तक हमें घट का ज्ञान नहीं होता तब तक घटाभाव का ज्ञान भी नहीं हो सकता।

अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानते हुए आचार्य का कथन है कि ब्रह्मादि जिन्हें वह भाव पदार्थों का परिगणन एवं कथन किया गया है वे जिसके विरोधी हो ऐसा अभाव भी सप्तम एक पदार्थ है।

अभाव के भेद—

अभावस्तु द्विधा ससर्गान्योन्याभावभेदतः ।

प्रागभावस्तथा ध्वसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥

एव च विध्यभाषण संसर्गाभाव इष्यते । —(भा प्र)

अथ—अभाव पदार्थ दो प्रकार होता है—ससर्गाभाव और अन्योन्याभाव । इसमें ससर्गाभाव पुन तीन प्रकार का होता है—प्रागभाव प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव ।

कुछ विद्वान् अभाव के पुन दो भेद मानते हैं—प्रत्यक्षाभाव और अतीन्द्रियाभाव । जो वस्तु किसी भी इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष की जा सकती है उसकी अनुपलब्धि होना प्रत्यक्ष अभाव कहलाता है । इन्द्रिय के द्वारा जो वस्तु ग्राह्य न हो तथा उसका विद्यमान नहीं होना अतीन्द्रियाभाव कहलाता है ।

प्रागभाव—

उत्पत्ते पूव कायस्याविद्यमानोऽभाव प्रागभाव अनादिसान्त ।

प्रागभावो विनाशी अजन्य उत्पत्त पूव कायस्य योऽभाव स प्रागभाव ।

किसी भी काय की उत्पत्ति से पूव उसका जो अभाव होता है उसको प्रागभाव कहते हैं । यह अनादि है किन्तु काय उत्पन्न होने के बाद इसका विनाश हो जाता है अतः सान्त होता है । अजन्य होने से यह अनादि और विनाश होने से सान्त होता है । काय की उत्पत्ति से पूर्व स्वप्रतियोगी समवायि कारण में यह रहता है । अर्थात् यह काय की उत्पत्ति के पहले काय के समवायि कारण में रहता है और उसके द्वारा इस कपाल में घट होगा—ऐसा ज्ञान होता है ।

प्रध्वंसाभाव—

कार्यस्य विनाशानन्तरममुत्पद्यमानो योऽभाव प्रध्वंसाभाव साविमनन्तः ।

प्रतिषेधिसमवायिकारणवृत्ति ध्वस्त इति प्रतीतिहेतुः ।

ध्वसो जन्य अविनाशी च उत्पत्त्यनन्तर कार्यस्य योऽभाव स ध्वस ।

काय के विनाश के पश्चात् जो उत्पन्न होता है वह प्रध्वंसाभाव कहलाता है । यह अभाव उत्पन्न होता है किन्तु इसका कभी विनाश नहीं होता । अतः यह उत्पद्यमान होने के कारण सादि और अविनाशी होने के कारण अनन्त होता है । यह अपने प्रतियोगी (विरोधी) से उत्पन्न होकर उसके स्यवायिकारण में रहता है । इस अभाव के द्वारा घट का ध्वस हुआ ऐसा ज्ञान होता है । यह जन्य और अविनाश होता है ।

अत्यन्ताभाव—

अ कालिकससर्गाविच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽयं तभाव ।

अ कालिकससर्गाभावोऽत्यन्ताभाव स चानादिरनन्तो नास्तीत्यनु
भवसिद्धो नित्य ।

जिस अभाव की प्रतियोगिता ससर्ग से अविच्छिन्न हो और भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में रहती हो उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर घट नहीं है इस प्रकार का अभाव अत्यन्ताभाव का उदाहरण है। यह अजन्य और अविनाशी होता है।

तीनों काल—भूत भविष्य और वर्तमान में पदार्थ के ससर्ग के अभाव को अत्यन्ताभाव कहते हैं। नहीं है ऐसा अनुभव सिद्ध और नित्य है। जैसे वायु में रूप का ससर्ग नहीं है न कभी था और न कभी होगा। इस अत्यन्ताभाव से पदार्थ का अभाव प्रतिपादित नहीं होता किन्तु उसके ससर्ग का अभाव प्रतिपादित होता है। जैसे वायु और रूप दोनों पदार्थ विद्यमान हैं किन्तु इन दोनों का ससर्ग नहीं है। अतः इसे ससर्गाभाव कहा जा सकता है। यह प्रागभाव और प्रध्वसाभाव का अप्रतियोगी अन्योन्याभाव से भिन्न होते हुए अभाववान होता है। इसमें प्रागभाव और प्रध्वसाभाव के निवारणार्थ त्रिकालिक तथा अन्योन्याभाव के निवारणार्थ ससर्ग विशेषण पद लगाया गया है।

अन्योन्याभाव—

तादात्म्यसम्बन्धाविच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावोऽन्योन्याभाव ।

जिस अभाव की प्रतियोगिता तादात्म्य सम्बन्ध से अविच्छिन्न हो उसको अन्योन्याभाव कहते हैं। जैसे घट पट नहीं है। यहाँ पर घटा मा पट नहीं है अर्थात् इन दोनों में तादात्म्य—ऐक्य नहीं है। इस प्रकार के पारस्परिक अभाव को अन्योन्याभाव कहते हैं। यहाँ पर प्रागभाव तथा प्रध्वसाभाव के निवारणार्थ तादात्म्य शब्द लगाया गया। तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा अत्यन्ताभाव का निवारण भी हो जाता है। यह भी अत्यन्ताभाव की भाँति अजन्य एवं अविनाशी होता है।

उपयुक्त प्रकार से वर्णित अभाव पदार्थ की दार्शनिक दृष्टि से भले ही कुछ उपयोगिता हो किन्तु आयुर्वेदीय चिकित्सा की दृष्टि से इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। क्योंकि मानव शरीर पाच भौतिक होता है। इसे स्वस्थ रखने तथा रोगाक्रान्त होने पर इसकी चिकित्सा करने में केवल पाच भौतिक द्रव्य ही उपयोगी होते हैं। अतः उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जो द्रव्य या पदार्थ है ही नहीं उसके द्वारा चिकित्सा किया जाना बिल्कुल भी सम्भव नहीं है। अतः उससे आयुर्वेद का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता है।

नवम अध्याय

प्रमाण निरूपण

सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय में दशन शास्त्र का अपना विशिष्ट महत्व है। दर्शनशास्त्र भारतीय सस्कृति के प्राण माने जाते हैं। इन दशनाशास्त्रों में मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रमाण ही रहा है। क्योंकि सृष्टि प्रलय आत्मा प्रकृति स्वर्ग मोक्ष पुनर्जन्म आदि ससार के विभिन्न विषयों एवं तत्त्वों के ज्ञान की कसौटी प्रमाण को ही माना गया है। इन विषयों की सिद्धि प्रमाण के बिना सम्भव नहीं। अतः दशनशास्त्रों में सर्वप्रथम प्रमाण का ही विवेचन एवं प्रतिपादन मुख्य रूप में किया गया है। प्रमाण यथाथ ज्ञान का साधन होने के कारण उसके द्वारा ससार के विभिन्न तत्त्वों की वास्तविक समीक्षा में अभूत एवं सफलता मिली है। प्रमाण के द्वारा यथार्थ का प्रतिपादन एवं अयथार्थ का निराकरण होने के कारण वह एक ऐसा निष्पक्ष मानदण्ड स्वीकार किया गया है जिसकी समानान्तर श्रुति का कोई दूसरा साधन नहीं है। प्रमाण मान की कसौटी हैं जो पदार्थ के यथाथ ज्ञान एवं स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। बिना प्रमाण के कोई पदार्थ मान्य नहीं होता। इसीलिए दशन शास्त्रों में विशेषतः न्याय शास्त्र में प्रमाण का महत्व सर्वोपरि है। यही कारण है कि सर्वत्र न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। यद्यपि शास्त्र में प्रमाणों की महत्ता सर्वोपरि होने से उनकी उपयोगिता स्वतः ही बढ़ गई है।

दशन शास्त्र में प्रमाणों कथन एक अनिवाय स्थिति है। प्रमाण के अभाव में दशन शास्त्रोक्त प्रतिपाद्य विषय की प्रामाणिकता सदिग्ध मानी जाती है। ज्ञान के साधन के रूप में प्रमाण या प्रमाणों का विवेचन कर दशन शास्त्र ने जिस बौद्धिक अनुचिन्तन एवं तात्त्विक मनन को प्रोत्साहित किया है वह अन्यत्र नहीं मिलता है। अतः प्रमाणों की उपयोगिता अपनी दृष्टि से निर्विवाद है। दार्शनिक एवं अध्यात्मिक दृष्टि से प्रभावित आयुर्वेद शास्त्र में प्रमाण विवेचन सर्वथा प्रासंगिक है।

पूर्व प्रकारण में षट् पदार्थों का निरूपण किया गया। उन पदार्थों को सम्यक्-तया जाने बिना हमारे जीवन के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। अतः सर्वप्रथम पदार्थों का यथाथ ज्ञान अपेक्षित है। पदार्थों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे साधन अपेक्षित हैं जो पूर्णतः निदुष्ट अकाद्य एवं अबाधित हों। क्योंकि

निदुष्ट अकाटय एव अबाधित साधन ही वस्तु स्वरूप का यथाथ ज्ञान कराने में सक्षम होते हैं। पदाथ एव पथाथ के स्वरूप का यथाथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने प्रमाण को सर्वाधिक उपयुक्त एक मात्र साधन माना है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अब प्रमाण विज्ञान का निरूपण किया जायेगा।

प्रमाण का लक्षण

प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम् । प्रमीयतेऽनेनेति करणार्थाभिधानं प्रमाणशब्दः ।

—श्री गगाधर

प्रमायाकरणं प्रमाणम्

यथार्थनिर्भव प्रमा तत्साधनं च प्रमाणम्

—उदयनाचार्य

प्रमाता येनाथ प्रमिणोति तत् प्रमाणम्

—वात्सायन

अर्थोपलब्धिर्हत् प्रमाणम् ।

—यायवातिक

सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम् ।

—न्याय दीपिका

अथ—जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण कहलाता है। जिसके द्वारा जाना जाता है वह कारण अथ को व्यक्त करने वाला प्रमाण शब्द है। (गगाधर) प्रमा के कारण को प्रमाण कहते हैं। यथाथ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं उस प्रमा का साधन प्रमाण कहलाता है (उदयनाचार्य)। जिस साधन के द्वारा प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान होता है वह प्रमाण कहलाता है। (वात्सायन) अथ की उपलब्धि का हेतु प्रमाण कहलाता है। (यायवातिक) सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। (न्याय दीपिका)

आयुर्वेद में परीक्षा शब्द का व्यवहार

प्रमाण सम्बन्धी उपयुक्त लक्षणों से प्रमाण का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट होता है। प्रमाण को ज्ञान का साधन निरूपित किया गया है। अतः वस्तु स्वरूप अथवा पदार्थों के स्वरूप के ज्ञान का साधन भी प्रमाण ही है। प्रमाण के द्वारा ही हम पदार्थों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण के लिए सामान्यतः निम्न पर्याय उपलब्ध होते हैं— उपलब्धि साधन ज्ञान परीक्षा प्रमाणमित्यर्थान्तरं समाख्यानि वचनं सामर्थ्यात्। इन पदार्थवाची शब्दों में परीक्षा शब्द महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। परीक्षा शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है— परीक्ष्यते यथा बुद्धि या सा परीक्षा (गगाधर) अर्थात् जिस बुद्धि के द्वारा परीक्षा की जाती है वह परीक्षा कहलाती है। परीक्षा शब्द की व्याख्या और अधिक स्पष्ट रूप से निम्न प्रकार की गई है— परीक्ष्यते व्यवस्थाप्यते वस्तुस्वरूपमनयेति परीक्षा चक्रपाणिदत्तः। अर्थात् जिसके द्वारा वस्तुस्वरूप व्यवस्थित रूप से निरूपित किया जाता है वह परीक्षा कहलाती है। इस प्रकार प्रमाण और परीक्षा दोनों शब्द एक ही अभिप्राय के द्योतक हैं।

आयुर्वेद शास्त्र में प्रमाण के लिए परीक्षा शब्द का व्यवहार एव प्रयोग प्रचुर रूप से हुआ है। क्योंकि आयुर्वेद में **भिक्षाद्रव्याप्युपस्थाता रोगी पञ्चचतुष्टयम्** इस पाद चतुष्टय के ज्ञान के लिए तथा इनके अभ्यवहार के लिए परीक्षा ही एक उपयुक्त शब्द है। प्रमाण शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह आयुर्वेद शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रक्षय में समुचित रूप से उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ। प्रमाण शब्द की निष्पत्ति माड माने धातु से नापना के अर्थ में हुई है। इसके अतिरिक्त प्रमाण शब्द की निरुक्ति म कतिपय आचार्यों के अनुसार करण में और कतिपय आचार्यों के अनुसार भाव म ल्युट प्रत्यय होकर प्रमाण शब्द निष्पन्न होता है। इसीलिए कुछ आचार्य प्रमाया करण प्रमाणम और कुछ आचार्य प्रमाया भाव उत्पत्ति प्रमाणम् इस प्रकार निरुक्ति या लक्षण करते हैं।

इसके विपरीत आयुर्वेद शास्त्र में किसी प्रपञ्च में नहीं पड़ते हुए महर्षि चरक ने परीक्षा शब्द का व्यवहार किया है जिसकी मूल प्रकृति ईक्ष सबर्शने धातु है। आयुर्वेद शास्त्र में प्रयक्ष आदि के लिए प्रमाण शब्द की अपेक्षा परीक्षा शब्द का व्यवहार एव प्रयोग एक ओर जहाँ सबथा प्रासंगिक एव समीचीन है वहाँ दूसरी ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है। आयुर्वेद शास्त्र में प्रमाण के अर्थ में परीक्षा शब्द का व्यवहार निम्न उद्धरण द्वारा स्पष्ट है— **द्विविधमेव खलु सब सञ्चासञ्च । तस्य चतुर्विधा परीक्षा-आप्तोपदेश प्रत्यक्षमनमान यक्तिश्च ।**

—चरक संहिता सूत्रास्थान ११/७६

इसी प्रकार अन्यत्र भी परीक्षा शब्द का ही व्यवहार किया गया है— **द्विविधा खलु परीक्षा ज्ञानवता प्रयक्षमनुमान च ।**

प्रमा प्रमेय प्रमाता और प्रमाण

वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिये सामान्यतः प्रमा प्रमेय प्रमाता और प्रमाण इन चार अवयवों की अपेक्षा रहती है। ये चारों अवयव सम्मिलित रूप से वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में समर्थ होते हैं। इनमें से किसी एक का भी अभाव वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में बाधक हो सकता है। अतः प्रत्येक की सक्षिप्त जानकारी एव परिचय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रमा—सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय में ज्ञान शब्द का प्रयोग प्रचुर रूप से हुआ है। ज्ञान शब्द में जितना व्यापक अर्थ निहित है उतना सम्भवतः उसके किसी पर्यायवाची शब्द में नहीं है। ज्ञान शब्द अपने आप में परिपूर्ण होने के कारण उसके क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारण नहीं की जा सकती। ज्ञान व्यावहारिक भी होता है और अव्यावहारिक भी। ज्ञान सत्य भी होता है और भ्रमपूर्ण या मिथ्या भी। ज्ञान यथार्थ भी होता है और अयथार्थ भी। किन्तु प्रमा केवल यथाथ ज्ञान (सत्य ज्ञान) की ही

ज्ञापक होती है। यह अयथाथ ज्ञान से सबथा भिन्न एव विपरीत होती है। अतः प्रमा शब्द का अमिप्रताथ यथाथ ज्ञान यथाथ अनुभव अथवा सम्यक ज्ञान ही ग्रहण करना चाहिये। जमा कि आचार्यों ने लिखा है— यथार्थानुभव प्रमा — उदयनाचार्य। अर्थात् यथाथ अनुभव का ही प्रमा कहते हैं। इसी भाति— तद्वति तत्प्रकारकानुभव प्रमा अर्थात् जो वस्तु जसी है उसमे उसी प्रकार का ज्ञान होना प्रमा कहलाता है। जैसे रस्सी में सप का भ्रम न होकर रस्सी का ही ज्ञान होना एव सीप में चाँदी का भ्रम न होकर सीप का ही ज्ञान होना यथाथ अनुभव (ज्ञान) कहलाता है। यन्ही प्रमा कहलाती है। रस्सी में सप का भ्रम एव सीप में चाँदी का भ्रम अयथाथ अनुभव होने से अप्रमा कहलाती है।

प्रमेय—प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं। प्रमा के योग्य अर्थात् जानने योग्य जो होता है वही प्रमेय कहलाता है। यही प्रमेय का माधारण अथ होता है। जिस वस्तु के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जो वस्तु हमारे जानने योग्य होती है वह प्रमेय कहलाती है। वस्तुस्वरूप का यथाथ अनुभव अथवा किसी वस्तु का सम्यक ज्ञान जब भी होगा वह किसी न किसी विषय का ही होगा। ज्ञान का व्यापार जिस विषय पर फलित होता है अर्थात् जिस विषय का यथाथ अनुभव या सम्यक ज्ञान होता है यथाथ अनुभव के उस विषय की सज्ञा प्रमेय होती है। इह दृष्टि से प्रमेय के अन्तर्गत पूर्वोक्त आयुवदीय समस्त पदार्थों का समावेश हो जाता है क्योंकि समस्त पदार्थ जानने योग्य अथवा ज्ञान के विषय हैं।

आयुवद शास्त्र में प्रतिपादित द्रव्यादि पदार्थ पंच महाभूत त्रिदोष-सप्तधातु त्रिमल त्रिसूत्र त्रिस्कन्ध आदि सिद्धान्त तथा अय प्रतिपाद्य विषय प्रमेय है।

प्रमाता—उपयुक्त प्रमेय (षट् पदार्थ) की प्रमा को ग्रहण करने वाला कोई अधिकारी अवश्य होगा। बिना अधिकारी के प्रमा का कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं होता। अतः प्रमा का अधिकारी अथवा जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है वही प्रमाता कहलाता है। द्रव्य विज्ञानीय प्रकरण के अन्तर्गत आत्मा निरूपण में यह स्पष्ट किया जा चुका है। ज्ञानाधिकरण ह्यात्मा ज्ञान का अधिकरण आत्मा होता है। अर्थात् ज्ञान अथवा जानने की क्रिया केवल चेतन (आत्मा) में ही हो सकती है। चेतन (आत्मा) युक्त प्राणी (मनुष्य) ही ज्ञान का अधिकारी होने से ज्ञाता कहलाता है। ज्ञाता के बिना ज्ञान नहीं होता। अतः ज्ञाता ही ज्ञान अथवा प्रमा का आधार होने के कारण प्रमाता कहलाता है।

इसके अतिरिक्त आत्मा व्यतिरिक्त समस्त वस्तुओं के जडात्मक होने से वे ज्ञाता अथवा ग्रहीता नहीं बन सकती। अतः आत्मवान् पुरुष ही प्रमाता होता है।

प्रमाण—ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि सासान्यत ज्ञान का साधन ही प्रमाण कहलाता है। जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है और जिसके अभाव में ज्ञानोपलब्धि होना सम्भव नहीं है वह प्रमाण कहलाता है। प्रमा प्रमेय और प्रमाता इन तीनों की साधकता एवं उपयोगिता तब ही होती है जब प्रमाण विद्यमान हो। क्योंकि प्रमाण वह साधन है जिसके द्वारा प्रमाता विषय (प्रमेय) का यथार्थ ज्ञान (प्रमा) का लाभ करता है। जानने वाला (प्रमाता) एवं प्रमेय पदार्थों के उपस्थित रहने पर भी प्रमा (ज्ञान) का लाभ तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रमा का लाभ कराने वाला कोई साधन न हो। क्योंकि प्रमाता में प्रमा का लाभ (ज्ञानोत्पत्ति) तब ही होता है जब उसका कोई साधन होता है। अतः प्रमा का वह साधन जिसके अभाव में प्रमाता एवं प्रमेय के विद्यमान होने पर भी प्रमा का लाभ (ज्ञान की प्राप्ति) न हो प्रमाण कहलाता है। इसलिए प्रमा के कारण (साधकतम कारण) को प्रमाण कहा गया है।

कार्यमात्र के अनेक कारण होते हैं। कुछ साधारण कारण होते हैं और कुछ असाधारण कारण। इसमें जो असाधारण कारण होता है उसे कारण कहते हैं। असाधारण कारण को साधकतम कारण भी कहते हैं। इस प्रकार असाधारण कारण या साधकतम कारण दोनों ही कारण कहलाते हैं और प्रमा का यह कारण ही प्रमाण कहलाता है।

प्रमाण का महत्व—आयुर्वेद में प्रमाण की अत्यन्त उपयोगिता एवं महत्त्व है। क्योंकि आयुर्वेदीय पदार्थों का ज्ञान एवं वस्तु स्वरूप का विनिश्चय मात्र प्रमाणाधीन ही है। प्रमाण केवल पदार्थों के स्वरूप का ही विनिश्चय नहीं कराते अपितु रोगों का ज्ञान प्राप्त करने एवं औषधियों का निगम करने में भी सहायक होते हैं। जैसा कि पूरुष में स्पष्ट किया जा चुका है आयुर्वेद में प्रमाण के लिए परीक्षा शब्द का भी व्यवहार किया गया है। जैसा कि महर्षि चरक के निम्न वचन से स्पष्ट है—

द्विविधमेव ज्ञान सर्वं सत्त्वामसत्त्वं । तस्य चतुर्विधा परीक्षा ।

—चरक संहिता सूत्रस्थान ११/१७

यहां पर सत्त्वामसत्त्व के समस्त पदार्थों को सत् (भावरूप) एवं असत् (अभाव रूप) में निरूपित करते हुए उनके ज्ञान प्राप्ति के साधन चार प्रकार के बतलाये गए हैं।

प्रमाण का फल—प्रमेय की सिद्धि (पदार्थों का यथार्थ ज्ञान) प्रमाण के द्वारा होती है। अतः प्रमेय की सिद्धि होना ही प्रमाण का फल है। प्रमाण का मुख्य प्रयो जन है—यथाय अनुभव या सत्यानुरूपा प्रमा की उपलब्धि करना। हमें जिस विषय का यथार्थ ज्ञान होता है वह ज्ञान अक्षेप निश्चक एवं अबाधित होने के कारण प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक ज्ञान सदैव उपादेय होता है। यही प्रमाण का फल है।

नैयानिको के अनुसार प्रमाण का फल आमा सवित्ति है। अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जब किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान के अनन्तर अनु व्यवसायात्मक ज्ञान उपन्न होता है जो निश्चयात्मक होने के कारण वस्तु स्वरूप का विनिश्चय करने वाला होता है। इस ज्ञान सम्बन्ध से आमा मे सवित्ति उत्पन्न होती है तदनन्तर वह ज्ञान प्रामाणिक एवं यथार्थ माना जाता है। इसे निम्न उदाहरण के द्वारा भली भाँति समझा जा सकता है। जैसे चक्ष इन्द्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होने पर आमा को यह यथाथ अनुभव होता है कि घटमह जानामि यहा चक्ष इन्द्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होने पर प्रत्यक्ष के अनन्तर घटमह जानामि इस प्रकार का अनु व्यवसायात्मक ज्ञान उपन्न होता है। इसके पश्चात् इस ज्ञान सम्बन्ध से उत्पन्न हुई आमा सवित्ति के कारण ज्ञान की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। यही प्रमाण का फल है।

दाशनिक विद्वानों के मतानुसार सृष्टि के दृष्ट एवं अदृष्ट सभी प्रकार के पदार्थों का ज्ञान प्रमाणा के द्वारा ही होता है। प्रमाणों के द्वारा उपन्न हुआ ज्ञान सर्वथा यथाथ होता है। विन्तु अनेक बार साधनों के कारण भूत प्रमाण के अभाव में अयथार्थ ज्ञान भी होता है जो वस्तु स्वरूप के विनिश्चय में बाधक होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रमाण के द्वारा यथाथ ज्ञान प्राप्त कर वस्तु के यथाथ स्वरूप का विनिश्चय करना चाहिए। यही प्रमाणों का फल है।

प्रमाणों की सख्या पदार्थों के ज्ञान के साधनभूत प्रमाणों की सख्या के विषय में विभिन्न दर्शनों एवं दाशनिक विद्वानों में मतभेद नहीं है। अपन अपने सिद्धान्त के अनुसार जिस दशन अथवा दाशनिक विद्वान को जितने प्रमाणों की आवश्यकता प्रतीत हुई उन्हाने उतने ही प्रमाणा को स्वीकार किया। अतः विभिन्न दाशनिक विद्वानों ने स्वशास्त्र सिद्धान्तानुसार प्रमाणों की सख्या एक से दस तक स्वीकार की है। प्रमाणों की सख्या के विषय में विभिन्न दाशनिक विद्वानों एवं दर्शनों के मत निम्न प्रकार हैं

१ चार्वाक दशन ने केवल एक ही प्रमाण स्वीकार किया है। चार्वाक दशन के मतानुसार वस्तु स्वरूप के यथाथ ज्ञान का साधन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण में उसकी आस्था नहीं है।

२ जैन बौद्ध और वैशेषिक दशन पदार्थों एवं तत्त्वों के सम्यक ज्ञान के लिए केवल दो प्रमाणों को ही स्वीकार करते हैं। उनके मतानुसार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणा के द्वारा ससार के समस्त प्रमेयों की सिद्धि हो जाती है। अतः प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है।

३ साख्य दशन योग दर्शन एवं रामानुजाचार्य उपयुक्त दो प्रमाणों के अतिरिक्त तीसरा प्रमाण शब्द भी मानते हैं। इस प्रकार के प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द— इन

तीन प्रमाणों को स्वीकार कर इन्हें ही प्रमेय सिद्धि का साधन स्वीकार करते हैं। नैयायिकों का एक वर्ग जो जरनैयायिक के नाम से जाना जाता है वह भी इन्हीं तीनों प्रमाणों का समर्थन करता है।

४ नैयायिकों के शेष दोनो वग अर्थात् अर्वाचीन और प्राचीन नैयायिक प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द के अतिरिक्त चतुर्थ प्रमाण उपमान को स्वीकार कर प्रमाणों की सख्या चार मानते हैं। 'याय दशन मे स्वीकृत इन चार प्रमाणों का समर्थन माहेश्वर सम्प्रदाय वालो ने भी किया है।

५ मीमांसकों का एक वर्ग जो प्रभाकर मतानुयायी अथवा प्रभाकर मीमांसक समझे जाते हैं उपयुक्त चार प्रमाणों के अतिरिक्त पाचवा प्रमाण 'अर्थापत्ति' अथवा अर्थ प्राप्ति नामक स्वीकार करते हैं। इस प्रकार ये विद्वान् कुल पाच प्रमाण स्वीकार करते हैं।

६ मीमांसकों का दूसरा वग जो कुमारिल भट्ट के मत का अनुसरण करता है या भट्ट मीमांसक के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त पाचो प्रमाणों के साथ साथ छठा प्रमाण अनुपलब्धि या अभाव को भी स्वीकार करता है। वेदान्ती लोग भी इन्ही छ प्रमाणों को स्वीकार करते हैं।

७ पौराणिक लोग उपयुक्त छ प्रमाणों का समर्थन करते हुए सम्भव तथा एतिह्य नामक दो प्रमाणों को और जोड़कर कुल आठ प्रमाणों के द्वारा वस्तु स्वरूप का विवेचन करते हैं।

८ तान्त्रिक लोग उपयुक्त आठ प्रमाणों को स्वीकार करते हुए नौवा प्रमाण 'चेष्टा' नामक मानते हैं और इनके द्वारा अपने मत का प्रतिपादन करते हैं।

९ कुछ अन्य विद्वान एव दार्शनिक उपयुक्त नौ प्रमाणों के अतिरिक्त दसवा परिशेष नामक प्रमाण भी मानते हैं। उनके मतानुसार प्रमाणों की सख्या दस होती है।

इस प्रकार भिन्न भिन्न दर्शनो एव विद्वानो ने अपने मत और सिद्धान्त के अनुसार प्रमाणों की भिन्न भिन्न सख्या एक से दस तक स्वीकार की है। जो दशन कम से कम प्रमाणों को मानकर उनके द्वारा वस्तु-स्वरूप या पदार्थों का विनिश्चय करते हैं वे दशन अन्य दर्शनो या विद्वानो के द्वारा स्वीकृत अधिक अन्य प्रमाणों का स्वमत सम्मत प्रमाणों से ही अन्तर्भाव कर लेते हैं। जैसे सांख्य योग और आयुर्वेद दर्शन के विद्वान अर्थापत्ति तथा सम्भव नामक प्रमाणों का अन्तर्भाव अनुमान में अभाव का समावेश प्रत्यक्ष और अनुमान में तथा एतिह्य नामक प्रमाण का अन्तर्भाव शब्द प्रमाण और आप्तोपदेश नामक प्रमाण से कर लेते हैं। इसी प्रकार जैन बौद्ध एवं बौद्धिक दर्शन तीन से दस तक सभी प्रमाणों को प्रत्यक्ष और अनुमान के अन्तर्गत मान लेते हैं।

आयुर्वेद सम्मत प्रमाण—आयुर्वेदीय सिद्धान्तों का अपना विशिष्ट महत्त्व एवं उद्देश्य है। यहाँ सक्षेप में उन साधनों या प्रमाणों की सख्या का उल्लेख किया जायेगा जिनके द्वारा वे सिद्धांत जाने जाते हैं। आयुर्वेदीय स्वतंत्र भौतिक दर्शन होने के कारण आयुर्वेद के द्वारा सम्मत स्वतंत्र प्रमाणों की सख्या भी है। क्योंकि उन प्रमाणों के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अवयवों और उन पर क्रिया करने वाले आहार द्रव्य-औषध द्रव्य आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हीं प्रमाणों के द्वारा शरीर को विकारग्रस्त करने वाले कारणों रूग्णावस्था में व्यक्त होने वाले विभिन्न लक्षणों और शरीर में उत्पन्न हुए रोगों का शमन करने वाली चिकित्सा का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

आयुर्वेदीय ग्रंथों में सामान्यतः त्रिविध प्रमाणों पर ही विशेष जोर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लिए आयुर्वेद का आचार्यों ने विशेषतः आत्रेय सम्प्रदाय के अनयायियों ने त्रिविध प्रमाणों के प्रतिपादन में साख्य योग एवं रामानुज के मत का ही अनुसरण किया है। यथा—त्रिविधं खलु रोगविशेषज्ञानं भवति । तस्यैवाऽऽप्तोपदेशः प्रत्यक्षमनमानश्चेति—(चरक संहिता विमान स्थान अ ३)—अर्थात् रोग विशेष को जानने के तीन उपाय होते हैं। जमे—आप्तोपदेशः प्रत्यक्ष और अनुमान ।

इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार कवल दो प्रमाण ही स्वीकृत किये गये हैं। किन्तु बाद में वहाँ भी तीन प्रमाण स्वीकृत कर अपने मत का प्रतिपादन किया गया है। यथा—

त्रिविधं खलु रोगविशेषज्ञानं भवति । प्रत्यक्षमनमानश्चेति सहाप्तोपदेशान् त्रिविधमपि ।

अर्थात् रोग विशेष के ज्ञान के दो साधन होते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान । आप्तोपदेश के साथ तीन साधन भी होते हैं। इसी प्रकार—

त्रिविधं खलु परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनमानश्च । एतद्धि द्वयमपदेशश्च परीक्षा स्यात् । एवमेवा द्विविधा परीक्षा त्रिविधा वा सप्तोपदेशान् ।

—चरक संहिता विमान स्थान ८/८३

अर्थात् ज्ञानवान् विद्वानो के लिए परीक्षा दो प्रकार की होती है—१ प्रत्यक्ष और २ अनुमान ।

उपर्युक्त दो परीक्षा और आप्तोपदेश ये तीन परीक्षाएँ भी होती हैं। इस प्रकार त्रिविध परीक्षा अथवा आप्तोपदेश सहित त्रिविध परीक्षा होती है।

आयुर्वेद में अन्यत्र महर्षि चरक ने आवश्यकतानुसार चतुर्विध परीक्षा का अनुमोदन करते हुए चार प्रमाणों को भी स्वीकृत किया है। यथा—

द्वि विद्यमेव ज्ञानु सर्वं सञ्चासन्ध । तस्य चतुर्विधा परीक्षा—आप्तोपदेश
प्रत्यक्षम अनुमान युक्तिश्चेति । —चरक संहिता सूत्र स्थान ११/१७

अर्थात् इस पाँच भौतिक जगत में सभी वस्तुएँ दो भागों में विभक्त हैं—
१ सत और २ असत । इन दोनों की परीक्षा चार प्रकार से होती—१ आप्तोपदेश
२ प्रत्यक्ष ३ अनुमान और ४ युक्ति ।

यहाँ पर यद्यपि चार प्रकार के प्रमाण माने गये हैं । किन्तु आगे चल कर
मुख्य रूप से तीन प्रमाणों को ही स्वीकृत किया गया है । वहाँ पर चौथे युक्ति प्रमाण
को स्वतंत्र रूप से न मानकर युक्ति प्रमाण को अनुमान का अनुभाहक होने से उसे
पथक स्वीकार न कर अनमान ज्ञानु तर्कों युक्त्यपेक्ष अनुमान का यह लक्षण बतला
कर युक्ति का अनमान के अन्तगत ही अन्तर्भाव कर लिया है । इसके अतिरिक्त
आयुर्वेद में महर्षि चरक ने एक स्थान पर स्वतंत्र रूपेण उपमान प्रमाण का लक्षण
निर्देश पूर्वक पाँचवें प्रमाण के रूप उसके अस्तित्व का प्रतिपादन किया है । किन्तु उसे
भी अनमान प्रमाण के अन्तगत समाविष्ट कर प्रमाणों की सख्या को केवल तीन तक
ही सामित रखा । इस प्रकार चरक में मुख्य रूप से तीन प्रमाण ही स्वीकृत किए गए
है । आयुर्वेदीय दृष्टि से यही मत सर्वाधिक ग्राह्य है ।

महर्षि सुश्रुत ने प्रमाणों के विषय में यद्यपि अपना कोई स्वतन्त्र मत व्यक्त
नहीं किया है । किन्तु एक स्थान पर भगवान् धन्वतरि ने सुश्रुत प्रभृति शिष्यों को
उपदेश देते हुए चतुर्विध प्रमाण का निर्देश नाम मात्र किया है । यथा तस्यांभवरमाद्य
प्रत्यक्षागमानमानोपमानैरबिदध्यममःअसंप्रधारय — सु सू १/१६ अर्थात् उस आयुर्वेद
के सर्वश्रेष्ठ और आद्य अंग (शल्यतंत्र) का मैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान
इन चार प्रमाणों से विरोध न करते हुए जो उपदेश कर रहा हूँ उसे तुम लोग धारण
करो । यहाँ सुश्रुत ने जिन चार प्रमाणों का कथन किया है वह सम्भवतः महर्षि मौत्तम
के मत का अनुसरण करते हुए किया है । क्योंकि न्यायसूत्र में प्रत्यक्षानमानोपमान
शब्दा प्रमाणानि । इन चार प्रमाणों को स्वीकार किया गया है किन्तु आयुर्वेद में उप
मान प्रमाण का पथक निर्देश करते हुए भी उसे अनुमान के अन्तगत ही माना गया
है । अतः मूल रूप से प्रमाणों की सख्या केवल तीन है । इस प्रकार तीन प्रमाणों को
स्वीकार कर आयुर्वेद ने स्पष्टतः सांख्य एव योग दर्शन के मत का अनुसरण करते हुए
उन्हे स्वीकार कर स्वमत का प्रतिपादन किया है । अन्य समस्त प्रमाणों का अन्तर्भाव
इन्हीं तीन प्रमाणों में करते हुए आयुर्वेद ने उनकी पथक् उपादेयता को स्वीकार नहीं
किया और प्रमाण के क्षेत्र में अपनी स्वतन्त्र स्थिति व्यापित करते हुए अपना स्वतन्त्र
मन्तव्य व्यक्त किया ।

स्वत प्रामाण्य और परत प्रामाण्य

प्रमाण के द्वारा पदार्थ या वस्तु स्वरूप को जिस रूप में जाना जाता है उसका उसी रूप में प्राप्त होना अर्थात् प्रतिभात विषय का अद्यभिचारी होना प्रामाण्य कहलाता है। यह प्रमाण का धर्म है। मन्की उत्पत्ति उही कारणों से होती है जिन कारणों से प्रमाण उत्पन्न होता है। इसी तरह अप्रामाण्य भी अप्रमाण के कारणों से ही उत्पन्न होता है। प्रामाण्य की मर्यादा के सम्बन्ध में मन्की दर्शनकारों में मतभेद नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप स्वत प्रामाण्यवाद एवं परत प्रामाण्यवाद का जन्म हुआ।

इसमें स्वत प्रामाण्यवाद मीमांसकों को अभीष्ट है। स्वत का अर्थ है अपने आप और प्रामाण्य का अर्थ है प्रमाणता या प्रमाणित होना। स्वत प्रामाण्य का अर्थ हुआ जो स्वतः (अपने आप) प्रमाणित हो जिसे प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रहती है वह अपने आप में प्रमाण भूत होता है। इस अर्थ में वेद का ग्रहण किया जाता है। मीमांसक वेद को अपौरुषेय मान कर उसे स्वत प्रमाण कहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वेद धर्म और इसके नियम उपनियम आदि का प्रतिपादन करने वाले होते हैं। उनके मतानुसार वे ईश्वरकृत या ईश्वरमूलक नहीं हैं। अतः वेद स्वत प्रमाण है या वेद की प्रमाणता स्वत है।

इसी प्रकार आप्तवचन भी स्वत प्रमाण माने गए हैं। क्योंकि आप्त पुरुष रज और तम दोषों से सवधा निमुक्त होते हैं। उनका ज्ञान अव्याहत होता है। यथाथ वक्ता होने के कारण उनके वचनों को स्वत प्रमाण माना गया है। उनके वचनों को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं है।

इसके विपरीत नयायिका का परत प्रामाण्य अभीष्ट है। क्योंकि वे वेद को ईश्वरकृत मानते हैं। दूसरों या अन्य के द्वारा रचित होने से वेद का प्रामाण्य परत माना गया है। परत प्रामाण्य के अनुसार किसी भी विषय या वस्तु की प्रमाणता को पथक से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। परत याने दूसरों से और प्रामाण्य याने प्रमाणित होना। अर्थात् दूसरों से प्रमाणित किया जाना परत प्रामाण्य होता है।

वस्तुतः यदि देखा जाय तो प्रामाण्य ही या अप्रामाण्य उसकी उत्पत्ति पर से ही होती है। ज्ञापित अभ्यास दशा में स्वत और अनभ्यास दशा में किसी स्वत प्रमाण भूत ज्ञानान्तर से याने परत होती है। जैसे जिस स्थान से व्यक्ति परिचित होता है उस स्थान में स्थित जलाशय आदि में होने वाला ज्ञान या मरीचि ज्ञान अपने आप ही अपनी प्रमाणता या अप्रमाणता बतला देता है किन्तु अपरिचित स्थान में विद्यमान जलाशय के ज्ञान की प्रमाणता पतिहारिणों के द्वारा पानी भरकर लाया जाना मेढकों का टर्राना या कमल की गंध आना आदि जल के अविनाभावी स्वत प्रमाण भूत ज्ञानों से ही होती है। इसी प्रकार जिस वक्ता के गुण-दोषों का हमें पहले ही ज्ञान है उसके वचनों की प्रमाणता और अप्रमाणता का ज्ञान तो हमें स्वत ही हो जाता है किन्तु अन्य के वचनों की प्रमाणता के लिए हमें दूसरे सवादे आदि कारणों की अपेक्षा होती है।

दशम अध्याय

प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपण

प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण या साधन होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष शब्द का निर्माण प्रति + अक्ष इन दो शब्दों के योग से हुआ है। उसकी व्युत्पत्ति क अनुसार प्रति अक्षो अर्थात् जो आखा क समक्ष हो अथवा अक्षमक्ष प्रतीत्योत्पद्यते इ त प्रत्यक्षम् अर्थात् चक्षु, श्रोत्र प्राण रसना और त्वक इन इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। उपर्युक्त इन्द्रियों क द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान निश्चयात्मक निर्विवाद एव निरपेक्ष होता है क्व निश्चयात्मक अथवा निर्विवाद ज्ञान जिसका चक्ष आदि के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है उसमे इन्द्रिय ही व्यापारवद असाधारण कारण होती है। अत इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष ज्ञान का माधकतम या प्रधान कारण (करण) होती है। इन्द्रिय और मन का पारस्परिक सयोग होने से ही इन्द्रियों का व्यापार होता है। इसी भाति मानस प्रत्यक्ष क लिए आत्मा और मन का सयोग अपेक्षित है। यही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है।

लक्षण

प्रत्यक्ष तु क्षु तव् यत स्वयमिन्द्रियमनसा बोधलभ्यते।

—चरक संहिता विमानस्थान ४/४

अथ—इन्द्रियों और मन क द्वारा स्वय जो ज्ञान उपलब्ध होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है।

अथ प्रत्यक्ष—प्रत्यक्ष नाम तद्यत्वात्मना चेन्द्रियद्वय स्वयमुपलभ्यते तत्रात्म प्रत्यक्षा सुखदुःखच्छाद्वेषादय शब्दादयस्त्विष्य प्रत्यक्षम्।

—चरक संहिता विमान स्थान ८/३६

प्रत्यक्ष वह कहलाता है जो आत्मा और इन्द्रियों के द्वारा स्वय उपलब्ध होता है। इसमे आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले सुख दुख इच्छा द्वेष आदि भाव तथा इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध घ्राव होते हैं।

इन्द्रियाथसन्निकर्षजग्य ज्ञान प्रत्यक्षम्।

इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ (इन्द्रियों के विषयों) के मन्निकर्ष (सम्बन्ध) से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। यह ज्ञान तात्कालिक निश्चित यथार्थ और सशय रहित होना चाहिए।

आत्मेन्द्रियमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्प्रवतते ।
व्यक्ता तवात्वं या बद्धिं प्रत्यक्ष सा निगच्छते ॥

— चरक संहिता सूत्रस्थान ११/२

आत्मा इन्द्रिय मन और इन्द्रियो के विषय इनका सम्बन्ध जब (एक विशेष क्रम से) होता है और उस काल में जो निश्चयात्मिका बुद्धि (ज्ञान) उत्पन्न होती है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अर्थात् आत्मादि चतुष्टय के सन्निकर्ष से तत्काल जो यथाथ ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष है और वही प्रमाण है।

ज्ञान यदिन्द्रियार्थानां सन्निकर्षात्प्रवतते ॥

प्रत्यक्ष षड्विधं तत्त भोत्रजादिप्रभवत् ॥

इन्द्रिय और इन्द्रियो के विषयो के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है और भोजन आदि भेद में वह छह प्रकार का होता है।

प्रत्यक्षमिति यत्किञ्चिद्वैवाथस्य साक्षात्कारिकं ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षम् ।

— डहणावाय

जो कुछ विषय का साक्षात्कारिक ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है।

तत्र विशदज्ञानात्मकं प्रत्यक्षम् । यस्मिन् ज्ञाने ज्ञानान्तरस्य व्यवधानं न भवति विशेषवत्तया प्रतिभासनं च भवति तत्प्रत्यक्षम् । — जन दशन सार

विशद ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। जिस ज्ञान में दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती और विशेष रूप से प्रतिभासन होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है।

यहाँ पर आत्मा मन इन्द्रिय और इन्द्रियाथ इनका सन्निकर्ष आवश्यक है। जब तक इनका सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। इन चारों द्रव्यों का संयोग एक क्रम विशेष के द्वारा होता है। अर्थात् सब प्रथम आत्मा का संयोग मन के साथ होता है। आत्मा संयुक्त मन का संयोग इन्द्रिय के साथ और आत्मा संयुक्त समनस्क इन्द्रिय का संयोग इन्द्रियाथ (अपने विषय) के साथ होता है। तदनन्तर प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि होती है। उपयुक्त आत्मादि चतुष्टय का संयोग क्रम इतनी तीव्र गति से होता है कि सामान्यतः हमें उसकी प्रतीति नहीं हो पाती। वैसे तो इन्द्रियो का अपने विषय के साथ संयोग सदैव बना रहता है। किन्तु जब तक उस इन्द्रिय के साथ सचेतन मन का संयोग नहीं होता तब तक इन्द्रिया अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। इसी तथ्य का प्रतिपादन महर्षि चरक ने निम्न प्रकार से किया है — मन पुरस्सराणीन्द्रियाण्यथग्रहणसमर्थानि भवन्ति । — चरक संहिता सूत्रस्थान ६/७। अर्थात् मन से संयुक्त इन्द्रिया ही अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा मन इन्द्रिय और विषयो का सन्निकर्ष

प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण होता है। इसका अधिकाराय यह है कि इन्द्रिय और मन रूप साधन के द्वारा विषयो का ज्ञान आत्मा को होता है। क्योंकि पदार्थों के ज्ञान का अधिकारी केवल आत्मा ही है। मन और इन्द्रिय वही ये दोनों तो साधन मात्र हैं। मन तो केवल इन्द्रियों को अपना विषय ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है और इन्द्रियाँ केवल अपने विषयो का ग्रहण मात्र करती हैं। उन विषयो का यथार्थ ज्ञान केवल आत्मा को ही होता है। इसलिए ज्ञान का अधिकारी केवल आत्मा को ही माना गया है। जैसा कि शास्त्र में प्रतिपादित है—ज्ञानाधिकरण आत्मा।

इन्द्रिया की अविमलता अथवा व्यवधान आदि अनेक कारणों से कई बार भ्रामक या सशयात्मक या विपरीत मिथ्या ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे रस्सी में सड़क का ज्ञान (भ्रामक ज्ञान) रेगिस्थान में मृग मरीचिका या समुद्र तट पर पडी हुई सीप में रजत का ज्ञान (विपरीत ज्ञान) सायकालीन अघकार के कारण नातिदूरस्थ स्थाणु में पुरुष का ज्ञान (सशयात्मक ज्ञान) इत्यादि। इस प्रकार के समस्त मिथ्या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना गया है। अतः उन मिथ्या ज्ञान का निवारण करने के लिए महर्षि गौतम ने प्रत्यक्ष का निम्न विशेषण विशिष्ट लक्षण बतलाया है—

इन्द्रियाथसन्निकर्षो पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारी व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्।

न्याय रूपण ११४

अर्थात् इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ के सन्निकष से उत्पन्न होने वाला अव्यपदेश्य अव्यभिचारी (व्यभिचार रहित निर्दोष) और व्यवसायात्मक (निश्चयात्मक) ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता है।

यहां पर यह समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक इन्द्रिय का स्वविषय के साथ सम्बन्ध होना प्रत्यक्ष ज्ञान में विशिष्ट कारण है।

ज्ञानोत्पत्ति प्रकार

ऊपर यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा इन्द्रिय मन और इन्द्रियों के रूपादि विषयो के सम्बन्ध से तत्काल जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। उस प्रत्यक्ष में ज्ञानोत्पत्ति कैसे होती है? इस पर आत्मा के प्रकरण में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जा चुका है। (देखिये पृष्ठ ६३ पर) तथापि संक्षेपतः यहां इतना ही बतलाना पर्याप्त होगा कि सबप्रथम आत्मा का मन के साथ संयोग होता है तत्पश्चात् मन इन्द्रियों के साथ संयुक्त होता है और फिर इन्द्रियाँ स्वविषय के साथ संयोजित होती हैं। इसके परिणामस्वरूप आत्मा को ज्ञान होता है। समस्त प्रकार का ज्ञान उपर्युक्त क्रम से ही होता है।

ज्ञानोत्पत्ति के उपर्युक्त क्रम में (आत्मा संयुक्त) मनोयुक्त इन्द्रियाँ अपने विषय को ग्रहण करती हैं। उस समय जो ज्ञान होता है वह वस्तु मात्र होता है। इसे आलोचन

निर्विकल्पकज्ञान कहते हैं। तदनन्तर मन के द्वारा कल्पना की जाती है। अर्थात् अमुक वस्तु ऐसी है या वैसी है हेय है या उपादेय है—इस प्रकार की कल्पना मन करता है। तत्पश्चात् उस विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न होती है उस निश्चयात्मिका बुद्धि से पुरुष बुद्धि पूर्वक कुछ कहने या करने का निश्चय करता है जो ज्ञान का परिणाम है। ज्ञान हुए बिना मनुष्य का कुछ कहने या करने में प्रवृत्त होना सम्भव नहीं है।

यहां यह भी समझ लेना चाहिए कि प्राणि की जो बुद्धि जिस इंद्रिय में आश्रित होकर प्रवृत्त होती है वह बुद्धि या ज्ञान उसी इंद्रिय के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तथा मन से उत्पन्न बुद्धि मन के द्वारा निर्दिष्ट होती है। जैसे चक्षुओं से प्रवृत्त ज्ञान चक्षु बुद्धि या चाक्षुष ज्ञान कहलाता है। श्रोत्रों के द्वारा प्रवृत्त बुद्धि को श्रोत्र बुद्धि या श्रोत्र ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार अन्य ज्ञानेन्द्रियों से प्रवृत्त ज्ञान भी जानना चाहिए।

ईन्द्रियों का स्वरूप एवं महत्व

इन्द्रिया मानव शरीर के अत्यन्त आवश्यक एवं उपयोगी अवयव हैं। इन्द्रियों का सम्बन्ध शरीर के साथ केवल इतना है कि वे शरीर में स्थित हैं किन्तु इनका सम्बन्ध शरीर की अपेक्षा आत्मा से अधिक है। क्योंकि ये ही इन्द्रिया आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होती हैं। आत्मा को बाह्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन एवं इन्द्रियों की सहायता लेना अपेक्षित रहता है। क्योंकि बिना साधन के साध्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। इन्द्रिय रूप साधन के बिना आत्मा एकाकी रूप से विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है। वह इन्द्रियों की सहायता से ही विविध विषयों को ग्रहण कर उनका ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए इन्द्रियों को आत्मा का साधन कहा गया है।

इससे सभी प्रकार के ज्ञान में इन्द्रियों का महत्व एवं उपयोगिता सुस्पष्ट है। प्रत्यक्ष ज्ञान में तो उसका और भी अधिक महत्व है। इन्द्रियों के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना संभव असम्भव है। यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि आत्मा इन्द्रिय रूप साधन के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। इसलिए यहाँ इन्द्रियों के स्वरूप पर प्रकाश डाला जा रहा है।

ईन्द्रियों का श्रेणी विभाजन एवं सख्या

सामान्यतः इन्द्रियों की संख्या ग्यारह है। अपने स्वतंत्र कर्म के अनुसार प्रत्येक इन्द्रिय पृथक पृथक होती है। किन्तु उन्हें मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में रखा गया है—

- १ ज्ञानेन्द्रिय
- २ कर्मेन्द्रिय
- ३ उभयेन्द्रिय

१ ज्ञानेन्द्रिय—इनकी संख्या पाच है। यथा—१ श्रोत्र २ त्वक्, ३ चक्षु, ४ रसना और ५ घ्राण। इन पांचो ज्ञानेन्द्रियो को बुद्धीन्द्रिय भी कहा जाता है। ये इन्द्रियां विभिन्न बाह्य विषयो को ग्रहण कर उनका ज्ञान कराने में सहायक होती है। किन्तु प्रत्येक इन्द्रिय का विषय नियत होने के कारण वे केवल अपने ही विषयो को ग्रहण कर उनका ज्ञान करती हैं। इन्ही पांच इन्द्रियों के माध्यम से आत्मा को ज्ञानोपलब्धि होती है। अतः ज्ञान का साधन मुख्य रूप से ये पांच ज्ञानेन्द्रियां ही हैं।

२ कर्मेन्द्रिय ये भी संख्या में पाच होती हैं। यथा १-वाक् २-हस्त ३-पाय ४-उपस्थ और ५ पायु। इन पांच इन्द्रियो के द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्म सम्पादित किए जाते हैं। प्रत्येक इन्द्रिय अपने अपने कर्म का साधन है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियो के विषय नियत हैं उसी प्रकार कर्मेन्द्रियो के विषय (कर्म) भी नियत हैं। इन्हीं इन्द्रियो के द्वारा मनुष्य अन्यान्य चेष्टाओ को करने में समर्थ होता है।

३ उभयेन्द्रिय—यह संख्या में एक है। इसे मन कहा जाता है। मन को उभयेन्द्रिय माना गया है। क्योंकि यह ज्ञान कराने और कर्म करने दोनों में सहायक होता है। मन की प्रवृत्ति उभयमुख होने के कारण इसे उभयेन्द्रिय की संज्ञा दी गई है। मन की सन्धयता के बिना न तो ज्ञानेन्द्रिया ही अपने विषय का ग्रहण कर सकती हैं और न ही कर्मेन्द्रिया किसी कर्म को करने में समर्थ होती हैं। मन की प्रवृत्ति ज्ञान और कर्म के अतिरिक्त नहीं है। यद्यपि उसके आधीन अनेक क्रोध मान माया लोभ शोक काम आदि भाव होते हैं तथापि इन्द्रियत्व की दृष्टि से वे भाव मन के विषय नहीं हैं। मन केवल ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो का प्रेरक होने से उभयेन्द्रिय माना गया है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त दसो इन्द्रियो की अपेक्षा मन में कुछ विशेषता रहती है। अतः इसे सामान्य इन्द्रियो में परिगणित न कर उभयेन्द्रिय रूप से इसका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। साथ ही मन आत्मा को ज्ञान कराने का एक ऐसा साधन है जो अन्य इन्द्रिया नहीं बन सकती हैं। इन्द्रिया सामान्य रूप से जिन विषयों का ग्रहण करती हैं उनका ज्ञान मन के माध्यम से ही आत्मा तक पहुंचता है। अतः मन सामान्य इन्द्रियो से सर्वथा भिन्न आत्मा को ज्ञान कराने वाला एक प्रमुख साधन रूप एक स्वतन्त्र इन्द्रिय है। यह चू कि ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों से सम्बद्ध रहता है अतः इसे उभयेन्द्रिय माना गया है। इन्द्रियो के सम्बन्ध में महर्षि सुश्रुत का निम्न वचन दृष्टव्य है— 'सर्व पूर्वाणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि इतराणि च पञ्च कर्मेन्द्रियाणि उभयतत्कर्तृ मनः'।

इन्द्रियों के विषय

प्रत्येक इन्द्रिय का अपना अपना अलग विषय नियत होता है। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय जिस पदार्थ का ज्ञान कराती है वही उसका नियत विषय होता है। श्रोत्रेन्द्रिय शब्द गुण को ग्रहण करती है और उसी का ज्ञान कराती है। अतः वही उसका नियत विषय है। इसी प्रकार त्वगिन्द्रिय का स्पृश चक्षु का रूप रसना का रस और घ्राण का गन्ध नियत विषय है। इन पाँचों विषयों के अन्तर्गत ही ससार के समस्त विषय अथवा ज्ञय पदार्थ समाविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय अपने नियत विषय का ग्रहण करने के लिए सीमित एवं प्रतिबद्ध है।

इसी भाँति कर्मान्द्रियों का विषय कम करना है। प्रत्येक कर्मान्द्रिय का विषय भी नियत होता है। अतः प्रत्येक कर्मान्द्रिय केवल अपने नियत काम का करने में ही समर्थ है अन्य को नहीं। एक कर्मान्द्रिय अथवा कर्मान्द्रिय के विषय (काम) को नहीं कर सकती। जैसे बोलने का कार्य केवल वाक् इन्द्रिय के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है अथवा हस्त पाद आदि इन्द्रियों द्वारा नहीं। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषयों को भी समझना चाहिए। कर्मान्द्रियों में जो वस्तुव्यय अर्थात् जो कहने योग्य है वह काम वाक् इन्द्रिय का विषय है। मूत्र त्याग एवं मथन काम करना उपस्थ या शिष्येन्द्रिय का विषय है तथा मल त्याग करना पायु या गुदेन्द्रिय का विषय है। इस प्रकार पाँचों ही कर्मान्द्रियों के अपने अपने पथक पथक विषय (काम) नियत है।

उपयुक्त दस प्रकार के विषय पथक पथक रूप से एक एक इन्द्रिय के नियत हैं। विस्तार की दृष्टि में इन विषयों का क्षेत्र सीमित नहीं है। अतः इस दृष्टि से इन्द्रियों का विषय क्षेत्र भी सीमित नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक विषय के क्षेत्र का विस्तार इतना अधिक है कि उसे शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता है। क्योंकि सुनने के लिए अनेक प्रकार के शब्द हैं स्पष्ट करने के लिए अनेक विषय हैं देखने के लिए रूप वान अनेक पदार्थ हैं रसास्वादन करने के लिए विभिन्न रस वाले अनेक द्रव्य हैं गंध विषय से युक्त अनेक द्रव्य हैं इसी प्रकार अनेक काम हैं जो कर्मान्द्रियों के द्वारा किए जाने योग्य हैं। इस प्रकार इन्द्रियों के विषयों का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है।

मन इन दसों प्रकार की इन्द्रियों के विषय में सलग्न होने का अधिकारी है। प्रत्येक विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक इन्द्रिय के साथ मन का संयोग अनिवार्य है। अन्यथा ज्ञानोपलब्धि होना संभव नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मान्द्रिय के साथ मन का संयोग अपेक्षित है। अन्यथा काम होना संभव नहीं है।

इन्द्रियों का भौतिकत्व

सांख्य दर्शन में इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से मानी गई है। उसके मतानु

सार तामस अहंकार के द्वारा तैजस अहंकार की सहायता से स्यारह इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। जैसे—वकारिका अहंकारात्तैजससहाय्यात्तत्त्वक्षणाभ्येवैकादशेन्द्रियाभ्युत्पद्यन्ते।

किन्तु आयुर्वेद में इन्द्रियों को अहंकारिक अर्थात् अहंकार से समुत्पन्न न मान कर पाञ्च भौतिक माना गया है। आयुर्वेद के मतानुसार इन्द्रियों की उत्पत्ति पञ्च महाभूतों से होती है। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय में एक एक महाभूत की प्रधानता होती है जिससे वह इन्द्रिय अपने महाभूत के अनुसार ही विषय का ग्रहण करने में समर्थ होती है। महार्षि चरक ने स्पष्टता से इस तथ्य का प्रतिपदान किया है। जैसे—

एकैकाधिकयुक्तानि ज्ञात्रीनामिन्द्रियाणि तु ।

पञ्चकर्मानभेदानि यस्यो बुद्धि प्रवर्तते ॥

अर्थात् जिन के द्वारा बुद्धि की प्रवृत्ति होती है वे कम से अनुमान योग्य पाँचो इन्द्रिया क्रमश एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त होती हैं। अत इन्द्रियों के विषय में आयुर्वेद में साख्य दर्शन का अनुकरण न कर वैशेषिक दर्शन का अनुकरण किया गया है। दशषिक दर्शन न्याय दर्शन और वेदान्त दर्शन के विद्वान इन्द्रियों को भौतिक ही मानते हैं। इसी आधार पर महार्षि चरक ने भी इन्द्रियों को भौतिकत्व प्रतिपादित किया है। उनके मतानुसार इन्द्रिया प्रत्यक्ष गम्य नहीं हैं। चाक्षुष आदि ज्ञान रूप अपन कर्मों से उनका अनमान किया जाता है। जिस प्रकार छेदन भेदन आदि कर्म अपने करण या साधन के बिना नहीं हो सकते उसी प्रकार मनुष्यों में चाक्षुष ज्ञान आदि भी करण के बिना नहीं हो सकता है। ये करण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही होती हैं।

चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिया पाञ्च भौतिक होती है अर्थात् प्रत्येक सूक्ष्म इन्द्रिय की रचना पांच महाभूतों के समवाय से हुई है। यद्यपि प्रत्येक इन्द्रिय में पाँचो महाभूत विद्यमान रहते हैं तथापि एक एक इन्द्रिय की रचना में एक एक महाभूत की अधि कता होती है। जैसे श्रोत्रेन्द्रिय में आकाश महाभूत त्वगिन्द्रिय में वायु महाभूत चक्षु इन्द्रिय में तेज महाभूत रसना इन्द्रिय में अप (जल) महाभूत और घ्राण इन्द्रिय में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। यही आशय महार्षि चरक के निम्न वचन से प्रकट होता— तत्रानुमानभङ्ग्यानां पञ्चमहाभूतविकारसमवायात्मकानामपि सतामिन्द्रियाणां तेजश्चक्षुषि च श्रोत्रे क्षिति घ्राणो आपोरसने स्पर्शनेऽनिलो विशाषेणोपपद्यते ।

महाभूतों की अधिकता के अनुसार जिस इन्द्रिय में जिस महाभूत की अधि कता होती है उसी के अनुसार उसका व्यपदेश एवं अभिधान या नामकरण होता है। जैसे तेज की अधिकता से चक्षु को तजस पृथ्वी की अधिकता से घ्राण को पार्थिव व यु की अधिकता से त्वक् को वायव्य आकाश की अधिकता से श्रोत्र को नाभस तथा अप् (जल) की अधिकता से रसना को आप्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस महाभूत की प्रधानता होती है वह उसी महाभूत के अनुरूप विषय को ग्रहण करने में

समय होती है। जैसे श्रोत्र में आकाश महाभूत की अधिकता होने के कारण श्रोत्रन्द्रिय केवल आकाश महाभूत के प्रत्यात्मनियत गुण शब्द को ही ग्रहण करने में समर्थ होती है अथ का नहीं। इसी प्रकार चक्षुन्द्रिय का निमाण (उपति) वायु महाभूत के द्वारा होने के कारण वह केवल वायु महाभूत के प्रत्यात्मनियत गुण स्पर्श को ही ग्रहण करने में समर्थ है। चक्षु इन्द्रिय में तेज महाभूत की अभिव्यक्ति होने के कारण वह केवल तेज महाभूत के प्रत्यात्मनियत गुण रूप को ही ग्रहण कर सकता है। रसना इन्द्रिय में अप महाभूत की प्रधानता होने से वह जल महाभूत के मुख्य गुण रस को ही ग्रहण करती है तथा पृथ्वी महाभूत से निर्मित होने वाली घ्राणन्द्रिय केवल पृथ्वी महाभूत के मूलगुण गंध का ज्ञान कराने में ही समर्थ है। इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय की रचना जिस महाभूत से होती है उसी महाभूत के गुण के अनुसार वह इन्द्रिय अपने विषय का ग्रहण कर उसका ज्ञान करती है।

महर्षि सुश्रुत ने भी इस तथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि आयुर्वेद में इन्द्रिया आर न्द्रियों के अथ भौतिक ही वर्णित किए गए हैं। उन्होंने लिखा है—

भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुवदे वष्यन्ते तथन्द्रियार्था ।

—सुश्रुत संहिता/शरीरस्थान १/११५

इन्द्रियों के भौतिकत्व में आयुर्वेदीय मत का समर्थन करते हुए महर्षि सुश्रुत ने निम्न कारण प्रस्तुत किए हैं—

इन्द्रियेणन्द्रियाथ तु स्व स्व गल्लाति मानव ।

नियत तुन्द्रियोनिजान्ना देनान्यभिति स्थिति ॥

—सुश्रुत संहिता शरीर स्थान १/११५

मनुष्य इन्द्रिय के द्वारा अपने-अपने इन्द्रियाथ को ही ग्रहण करता है। अर्थात् जिस इन्द्रिय का जो विषय है उस इन्द्रिय के द्वारा वह उसी विषय को ग्रहण करता है। क्योंकि इन्द्रिय और इन्द्रियाथ की तुल्य योनि होने से वे (इन्द्रिया के विषय) नियत हैं। अतः अथ इन्द्रिय में अथ विषय का ग्रहण नहीं किया जा सकता है—यही सिद्धांत है।

एक श्लोक में इन्द्रियों को भौतिक मानने की स्थिति (सिद्धान्त) का वर्णन किया गया है। एतत्तत्त्वं का विचार निम्न तीन तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है

१ साध्य दश अनुमान पाचो इन्द्रिया अहकारोत्पन्न हैं। एक ही कारण से उत्पन्न होने से पाचो इन्द्रियों का स्वरूप एक समान होना चाहिए। यदि यह तत्त्व ठीक हो तो एक इन्द्रिय में पाचो प्रकार के इन्द्रियाथों का ग्रहण होना चाहिए अथवा पाचो इन्द्रियों से पाचो अथों का ग्रहण नियम विरहित होना चाहिए। या एकाग्र इन्द्रिय के न होने पर अथवा किसी एक इन्द्रिय के नष्ट हो जाने पर उसका कार्य

अन्य इन्द्रियों से होना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता। पाँचों इन्द्रियों में अर्थ ग्रहण का नियम होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि इन्द्रिया एक कारणोत्पन्न नहीं हैं। अर्थात् पांच प्रकार के अर्थों के लिए जैसे पांच इन्द्रियाँ हैं वैसे ही पांच इन्द्रियों के उत्पादक पाँच उपादान कारण भी हैं।

२—श्रोत्र केवल शब्द को ही ग्रहण कर सकता है। शब्देतर अन्य अर्थों को ग्रहण करने में वह असमर्थ होता है। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के सम्बन्ध में अनुभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियों का विषय ग्रहण करने का कार्य नियम युक्त होता है। यह कार्य तब ही हो सकता है जब प्रत्येक इन्द्रिय की प्रकृति (योनि-उपादान कारण) भिन्न भिन्न हो। इसीलिए आयुर्वेद में प्रत्येक इन्द्रिय का उपादान कारण भिन्न भिन्न याने एक एक महाभूत माना गया है।

३—यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शब्द स्पर्श-रूप-रस-गन्ध ये क्रमशः आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के गुण हैं। शब्द आकाशीय गुण है और उसका ग्रहण केवल श्रोत्रिन्द्रिय के द्वारा होता है। गन्ध पार्थिव गुण है और उसका ग्रहण केवल घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होता है। इससे यही अनुमान होता है कि शब्द और श्रोत्र रूप और चक्षु रस और जिह्वा स्पृश और त्वचा तथा गन्ध और घ्राण ये तुल्य योनि' (एक ही महाभूत वाले) होते हैं।

इसके अतिरिक्त इन्द्रिया के भौतिकत्व की एक विशेषता यह होती है कि इन बुद्धीन्द्रियों के उपादान कारण महाभूत पञ्चीकृत होते हैं। जैसे घ्राणेन्द्रिय का उपादान कारण महाभूत केवल पृथ्वी न होकर पंच महाभूतों का सम्मिश्रण है जिसमें पृथ्वी तब की अधिकता होती है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के उपादान कारणों में भी समझना चाहिए।

पंच पचक

सामान्यतः पाँच वस्तुओं के समूह को पचक है। इसे वग भी कहा जाता है। एक वर्ग या पचक एक पचक कहलाता है। दो वग या पचक दो पचक कहलाते हैं।

इसी प्रकार पांच वग या पचक पंचपचक कहलाते हैं। मानव शरीर में इस पंच पचक का सम्बन्ध शरीर में विद्यमान पाँच ज्ञानेन्द्रियों से है। आयुर्वेद में पंचपचक का सिद्धान्त महर्षि चरक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यद्यपि इसका सम्बन्ध केवल शरीर से है किन्तु चिकित्सा की दृष्टि से स्वास्थ्य की दृष्टि से एक मानव शरीर में उपयोगिता की दृष्टि से आयुर्वेद में सिद्धांत रूप में इसे स्वीकार किया गया है। चरक संहिता में इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है—

इह क्लृप्तेन्द्रियाणि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि पञ्चेन्द्रियार्था
पञ्चेन्द्रियबुद्धयो भवन्ति । —चरक संहिता सूत्रस्थान ८/३

अर्थात् १—पाच इन्द्रियां २—पाच इन्द्रियो के द्रव्य ३—पाच इन्द्रियो के
अधिष्ठान ४—पाच इन्द्रियो के अथ (विषय) और ५—पाच इन्द्रियो की बुद्धि (ज्ञान) ।
इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी पचपचक होते हैं । इनका विस्तृत वर्णन निम्न
प्रकार है ।

१—पांच इन्द्रियां— तत्र चक्षु घ्राण रसन स्पृशनमिति पञ्चेन्द्रियाणि ।

—चरक संहिता सूत्रस्थान ८।८

अर्थात् चक्षु घ्राण श्रोत्र रसना औरस्पर्शन ये पाच इन्द्रिया होती हैं ।

२—पांच इन्द्रिय द्रव्य— पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि ख वायुर्ज्योतिरापो भूरिति ।

—चरक संहिता सूत्रस्थान ६

अर्थात् ख (आकाश) वायु ज्योति (अग्नि) अप (जल) और भू (पृथ्वी) ये
पाचो इन्द्रियो के पाच द्रव्य हैं ।

३—पांच इन्द्रिय अधिष्ठान— पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि-अक्षिणी कणौ नासिके
जिह्वा चक्षु इति । चरक संहिता सूत्रस्थान ८।१

अर्थात् १—दोनों नेत्र २ दोनों कान ३—दोनों नासिका ४ जिह्वा और ५—त्वचा ये
पञ्चेन्द्रियो के पाच अधिष्ठान (वास स्थान) हैं ।

४ पांच इन्द्रियार्थ— पञ्चाद्रियार्था—शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा ।

—चरक संहिता सूत्रस्थान /११

अर्थात् शब्द २ स्पर्श रूप ४ रस और ५ गन्ध ये पाच इन्द्रियो के
पाच अथ (विषय) हैं ।

५—पांच इन्द्रिय बुद्धि पञ्चेन्द्रियबुद्धय—चक्षुबुद्धयादिका ता पुनरिन्द्रि
येन्द्रियाथस वात्मसन्निकषजा क्षणिका निश्चयामिकाश्च । — चरक सूत्रस्थान ८।१२

अर्थात् चक्षु बुद्धि आदि पाच इन्द्रिय बुद्धिया हाती है । ये बुद्धिया इन्द्रिय
इन्द्रियो के अथ मन और आत्मा के सन्निकष (सयोग) से उत्पन्न होती है । ये
बुद्धिया (ज्ञान) क्षणिक और निश्चयामिका भेद से दो प्रकार की होती हैं ।

(पाच बुद्धियो के नाम चक्षु बुद्धि श्रोत्रबुद्धि घ्राण बुद्धि रसना बुद्धि और
स्पर्श बुद्धि)

इन्द्रियो की वृत्तिया

इन्द्रियो का सामान्य व्यापार ही इन्द्रियवृत्ति कहलाता है । अर्थात् इन्द्रिया किसी
वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब अपने विषयो मे प्रवृत्त होती हैं तथा अपने
विषय को ग्रहण करती है तब वह क्रिया इन्द्रिय वृत्ति कहलाती है । जैसे चक्षु के द्वारा

रूप का श्रवण के द्वारा शब्द का त्वक के द्वारा स्पर्श का रसना के द्वारा रस का और घ्राण के द्वारा गन्ध का ग्रहण करना ही इन्द्रियवृत्ति कहलाता है। इसी भाँति पच कर्मोन्द्रियो की भी प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे वागिन्द्रिय के द्वारा बोलना हस्त के द्वारा आदान प्रदान अर्थात् ग्रहण करना पाद के द्वारा गमन करना उपस्थ के द्वारा भूख त्याग एवं मैथुन करना तथा पायु के द्वारा मल त्याग करना आदि। इस प्रकार इन्द्रियो का प्रत्यात्मनियत व्यापार इन्द्रिय वृत्ति कहलाता है। इन्द्रियो की वृत्ति का वणन सांख्य दर्शन में निम्न प्रकार से किया गया है—

रूपादिषु पचानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः ।

वचनाऽऽदानविहरणोत्सर्गान्वाश्च पचानाम् ॥

त्रयादश करण

करण का सामान्य अर्थ साधन होता है। आयुर्वेद के मतानुसार करण तेरह होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में इन करणों का महत्वपूर्ण भाग होता है। ये तेरह करण मानव शरीर में विद्यमान रहते हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का ज्ञान होता है। मानव शरीर में इनके द्वारा विभिन्न भावों की उत्पत्ति होती है। ये तेरह करण निम्न होते हैं— बुद्धि अहंकार मन पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाच कर्मन्द्रियाँ।

इनमें बुद्धि अहंकार और मन ये तीन अन्त करण कहलाते हैं। पाच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाच कर्मोन्द्रियाँ ये दस बाह्य करण कहलाते हैं।

अत करण मुख्य रूप से आभ्यन्तरिक विषयों का सम्पादन करते हैं। जैसे विचार विमर्श करना अभिमान आदि उत्पन्न करना क्रोध लोभ शोक भय शान्ति क्षमा घृति आदि भावों को उत्पन्न करना। बाह्य करण इनसे सवथा भिन्न होते हैं और उनकी प्रवृत्ति केवल बाह्य रूप होने के कारण वे बाह्य विषयों एवं भावों को ही ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त ये दस बाह्य करण तीन अन्त करणों द्वारा भोग्य होते हैं अर्थात् तीनों अन्त करण अपने अनुकूल बाह्य करणों का उपभोग करते हैं।

करणों में अत करण का प्राध्याय

उपयुक्त तेरह करणों में प्रारम्भिक तीन अन्त करण प्रधान माने गए हैं। क्योंकि अहंकार और मन सहित बुद्धि सम्पूर्ण विषयों का ग्रहण करती है। बुद्धि का कम मन और अहंकार सापेक्ष होता है। मन इन्द्रियों को स्वविषय ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। बुद्धि ग्रहण किए हुए उन विषयों का विचार कर निष्कर्ष निकालती है मन और बुद्धि के इस कार्य में अहंकार सहायक होता है। इसके अतिरिक्त अहंकार स्वाधीन अहम् भाव को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। इस प्रकार विषयों का ग्रहण करने एवं उनका निणय करने के लिए ये तीनों साधन महत्वपूर्ण

होते हैं। इसीलिए त्रयोदश करणों में त्रिविध अन्त करणों को प्रधान माना गया है। इसके अतिरिक्त दस बाह्य करण भोग्य एवं त्रिविध अन्त करण भोक्ता होने के कारण इनकी प्रधानता है। क्योंकि सबत्र भोग्य की अपेक्षा भोक्ता ही प्रधान होता है।

उपयुक्त विविध करण स्वयं ससार के विषयों को प्रकाशित करते हैं। वे दीपक की भाँति विषयों को प्रकाशमान करने वाले होते हैं। यद्यपि वे तीनों परस्पर भिन्न होते हैं तथापि उन तीनों का संयुक्त स्वरूप विषयग्राही होता है और वे तीनों अभीष्ट अथ को पुरुष के लिए प्रकाशमान कर बुद्धि में स्थित या बुद्धि के माध्यम से ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दीपक में तेल वती एवं अग्नि ये तीनों परस्पर विरुद्ध होते हुए भी इन तीनों का संयोग प्रकाशोत्पादक होता है और वह प्रकाश अन्धकार के निवारण में समर्थ होता है उसी प्रकार अहंकार मन और बुद्धि परस्पर भिन्न होते हुए भी इनका संयोग ज्ञान रूपी प्रकाश को उत्पन्न करने वाला होता है और इससे अज्ञान रूपी अन्धकार की निवृत्ति होती है। अभिप्राय यह है कि ये तीनों ही करण विविध प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित कर आत्मा को उनका ज्ञान कराने में सहायक होते हैं।

साध्य दर्शन ने भी इन तीनों अन्त करणों को प्रधान और शेष दश बाह्य करणों को अप्रधान माना है। यही भाव निम्न कारिका से व्यक्त होता है—

ज्ञान करणा बुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते तस्मात्

तस्मात् त्रिविध करणं द्वारि द्वाराणि शशाणि ॥

अर्थात् अन्त करण से युक्त बुद्धि ही चकि सब विषयों को ग्रहण करती है इसीलिए तीन प्रकार के अन्त करण प्रधान और शेष बाह्य कारण अप्रधान होते हैं।

अन्त करणों की वृत्तियाँ—

मन बुद्धि और अहंकार इन तीन अन्त करणों का अपना जो सामान्य लक्षण होता है यह स्वालक्षण्य कहलाता है। इसके अनुसार प्रत्येक करण का अध्यवसाय अथवा व्यापार पथक होता है। जैसे बुद्धि का अध्यवसाय विषयों का निरण करना अहंकार का अध्यवसाय अभिमान अथवा अहम् भाव उत्पन्न करना और मन का अध्यवसाय इन्द्रियों को स्वविषय ग्रहण करने हेतु प्रेरित करना होता है। यही इनका स्वालक्षण्य कहलाता है।

इन तीनों अन्त करणों की स्वलक्षण लक्षित वृत्ति असामान्य होती है। किन्तु इन्द्रिया के कुछ व्यापार सामान्य रूप से होते हैं। अतः इस समानता के कारण इन्द्रियों की वृत्ति सामान्य कहलाती है। इन्द्रियों की यह वृत्ति ही उनका व्यापार कहलाती है। किन्तु अन्त करणों की वृत्ति सामान्य न होने के कारण असामान्य

कही गई है। जैसे बुद्धि अहंकार और मन जब किसी एक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होते हैं तब ये चारों मिलकर अभीष्ट विषय का निश्चय करने के लिए एक रूप हो जाते हैं तब उनकी एक ही वृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में यद्यपि चारों का स्वरूप भिन्न भिन्न होते हुए भी उस विषय को ग्रहण करने के लिए उनकी वृत्ति एक हो जाती है। जैसे रूप का निश्चय करने के लिए तीनों अन्तःकरण और एक चक्षु इन्द्रिय इस प्रकार चार करणों का संयोग वस्तु स्वरूप का निश्चय करने में समर्थ होता है। इसमें अन्तःकरणों का संयोग विशेष रूप से अपेक्षित होने के कारण वह असाधारण होता है। अन्य दस करण साधारण होते हैं।

प्रत्यक्ष के भेद

आत्मा इन्द्रिय मन और इन्द्रियों के विषय इनके सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाली चाक्षुष बुद्धि आदि छह बुद्धियाँ घट पट आदि काय तथा इन्द्रिय विषयों के भेद से अनेक हो जाती हैं। तथापि वस्तुतः शरीर में इन्द्रियाँ पाँच होती हैं। अतः उनके द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष भी पाँच ही प्रकार का होता है। इसका अतिरिक्त एक मन के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष भी होता है। इस प्रकार छह प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। तथापि काय और इन्द्रियों के विषय की दृष्टि से सप्ताह में जितने भी विषय हैं उतने ही प्रकार का प्रत्यक्ष माना जा सकता है। इस तरह प्रत्यक्ष के अनेक भेद हो सकते हैं। किन्तु दार्शनिकों ने मौलिक रूप से दो प्रकार का ही प्रत्यक्ष स्वीकार किया है। यथा—१ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और २ सविकल्पक प्रत्यक्ष।

१ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष—जो ज्ञान नाम जाति गुण और क्रिया से शून्य होता है वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु का मम विभागात्मक ज्ञान नहीं होता है। केवल यह कुछ है इस प्रकार का ज्ञान होता है। इस प्रकार के ज्ञान में चक्षु इन्द्रिय के द्वारा देखी गई वस्तु किस आकार प्रकार वाली किस स्वरूप वाली कौन सी वस्तु है? इसका कुछ ज्ञान नहीं होता। इसको निष्प्रकारक ज्ञान भी कहा गया है। यथा—‘तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्’ अर्थात् प्रकाररत्नां से रहित ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसमें विशेष्य विशेषण और उसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता। अतः इसमें एक चौथी ही विषयमत्ता रखी है। इसको न प्रमा ही कहा जा सकता है और न अप्रमा ही।

श्रीधर स्वामी की कदली में प्राचीन परम्परा के अनुसार निर्विकल्पक ज्ञान को प्रमा माना गया है। न्यायसिद्धान्त मुक्तानुबन्धि में भी ‘प्रत्यक्षनिष्प्रकारकं ज्ञानं’ कह कर इसे प्रमा स्वीकार किया गया है। किन्तु श्री गणेशोपाध्याय के मतानुसार निर्विकल्पक

ज्ञान भ्रम और प्रमा दोनों से ही भिन्न और विलक्षण है। यथा— न प्रमा तापि भ्रम ज्ञान स्यान्निर्विकल्पकम् । प्रकारताद्विभूय हि सम्बन्धानवगाहि तत अर्थात् निर्विकल्पक ज्ञान न प्रमा है और न भ्रम (अप्रमा) है। यह प्रकारता आदि से शून्य सम्बन्ध रहित होता है। प्रमाच और अप्रमात्व दोनों प्रकारतादि घटित ज्ञान में रहते हैं।

२ सविकल्पक प्रत्यक्ष—निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात् समविभाग एव विशेषता युक्त जो ज्ञान होता है। वह सविकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसमें वस्तु के स्वरूप आकार प्रकार नाम जाति गुण क्रिया आदि का सम्पूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए नासा जिह्वा श्रोत्र त्वक् चक्षु और मन ये छ इन्द्रिया करण मानी जाती हैं। इन छहों इन्द्रिया का घट पट टेबल-कुर्सी आदि विषयों के साथ सन्निकष (सयोग) होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। यह सन्निकष अथवा सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है—१ लौकिक प्रत्यक्ष अथवा लौकिक सन्निकष और २ अलौकिक प्रत्यक्ष या अलौकिक सन्निकष। इनमें लौकिक प्रत्यक्ष पुन दो प्रकार का होता है—१ बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और २ आभ्यन्तर लौकिक प्रत्यक्ष। इनमें प्रथम बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष पुन पांच प्रकार का होता है— १ चाम्प प्रत्यक्ष २ श्रौत प्रत्यक्ष ३ घ्राणज प्रत्यक्ष ४ रासन प्रत्यक्ष और ५ वाच प्रत्यक्ष। द्वितीय आभ्यन्तर लौकिक प्रत्यक्ष प्रत्येक केवल एक प्रकार का होता है। वह मानस लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है।

सन्निकष का स्वरूप एवं भेद

आचार्यों ने सम्बन्ध को सन्निकष कहा है। यथा— सन्निकर्षो नाम सम्बन्ध । आत्मा का मन से मन का इन्द्रियो से और इन्द्रियो का अपने-अपने विषय के साथ विषया का प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु जो सम्बन्ध होता है वह सन्निकर्ष कहलाता है। इसे इन्द्रियाय सन्निकष भी कहते हैं। बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान इसी सन्निकष से होता है।

ऊपर जो छह प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष बतलाया गया है। इस प्रत्यक्ष का सम्बन्ध छह इन्द्रियो से है। अतः इस लौकिक प्रत्यक्ष के साधक इन्द्रियाय सन्निकर्ष भी छह ही होते हैं। वे सन्निकष निम्न लिखित हैं—

१ सयोग सन्निकष २ सयुक्त समवाय सन्निकष ३ सयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष ४ समवाय सन्निकष ५ समवेत समवाय सन्निकष और ६ विशेषण विशेष्य भाव सन्निकष।

पयुक्त छह सन्निकर्षों का वर्णन निम्न प्रकार है—

१ सयोग सन्निकष — चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने सयोगसन्निकष — अर्थात् चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होने में सयोग सन्निकष होता है। इसमें चक्षु और घट

का जो सन्निकर्ष होता है वह सयोग मात्र होता है। चक्षु और मन ये दो इन्द्रिया रूपवान् द्रव्य का ग्रहण करती हैं अवशिष्ट श्रोत्र त्वक् रसना और घ्राण ये चार इन्द्रिया द्रव्य मे स्थित शब्दादि गुणो को ग्रहण करती हैं। चक्षु के द्वारा ग्राह्य विषयो के प्रति द्रव्यो मे स्थित लौकिक विषयता से चक्षु का सयोग कारण होता है।

२ सयुक्त समवाय सन्निकष—‘घटरूपप्रत्यक्षजनने सयुक्तसमवाय सन्निकष। अर्थात् घट और उसक रूप क प्रत्यक्ष ज्ञान मे सयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। क्याकि घट मे रहने वाला रूप समवाय सम्बन्ध से रहता है। प्रस्तुत ज्ञान मे घट क साथ चक्षु का सयोग रूप सन्निकष हुआ और घट मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले रूप के साथ समवाय सन्निकष हुआ। इस प्रकार यह सयुक्त समवाय सन्निकष कहलाता है।

३ सयुक्त समवेत समवाय सन्निकष— घट रूप समवेत यत् रूपत्वस्य समवायात्। रूपत्वसामायाप्रत्यक्षे समवेतसमवायसन्निकष चक्षु सयक्ते। अर्थात् घट मे रूप समवेत रूप से रहता है और रूप मे रूपत्व समवाय सम्बन्ध से रहता है। रूपत्व सामाया का प्रत्यक्ष होने पर अथवा घट मे स्थित रूप और रूपत्व का चक्षु क साथ सयोग होने पर सयुक्त समवेत समवाय सन्निकष होता है। इसमे घट घट मे स्थित रूप और रूप मे स्थित रूपत्व इन तीनों का एक साथ प्रत्यक्ष होता है।

४ समवाय सन्निकष— श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायसन्निकर्ष। कणविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाशाणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात्। अर्थात् श्रोत्र द्वय क साथ शब्द का साक्षात्कार होने पर समवाय सन्निकर्ष होता है। कण विवर छिद्र का विशेष आकार ही आकाश है और वह आकाशीय भाग ही श्रोत्र द्वय है। उस श्रोत्र या आकाशीय भाग के साथ ही वाद्य ध्वनि अथवा स्वर व्यजन आदि शब्द का सन्निकष (सयोग) होता है। वह शब्द आकाश का प्रत्यात्मनियत अथवा अपथगभावी गुण है। वह शब्द गुण आकाश मे समवाय सम्बन्ध से रहता है। इस प्रकार गण और गुणी का समवाय सम्बन्ध होने से शब्द और श्रोत्र का भी समवाय सन्निकष होता है।

५ समवेत समवाय सन्निकर्ष— शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायसन्निकष श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। अर्थात् श्रोत्र के साथ शब्दत्व का साक्षात्कार होने पर समवेत समवाय सन्निकष होता है। क्याकि श्रोत्र (आकाश) क साथ समवेत हुए शब्द मे शब्दत्व समवाय सम्बन्ध से रहता है।

६ विशेषण विशेष्य भाव सन्निकष— अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष घटाभाववत् भूतलवित्यत्र चक्षुसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेष्यभावात्। अर्थात् अभाव का प्रत्यक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकष होता है। जैसे—

वह भूतल घटाभाव युक्त है। ऐसा कहने पर जिस भूतल के साथ चक्ष का सन्निकर्ष होता है वह भूतल घटाभाव वाले विशेषण से सयुक्त है। वहाँ पर चक्ष सयुक्त भूतल विशेष्य है और उनमें घटाभाव' उसका विशेषण है।

इस प्रकार लौकिक प्रत्यक्ष क साधक सन्निकर्ष छह प्रकार क होते हैं। ये छह भेद लौकिक प्रत्यक्ष अथवा लौकिक सन्निकर्ष क कहे जा सकते हैं।

इसक पश्चात् अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है। यथा—१ सामाय लक्षणा प्रत्यासत्ति २ ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति और ३ योगज।

१ सामाय लक्षणा प्रत्यासत्ति —जिसके द्वारा किसी वस्तु जाति अथवा अथ के एक देश का प्रत्यक्ष होने पर उम सम्पूर्ण वस्तु सम्पूर्ण जाति अथवा सम्पूर्ण अथ का सामायत बोध होता है उसे सामाय लक्षणा प्रत्यासत्ति कहते हैं। जैसे— एक गाय का प्रत्यक्ष होने पर उसकी सम्पूर्ण गोत्व जाति का ज्ञान सामान्यत हो जाता है।

२ ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति —जिसके द्वारा वस्तु क साथ इन्द्रियो का सन्निकर्ष हुए बिना ही उस वस्तु के विषय या गण का ज्ञान हो जाता है। अर्थात् केवल ज्ञान के आधार पर जिसक गण का बोध हो जाता है वह ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति कहलाता है। जैसे—बर्फ को देखन मात्र से बिना उसका स्पर्श किए हुए ही उसकी शीतलता का ज्ञान हो जाता है। इसी भाँति अग्नि को देखने मात्र से ही बिना उसका स्पर्श किए ही उसकी उष्णता का ज्ञान हो जाता। मिश्री को देखकर उसका जिह्वा सयोग हुए बिना ही उसकी मधुरता का ज्ञान हो जाता है।

३ योगज— यह ज्ञान कवल योगियो को ही होता है। योगीराज विशेष समाधि अथवा ज्ञानोपलब्धि क आधार पर किसी भी विषय का अबाधित सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से उपन्न हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान योगज कहलाता है। यह योगज प्रत्यक्ष सामान्यत दो प्रकार का होता है—१ युक्त और २ युक्तज्ञान। जसा कि शास्त्र में प्रतिपादित है—

योगजो द्विविध प्रोक्तो यक्तयुक्तज्ञानभवत् ।


युक्तस्य सबद्धा भन चित्तसहकृतोऽपर ॥

—'याथ सिद्धांत मक्तावलि

१ युक्त— युक्त योगज प्रत्यक्ष वह होता है जिसमें योगियो को अपने तपोबल के द्वारा अखण्ड निमल ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान सदा बना रहता है और वस्तु स्वरूप को जानने के लिए पुनः पुनः समाधि योग धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती।

२ युञ्जान—युञ्जान योग्य प्रत्यक्ष वह होता है जिसमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए समाधि धारण अथवा समाधि के द्वारा विचार करना अपेक्षित रहता है। यह ज्ञान समाधि धारण करने पर अथवा समाधि के द्वारा विचार करने पर प्राप्त होता है।

इस प्रकार अनेक भेद प्रभेद युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के सभी भेद सक्षपत निम्न तालिका के द्वारा जाने जा सकते हैं—



आयुर्वेद में इन्द्रियाथ सन्निकष का स्वरूप

आयुर्वेद वह एक जीवन विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र है अतः उसमें प्रतिपादित प्रत्यक्ष विषय उसी दृष्टिकोण की अपेक्षा रखता है। आयुर्वेद में जो इन्द्रियार्थ सन्निकष का विवेचन किया गया है वह दार्शनिक दृष्टिकोण की अपेक्षा से नहीं है अपितु मानव मान के स्वास्थ्य एवं विकार की अपेक्षा से है। आयुर्वेद ने यह सन्निकष इन्द्रियार्थ संयोग के नाम से प्रतिपादित है। यह संयोग दो प्रकार का बतलाया गया

है—सात्म्य और असात्म्य । सात्म्य इन्द्रियार्थ सयोग शरीर के लिए हितकारी होता है जबकि असात्म्य इन्द्रियाथ सयोग शरीर के लिए अहितकर माना गया है । यह प्रयुक्त भी अनुभूत है । जब इन्द्रिय का स्व विषय के साथ ऐसा सयोग होता है जिसे ज्ञान प्राप्ति होती है तथा वह शरीर या शरीरगत किसी भी भाव विशेष के लिए अहितकर नहीं होता है तो वह सात्म्य इन्द्रियाथ सयोग कहलाता है । इसके विपरीत इन्द्रिय का अपने विषय के साथ ऐसा सयोग होना जो शरीर के लिए हानि कर या अहितकर होता है असात्म्येन्द्रियाथ सयोग कहलाता है । यह आसाम्येन्द्रियार्थ सयोग तीन प्रकार का होता है अतियोग हीनयोग या अयोग और मिथ्यायोग । इन तीनों ही आसाम्येन्द्रियाथ सयोग को रोग का कारण होने से अनुपशय कहा गया है क्योंकि जो रोग का कारण होते हैं वे अहितकर होने से असात्म्य होते हैं इसीलिए उन्हें अनुपशय कहा जाता है । आसाम्येन्द्रियाथ सयोग आयुर्वेद में निम्न प्रकार से प्रतिपादित है—

चक्षु के विषय का अतियोग अयोग मिथ्यायोग—अयत्त प्रभा (चमक) वाले दृश्य (दखे जान योग) पदार्थों अर्थात् सय आदि का अत्यधिक देर तक या लगातार देखना रूप का अतियोग कहलाता है । दृश्य पदार्थों का सवथा नहीं देखना यह रूप का अयोग है । अतिसूक्ष्म आँखों के अत्यन्त पास के अति दूर के उग्र भयावने अदभुत अप्रिय घृणित तथा विकृत अपवित्र रूपों का देखना मिथ्या योग है ।

कान के विषय का अतियोग—अयत्त ऊँचे मेघजन ढाल तथा ऊँचे रोने आदि के शब्दों का अत्यधिक रूप में सुनना कान का अतियाग कहलाता है । कान के विषय का अयोग शब्दों का सवथा नहीं सुनना कान का अयोग कहलाता है । कान के विषय का मिथ्या योग—ककश कठोर प्रिय वस्तु के नाशक सचक प्रिय पुत्र आदि के मयु सूचक अथवा हानि सूचक तिरस्कार सचक श्लडकना तथा डरावने आदि शब्दों को सुनना कान का मिथ्या योग कहलाता है ।

नाक के विषय (गन्ध) का अतियोग अयोग और मिथ्यायोग—अत्यन्त तीक्ष्ण (मरिच आदि की) उग्र (लवण्डर इत्र आदि की) एव अभिष्यन्दि (मालकामनी तथा हाचिया आदि की) गन्धों का अत्यधिक रूप में सूघना नाक का अतियोग कहलाता है । सवथा नहीं सूघना अयोग कहलाता है । दुर्गन्ध अप्रिय गन्ध अपवित्र गन्ध क्लिन्न अर्थात् नमी के कारण सबाध होने से उत्पन्न हुई गन्ध विषयुक्त वायु का श्वास लेना अथवा उसका गन्ध तथा मुँह की गन्ध आदि गन्धों का सूघना मिथ्यायोग कहलाता है ।

जिह्वा के विषय (रस) का अतियोग अयोग मिथ्यायोग—रसों का अत्यधिक मात्रा में स्वाद लेना जिह्वा का अतियोग होता है । सर्वथा नहीं लेना अयोग कहलाता है । अपथ्य रसों का लेना अथवा अपथ्य आहार खाना रस का मिथ्यायोग कहलाता है ।

यथा-प्रकृति (सबु-गुरु) विरुद्ध आहार द्रव्यों का सेवन निष्फला योग ही हो सकता है। सब परिमाण में मिलाए हुए शहद और घी को सयोग विशुद्ध कहते हैं। इस सयोग विरुद्ध द्रव्य के सेवन को भी मिथ्या योग ही कह सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सस्कार आदि द्रव्यों को जल लेना चाहिये। उपयुक्त प्रकृति विरुद्ध आदि आहार द्रव्यों के सेवन को मिथ्यायोग में ही लाया जा सकता है क्योंकि अतियोग और विधोग के जिन ही ये दोष करने वाले हैं। अयोग में जहाँ विषय के सर्वथा ग्रहण नहीं करते का समावेश होता है वहा अल्पमात्रा में ग्रहण करने का भी।

त्वचा के विषय का अतियोग अयोग और मिथ्यायोग-अत्यन्त शीत और अत्यन्त गरम स्पर्श से ज्ञाने जा सकने वाला स्नान अभ्यङ्ग तथा उत्सादन (उबटन) आदि का अत्यधिक सेवन करना त्वचा का अतियोग कहलाता है। सर्वथा सेवन नहीं करना अथवा अल्पमात्रा में सेवन करना अयोग कहलाता है। स्नान आदि का तथा सर्दी गर्मी आदि भावों का जो स्पर्श द्वारा जाने जाते हैं उहे यथाक्रम सेवन नहीं करना ऊँची तीखी जगह बठना आदि चोट लगना अपवित्र वस्तु एवं भूतो (रोगजनक कीटाणुओं का) स्पर्श हाना स्पर्शनेन्द्रिय (त्वक) का मिथ्यायोग कहलाता है। यथाक्रम सेवन नहीं करने का अभिप्राय यह है कि गर्मी से पीडित का सहसा शीत जल से स्नान कर लेना इत्यादि।

वेदना का अधिष्ठान

आयुर्वेद शास्त्र में वेदना शब्द का व्यवहार व्यापक रूप से हुआ है वेदना का सामान्य अर्थ होता है कष्ट या दुःख। यह अर्थ अत्यन्त प्रचलित या लोक रूढ़ है। किन्तु वेदना का यथाथ अभिप्राय उपयुक्त अर्थ से सर्वथा भिन्न है। वेदना एक प्रकार की अनुभूति है जो दुःख रूप भी हो सकती है और दुःख रूप भी। आयुर्वेद शास्त्र में जब दार्शनिक दृष्टिकोण से वेदना शब्द का व्यवहार किया जाता है तो वह अनुभूति मूलक होता है। अर्थात् वेदना एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को होने वाली अनुभूति का संकेत करता है। अनुभूति परक वेदना सुख रूप भी हो सकती है और दुःख रूप भी। इसीलिए सुख और दुःख की व्याख्या करते हुए कहा गया है— अनुकूलवेदनीय सख्यस्य प्रतिकूल-वेदनीय दुःखम्। अर्थात् जिसकी वेदना (अनुभूति) अनुकूल होती है वह सुख होता है और जिसकी वेदना (अनुभूति) प्रतिकूल होती है वह दुःख होता है। महर्षि चरक ने भी इसी भाव में वेदना शब्द का व्यवहार किया है यथा—

स्पर्शनेन्द्रियस्यस्पर्श स्पर्शो मानस एव च।

द्विविधः सुखदुःखानां वेदनां प्रवर्तकः ॥

चरक संहिता शारीर स्थान १/१३२

अर्थात् सुख दुःख रूप वेदनाओं का प्रवर्तक दो प्रकार का स्पर्श है—१ स्पर्शनेन्द्रिय (त्वचा) से होने वाला स्पर्श और २ मानस स्पर्श। यहाँ बाह्य विषय के ग्रहण में स्पर्श

सेन्द्रिय का स्पष्ट यदि अनुकूल रूप में है तो वह सुखामक वेदना है। वहीं स्पर्शनेन्द्रिय का स्पर्श यदि प्रतिकूल रूप में है जैसे अत्यन्त उष्ण या शीत अत्यन्त कठोर-कर्कश आदि तो वह दुःखात्मक वेदना होती है। इसी प्रकार मानस स्पर्श समझना चाहिये। यदि मन का अनुकूल भावों से स्पष्ट होता है तो वह सुखामक वेदना का प्रवर्तक है और यदि प्रतिकूल चिन्ता भय क्रोध आदि भावों से स्पष्ट होता है तो वह दुःखामक वेदना का प्रवर्तक समझना चाहिये।

महर्षि चरक ने साम्य वेदना (सुख) एवं असाम्य वेदना (दुःख) के रूप में वेदना शब्द का व्यवहार किया है। जैसे वेदनानामसात्म्यानामित्यन्ते हेतव स्मृताः। — चरक संहिता शरीरस्थान १/१२ अर्थात् इन्द्रियो का जो मिथ्यायोग हीनयोग अतियोग होता है उसे असाम्य वेदनाओं (दुःखों) का कारण समझना चाहिये।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उन वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है? अर्थात् वह वेदना कहा रहती है? इसका उत्तर देते हुए महर्षि चरक ने कहा है—

वेदनानामधिष्ठान मनो देहश्च सेन्द्रियम् ।

कशलोमनखाम्पान्नमलद्रवगणविना ॥

— चरक संहिता शरीर स्थान १/१३६

अर्थात् वेदनाओं का अधिष्ठान (आश्रय) मन और सेन्द्रिय (इन्द्रिय युक्त) शरीर है। केश लोम नख का अग्रभाग अन्नमल (पुरीषादि) द्रव (स्वद-मूत्र तथा रस रक्तादि) और शब्द आदि गुण को छोड़कर। अर्थात् केश लोम आदि भाव वेदना का अधिष्ठान नहीं है।

यहां सेन्द्रिय देह का अभिप्राय जीवित शरीर समझना चाहिये। जसा कि शास्त्र में भी प्रतिपादित है सेन्द्रिय चेतन द्रव्य निरीन्द्रियमचेतनम्। अर्थात् सेन्द्रिय द्रव्य चेतन होता है और निरीन्द्रिय अचेतन। यहाँ सेन्द्रिय कहने से केश लोम नख आदि का निरसन स्वतः ही हो जाता है क्योंकि निरीन्द्रिय होने से वे अचेतन हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वेदना सुख रूप और दुःख रूप होती है। उस सुखामक एवं दुःखामक वेदना के कारण ही मनष्य ससार में जन्म-मरण को धारण करता है। क्योंकि सुख और दुःख दोनों का हेतु तृष्णा होती है। वह तृष्णा इच्छा और द्वेषात्मिका होती है। अर्थात् इच्छात्मिका तृष्णा सुख का और द्वेषात्मिका तृष्णा दुःख का कारण होती है। वह तृष्णा शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। उसी से मनष्य के शुभाशुभ कर्म सत्कारों की प्रवृत्ति होती है। तृष्णा के सुख दुःख का हेतुत्व महर्षि चरक ने निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है—

इच्छाद्वेषात्मिका तृष्णा सुखदुःखात् प्रवर्तते ।

तृष्णा च सुखदुःखानां कारणं पुनरुच्यते ॥

— चरक संहिता शरीर स्थान १/१३५

अर्थात् इच्छा और द्विधात्मिक तन्त्रण की प्रवृत्ति सुख और दुःख से होती है पुनः वही तृष्णा सुख और दुःख का कारण हो जाती है ।

वह तृष्णा किस प्रकार शरीर और मन को प्रभावित करती है? इसका विवेचन महर्षि चरक ने निम्न प्रकार से किया है—

उपावसे हि सा भावान् वेदनाभयसङ्गान ।

स्पृश्यते नानुपादाने नास्पृष्टो वसि वेदना ॥

—चरक संहिता शारीर स्थान १/१३५

अर्थात् वह तृष्णा वेदना के आश्रय भूत शरीर और मन को वृद्धता पूर्वक पकड़ती है । उपादान के नही होने पर शरीर और मन का तृष्णा के द्वारा स्पर्श नहीं किया जाता है । इस प्रकार अपृष्ट हुए उस शरीर और मन को वेदना का भी ज्ञान नहीं होता ।

अभिप्राय यह है कि वेदना के अधिष्ठान भूत शरीर और मन को तृष्णा की जकड़ मे रहना पड़ता है । क्योंकि वही सुख दुःख रूपात्मक वेदना का कारण होती है । किन्तु तृष्णा के अभाव मे शरीर और मन का इन्द्रियो के साथ सयोग नहीं होगा । उनके सयोग के अभाव मे इन्द्रियो का भी स्वविषय सयोग नहीं होगा अत वेदना का भी ज्ञान नहीं होगा ।

वेदना नाश क हेतु

आयुर्वेद मे मानव जीवन का चरम लक्ष्य असात्म्य वेदनाओं (दुःखों) की आत्यन्तिक निवृत्ति माना गया है । यही आयुर्वेद दशन का अभीष्ट है । वेदनाओं के कारण ही तृष्णा की प्रवृत्ति होती है जो अतत सुख दुःख का कारण बनती है । ऐसी वेदनाओं का नाश कैसे होता है और वेदना नाश मे क्या हेतु है? इसका समाधान महर्षि चरक ने निम्न प्रकार से किया है—

योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवर्तनम् ।

मोक्षे विवृत्तिर्नि शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तकः ॥

—चरक संहिता शारीर स्थान १/१३७

अर्थात् योग और मोक्ष मे समस्त वेदनाओं का नाश हो जाता है । मोक्ष मे वेदनाओं की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है । योग मोक्ष का प्रवर्तक होता है ।

यहा पर योग और मुक्त अवस्था में समस्त वेदनाओं की निवृत्ति (समाप्त होने) का संकेत किया गया है । मोक्ष याने मुक्त अवस्था तो आत्मोत्कर्ष की चरम परिणति है । अत उसमे समस्त सांसारिक भावों की आत्यन्तिक निवृत्ति होना सर्वथा स्वाभाविक है । योगावस्था मे भी वेदनाओं का अभाव या नाश हो जाता है । वेदनाओं के नाश मे भी वही कारण होते हैं जो योग के सम्पादन मे होते हैं । योग के होने मे मुख्य कारण है आत्मा मे मन का स्थिर होना । अर्थात् मन की समस्त प्रवृत्तियाँ बहिर्मुख न होकर

अन्तर्मुख हो जाती हैं तब मन स्वयं ही आत्मा में स्थिर हो जाता। ऐसी स्थिति में मन के द्वारा बाह्य जगत का कोई भी काय सम्पन्न नहीं होता है। परिणामतः सुख और दुःख दोनों निवृत्त (समाप्त) हो जाते हैं और वेदनाओं का नाश या अभाव हो जाता है। सामान्यतः समाधि अवस्था में जब मन की वस्तुओं का निरोध हो जाता है तब मन के दोष द्वय रज और तम का स्वयं ही मन से बियोग या अभाव हो जाता है। यही योग कहलाता है। इस योगावस्था में सुख रूप या दुःख रूप वेदना का कोई स्थान नहीं है। यद्यपि योगावस्था में भी प्रारब्ध कर्मों का भोग तो करना ही पड़ता है किंतु प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव होने से सुख और दुःख उभय (वेदनाओं) का भी अभाव हो जाता है।

योगावस्था में प्रारब्ध कर्मों का भोग कर लेने के अनन्तर कर्मों का क्षय हो जाने से मुक्ति हो जाती है—यह सावतान्त्रिक सिद्धांत है। अतः इस अवस्था में वेदनाओं की भी आयत्तिक निवृत्ति हो जाती है। समस्त वेदनाओं की आत्यन्तिक निवृत्ति आत्मा की विणद्ध निमल अवस्था का द्योतक है। इस अवस्था में आत्मा सासारिक भावों से सर्वथा वियुक्त हो जाने के कारण कम बंधना से भी उसे सदा सदा के लिए मक्ति मिल जाती है और कम बंधन के अभाव में पुनः उसे जन्म मरण धारण नहीं करना पड़ता है।

इन्द्रियों की प्राप्यकारिता विचार

ऊपर जो इन्द्रियाथ सन्निकष या इन्द्रियाथ सयोग बतलाया गया है उसमें इन्द्रियों और उनके विषयों के पारस्परिक सम्पर्क की क्या प्रक्रिया है? क्या इन्द्रिय अपने अधिष्ठान से निकल कर स्वयं अपने विषयों के पास जाकर उससे सम्पर्क या सयोग करती है अथवा स्वाधिष्ठान में ही स्थित रहती है और उसका विषय स्वयं इन्द्रिय में पहुँचकर उससे सम्पर्क करता है? इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि सभी पाँच इन्द्रियों का स्वरूप स्थिति और नियति ममान नहीं है। सब प्रथम चक्षु इन्द्रिय और चाक्षुष प्रत्यक्ष को लिया जाय। चाक्षुष ज्ञान में चक्षु इन्द्रिय का अपने विषय रूप के साथ सयोग के लिए चक्षु इन्द्रिय का विषयों के पास जाकर सन्निकष करना आवश्यक है। क्योंकि रूप तो अपने स्थान पर स्थित है वह किसी मनुष्य की चक्षु इन्द्रिय के पास नहीं जाता है। अतः चक्षु इन्द्रिय ही अक्षि गोलक से निकल कर ज्ञान पदाथ के पास जाकर उसका ग्रहण करती है। ज्ञान वस्तु के ससंग में चक्षु इन्द्रिय को उस वस्तु स्वरूप का जो संस्कार प्राप्त होता है उसकी सूचना मन से ससंग होने पर तत्काल मन को मिलती है और मन चूँकि सदा आत्मा से सयुक्त रहता है अतः मन से आत्मा को प्राप्त होती है। इस प्रकार उक्त प्रक्रिया के द्वारा चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। इस चाक्षुष प्रत्यक्ष में चक्षु इन्द्रिय स्वयं स्वविषय तक पहुँचकर उससे सम्पर्क कर वस्तु स्वरूप को ग्रहण करती है अतः उसे प्राप्यकारी माना जाता है।

किन्तु अन्य इन्द्रियों के साथ ऐसा नहीं है। श्रोत्रेन्द्रिय को लिया जाय। श्रोत्रेन्द्रिय आकाश महाभूत प्रधान है और उसका विषय है शब्द। अर्थात् श्रोत्रेन्द्रिय मात्र शब्द का ग्रहण करती है। शाब्दिक प्रत्यक्ष में यह पाया जाता है कि शब्द स्वयं कण्डु मण्डल में लहराता हुआ मनुष्य की कण गुहा में पहुँचता है और वहाँ स्थित आकाश के सम्पर्क में आता है। क्योंकि शब्द आकाश महाभूत का प्रत्यात्मनियत गुण है। उस शब्द को कण गुहा में स्थित श्रोत्रेन्द्रिय ग्रहण करती है और मन के माध्यम से उसे आत्मा तक पहुँचाती है। तब शब्द का ज्ञान या शब्द का प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार घ्राणज ज्ञान की प्रक्रिया में घघ के कण वायु मण्डल में तैरते हुए मनुष्य की नासा गुहा में पहुँचते हैं जहाँ पर नासा इन्द्रिय से उनका ससर्ग होता है। तब नासा इन्द्रिय उन घघ कणों को ग्रहण कर उनका सस्कार मन में प्रदान करती है और मन आत्मा के सयोग से युक्त होने के कारण उसे उस घघ का ज्ञान कराता है।

रासन प्रत्यक्ष और वाच प्रत्यक्ष में भी उपयुक्त प्रकार से इन्द्रिय अपने विषय को ग्रहण करने हेतु ज्ञय वस्तु के पास नहीं पहुँचती है। अपितु ज्ञय पदार्थ स्वयं ही रसना या स्पर्शनेन्द्रिय से सयोग करते हैं जिससे रसना एवं स्पर्शनेन्द्रिय ज्ञय द्रव्य को ग्रहण कर आत्मा समुक्त मन के माध्यम से ज्ञान कराती है। इस प्रकार रसना और स्पर्शनेन्द्रिय अपने अधिष्ठान में स्थित रह कर ज्ञय वस्तु का ज्ञान कराती है।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि केवल चक्ष इन्द्रिय ही वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने हेतु उसके पास पहुँचती है। शेष चार इन्द्रियाँ अपने अधिष्ठान में ही स्थित रहकर अपने विषयों से सयोग कर उनका ग्रहण करती हैं और तत्पश्चात् उनका ज्ञान आत्मा को कराती हैं। उन चार इन्द्रियों को अपने अधिष्ठान से निकल कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। इसीलिए कतिपय आचार्य उन चार इन्द्रियों को प्राप्यकारी नहीं मानते हैं वे केवल चक्ष को ही प्राप्यकारी मानते हैं। किन्तु जयन्त भट्ट आदि कतिपय आचार्य इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि इन्द्रिय चाहे अपने अधिष्ठान में ही स्थित रहकर ज्ञय वस्तु को ग्रहण करे या अपने अधिष्ठान से बाहर निकल कर ग्रहण करे अपने अर्थ को तो वह ग्रहण करती ही है। अतः सभी इन्द्रियाँ प्राप्यकारी मानी जानी चाहिये।

विविध यन्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष का विस्तार

पूर्व में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि प्रत्यक्ष ज्ञानोत्पत्ति में आत्मा मन इन्द्रियाँ और उनके विषयों का सयोग ही महत्वपूर्ण होता है। जिन विषयों का ग्रहण इन्द्रियों के द्वारा नहीं होता है वे विषय इन्द्रियातीत होने से प्रत्यक्षरम्य नहीं माने जाते हैं। अतीत काल में प्रत्यक्ष ज्ञान की परिधि अत्यन्त सीमित थी। इसीलिए

आचार्यों ने कहा था— अल्प हि प्रत्यक्षमनल्पमप्रत्यक्षम् । किंतु वर्तमान आधुनिक प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में नए नए आविष्कारों के द्वारा अन्यान्य यन्त्रों का विस्तार हुआ है। इससे अनेक इंद्रियातीत या सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषय इंद्रियों के ज्ञान की परिधि में आ गए हैं। उन आविष्कृत विविध यंत्रों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के क्षेत्र की सीमा को और अधिक विस्तार दे दिया है। यही कारण है कि गत कुछ समय तक ऐसी अनेक वस्तुएँ थीं जिनका ग्रहण करने में चक्ष आदि इंद्रियाँ असमर्थ थीं। किन्तु आज विज्ञान ने ऐसे अनेक आविष्कार प्रस्तुत कर दिए हैं जिनसे अनेक गढ़तम रहस्यों का ज्ञान होने लगा है। चक्ष आदि इंद्रियाँ भी अनेक अग्राह्य वस्तुओं को यंत्रों की सहायता से ग्रहण करने में समर्थ हुई हैं। जिस चक्ष्मा की सहायता से दुबल नेत्रों को दृश्य वस्तु स्वच्छ एवं स्पष्ट दिखलाई देने लगती है। अणुबीक्षण यंत्र की सहायता से आज सूक्ष्मतम जीव जंतुओं का अवलोकन किया जा सकता है। दूरबीन यंत्र की सहायता से दूरस्थ ऐसी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो दूरबीन के बिना दिखलाई नहीं पड़ती। इससे चाक्षुष प्रत्यक्ष के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है।

इसी प्रकार श्रावण प्रयुक्त के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा शब्द श्रावण की एक सीमा है। उससे अधिक दूर के या सूक्ष्म शब्दों को सुनने में श्रोत्रेन्द्रिय अनमर्थ रहती है। किन्तु आधुनिक यंत्रों के द्वारा दूरस्थ एवं सूक्ष्म शब्दों को भी सुनना सम्भव हुआ है। श्रावण यंत्र के द्वारा जहाँ दुबल श्रोत्रेन्द्रिय शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ हुई है वहाँ दूरभाष (टेलीफोन) आदि यंत्रों ने सुदूर स्थित स्थानों पर कहे गए शब्दों को ग्रहण करने का सामर्थ्य श्रोत्रेन्द्रिय को दिया है। अर्थात् दूरभाष (टेलीफोन) से देशांतर में स्थित व्यक्तियों के शब्द सुने जा सकते हैं तथा लाऊ-स्पीकर के द्वारा शब्दों और वनियों का प्रसार जोर से किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति द्वारा उच्चरित वाक्यों को हजारों मनुष्य सुन सकते हैं।

आज आंतर के शरीर में हृदय के स्फुरण का शब्द और विकृति युक्त फुफ्फुस आदि अवयवों की खरखर ध्वनि स्पष्ट रूप से स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनी जा सकती है।

इस प्रकार आधुनिक युग में आविष्कृत अनेक यंत्रों ने इंद्रियों के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष के क्षेत्र का विस्तार किया है।

प्रत्यक्ष के रहते हुए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता

प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान सशय आदि दोषों से रहित होता है। व्यवहार में भी प्रत्यक्ष ज्ञान अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माना जाता है। मनुष्य को जिस विषय का साक्षात्कार

या प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है उस विषय में उसे कोई शक नहीं रहती। फिर वह प्रत्यक्ष किए हुए विषय का दुढ़ता क साथ समर्थन करता है। यही कारण है कि सभी दर्शनों ने एक स्वर से प्रत्यक्ष प्रमाण को अस्वीकार किया है। एकमेव प्रमाण को स्वीकार करने वाले भौतिकवादी और कट्टर नास्तिक चार्वाक दर्शन ने भी प्रत्यक्ष प्रमाण का ही आश्रय लिया है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान एव प्रत्यक्ष प्रमाण के सार्वभौम महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। किन्तु फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाण क द्वारा जिन विषयों का ज्ञान या साक्षात्कार होता है वे विषय अत्यन्त सीमित हैं। ससार के सभी विषयों का ज्ञान एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सम्भव नहीं है। क्योंकि अल्पं हि प्रत्यक्षम् अनल्पम्-प्रत्यक्षम् — अर्थात् प्रत्यक्ष होने वाले विषय अत्यन्त अल्प हैं और प्रत्यक्ष नहीं होने वाले विषय बहुत अधिक। अतः ऐसे बहुत से विषय हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिया ही साधन होती है। इंद्रिया जिन विषयों को ग्रहण करती है उनका तो प्रत्यक्ष हो जाता है किन्तु इंद्रिया जिन विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ है उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। भौतिक होने के कारण इंद्रियों का विषय क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। अतः सीमित विषय क्षेत्र के बाहर के विषयों का ग्रहण इंद्रियों के द्वारा नहीं होने के कारण उन विषयों का ज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए वे विषय प्रत्यक्ष ज्ञान के बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान के विषयातिरिक्त विषयों का क्षेत्र अत्यन्त विशाल एव असीमित है। उन विषयों का ज्ञान भी अपेक्षित रहता है।

इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वर्तमान काल में स्थित पदार्थों का सीमित ज्ञान कराने में ही महायुक्त है। प्रत्यक्ष के द्वारा भूत और भविष्य कालीन विषयों का साक्षात्कार करना सम्भव नहीं है। अतः भूत और भविष्यकाल के सम्पूर्ण विषयों का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण वे अज्ञात रह जाते हैं। उन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणान्तर अपेक्षित हैं। जो विषय प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा में नहीं आते हैं उनका ज्ञान किसी प्रमाण के द्वारा ही किया जायेगा अन्यथा वे समस्त विषय अज्ञात ही रह जायेंगे और उनकी प्रामाणिकता सदैव सदिग्ध बनी रहेगी। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के रहते हुए भी अन्य सभी विषयों के ज्ञान के लिए अन्य अनुमान आदि प्रमाण भी अपेक्षित हैं। अन्य प्रमाणों को स्वीकार किए बिना प्रत्यक्ष के द्वारा केवल कुछ सीमित विषयों का ज्ञान ही सम्भव हो सकता है।

प्रत्यक्ष के बाधक

पदार्थों के सम्मुख उपस्थित रहने पर भी अनेक बार ऐसा होता है कि हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता। कुछ कारण ऐसे उपन्य हो जाते हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान

नहीं होने देते और उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने के कारण ही वे प्रत्यक्ष के बाधक कहलाते हैं। महर्षि चरक ने प्रत्यक्ष ज्ञान में अवरोध उत्पन्न करने वाले उन कारणों का उल्लेख खचित्प्रकार निम्न प्रकार से किया है—

सतां च रूपाणांभितिसंनिर्घातविप्रकर्षाद्वावरणात् करणदौर्बल्यामनोऽनवस्थानात् समानाभिहारादभिभवादतिसौक्ष्म्याच्च प्रयक्षानुपलब्धिः ।

— चरक संहिता सूत्रस्थान ११।८

अर्थात् विषयो के विद्यमान होने पर भी कभी कभी उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है जैसे चक्ष इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य रूपवान् वस्तुओं के विद्यमान होने पर भी १ अत्यन्त समीप होने के कारण २ अत्यन्त दूर होने के कारण ३ आवरण से ढक जाने के कारण ४ इन्द्रियों की दुबलता के कारण ५ मन के चंचल होने के कारण ६ समानाभिहार एक समान कई वस्तुएँ होने के कारण ७ किसी वस्तु से अन्य वस्तु के ढक जाने के कारण और अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः जो लोग केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं वे बिना विचारे और बिना समुचित परीक्षा किए हुए ही एक मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वे किसी अन्य प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं।

प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा उत्पन्न करने वाले जो कारण ऊपर बतलाए गए हैं उन्हीं निम्न उदाहरणों द्वारा समझना चाहिए

१ अति समीप-वस्तु के अत्यधिक समीप होने पर उसका समुचित ज्ञान नहीं होता है। जैसे किसी पुस्तक को नेत्र के अति समीप लाया जाता है तो उसका अक्षर दिखलाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार आँख में लगा हुआ काजल भी अति समीपता के कारण दिखलाई नहीं पड़ता है।

२ अतद्वर— अत्यधिक दूर होने से भी वस्तु या वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। जैसे आकाश में अत्यन्त दूर उड़ता हुआ पक्षी दिखलाई नहीं पड़ता अथवा दूर रखी हुई पुस्तक का अक्षर दिखलाई नहीं पड़ता है।

३ आवरण किमी पदार्थ या दीवार का व्यवधान होने से वस्तु का रङ्ग भी उसका ज्ञान नहीं होता है। किसी वस्तु को कागज या कपड़ में लपेट कर रखा दिया जाय तो आवरण होने के कारण उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है।

४ करण दौर्बल्य— इन्द्रियों की दुबलता या विकृति के कारण वे अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाती हैं जिससे वे विषय का समुचित ज्ञान नहीं कर पाती हैं। जैसे नेत्रों में रतोद्य या मोतिस्राव आदि कोई विकृति हो जाने पर नेत्रों से दिखलाई

नहीं पड़ता है। दृष्टि की दुर्बलता से लोग पड़ नहीं पाते हैं या उन्हें वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़तीं जिससे उन्हें चयना का सहारा लेना पड़ता है।

५ मन की चञ्चलता—मन अत्यन्त चञ्चल होता है जिससे वह क्षण मात्र में इतस्तत भ्रमित हो जाता है। अपनी चञ्चलता के बावजूद जब वह किसी एक विषय में आसक्त होता है तो उस क्षण में उसकी प्रवृत्ति अन्यत्र नहीं होती है। जैसे काम आदि से आविष्ट पुरुष समीपस्थ वस्तु को भी नहीं देख पाता है या कक्षा में स्थित छात्र का मन अन्यत्र आसक्त होने के कारण वह बोर्ड पर लिखे गये अक्षरों को नहीं देख पाता है। इसी प्रकार जब किसी विद्यार्थी का मन कोई पुस्तक पढ़ते समय इधर उधर चला जाता है तो उसे यह ज्ञान नहीं हो पाता कि उसने पुस्तक में क्या पढ़ा ?

६ समानाभिहार—समान वस्तुओं के मिलने से उनका पथक ज्ञान नहीं होता है। जैसे गेहूँ के दानों में मिलाए गए अन्य गेहूँ क दाने नहीं पहचाने जा सकते।

७ अभिभव—एक वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु का अभिभूत होना अभिभव कहलाता है। जैसे दिन में सूर्य के तेज से तारों का ज्ञान नहीं होता है।

अतिसूक्ष्म—जैसे अतिसूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म जीवाणुओं का नेत्र से ज्ञान नहीं होता है।

प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा उत्पन्न करने वाले चरकोक्त उपयुक्त कारणों का उल्लेख ईश्वर कृष्ण ने भी साख्यकारिका में किया है। यथा—

अतिवृत्तत् सामीप्याद्विद्विद्यघाता मनोऽभवस्थानात् ।

सौक्ष्म्याद् व्यवधानादभिभवात् समानाभिहाराच्च ॥

इन समस्त कारणों से प्रत्यक्षोपलब्धि नहीं होने के कारण उन विषयों के ज्ञान के लिए प्रमाणान्तर अपेक्षित है। अतः प्रत्यक्ष करते हुए भी ससार के अन्य विषयों के ज्ञान के लिए अन्य प्रमाण भी आवश्यक हैं।

आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता

आयुर्वेद शास्त्र में प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रतिपादन मात्र दार्शनिक दृष्टि से नहीं किया गया है। आतुर परीक्षा एव रोग ज्ञान में प्रत्यक्ष की उपयोगिता एव महत्त्व सुस्पष्ट है। आतुर की परीक्षा के लिए मुख्य साधन इन्द्रियाँ हैं। इन्द्रियों के द्वारा परीक्षा का निर्देश शास्त्रों में स्पष्टत मिलता है। यथा— दक्षनस्पशन्प्रश्नं परीक्षेताश्च रोगिणम् ।

अर्थात् (वैद्य) दक्षन स्पशन् और प्रश्न के द्वारा रोगी की परीक्षा करे।

यहाँ तीनों प्रकार की परीक्षा इन्द्रियों के द्वारा करने का निर्देश आचार्यों ने दिया

है। ये तीनों परीक्षाएँ प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ही सन्निहित हैं। इसी प्रकार अन्य परीक्षाएँ भी इन्द्रियो के द्वारा करने का निर्देश मिलता है जिससे आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता का आभास मिलता है। इस सम्बन्ध में चरक का निम्न वचन महत्वपूर्ण है—

प्रत्यक्षस्तत्तल्लु रोगतश्च बुभुत्सु सर्वाग्निद्रियायानातुरशरीर
गतान् परीक्षत ना यत्र रसज्ञानात् । — चरक संहिता विमान स्थान ४।७

अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रोग ज्ञान करने की इच्छा करने वाला वृद्ध रस ज्ञान को छोड़ कर शेष समस्त इन्द्रियो के द्वारा रोगी के शरीर में स्थित जानने योग्य समस्त विषयो की परीक्षा करे।

इसके अनुसार रोगी के स्वर आदि की परीक्षा तथा हृदय के स्फुरण आदि का ज्ञान श्रोत्र इन्द्रिय के द्वारा शरीर की आकृति प्रमाण वण आदि की परीक्षा चक्षु के द्वारा शरीर के ताप नाडी स्फुरण आदि की परीक्षा स्पृशनेन्द्रिय के द्वारा और गन्ध योग्य भावो की परीक्षा या ज्ञान घ्राणेन्द्रिय के द्वारा करना चाहिये। इन चारों इन्द्रियो के द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष के अन्तर्गत आता है। प्रत्यक्ष के अभाव में शरीरगत किसी भी अवयव या भाव की परीक्षा होना सम्भव नहीं है। अत आतुर की परीक्षा तथा अथ प्रायोगिक ज्ञान के लिए प्रायश्चित्त कर्माभ्यास नितात अपेक्षित है।

आयुर्वेद में अन्यत्र रोगी की अष्टविध परीक्षा का निदर्श दिया गया है। यथा—

रोगाक्रान्तशरीरस्थ स्थानाद्यष्टौ परीक्षयेत् ।

नाडीं मूत्र मल जिह्वां शब्द स्पृश दगाकृती ॥

अर्थात् मनुष्य के रोगाक्रान्त शरीर के निम्न आठ स्थानो (भावो) की परीक्षा करना चाहिये— १ नाडी २ मूत्र ३ मल (पुरीष) ४ जिह्वा ५ शब्द ६ स्पृश ७ दृष्टि और ८ आकृति। इन समस्त भावो की परीक्षा इन्द्रियो के द्वारा ही सम्भव है। इन्द्रियो के द्वारा होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ही आता है। अत आयुर्वेद में प्रत्यक्ष की उपयोगिता सुस्पष्ट है।

इसी प्रकार रोगी की चिकित्सा के लिए भी प्रत्यक्ष की उपयोगिता है। आयुर्वेद के अन्य विषयो जैसे अगद तत्र कीमार भय प्रसूति तत्र रस शास्त्र भषज्य कल्पना शल्य शालाक्य तत्र आदि में भी प्रत्यक्ष के बिना काम चलने वाला नहीं है। अत प्रत्यक्ष को अनिवाय माना गया है। आयुर्वेदीय औषधि निर्माण शास्त्र की समस्त प्रक्रियाएँ प्रत्यक्ष के अभाव में अपूर्ण ही रह जायेंगी।

एकादश अध्याय

अनुमान निरूपण

आयुर्वेद शास्त्र में किया गया अनुमान का विशद विवेचन एवं वर्णन इस बात का संकेत करता है कि अन्य दर्शनों की भांति आयुर्वेद में भी अनुमान का महत्त्व एवं उपयोगिता है। ज्ञान के जो दो मुख्य भेद किए गए हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष उनमें परोक्ष ज्ञान में अनुमान का स्थान अग्रणी है। इसका कारण यह है कि जो विषय प्रत्यक्ष ज्ञान की परिधि में नहीं आ पाते हैं उनमें से अनेक विषयों का ज्ञान अनुमान के द्वारा किया जाता है। अनुमान के विषय में प्रायः सभी दर्शनों ने व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करके हुए उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है। अतः यह कहना अप्रासंगिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि परोक्ष ज्ञान में अनुमान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होने के कारण अधिकांश प्रमेय विषयों का ज्ञान अनुमान के द्वारा ही होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में भी अनुमान को प्रत्यक्ष के बाद प्रमुखता दी गई है।

अनुमान का स्वरूप एवं लक्षण

अनुमान शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है। यथा—अनु + मान = अनुमान। अनु का अर्थ होता है पश्चात् और मान का अर्थ होता है ज्ञान। अतः अनुमान का शब्दार्थ होता है पश्चात् या बाद में होने वाला ज्ञान। अनमान शब्द की निरुक्ति से भी यही अर्थ ध्वनित होता है। यथा—अनु पश्चात् सीयते ज्ञायतेऽनेनेति अनुमानम्। अर्थात् जिसके द्वारा बाद में (प्रत्यक्ष के बाद) ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह अनुमान कहलाता है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि लिङ्ग ग्रहण और व्याप्ति स्मरण के अनु-पश्चात् होने वाला मान ज्ञान अनुमान कहलाता है। जसा कि 'वायु दर्शन' में प्रतिपादित किया गया है—

तल्लिङ्गं लिङ्गं पूरकम् ।

—न्यायवार्तिक

अर्थात् लिङ्ग को देखकर लिंग का व्यभिचार रहित ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है। जैसे—शरीर में किसी स्थान में प्रनष्ट शल्य का ज्ञान उस स्थान पर उत्पन्न होने वाले उसके लक्षण (लिङ्ग) पाक तथा ऊष्मा आदि से किया जाता

है। जैसे प्रनष्ट शल्य वाले सदिग्ध स्थान पर चन्दन या घृत का लेप करने पर चन्दन का शष्क हो जाना और घृत का पिघल जाना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से निगूढ वस्तु या विषय का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है।

लक्षण

इसके अतिरिक्त अनुमान का सब सामान्य निम्न लक्षण प्रतिपादित किया गया है—

साधनासाध्यविज्ञानमनमानम् ।

अर्थात् साधन से साध्य का ज्ञान होना जनमान कहलाता है।

यन् ज्ञान अविशद होने से परोक्ष है किन्तु अपने विषय में अविशवादी है तथा सशय विषय अनध्यवसाय आदि समारोपो का निष्कारण करने के कारण प्रमाण है। साधन में साध्य का नियत ज्ञान अविनाभाव के बल से ही होता है। सब प्रथम साधन को देख कर पूर्व गृहीत अविनाभाव का स्मरण होता है फिर जिस साधन से साध्य की व्याप्ति ग्रहण की है उस साधन के साथ वतमान साधन का सादृश्य प्रयभिज्ञान किया जाता है तब अनुमान के द्वारा साय की सिद्धि होती है। यह मानस ज्ञान है।

अनुमान के कुछ अय लक्षण आचार्यों ने निम्न प्रकार से प्रतिपादित किए हैं—

वस्तु यत्परोक्ष तदनुप्रत्यक्षात् यन्भीयते ज्ञायते तदनुमानम् । —गगाधर

अर्थात् जो वस्तु परोक्ष में है तथा प्रयक्ष के पश्चात् जिसका ज्ञान किया जाता है वह अनुमान कहलाता है।

व्याप्तिग्रहणादनु अनंतर भीयते सम्यक् निश्चीयते परीक्षार्थो येन तदनुमानम् ।

—ब्रह्मपाणि इति

अर्थात् व्याप्ति ग्रहण के पश्चात् परीक्ष्य विषय का ज्ञान जिसके द्वारा किया जाता है या अच्छी तरह निश्चय किया जाता है उसे अनुमान कहते हैं।

युक्त्या कायकारणभावोपपत्त्या अविज्ञातस्याप्याथस्य विज्ञानमनुमानम् ।

—उपकार

अर्थात् काय कारण भाव की उपपत्ति रूप युक्ति से अविज्ञात अथ (अज्ञात विषय) का ज्ञान करना अनुमान कहलाता है।

अनु पश्चाद्बव्यभिचारिणि ज्ञान्तिज्ञी भीयते ज्ञायते येन तदनुमानम् ।

—ब्रह्म

अनु अर्थात् बाद मे (प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात्) अव्यभिचारी (व्यभिचार रहित) लिङ्ग (हेतु) से लिङ्गी (साध्य) का ज्ञान जिससे किया जाता है वह अनुमान कहलाता है।

मितेन लिङ्गेनाथस्य पदवान्मानमनुमानम् । —वात्सायन

अर्थात् परिमित या सीमित लिङ्ग हेतु से विषय का जो ज्ञान बाद मे प्राप्त होता है वह अनमान कहलाता है।

लिङ्गलिङ्गसम्बन्धजयत्वमनमानम् गंगाधर

अर्थात् लिङ्ग (हेतु) और लिङ्गी (साध्य) के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनमान कहलाता है।

इसके अतिरिक्त अनुमान मे तक एव युक्ति की भी अपेक्षा रहती है। जसाकि महर्षि चरक ने स्वयं कहा है—

अनमान खलु तर्को युक्त्यपेक्ष । —चरक सहिता विमान स्थान ४

अर्थात् युक्ति सापेक्ष तक को अनुमान कहते हैं।

इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य चक्रपाणिदत्त ने अपना मन्तव्य निम्न प्रकार से व्यक्त किया है— तर्कोऽत्राप्रत्यक्षज्ञानम् । युक्ति सम्बन्धोऽविनाभाव इयथ । तेनाधिभाक्कज परोक्षज्ञानमनुमानमित्यथ ।

अर्थात् यहा तक का अर्थ अप्रत्यक्ष (परोक्ष) ज्ञान है। युक्ति का अर्थ अविनाभाव सम्बन्ध है। उससे अविनाभावज परोक्ष ज्ञान अनुमान होता है यह अर्थ है।

सामान्यत विज्ञात अर्थ मे कारण और उपपत्ति को देखकर अविज्ञात अर्थ में भी उसका अवधारण करना युक्ति कहलाता है और अविज्ञात तत्व के अर्थ मे कारण और उपपत्ति से तत्व ज्ञान के लिए जो ऊहा होती है उसे तर्क कहते हैं। युक्ति सापेक्ष तक अर्थात् युक्ति के द्वारा कार्य—कारण भावोपपत्ति से अविज्ञात अर्थ मे ज्ञान करना जैसे— महानस (चौका घर) मे बल्लि और धूम को एक साथ देखकर उसमे काय-कारण भाव का ग्रहण कर किसी पर्वत पर घूम को देखकर बल्लि और धूम के काय-कारण भावोपपत्ति से अवृष्ट बल्लि का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है।

अनुमान के एक अन्य लक्षण मे अनुमिति के साधकतम करण को अनमान कहा गया है। यथा—

अनुचितिकरणमनुमानम् ।

—तर्क सङ्ग्रह

अर्थात् अनमिति का करण (साधकतम) अनुमान कहलाता है।

अनमिति— परामशजन्यज्ञानमनुमिति । अर्थात् परामर्शजन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं ।

परामश— व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञान परामश । अर्थात् व्यक्ति के साथ पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं ।

व्याप्ति— यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्ति । अर्थात् जहाँ जहाँ धुआँ होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है । इस प्रकार के साहचर्य (एक साथ रहने के) नियम को व्याप्ति कहते हैं ।

पक्षधर्मता— व्याप्यस्य पक्षताविवृत्तित्व पक्षधर्मता । अर्थात् व्याप्य धर्म आदि हेतु के पर्वत आदि पक्ष (साध्य स्थल) में होने को पक्षधर्मता कहते हैं ।

अभिप्राय यह है कि पवतोऽथ वह्निमान धर्मात् यह अनमान तभी सम्भव है जब जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य रहती है इस व्याप्ति ज्ञान के साथ पक्ष (पवत) में व्याप्य (धर्म) की उपस्थिति दिखलाई पड़े ।

चरकोक्त अनुमान का लक्षण एव भेद

प्रत्यक्षपूष त्रिविध त्रिकाल चानमीयते ।

वह्निर्निगडो धमेन मथुन गभदशनात् ॥

एव व्यवस्थन्त्यनीत बीजात् फलमनागतम् ।

दृष्टवा बीजात् फल जातमिहैव सबुश बुधा ॥

— चरक संहिता सूत्र स्थान ११/२१ २२

अर्थ—प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक तीन प्रकार का तथा तीनों काल का अनुमान किया जाता है । छिपी हुई (वर्तमान) अग्नि का अनुमान धर्म से और अतीत काल के मथुन का अनुमान गर्भ को देखने से होता है । अनागत (भविष्यवालीन) फल का अनुमान बीज से किया जाता है । बीज को देखकर इस बीज के समान फल हुआ था यह अनुमान बीज के विषय में भी विद्वान करते हैं ।

यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है । अर्थात् जिसका कभी प्रत्यक्ष हुआ हो किन्तु वर्तमान काल में प्रत्यक्षत उसकी उपलब्धि नहीं होती हो उस वस्तु का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है । इस प्रकार अनुमेय विषय या वस्तु का पूर्व में प्रत्यक्ष किया हुआ होना आवश्यक है ।

उपयुक्त निर्वाचन से अनुमान का सामान्य अर्थ यह ध्वनित होता है कि व्याप्ति के ज्ञान के अनन्तर परोक्ष विषय का जो सम्यक्तया निश्चयात्मक ज्ञान किया जाता है वह अनुमान कहलाता है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लिङ्ग परामश का

नाम ही अनुमान है। क्योंकि लिङ्ग परामर्श के द्वारा ही परोक्ष विषय का ज्ञान किया जाता है। व्याप्ति के बल से विषय या वस्तु का जो ज्ञापक होता है वही लिङ्ग कहलाता है। जैसे धुआँ अग्नि का लिङ्ग है। किसी स्थान पर यदि अग्नि दिखलाई नहीं पड़ती है उसका ज्ञापक धुआँ दिखलाई पड़ता है तो सहज ही यह अनुमान किया जायगा कि यहाँ पर अग्नि विद्यमान है। क्योंकि धुआँ अग्नि के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार अग्नि के साथ धुआँ साहचर्य नियम से रहता है। यह साहचर्य नियम ही व्याप्ति है।

यह स्पष्ट है कि व्याप्ति के बिना अनुमान होना सम्भव नहीं है और व्याप्ति का ग्रहण या ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है। इसीलिए महर्षि चरक ने अनुमान का जो लक्षण प्रतिपादित किया है उसमें प्रत्यक्ष पूवक कहा गया है। अर्थात् जिस विषय का अनुमान किया जा रहा है या किया जाना है पूव में उसका प्रत्यक्ष अनुभव होना आवश्यक है। महर्षि चरक ने तीन प्रकार का अनुमान बतलाते हुए उसके तीन उदाहरण बतलाए हैं। यह तीन प्रकार का अनुमान और उसके उदाहरण याय दर्शनाक्ति त्रिविध अनुमान से समानता रखता है। यथा— अथ तत्पूवक त्रिविध मनमान पूवच्छेषवत् सामान्यतो वृष्ट च। अर्थात् तत्पूवक अनुमान पूववत् शेषवत् औ सामान्यतो वृष्ट भेद से तीन प्रकार का होता है। जहाँ कारण से काय का अनुमान होता है वह पूववत् कहलाता है। यही चरकोक्त वल्लिनिगूढो धूमेन है। जहाँ काय से कारण का अनुमान होता है वह शेषवत् कहलाता है। यही चरकोक्त मथुन गभदशनात् है। जहाँ काय कारण सम्बन्ध से भिन्न लिङ्ग हो वह सामान्यतो वृष्ट कहलाता है। जैसे सूर्य से उमकी गति का अनुमान। यायाक्त इस त्रिविध अनुमान का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा।

महर्षि चरक के अनुसार अनुमान गम्य भाँतीना कानो (वर्तमान भूत भविष्य) में भिन्न भिन्न रूप से होते हैं। प्रत्यक्ष से मात्र वर्तमान काल के भावों का ही ग्रहण होता है जबकि अनुमान से तीनों काल के भावों का ग्रहण होता है। जैसे निगूढ या परोक्ष वल्लि का धूम से (वर्तमान काल-सामान्यतो वृष्ट) अनुमान होता है। गभ को देखकर भूतकाल में किए गए मथन का अनुमान किया जाता है (भूतकाल शेषवत्)। बीज से अनागत (भविष्य कालीन) फल का अनुमान होता है (शेषवत्)। यहाँ बीज से तत्सदृश फल को उपलब्ध हुआ देखकर (काय-कारण रूप व्याप्ति का ग्रहण करने के अन्तर) ही बीज से फल का निश्चय (सहकारि कारण क्षत्र जल आदि होने पर) किया जाता है। इस प्रकार यह त्रिविध अनुमान होता है।

अनुमान क अय भव एव पचावयव

अन्यत्र यह अनुमान सामान्यतः दो प्रकार का भी बतलाया गया है। यथा—

१ स्वार्थानिमान और २ परार्थानिमान।

१ स्वार्थानिमान—अपनी अनमिति का कारण (साधकतम कारण) स्वार्थानिमान कहलाता है। इसमें अनमान करने वाला व्यक्ति स्वयं काय कारण भाव को देखकर स्वयं के ज्ञान के लिए अनुमान करता है। जैसे कोई व्यक्ति महानस (रसोईघर) में धुएँ और अग्नि को साथ साथ देखकर यह निश्चय करता है कि जहाँ जहाँ धुआँ होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है—इस प्रकार के व्याप्ति ज्ञान का निश्चय करने के अनन्तर किसी पर्वत व समीप धुआँ उठता हुआ देखकर पूर्व दृष्ट व्याप्ति ज्ञान का स्मरण कर यह निश्चयार्थक ज्ञान करता है कि यहाँ पर भी अग्नि है। इसी का नाम लिङ्ग परामश है। इस लिङ्ग परामश से ही यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि पर्वत पर आग है। इसे ही स्वार्थानिमान कहते हैं। यह केवल स्वयं को समझने के लिए होता है।

२ परार्थानिमान—यह अनुमान दूसरो को ज्ञान कराने में सहायक होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरो को समझाने के लिए शास्त्रीय सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए लिङ्ग परामश के द्वारा साध्य की सिद्धि करता है तो वह परार्थानिमान कहलाता है। परार्थानिमान की सिद्धि के लिए पाँच अवयव अपेक्षित रहते हैं। उन पाँच अवयवों के बिना परार्थानिमान की सिद्धि नहीं होती है। पचावयव वाक्य निम्न हैं—

१ प्रतिज्ञा—किसी साध्य या काय की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम जो वाक्य प्रयुक्त किया जाता है वह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। जैसे— यह पर्वत अग्नि वाला है। इस प्रतिज्ञा वाक्य में अग्नि साध्य है। क्योंकि पर्वत में अग्नि की सिद्धि करना ही मुख्य प्रयोजन है।

२ हेतु—कारण को हेतु कहते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य में जो साध्य होता है उसकी सिद्धि के लिए जो कारण प्रस्तुत किया जाता है वह हेतु कहलाता है। जैसे— धुआँ होने से यह कारण उपयुक्त प्रतिज्ञा वाक्य की साध्य अग्नि की सिद्धि करने के लिए कहा गया है।

३ उदाहरण—साध्य की सिद्धि के लिए कारण युक्त अन्य स्थान का सादृश्य भाव से युक्त जो उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है वही उदाहरण कहलाता है। जैसे— रसोईघर में। उपयुक्त प्रतिज्ञा वाक्य में कहे गए साध्य अग्नि की सिद्धि के लिए महानस रसोईघर का उदाहरण दिया गया है। क्योंकि रसोईघर में धुएँ के साथ अग्नि का हीन निश्चित रूप से उपलब्ध होता है।

४ उपनय—उदाहरण के आश्रय पर पक्ष में भी उसी प्रकार का निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित होना उपनय कहलाता है। जैसे— उसी प्रकार यहाँ भी।

५ निगमन—निष्कर्ष को ही निगमन कहते हैं। जैसे— इसलिए यहाँ भी अनि है।

इस प्रकार उपर्युक्त पांच अवयवों के द्वारा अनुमान की सिद्धि होती है। इन पाँच अवयव वाक्यों के द्वारा जो अनुमान कराया जाता है वह परार्थानुमान होता है।

वात्सायन ने भी परार्थानुमान की सिद्धि के लिए पाँच अवयवों का उल्लेख किया है। किन्तु उनके पचावयव पूर्वोक्त पाँच अवयवों से भिन्न हैं। यथा—१ जिज्ञासा २-सशय शक्य प्राप्ति ४ प्रयोजन और ५-सशय व्युदास। भाष्यकार के मता नुसार इनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पूर्वोक्त पाँच अवयवों से भली भाँति परार्थानुमान का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और उसमें किसी प्रकार की शका के लिए स्थान नहीं रहता। तार्किक विद्वानों के मतानुसार उपर्युक्त पाँच अवयवों की सख्या को घटाकर तीन अवयवों के द्वारा भी अभीष्ट सिद्धि की जा सकती है। क्योंकि प्रतिज्ञा और निगमन में कोई मौलिक अंतर नहीं होने से निगमन की कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं रह जाती। उपनय और हेत में भी कोई स्पष्ट अन्तर प्रतीत नहीं होता जबकि व्याप्ति के द्वारा लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है। अतः निगमन का अन्तर्भाव प्रतिज्ञा में तथा उदाहरण और उपनय का अन्तर्भाव व्याप्ति में कर प्रतिज्ञा हेतु और व्याप्ति इन तीन अवयवों को ही अनमान साधन के लिए पर्याप्त समझा जाता है। इन तीन अवयवों के द्वारा अनुमान साधन की प्रवृत्ति मुख्यतः परवर्ती नैयायिकों में पाई जाती है। भारतीय दर्शन शास्त्र में स्वमत प्रतिपादक कुछ विद्वान एव विचारक जैसे वेदान्ती मीमांसक बौद्ध तथा जन दाशनिक व्यवहार रूप से दो अवयवों को ही पर्याप्त समझते हैं। जैसे प्रतिज्ञा और हेतु। शेष अवयवों का अन्तर्भाव इन्हीं दो में कर लिया जाता है। किसी विशेष स्पष्टीकरण के लिए वे व्याप्ति का आश्रय ले लेते हैं।

लिङ्ग परामर्श—उपर्युक्त द्विविध स्वार्थ अनुमिति और परार्थ अनुमिति दोन में ही लिङ्ग परामर्श कारण है। बिना लिङ्ग परामर्श के अनुमान नहीं हो सकता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआ होता है वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य होती है। इम व्याप्ति ज्ञान के साथ पर्वत पर धुआ रूप पक्षधर्मता का ज्ञान अपेक्षित है। अतः व्याप्ति ज्ञान विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान अर्थात् पर्वत पर धुआ है और वह धुआ अग्नि का व्याप्य है—ऐसा ज्ञान होना चाहिये। इस ज्ञान को ही परामर्श कहते हैं। इसमें धुआं लिङ्ग अथवा साधन होता है और अग्नि लिङ्गी अथवा साध्य है। अतः इसे लिङ्ग परामर्श भी कहा जाता

है। यही लिङ्ग परामर्श अनुमिति का कारण होने से अनुमान कहलाता है। यह लिङ्ग तीन प्रकार का होता है— अवयव्यतिरेकी केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी।

हेतु तथा साध्य का साहचय्य अवयव कहलाता है और इसके विपरीत अर्थात् साध्याभाव तथा हवभाव का साहचय्य व्यतिरेक कहलाता है। अन्वय सपक्ष में रहता है और व्यतिरेक विपक्ष में। जहाँ हमें साध्य के होने का निश्चित ज्ञान है उसे सपक्ष कहते हैं। जस महानस (रसोईघर)। यहा महानस में धुआँ रूप हत तथा अग्नि रूप साध्य इन दोनों का साहचय्य रूप अन्वय व्याप्ति का ज्ञान होता है। इसके विपरीत जहा हमें साध्य के अभाव का निश्चित ज्ञान है उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे जलाशय। यहा जलाशय में साध्य अग्नि का अभाव अर्थात् अग्नि का नहीं होना तथा हेतु रूप धुएँ का अभाव अर्थात् धुएँ का नहीं होना— इन दोनों का साहचय्य रूप व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान होता है।

अवयव्यतिरेकी— अवयेन व्यतिरेकेण व्याप्तिमवयव्यतिरेकी उपयुक्त अवयव व्याप्ति तथा व्यतिरेक व्याप्ति दोनों के दृष्टान्त जिसमें हो ऐस लिङ्ग का अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे— पवतोऽथ वह्निमान धूमात् इस उदाहरण में दिया हुआ धुआँ रूप हेतु (लिङ्ग) अवयव्यतिरेकी है। क्योंकि जहा जहा धआ होता है वहा वहा अग्नि होती है। जैसे रसोईघर में। यहा रसोईघर में हेतु धआ और सा य अग्नि है इन दोनों का साहचय्य मिलता है। यह अवयव्य व्याप्ति का दृष्टान्त है। इसके विपरीत जहा जहा अग्नि का अभाव हो वहा धुएँ का भी अभाव हो। जस जलाशय। यहा जलाशय में साध्य अग्नि का अभाव तथा हेतु धुएँ का अभाव इन दोनों का साहचय्य मिलता है। इससे यह हुआ व्यतिरेक का दृष्टान्त। अत उपयुक्त प्रतिज्ञा वाक्य में कहा गया धुआँ रूप निङ्ग (हेतु) अवयव्यतिरेकी हुआ।

केवलान्वयी— अवयवमात्रव्याप्तिक केवलान्वयी तक सग्रह। उपयुक्त अवयव व्याप्ति और व्यतिरेक अर्थात् इन दोनों में से केवल अवयव व्याप्ति का दृष्टान्त जिसमें उपलब्ध होता हो और व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टान्त उपलब्ध न हो ऐसे लिङ्ग को केवलान्वयी कहते हैं। जैसे घटो यमभिधय प्रमेयत्वात्। यहा पर दिया गया प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयी है क्योंकि जहा जहा प्रमेयत्व होता है वहा वहा अभिधयत्व होता है। जैसे पट। इस प्रकार सपक्ष में स्थित अवयव व्याप्ति का दृष्टान्त तो मिलता है किंतु जहा जहा साध्य अभिधयत्व का अभाव होता है वहा-वहा हेतु प्रमेयत्व का अभाव होना चाहिये। विपक्ष में स्थित ऐसी व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टान्त नहीं मिलता। क्योंकि ससार के समस्त पदार्थ अभिधय हैं। अत यहा कहा गया प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयी होता है।

केवल व्यतिरेकी — 'केवलव्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकी' -तक सग्रह । जहाँ केवल व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टान्त मिलता है और अन्वय व्याप्ति का दृष्टान्त नहीं मिलता ऐसे लिङ्ग को केवल व्यतिरेकी कहते हैं । जैसे— जीवत शरीर सात्मक प्राणादिमत्वात् । यहाँ पर दिया गया प्राणादिमत्त्व हेतु केवल व्यतिरेकी है । क्योंकि जो जो आमायुक्त नहीं होता है वह प्राणादिमान् भी नहीं होता । जैसे—घट । इस प्रकार विपक्ष में हेतु के अभाव रूप व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टान्त तो मिलता है किन्तु जो प्राणादिमान् होता है वह आमा युक्त होता है— इस अन्वयव्याप्ति का कोई दृष्टान्त नहीं मिलता । क्योंकि प्राणादिमान् मात्र का पक्ष में समावेश होने से कोई शेष रहता ही नहीं है जिसका सपक्ष स्थित रूप में दृष्टान्त दिया जा सके । अतः प्राणादिमत्त्व हेतु केवल व्यतिरेकी होता है ।

यायोक्त अनमान के भेद

इसी प्रकरण में पूर्व में अनुमान के न्यायोक्त भेदों की संक्षिप्त चर्चा की जा चुकी है । यहाँ उस पर विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है ।

यायदशन के अनुसार अनुमान तीन प्रकार का होता है । यथा— अथ तत्पवक त्रिविधमनमानम्-पूववत शेषवत सामान्यतोदृष्ट च । — या द १।१।५ अर्थात् उपयुक्त दोनों (स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान) अनुमान तीन प्रकार के होते हैं— पूर्ववत् शेषवत् एवं सामान्यतो दृष्ट ।

पववत् — यत्र कारणेन कायमनमीमते तत्पूववत् अर्थात् जहाँ कारण से काय का अनुमान किया जाता है वह पूर्ववत् अनुमान होता है । जैसे—मेघ को देखकर वृष्टि का अनुमान अथवा बीज से फल का अनुमान करना । भविष्यकालीन अनुमान का भी यही उदाहरण है । पूर्ववत् का दूसरा अर्थ होता है पहले की तरह—अर्थात् जसे पहले धुआँ और अग्नि का साहचर्य देखा था उसके समान पुनः यहाँ धुआँ देख कर अग्नि का निश्चय करना । अथवा पूर्ववत् का अभिप्राय अन्वय व्याप्ति वाला अर्थात् केवलान्वयी अनुमान ।

शेषवत् — यत्र कारणेन कारणमनुमीयते तत् शेषवत् अर्थात् जहाँ काय से कारण का अनुमान किया जाता है वहाँ शेषवत् अनुमान होता है । जैसे गर्भ को देखकर कर मीथुन का या बीज को देखकर भूतकालीन फल का अनुमान करना । यही उदाहरण अतीतकाल के अनुमान का भी है । शेषवत् का अन्य अर्थ होता है परिशेषानुमान । जैसे शब्द गण है तो वह किसी द्रव्य में रहना चाहिए । किन्तु पृथ्वी जल तेज वायु काल दिशा आमा और मन इन आठ द्रव्यों में से किसी में भी नहीं पाया जाता है । अतः

इन आठ द्रव्यों के अतिरिक्त किसी अय द्रव्य में अर्थात् नवम द्रव्य आकाश में उसे रहना चाहिए। इस प्रकार यह अनुमान शेषवत् अर्थात् परिशेषानुमान होता है। शेषवत् का तात्पर्य व्यतिरेक व्याप्ति वाला अर्थात् केवल व्यतिरेकी होता है।

सामान्यतो दष्ट— सामान्यतो दष्ट कायकारणभिन्नलिङ्गकम्। सामान्य लिङ्ग से अर्थात् काय कारण से भिन्न अन्य किसी लिङ्ग से जो अनुमान किया जाता है वह सामान्यतो दष्ट कहलाता है। जैसे एक स्थान पर देखे गये किसी व्यक्ति को जब दूसरे स्थान पर देखा जाता है तब उस व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचना गतिपूर्वक ही होता है। अर्थात् गति के बिना वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच सकता है। इसी प्रकार सूर्य की गति यद्यपि प्रयक्ष रूप से देखने में नहीं आती है तथापि उसका पूर्व से पश्चिम में पहुँचना गति के बिना सम्भव नहीं है। अतः उसकी भी कोई गति अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार जो निश्चय या अनुमान किया जाता है वह सामान्यतो दष्ट अनुमान कहलाता है। अथवा सामान्यतो दष्ट का अभिप्राय यह भी है कि लिङ्ग और लिङ्गी का सम्बन्ध प्रयक्षत होने पर जब केवल लिङ्ग के सामान्य ज्ञान से लिङ्गी का अनुमान किया जाता है तो वह सामान्यतो दष्ट कहलाता है। जैसे इच्छा आदि लिङ्ग के द्वारा अप्रयक्ष आत्मा का अनुमान करना। सामान्यतो दष्ट के एक अन्य अभिप्राय के अनुसार अघ्य तथा व्यतिरेक व्याप्ति वाला अर्थात् अन्वय व्यतिरेकी।

प्रस्तुत अनुमान प्रमाण भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल— इन तीनों कालों में विद्यमान पदार्थों को विषय करता है। गम दशन से मथुन का अनुमान भूतकालीन हुआ बीज दशन से अनागत फल का अनुमान भविष्य कालीन हुआ और धम दशन से अग्नि का अनुमान वर्तमान कालीन हुआ।

हेतु का स्वरूप और भेद

अनुमान प्रमाण की सिद्धि के लिए उसके साधक जिस कारण अथवा साधन की आवश्यकता रहती है वह हेतु कहलाता है। अनुमान की सिद्धि पणत हेतु पर ही निर्भर होती है। हेतु के बिना अनुमान की सिद्धि सम्भव नहीं है। यही कारण है कि अनुमान के साधन में हेतु का अति विशिष्ट महत्व है। अनुमान के साधन में जो पञ्चावयव अपेक्षित हैं उनमें हेतु प्रमुख है। पञ्चावयव के अन्तर्गत प्रतिज्ञा के ज्ञान के साधन के लिए हेतु की अनिवार्यता के कारण ही उसका महत्व एवं उपयोगिता है। जैसे— पञ्चतोष्य बह्निभान् चमात् यहाँ पर धूम प्रयक्ष हेतु है। इसी प्रकार अयमातुरो मन्दाग्निर्वात् अर्थात् मन्दाग्नि होने से यह रोगी है। यहाँ पर मन्दाग्नि हेतु है। महर्षि चरक ने अग्नि

(जाठरारि) का ज्ञान पाचन शक्ति के द्वारा और बल का ज्ञान (अनुमान) व्यायाम शक्ति के द्वारा होना बतलाया है ।

आयुर्वेद शास्त्र में ऐसे अनेक भाव हैं जिनका ज्ञान हेतु की अपेक्षा रखता है । इसीलिए महर्षि चरक ने हेतु का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया है जो सार्थक एवं समीचीन है—

हेतुर्नामोपलब्धिकारणं तत्प्रत्यक्षमनमानमेतिह्यमौगम्यमिति एभिर्हेतुभि-
र्बहुपलम्यते तत्तत्त्वम् —चरक संहिता विमान स्थान ८/३३

अर्थात् उपलब्धि (ज्ञान) का कारण हेतु होता है । वह कारण प्रत्यक्ष अनुमान एतिह्य और उपमान रूप होता है । इन हेतुओं से जो प्राप्त होता है वही तत्त्व (यथाथ) है ।

यहां पर चरक ने हेतु चार प्रकार का बतलाया है जो आयुर्वेद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । प्रत्यक्ष हेतु का उदाहरण धमात द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है । अनुमान हेतु भी मदाग्नि एवं व्यायाम शक्ति के द्वारा स्पष्ट किए गए हैं । इसी प्रकार ऐतिह्य और उपमान हेतु भी होते हैं । आयुर्वेद में ऐतिह्य से आप्तोपदेश वेद आदि का ग्रहण किया गया है । यथा— एतिह्य नामाप्तोपदेशो बवाधि । (चरक संहिता विमान स्थान १३४) पुनजम मोक्ष आदि अदृष्ट भावों का ज्ञान आप्तोपदेश या वेदवाक्य आदि से होता है । अतः पुनजम मोक्ष आदि अदृष्ट भावों के ज्ञान में ऐतिह्य कारण या हेतु है ।

इसी भाँति उपमान हेतु को भी ज्ञान का कारण या साधन माना गया है । दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य के आधार पर एक (प्रसिद्ध वस्तु) से दूसरे (अप्रसिद्ध विषय) का ज्ञान कराना उपमान होता है । जैसे दड से दडक रोग का धनुष से धनुस्तम्भ रोग का ज्ञान होना । इसे यो समझा जा सकता है कि आयुर्वेद के किसी विद्यार्थी को दण्डक रोग का ज्ञान नहीं था । उसे उसके आचार्य ने बतलाया कि— दण्डवत्स्तम्भ-गात्रस्य दण्डक । (च वि अ २) कालांतर में वह एक ऐसे रोगी को देखता है जिसका शरीर दण्डवत् स्तम्भ है । तत्काल वह अनुमान लगा लेता है कि रोगी दण्डक रोग से पीड़ित है । इसी प्रकार धनुस्तम्भ व्याधि का भी अनुमान लगाया जा सकता है । इस प्रकार यह औपम्य हेतु होता है ।

इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न दर्शनकारों ने भिन्न भिन्न रूप से हेतु स्वरूप की भीमार्सा की है और उसके अलग-अलग प्रकार बतलाए हैं । नैयायिक पक्षमत्त्व सपक्षसत्त्व विपक्ष व्यावृत्ति अबाधित विषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्व इस पक्ष रूप धाला हेतु मानते हैं । हेतु का पक्ष में रहना समस्त सपक्षों में या किसी एक पक्ष में रहना

किसी भी विपक्ष में नहीं पाया जाना प्रत्यक्ष आदि से साध्य का बाधित नहीं होना और तुल्य बल वाले किसी प्रतिपक्षी हेतु का नहीं होना ये पांच बान प्रत्येक सद् हेतु के लिए नितात आवश्यक है। इसका समर्थन 'यायवार्तिककार उद्योतकर ने भी किया है। नयायिक अन्वय अवयव पतिरेकी केवलावय और केवल व्यतिरेकी उम त्रिविध स्वरूप वाला हेतु भी मानते हैं। प्रसम्तपाद भाष्य में हेतु के त्रैरूप्य का ही प्रतिपादन किया गया है।

बौद्ध भी हेतु क त्रैरूप्य को स्वीकार करके अबाधित विषयत्व को पक्ष के लक्षण से ही अनुगत कर लेते हैं। अपने साध्य के साथ निश्चित त्रैरूप्य वाले हेतु में समान बन जाने किसी प्रतिपक्षी हेतु की सम्भावना ही नहीं की जा सकती। अतः उनकी दृष्टि में अमत्पतिपक्ष व अनावश्यक हो जाता है। इस प्रकार हेतु का त्रैरूप्य मानने वाले तीन रूपों को हेतु का अत्यंत आवश्यक स्वरूप मानते हैं और इसी त्रिरूप हेतु को साधनाङ्ग कहते हैं और इनकी यत्नता को असाधनाङ्ग वचन कहकर निग्रह स्थान में सम्मिलित करते हैं। इसमें पक्षधमव असिद्धत्व दोष का परिहार करने के लिए है मपक्षसत्त्व विरुद्धत्व का निराकरण करने के लिए तथा विपक्ष यावति अनकान्तिक दोष की यावति के लिए है।

जन दशन में केवल अयथानुपपत्ति या अविनाभाव को ही हेतु का स्वरूप माना गया है। जिनका अविनाभाव निश्चित है उसके साध्य में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधा ही नहीं आ सकती। यदि वह बाधित है तो साध्य कदापि नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिन हेतु का अपने साध्य के साथ समग्र अविनाभाव है उसका तुल्य बलशाली प्रतिपक्षी प्रति हेतु सम्भव ही नहीं है। अतः जन दशनकारों की दृष्टि में अविनाभाव ही एक मात्र हेतु स्वरूप हो सकता है। अविनाभाव को केवल तादाम्य और तदुत्पत्ति में ही नहीं बाधा गया है। किंतु उसका व्यापक क्षेत्र निश्चित किया गया है। अविनाभाव सहभाव और क्रमभाव मूलक होता है। अविनाभाव के इसी व्यापक स्वरूप को आधार बनाकर जन दशन में हेतु के निम्न भेद स्वीकार किये गए हैं—स्वभाव व्यापक काय कारण पूर्वचर उत्तगचर और सहचर। सामान्यतः हेतु के दो भेद भी बतलाए गए हैं— एक उपलब्धि रूप और दूसरा अनुपलब्धि रूप।

वैशेषिक सूत्र में एक स्थान पर काय कारण सयोगी समवायी और विरोधी इन पांच प्रकार के लिङ्गों का निदर्श मिलता है। (देखिये ६/२/१) अन्यत्र (३ ११ २३ में) अभूत भूत का भूत-अभूत का और भूत भूत का इस प्रकार तीन हेतुओं का वर्णन मिलता है। बौद्ध मतानुसार स्वभाव काय और अनुपलब्धि तीन प्रकार का हेतु होता है।

हेतु सामान्यत दो प्रकार का होता है— सद् हेतु और असद् हेतु । जो हेतु देश और काल के भेद बिना साध्य के साथ पाया जाता है साध्य के साथ अन्य कहीं प्रसिद्ध ही और साध्य के अभाव में कहीं भी प्राप्त न होता हो वह सद् हेतु कहलाता है । वस्तुतः इसी के द्वारा अनुमान की सिद्धि होती है । इसी को यथाथ हेतु भी कहते हैं ।

अहेतु, असदहेतु या हेत्वाभास

उपयुक्त हेतु के विपरीत जो हतु होता है वह असद् हेतु या अहेतु कहलाता है । यह वस्तुतः हेतु न होते हुए भी हेतु के समान प्रतिभासित होता है । अतः हेतु न होते हुए भी हेतवत् आभास होने के कारण यह हेत्वाभास भी कहलाता है । जसा कि कहा गया है—

हेतवदाभासन्ते न त वास्तविकहेतवस्ते हेत्वाभासाः । असिद्धेतव इत्यर्थः ।

महर्षि चरक ने अहेतु का वर्णन करते हुए उसे तीन प्रकार का बतलाया है । जैसे १ प्रकरण सम २-सशय सम और ३-वण्य सम ।

इनका प्रतिपादन निम्न प्रकार किया गया है—

प्रकरण सम— तत्र प्रकरणसमो नाभाहेतुयथा— अन्य शरीरावात्मा नित्य इतिपक्ष च यात यस्म वन्य शरीरावात्मा तस्मान्नित्य शरीरभनित्यमतो विधमिषा चात्प्रभवा भवितव्यमित्येष चाहेतु न हि य एव पक्ष स एव हेतु ।

—चरक संहिता विमान स्थान ८/६४

अर्थात् प्रकरण सम अहेतु (हेत्वाभास) वह होता है जैसे शरीर से अय (मिन्न) आ-मा निय है यह पक्ष होने पर कहे—चूँकि आत्मा शरीर से भिन्न है अतः आत्मा नित्य है । शरीर अनित्य है त आत्मा को उससे विपरीत धम या गुणवान होना चाहिये—यह हेत्वाभास है । यहाँ आ-मा का नित्यता पक्ष है वह ही शरीर से भिन्नता का हेतु हो नहीं सकती । क्योंकि जो पक्ष हो वही हेतु नहीं होता है । अपनी ही स्थापना में अपनी ही कारणता सम्भव नहीं है ।

प्रकरण सम के विषय में न्याय दखन का मत है—

‘यस्मात् प्रकरणचिन्ता स एव निर्णयार्थमपविष्ट प्रकरणसम ।

अर्थात् जिससे प्रकरण का विचार हो रहा हो वह नियम के लिए निर्मित भान लिया जाय तो वह प्रकरण सम हेत्वाभास होता है । यहाँ पर शरीर से भिन्न आत्मा की नित्यता का प्रकरण है । इसे (शरीर से भिन्नता) ही यदि आत्मा की नित्यता की सिद्धि में हेतु मान लिया जाय तो वह प्रकरणसम हेत्वाभास कहलायेगा ।]

सशय सम— संशय समो नाभाहेतुर्य एव सशयहेतुः स एव संशयच्छेद हेतुः यथा—

अयमायुर्वेदकेशामाह किन्त्वय चिकित्सक स्यान्नवेति सशये परो ब्रूयात्—यस्मात्प्रय-
मायुर्वेदकेशामाह तस्माच्चिकित्सकोऽयमिति न च सशयहेतु विशययत्येष चाहेतु न हि
य एव सशयहेतु स एव सशयच्छेदहेतुर्भवति । —चरक संहिता विमान स्थान ८/६५

अर्थात् सशय सम उस हेत्वाभास को कहते हैं जो सशय का कारण हो वही सशय के नाश का कारण हो । जैसे—इसने आयुर्वेद के एक भाग को कहा है अतः क्या यह चिकित्सक है या नहीं ? ऐसा सशय उत्पन्न होने पर दूसरा कहे कि चूँकि इसने आयुर्वेद के एक भाग को कहा है अतः यह चिकित्सक है । इसमें संशय के नाश का हेतु भिन्न नहीं बतलाया गया है अतः यह सशयसम अहेतु या हेत्वाभास है ।

सामान्यतः जो सशय का हेतु हो वह सशय के नाश का कारण नहीं हो सकता है । याय दर्शन में इसे सव्यभिचार के अतगत माना गया है । न्यायशास्त्र के प्रणता मुनि वात्स्यायन ने इस विषय में कहा है— यथ समानो घम सशयकारण हेतुत्वे नोपादीयते स सशयसम सव्यभिचार एव । अर्थात् जहाँ पर समान घम सशय का कारणभूत हेतुत्व रूप से ग्रहण किया जाता है वह सशयसम अहेतु है जो सव्यभिचार होता है ।

उपयुक्त वाक्य में आयुर्वेद के एक देश के कथन को चिकित्सक और अचिकित्सक में समान और सशय का कारण माना गया है । उसे ही हेतु रूप में ग्रहण करना सशय सम हेत्वाभास है । क्योंकि आयुर्वेद के एक देश का कहना—यह हेतु है और चिकित्सक होना या न होना इस सशय का कारण भी है अतः यह अनकान्तिक है । अनकान्तिक होने से यह व्यभिचार युक्त है । इसीलिए न्याय दर्शन में इस हेतु को सव्यभिचार माना गया है ।

वष्य सम—वष्यसमो नामाहेतुर्यो हेतुवर्ण्योविशिष्ट यथा परो ब्रूयात् अस्पश
त्वाव बुद्धिरनित्या शब्दवदिति अत्र वष्य शब्दो बुद्धिरपि वर्ण्य तदुभयवर्ण्योवि
शिष्टत्वाद्दृश्यसमोऽयमहेतुः ।
—चरक संहिता विमान स्थान ८/६६

अर्थात् वष्यसम अहेतु (हेत्वाभास) वह होता है जो हेतु वष्य से भिन्न न हो । जैसे—कोई दूसरा कहे कि स्पश नहीं होने से बुद्धि अनित्य है शब्द की तरह । यहाँ पर शब्द वर्ण्य (वर्णन किए जाने योग्य) है बुद्धि भी वर्ण्य है । दोनों वर्ण्यों के अविशिष्ट होने से वष्यसम अहेतु होता है ।

उपयुक्त कथन को निम्न प्रकार समझना चाहिए—बुद्धि अनित्य है—यह प्रतिज्ञा है । स्पर्श नहीं होने से—यह हेतु है । शब्द की तरह—यह दृष्टान्त है । जैसे शब्द स्पश रहित होने से अनित्य होता है उसी तरह बुद्धि भी स्पश रहित होने से अनित्य है । उदाहरण के साधक से साध्य का साधक हेतु कहलाता है और उदाहरण उसे कहते हैं जिसमें मूर्ख और विद्वान की बुद्धि एक समान हो । ऐसी बात लोक और शास्त्र दोनों में

प्रसिद्ध होती है। यहाँ बुद्धि और शब्द दोनों वर्ण्य हैं। जिस अस्पर्शत्व होने से अनित्य स्वरूप में बुद्धि साध्य है उसी प्रकार शब्द भी। सामान्यतः साध्य कभी भी दृष्टान्त नहीं होता है। उन बुद्धि और शब्द दोनों के वर्ण्य होने से तुल्य होने पर और दोनों ही स्वाक पद अस्पर्शत्व के साध्य होने से अस्पर्शत्वात् यह हेतु वर्ण्य सम है। अर्थात् जो हेतु वर्ण्य-साध्य के समान है वह वर्ण्य सम कहलाता है।

हेत्वाभास के सम्बन्ध में महर्षि गौतम का निम्न कथन भी महत्वपूर्ण है—

साध्याविशिष्ट साध्यत्वात् साध्यसम ।

अर्थात् साध्यत्व होने से साध्याविशिष्ट साध्यसम होता है।

जातियो मे कहा है—

साध्यवृष्टान्तयो साधर्म्याद् वर्ण्यसम ।

अर्थात् साध्य और दृष्टान्त में साधर्म्य (समानता) होने से वर्ण्यसम होता है।

ऊपर जो बुद्धि की अनित्यता को साध्य मानकर शब्द का उदाहरण दिया गया है—उसमें साध्य और दृष्टान्त दोनों में समानता है। साध्य के साधन के लिए प्रस्तुत किया गया हेतु दृष्टान्त पर भी लागू होता है। अर्थात् अनित्य बुद्धि की भाँति अनित्य शब्द का भी स्पर्श नहीं होता है। जो हेतु (अस्वात्वाद्) प्रस्तुत किया गया है वह साधर्म्य वाले साध्य और दृष्टान्त दोनों में लागू होने से असिद्ध होता है। असिद्ध होने से वह अहेतु या हेत्वाभास कहलाता है। इस प्रकार वह वर्ण्य सम अहेतु होता है।

तार्किक लोगो ने सहस्राधिक हेत्वाभास माने हैं। गौतम ने पाच प्रकार के हेत्वाभास का वर्णन किया है। यथा १-सव्यभिचार २ विरुद्ध ३ प्रकरण सम ४-साध्य सम ५-अतीत काल। न्याय दर्शन में जो पाच हेत्वाभास स्वीकृत किए गए हैं वे निम्न लिखित हैं— सव्यभिचारविरुद्ध सत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिता पचहेत्वाभासस्तः। अर्थात् सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा असिद्ध और बाधित ये पाच हेत्वाभास होते हैं।

(१) सव्यभिचार — 'सव्यभिचारोऽनेकान्तिक' अर्थात् अनेकान्तिक हेतु को सव्यभिचार कहते हैं। जो हेतु सदा अपने साध्य के साथ ही न रहे वह सव्यभिचार कहलाता है। अर्थात् कभी साध्य में और कभी असाध्य में जिसकी उपलब्धि होती है वह सव्यभिचार हेतु कहलाता है। यह सव्यभिचार हेतु तीन प्रकार का होता है—साधारण असाधारण और अनुपसहारी।

(१) साधारण सव्यभिचार हेतु— 'साध्याभासवद्बुद्धि साधारणोऽनेकान्तिकः' — जो हेतु साध्य के अभाव स्थान में भी उपलब्ध रहता है वह साधारण सव्यभिचार हेतु कहलाता है। जैसे—'पूर्वतोऽप्रयमग्निमान् प्रमेयत्वात्' अर्थात् यह पूर्वतः अग्निवाला है, प्रमेय होने से। यहाँ पर पूर्वतः में अग्नि की सिद्धि के लिए जो हेतु दिया गया है वह

अग्नि के अभाव स्थल जलाशय में भी विद्यमान रहता है। जबकि हेतु को केवल अपने पक्ष में ही रहना चाहिए विपक्ष में नहीं। साधारण से अभिप्राय यह है कि प्रमेयत्व हत केवल अग्नि का साधक नहीं है अपितु वह ससार के समस्त पदार्थों का साधक है। समस्त पदार्थों में सामान्यतः इस हेतु की उपलब्धि होने के कारण यह साधारण हेतु है। यह हत अनेक पदार्थों से सम्युक्त होने के कारण अनेकान्तिक भी है। यह एक धर्म न होकर अनेक धर्मों में है। अतः यह साधारण अनेकान्तिक अथवा साधारण सव्यभिचार हेतु कहलाता है।

(1) असाधारण सव्यभिचार हत — सव्यसपक्षविपक्षव्यावृत्त पक्षमात्रवृत्ति रसाधारण। यथा-शब्दो नित्य शब्दत्वात्। वह हेतु जो किसी भी सपक्ष या विपक्ष में न रह कर केवल पक्ष में ही उपस्थित रहता हो असाधारण सव्यभिचार हत कहलाता है। जिस शब्द नियम है शब्दत्व होने से। वस्तुतः शब्दत्व केवल शब्द में ही विद्यमान रहता है। किसी नित्य या अनित्य वस्तु में नहीं। अतः शब्दत्व हत केवल पक्ष (शब्द) में रहने के कारण असाधारण सव्यभिचार होता है।

(11) अनुपसहारी सव्यभिचार हेतु — अवयवव्यतिरेकदृष्टान्तरहितोऽनुपसहारी। यथा — सबन्नियम प्रमेयत्वात् अर्थात् अवयव और व्यतिरेक के दृष्टान्त से रहित हेतु अनुपसहारी सव्यभिचार कहलाता है। जैसे — सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने से। यहाँ पर जो हत दिया गया है वह सब कुछ की अनित्यता सिद्ध करने के लिए है। किन्तु सब कुछ पक्ष होने के कारण सपक्ष के लिए अथवा विपक्ष के लिए कुछ नहीं बचता। इससे न सपक्ष का दृष्टान्त मिलता है और न विपक्ष का। अतः यह हेतु अन्वय और व्यतिरेक क दृष्टान्त से रहित है।

(2) विरुद्ध हेत्वाभास — साध्याभावव्याप्तो हेतुविरुद्ध। यथा — शब्दो नित्य कृतकत्वात्। अर्थात् साध्य के अभाव से युक्त हत विरुद्ध कहलाता है। यानि जिस हत के साथ उसके साध्य का अभाव रहता है वह विरुद्ध हेतु होता है। जैसे शब्द नित्य है उत्पन्न होने से। यहाँ पर शब्द का नित्यत्व साध्य है और उसकी सिद्धि के लिए कृतकत्व (उत्पन्न होना) हेतु दिया गया है। यह हेतु साध्य के सवधा विपरीत है। क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह कभी नित्य नहीं हो सकता। अतः शब्द भी उत्पन्न होने से नियम नहीं कहला सकता।

(3) सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास — साध्याभावसाधकं हत्वन्तर यस्य सत्प्रतिपक्ष-यथा-शब्दो नित्य-श्रवणत्वात् शब्दत्वत्। — साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला अन्य हेतु भी जिसका विद्यमान रहता है वह सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहलाता है। जैसे शब्द नियम है श्रवणत्व होने से शब्दत्व के समान। इस प्रतिज्ञा वचन में शब्द का नित्यत्व सिद्ध करने के लिए श्रवणत्वात् हेतु दिया गया है। किन्तु इसके विपरीत

शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला अन्य हेतु भी उपस्थित है। जिससे शब्द के नित्यत्व साधन में बाधा उपस्थित होती है। जैसे— 'संज्ञोऽनित्य' कार्यत्वात् घटवत्। यहा पर कार्यत्वात् इस हेतु के द्वारा शब्द की अनित्यता सिद्ध का गई है। अतः शब्द के नित्यत्व साधक के विपरीत उसका अनित्यत्व साधक हत्वन्तर विद्यमान होने से प्रथम हत सत्प्रतिपक्ष कहलाता है।

४ असिद्ध हेत्वाभास— जो हेतु स्वयं ही सिद्ध न हो वह असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। वह तीन प्रकार का होता है— आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध।

[1] आश्रयासिद्ध हेत्वाभास— यस्य हेतो आश्रय पक्ष अप्रसिद्ध स हेतु आश्रयासिद्ध — अर्थात् इस प्रकार का हेतु जो स्वयं अपने पक्ष में रहता हुआ भी असिद्ध हो अथवा जिसका आश्रय ही स्वयं असिद्ध हो अर्थात् जिस आश्रय की कभी सिद्धि नहीं की जा सकती वह आश्रयासिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। जैसे— 'व्यनारविन्द सुरभि अरविन्दस्वात सरोजारविन्दवत। यहा पर आकाश कमल की सुगन्धि को अनुमान के द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है और उसकी सिद्धि के लिए अरविन्दत्व हत प्रस्तुत किया गया है। किन्तु यहा पर अरविन्दत्व रूप हेतु का आश्रय आकाश कमल बतलाया गया है जो स्वयं असिद्ध है। आकाश में कभी कमल उत्पन्न नहीं होता। अतः प्रतिज्ञा वाक्य की सिद्धि के लिए प्रस्तुत किया गया हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है। क्योंकि आश्रय भूत आकाश में अरविन्द (कमल) की मत्ता ही विद्यमान नहीं है फिर उसकी सुगन्धि कैसे सिद्ध की जा सकती है? अतः इस प्रकार के साध्य की सिद्धि के लिए जो हेतु प्रस्तुत किया जाता है उसके द्वारा कभी भी साध्य की सिद्धि होना सम्भव नहीं होने से वह आश्रयासिद्ध हेत्वाभास कहलाता है।

[1.] स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास यो हेतु आश्रये पक्ष प्रावगम्यते स स्वरूपासिद्ध। जिस साध्य का स्वरूप ही असिद्ध रहता है उसकी सिद्धि के लिए जो हेतु दिया जाता है वह स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। क्योंकि उस हेतु के द्वारा साध्य के स्वरूप की सिद्धि किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होती। जैसे— शब्दो नित्यश्चाक्षुषत्वात् अर्थात् शब्द नित्य होता है चाक्षुष होने से। यहाँ पर शब्द का नित्यत्व चाक्षुष हेतु के द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु शब्द देखा नहीं जाता अपितु सुना जाता है। जो वस्तु देखी नहीं जा सकती उसका कोई स्वरूप भी नहीं होता। अतः स्वरूप रहित वस्तु की सिद्धि के लिए चाक्षुषत्व हेतु सबधा अस्मिद्ध होता है। इस प्रकार का हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कहलाता है।

[111] व्याप्यत्वासिद्ध हत्वाभास सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वासिद्ध । अर्थात् उपाधियुक्त हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध हत्वाभास कहते हैं । उपाधि उसे कहते हैं जो साध्य का व्यापक हो किन्तु साधन का व्यापक न हो । साध्य के अत्यन्त अभाव स्थल में उपाधि रूप प्रतियोगी का होना ही साध्य का व्यापक होना है । साधन के साथ उपाधि के अभाव का रहना साधन का अव्यापक होना कहलाता है । जैसे पर्वतोद्भव धूमवान् बह्निमत्त्वात् इस उदाहरण में धूम साध्य है और बह्नि साधन है । केवल बह्निमान् हेतु धूम को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है । क्योंकि अयोगोलक में बह्नि के होते हुए भी धूम नहीं होता । जब बह्नि के साथ आद्र धन का संयोग होता है तब धूम होता है । किन्तु बह्नि मात्र के साथ आद्र धन का संयोग भी सर्वत्र नहीं होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि साध्य धूम के साथ आद्र धन का संयोग रहता है किन्तु साधन बह्नि के साथ आद्र धन का संयोग सर्वत्र नहीं रहता । अत आद्र धन संयोग हुआ उपाधि और इस उपाधि युक्त होने से बह्निमत्त्व हेतु सोपाधिक अर्थात् व्याप्यत्वासिद्ध हुआ ।

(५) बाधित हत्वाभास यस्य हेतु साध्याभाव प्रमाणान्तरेण निश्चित स हेतु बाधित । यथा-बह्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात् — जिस हेतु के साध्य का अभाव दूसरे प्रमाण के द्वारा निश्चित रूप से सिद्ध हो उसे बाधित कहते हैं । जैसे—अग्नि अनुष्ण (शीतल) है द्रव्य होने से । यहाँ अग्नि का अनष्णत्व साध्य है । किन्तु उसका अभाव अर्थात् उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध है । अत इस साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित होने से यह बाधित हत्वाभास कहलाता है ।

व्याप्ति विमर्श

अनुमान प्रकरण में व्याप्ति का विशिष्ट महत्व है । क्योंकि व्याप्ति के बिना अनुमान की सिद्धि होना सम्भव नहीं है । अत व्याप्ति को अनुमान का मूल आधार माना गया है । व्याप्ति शब्द का निर्माण वि + आप्ति इन दो शब्दों से हुआ है । इसके अनुसार विशेषण आप्ति अर्थात् विशेष रूप से प्राप्ति या लाभ होना । प्रस्तुत प्रकरण में आप्ति का अभिप्राय सहभाव या सह सम्बन्ध लिया गया है । इसी आधार पर तर्क सप्रश्न में व्याप्ति का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया गया है ।

यत्र यत्र बन्धस्तत्र तत्र बह्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः ।

अर्थात् जहाँ धुआँ होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है—यह साहचर्य नियम ही व्याप्ति है । यहाँ यह स्पष्ट है कि व्याप्ति दो द्रव्यों के पारस्परिक जुड़े हुए (साहचर्य) सम्बन्ध को दर्शाता है । अर्थात् यह व्यापक और व्याप्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करता है ।

व्यापक वह होता है जो व्याप्य करता है और व्याप्य वह होता है जिसमें व्याप्य रहता है। वहा यह भी स्मरणीय है कि व्यापक व्याप्य के बिना पाया जा सकता है किन्तु व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रह सकता। जैसे अग्नि और धुआं। यहा अग्नि व्यापक और धुआं व्याप्य है। अग्नि धुए के बिना तो रह सकती है किन्तु धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता।

कतिपय आचार्य अविनाभाव सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। अर्थात् एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के बिना नहीं होना। यदि कोई ऐसा द्रव्य है जो अपने सहभावी द्रव्य के बिना नहीं रह सकता है तो उन दोनों द्रव्यों के पारस्परिक सम्बन्ध को अविनाभाव सम्बन्ध कहा जाता है। जैसे गुण गुणी (द्रव्य) के बिना नहीं रह सकता है। इसे और अधिक स्पष्ट एवं व्यापक करते हुए कहा गया है—साध्य और साधन के सार्वकालिक सार्वदेशिक और सार्वव्यक्तिक अविनाभाव सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। जैन दशम के अनुसार यद्यपि सम्बन्ध द्वयनिष्ठ होता है किन्तु वस्तुतः वह सम्बन्धियों की अवस्था विशेष ही है। सम्बन्धियों को छोड़ कर सम्बन्ध कोई पृथक् वस्तु नहीं है। उसका वणन या व्यवहार अवश्य दो द्रव्य के बिना नहीं हो सकता किन्तु स्वरूप प्रत्येक पदार्थ की पर्याय से भिन्न नहीं पाया जाता है। इसी तरह अविनाभाव या व्याप्ति उन पदार्थों का स्वरूप ही है जिनमें यह बतलाया जाता है। साध्य और साधन भूत पदार्थों का वह धर्म व्याप्ति कहलाता है जिसके ज्ञान और स्मरण से अनुमान की भूमिका तैयार होती है। साध्य के बिना साधन का नहीं होना और साध्य के होने पर ही होना ये दोनों धर्म एक प्रकार से साधननिष्ठ ही हैं। इसी प्रकार साधन के होने के पर साध्य का होना ही यह साध्य का धर्म है। साधन के होने पर साध्य का सोना अन्वय कहलाता है और साध्य के अभाव में साधन का नहीं होना व्यतिरेक कहलाता है। यद्यपि अविनाभाव का शब्दाथ व्यतिरेक व्याप्ति तक ही सीमित लगता है परन्तु साध्य के बिना नहीं होने का अर्थ है साध्य के होने पर ही होना। यह अविनाभाव रूपादि गणों की भाँति इन्द्रिय ग्राह्य नहीं होता किन्तु साध्य और साधन भूत पदार्थों का ज्ञान करने के बाद स्मरण सादृश्य प्रत्यभिज्ञान आदि की सहायता से जो एक भानस विकल्प होता है वही इस अविनाभाव को ग्रहण करता है।

व्याप्ति का निर्दोष होना आवश्यक है। अर्थात् वह व्यभिचार एवं अनेकान्तिक दोष से मुक्त होना चाहिए। साधन और साध्य रूप द्रव्य यदि एक दूसरे से पृथक्, एक दूसरे के अभाव में भी पाए जाते हैं तो वह व्यभिचार दोष कहलाता है। अतः व्याप्ति की व्यभिचार दोष से मुक्त होना चाहिए। अविनाभाव सम्बन्ध रूप व्याप्ति में इस प्रकार के दोष की कल्पना निमूँ श ही जाती है। इसके अतिरिक्त व्याप्ति सम्बन्ध

एकान्तिक होना चाहिए अनेकान्तिक नहीं। जो लिङ्ग या धर्म अपने एक ही धर्मी में (के साथ) पाया जाता है और जो एक साथ अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है वह एकान्तिक होता है। एक साथ अन्य द्रव्यों में पाया जाने वाला धर्म अनेकान्तिक होता है। जैसे चैतन्य मात्र आत्मा का धर्म है अतः वह एकान्तिक है। इसके विपरीत रौक्ष्य काठिन्य आदि भाव एक साथ अनेक द्रव्यों में पाए जाते हैं अतः वे अनेकान्तिक हैं। अविनाभाव के द्वारा इस अनेकान्तिक दोष का भी निरसन होता है। अनुमान की सिद्धि में एतद्विध निदुष्ट व्याप्ति ही साधक एवं उपयोगी होती है ?

व्याप्ति क भव—व्याप्ति दो प्रकार की होती है—अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति।

अन्वय व्याप्ति—अन्वयेन समन्विता व्याप्ति अन्वय व्याप्ति। अर्थात् अन्वय के साथ व्याप्ति का समन्वित होना अन्वय व्याप्ति कहलाता है। अन्वय का अर्थ है सहभाव यथा—तत्सव तत्सवम्बन्ध। अर्थात् एक होने पर दूसरे का होना। इसी प्रकार साधन के होने पर साध्य का होना। जैसे धुआ (साधन) के होने पर अग्नि साध्य का होना। इस प्रकार जहाँ धुआ होता है वहाँ अग्नि होती है—वह अन्वय व्याप्ति है।

व्यतिरेक व्याप्ति व्यतिरेकेण समन्विता व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। अर्थात् व्यतिरेक के साथ समन्वित व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है। अन्वय से विपरीत भाव व्यतिरेक होता है। यथा तदभाव तदभावो व्यतिरेक। अर्थात् उसके नहीं होने पर उसका नहीं होना। तात्पर्य यह है कि साध्य के अभाव में साधन का नहीं होना। जैसे साध्य (अग्नि) के अभाव में साधन (धुआ) का नहीं होना। जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ धुआ भी नहीं होता है।

दृष्टान्त

किसी विषय को समझाने के लिए तत्समान धर्मी अथ वस्तु या विषय को प्रस्तुत किया जाना दृष्टांत कहलाता है। इसे उदाहरण भी कहते हैं। अनुमान व प्रसङ्ग में जो पाँच अवयव बतलाए गए हैं उनमें उदाहरण भी एक है। महर्षि चरक ने दृष्टान्त का उल्लेख चवालीस वाद मार्ग के अन्तर्गत किया है। दृष्टान्त के विषय में उनका मतव्य निम्न प्रकार है—

अथ दृष्टान्तो नाम यत्र मल्लविवृषां बुद्धिसाम्यं यो बध्यं वर्णयति। यथा अग्निरुष्णो ब्रह्ममुदकं स्थिरा पृथिवी आदित्यं प्रकाशक इति। यथा आदित्यं प्रकाशकस्तथा सांख्यवचनं प्रकाशकमिति। —चरक संहिता विमान स्थान ८/३०

अर्थात् जिसे मूख और पण्डित दोनों की बुद्धि समान समान रूप से समझती है और जो वर्णन के योग्य विषय का वर्णन करता है वह दृष्टान्त कहलाता है। जैसे अग्नि

उत्पन्न होती है प्रतीति ब्रह्म होता है, पृथ्वी-स्थिर होती है, सूक्ष्म (अदृश्य) का प्रकाशक होता है। जिस प्रकार सूर्य पदार्थों पर प्रकाशक होता है उसी प्रकार ब्रह्मण्य कथन भी प्रकाशक (विषयों का प्रकाशन-स्पष्ट करने वाला) होता है।

उपयुक्त कथन का अभिप्राय यह है कि जहाँ सूक्ष्म और विद्वानों की बुद्धि में समता होती है अर्थात् जिस विषय को एक सामान्य या सूक्ष्म व्यक्ति जिस रूप या विस्तृत प्रमाण में समझता है उसी प्रकार उसी रूप या प्रमाण में उस विषय को पण्डित भी समझता है—वह दृष्टान्त है। ऐसे विषय का कथन या उल्लेख जो सूक्ष्म और पण्डित दोनों के लिए समान रूप से अवबोध योग्य होता है दृष्टान्त कहलाता है। इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए तथा विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य चक्रपाणि दत्त ने दृष्टान्त का निरूपण निम्न प्रकार से किया है—

लौकिकानां पण्डितानां च येषां विचारसिद्धिं स दृष्टान्तो भवति त पण्डित-मात्रसिद्धः ।

अर्थात् जो विषय लौकिक याने सामान्यजन और पण्डित दोनों के लिए विवाद से रहित या बिना किसी विवाद के सिद्ध हो वह दृष्टान्त होता है। ऐसा नहीं कि उसे केवल पण्डित ही समझे और साधारण जन की समझ में नहीं आये।

उपयुक्त का आशय यह है कि किसी गूढ़ या अगम्य विषय को समझाने के लिए किसी ऐसे विषय का कथन या प्रस्तुतिकरण जो लोक प्रसिद्ध सरल और सुबोध हो दृष्टान्त कहलाता है। अनुमान के प्रसंग में साध्य अग्नि की सिद्धि के लिए साध्यम्य रूपेण 'रसोई घर' का और वैधर्म्य रूपेण जलाशय का उदाहरण (दृष्टान्त) दिया गया है।

न्याय दर्शन में भी इसी प्रकार के भाव से उपयुक्त दृष्टान्त का स्वरूप बतलाया गया है। यथा—

लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्मूर्धे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । — न्याय दर्शन १/२५

अर्थात् जिस विषय में जन सामान्य और प्रमाण आदि के द्वारा अर्थ की परीक्षा करने वाले परीक्षक—विद्वज्जन दोनों की बुद्धि की समानता होती है वह दृष्टान्त होता है। याने जिस विषय को साधारण व्यक्ति और विद्वान् दोनों समझ सकें वह दृष्टान्त होता है।

तर्क का स्वरूप एवं महत्त्व

दर्शन शास्त्र के अनुचिततम विषयों पर विचार करने तथा प्रमेय विषयों को सिद्ध करने की एक ऐसी प्रक्रिया जो विचार मनन एवं कृपाएँ बुद्धि प्रसूत हो को तर्क कहा जाता है। अन्य विषयों की प्रकृति तर्क एक ऐसा भाव विवेक है जो परबोध ज्ञान का

साधक है। अन्य दर्शनों की अपेक्षा न्याय दर्शन में तर्क को अधिक महत्त्व दिया गया है। न्याय दर्शन तक को एक कसौटी की भाँति मानता है जिस पर प्रमेय को कसा जा सकता है। तर्क के विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं होने से तर्क सम्बन्धी विवेका में पर्याप्त भिन्नता लक्षित होती है। फिर भी सक्षेप में यह माना सकता है कि तर्क एक प्रकार का ऐसा अनुमान है जो अन्य सबसे भिन्न है क्योंकि यह किसी प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित नहीं है। यह हमें परोक्ष रूप से ठीक ज्ञान की ओर ले जाता है। वात्स्यायन के अनुसार यह हमें निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा सकता यद्यपि यह हमें इतना बतला देता है कि एक प्रस्तुत पक्ष का विपरीत असम्भव है। उद्योतकर का तर्क है कि आत्मा के विषय में तर्क हमें ऐसा कहने के योग्य नहीं बनाता कि आत्मा अनादि है अपितु केवल इतना कहने के योग्य बनाता है कि इसे ऐसा होना चाहिये। वस्तुतः तर्क अपने आप में प्रायोगिक ज्ञान का साधन नहीं है यद्यपि प्रकल्पनाओं के प्रस्तुत करने में यह मूल्यवान् सिद्ध होता है। इसी सन्दर्भ में तर्क का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया गया है—

‘प्रमानग्राहकस्तर्क । — सब सिद्धान्तसार सग्रह ६/२५

अर्थात् तर्क प्रमा (ज्ञान) का अनुग्राहक मात्र होता है।

अन्य आचार्य व्याप्ति के ज्ञान को तर्क मानते हैं। उनके अनुसार अविनाभाव अर्थात् साध्य के अभाव में साधन का नहीं होना और साधन के होने पर साध्य का होना इस नियम को सर्वोपसंहार रूप से ग्रहण करना तर्क है। इसे ऊँह भी कहते हैं। यथा—

उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूह । — परीक्षासूत्र ३/११

अर्थात् उपलम्भ-अनुपलम्भ निमित्तक सर्वोपसंहार करने वाला व्याप्ति ज्ञान ऊँह (तर्क) कहलाता है। यहाँ उपलम्भ और अनुपलम्भ शब्द से साध्य और साधन का बृहत्तर सद्भाव निश्चय और अभाव निश्चय लिया जाता है। वह निश्चय चाहे प्रत्यक्ष से हो या प्रत्यक्षेतर अन्य प्रमाण से। आचार्य अकलक देव ने प्रमाण सग्रह में प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ से होने वाले सम्भावना प्रत्यय को तर्क कहा है। किन्तु प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ शब्द से उन्हें भी उक्त अभिप्राय इष्ट है। यथा—

सम्भ्रमप्रत्ययस्तर्कं प्रत्यक्षानुपलम्भत । — प्रमाण सग्रह श्लोक १२

मीमांसक तक को एक विचारार्थक व्यापार मानते हैं और उसके लिए वैमिनी सूत्र तथा शबर भाष्य आदि में ‘ऊँह’ शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्तु उसे परिमणित प्रमाण सख्या में सम्मिलित नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि उनके मत में तर्क (ऊँह) स्वयं प्रमाण नहीं होकर किसी प्रमाण का मात्र सहायक ही सकता है। जैन दर्शन में अवग्रह के पश्चात् होने वाले संशय का निराकरण करके उसके एक पक्ष की प्रकृत सम्भावना कराने वाली शक्ति व्यापार ‘इहा’ कहा गया है। इस इहा में ‘अक्षय’ वैयाच्य

निश्चय ही नहीं है किन्तु निश्चयानुबन्धता अवश्य है। इस ईहा के पर्याय रूप में ऊह और तर्क दोनों शब्दों का प्रयोग तत्त्वार्थशास्त्र में देखा जाता है जो कि करीब-करीब नैयायिकों की विचार परम्परा के समीप है। तत्त्वार्थविद्यम शास्त्र में 'ईहा' के निम्न पर्याय दिए गए हैं—

ईहा ऊहा तर्कं परीक्षा विचारणा इत्यनर्थान्तरम्—तत्त्वार्थ भा १/१५

न्याय दर्शन में तर्क को यद्यपि १६ पदार्थों में परिगणित किया गया है किन्तु उसे प्रमाण नहीं माना गया है। वह तत्त्वज्ञान के लिए उपयोगी है और प्रमाणों का अनुप्राहक है। जैसा कि प्रतिपादित किया गया है—

'तर्को न प्रमाणसंगृहीतो न प्रमाथान्तरं प्रमाणानामनुप्राहकस्तत्राज्ञानस्य कल्पते।

—न्याय साध्या १/१/६

जयन्त भट्ट ने तर्क के विषय में अधिक स्पष्टता से लिखते हुए कहा है—

'एकपक्षानुसङ्गकारणवर्त्तमानत् तस्मिन् सम्भावनाप्रत्ययो भवितव्यतावशात् तद्वितर पक्षव्यतिर्यापादने तत्र प्राहकप्रमाणमनुप्राह्य तान् तुक्तं प्रवर्तयन् तत्त्वज्ञानार्थानुहस्तार्हकं।

—न्याय मञ्जरी पृ ५८६

अर्थात् सामान्य रूप से ज्ञात पदार्थ में उत्पन्न परस्पर विरोधी दो पक्षों में एक पक्ष को शिथिल बना कर दूसरे पक्ष की अनुकूल कारणों के बल पर कुछ सम्भावना करना तर्क का कार्य है। यह एक पक्ष की भवितव्यता को सकारण दिखा कर उस पक्ष का निश्चय करने वाले प्रमाण का अनुप्राहक होता है।

इस प्रकार तर्क प्रमाण न होते हुए भी तत्त्व ज्ञान कराने वासा प्रमाण का अनुप्राहक होता है।

द्वादश अध्याय

आप्तोपदेश प्रमाण निरूपण

आयुर्वेद में महर्षि चरक द्वारा प्रतिपादित चतुर्विध प्रमाणों में आप्तोपदेश प्रमाण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण हैं। आप्तोपदेश का महत्व एवं उपादेयता इसी से स्पष्ट है कि चरक ने चतुर्विध प्रमाणों में सर्व प्रथम आप्तोपदेश का ही कथन एवं प्रतिपादन किया है। जिन पदार्थों अथवा विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा प्राप्त करना सम्भव नहीं है उनके ज्ञान के लिए आप्तोपदेश प्रमाण ही सर्वाधिक उपयोगी एवं आश्रय योग्य है। अतः यह प्रमाण सभी प्रमाणों में महत्वपूर्ण है।

आयुर्वेद में आप्तोपदेश का प्राथम्य—आयुर्वेद में जहाँ कहीं भी पदार्थों के ज्ञान के लिए पदार्थों की परीक्षा के लिए अथवा रोग विशेष के ज्ञान के लिए प्रमाणों की आवश्यकता प्रतीत हुई वहाँ प्रमाणोल्लेख करते हुए सर्व प्रथम आप्तोपदेश का ही उल्लेख किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की अपेक्षा आप्तोपदेश अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा केवल उन तथ्यों का ज्ञान उपार्जित करने का प्रयत्न किया जाता है जिनका उद्घाटन प्रथमतः आप्तोपदेश के द्वारा कर दिया गया है। इसीलिए महर्षि चरक ने प्रमाण गणना क्रम में प्रथमतः आप्तोपदेश का कथन किया है। यह तथ्य निम्न दो उद्धरणों से स्पष्ट है—

१ त्रिविधं क्षुद्र रोगविशेषविज्ञानं भवति तद्यथा-आप्तोपदेश प्रत्यक्षमनुमानं चेति ।
—चरक संहिता विमान स्थान ४।३

२ द्विविधमेव क्षुद्रं सर्वं सज्जासज्जम् । तस्य चतुर्विधा परीक्षा-आप्तोपदेश प्रत्यक्षम् अनुमानं युक्तिश्चेति ।
—चरक संहिता विमान स्थान ११।१७

उपयुक्त प्रमाण गणना क्रम में आप्तोपदेश प्रमाण का कथन प्रथम ही करने से आयुर्वेद शास्त्र में उनका प्राथम्य स्वतः ही स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त महर्षि चरक ने स्वयं ही आप्तोपदेश के ज्ञान की प्राथमिकता को महत्वपूर्ण निरूपित करते हुए सब प्रथम आप्तोपदेश के ज्ञानार्जन का निर्देश दिया है। यथा—
त्रिविधे त्वस्मिन् ज्ञानसमुदाये पूज्यमाप्तोपदेशात्कार्णं ततः प्रत्यक्षमनुमानम् परी-

कल्पते । किं ह्यनुभवितं पूर्वं अतः तत् प्रत्यक्षानुमानान्योऽपरीक्षाको विद्यते ।

—चरक संहिता, विज्ञान स्थान ४५

अर्थात् इन तीन परीक्षाओं में सर्वे प्रथम आप्तोपदेश से ही ज्ञान होता है । उसके बाद प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है । यदि पहिले किसी वस्तु को उपदेश नहीं किया जाय तो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा किसी परीक्षा की जायगी ? इसीलिए ज्ञान सम्पन्न (उपदेश प्राप्त) वैद्य के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान के दो प्रकार की परीक्षाएँ हैं । अथवा आप्तोपदेश सहित तीन परीक्षाएँ ।

इससे यह स्पष्ट है कि आप्तोपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान इन तीनों प्रमाणों में प्रथम आप्तोपदेश ही महत्वपूर्ण है । आयुर्वेद में तो आप्तोपदेश की प्राथमिकता और भी अधिक महत्वपूर्ण एवं उच्चैशी है । क्योंकि आयुर्वेद का अध्ययन करने का ह्मकूक छात्र जब आयुर्वेद जगत् में प्रवेश करता है तो उसे सर्वप्रथम उपदेश के द्वारा ही आयुर्वेद के सिद्धान्तों को समझाया जाता है । तत्पश्चात् आयुर्वेदाध्ययन में रत हो जाने पर गुरु ही उसे सर्वे प्रथम रोगों के निदान-संज्ञा आदि का उपदेश करते हैं । उसके बाद ही विद्यार्थी प्रत्यक्ष और अनुमान से उन्हें स्वयं जानने का प्रयत्न करता है । प्रथमतः यदि आप्तोपदेश न हो तो जैसे जिसने दूसरो (आप्त) के द्वारा रत्नों की परीक्षा सीधी ही नहीं है, उसके समस्त विभिन्न रत्न रख दिए जम्मे पर वह उनमें भिन्नत्व को देखता हुआ भी उन्हें पहचानने की सामर्थ्य नहीं रखता । इसी भाँति जिसने गुरु मुख से निदानादि की नहीं जाना है वह रोगों के कारण सजाण आदि को देखता हुआ भी रोग आदि का निर्णय नहीं कर सकता । अतः प्रमाणों में आप्तोपदेश सर्वे प्रथम एवं सर्वोपरि है ।

आप्तोपदेश का लक्षण एवं आप्त का स्वरूप

आप्तोपदेश का सामान्य अर्थ होता है आप्त पुरुषों का उपदेश अथवा आप्त-वचन । जो उपदेश हमारे ऋषि महर्षियों ने जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो कर प्राणियों के ज्ञान सर्वधर्माय दिए हैं वे उपदेश-वाक्य हमारे पूर्वजियों के द्वारा विभिन्न शास्त्रों में लिपिबद्ध करके संकलित किए गए हैं । अतः वेद वाक्य पुराण उपनिषद् स्मृतिग्रन्थ धर्मशास्त्र दर्शनशास्त्र आयुर्वेद शास्त्र आदि में आप्त पुरुष महर्षियों का जो उपदेश उपलब्ध होता है वही आप्तोपदेश कहलाता है । महर्षि चरक आप्तोपदेश के विषय में लिखते हैं—

“आप्तोपदेशो वाच्य आप्तवचनम् । आप्ता ह्यविश्वकर्तृतिष्ठितमहर्षयो विप्रसिद्ध-
परीपर्वविशारदाः । तेषामेषां अनुपदेशात्प्राप्तवर्त्तमानवचनम् । अतः सर्वं पुनर्त्त एतेषां चरक-
श्रुतानुपदेशवचनमिति ।”

—चरक संहिता, विज्ञान स्थान ४५

अर्थात् आप्त के वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है। आप्त पुरुष तक से रहित अर्थात् निश्चित ज्ञान वाले स्मरण शक्ति सम्पन्न तथा कार्य और अकार्य के विभाग को जानने वाले होते हैं जो किसी भी प्राणी के प्रति प्रीति और उपताप अर्थात् राग और द्वेष से रहित होते हैं इस प्रकार के व्यक्तियों को आप्त माना जाता है। इसके विपरीत मत्त मतवाले (मद्य आदि पीने से पागल) या मूर्ख वक्ता का वचन चाहे वह दृष्ट हो अथवा अदृष्ट अर्थात् ऐहिक (इस लोक सम्बन्धी) और आमुष्मिक (परलोक सम्बन्धी) विषयों के वचनों को उन्मत्त (उन्माद रोगों से जाक्रान्त-अप्रमाण) माना जाता है।

आप्त पुरुष के विषय में महर्षि चरक ने बड़ी विशदता से लिखते हुए आप्त पुरुष का अत्यन्त समीचीन लक्षण प्रतिपादित किया है। यथा—

रजस्तभोग्या निम ब्रह्मास्तपोज्ञानब्रह्मेण ये ।

येषा अकालममल ज्ञानमध्याहृत सदा ॥

आप्ता शिष्टा विबुद्ध तसे तेषा वाक्यमसशयम् ।

सत्य वक्ष्यन्ति ते कस्माकस्त्य नीरजस्तव ॥

—चरक संहिता सूत्र स्थान ११/१८-१९

अथ—अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल से जो रज और तम इन दोनों दोषों से मुक्त हो गए हैं जिन को सदा भूत भविष्य-वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान निर्बाध रूप से होता रहता है और जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती ऐसे व्यक्तियों को आप्त शिष्ट और विबुद्ध कहा जाता है। ऐसे आप्त पुरुषों के वचन या उपदेश सदेह रहित (सय) होते हैं। वे आप्त पुरुष रज और तम से शून्य होने के कारण सदा सत्य बोलते हैं। रज और तम से शून्य होने के कारण वे असत्य बोलने में ही क्यों ?

इस प्रकार आप्त का लक्षण और उनके उपदेशों को सत्य बता कर अप्तोपदेश प्रमाण का स्पष्टीकरण किया गया है। साथ ही आप्त के दूसरे नाम शिष्ट तथा विबुद्ध भी बतलाए गए हैं। अप्तोपदेश से सभी स्मृति शास्त्र धर्मशास्त्र पुराणग्रन्थ एवं वेद वाक्यों का ग्रहण होता है। इनके उपदेशों या रचयिता कभी भी असत्य भाषण नहीं करते थे। क्योंकि उन्हें न किसी से राग था न द्वेष। जब आप्त पुरुषों का सत्य बोलना सिद्ध हो जाता है तब आप्त वचन प्रमाण माना ही जाता है।

आप्त पुरुष के विषय में वात्स्यायन ने निम्न व्याख्या प्रस्तुत की है— (१) आप्तान् कालु साक्षात्कृतवर्णा यथादृष्टमवस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेशा तथा 'साक्षात्कारमवर्षत्यापि' तथा प्रवर्षति इत्याप्तः । अर्थात् आप्त पुरुष विषयों का साक्षात्कार करने वाले एवं यथादृष्ट विषयों को बतलाने की इच्छा से उपदेश देने वाले होते हैं तथा 'विषयों के साक्षात्कार करने का नाम आप्त है और उस आप्त के द्वारा जो

कर्म करने में प्रवृत्त होता है उसे 'आप्त' कहते हैं । (१) शिष्टोः—स्वार्थहितवादीन कार्या-
कार्थे हितरहिते नित्यानित्ये प्रवृत्तिविवृत्युपदेशस्य शिष्टोर्बोद्धव्यमस्ति नमरत्नं शासन-
नर्थात्प शिष्टिः तथा प्रवृत्तये ये ते शिष्टाः । अर्थात् अपनी तथ्यता, ज्ञान और शक्ति
के बल से काय-अकार्य हित-अहित नित्य अनित्य इनमें क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति के
उपवेश के द्वारा जो अर्थों (त्रिषयो) के शासन करने में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें शिष्ट कहते
हैं । (३) विबुद्धाः—'विशिष्टा यथाश्रमसा बुद्धिस्तथा प्रवर्तनी ये ते विबुद्धाः । अर्थात्
बुद्धि के द्वारा ग्राह्य विषयों का विशेष ज्ञान कर जो कर्म में प्रवृत्त होता है उसे विबुद्ध
कहते हैं ।

महर्षि चरक ने उपयुक्त प्रकार से 'आप्त' की जो विवेचना की है उसे उनके
परवर्ती आचार्यों ने और अधिक स्पष्ट किया है । यथा—

अवितर्कणं वितर्कं ऊहापोहात्मकं वितर्कं विना सर्वथाविच्छेदेन युक्तज्ञानेन
त्र कालिकानां सर्वेषामेव भावनां तत्त्वनं स्मृत्या विभागं स्वसद् स्वरसद् वर्तन्ति ये ते
अवितर्कस्मृतिविभागविद आप्ताः । प्रीत्युपतापारम्भा निर्यता किञ्चीत्युपतापा । ये बुद्धं
शीलवन्तस्तेस्त्वाप्ताः ।

—मगाधर

अर्थात् वितर्क ऊहापोहात्मक होता है जो वितर्क से रहित होकर सदैव अवि-
च्छिन्न ज्ञान से तीनो कालो (वर्तमान-भूत भविष्य) में समस्त जादो के विभाग के पाने
सद्व्यवत्त्व एव असद् व्यवत्त्व को त्व एव स्मृति से कहते (जानते) हैं वे आप्त होते
हैं । जो प्रीति और उपताप (राग-द्वेष) से रहित होते हैं तथा विषय को देखने के लिए
शीलवान् होते हैं वे आप्त कहलाते हैं ।

आप्ता हि अवितर्कं यथा तथा स्मृतीनां शास्त्राणां विभागं विध्यर्ष-वादानु-
बाध-वचन रूप विदन्ति ये ते तपोक्ताः । न स्त प्रीत्युपतापयो यत्र तद् तथा बुद्धु-
भूतानि शीलमेवां ते आप्ताः ।

—चरकोपस्कार

अर्थात् आप्त वितर्क से रहित होते हैं तथा स्मृतियों-शास्त्रों के विध्यर्ष-
वादानुबाध-वचन रूप विभाग को जैसा है उसी रूप में जानते हैं । विनको प्रीति और
उपताप (राग-द्वेष) नहीं है तथा जगत् के प्राणियों को देखने के लिए जिनका शील है
वे आप्त होते हैं ।

अन्य शास्त्रों में भी आप्त-वाक्य प्रमाक माना गया है । अतः यहाँ पर आप्त का
जो संक्षण कहा गया है और उसकी जो व्याख्या की गई है वह महर्षि चरक की
उपयुक्त व्याख्या से भिन्न नहीं है । यथा

'आप्तस्तु स्वार्थव्यवसायः ।

—तर्कसंग्रह

अर्थात् आप्त बुद्ध यथावत् प्रवृत्तः भवति ।

—आप्तोपदेशक-व्याख्याः १

—स्वार्थवत्त्व

अर्थात् विभिन्न तत्वों के अथ को जानने वाले आप्त होते हैं ।

‘ब्रह्माथर्वशी निर्दोषश्चाप्तो भवति ।

—सकथधि

अर्थात् वस्तुओं के यथार्थ (सही) स्वरूप को देखने वाला और निर्दोष (रज से दोष से रहित) आप्त होता है ।

आप्ति रजस्तमोरूपदोषक्षय तद् युक्ता आप्त ।

अर्थात् रज और तमो रूप दोष का क्षय होना आप्त कहलाता है, उस आप्त से युक्त जो होता है वह आप्त होता है ।

स्वकर्मण्यभिपुषतो य रागद्वेषविर्वाजित ।

निर्वैर पूजित सविभराप्तो ज्ञेय स तावदा ॥

अर्थात् जो अपने कर्म में लगे हुए हैं राग और द्वेष से रहित हैं जो वैर (शत्रुता) भाव से रहित हैं और सत्पुरुषों के द्वारा जो सर्वैव पूजित होते हैं ऐसे पुरुष को आप्त समझना चाहिये ।

आप्तश्रुति आप्तवचन तु ।

—साध्य कारिका

आप्ता चासौ श्रुति आप्तश्रुति वेदतन्मूलकस्मृतीतिहासपुराणाविज्ञानम् ।
यद्वा अयते या सा श्रुति श्रवणविषयीभूत शब्द आप्ता यथार्था श्रुति आप्तश्रुति
आप्तवचनम् ॥ (कृष्णमणि कृत संस्कृत टीका)

अर्थात् आप्त की श्रुति (शब्द) को आप्त वचन कहते हैं । आप्त और श्रुति मिलकर आप्त श्रुति कहलाती है । वेद तन्मूलक स्मृति इतिहास पुराण आदि में निहित ज्ञान ही आप्त श्रुति होती है । अथवा श्रोत्रेन्द्रिय का विषय भूत शब्द जो सुना जाता है उसे श्रुति कहते हैं । आप्त की जो यथाथ श्रुति (शब्द) है वह आप्त श्रुति होती है उसे ही आप्त वचन कहते हैं ।

आप्तस्यु यथार्थवक्ता । यो यत्रावच्छेदक स तत्राप्त । इदं च व्यवहारापेक्षया आप्तलक्षणम् आगमभाषया तु आप्त प्रत्यक्षप्रमितसकलावस्थ सति परमहितोपदेशकीं निरूप्यते । परमहितं तु निश्चयत तदुपदेश एव अहत प्राधान्येन प्रवृत्त । तस्यैव केवलज्ञानप्रमितसकलावस्थ सति परमहितोपदेशाकरवाह्यतावत्त्वम् । —जैन दर्शन सार

अर्थात् आप्त यथार्थ विषय का बोलने वाला होता है । जो जिस विषय में अविस्वादाक है वह उस विषय में आप्त है । आप्त का यह लक्षण व्यवहार की अपेक्षा से है । आगमिक भाषा में तो प्रत्यक्ष के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान ही जानें पर अर्थात् सबज्ञ हो जाने पर जो परम हित (आत्म कल्याण) का उपदेष्टा होता है वह आप्त कहलाता है । परम हित मोक्ष को कहते हैं और उसके उपदेश में प्रकाशत अर्थात्

की ही अस्तित्व होती है। उस अद्वैत के ही केवल ज्ञान के द्वारा संसार यन्त्रों का प्रत्यक्ष होने पर परम हितोपदेशक होने से आप्तत्व (आप्तपना) है।

इस प्रकार दर्शन शास्त्र में विभिन्न आचार्यों के द्वारा आप्तों का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है वह समान अतिशय का द्योतक है। ऐसे आप्तों के द्वारा कहे गए वाक्य यथार्थ पर आधारित होने के कारण प्रमाण माने गए हैं। अतः आप्तवाक्य या आप्तोपदेश को प्रमाण माना जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आप्त पुरुषों के वचन संशय विपर्यय एवं अयुक्ति पूर्ण तक आदि मिथ्या ज्ञान से रहित होते हैं। वे संसार से विरक्त रहते हैं और संसार से उन्हें कोई मोह ममता राम-द्वेष आदि भाव या क्रीड़ा-मान-माया लोभ आदि कबाह नहीं होने से वे कभी असत्य वचन नहीं बोलते। उनका उपदेश जन सामान्य के लिए हितकारी होता है। उनके वचन कल्याणकारी एव सत्य होने के कारण प्रामाणिक अर्थात् प्रमाण स्वरूप माने जाते हैं। आप्तपुरुष अपनी योग साधना तपस्या एव सात्त्विक विशुद्ध आचरण के द्वारा एक विशेष प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान अपने आपसे परिपूर्ण, दोषों से रहित अघ्याहत बाधा रहित एव आत्मा को आलोकित करने वाला होता है। उस अखण्ड एवं अध्याहत ज्ञान के द्वारा वे संसार में तीनों कास में होने वाली समस्त बातों का ज्ञान अविच्छिन्न रूप से कर लेते हैं। इसी ज्ञान के द्वारा वे संसार के शूढतम रहस्यों का भी पता लगा लेते हैं। उनका यह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। ऐसे विलक्षण ज्ञान से युक्त आप्त पुरुषों के वचनों या उपदेशों को जिस रूप में सकलित किया गया है वे वेदवाक्य उपनिषद् पुराण धर्मशास्त्र स्मृति ग्रन्थ संहिता ग्रन्थ कहलाते हैं। जिन ग्रन्थों में आप्त पुरुषों के वचनों की अवस्था उपदेशों की संकलित करके लिपिबद्ध किया गया है उन्हीं ग्रन्थों को आज आप्तोपदेश या आप्त वाक्य कहा जाता है। आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रमाण के रूप में इन्हीं ग्रन्थों एव शास्त्रों के वचनों को जो उद्धृत किया जाता है। क्योंकि वे ही प्रामाणिक माने जाते हैं।

आगम प्रमाण

अनेक दार्शनिकों ने आप्तोपदेशात्मक होने के कारण आगम को प्रमाण माना है। आप्त पुरुषों के द्वारा जो उपदेश दिया गया है तथा उनके द्वारा अपने ज्ञान अर्थ के आधार पर संसार के विविध विषयों का प्रतिपादन करते हुए तथ्यों की यथार्थ विवेचना स्वरूप जो कथन किया गया है उसे विभिन्न ग्रन्थों या शास्त्रों में लिखित किया गया है। आप्त पुरुषों के ज्ञान संपत्तियों का निरूपण होने के कारण उन शास्त्रों को प्रमाण कहा जाता है और आप्तोपदेश की भाँति उसे भी प्रमाण माना जाता है।

आगम के विषय में विभिन्न आचार्यों शास्त्रकारों ने लक्षण एक बीसा मत व्यक्त किया है। उनके मत निम्न प्रकार हैं—

“आगमयति बोधयति सूक्ष्मविप्रकृष्टामर्शानित्वागम । — चक्रपाण्डित्त
जो सूक्ष्म और विप्रकृष्ट विषयो का ज्ञान कराता है वह आगम कहलाता है।

अनेन आप्तवचन निर्दोष वाक्य लक्ष्यते ।

निर्दोषता च वदस्यापोरुधेयत्वादेव ॥

— चक्रपाण्डित्त

इससे आप्त-वचन निर्दोष वाक्य प्रतीत होते हैं और वेद की निर्दोषता अपौरुषयत्व के कारण है।

आप्तवचन ब्रह्मविक्रमिह वक्ष्यते ।

— गंगाधर

यहाँ आप्त वचन से वेद आदि कहे जाते हैं।

आगमो च आप्तानां शास्त्र वा ।

— ब्रह्मण

आप्त पुरुषो का ज्ञान शास्त्र मे निबद्ध है वही आगम है।

सिद्ध सिद्ध प्रमाणैस्तु हित चात्र परत्र च ।

आगम शास्त्रमाप्तानाम्

॥

— ब्रह्मण

जो सिद्ध प्रमाणो से सिद्ध (प्रमाणित) है तथा इहलोक एव परलोक दोनो मे हितकर है ऐसा आप्तो का शास्त्र (जिसमे आप्त पुरुषो के वचन निबद्ध हैं ऐसा शास्त्र) आगम कहलाता है।

‘आप्तवाक्यादि निबद्धतमस्यज्ञानमागम ।

आप्त के शब्द को सुनकर या हस्त सकेत आदि को देखकर या ग्रंथ की लिपि आदि पढ़ने से जो पदार्थों का ज्ञान होता है वह आगम कहलाता है।

इम प्रकार आगम के उपर्युक्त लक्षणो से स्पष्ट है कि उनमे उल्लिखित या प्रतिपादित बात सत्य होती है। असत्य एव अनगल प्रलाप पूण बातो से वे सून्ध्य या रहित होते हैं। अत वे मननीय होते हैं। उनमें आप्तजनो के वचन सकलित होने के कारण वे यथाथ का प्रतिपादन करते हैं। अत जिस प्रकार आप्तजन पूज्य होते हैं उसी प्रकार उनके वचनो का सकलन करने वाले आगम भी पूज्यनीय एवं श्रद्धास्पद होते हैं। यही कारण है कि कतिपय दर्शनों द्वारा आप्तवत् आगम को भी प्रमाण माना गया है।

शास्त्र का लक्षण

विभिन्न विषयों का अध्ययन जिन ग्रंथों के आधार पर किया जाता है वह शास्त्र कहलाता है। अध्ययन के योग्य अनेक विषय होते हैं। उन विषयो का क्रमबद्ध ज्ञान जिन ग्रंथों मे निबद्ध किया गया है तथा विस्तार पूर्वक उन विषयो का

विभिन्न एवं प्रतिपादन जिन शब्दों में किया गया है, जिन्हें मुख्यतः पञ्जीय एवं दिव्यों की अध्यात्म शैली समझते हैं उन्हें शास्त्र कहा जाता है। शास्त्रों का अध्यात्म करने से अध्येता विषय में ज्ञान की अभिवृद्धि होती है और उसे उस विषय में विद्वान्ता प्राप्त होती है। शास्त्र ज्ञान के भण्डार एवं ज्ञान के अजस्र स्रोत होते हैं। उच्चतर जितना अधिक संशोधन किया जाय उतनी ही अधिक ज्ञान राशि संशोधन कर्ता को प्राप्त होती है।

प्राचीन काल में विभिन्न विषयों को अधिकृत कर अनेक शास्त्रों की रचना की गई थी। सुविधा की दृष्टि से उन्हें १८ भागों में विभाजित किया गया था। यथा—१ शिक्षा २ कल्प ३ व्याकरण ४ निरुक्त ५ ज्योतिष ६ छन्द ७ ऋग्वेद ८ यजुर्वेद ९ सामवेद १ अथर्ववेद ११ मीमांसा १२ न्याय १३ धर्मशास्त्र १४ पुराण १५ आयुर्वेद १६ धनुर्वेद १७ गणितवेद और १८ अर्थशास्त्र।

वर्तमान में यद्यपि इनमें से अनेक विषयों की उपेक्षा जा रही है और अनेक विषयों की शिक्षा का विस्तार हुआ है। क्या उन्हें भी शास्त्र की कोटि में लाया या रखा जा सकता है? यह विवाद का विषय हो सकता है। किन्तु यह तो निर्विवाद है कि प्राचीन काल में जिन विषयों को अधिकृत कर अगाध ज्ञान राशि का सचय एवं प्रतिपादन किया गया है वह उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्व पूर्ण है। जिन शास्त्रों में विविध विषयों के ज्ञान का सचय किया गया है ऐसे शास्त्र की प्रामाणिकता एवं उपयोक्तता दर्शाने की दृष्टि से उनकी परीक्षा की जानी चाहिये। अतः शास्त्र का स्वरूप बतलावे हुए महर्षि चरक ने शास्त्र का निम्न लक्षण बतलाया है—

‘तत्र यन्मध्येत सुसहस्रशक्तिधीरपुरुषास्तेवित्तमवबहुलनासज्जनपूजितं त्रिविधं शिक्षावृद्धिहितमपगतपुनरपगतदोषमार्गसुप्रधीतसुप्रभाष्यसकं प्रहस्य स्वधारसनवपतित-
संशयमकष्टशब्द पुष्कलाभिधान क्रमानुसार्यसर्वतत्पनिश्चयप्रधानं सङ्गतार्थमर्बलसङ्गलप्रक-
रमयासु प्रबोधक लक्षणवचनोद्धारणवचन तदभिप्रपद्यत शास्त्रम्। शास्त्रं ह्येवंविधमे-
वस्य इवा वित्यस्तमो विषय प्रकाशयति सर्वम् — चरक संहिता विमान स्थान ८/३

अर्थात् जो शास्त्र सुविसृत हो यशस्वी एवं धीर पुरुषों के द्वारा लेखित हो याने जिसे महास्वी और धीर पुरुष पढ़ते हों। जो अर्थ की बहुलता से युक्त हो जो अल्पकाल में ही विषय का सम्पूर्ण ज्ञान कराने वाला हो जो वाच्यार्थों के द्वारा वाच्य की दृष्टि से देखा जाने वाला हो, हीनों ही प्रकार के दिव्यों (प्रतिवाद्यांती या कुशाब्ध बुद्धि, मध्यम अथ सामान्य बुद्धि तथा हीन या मन्द बुद्धि वाले) के लिए हितकारी ही, सुप्रधीत शैली से रचित हो, जो मार्ग (मार्ग) प्रधीत हो तथा जिसमें सर्वकलाया प्रवीणता एवं वाच्य का सर्वज्ञ ज्ञानोद्धार किया गया हो, जो सुबुद्ध वाच्य से युक्त हो, जो

अविष्ट अस्वीकृत-अनर्गल शब्दों से रहित कष्टकारी (जिनका उच्चारण करने में कठिनाई होती है ऐसे) शब्दों से रहित हो (अर्थात् सुबोध एवं सुवाच्य शब्दों से युक्त हो), जिसमें बहुत कुछ प्रतिपादित किया गया हो क्रमागत अर्थ से युक्त हो अर्थ तत्त्व का निश्चय कराने में जो प्रधान हो (अर्थात् जिसके अध्ययन से अर्थ (विषय) के तत्त्व का निश्चयात्मक ज्ञान होता हो) जो सङ्गत अर्थ से युक्त हो प्रकरण की सफुलता (मढ़बड़ी या अव्यवस्थितता) नहीं हो जो शीघ्र समझ में आ जाय और जो लक्षण युक्त व उदाहरण युक्त हो—ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार का निमल शास्त्र उसी प्रकार समस्त विषयों का प्रकाशन करता है जिस प्रकार निमल सूर्य अंधकार का नाश कर समस्त पदार्थों को प्रकाशमान करता है।

इस प्रकार यह शास्त्र का लक्षण बतलाया गया है। इस प्रकार का शास्त्र ही प्राज्ञ एवं पठनीय होता है। ऐसा शास्त्र अज्ञान का नाश करता है और बुद्धि को परिभाषित कर उसे ज्ञान सम्पन्न बनाता है।

एतिह्य प्रमाण

पौराणिक लोग स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनके मतानुसार यह प्रमाण किसी अन्य प्रमाण में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। किन्तु प्रायः सभी दशनकारों ने एतिह्य प्रमाण को स्वतन्त्र रूप से न मानकर आप्तोपदेश में ही इसका समावेश का कर लिया है। क्योंकि आप्तोपदेश के द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है उसी का प्रतिपादन एतिह्य प्रमाण द्वारा किया जाता है। एतिह्य शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आप्तोपदेश से मिलता हुआ है। एतिह्य शब्द का विश्लेषण करने पर इसमें तीन शब्दों का सामूहिक रूप दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार आप्तोपदेश शब्द का विश्लेषण करने पर उसमें दो शब्दों का सामूहिक रूप परिचित होता है। जैसे एतिह्य शब्द की निष्पत्ति के लिए इति + ह्य + ऊचु अर्थात् ऐसा निश्चय पूर्वक कहा गया है।

इसी प्रकार आप्तोपदेश में आप्त + उपदेश अर्थात् आप्त पुरुषों के जन कल्याणकारी सत्य वचन। इस प्रकार एतिह्य और आप्तोपदेश समानार्थनापी शब्द हैं। पौराणिक लोगों के अनुसार एतिह्य के अन्तर्गत दो प्रकार के वचन होते हैं—

१— एक तो वे वचन जो प्राचीन ऋषि महर्षियों ने स्वानुभूत सत्य ज्ञान के आधार जन सामान्य को उपदेश रूप में प्रदान किए। महर्षियों के दिव्याभूत स्वरूप उस उपदेशात्मक ज्ञान को लिपिबद्ध कर लेने के कारण यह ज्ञान आज हमारे समक्ष शास्त्र या ग्रंथों के रूप में विद्यमान है। लिखित रूप में होने के कारण इसे प्रमाण माना जाता है। कुछ दर्शन एतिह्य को इसी आधार पर अस्तित्व का आधार मानते हैं।

कहते हैं। क्योंकि केवल उन्हीं महापुरुषों या सत् पुरुषों के वाक्यों को प्रमाण माना जा सकता है जो विभिन्न विकार (शोक-भय-माया-लोभ आदि कल्याण) एवं राग-द्वेष आदि भावों से रहित होकर जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उपदेश देते हैं। इस दृष्टि से आप्तोपदेश और एतिह्य में कोई अन्तर नहीं है।

२—एतिह्य प्रमाण के अन्तर्गत दूसरे प्रकार के वे वचन आते हैं जो बंश परम्परा वशानुकम अथवा रुढ़ि परम्परा से चले आ रहे हैं। इस प्रकार एतिह्य स्वयं एक परम्परा है। हमारी बहुत सी धारणाएँ आज अतीत कालीन परम्परा एवं अन्ध विश्वासों पर आधारित हैं। पौराणिक लोभ परम्परा पर आधारित एतिह्य को ज्ञान का कारण मानते हुए उसे प्रमाण मानते हैं। किन्तु इन परम्पराओं अन्ध विश्वासों चढ़िगत धारणाओं एवं अप्रामाणिक वचनों पर आधारित इस प्रकार के एतिह्य को प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्योंकि ऐसे वचनों की प्रामाणिकता सदिग्ध होने के कारण वे रुढ़ि परम्परागत वचन ग्राह्य नहीं होते हैं।

वस्तुतः एतिह्य के अन्तर्गत बंश परम्परा वशानुकम रुढ़ि परम्परा अथवा भ्रान्तिपूर्ण धारणाओं पर आधारित एवं अतीत काल से चली आ रही बातों का समावेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनकी सत्यता एवं प्रामाणिकता सदिग्ध होने के कारण वे वचन मिथ्या भी हो सकते हैं। अतः एतिह्य प्रमाण के द्वारा आप्त पुरुषों के वचनों का ग्रहण करना ही अधिक समीचीन है। आयुर्वेद में एतिह्य से आप्तोपदेश वेद आदि का ग्रहण किया गया है। जैसा कि महावि चरक ने कहा है—

‘एतिह्य नामाप्तोपदेशो शेषादि । —चरक संहिता, विमानस्थान ८/३४

वैयस्यिकों के मतानुसार एतिह्य को स्वतन्त्र प्रमाण मानना उचित नहीं है। क्योंकि इसमें रुढ़ि परम्परा एवं भ्रान्ति पूर्ण धारणा पर आधारित वाक्यों का समावेश रहता है। अतः एतिह्य एक प्रकार का शब्द है और इस प्रकार का शब्द प्रमाण नहीं है। इस दृष्टि से एतिह्य भी प्रमाण नहीं है।

निघण्टु

निघण्टु शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही चला आ रहा है। वर्तमान में अथर्वणि निघण्टु शब्द कर्मोपनिषदों के पद्य एवं कुछ छन्द अतलाने वाले शास्त्र के अन्त में रुढ़ि हो गया है, किन्तु वैदिक काल में और सत्ययवाग्य भी वेद सन्तों में विभिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले तदर्थ वाक्यों अथवा वाक्यों का संग्रह निघण्टु कहलाने में शक्यता है वह निघण्टु कहलाने में शक्यता है। निघण्टु शब्द का अर्थ निघण्टु शब्दों के अर्थ को समझाने के लिये है।

प्रकार प्रचीन काल में वैदिक शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को संकलित करने वाले उन शब्दों की विषय व्याख्या प्रस्तुत करने वाले एक उन शब्दों के विशिष्ट अर्थों का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को निघण्टु सत्ता से व्यवहृत किया जाता था। इसके अतिरिक्त चू कि वेद मन्त्रों में प्रयुक्त शब्द दुल्ह होते हैं अतः उन शब्दों का अर्थज्ञान कराने की दृष्टि से महर्षि यास्क के द्वारा मन्त्रों की व्याख्या समझाने के लिए निरुक्त की रचना की गई। उस निरुक्त में निघण्टु शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है—

ॐ समाम्नाय समाम्नात । स व्याख्यातव्य । तन्निर्म समाम्नाय निघण्टव इत्याचक्षते । निघण्टव कस्मात् ? निगमा इमे भवन्ति । छन्दोम्य समान्नात्तास्ते निगन्तव एव सन्तो निगमनात् निघण्टव उच्यन्ते इत्यौपमन्यव ।

अर्थात् वैदिक शब्दों के समुदाय को समाम्नाय याने समाम्नात कहते हैं। जिनका सम्यकतया मर्यादा पूर्वक शान्नाजन किया जाता है उस समाम्नाय की व्याख्या की जानी चाहिये। इसी समाम्नाय को निघण्टु कहते हैं। इन्हे निघण्टु क्यों कहते हैं? क्योंकि वे निगम होते हैं अर्थात् निश्चय पूर्वक शब्दों के गूढ़ अर्थों का ज्ञान कराने वाले होते हैं। वे छन्दों से ग्रहण किये गए शब्द समुदाय निश्चय पूर्वक अर्थावबोध कराने वाले होने से निगन्तु हैं और निगमन याने निष्कर्षात्मक अर्थ का ज्ञान कराने से निघण्टु कहलाते हैं ऐसा औपमन्यव कहते हैं।

महर्षि यास्ककृत निघण्टु शब्द की उपयुक्त व्याख्या अत्यन्त समीचीन मानी जाती है। तदनुसार निघण्टु में वैदिक शब्दों का उनके पर्याय व्याख्या एवं अर्थ सहित संकलन कर उनका विवेचन किया जाता था। निघण्टु शब्द की उपयुक्त व्याख्या को निम्न प्रकार से और अधिक स्पष्ट किया गया है—

अत इत्येवमथ निगमयितृत्वान्निगन्तव एते सम्पन्ना सन्तोऽपि परोक्षवृत्तिना क्षब्धेन गकार स्थाने घकार मत्वा तकार स्थाने टकार कृत्वा बर्ण व्यापत्वाविलक्षणम् ।

अर्थात् इस प्रकार से अर्थ का ज्ञान कराने वाला होने से वे निगन्तु सम्पन्न होते हुए भी परोक्ष वृत्ति वाले शब्द से गकार के स्थान पर घकार को मानकर और तकार के स्थान पर टकार को करके (निगन्तु-निघण्टु) शब्द का निर्माण होता है।

इसी प्रकार एक अन्य व्याख्या के अनुसार निघण्टु गूढ़ार्थ का बोध कराने वाले होते हैं। यथा—

“तन्निर्म समाम्नाय निघण्टव इत्याचक्षते । निघण्टेनाधिके वा गूढ़ार्थे एव परिज्ञाता सन्तो मन्त्रार्थान् गच्छन्ति ज्ञापयन्ति ततो निगम सत्ता निघण्टव एव इमे भवन्ति ।”

अर्थात् इस समान्नाय (वैदिक शब्दों के समुदाय) को निषण्ड कहा जाता है। इसके द्वारा निश्चय पूर्वक अत्यधिक पुकार्य का भी परिज्ञान होता है अतः जो मंत्रों के शब्दों को बतलाते हैं वे निगम सज्ञा वाले निषण्ड ही होते हैं।

इस प्रकार वैदिक साहित्य (वेदों) में उल्लिखित मंत्रों के अर्थ को स्पष्ट करने वाले साहित्य या ग्रन्थ को निषण्ड सज्ञा से व्यावहृत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि निषण्ड एक प्रकार के शब्द कोष हैं जो शब्दों के अर्थ की विवेचना करते हैं और पर्यायों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। इन्हीं की विषय व्याख्या निष्कत है जो छह वेदाङ्गों में अन्यतम है।

उपर्युक्त प्रकार से पर्यायों के माध्यम से द्रव्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी देने की परम्परा आगे भी चलती रही। शनैः शनैः निषण्ड शब्द आषर्बण सम्प्रदाय के औषधियों के गुण धर्म सम्बन्धी विवरण को बतलाने वाला माना जाने लगा और इस (द्रव्य गुण) शास्त्र का नाम निषण्ड पड़ गया तथा कालान्तर में इसी अर्थ में रुढ़ हो गया। अतः परवर्ती आचार्यों ने औषधियों के पर्याय एवं गुण धर्म की विवेचना करने वाले जिन ग्रन्थों की रचना की उनका नामकरण करते समय निषण्ड शब्द भी जोड़ दिया। जैसे राजनिषण्ड धन्वन्तरि निषण्ड, मदनपाल निषण्ड आदि। इस प्रकार वर्तमान में आयुर्वेद में निषण्ड शब्द से औषधि गुण धर्म का विवेचन करने वाला शास्त्र जिसे आज कल द्रव्यगुण विज्ञान कहा जाता है का बोध होता है।

शब्द प्रमाण

कुछ दार्शनिक विद्वान् आप्तोपदेश अथवा एतिस्य के स्थान पर शब्द को प्रमाण मानते हैं। शास्त्र-पुराण आदि के यथार्थ वचनों का समावेश अ तो प्रत्यक्ष में किया जा सकता है न अनुमान में और न ही किसी अन्य प्रमाण में। अतः शब्द एक पुबक प्रमाण है और स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में इसका अस्तित्व है। इस उच्य के आधार पर न्याय दर्शन में शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण स्वीकार किया गया है। किन्तु सभी प्रकार के शब्द यथार्थ ज्ञान कराने में कारण नहीं होते। अतः सभी प्रकार के शब्दों को प्रमाण नहीं माना जा सकता। न्याय सूत्र के अनुसार वे शब्द ही प्राह्य एवं प्रमाण हैं जो अक्षय पुरुषों के वाक्य या आप्तोपदेश रूप में होते हैं। यथा 'आप्तोपदेशः शब्दः न्यायसूत्र'। इस दृष्टि से अन्य आचार्यों के द्वारा स्वीकृत आप्तोपदेश प्रमाण एवं न्याय दर्शनोपदेश शब्द प्रमाण में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। न्याय शास्त्र के अनुसार सत्य वचन का प्रति-पादन करने वाले अक्षय पुरुषों ने अपने प्रवचनों के आधार पर जो यथार्थ ज्ञान उपलब्ध किया उसे उन्होंने जैन सामान्य के कल्याण के लिए उपदेश रूप में प्रसारित किया।

अत्र 'ज्ञानी' के वाक्य या शब्द प्रमाणान्तगत समाविष्ट हैं। क्योंकि 'आप्तस्तु वाच्यवक्ता-वक्ता' अर्थात् यथार्थ बोलने वाला ही आप्त होता है और ज्ञानी का वक्ता प्रामाणिक होता है। इसका विशेष विवेचन आप्तोपदेश के प्रकरण में ऊपर किया जा चका है।

शब्द के भेद—शब्द सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यथा-लौकिक शब्द वैदिक शब्द और साधारण शब्द। इनमें लौकिक शब्द वे होते हैं जो लौकिक पुरुषों के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचन ही लौकिक शब्द कह जाते हैं। अतः आप्त पुरुष महापुरुषों एव सत् पुरुष के वाक्य ही लौकिक शब्द में समाविष्ट हैं। दूसरे प्रकार के वैदिक शब्द वे होते हैं जिनका उल्लेख केवल वेदों में किया गया है। अतः वेद वाक्य ही वैदिक शब्द कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के शब्द वे होते हैं जो साधारण व्यक्तियों के द्वारा अपने दैनिक व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं। जन सामान्य इन शब्दों का व्यवहार करने का अधिकारी है। इन तीन प्रकार के शब्दों में न्याय दर्शन प्रारम्भिक दो शब्दों को ही प्रमाण मानता है। आप्त वाक्य एव वेद वाक्य इन दोनों प्रकार के शब्दों में यथार्थ प्रतिपादन होने से ये प्रमाण हैं।

शब्द को प्रमाण मानने वाले दशानों में यद्यपि न्याय दर्शन प्रमुख है। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन योग दर्शन मीमांसा दर्शन एव वेदांत दर्शन इन सभी ने इसका समर्थन किया है किन्तु वे इस विषय में न्याय दर्शन से कुछ भ्रत भिन्नता रखते हैं। अर्थात् उपर्युक्त चार दर्शन केवल वैदिक शब्द को ही प्रमाण मानते हैं। क्योंकि उनके मतानुसार वेद अनादि और अपौरुषेय हैं। उनकी रचना किसी पुरुष विशेष के द्वारा नहीं की गई अपितु वे ईश्वरकृत एव स्वयं प्रकाशित ज्ञान रूप हैं।

तक स ग्रह के अनुसार शब्द

आप्तवाक्य शब्द'। आप्तस्तु यथावक्ता। वाक्य पदसमह यथा गामानयेति।

शब्द पदम। अस्मात् पदावयवार्थो बोद्धव्य इतीश्वर सकेत शक्ति। —तर्क सग्रह

अर्थात् आप्त पुरुषों के द्वारा कहे गए वाक्य को शब्द कहते हैं। यथार्थ बोलने वाले को आप्त कहते हैं। पदों का समूह वाक्य होता है। पद शक्ति से सम्पन्न या समर्थ होते हैं। इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए—यह शक्ति होती है जो ईश्वर के संकेत (इच्छा) पर निर्भर है। अथवा ईश्वर संकेत रूप जो शक्ति होती है वही पद के अर्थ का बोध (ज्ञान) कराती है।

वाचार्थ चक्रपाणि दत्त आप्तोपदेश के रूप में व्यक्त शब्द को दो प्रकार का मानते हैं। यथा—आप्तोपदेश शब्दस्तु द्विविधः—परमाप्तस्तुप्रातिवर्त्यसत्त्वस्य लौकिकान्तप्रतीकत्वमेतिस्यसंज्ञेन परमाप्तस्तुप्रातिवर्त्यसत्त्वस्य लौकिकान्तप्रतीकत्वस्य संज्ञेन चैकैकं रूपं सत्यप्रकार—विहितं बोधः।

अर्थात् आप्तोपदेश शब्द दो प्रकार का होता है—परमाप्त ब्रह्मा आदि के द्वारा प्रणीत और लौकिक आप्त के द्वारा प्रणीत। ऐतिह्य शब्द से परम आप्त के द्वारा प्रणीत समझना चाहिए और लौकिक आप्त के द्वारा प्रणीत को शब्द के एक ही रूप सत्य का प्रकार समझना चाहिए।

१ परमाप्तब्रह्मादि प्रणीत—ब्रह्मा आदि परम आप्त होते हैं। वे बलीकिक होते हैं। उनके द्वारा कहे गए वाक्य सत्य रूप होते हैं। अतः उनके द्वारा प्रणीत या उनके वाक्य जिसमें सकलित हैं ऐसे वेद आदि।

२ लौकिकाप्त प्रणीत—लौकिक आप्त वे होते हैं जो महर्षि चरकोक्त रजस्तमोभ्या निमुक्ता इत्यादि के द्वारा प्रतिपादित हैं। इनमें ऋषि आदि आते हैं। चरक संहिता सुश्रुत संहिता आदि लौकिकाप्त के द्वारा प्रणीत समझना चाहिए।

इस प्रकार आप्तोपदेश दो प्रकार का प्रतिपादित किया गया है।

चरकोक्त शब्द का लक्षण एवं भेद

महर्षि चरक ने शब्द का लक्षण एवं भेद निम्न प्रकार से बतलाए हैं—

‘शब्दो नाम वणसमाभ्नाय स चतुर्विध—दृष्टावदवाद्दृष्टार्थश्च सत्यप्रधानुत्-
श्चेति। तत्र दृष्टार्थ—त्रिभिर्हेतुभिर्बोधा प्रकुप्यन्ति बहुभिरप्यकर्मैश्च प्रशान्प्यन्ति
श्रोत्रादिसदभावैः शब्दाविग्रहयमिति अवष्टार्थं पुन अस्ति प्रेत्यभाषोऽस्ति मोक्ष इति-
सत्यो नाम यथायमत्र—सन्त्यायुवदोषवैशा सन्त्यपथ्या साध्यानां सन्त्यारभ्यकलानीति
सत्यत्रिपयथाञ्चानुत्। —चरक संहिता विमान स्थान ८/४२

अर्थात् वण के समाभ्नाय को शब्द कहते हैं। (चक्रपाणि के अनुसार वर्ण का मेलक वण समाभ्नाय कहलाता है। तदनुसार जो वर्ण का मेलक होता है वह शब्द कहलाता है।) वह शब्द चार प्रकार का होता है—१ दृष्टार्थ २ अदृष्टार्थ ३ सत्य ४ अनृत (झूठ)।

दृष्टार्थ—जैसे तीन हेतुओं (असात्म्येन्द्रियार्थं सयोग प्रज्ञापरिग्रह और परिणाम) के दोषों का प्रकोप होता है। प्रकुपित हुए वे दोष छह उपक्रमों (बुद्धि लक्ष्य स्नेहन छवण स्वेदन सस्मरण) से शान्त होते हैं। श्रोत्र आदि इन्द्रियों के होने पर ही शब्द आदि विषयों का ग्रहण (या ज्ञान) होता है। इन वाक्यों से शब्दों के धारणन से जो विषय प्रतीलाए गए हैं उच्यन्त आन या अनुच्यन्त प्रत्यक्ष किया जाता है। अतः इन्हें दृष्टार्थ कहते हैं।

अदृष्टार्थ—पुनर्जन्य है, मौख है, इन वाक्यों का कर्म प्रत्यक्ष (दृष्ट) नहीं है, अतः यह अदृष्टार्थ होता है।

शब्दः—जो यथार्थ भूत होता है वह सत्य कहलाता है। जैसे आहुर्बेद के उप-
 वेस हैं साध्य रोगों की सिद्धि के उपपन्न हैं कर्मों के फल हैं इत्यादि वाक्य यथार्थ नव
 प्रतिपादन करने से सत्य रूप हैं।

अनृत—सत्य से विपरीत अनृत (झूठ) कहलाता है।

शब्दाथ बोधक वृत्तियाँ

हमारे द्वारा जो शब्द उच्चारित किए जाते हैं उनका अथ बोध जिसके द्वारा
 होता है वह शब्दाथ बोधक वृत्ति कहलाती है। प्रसंगानुसार कहीं कहीं शब्द के उसी
 अर्थ का बोध होता है जो यथार्थ है और कहीं उससे भिन्न अथ का बोध होता है—
 यह शब्दाथ वृत्ति पर निर्भर है। शास्त्र में शब्दाथ को अभिव्यक्त करने वाली वृत्तियाँ
 चार बतलाई गई हैं। यथा—अभिधा लक्षणा व्यञ्जना और तात्पर्याख्या। इन चारों
 वृत्तियों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

१ **अभिधा**—अभि पूर्वक घा घातु से अभिधा शब्द निष्पन्न होता है इसकी
 निरुक्ति के अनुसार अभिधीयते यथा सा अभिधा। अर्थात् जिसक द्वारा सीध रूप में
 कहा जाय वह अभिधा होती है। इसका भावाथ यह है कि पद में निहित अर्थ को
 सीधा प्रकट करने वाली वृत्ति अभिधा कहलाती है। जैसे यथाम विद्यालय में पढ़ता है।
 इस वाक्य से जो सीधा सादा अर्थ ध्वनित होता है वह अभिधा मूलक है। इस वाक्य
 से प्रकट होने वाले अर्थ में लोड-मरोड की गुंजाइश नहीं है। किसी भी शब्द या वाक्य
 से प्रकट होने वाला मुख्यार्थ जिस शक्ति से ध्वनित होता है वह अभिधा कहलाती
 है। काव्य प्रकाश में अभिधा का लक्षण करते हुए बतलाया गया है—

स मुख्योऽन्वयस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽन्याभिधोच्यते। —काव्य प्रकाश २।५

अर्थात् किसी भी पद (शब्द या वाक्य) का मुख्य अथ जो उसके मुख्य व्यापार
 (गुण जाति द्रव्य या किसी क्रिया वाचक हो) को ध्वनित करता है अभिधा कहलाता
 है। अभिप्राय यह है कि जिस शक्ति के द्वारा पद (शब्द या वाक्य) का मुख्य अर्थ
 व्यक्त होता है उसे अभिधा कहते हैं। इसे ही धाच्यार्थ भी कहा जाता है।

अभिधा से जिन शब्दों का अर्थ ध्वनित या व्यक्त होता है वे सार्थक शब्द होते
 हैं जो निम्न तीन प्रकार के होते हैं। यथा—रूढ शैलिक और योगरूढ। जिस शब्द की
 प्रकृति व्युत्पत्ति के अधीन नहीं रहती है अथवा जो शब्द व्याकरण सम्मत धातु अन्वय
 आदि अयय पर निर्भर नहीं रहता है वह रूढ कहलाता है। जैसे चयमा। यह रूढ सार्थक
 शब्द है किन्तु यदि इसके तीनों अक्षरों- 'च' 'श' और 'मा' को इस प्रकार लक्षण-अक्षर-
 लक्षण

विद्या कर्म होते इन पृथक्-पृथक् अक्षरों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः एक शब्द विच्छिन्न हो जाने पर अर्थ हीन हो जाता है। जो शब्द जो या अधिक अक्षरों के जोड़ने से बनता है और अनेक शब्द (शब्द) अपना अर्थ कायम रखता है तथा जिस शब्द की प्रकृति व्युत्पत्ति के अनुसार होती है वह यौगिक कहलाता है। ऐसे शब्दों के शब्द अक्षरों शून्य अर्थ नहीं छोड़ते हैं। जैसे विद्यालय देवालय राजकुमार आदि। इनमें विद्या + आलय = विद्या का स्थान देव + आलय = देव का स्थान राज + कुमार = राजा का पुत्र-इस प्रकार इन शब्दों में दोनों पद सार्थक होते हैं। तीसरे प्रकार के यौगिक शब्द वे होते हैं जो अपना अर्थ कुछ तो अवयवों पर और कुछ समुदाय पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के यौगिक शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे 'तोयद'। इसमें तोय और द ये दो शब्द होते हैं। तोय याने जल और द याने देने वाला अर्थात् भेष। ये दोनों शब्द अपने मूल अर्थ 'जल' और देने वाला छोड़कर एक विशेष अर्थ 'भेष' के वाचक हैं। इसी प्रकार शाशांक (खरगोष है अर्थात् जिसमें) अर्थात् चन्द्रमा। सहस्र रश्मि—सूर्य (हजारों किरणों वाला)।

२ लक्षणा—जिस शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है उस मुख्यार्थ का बोध न होकर उससे सम्बद्ध अन्य अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति लक्षणा कहलाती है। लक्षणा के विषय में कहा गया है—

मुख्यार्थभावे तद्धोने क्वचितोऽथ प्रयोजनात् ।

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणादेषिता क्रिया ॥

—शब्द-विज्ञान २।६

अर्थात् मुख्य अर्थ के बाधित होने पर क्वचि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया के द्वारा मुख्य अर्थ से सम्बन्ध रखने वाला अन्य अर्थ सूचित हो वह लक्षणा कहलाती है।

कई बार ऐसा होता है कि जब कोई शब्द या वाक्य कहा जाता है तो उसका वास्तविक अर्थ ग्रहण न करके अन्य अर्थ का ग्रहण होता है। जैसे 'गंगायां कुटी'। इसका मुख्य अर्थ है 'गंगा में कुटी'। किन्तु यहाँ मुख्य अर्थ बाधित होकर गंगा के समीपवर्ती तट का बोध होता है अर्थात् गंगा तट पर स्थित कुटी। इसी प्रकार एक मालिक ने अपने नौकर को आज्ञा दी—जा घोड़े को पानी दिखा ला। यहाँ इसका मुख्यार्थ घोड़े को पानी दिखाना है, किन्तु यह अर्थ ग्रहण न होकर घोड़े को पानी पिलाना है। इस प्रकार जो अन्य अर्थ ग्रहण किया गया वही लक्षणा वृत्ति है।

३ व्यञ्जना—शब्द की जिस वृत्ति से व्यञ्जना ध्वनित होता है वह व्यञ्जना कहलाती है। यह वृत्ति शब्द या वाक्य के मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ को सिरोमूर्ति करती हुई व्यञ्जनात्मक अर्थ है अथवा को प्रकट करती है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी समय में सफलता प्राप्त होने पर कहते हैं कि यह कार्य ठीक नहीं था इसलिए मैं

तो यह कार्य करना ही नहीं चाहता था। तब दूसरे ने उत्तर दिया—हाँ 'अंगूर खट्टे हैं'। यहाँ अंगूर खट्टे हैं का व्युत्पत्ति ही यही निकलता है कि उस कार्य में सफलता नहीं मिलने के कारण उस कार्य को ठीक नहीं बतलाया। जिस प्रकार लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पाने के कारण उसने कहा था—अंगूर खट्टे हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को कहा जाय कि तू तो गधा है तो निश्चय ही यहाँ गधा का मुख्यार्थ ग्रहण न कर व्युत्पत्ति मूख ग्रहण किया जायगा।

व्यंजना दो प्रकार की होती है—शाब्दी और आर्थी। जहाँ व्यंजना किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर निर्भर करती है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है और अर्थ विशेष पर निर्भर करने वाली व्यंजना आर्थी व्यंजना कहलाती है।

तात्पर्याख्या वृत्ति—कुछ शब्द अनेक अर्थ वाले होते हैं। अनेकार्थ वाची ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जाने पर उसका अभिप्राय न तो अभिधावृत्ति से न लक्षणा वृत्ति से और न व्यंजना वृत्ति से ग्रहण कर जिस वृत्ति से ग्रहण किया जाता है वह तात्पर्याख्या वृत्ति कहलाती है। जैसे आयुबद्ध में एक सद्धान शब्द है जो भ्रष्ट कल्पना प्रकरण में एक कल्पना विशेष है (आसव या अरिष्ट निर्माण में सद्धान क्रिया होती है) और शल्यतन्त्र के प्रकरण में भ्रष्ट अस्थि का सद्धान किया जाता है। यहाँ औषधि (आसव अरिष्ट) निर्माण में भी सद्धान शब्द का प्रयोग किया गया है और भ्रष्ट अस्थि को जोड़ने में भी सद्धान शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों प्रकरण में सद्धान शब्द भिन्नार्थ का द्योतक है। अतः प्रकरण के अनुसार अर्थ ग्रहण करना तात्पर्याख्या वृत्ति के द्वारा होता है। इसी प्रकार 'सैन्धव' शब्द नमक और घोडा अर्थ वाची है तथा जीवन शब्द मानुष जीवन एव जल के अर्थ का बोधक है। किंतु शब्द का प्रसंगानुसृत अर्थ ग्रहण करना तात्पर्याख्या वृत्ति के अधीन है।

वाक्य स्वरूप एवं वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु

सामान्य व्यवहार में अथवा शास्त्र निर्माण में जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वे वाक्य विभिन्न शब्दों पदों के योग से बनते हैं। उन शब्दों या पदों का निर्माण वर्ण या अक्षर समूह से होता है। तर्क समूह में भी पदों के समूह को वाक्य कहा गया है। यथा— वाक्य पदसमूह यथा गाम्वाचयेति। यहाँ यह शास्त्र है कि प्रत्येक पद समूह या शब्द समूह वाक्य नहीं होता है। वाक्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पदों या शब्दों का विन्यास व्यवस्थित रूप से हो जिसके परिणाम स्वरूप उसका कुछ अर्थ निकलता हो। अतः सार्थक शब्दों से निष्पन्न सार्थक वाक्य ही वाक्य की श्रेणी में आते हैं। निरर्थक पद समूह को वाक्य नहीं माना जाता है। उन वाक्यों

के अर्थ-ज्ञान के लिए इन बातों का होना आवश्यक है—आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ।

आकांक्षा— पदस्य पदान्तर व्यतिरेक प्रयुक्तान्बयान्प्रभावकत्वनाकांक्षा । (सर्क सग्रह) अर्थात् एक पद का अन्य पद के बिना प्रयुक्त किए जाने पर अन्य का अनुभावकत्व होना आकांक्षा होती है । जब किसी वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो उसमें एकाधिक पद होते हैं और एक पद अन्य पदों के सहारे ही पूरा अर्थ प्रकट करने में समर्थ होता है । अतः वाक्याद्य के बोध के लिए एक पद को अन्य पदों की सहायता सेना आवश्यक होता है । इस प्रकार की आवश्यकता या अपेक्षा ही 'आकांक्षा' कहलाती है । जैसे—आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान है । इस वाक्य में यदि 'आयुर्वेद' इस एक पद या 'जीवन' या 'विज्ञान' या 'है' इस एक-एक पद को लिया जाय तो अभीष्ट अर्थ प्रकट नहीं होगा । अतः अभीष्ट अर्थ ज्ञान के लिए अन्य पदों की भी अपेक्षा रहती है—यही आकांक्षा है ।

योग्यता—अर्थात्बोधो योग्यता (सर्क सग्रह) अर्थ में बाधा का अभाव होना योग्यता है । वाक्य की साधकता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विद्यमान सभी पद साथ मिलकर अर्थ विशेष को उत्पन्न करें । याने वाक्य में ऐसे पद नहीं होने चाहिए जो अर्थोत्पत्ति या अर्थ-ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर—इसे योग्यता कहते हैं ।

जैसे 'वह्निना सिञ्चति' । अर्थात् अग्नि से सींचता है । इस वाक्य में ऐसे पद विद्यमान हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं और विरुद्ध अर्थ को प्रकट करते हैं । क्योंकि सींचने की क्रिया जल से होती है न कि अग्नि से । यहाँ प्रस्तुत वाक्य के अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है—अतः यह योग्यता नहीं है । जहाँ अर्थ में बाधा उत्पन्न न हो वहाँ योग्यता होती है । जैसे—अलेन सिञ्चति ।

सन्निधि—पदानामविसम्भनोच्चारणं सन्निधिः । (सर्क सग्रह) अर्थात् वाक्य में प्रयुक्त पदों के उच्चारण में विलम्ब नहीं करना सन्निधि कहलाता है । जैसे देवदत्त प्रातःकाल भ्रमण करता है—इस वाक्य में प्रयुक्त पदों के उच्चारण में यदि विलम्ब किया जाय याने एक-एक पद कुछ देर तक रुक-रुक कर बोला जाय तो इससे वाक्यार्थ की उपयोगिता समाप्त हो जाती है । अतः वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को धारा प्रवाह रूप में बोलना सन्निधि कहलाता है ।

इस प्रकार शब्द-संग्रह में ज्ञान की अलग निधि संचित है जिसका समूचित उपयोग करने के लिए आत्मसाक्षात्कार आवश्यक है । आयुर्वेद में शब्द को स्वल्पेन प्रमाण न मानकर आप्तोपदेश में ही उसका समावेश कर लिया गया है । आप्तोपदेश की प्रथा

शक्तिता होने पर तदन्तगत सन्निविष्ट शब्द की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। आयुर्वेद जैसे गम्भीर शास्त्र में प्रतिपादित विषयों के लिए आप्तोपदेश का ह्योषा नितान्त आवश्यक है। आप्तोपदेश ही विभिन्न विषयों में समुचित मार्ग दर्शन करता है। इसके द्वारा ही रोग की उत्पत्ति करने के कारण पूर्वरूप रोग की दारुणता साध्या साध्यता यथावश्यक चिकित्सा तदथ समुचित औषधि प्रयोग की मात्रा अनुपात आदि तथा पथ्यापथ्यक का ज्ञान होता है। अतः आयुर्वेद में आप्तोपदेश को प्रमाण रूप में स्वीकार करना सवथा समीचीन है।

शक्तिग्रह एव शक्तिग्रहक

प्रत्येक पद का अपना निश्चित अर्थ होता है। वह अपने उसी अर्थ को प्रकट करता है। यद्यपि प्रत्येक पद के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को व्यक्त करने में पद में विन्यस्त शब्द सयोग ही विशेष महत्वपूर्ण होता है तथापि उस शब्द सयोग के द्वारा या उस शब्द सयोग के परिणाम स्वरूप पद में एक शक्ति विशेष का प्रादुर्भाव होता है जिसके बल पर पद उस विशिष्टार्थ को ध्वनित करने में समर्थ होता है। इसके अतिरिक्त पद में किया जाने वाला शब्द विन्यास भी कतिपय साधनों की अपेक्षा रखता है जिनके या जिसके अभाव में शब्द भी अपने ध्वनितार्थ को प्रकट करने में ससथ नहीं हो पाता है। इस प्रकार पद में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिणाम स्वरूप समुत्पन्न शक्ति और शब्दों के ध्वनितार्थ को प्रकट करने हेतु अपेक्षित साधन ही प्रयुक्त रूप से पद के विशिष्टार्थ का बोध कराने में सक्षम है। उन साधनों को शक्तिग्रह कहा जाता है। वे शक्तिग्रह पद और (पदगत शब्दों) को अभिसंस्कारित कर उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वे अपने अभीष्टार्थ को अभिव्यक्त कर सकें। वे शक्तिग्रह आठ होते हैं। जैसाकि निम्न श्लोक में प्रतिपादित है—

शक्तिग्रह व्याकरणोपभानकोषाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च ।

वाक्यस्य शेषात् विवर्तेवदन्ति सान्निध्यं सिद्धपदस्य वृद्धा ॥

अर्थात् वृद्ध (ज्ञान वृद्ध) जन व्याकरण उपमान कोष आप्तवाक्य व्यवहार, वाक्यशेष विवृति (विवरण) और सिद्धपद का सान्निध्य (इस आठ प्रकार) से शक्ति ग्रह को कहते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है—

१ व्याकरण—इसके द्वारा शब्द की धातु प्रकृति प्रत्यय आदि का बोध होता है और तदनुसार ही शब्द संस्कारित होकर अपने शुद्ध रूप में आता है जिससे उसके अभीष्ट अर्थ का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त पद की विभक्ति सन्धि समास आदि का यथोचित विन्यास भी व्याकरण के द्वारा ही होता है जो उसके समर्थ अर्थ की अभि

अन्वित में वृत्त अकारण है। यदि यह और उससे निश्चित वाक्य का व्यञ्जित करिस्कारक अकारण के द्वारा नहीं किया जाय तो यह और वाक्य अपने अन्वितार्थ को प्रकट नहीं कर पायेंगे। इसीलिए अन्वित ग्रह के रूप में व्यञ्जित को स्वीकृत किया गया है।

२ उपमान—इसके द्वारा सादृश्य ज्ञान होता है। इसका किन्तु विवेचन उपमान प्रमाण के प्रकरण में किया गया है। यहाँ संक्षेप में इतना समझ लेना आवश्यक है कि एक वस्तु के ज्ञान के आधार पर तत्सदृश अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्ति करना उपमान कहलाता है। जैसे धनुष के ज्ञान के आधार पर तत्सदृश व्याधि धनुस्तम्भ एवं दण्ड के ज्ञान के आधार पर तत्सदृश व्याधि दण्डक का ज्ञान करना। अर्थात् जिस व्याधि में शरीर धनुष की भाँति स्तम्भित हो जाती है वह धनुस्तम्भ एव जिस व्याधि में शरीर दण्ड की भाँति अकड़ जाता है वह दण्डक व्याधि होती है। इस प्रकार उपमान शक्ति ग्रह के द्वारा समान या सदृश भाव वाले विषय का ज्ञान होता है।

३ कोष—जिस शास्त्र या ग्रन्थ में शब्दों के पर्याय एवं अनेकार्थी संकलित रहते हैं उसे कोष कहते हैं। यहाँ कोष को भी शक्तिग्रह के रूप में माना गया है। इसका अर्थ यह है कि वाक्य में प्रयुक्त पद (शब्द) के समुचित अर्थ का ज्ञान मात्र कोष में ही संचित है। कोष के अभाव में पद के सही अर्थ का ज्ञान होना सम्भव नहीं है। जैसे किसी वाक्य या श्लोक में अमृता शब्द का प्रयोग किया गया। अमृता का सामान्य अर्थ हीता है—नहीं मरने वाली; इसका तात्पर्य यह हुआ कि नहीं मरने वाली वस्तु का प्रयोग किया जाय। कोष में अमृता पर्याय गुड़ूनी का है। अतः अमृता शब्द से यहाँ गुड़ूनी साह्य है। इसी प्रकार कोष के आधार पर ही श्लोक शास्त्र के असम में निशा से हरिदा और कणा से पिप्पली का ग्रहण होता है। अतः शक्तिग्रह के रूप में कोष भी महत्वपूर्ण है।

४ आप्तवाक्य—आप्त पुरुष के वचन को ही आप्तवाक्य कहते हैं। यद्यपि आप्तोपदेश के प्रकरण में आप्त की पर्याप्त समीक्षा एवं विवेचना की गई है। किन्तु यहाँ शक्तिग्रह के रूप में आप्तवाक्य का अभिप्राय है विज्ञानियों के वचन। जैसे गणित के छात्र को गणित का ज्ञान नहीं है विज्ञान के छात्र को विज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। जब सर्वोच्च विषय का अध्यापक प्रत्येक शब्द को स्पष्ट करते हुए उसे समझाता है तो छात्र को उस विषय से सम्बन्धित शब्दों का स्पष्टार्थ एवं उससे विषय का ज्ञान सरलता से होता है। अतः उस छात्र के लिए उसका अध्यापक ही 'आप्त' है और उस आप्त के द्वारा कहे गए वाक्य आप्त वाक्य कहलाते हैं। इसी प्रकार अनेकानेक वाक्य को उसके अर्थों पित्त के द्वारा जो शब्द बोध एवं विषय बोध कराया जाता है वह ही आप्तवाक्य के अन्तर्गत आता है। जैसे वह चन्द्रमा है, वह धाम है, यह योनि है इत्यादि। इस प्रकार शक्तिग्रह के रूप में 'आप्त वाक्य' के द्वारा भी पद एवं वाक्य का स्पष्ट अर्थ सही अर्थ अन्वित और उसका अर्थों बोध होता है।

५. व्यवहार—किसी विषय को व्यवहारिक प्रयोग के द्वारा समझाने का अर्थ समझना व्यवहार शक्तिग्रह होता है। हम अपने दैनिक जीवन में जो कियाए करते हैं उनके द्वारा अज्ञ व्यक्ति को जो ज्ञान होता है वह व्यवहार शक्तिग्रह कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को लकड़ी का काम करता हुआ देख कर उसे बड़ई समझना लोहे का काम करता देख कर उसे लहार समझना या जूता मरम्मत काम करता हुआ देखकर उसे चमार समझना व्यवहार शक्ति ग्रह के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार विज्ञान सम्बन्धी कार्य को प्रयोगशाला में करता हुआ देखकर उसे वैज्ञानिक एवं चिकित्सा के कार्य को करता हुआ देखकर उस चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक समझा जाता है।

६. वाक्यशेष—ऐसे वाक्य का कथन करना जिसमें कोई पद नहीं कहा गया हो वाक्यशेष कहलाता है। इस वाक्यशेष शक्तिग्रह के द्वारा अपूर्ण वाक्य का पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ जाना जाता है। शास्त्र में वाक्यशेष का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया गया है।

येन पादेवानुक्तेन वाक्य समाप्यते स वाक्यशेषः यथा शिर पाणिपादपाश्व
पृष्ठोदरसामिथ्यक्ते पुरुषग्रहणं विनाऽपि गम्यते पुरुषस्येति ।

—सुश्रुत संहिता उत्तरतत्र ६५/१६

अर्थात् जिस अनुक्त पाद से वाक्य की समाप्ति होती है वह वाक्यशेष कहलाता है। जैसे शिर हाथ पर पाश्व पीठ उदर छाती इतना कहने पर पुरुष के वह पद कहे बिना भी ये अवयव पुरुष के होते हैं ऐसा जान लिया जाता है।

इसी प्रकार अन्यत्र भी— वाक्यशेषो नाम अस्ताववाच्यभावाद्यण वाक्येषु पदमकृत गोप्यमानतया पूयते ।

अर्थात् जहाँ पर लाघव के लिए आचाय के द्वारा वाक्य में पद का बिन्यास नहीं किया गया है और गुप्त रूप से पाद पूर्ति की गई है वह वाक्यशेष कहलाता है।

एक अन्य लक्षण के अनुसार— वाक्यशेषो नाम यस्मिन् वाक्ये एकदेश शिष्यते व्याख्याकाले त्वनुच्यमानोऽप्यापतति ।

अर्थात् वाक्यशेष वह होता है जिस वाक्य में वाक्य का एक देश (कोई पद) शेष बचा हुआ हो और उस वाक्य की व्याख्या करते समय वह अनुक्त भाग भी कहा जाता है।

वाक्य शेष के उपर्युक्त इन तीनों लक्षणों में एक समान भाव ही व्यक्त किया गया है। इसके उदाहरण निम्न प्रकार से समझना चाहिये—

चरक संहिता सूत्रस्थान अ १६ में एक वाक्य प्रवृत्तिर्हेतु भवमानं क्हा गया है। जिसका सामान्य अर्थ है—भावों की उत्पत्ति में कारण। इसमें 'अस्ति या अवति वाक्यशेष है। यदि यहाँ अस्ति या अवति पद लगाना जाता तो पाद पूर्ति हो जाती। किन्तु यहाँ वाक्यशेष शक्तिग्रह के द्वारा अभीष्ट अर्थ ग्रहण कर लिया जाता

है। इसी प्रकार किसी स्थान पर जायज या जानूप रस का विधान किया गया। वहाँ अनुक्त पद 'जाँस' वाक्यशेष है। अर्थात् 'जाँसल जाँस रस' या 'जानूप जाँस रस' यह कथन किया जाना चाहिये था। यहाँ पर वाक्यशेष शक्तिग्रह के द्वारा अनुक्त जाँस पद का बोध कर लिया जाता है।

७ विवृति (विबरण)—जिस पद का अर्थ अति सामान्य है, उस अर्थ के आधार पर अन्य पद का संकेत जिस शक्तिग्रह से होता है उसे विवृति या विबरण कहते हैं। जैसे किसी ने पचति (पकाता है) शब्द का प्रयोग किया। इस पद का पूर्ण अर्थ है-पाक करोति' अर्थात् पाक करता है। यहाँ पर 'पचति' पद का प्रयोग पाक करने के अर्थ में होने से यह विबरण शक्तिग्रह कहलाता है।

८ सिद्धपद का सन्निध्य—किसी वाक्य में मुख्य पद नहीं होने पर भी उसकी पूर्णता हो वाक्याथ भी स्पष्ट हो किन्तु मुख्य पद का नहीं होना खटकने वाला न हो तो वह सिद्धपद का सन्निध्य शक्तिग्रह होता है। इसमें प्रसिद्ध पद के पास में होने से शक्ति ग्रह होता है। जैसे निम्न वाक्य का प्रयोग किया गया—“सहकारे मधुमि पिबति। अर्थात् आम के वृक्ष पर मधु (शहद) पीता है। इस वाक्य में यह स्पष्ट नहीं है कि आम के वृक्ष पर मधु का पान कौन करता है? किन्तु यहाँ 'मधु' सिद्ध पद है जिससे यह आभास सहज ही मिल जाता है कि मधु का पान मधुकर (भोर) ही करता है। क्योंकि आम की मजरियो में रसपान करने वाला मात्र भ्रमर ही होता है। अतः वाक्य में मधु एक ऐसा सिद्ध पद है जो वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुए 'मधुकर' का संकेत करता है। अतः यह सिद्ध पद है।

इस प्रकार इन अष्टविध शक्ति ग्रह के द्वारा वाक्य के स्पष्ट अर्थ का प्रकाशन होता है जिससे शास्त्र में प्रतिपादित समस्त विषयो का ज्ञान होता जो संदेह एवं भ्रम दोषों से रहित होता है।

त्रयोदश अध्याय

अन्य प्रमाण निरूपण

युक्ति प्रमाण

आयुर्वेद शास्त्र में चतुर्थ प्रमाण युक्ति को माना गया है। प्रमाणों की गणना में युक्ति प्रमाण को यद्यपि उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि प्रत्यक्ष अनुमान और अप्तोपदेश इन तीन प्रमाणों को दिया गया है। आयुर्वेद में इन तीन प्रमाणों के साथ जब अन्य प्रमाणों की आवश्यकता का अनुभव किया गया तब उस आवश्यकता के अनुसार युक्ति प्रमाण को भी काय साधन के लिए अंगीकार कर लिया गया है। पहले तो महर्षि चरक ने पदार्थों की चतुर्विध परीक्षा का निदेश देते हुए स्पष्टतः वहाँ युक्ति को चतुर्थ प्रमाण मान कर उसका उल्लेख कर दिया। किन्तु बाद में आगे चल कर उठने विमान स्थान में अनुमान शब्द लक्ष्यपूर्वक यह अनुमान का लक्षण निरूपित करते हुए युक्ति को अनुमान प्रमाण की अनुग्राहिका मात्र स्वीकार किया है। इस आधार पर कतिपय आचार्यों का यह मत है कि युक्ति कोई स्वतंत्र प्रमाणांतर नहीं है। अपितु यह व्याप्ति रूप से अनुमान की सहायता मात्र करती है। अनुमान प्रमाण की अनुग्राहिका मात्र होने से युक्ति का अन्तर्भाव अनुमान में ही हो जाता है। अतः उसके स्वतंत्र प्रमाण के रूप में मानने का कोई औचित्य नहीं है और न ही इसकी कोई आवश्यकता है। किन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। युक्ति भी एक स्वतंत्र प्रमाण है। यह अनुमान प्रमाण की अनुग्राहिका मात्र नहीं है, अपितु अनुमान के लिए उसकी अनिवार्यता बतलाने की दृष्टि से अनुमान को युक्ति की अपेक्षा (आवश्यकता) रखने वाला तक बतलाया गया है जिससे युक्ति का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है। अतः उसके अवबोध के लिए उसका लक्षण एवं उदाहरण बतलाते हुए सक्षित विवेचन प्रस्तुत है।

युक्ति का स्वरूप एवं लक्षण

युक्ति शब्द का निर्माण युज् धातु में क्तिन् प्रत्यय लय कर हुआ है जिसका अभिप्राय योजना या विधि पूर्वक कार्य करना होता है। अर्थात् किसी भी कार्य को ठीक

इस से, किधि पूर्वक वा योजना के अनुसार करण बुद्धि कहलाता है। वैसे कि चरक संहिता में कहा गया—'बुद्धिरनु योजनाय' और 'योजना वा बु बुध्यते'।

इसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्न लक्षण द्वय द्वारा और अधिक स्पष्टता से उसके अर्थ का बोध हो जाता है—

विज्ञातेऽर्थे कारणोपपत्तिदर्शनात् अविज्ञातेऽपि तदवधारण युक्ति — अर्थात् चरक ।

अर्थात् विज्ञात (जाने हुए) अर्थ में कारण और उपपत्ति को देखकर अविज्ञात अर्थ में उसी प्रकार कारण और उपपत्ति को समझना या लागू करना युक्ति कहलाती है। जब हम किसी जाने हुए विषय में विविध कारणों की योजना को देखकर अनजान विषय में भी उसी कारण और उपपत्ति की योजना करते हैं तो वह युक्ति कहलाती है।

महर्षि चरक ने युक्ति की समीचीन व्याख्या करते हुए उसका जो स्वरूप एवं लक्षण बतलाया है उससे आयुर्वेद में उसकी उपयोगिता का आभास सहज ही हो जाता है। उन्होंने युक्ति का निम्न लक्षण किया है—

बुद्धि पश्यति वा भावान् बहुकारणयोगजान् ।

युक्तिस्त्रिकाला त्वमेवा त्रिवग साध्यते यथा ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान ११/२५

अर्थात् जो बुद्धि बहुत कारणों के योग से उत्पन्न भावों की सङ्गति (उपपत्ति) से ज्ञेय विषयों को देखती है वह बुद्धि (ज्ञान) युक्ति कहलाती है। अभिप्राय यह है कि बिना विषयों के तत्त्व का ज्ञान नहीं है उन विषयों का तत्त्व ज्ञान करने के लिए जो बुद्धि ज्ञात कारणों की उपपत्ति (संगति-योजना) के द्वारा जानती है वह युक्ति कहलाती है। अतः अनेक कारणों के योग से उत्पन्न अविज्ञात भावों को विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। इस युक्ति का उपयोग भूत भविष्य-वर्तमान तीनों ही कालों ही में होता है जिससे [धर्म अथ और काम इन तीन वर्गों की सिद्धि होती है]।

इसकी व्याख्या आचार्य चक्रपाणि इस ने निम्न प्रकार से की है—

बहुपत्ति-योग-ज्ञायमानावर्थात् वा बुद्धि पश्यति उल्लक्षणं सा युक्तिरिति प्रमाणसहायीभूता ।

अर्थात् अनेक उपपत्तियों के योग से जानने योग्य अर्थों को जो बुद्धि देखती है उस उल्लक्षणार्थक बुद्धि को ही युक्ति कहते हैं।

इसी प्रकार अन्य आचार्यों ने भी युक्ति के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा है—

"तद्व्याख्याविरहितं वा शतकर्मैताप्रतीतिरिचं युक्ति ।"

—मानस रसित-कर्मलक्षणी

अर्थात् बहुत सव्य भाव से भावित होकर तत्कर्मता की प्रतीति होती है वह युक्ति कहलाती है।

यहाँ तद्भाव का अर्थ है— 'तयो कारणकार्ययो' पूर्वस्य परस्मिन् हेतुः सापेक्ष-
भ्रमः उत्पत्ति । अर्थात् कारण और कार्य दोनों में पूर्व अर्थात् कारण का परवर्ती
अर्थात् कार्य में हेतु सापेक्ष भाव होकर उत्पन्न होना । इस प्रकार के तद्भाव से धाबित
याने बारम्बार विज्ञातार्थ होकर किसी अविज्ञात स्थान पर तत्कार्यता याने उसी प्रकार
कारण से कार्य की उत्पत्ति का होना युक्ति कहलाता है ।

युक्ति के विषय में आचार्य चक्रपाणि दत्त ने अन्यत्र अपना जो मन्तव्य व्यक्त
किया है वह भी माननीय है । यथा—

या कल्पना यौगिकी भवति सा तु युक्ति निरूप्यते । अयौगिकी तु कल्पनाऽपि
सती युक्तिर्नोच्यते पुत्रोऽप्यपुत्रवत् ।

अर्थात् जो कल्पना यौगिकी होती है वह युक्ति कहलाती है । अयौगिकी तो
कल्पना होते हुए भी युक्ति नहीं कहलाती है । पुत्र भी अपुत्र भी भाति होता है ।

कल्पना सामान्यतः दो प्रकार से उत्पन्न होती है— साधार और निराधार ।
जैसे अनेक स्थलों पर कार्य को सामने उत्पन्न हुआ देख कर कारण और कार्य ज्ञान के
योग सम्बन्ध का अनुभव हो जाता है । उस योग अर्थात् कारण और कार्य जन्म अनुभव
से उसी प्रकार के अद्य स्थल पर कारण-कार्य की जो कल्पना की जाती है वह यौगिकी
कल्पना कहलाती है । इसी को साधार कल्पना भी कहते हैं । क्योंकि इस कल्पना का
आधार पूर्वसौ पक्षों में किया गया अनुभव होता है । आचार्य चक्रपाणि के अनुसार
यही यौगिकी या साधार कल्पना युक्ति होती है । इससे भिन्न जो निराधार (आधार
रहित) कल्पना होती है वह अयौगिकी कल्पना कहलाती है और आचार्य चक्रपाणि की
दृष्टि में वह युक्ति नहीं है । जैसे किसी व्यक्ति ने ऊँट को नहीं देखा था । एक दिन प्रातः
किसी गाँव के बाहर जब ग्रामीणों ने ऊँट के पाँव के बड़े-बड़े निशान देखे तो वे सोच
में पड़ गए कि इतना बड़ा पैर तो किसी जानवर का नहीं होता है । फिर ये किसके
निशान हैं । तब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अपने पाँव में चक्की का पाट बाध कर कहीं
हिरण न कदा हो । इस प्रकार की कल्पना निराधार अयौगिकी होती है । अतः इसे
युक्ति नहीं माना जा सकता । इस प्रकार की अयौगिकी कल्पना के सन्दर्भ में चक्रपाणि
द्वारा दिया गया उदाहरण सटीक है । जैसे 'पुत्रोऽप्यपुत्रवत्' अर्थात् जिस प्रकार पुत्र भी
सम्बन्ध नहीं रखने के कारण अपुत्र हो जाता है उसी प्रकार कल्पना भी सम्बन्ध नहीं
रखने पर अकल्पना हो जाती है । ऐसी स्थिति में उसे युक्ति नहीं माना जाता है ।

महर्षि चरक ने युक्ति का जो लक्षण प्रतिपादित किया है—जैसा कि ऊपर
बतलाया गया है उसे शिम्भ उदाहरणों के द्वारा और अधिक स्पष्ट करते हुए आयु
वेद में उसकी उपयोगिता को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया गया है । युक्ति को
चरकोक्त निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है—

अत्युष्णो जलकृतं स्योयान् अत्युष्णः ॥
 युक्तिः अत्युष्णस्योपाद् गर्भाणां सज्जवत्सत्ता ॥
 अथ्यमन्थनमन्थानसंयोगात्संविद्यते ॥
 युक्तियुक्ता अत्युष्णसंयुक्तं अथाधिनियमिहो ॥

—परक ग्रहिता, सूत्रस्थान ११/२३-२४

अर्थ—जिस प्रकार जल कर्षण बीज और ऋतु के संयोग से जी वेहू आदि धान्यों की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार छ घातुओं (पांच महाभूत और आत्मा) के संयोग से गर्भों की उत्पत्ति हुआ करती है—यह युक्ति प्रमाण है। (क) मध्य (यद्यने योग्य नीचे रखी हुई लकड़ी) (ख) मन्थन (मन्थन किया अथवा मन्थक पाठ होने पर मन्थन करने वाला पुरुष) (ग) मन्थान (मन्थन करने योग्य लकड़ी को जिस दूसरी लकड़ी से मथा जाता है) इन तीनों के संयोग से जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार चिकित्सा के युक्तियुक्त चार पादों (भिषग् इव्यं उपस्थाता और रोगी) के रहने पर रोगो का शमन होता है।

इस प्रकार प्रत्येक कार्य की सफलता योजना अथवा युक्ति पर निर्भर है। यदि युक्ति पूर्वक जल कषण बीज और ऋतु इनका संयोग न हो तो अनाज की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। अर्थात् ऋतु का उचित संयोग होने पर उचित रूप से खेत की जुताई करने पर विधिपूर्वक उसकी बोवाई करने से और आवश्यकतानुसार उचित समय पर जल के द्वारा उसकी सिंचाई करने से अनाज उत्पन्न होता है। इन चारों में से किसी एक साधन का समुचित संयोग नहीं होने पर अनाज के उत्पन्न होने में बाधा हो सकती है। इसी प्रकार छह घातुओं (पृथ्वी जल तेज वायु अकाश और आत्मा) का उचित प्रकार से संयोग होने पर ही गर्भ की उत्पत्ति सम्भव है। इन घातुओं का संयोग यदि विधि पूर्वक न हो तो गर्भ की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। यहाँ जल कर्षण बीज और ऋतु इनमें विज्ञात कार्य कारण भाव का ज्ञान कर अधि ज्ञात यह घातु के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति की कल्पना तथ्य रूप में की गई है। जल कषण आदि का ज्ञान सामान्यतः सभी व्यक्तियों को होता है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष होने से विज्ञात है। गर्भ की उत्पत्ति अदृश्य है। अतः विज्ञात धान्य की उत्पत्ति से अधिज्ञात गर्भ की उत्पत्ति का प्रामाणिक ज्ञान युक्ति प्रमाण से किम्ब जाता है। दूसरा दुष्प्रान्त भी इसी सिद्धान्त का अनुसरण करता है। प्राचीन काव में अग्नि की उत्पत्ति अग्नि-मन्थन से की जाती थी। आजकल भी धरती के कर्षणपट्टी लोग अग्नि-मन्थन से आग उत्पन्न करते हैं। मध्य मन्थन और मन्थान इन तीनों के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति प्रत्यक्ष एवं विज्ञात है। इसके अधिज्ञात चिकित्सा के अनुष्णाद की सिद्धि स्वल्प रोग-विनाश होने की तथ्य रूप कल्पना की जाती है।

इसने जर्मि उत्पन्न करने वाले तीनों साधनों में से अथवा चिकित्सा के चतुष्पाद में से किसी एक का अभाव होने पर अथवा इनका उचित संयोजन नहीं होने पर कार्य की सफलता सन्देह हो जाती है। अतः अभीष्ट प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों की युक्ति युक्त संयोजना अपेक्षित रहती है।

इसी भाँति प्रत्येक कार्य के लिए युक्ति की अपेक्षा रहती है। यदि उस कार्य के साधनों का संयोग या उपयोग विधि पूर्वक नहीं किया गया तो वह कार्य सफल नहीं हो सकता। इस आधार पर आयुर्वेद में चतुर्थ प्रमाण के रूप में युक्ति को स्वीकार किया गया है।

युक्ति प्रामाण्य विचार

किसी भी वैदिक या अवैदिक दशन ने प्रमाणों के परिगणन में युक्ति का समावेश नहीं किया है। किन्तु आयुर्वेद में इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार कर उसकी उपयोगिता को मान्य किया गया है। महर्षि चरक ने इस बात की कोई चिन्ता नहीं की कि जब साध्य वैशेषिक आदि किसी अन्य दशन ने युक्ति को प्रमाण नहीं माना है तो आयुर्वेद में भी इसे अस्वीकार नहीं किया जाय। उन्होंने आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता एवं अनिवार्यता को देखते हुए अन्य दशनों का अनुसरण न कर स्वविवेक पूर्वक युक्ति को प्रमाण रूप में स्वीकार करना ही अभीष्ट समझा। उन्होंने सम्भावित स्पष्टतः अनुभव किया कि जब तक षड्धातु संयोग की योजना नहीं होगी तब तक गन्ध की सम्भवना (उत्पत्ति) कैसे हो सकती है? इसी प्रकार युक्ति युक्त चतुष्पाद (सिषग् द्रव्य उपस्थाता और रोगी) के बिना रोग का नाश कैसे होगा? औषध द्रव्यों की सम्यक योजना के अभाव में औषधि योगों का निर्माण भी कैसे सम्भव होगा? और आहार द्रव्यों के संयोजन के बिना रोगी की पथ्य व्यवस्था की कल्पना कैसे की जा सकती है? अभिप्राय यह है कि आयुर्वेद में तो पदे पदे युक्ति की उपयोगिता एवं आवश्यकता है। सम्भवतः इसीलिए महर्षि चरक ने चतुर्विध परीक्षा के अन्तर्गत युक्ति का भी परिगणन किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि चरक के परवर्ती आचार्य चक्रपाणि दत्त को युक्ति का प्रामाण्य अभीष्ट नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने चरक की भाँति उसका प्रमाणत्व अंगीकार न कर उसे प्रमाण सहाय्यीयता कहकर प्रमाण की सहायिका के रूप में उसे माना है। एक स्थान पर तो इससे भी आगे बढ़कर उसे अप्रमाण कहने में भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं हुई। जैसा कि इस वचन से स्पष्ट है— 'आ च चरकप्रमाणः साहाय्यीयतायै प्रमाणम्। अर्थात् नह्यं परमार्थरूपेण अप्रमाण्यं होतुं शक्यं। यद्यपि यह कथन किसी अन्य प्रसंग में है, तथापि युक्ति के प्रति चरक की भावना एवं विचार सक्ति को स्पष्ट है। चरक संहिता में अन्तर्गत भी युक्ति को स्वतन्त्र प्रमाण रूप मानने में आचार्य चक्रपाणि

यह तब संभवति भाव नहीं है। जहाँ कहीं प्रति उन्हेंने कुछ कदा भी है तो प्रमाणवत् अपनी विवक्षता रही है। क्योंकि ज्ञाने ज्ञेय से वहाँ भी उन्हेंने युक्ति का समर्थन नहीं किया है। वैसाकि चरकोष्ठ परादि शुभ कर्मों के प्रसंग में उनके द्वारा स्वयं प्रसंग से इलाक़ आभास मिलता है। चरक ने परादि चतुर्विध युक्तियों के अन्तर्गत युक्ति का भी विवेक किया है। इस प्रसंग में उन्हें भी इसका पृथक् महत्व स्वीकार करता पक्ष।

युक्ति को प्रमाणत्वेन स्वीकार करने की दृष्टि से ही महर्षि चरक ने पुनर्जन्म की सिद्धि युक्ति प्रमाण द्वारा करने का प्रयास किया है। यह ज्ञातव्य है कि पुनर्जन्म की सिद्धि जिस प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से की गई है उसी प्रकार युक्ति प्रमाण से भी की गई है। इस सन्दर्भ में निम्न वचन दृष्टव्य है—

यन्निवर्त्तना यद्भवतुसमुदायाद्गजजन्म । कर्त्तृ करणसमोपाह् क्रिया । कृतस्य कर्मण फल नाहृतस्य नाह् कुरोपतिरबीजात् कर्मसदृश फलम् कर्मणस्यैव बीजावस्थ-
स्रोतपश्चिरिति ।
—चरक संहिता, सूत्रस्थान ११/३२

अर्थात् पृथ्वी आदि पंच महाभूत और आत्मा इन षट् धातुओं के संयोग से यम की उत्पत्ति होती है—यही युक्ति है। कर्ता और करण के संयोग से क्रिया होती है—यह भी युक्ति है। यदि कर्ता और करण (साधकतम कारण) इनमें से कोई एक न हो तो क्रिया नहीं हो सकती। यदि कर्ता हो और करण न हो तो क्रिया नहीं होगी और यदि कर्ता न हो किन्तु करण हो तो भी क्रिया नहीं होगी। जब तक कर्ता और करण इन दोनों का संयोग नहीं होगा तब तक क्रिया असम्भव है। मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है नहीं किए हुए कर्म का नहीं। बीज के बिना अक्षुर की उत्पत्ति नहीं होती है कर्म के समान ही फल होता है एक के बीज से अन्य फल की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि बबूल का बीज बोया जाय तो उससे आम या किसी अन्य फल का उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। बबूल के बीज से बबूल ही उत्पन्न होता है।

कतिपय विद्वानों का यह मत है कि महर्षि चरक ने अनुमान का यह असाध — अनुमान खल तर्कों दूर-व्यपेक्ष प्रतिपादित करते हुए अनुमान में ही युक्ति का अन्तर्भाव कर लिया है जब प्रमाणत्वेन युक्ति को पृथक् मानने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब चरक ने स्पष्ट रूप से चतुर्विध परीक्षा (प्रमाण) के अन्तर्गत युक्ति का उल्लेख किया है तो अनुमान में उसके अन्तर्भाव का प्रसंग ही उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त अनुमान के उपर्युक्त लक्षण में युक्ति की अपेक्षा स्वयं ज्ञाने तर्क को अनुमान बतलाया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अनुमान में युक्ति ही ही अपेक्षा रहती है। इससे अनुमान में युक्ति का महत्त्व एवं उपयोगिता

अधिक सार्थक रूपमें प्रतिपादित की गई है न कि उसका अन्तर्भाव किया गया है। जैसे अनुमान के ही प्रसंग में 'प्रत्यक्षपूर्व त्रिविध त्रिकाल चानुमीयते।' ऐसा कहा गया है जिससे यह तात्पर्य तो नहीं निकाला जा सकता कि अनुमान में प्रत्यक्ष का अन्तर्भाव कर लिया गया है। इसी प्रकार अनुमान में युक्ति की उपयोगिता प्रतिपादित की गई है न कि उनका अन्तर्भाव किया गया है। अतः युक्ति एक स्वतन्त्र प्रमाण है जो आतुर परीक्षा के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

युक्ति प्रमाण का वैशिष्ट्य

युक्ति प्रमाण का वैशिष्ट्य निम्न तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया जा सकता है—

(१) युक्ति प्रमाण का वैशिष्ट्य इसी से स्पष्ट है कि महर्षि चरक ने आतुर परीक्षा के लिए युक्ति को स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में निरूपित किया है।

(२) यद्यपि युक्ति को योजना मानकर उसके स्वरूप का प्रतिपदान करने का प्रयास किया गया है किन्तु इसको गम्भीरता का आभास इससे ही मिल जाता है कि योजना करना भी एक बुरा कार्य है। इसीलिए आचार्य प्रवर ने कहा है—**योजनास्तत्र बुद्धिर्भा**। अतः युक्ति या योजना को इतना सरल एवं सहज नहीं मान लेना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि युक्ति का ज्ञाता होना उतना सरल नहीं है जितना समझा जाता है। ग्रंथों का अध्ययन करके विद्वान् होना एक भिन्न बात है और युक्तिज्ञ युक्ति का ज्ञाता होना-योजना करने की क्षमता वाला होना एक भिन्न बात है। इसीलिए युक्तिज्ञ व्यक्ति का स्थान सर्वोपरि माना गया है। जैसा कि निम्न वचन से स्पष्ट है—**तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो ब्रह्मज्ञानवतां सदा।**

(३) युक्ति के प्रसंग में एक यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि त्रिविध धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों को उपयोगी न मानकर युक्ति को ही उपयोगी माना गया है। व्यवहारिक रूप से भी यदि देखा जाय तो युक्ति के अभाव में न तो धर्म का साधन होना सम्भव है न अर्थ प्राप्ति होना सम्भव है और न काम का होना सम्भव है।

(४) अत्येक प्रमाण तात्कालिक या उसी समय होता है। अनुमान कहीं प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और कहीं युक्ति की अपेक्षा रखता है जबकि युक्ति तीनो काल में होती है और वह प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रखती है।

(५) जो विषय या कार्य युक्ति साध्य होता है उसे प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा सिद्ध या सम्पन्न नहीं किया जा सकता है।

(६) आयुर्वेद में युक्ति की विशेष उपयोगिता है। आतुर परीक्षा हेतु रोग के हेतु, पूर्व रूप लक्षण एवं सम्प्राप्ति विमर्श में युक्तिज्ञ वैद्य ही सफल हो सकता है। रोग

निष्कर्ष को जाने पर उसकी औपम्य-बोधना भी युक्ति पर ही आधारित है। अन्यथा रोगोपसमन हीन सम्भव नहीं है। उपमाक-अनुपमक का ज्ञान भी युक्ति की कमीका रक्षता है। औपम्य निर्माण (शेषण कल्पना) में द्रव्यों की बोधता (द्रव्यों का मान-परिमाण आदि का समुचित ज्ञान) युक्ति पर ही आधारित है।

इस प्रकार आयुर्वेद में युक्ति का वैशिष्ट्य एव महत्त्व है। इसीलिए इसे प्रमाणत्वेन प्रतिष्ठापित एवं निरूपित किया गया है।

उपमान (औपम्य) प्रमाण निरूपण

उपमिति का कारण उपमान कहलाता है। किसी प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से किसी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमिति कहलाता है। इस उपमिति का कारण (साधकतम कारण) ही उपमान कहलाता है। उपमान शब्द की निष्पत्ति 'उपमीयतेऽनेनेति उपमानम्' इस विग्रह के अनुसार होती है जिसका अर्थ होता है— उपमा सादृश्य अथवा समानता के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमिति कहते हैं। न्याय दर्शन में उपमिति का लक्षण निम्न प्रकार प्रतिपादित किया गया है—

'समासज्ञिसम्ब घञ्ञानमुपमिति' अर्थात् किसी नाम के उस नाम वाली वस्तु से सम्बन्ध के ज्ञान को उपमिति कहते हैं और उपमिति का जो कारण होता है वह उपमाव होता है। जैसा कि प्रतिपादित किया गया है— उपमितिःकरणमपमानम्। —सक संग्रह

उसका कारण सादृश्य ज्ञान है। पहले सुने हुए विश्वस्त पुरुष के वाक्य के अर्थ का स्मरण भी इसमें कारण होता है। जैसे कोई व्यक्ति 'गव्य के विषय में नहीं जानता है। उसने किसी वनवासी व्यक्ति से सुना कि जो गाय के सदृश होता है वह 'गव्य' कहलाता है। जब वह वन में गया और उसने वहाँ गाय के सदृश एक प्राणी को देखा। तब उसे पहले सुने हुए वाक्य का स्मरण हुआ कि गाय के सदृश गव्य होता है। इसी आधार पर उसे पहले सुने हुए वाक्य का स्मरण हुआ कि गाय के समान होने के कारण यह गव्य है। यही सादृश्य ज्ञान कहलाता है। इस सादृश्य ज्ञान के आधार पर ही उपमिति का अस्तित्व निर्भर करता है। यही सादृश्य ज्ञान उपमिति शब्द से अभिप्रेत होता है। इसका कारण या साधकतम कारण ही 'उपमान' कहलाता है।

उपमान प्रमाण के अन्य शास्त्रोक्त लक्षण भी उपयुक्त भावार्थ का ही प्रकटन करते हैं। यथा— 'प्रसिद्धस्य सादृश्येकाप्रसिद्धस्य प्रकृतानम् औपम्यमुपमानम्' अर्थात् प्रसिद्ध वस्तु के सादृश्य से अप्रसिद्ध वस्तु के सादृश्य का विमान कर उसे प्रकटित करना औपम्य या उपमान कहलाता है।

'प्रसिद्धसाधर्म्यात् साधर्म्यसाधनम् ।'

— व्यास दर्शन १।१।५

अर्थात् प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से साधर्म्य (अप्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य) की सिद्धि करना उपमान कहलाता है।

प्रसिद्धवस्तुसाधनप्रतिष्ठस्य साधनम् ।

उपमानमिति ख्यात यथा गौर्यवस्तुम् ॥

— दण्डकान्त शतक

अर्थ—प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से अप्रसिद्ध वस्तु का साधन करना उपमान कहलाता है । जैसे गौ के साधर्म्य से अप्रसिद्ध वचय का साधन करना ।

आयुर्वेद सम्मत लक्षण

प्रसिद्धसाधर्म्यात् सूक्ष्मव्यवहरितविप्रकृष्टार्थस्य साधनमुपमानम् । यथा-भाषकस्य नामक तिलमात्रस्तिलकालक इत्यादि । — दण्डकान्त

अर्थात् किसी प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से सूक्ष्म (दिखाई नहीं देने वाले) व्यवहित (तिरोहित हुए) विप्रकृष्ट (अत्यन्त दूरस्थ) वस्तु या विषय का साधन करना उपमान कहलाता है । जैसे माष (उडद) के समान होने से मषक रोग और तिल के समान होने से तिलकालक रोग होता है ।

'सादृश्यमधिकृत्यान्वेन प्रसिद्ध मान्यस्याप्रसिद्धस्य प्रकाशनम् । — चरकोपस्कार
अर्थात् सादृश्य के आधार पर किसी प्रसिद्ध वस्तु से अथ अप्रसिद्ध वस्तु का प्रकाशन (ज्ञान प्राप्त) करना उपमान कहलाता है ।

'अक्षौष्ठम्भ-औपम्य नाम तद् अदृश्येनाप्यस्य सादृश्यमधिकृत्य प्रकाशनम् । यथा दण्डकेन दण्डकस्य धनुषा धनुस्तम्भस्य इषवासेनारोग्यस्येति ।

— चरक सहिता विमान स्थान/

अर्थात् उपमान या औपम्य उस प्रमाण को कहते हैं जिसमें किसी ज्ञात सदृश वस्तु के ज्ञान से अज्ञात सदृश वस्तु का परिचय या ज्ञान प्राप्त किया जाता है । जैसे दण्ड को देख कर दण्डक नामक व्याधि का और धनुष को देख कर धनुस्तम्भ नामक व्याधि का प्रकाशन करना तथा धनुष के कुशल चालक धनुधर को देखकर अरोग्यदाता वैद्य का प्रकाशन करना इत्यादि ।

उपयुक्त उदाहरण में प्रसिद्ध दण्ड को देखकर दण्ड के सादृश्य से दण्डक रोग का प्रकाशन करना तथा धनुष के सादृश्य से अप्रसिद्ध धनुस्तम्भ का प्रकाशन करना उपमान प्रमाण के द्वारा ज्ञातव्य है । जैसे किसी छात्र को अध्ययन काल में गुरु ने बतलाया कि दण्डक रोग में शरीर दण्ड के समान अकड़ जाता है यह रोग उस विद्यार्थी के अध्ययन काल में कभी देखने में नहीं आया हो किंतु कार्यकाल में या व्यवहार में जब वह किसी व्यक्ति के शरीर को दण्ड के समान स्तब्ध हुआ देखता है तो उसे ज्ञात ही जाता है कि यह और ऐसा दण्डक रोग होता है । इसी प्रकार धनुष के सादृश्य से धनुस्तम्भ नामक व्याधि का माष के सादृश्य से मसके का तिल के सादृश्य से तिल का विद्यारी कन्द के सादृश्य से विद्यारी रोग का ज्ञान प्राप्त करता है । जिस प्रकार एक श्रेष्ठ अभ्यस्त धनुर्वारी अपने लक्ष्य का वेध करने में कभी असफल नहीं होता उसी प्रकार

किया कुशल वैद्य अपने कार्य में अर्थात् आरोग्य लाभ कराने में असफल नहीं होता है । यह ज्ञान अर्थात् इष्यन्तु के कार्यसिद्धि के सादृश्य से आरोग्य दत्ता वैद्य का ज्ञान प्राप्त करना उपमान प्रमाण द्वारा सम्भव है ।

नैर्भायिकी द्वारा स्वीकृत यह तीसरा प्रमाण है । इसके अभ्यन्त में वे विभिन्न तर्क प्रस्तुत करते हैं—

(१) प्रत्यक्ष में इसका अन्तर्भाव किया जाना सम्भव नहीं है । क्योंकि यहाँ केवल गाय का प्रत्यक्ष होता है न कि गवय का । प्रथम गाय होने पर तत्सादृश्य के आधार पर गवय का ज्ञान होता है । यदि गाय का प्रत्यक्ष न हो तो गवय का ज्ञान होना सम्भव नहीं है । इस ज्ञान में इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष तो होता है किन्तु यदि सादृश्य का स्मरण न हो तो सादृश्य ज्ञान के अभाव में गवय का ज्ञान नहीं हो पावेगा । अतः यहाँ सादृश्य का स्मरण ही विशेष महत्वपूर्ण है वही उपमान का कारण है । यद्यपि उपमान के पूर्वार्ध में प्रत्यक्ष का होना आवश्यक है । किन्तु उसके उत्तरार्ध में जो ज्ञान अपेक्षित है वह प्रत्यक्ष के द्वारा सम्भव नहीं होने से स्वतन्त्र रूपेण उपमान प्रमाण की अपेक्षा रखता है ।

(२) अनुमान में इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता है । इसका कारण यह है कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है । इससे अतिरिक्त अनुमान की सिद्धि के लिए व्याप्ति का ज्ञान सबथा अपेक्षित होता है । व्याप्ति के बिना अनुमान की सिद्धि होना सम्भव नहीं है । इसके विपरीत उपमान के लिए व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती । क्योंकि जो एव गवय का साहचर्य सम्बन्ध इसमें नहीं होता है । अतः अनुमान में इसका अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता ।

(३) शब्दादि अन्य प्रमाण भी इतने समर्थ नहीं हैं कि वे सादृश्य ज्ञान करा सकें । जिस प्रकार और जिस रूप में उपमान के द्वारा ज्ञान होता है उस प्रकार का उस रूप में ज्ञान किसी अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं किया जा सकने के कारण किसी अन्य प्रमाण में उसका अन्तर्भाव किया जाना सम्भव नहीं है । अतः उपमान एक स्वतन्त्र प्रमाण है ।

अनेक आचार्यों एवं दर्शनियों ने इसके स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है । वैशेषिक सांख्य योग बौद्ध तथा जैन दर्शन के विद्वान् इस प्रमाण को स्वतन्त्र रूपेण पृथक् प्रमाण नहीं मानते हैं । श्री चिन्मयाचार्य ने उपमान प्रमाण को स्वतन्त्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत ही इसका अन्तर्भाव कर लिया है । वैशेषिक दर्शन के आचार्यों ने इसे स्वतन्त्र प्रमाण न मानकर अनुमान प्रमाण के ही अन्तर्गत कर दिया है । कुछ आचार्यों ने उपमान को शब्द प्रमाण से भिन्न न मानकर उद्यी के अन्तर्गत इसके अस्तित्व को स्वीकार किया है । सांख्य दर्शन के विद्वान् उपमान का अस्तित्व शब्द पूर्वक प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं । इस प्रकार अनेक

दर्शनों में उपमान प्रमाण को स्वतन्त्र न मानकर विभिन्न प्रमाणों में इसकी सत्ता स्वीकार की है। केवल न्याय दर्शन ही उपमान प्रमाण के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसके मतानुसार प्रत्यक्ष अनुमान अथवा शब्द में उपमान प्रमाण का अन्तर्भाव किया जाना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। क्योंकि यह इन तीनों प्रमाणों से भिन्न सबका स्वतन्त्र अस्तित्ववान् है। इन तीनों में से कोई भी प्रमाण उपमान के द्वारा साधित अभीष्ट की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं है। सिद्धान्तमुक्तावलि में उन सभी मतों का खण्डन किया गया है जो उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण न मानकर किसी अन्य प्रमाण में उसका अन्तर्भाव करते हैं। न्याय दर्शन ने प्रत्यक्ष एव अनुमान के पश्चात् इसे तीसरा प्रमाण स्वीकार किया है।

आयुर्वेद में उपमान प्रमाण की उपयोगिता

आयुर्वेद में यद्यपि मुख्यतः प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश इन तीन प्रमाणों का ही उल्लेख मिलता है किन्तु कहीं कहीं युक्ति और कहीं-कहीं उपमान का परिगणन भी किया गया है। इससे यह तो स्पष्ट है कि उपमान का प्रमाणत्व महर्षि चरक को भी अभीष्ट था और महर्षि सुश्रुत को भी। किन्तु उपयुक्त त्रिविध प्रमाण की भाँति उसका उतना वैशिष्ट्य नहीं है। आयुर्वेद में उपमान की उपयोगिता ऐसे रोगों का ज्ञान कराने में है जो किसी वस्तु या विषय से मादृश्य रखते हैं। इसीलिए चिकित्सा में भी उपमान की उपयोगिता असदिग्ध रूप से स्वीकार की जा सकती है। क्योंकि आयुर्वेदीय चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि समान गुण धर्म वाले द्रव्यों का सेवन करने से शरीर में समान भावों की अभिवृद्धि होती है। जैसे शरीर में मांस घातु का क्षय होने पर तत्समान गुण धर्मी पशुओं का मांस सेवन करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। रक्त का क्षय होने पर पालक आदि द्रव्यों का सेवन करने से रक्त कणों की वृद्धि होती है। क्योंकि पालक में विद्यमान घटक द्रव्य रक्त के घटक द्रव्यों के ही समान होते हैं। समान गुण धर्म होने से पालक के घटक द्रव्य रक्तगत रक्तकणों की वृद्धि करते हैं। एसावता चिकित्सा के द्वारा क्षीण धान्यों की वृद्धि होकर क्षीणता जनित रोग का नाश होता है। अतः चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद में उपमान की उपयोगिता मानी गई है।

अर्थप्राप्ति प्रमाण निरूपण

आयुर्वेद में इसे अर्थप्राप्ति प्रमाण कहा गया है। महर्षि चरक ने इसका निम्न लक्षण प्रतिपादित किया है—

अर्थप्राप्तिर्नाम-यत्र कैनाय नोपतेनापरस्याथस्यानुभूतस्यार्थसिद्धिः । यथा-नाथ सन्तपण
साध्वो न्याधिरित्युक्ते नवत्यर्थप्राप्तिरपतपणसाध्वोऽयमिति ।

—चरक संहिता विमानस्थान ८/५८

अर्थात् अर्थप्रति प्रमाण जैसे कहते हैं जहाँ एक जर्न के कहने से अनुपलब्धि (अनकहे) अन्य अर्थ की सिद्धि होती है। जैसे यह व्याधि संतर्पण साध्य नहीं है, ऐसा कहने से उसके दूसरे अर्थ का बोध होता है कि वह व्याधि अपतपण साध्य है। इसी प्रकार 'इस रोजी की दिन मे नहीं खाना चाहिए' ऐसा कहने से 'रात्रि में खाना चाहिए' इस अपर अर्थ की सिद्धि होती है।

वेदान्ती और भीमांसक लोग पांचवे प्रमाण के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। वेदान्त और भीमासा दशन में स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में इसका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। दोनो दशनों के मतानुसार स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में अर्थापत्ति का ग्रहण यथाथ ज्ञान के लिए आवश्यक है। इस प्रमाण के द्वारा हमें एक अज्ञात तथ्य के ज्ञान की उपलब्धि होती है। क्योंकि किसी कही गई बात के द्वारा उससे सम्बन्धित अनकही बात का ज्ञान कराना ही अर्थापत्ति प्रमाण का उद्देश्य है। जैसे-देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता फिर भी वह मोटा है। यहाँ पर अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है कि देवदत्त यद्यपि दिन में खाना नहीं खाता है किन्तु वह रात्रि में खाता है। क्योंकि खाना खाना अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि बन्द कर दो। यहाँ पर जिस व्यक्ति को बन्द करने का निर्देश दिया गया है उसे यद्यपि यह नहीं कहा गया कि क्या बन्द कर दो। किन्तु फिर भी वह अनकहे दरवाजे के विषय में सकेत को समझकर दरवाजा बन्द कर देता है। उक्त व्यक्ति के लिए यहाँ पर दरवाजे का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा ही सम्भव मानते हैं। एक अन्य उदाहरण के अनुसार प्रातः काल सोकर उठने पर देखा कि सारी जमीन गीली है। इस भीगी हुई जमीन को देखकर यह ज्ञान सहज ही हो गया कि रात्रि में वर्षा हुई होगी। इस ज्ञान में अर्थापत्ति प्रमाण ही कारण है। किसी व्यक्ति के घर जाकर पूछने पर पता चला कि वह घर में नहीं है। इससे सहज ही यह सोच लिया था सम्भव लिया जाता है कि वह कहीं बाहर गया होगा। इस प्रकार की अनेक घटनाएँ प्रतिदिन हमारे दैनिक जीवन में घटित हुआ करती हैं जो अर्थापत्ति प्रमाण पर आधारित रहती हैं या जिनके विषय में अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान होता है।

न्याय दर्शन के अनुयायी लोग इसे स्वतन्त्र प्रमाण न मानकर अनुमान में ही इसका अन्तर्भाव कर लेते हैं। क्योंकि इसमें किसी प्रत्यक्ष क्रिये हुए अर्थ का अनुमान उसके निरपेक्ष सम्बन्ध के द्वारा करते हैं। अतः वे इसके स्वतन्त्र अस्तित्व की आवश्यकता अनुभव नहीं करते।

अनुपलब्धि या अज्ञात प्रमाण

वर्तमान समय में अधीष्ट स्थान पर अधीष्ट वस्तु की उपलब्धि नहीं होना अनुपलब्धि प्रमाण कहलता है। इसी प्रकार किसी वस्तु का विशिष्ट स्थान पर नहीं होना

अभाव कहलाता है। कुमारिल भट्ट के मतानुयायी मीमांसक लोग तथा वेदान्ती इसे छोटे प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रमाण के द्वारा हमें वस्तु के अभावात्मक विषय का ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पर दावात नहीं है—ऐसा कहने पर हमें दावात का अभावात्मक ज्ञान हुआ। यद्यपि दावात का अस्तित्व सबत्र विद्यमान है और प्रयत्न करने पर वह यहाँ लाई भी जा सकती है। किन्तु वर्तमान में यहाँ स्थित नहीं होने के कारण उसकी उपलब्धि सम्भव नहीं है। अथवा यहाँ पर उसका अभाव है। अतः दावात की अनपलब्धि अथवा अभाव का ज्ञान हमें अनपलब्धि या अभाव प्रमाण के द्वारा होता है।

मीमांसक और वेदाती लोग इसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार कर स्वतन्त्र रूप से इसे छोटा प्रमाण मानते हैं। किन्तु नैयायिक लोग इसे स्वतन्त्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष में इसका अन्तर्भाव करते हैं। नैयायिकों के मतानुसार जिस इन्द्रिय के द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाता है उसी इन्द्रिय के द्वारा उसके अभाव का भी ज्ञान होता है। अतः प्रस्तुत अनुपलब्धि ज्ञान अभावात्मक होने के कारण इन्द्रिय सन्निकष से उत्पन्न होता है और इन्द्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न होने के कारण यह प्रत्यक्ष में ही समाविष्ट है। क्योंकि इन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष से व्यतिरिक्त नहीं होता है। अतः अनुपलब्धि या अभाव नामक स्वतंत्र प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अभाव पदार्थ का विस्तृत विवेचन पदार्थ प्रकरण के अन्तगत पृष्ठ १४८ पर किया जा चुका है। प्रमाणत्वेन इसकी कोई उपयोगिता नहीं होने से आयुर्वेद में इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना गया है।

सम्भव प्रमाण

जिसके द्वारा किसी वस्तु का कथन करने पर उसके एक देश का ज्ञान न होकर उससे सम्बन्धित समस्त अवयवों का ज्ञान होता है वह सम्भव प्रमाण कहलाता है। जैसे चाक कहने पर उसमें लगे हुए लोहे के फल तथा लकड़ी के पट आदि का भी ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार 'पेन' शब्द का व्यवहार करने पर उसके साथ पेन से सम्बन्धित निब, जीब, दूब आदि सभी अवयवों का भी ज्ञान हो जाता है। इस तरह एक शब्द के द्वारा उससे अभिप्रेत द्रव्य के समस्त अवयवों का ज्ञान कराने वाला सम्भव नामक प्रमाण होता है। इस सम्भव प्रमाण को पौराणिक लोग स्वतन्त्र रूप से साक्ष्य प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। किन्तु अथ विद्वान् एव दशनकार इसे स्वतन्त्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष में इसका समावेश करते हैं।

आयुर्वेद में सम्भव प्रमाण की कोई उपयोगिता नहीं होने से प्रमाणत्वेन इसे परीक्षा का साधन नहीं बतलाया गया है। अतः आयुर्वेद में यह स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना गया है।

चेष्टा का प्रमाण

चेष्टा प्रमाण वह होता है जिनमें मुख की आकृति शरीर की चेष्टाएँ अथवा मुख पर प्रकट होने वाले भावों से यथार्थ बात का ज्ञान किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के क्रुद्ध या प्रसन्न होने का भाव उसक मुख पर प्रकट हो जाता है और उससे उसके क्रोधी या प्रसन्न होने के भाव का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी के द्वारा कोई अचञ्चिक अथवा कड़वी वस्तु खा लेने पर उसकी विकृत हुई मुखाकृति के द्वारा उस वस्तु के ति उसकी अरुचि का ज्ञान होता है। गू गा व्यक्ति अपने शरीर (विशेषतः हाथ और मुख) की विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा अपने मनोभावों को प्रकट करता है और उसकी चेष्टाओं के द्वारा अन्य व्यक्ति उसके अभीष्ट मनोभावों को समझ लेते हैं। इस प्रकार मुखाकृति शरीर की चेष्टाएँ आदि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह चेष्टा प्रमाण कहलाता है।

तांत्रिक लोग इस प्रमाण के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और इसे स्वतन्त्र नौवा प्रमाण मानते हैं। किन्तु सभी दशनों ने इसे स्वतन्त्र प्रमाण न मानकर अनुमान के अन्तर्गत इसका समावेश कर लिया है। आयुर्वेद में भी इसे प्रमाणत्वेन स्वीकार नहीं किया गया है।

परिशेष प्रमाण

परिशेष प्रमाण वह कहलाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों में से अथवा किसी समूह विशेष के अन्दर से किसी एक वस्तु को छांटकर निकाल लिया जाता है। जैसे किसी भीड़ में से अपने परिचित व्यक्ति को खोज निकालना अथवा गेहूँ के दानों में से मिट्टी के कणों को बीन कर निकालना इत्यादि।

इसे सबसे प्रमाण के रूप में कुछ लोग स्वीकार करते हैं। दार्शनिक विद्वज्जन इसका स्वतन्त्र अस्तित्व न मानकर इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण में ही इसका अन्तर्भाव कर लेते हैं। आयुर्वेद में भी इसे स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना गया है।

इतिहास प्रमाण

इतिहास एक ऐसा विषय है जो अतीत काल में घटित विभिन्न घटनाओं की जानकारी प्रस्तुत करता है। इसमें महापुरुषों ऋषियों राजाओं एवं कौत्सिषेय विद्वान् भाचार्यों व मनोविद्यों के जीवन से सम्बन्धित विविधताओं प्रमुख घटनाओं तथा विषय विशेष के लिए उनके योगदान एवं अवदान का विवरण संकलित रहता है। भारतीय वाक्य के ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनसे उनका काल विषय का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे ग्रंथों में श्रीमद् अस्तौकिक रामायण श्रीमद् भागवत महाभारत आदि पुराण आदि ग्रन्थ

हैं। इतिहास ग्रन्थों को अतीत कालीन घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी का स्रोत माना जाता है। इससे देश की तत्कालीन भौगोलिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक एक राजनैतिक स्थिति का आभास मिलता है। यदि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर स्वेच्छा पूर्वक प्रस्तुत नहीं किया जाय घटनाक्रमों का उल्लेख प्रमाणों एवं यथार्थ बातों के आधार पर किया जाय तो इतिहास को प्रमाण मानने में आपत्ति नहीं होना चाहिये। किन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। अतः विद्वानों के द्वारा इसे प्रमाण की कोटि में नहीं रखा गया है।

कुछ विद्वान् इसे शब्द प्रमाण का ही अर्थ मान कर इसे भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इतिहास में जो कुछ भी प्रतिपादित किया जाता है वह सबथा सत्य पर आधारित होता है। क्योंकि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार इति + ह + आस = तीन वर्णों से इतिहास शब्द की रचना हुई है। जिसके अनुसार इति = ऐसा ह निश्चय पूर्वक आस = कहा गया है अर्थात् ऐसा निश्चय पूर्वक कहा गया है। अतः यह प्रमाण है। अथवा इतिह का अर्थ है पारम्परिक उपदेश। जिसमें पारम्परिक उपदेशों को कहा गया हो-सकलित किया गया हो वह इतिहास कहलाता है। ऐसे प्राचीन ग्रन्थों में अतीत कालीन घटनाओं पर कथाओं के माध्यम से धर्म-अर्थ काम मोक्ष का उपदेश दिया गया है। अतः महापुरुषों के जीवनवृत्त से सम्बन्धित घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रन्थ भी इतिहास की परिधि में आ जाते हैं। वर्तमान में इतिहास की परिभाषा में पर्याप्त अन्तर लक्षित हो रहा है। आज इतिहास में उपदेशात्मक या धर्म अर्थ-काम मोक्ष मूलक बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। घटनाओं पर आधारित विवरण एवं उनके आधार पर किया गया काल निर्धारण ही आज इतिहास का मुख्य प्रतिपाद्य है।



चतुर्दश अध्याय

तद्विद्य सम्भाषा

सम्भाषा का सामान्य अर्थ है पारस्परिक वार्तालाप और तद्विद्य का अर्थ है उस विषय या अपने विषय के ज्ञाता । अतः इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि अपने विषय का पाण्डित्य पूण ज्ञान रखने वाले एक ही अधीत विद्या (शास्त्र) वाले विद्वानों का ऐसा पारस्परिक आलाप या वार्तालाप जो उस विषय के सम्बन्ध में ज्ञान वृद्धि एक शका समाधान के लिए किया जाता है । प्राचीन काल में भिन्न भिन्न विषयों के लिए सम्भाषा परिषद् हुआ करती थी जिसमें विद्वज्जन निर्धारित विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पारस्परिक मन्त्रणा किया करते थे । वह मन्त्रणा दो विद्वानों में भी हुआ करती थी और दो से अधिक विद्वानों में भी । वतमान में सेमीनार, काफ्र स आदि के रूप में विभिन्न विषयों पर विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं जो सम्भाषा परिषद् का ही प्रतिरूप या विकसित रूप है । इसमें अन्तर यह है कि वतमान सेमीनार काफ्र स आदि में वक्ताओं और श्रोताओं का समुदाय एकत्र होता है । प्राचीन काल में होने वाली तद्विद्य सम्भाषा के सम्बन्ध में महर्षि चरक ने अपेक्षित प्रकाश डाला है । वैद्य को अपने ज्ञान की वृद्धि करने हेतु अन्य वैद्य के साथ सम्भाषा करना चाहिए— इसका स्पष्ट निदर्श करते हुए वे लिखते हैं— निवक्त भिषजा सह सम्भाषेत ।” अर्थात् चिकित्सक (वैद्य) को अन्य चिकित्सक (वैद्य) के साथ सम्भाषा (वार्तालाप) करना चाहिए ।

तद्विद्य सम्भाषा से लाभ

तद्विद्य सम्भाषा की क्या उपयोगिता है और उससे वैद्य को क्या लाभ होता है ? इस पर भी महर्षि चरक ने अपेक्षित प्रकाश डाला है । यथा—

तद्विद्यसम्भाषा हि ज्ञानाभिव्यक्तं ह्यवकरी भवति वेत्तारकश्चपि अविनि-
 कर्तयति अथवाचनित्तमपि आसत्ते वक्तव्यार्थविधीयति पूर्वश्रुते कश्चनैह्यन्तः कुतः
 अथवात् संशयानपकर्तति श्रुते वास्तव्येह्यतो भूयोऽप्यवसायमभिनिर्बर्तयति अतुल्यपि
 च कश्चिद्वर्षं श्रोत्रादिवचनपाठयति, अथवाचनः सिध्यत्य मूलकमे प्रत्ययः क्रमेणोपदि-
 शति सुहृदादिवाचनैर्ज्ञानं तापरस्परैकं चह् अल्पम् विन्देव विद्विषीभुरह् संहृदोः,
 सारगताद्विद्यसम्भाषाभिव्यक्तं हि कुतसाः ।

—चरक संहिता, विचारसंग्रह भा. १५

जबार्तु तद्विद्य सम्भाषा ज्ञान का योग और हर्ष को करने वाली होती है वह पत्रिभ्यश्च या चातुरी को उत्पन्न करती है वाक शक्ति (बोलने का सामर्थ्य) को धारण कराती है, कौत्सि को उबल करती है पूर्व में पठित या सुने हुए विषय में सन्देह हो अग्नि वर पुनः सुनने से सहाय का निराकरण करती है और जिसे पठित शास्त्र में सन्देह नहीं है उसे दृढ़ निश्चय (ज्ञान) उत्पन्न कराती है। ऐसी अनेक बातें जो पहले नहीं सुनी गई थी या पहले जिनका ज्ञान नहीं हुआ था तद्विद्य सम्भाषा में सुनी जाती हैं और आचार्य अपनी सेवा करने वाले शिष्य को प्रसन्न होकर उसे जिन गूढ़ रहस्य वाले विषयों का क्रमशः उपदेश करता है उन्हे परस्पर वार्ता करते हुए एक ही बार में कह देता है। इसीलिए कुशल पुरुष तद्विद्य सम्भाषा की प्रशंसा करते हैं।

इस प्रकार जिस किसी भी विषय पर तद्विद्य सम्भाषा के माध्यम से विज्ञानों द्वारा पारस्परिक मन्त्रणा एवं विचार विमर्श किया जाता है वह पारस्परिक ज्ञानाभि वृद्धि के लिए तो होता ही है अनेक बार उससे विवादास्पद विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने या सिद्धान्त स्थिर करने में भी सहायता मिलती है। प्राचीन काल में आयुर्वेद जैसे शास्त्र के लिए आयोजित तद्विद्य सम्भाषा के द्वारा वैद्यों के ज्ञान का परिमार्जन तो होता ही था अनेक रोगों के विषय में निर्णय करने एवं उनकी चिकित्सा हेतु समुचित औषध व्यवस्था करने में भी वैद्यों को यथोचित अवसर एवं सुविधा प्राप्त होती थी। तद्विद्य सम्भाषा वैद्यों के पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का एक उपयुक्त माध्यम थी और इसके द्वारा वैद्यों को प्रसंगानुक्रम नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती थी जिसका उपयोग वे रोगी को रोग मुक्त करने हेतु उनके हितार्थ किया करते थे। इसके अतिरिक्त वही सम्भाषा जब विवाद का रूप धारण कर लेती थी तो विद्वानों में अपने ज्ञान के आधार पर भीषण वाद विवाद होता था और एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने ज्ञान बल से हराने का प्रयत्न करता था।

तद्विद्य सम्भाषा के भेद

उपयुक्त तद्विद्य सम्भाषा दो प्रकार की बतलाई गई है—सहाय सम्भाषा और विगृह्य सम्भाषा। इसमें सहाय सम्भाषा की अनुलोम सम्भाषा और विगृह्य सम्भाषा को प्रतिलोम सम्भाषा भी कहा जाता है। सहाय सम्भाषा सामान्यतः वह होती है जिसमें दोनों पक्षों में शक्ति एवं प्रेम पूर्वक पारस्परिक विश्वास के साथ सौहार्द युक्त वार्तालाप हो। इस प्रकार की सम्भाषा में विभिन्न विषयों एवं तत्त्वों के विषय में यथोचित निर्णय किया जाता है। इसके विपरीत विगृह्य सम्भाषा में सभी प्रकार के उचित एवं अनुचित उपायों के द्वारा अपने प्रतिद्वन्द्वी या विपक्षी को परास्त करने का प्रयत्न किया जाता है। विगृह्य का अर्थ है विपरीत ग्रहण अर्थात् विपक्षी को कुछ भी कहे

उसके विपरीत उत्तर देकर उसे पराजित करने का प्रयत्न करना। इस सम्भाषा में दोनों पक्ष एक दूसरे को पराभूत करने का प्रयत्न करते हैं।

अर्थात् चरक ने उक्त सम्भाषा विधियों का सविस्तार वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है—

संघाय सम्भाषा विधि—तत्र ज्ञानविक्रानवचनप्रतिवचनप्रतिवचनसम्पन्नेनाप्येवैवा-
नुपस्कृतविद्येनाप्युक्तानुनयेनानुनयकोविदेन क्लेशक्षमेण प्रियसम्भाषणं च सह सम्भाष
सम्भाषा विधीयते। तथाविधेन सह कथयन् विलक्षणं कथयेत् अकथयेत् च विलक्षणं,
वृच्छते चास्य विलक्ष्याय विलक्षयन् च यात न च निग्रहभावाद्बुद्धिमेतं निवृद्धा चैवं न
हृष्येत न च परेषु विकस्येत् न च मोहविकान्तप्राप्ती स्यात् न आश्रितवित्तव्यवसृजयवेत्
सम्पन्नकामानुनयेनानुनयेत् तत्र भावहितं स्यात्। इत्यल्लोम सम्भाषाविधिः।

—चरक संहिता विमान स्थान / १७

अर्थात् ज्ञान विज्ञान वचन (प्रश्न) प्रतिवचन (उत्तर) की शक्ति से सम्पन्न
क्रोधरहित जिसकी विद्या अनुपस्कृत हो जाने उपस्कृत (हृषित) नहीं हो अनिन्दित
विनय सम्पन्न दूसरों को अपनी अनुनय-विनय की नीति से अपने अनुकूल कर लेने की
कला को जानने वाले कष्ट को सहन करने वाले और प्रिय-मधुर सम्भाषण करने वाले
व्यक्तियों के साथ संघाय सम्भाषा की जाती है। उपर्युक्त इन गुणों से सम्पन्न विद्वान्
के साथ वार्तालाप करते हुए जो कुछ भी कहे विश्वास पूर्वक निडर होकर कहे पूछना
भी हो तो विश्वास पूर्वक निःसकोच होकर पूछे। निःसकोच एव ऋजु भाव पूर्वक पूछने
वाले व्यक्ति को स्पष्ट एवं विशद अर्थ युक्त उत्तर देवे निग्रह के (यह मुझे पराजित
कर देगा इस) भय से स्वयं को मुक्त करे अर्थात् भयभीत नहीं होवे अपने विपक्षी
(विद्वान्) को पराजित करके अत्यधिक हृषित नहीं होवे और न ही दूसरों में इसकी
चर्चा करे मोह (अज्ञान) के बशीभूत होकर एकान्तप्राप्ती (अपनी बात के प्रति
दुराग्रही) नहीं होवे अज्ञात विषय का कथन या वर्णन नहीं करे उचित रूप से अनुनय
के द्वारा स्वपक्ष (अपनी बात) स्वीकार करावे और अपने उस विनय गुण की रक्षा में
सावधान रहे। इस प्रकार यह अनुलोम सम्भाषा विधि है।

इस उपर्युक्त संघाय (अनुलोम) सम्भाषा विधि में जो बातें बतलाई गई हैं
वह एक प्रकार से तद्विषय सम्भाषा में भाग लेने वाले विद्वानों के लिए आश्वासक संहिता है।
ताकि उससे भाग लेने वाले विद्वान् अपने नैतिक चायित्त का निर्वाह करें और तत्त्व
ग्रहण हेतु शुद्ध मन से तत्त्व चर्चा करते हुए सम्भाषा में प्रयुक्त हों। उपर्युक्त आचरणीय
गुणों को धारण कर उम्कान् निर्वाह करने वाले विद्वज्जन निश्चय ही किसी विषय
में नहीं पकड़ते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुँचने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल
होते हैं। वे स्वयं परामर्श का निर्वाह करते हुए ऐसे सम्भाषणों की प्रतिष्ठा करना करते

हैं जो दूसरों के लिए अनुकरणीय होते हैं। इस दृष्टि से सम्प्रदाय सम्भाषा निम्नवय ही ज्ञानवक्त्रक एव दुर्बोध विषयो को स्पष्ट करने में सहायक होती है।

विगृह्य सम्भाषा विधि—अत उच्यन्तिरेण सह विगृह्यसम्भाषायां जल्पेण यथा योग्यतमन पद्यन् । प्रागव च जल्प्याज्जल्पान्तर परावरान्तर परिबद्धिदोषोपच सन्धक् परीक्षेत । सम्धक् परीक्षा हि बुद्धिमतां कार्यप्रवृत्तिविवृत्तिकालौ शंसति तस्मात् परीक्षावभिप्रशंसन्ति कुशला । परीक्षमाणस्तु खलु परावरान्तरमिमान् जल्पकमुणान् श्रेयस्करान् बोधवतश्चय रीक्षेत सन्धक । तद्यथा श्रुत विज्ञान धारण प्रतिनार्वं वचन शक्ति रित्येतान् गुणवान् अयस्करानाह इमान् पुनर्बोधवता तद्यथा—कोपनत्वभवधारण श्रीकृष्णधारणत्वभनवहिरात्वमिति । एतान् गुणान् गुह्यताधवता परस्य शैवात्मनश्च तुलयेत् ।

—चरक संहिता विमान स्थान ८/१८

अर्थात् ज्ञानवती या मूढ सुहृत्परिषद् में अपने से हीन या सम पुरुष से विगृह्य सम्भाषा करना चाहिये। अथवा अवधान श्रवण ज्ञान विज्ञान धारणा शक्ति तथा वचन शक्ति से युक्त उदासीन परिषद् (ज्ञानवती उदासीन परिषद्) में जल्प करते हुए सावधान होकर पर पुरुष प्रतिवादी के श्रेष्ठ गुणों एव दोषों के बल को जाचना चाहिए। जांच कर जहाँ उसे अपने से श्रेष्ठ समझ उसे बीच में नहीं लाते हुए या टालते हुए उस विषय में जल्प ही नहीं करे और जहाँ उसे हीन समझ बहा ही उसे शीघ्र पकड़ ले। हीन पुरुषों को शीघ्र निग्रह करने (पकड़ने) में ये उपाय काम में आते हैं— यदि वह शास्त्र हीन (शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ) है तो शास्त्र के बड़-बड़े सूत्रों का पाठ करके उसे नीचा दिखाए। विज्ञान हीन याने शास्त्र के विशदार्थ ज्ञान से हीन हो तो दुर्बोध शब्द युक्त वाक्यों के प्रयोग से प्रतिपक्षी को नीचा दिखाए। यदि प्रतिवादी वाक्य को धारण न कर सकता हो तो बक एव लम्बे-लम्बे सूत्रों से मिश्रित बड़े-बड़े वाक्य बोलकर उसे पराभूत करे। यदि प्रतिवादी प्रतिभा में हीन हो तो अनेकार्थवाची एक ही प्रकार के वचनों के द्वारा नीचा दिखाए। यदि प्रतिवादी में वचन शक्ति (बोलने की क्षमता) में हीनता हो तो व्यंग्यार्थक वाक्यों का प्रयोग कर उसे पराभूत करे। यदि अविशारद (निपणता हीन) हो तो उसे लज्जित करके क्रुद्ध हो जाने वाले को उत जक या क्रोधोत्पादक शब्दों के द्वारा भीरु पुरुष को भय दिखाकर असावधान को विषमन के द्वारा— इस प्रकार इन उपायों से अपने से हीन पुरुष को पराभूत करे।

विगृह्य सम्भाषा में अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है। क्योंकि इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों ही अपने पराभव की स्थिति में उत्तेजित होकर कार्याकार्य का विवेक छो सकते हैं। ऐसी किम परिस्थिति का निवारण युक्ति पूर्वक करना चाहिये। महर्षि चरक ने भी यही भाष स्पष्ट करते हुए सावधान रहने का निर्देश किया है—

विगृह्य कथयन्तु केषां युक्तं न च निवारयेत् ।
 विगृह्य अथापि तीव्र हिंसादिभ्यश्च ब्रह्मण्येवम् ॥
 नाप्यर्थव्यतिरिक्तं कुड्मस्य अवाच्यमपि विद्यते ।
 कुड्माला नामिदमवन्ति कस्यहं क्वमिती सताम् ॥

—चरक संहिता विमान स्थान ८/२२ २३

अर्थात् विगृह्य सम्भाषा युक्ति पूर्वक करना चाहिये । जो युक्तियों से सिद्ध हो उसका विरोध नहीं करे । तीव्र विगृह्य सम्भाषा अनेक लोगों को द्रोह या कोप उत्पन्न कर देती है और क्रुद्ध हुए व्यक्ति के लिए अकार्य और अवाच्य कुछ नहीं रहता है । अतः पण्डित जन सज्जनों की सभा में कलह को पसन्द नहीं करते हैं ।

वाद उत्पन्न और विनष्टता

उपयुक्त प्रकार की सम्भाषा में विमर्श योग्य जो विषय प्रस्तुत होता है या किया जाता है तथा उस पर दोनों पक्षों के द्वारा जो प्रमाण तक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं और उन प्रमाण आदि के आधार पर जो स्वपक्ष प्रतिपादन एवं पर पक्ष का खण्डन या निराकरण किया जाता है वह वाद कहलाता है । महर्षि चरक ने वाद के विषय में कहा है—

‘तत्र वादो नाम-यत् परेण सहाशास्त्रपूर्वकं विगृह्य कथयति ।

—चरक संहिता विमान स्थान ८/२८

अर्थात् शास्त्र पूर्वक परस्पर जो विगृह्य सम्भाषा होती है उसे वाद कहते हैं । अक्षपाद गोतम ने न्याय दर्शन में वाद का निम्न लक्षण कहा है—

प्रमाणतः कक्षाधनोपालम्भ सिद्धान्ताविरुद्ध पञ्चावयववैकल्पिक-पक्षप्रतिपक्ष परिग्रहो वाद ।

अर्थात् प्रमाण एवं तर्क के द्वारा स्वपक्ष को सिद्ध एवं परपक्ष का निराकरण करते हुए इस प्रकार का कथन जो सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं हो तथा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और नियमन इन पाँच अवयवों से युक्त पक्ष और प्रतिपक्ष का ग्रहण करना वाद कहलाता है । जैसे किसी ने कहा— अग्नि उष्ण है यह प्रतिज्ञा कथन है । क्यों ? जलाने से यह हेतु है । किस तरह ? ‘आतप (धूप) की तरह’—यह उदाहरण या दृष्टान्त है । किस प्रकार ? जैसे आतप (धूप) गरम होती है और वह जलाती है उसी प्रकार अग्नि जलाती है—यह उपनय है । ‘अतएव अग्नि उष्ण है’—यह नियमन है । यह पक्ष ग्रहण सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है और पाँच अवयवों से युक्त है ।

उत्पन्नवाद प्रतिवादी भी स्वपक्ष (को प्रतिपक्ष कहलाता है) ग्रहण करता है और पंचावयवों से युक्त निम्न प्रकार से स्वपक्ष (प्रतिपक्ष) प्रस्तुत करता है ; प्रतिज्ञा

अग्नि उष्ण नहीं है। क्यों? हेतु-रूपमात्र का लक्षण होने से। उदाहरण—जैसे वायु। उपमय—जैसे वायु का स्पर्श मात्र लक्षण है और वह अनुष्ण होता है उसी प्रकार अग्नि का रूपमात्र लक्षण है। निगमन—अतः अग्नि अनुष्ण है। यहाँ पर शब्द प्रमाण पूर्व तर्क के आधार पर प्रतिपक्षी सर्व सिद्धान्त सिद्ध अग्नि के रूप मात्र लक्षण को स्वीकार करते हुए अनुमान और तर्क के द्वारा अग्नि की अनुष्णता की स्थापना करता है। यह भी सिद्धान्त से अविरोध एवं पञ्चावयव से युक्त है, अतः यह प्रतिपक्ष है।

इस प्रकार पक्ष एवं प्रतिपक्ष का ग्रहण वाद कहलाता है।

जल्प और वितण्डा

महर्षि चरक ने वाद दो प्रकार का बतलाया है। यथा—

स वादे द्विविधः सद्यहेष जल्पो वितण्डा च । तत्र पक्षाभितयोदचन जल्प-
जल्पविषययो वितण्डा । जल्प यथा एकस्य पक्ष-पुनर्भवोऽस्तीति वास्तवीत्यपरस्य तौ
ष हेतुनि स्वस्वपक्ष स्थापयत परपक्षमुद्भावयत एव जल्प जल्पविषययो वितण्डा ।
वितण्डा नाम परपक्षो दोषवचनभाजनेव । —चरक संहिता विमान स्थान ८/२६

अर्थात् सक्षेपत वह वाद दो प्रकार का होता है—जल्प और वितण्डा। अपने अपने (विरोध) पक्ष को लेकर वादी-प्रतिवादी का वचन जल्प कहलाता है। जल्प से विपरीत वितण्डा होती है। जैसे एक का पक्ष है—पुनर्भव होता है। दूसरे का पक्ष है (पुनर्भव) नहीं होता है। वे दोनों (वादी प्रतिवादी) विभिन्न हेतुओं से अपने पक्ष की स्थापना करते हैं और दूसरे पक्ष का प्रतिषेध करते हैं—यह जल्प है। जल्प से विपरीत वितण्डा होती है। दूसरे (प्रतिवादी) के पक्ष में केवल दोषों का कथन करना (दोष निकालना) वितण्डा कहलाती है।

अभिप्राय यह है कि अपने पक्ष की तो स्थापना करना और परपक्ष में केवल दोषान्वेषण करना या दोष निकालना वितण्डा होती है। न्याय दर्शन में भी कहा है—
स एव प्रतिपक्ष स्थापनहीनो वितण्डा अर्थात् उसी प्रतिपक्ष को स्थापना से हीन करना (हेतु-मुष्टान्त आदि से विहीन करना) वितण्डा कहलाता है।

निग्रहस्थान

पराजय को प्राप्त करना निग्रहस्थान कहलाता है। उपर्युक्त सहाय एवं विमुख सम्प्राप्ता में जब वादी या प्रतिवादी स्वपक्ष का समर्थन या सिद्धि नहीं कर पाता है तो उसे पराजय स्वीकार करना पड़ती है—यही निग्रहस्थान है। जैसा कि महर्षि चरक प्रतिपादित किया है—
निग्रहस्थान नाम पराजयजायन्ति ।

—चरक संहिता, विमानस्थान ८/१५

इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य ने कहा है—

‘निग्रहस्थ पदावस्थ स्थाननिव स्थानं कारणादिनिग्रहस्थानम् ।’

अर्थात् निग्रह का तात्पर्य है पदावस्थ । जब पदावस्थ के स्थान की भाँति स्थान याने कारण को निग्रहस्थान कहते हैं ।

न्याय दर्शन में निग्रहस्थान का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया गया है—

‘विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् ।’ (ब० १/१६)

अर्थात् विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति को निग्रह स्थान कहते हैं ।

प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को । विपरीत या निवृत्त प्रतिपत्ति (ज्ञान) विप्रतिपत्ति कहलाता है और दूसरे के द्वारा सिद्ध किए गए फल का अन्वय नहीं करना या फल के ऊपर लगाए गए दोषों का समाधान नहीं करना अप्रतिपत्ति है । ये दोनों विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति (अर्थात् नहीं समझना या समझ कर उसकी परवाह नहीं करना) निग्रह स्थान हैं । इन्हीं दोनों कारणों से पराजय होती है ।

आयुर्वेद में निम्न निग्रहस्थान बतलाए गए हैं—

तच्च त्रिरभिहितस्य वाक्यस्यापरिज्ञान परिषदि विज्ञानवत्स्यै, यद्वा अनुयोग्य-
स्यानुयोगी अनुबोधस्थाननुबोध । प्रतिज्ञाह्यभिः अभ्यनुज्ञा कालातीतवचनम् अहेतु-
न्यूनम् अधिक व्यथम् अनयक पुनरुक्त विरुद्ध हेत्वन्तरम् अर्थान्तरम् ।

—अरक संहिता विमानस्थान ८/६५

अर्थात् वह निग्रहस्थान ज्ञानवती परिषद् (सभा) में तीन बार कहे गए वाक्य का ज्ञान नहीं होना अथवा अनुयोग्य (वाक्य) का अनुयोग करना या अनुयोग्य (वाक्य) का अनुयोग करना होता है । अर्थात् जहाँ निग्रहस्थान नहीं हो वहाँ निग्रह स्थान समझना और जहाँ निग्रहस्थान हो वहाँ निग्रह नहीं करना—ये दोनों निग्रह स्थान हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञाहानि अभ्यनुज्ञा कालातीतवचन अहेतु न्यून अधिक व्यर्थ अनयक पुनरुक्त विरुद्ध हेत्वन्तर और अर्थान्तर में चारह भो निग्रहस्थान होते हैं ।

इस प्रकार आयुर्वेद में ये पन्द्रह निग्रहस्थान होते हैं । न्याय दर्शन में इनसे कुछ और अधिक निग्रहस्थान बतलाए गए हैं । यथा—अप्राप्तकाल अनुसूचण अप्रतिज्ञा और विज्ञेय । इसमें पञ्चावयव की यथा कालक्रम से नहीं कहना ‘अप्राप्तकाल’ कहलाता है । विज्ञात अर्थ को परिषद् या प्रतिवादी के द्वारा तीन बार बतलाए जाने पर भी नहीं कहना अनुसूचण कहलाता है । समय पर प्रतिवादी के प्रश्न का उत्तर नहीं पूछना अप्रतिज्ञा कहलाती है । किसी कार्य के बहाने से कथा का अन्त करना विज्ञेय कहलाता है ।

प्रस्तुत निग्रहस्थान में अनुयोग्य अनुयोग्य अनुयोग आदि कतिपय विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है । कारण में उनका जो लक्षण प्रतिपादित किया गया

है उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि उन पारिभाषिक शब्दों का आकार समझने में कठिनाई न हो।

अनुयोज्य—अनुयोज्यं नाम यद्वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं तदनुयोज्यमुच्यते। सामान्यो-
द्वाहतेस्वर्बोधु वा विशेषप्रहणार्थं यद्वाक्यं तदनुयोज्यम्। यथा—संशोधनसाध्योऽयं व्याधि
रित्युक्ते किं वचनसाध्यं ? किंवा विरेचनसाध्यं ? इत्यनुयुच्यते।

—चरक संहिता विमान स्थान ८/५०

अर्थात् जो वाक्य वाक्यदोष से युक्त हो वह अनुयोज्य कहलाता है। सामान्यत
कहे गए अर्थों में विशेष ज्ञान के लिए जो वाक्य (प्रश्न) कहा जाता है वह अनुयोज्य
कहलाता है। जैसे—यह व्याधि संशोधन साध्य है—ऐसा कहे जाने पर (विशेष ज्ञान
प्राप्ति हेतु) पूछा जाता है कि क्या वचन साध्य है ? अथवा विरेचन साध्य है ? यह
अनुयोजन (प्रश्न) करना पड़ता है।

अननुयोज्य—अननुयोज्यं नामात्तो विषययेण। यथा अयत्नसाध्यं।

—चरक संहिता विमान स्थान ८/५१

अर्थात् अनुयोय से विपरीत लक्षण वाले वाक्य को अननुयोज्य कहते हैं। याने
वाक्यदोष से रहित वाक्य को अननुयोज्य कहते हैं। उसमें किसी प्रकार की जिज्ञासा
या आकाङ्क्षा नहीं रहती है। अथवा सामान्यत कहा गया ऐसा वाक्य जिसमें विशेष
ज्ञान के लिए किसी अन्य वाक्य के कथन की आवश्यकता न हो अननुयोज्य होता है।
जैसे—यह असाध्य है।

अनुयोग—अनुयोगो भक्त्यतद्विद्वानां ताद्विद्य रेव साधतन्त्रे तन्त्रकदेशे वा प्रश्न
प्रश्नकदेशो वा ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचन परीक्षावभाविद्वयसे नित्यं पुरुष इति प्रतिज्ञाते
यत्पर को हेतु ? इत्याह सौजनयोग।

—चरक संहिता विमानस्थान ८/५२

अर्थात् तद्विद्य पुरुषो का तद्विद्य पुरुषो के साथ ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन
की परीक्षा के लिए सम्पूर्ण तन्त्र अथवा तन्त्र के एक भाग में जो सम्पूर्ण प्रश्न अथवा
प्रश्न का एक भाग पूछा जाता है वह अनुयोग कहलाता है। जैसे पुरुष नित्य है— यह
प्रतिज्ञा करने पर प्रतिवादी पूछे कि इसमें क्या हेतु है ? यह अनुयोग होता है।

अयं निग्रहस्थानो का विवरण निम्न प्रकार है—

प्रतिज्ञाहानि—प्रतिज्ञा हानि नाम सा पूर्वगहोतां प्रतिज्ञां पर्यनुयुक्तं परित्यजति।
यथा—प्राक्प्रतिज्ञां कृत्वा नित्यं पुरुष इति पयनुयुक्तंस्त्वाह अनित्य इति।

—चरक संहिता विमानस्थान ८/७

अर्थात् प्रथम की गई प्रतिज्ञा को प्रत्यनुयोग होने पर त्याग देना 'प्रतिज्ञाहानि'
कहलाती है। जैसे वादी ने प्रथम प्रतिज्ञा की कि 'पुरुष नित्य है' इस पर जब प्रतिवादी
ने अनुयोग व प्रत्यनुयोग किया तो क्षण बदल जाय और कहे—पुरुष अनित्य है। यह
प्रतिज्ञा हानि है।

अभ्यनुज्ञा—अभ्यनुज्ञा नाम य इष्टामिष्टान्मुपवचनः।

—चरकसंहिता विमानस्थान ८/७६

अर्थात् इष्ट एव अनिष्ट को स्वीकार करना 'अभ्यनुष्ठा' कहलाती है। परंपरा का दोष 'इष्ट' है अपने पक्ष में दोष 'अनिष्ट' है। इन दोनों को मान लेना 'अभ्यनुष्ठा' है।

कालातीत बचन—अतीतकाल नाम यत्पूर्व वाच्यं तत्पश्चात्तु भवति, तत्कालातीत एवावबोधो भवति। पूर्व वा निबन्धप्रत्ययनिगूह्य पक्षान्तरितं पक्षान्निगूहीते तत्तत्कालातीत कालरवान्निग्रहवचनमसमर्थं भवतीति। —चरक संहिता विमानस्थान ८/६७

अर्थात् अतीत काल उसे कहते हैं जो पहले कहा जाना चाहिये उसे बाद में कहा जाय। वह काल के गुजर जाने से अग्रहा होता है। इस प्रकार निग्रहस्थान में अग्र हुए को पहले निग्रह नहीं करके पश्चात् जब उसने दूसरे पक्ष का आश्रय ले लिया हो तब निग्रह करे तो कालातीत हो जाने से उसका वह निग्रह वचन निग्रह में असमर्थ होता है।

अहेतु—असाधक हेतु को अहेतु कहते हैं। जो वस्तुतः हेतु नहीं होता है किन्तु हेतु की भाँति प्रतीत होता है। अनुमान के प्रकरण में उसे हेत्वाभास भी कहते हैं।

न्यून—तत्र प्रतिज्ञाहेतुबाहरोपनयनिगमनानामन्यतनेनापि न्यून पुन भवति यद्वा बहुपदिष्टहेतुकमेव साध्यते हेतुना तच्च न्यूनम एत नि ह्यन्तरेकसौज्यस्य प्रणश्यते। —चरक संहिता विमानस्थान ८/५५

अर्थात् प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन इन पाँचों में से किसी एक से न्यून वाक्य न्यून कहलाता है। यदि कोई ऐसा साध्य है जिसकी सिद्धि अनेक हेतुओं से होती हो किन्तु उसे सिद्ध करने के लिए केवल एक ही हेतु प्रस्तुत किया जाए तो वह भी न्यून कहलाता है।

अधिक—अधिक नाम यन्नविपरीत यद्वाऽऽद्युर्ध्वे साध्यभावे बाहुर्यस्यमोक्षसमन्यद्वा यत्किञ्चनप्रतिसम्बन्धाद्यमभ्यते। यद्वा पुन प्रतिसम्बन्धाद्यपि द्विरनिर्धौष्ये तत्पुनवक्तादधिकम्। —चरक संहिता विमानस्थान /५६

अर्थात् न्यून से विपरीत अधिक होता है। जैसे आयुर्वेद विषय पर वाताश्लेष होने पर वहाँ पर बाहुर्यस्य औषधनस या अन्य कोई असम्बद्ध शास्त्र के विषय में कहा जायगा तो वह अधिक कहलायेगा। अथवा प्रकृत अर्थ से सम्बद्ध भी हो तो यदि दुबारा कहा जायगा तो वह पुन कहे जाने के कारण अधिक कहलाता है।

न्यायदर्शन में—हेतुबाहुरधिकम् अधिक का यह लक्षण किया गया है। अर्थात् किसी साध्य की सिद्धि के लिए एक ही हेतु या अनेक हेतु अपेक्षित हों उससे अधिक हेतुओं या उदाहरणों का कथन अधिक कहलाता है।

अर्थ (अपार्थक)—अर्थ को ही अपार्थक कहते हैं। अपार्थक का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया गया है—अपार्थकं नाम अद्वयवचन परस्परैश्च बहुवचनानामर्थकं यथा—अपार्थकत्वस्य अनिश्चय इति। —चरक संहिता विमानस्थान ८/५७

अर्थात् जो अनेक पद या वाक्य पृथक् अर्थ युक्त होते हुए भी परस्पर अनिश्चय अर्थ नहीं जुड़ता है उसे अपार्थक (अर्थ) कहते हैं। जैसे चक्र, त्रिक बंध तथा निराकार

इनमें से प्रत्येक पद का अपना अपना अर्थ है। यदि इनहे वाक्य के रूप में एक स्थान पर संयुक्त कर दिया जाय तो उनका कोई अर्थ नहीं निकालेगा। अतः यह अपायक है।

अनर्थक—अनर्थक नाम यद्वचनमक्षरप्राममात्रमेव स्थात्यञ्चवगवन्व चाश्रितौ गृह्यते।
—चरक संहिता विमान स्थान ५/७

अर्थात् जो वचन वग वग टवग तवग पवग इन पाँच वर्गों की तरह अक्षरों का समूह मात्र ही हो और किसी अर्थ को व्यक्त नहीं करता हो वह अनर्थक कहलाता है। यायदशत में भी ऐसा ही प्रतिपादित किया गया है— वगक्रमनिर्वेशन्निरथकम्।

पुनरुक्त पुनरुक्त का लक्षण अधिक में ही कर दिया गया है। यथा—

प्रतिसम्बाद्धायमपि द्विरभिधीयते तपुनरुक्तवादाधिकम्। अर्थात् प्रकृत अर्थ से सम्बद्ध भी यदि दुबारा कहा जाता है तो वह पुनरुक्त कहलाता है। याय दशनोक्त लक्षण में भी यही भाव प्रतिपादित है। यथा— शब्दाथयो पुनवचन पुनरुक्तमन्यत्रानवादात्।

अर्थात् अनुवाद को छोड़कर शब्द या अर्थ का बार बार कहना पुनरुक्त कहलाता है।

ये पाच (न्यून अधिक अपायक अनर्थक और पुनरुक्त) वाक्य दोष भी माने गए हैं।

विरुद्ध—विरुद्ध नाम यद दृष्टान्तसिद्धातसमयविरुद्धम्।

—चरक संहिता विमान स्थान ५/८

अर्थात् जो वाक्य दृष्टान्त सिद्धात और समय के विरुद्ध हो वह विरुद्ध कहलाता है। जैसे दृष्टान्तविरुद्ध अग्नि उष्ण है जैसे जल। सिद्धात विरुद्ध— भेषज किसी साध्यरोग को हरने में समर्थ नहीं है। समय विरुद्ध—कोई यह कह कि चतुष्पाद भेषज नहीं है तो वह आयुर्वेदिक समय विरुद्ध होगा। यदि कोई यह कहे कि यज्ञ म पशुओं को स्पृश करना या मारना चाहिए तो यह याज्ञिय समय विरुद्ध होगा। यदि कोई वक्ता यह कहे कि सब प्राणियों की हिंसा करना चाहिए तो यह मोक्षशास्त्रिक समय विरुद्ध होगा।

हेत्वन्तर—हेत्वन्तर नाम प्रकृतिहेतौ वाप्ये यद्विकृतिहेतुमाह।

चरक संहिता विमानस्थान ८/७२

अर्थात् जिस हेतु का कथन किया जाना है उस हेतु का कथन नहीं करके अन्य हेतु का कथन करना। जैसे किसी स्थान पर प्रकृति का हेतु वाच्य हो (कहा जाना चाहिये) वहाँ पर यदि प्रकृति के हेतु का कथन नहीं करके विकृति के हेतु का कथन किया जाता है तो वह हेत्वन्तर कहलाता है। याय दर्शन में इसका थोड़ा भिन्न लक्षण कहा गया है। जैसे— अविशषोक्ते हेतौ प्रतिविद्ध विशषमिच्छतो हेत्वन्तरम्। अर्थात् सामान्यतः कह गए हेतु का प्रतिषेध किए जाने पर उसकी विशेषता बतलाना (कहना) हेत्वन्तर कहलाता है।

अर्थान्तर—अर्थान्तर नाम एकस्मिन् वक्ष्ये पर यदाह यथा ज्वरलक्षणे वाच्ये प्रमेहलक्षणमाह।

—चरक संहिता विमानस्थान ८/७३

कोई एक विषय का कथन करना हो किन्तु कहा जाय दूसरा विषय तो वह अर्थान्तर कहलाता है। जैसे कहीं ज्वर के लक्षण कहने से किन्तु प्रमेह के लक्षण कह दिए। वह अर्थान्तर होता है।

सशय

सामान्यतः अनिश्चयात्मक ज्ञान को सशय कहते हैं। इसे एक प्रकार का अयथार्थ अनुभव माना गया है जिसमें वस्तु स्वरूप का निगम या मिश्रण नहीं हो पाता है। इसमें भास्त्र की दृष्टि से यह यद्यपि एक मिथ्या ज्ञान है तथापि इसका स्वरूप प्रतिपादन एवं विवेचन किया जाना इसकी उपयोगिता को दर्शाता है। क्योंकि इसके अभाव में ज्ञान का विनिश्चय होना सम्भव नहीं है। तक सग्रह में इसका स्वरूप निम्न प्रकार बतलाया गया है— एक स्थान धर्मिणि विरुद्धानाधमवैशिष्ट्यावगाहिमान संशय।

अर्थात् एक धर्मों में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य का अवगाहि ज्ञान होना सशय कहलाता है।

आयुर्वेद शास्त्र में भी सशय का स्वरूप एवं लक्षण प्रतिपादित किया गया है। महर्षि चरक ने सशय का उल्लेख यद्यपि ४४ वादभागों के अन्तर्गत किया है किन्तु इससे उसके स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं आई है। उन्होंने निम्न प्रकार से उसका स्वरूप बतलाया है—

सशयो नाम सवेहक्षणानुसन्दिग्धव्यवधनिश्चयः। यथा—दृष्ट्वा ह्यायुष्मत्स्रक्षणस्पेतादधानपेतादव तथा सक्रियादवाक्रियादव पुरुषा शीघ्रमङ्गादिचरजीविनदव एतद्भय दृष्टत्वात् सशय किमस्ति कालकालमृष्यत्त नास्तीति।

—चरक संहिता विमानस्थान ८/४३

अर्थात् सन्देह के लक्षणों से युक्त होने से सन्देह युक्त विषयों का अनिश्चित ज्ञान होना सशय कहलाता है। जैसे देखा जाता है कि एक रोगी आयु के हितकारी समस्त लक्षणों से युक्त है और दूसरा रोगी आयुष्य के लक्षणों से युक्त नहीं है और समुचित चिकित्सा का लाभ नहीं मिलने पर या मिल जाने पर भी एक शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और दूसरा बहुत दिनों तक जीवित रहता है। इन दोनों बातों को देखने से सशय होता है कि मनुष्यों की अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती।

स्वशास्त्रानुसार सशय के उभय लक्षण सार्थक हैं। आयुर्वेद में आतुर रोग और रोगी की चिकित्सा के सन्दर्भ में सशय का ज्ञान अपेक्षित है। गौतमकृत न्यायसूत्र में सशय के पाँच भेद बतलाए गए हैं। यथा—समानधर्मोपपत्ति मूलक अनेक धर्मोपपत्ति-मूलक विप्रतिपत्तिमूलक उल्लब्ध व्यवस्थामूलक और अनल्लब्ध व्यवस्था मूलक।

भ्रान्ति या विषय

विपरीत ज्ञान को भ्रान्ति या विषय माना जाता गया है। यह अयथार्थ अनुभव होता है जो मिथ्या ज्ञान के अन्तर्गत आता है। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान होना रेगिस्तान में भ्रम मरीचिका याने जल नहीं होते हुए भी जल की प्रतीति या ज्ञान होना। सशय की भाँति यह भी यद्यपि मिथ्या ज्ञान है किन्तु दोनों में पर्याप्त भिन्नता है। संशय में अनिश्चय की स्थिति रहती है जबकि भ्रान्ति में भ्रम या विपरीत ज्ञान होता है। अतः दोनों में पर्याप्त भिन्नता है।

पचदश अध्याय

सृष्टि उत्पत्ति क्रम

सृष्टि या सग निरूपण

सृष्टि शब्द सजि विसय धातु से बना है। सृज्यते इति सृष्टि अर्थात् जिसका सजन किया जाता है वह सृष्टि कहलाती है। सृष्टि के शाब्दिक अर्थ के अनुसार छिपे हुए पदार्थ को बाहर निकालना-यह प्रतिपादित होता है। जिस प्रकार पथ्वी के अंदर छिपे हुए बीज से धा य बाहर निकलता है उसी प्रकार इस विश्व की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि का रहस्य अयत्त गूढतम है इसका ठीक ठीक निरूपण करना बड़ बड़ मनीषियो तथा ऋषि महर्षियो के लिए भी कठिन है।

सृष्टि विषयक वणन वेद पुराण उपनिषद दर्शन शास्त्र धार्मिक ग्रन्थ एव भारतीय साहित्य मे यत्र तत्र नातिविस्तरेण छट-पट रूप मे उपलब्ध होता है। कुछ पाश्चात्य विद्वान एव आधुनिक विज्ञानवादी विद्वानो ने भी विश्व सृष्टि के विषय मे अपने विचार प्रकट करते हुए नवीन तथ्यो के प्रतिपादन का प्रयत्न किया है। किन्तु फिर भी सृष्टि के स्वरूप का निश्चया मक वणन सुपुष्ट प्रमाणो से युक्त कही भी उपलब्ध नहीं होता है। भिन्न भिन्न वर्ग के आचार्य एव विद्वान् हम विषय मे अपना भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रखते है। तथापि भारतीय दर्शन शास्त्रो मे उपलब्ध होने वाले सृष्टि विषयक वणन के आधार पर समीक्षा करने के अनंतर ज्ञात होता है कि सांख्य दर्शन मे यह प्रमुखता से प्रतिपादित किया गया है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय मे अमृतपूर्व कल्पना की है और उससे सम्बन्धित तत्वों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है।

सृष्टि की उत्पत्ति के विषय मे भारतीय धार्मिक ग्रन्थो मे भी यत्र-तत्र उल्लेख मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रन्थ जिन पर वर्तमान व्यवहारवाद आश्रित है वे विश्व सृष्टि की उत्पत्ति का प्रमुख कारण परमब्रह्म परमात्मा को मानते हैं। सम्पूर्ण विश्व के अधीश्वर, परिपूर्ण परमब्रह्म परमात्मा की चेष्टा का विकास ही यह ससार है। इस जगत की उत्पत्ति स्थिति एव लय के कारणभूत परमब्रह्म परमात्मा भगवान् नारायण ही हैं जो अतान्द्रिय विम सनातन चराचर जगत् मे अव्यक्त रूप से व्याप्त परम सूक्ष्म एवं निर्विकार हैं। जिसे ब्रह्म उपनिषद् पुराण स्मृतिग्रन्थ एवं धर्मशास्त्र एक स्वर से अनन्त तथा निर्विकल्पक मानते हैं। एकोऽहं बहु स्याम' इस पुष्पिका के

अनुसार वह ब्रह्म एक से बहुत होने की कामना से युक्त हुआ। किन्तु एकाकी रमण करने की अभिलाषा पूरा होना सम्भव नहीं है। अतः उसने भी अन्य के सहयोग की अपेक्षा का अनुभव किया। सत् एवं चित् स्वरूप की अभिव्यक्ति तो अकेले ही सम्भव है किन्तु आनन्द की प्राप्ति के लिये दूसर का सहयोग ही अनिवार्य है। इसके लिये ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का सकल्प किया और इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना की। इस प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप सृष्टि के रूप में विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है जिसका प्रत्यक्ष करने में केवल योगीजन ही समर्थ हुए हैं।

वैशेषिक दशन के अनुसार परमाणुओं के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वैशेषिक दशन के प्रमुख ग्रन्थ प्रशस्तपादभाष्य में सृष्टि सम्बन्धी जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार जब परमात्मा की सृष्टि की रचना करने की इच्छा बलवती होती है तब उसकी इच्छा से परमाणुओं में स्वतः ही क्रियाशीलता उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप दो-दो परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है अर्थात् सजातीय दो परमाणुओं के संयोग से 'द्वयणुक' का निर्माण होता है। परमाणुओं की संख्या अक्षय्य होने के कारण तथा असंख्य दो-दो परमाणुओं से जन्म होने के कारण द्वयणुक भी असंख्य होते हैं। उन द्वयणुकों में पुन क्रिया होने के कारण तीन द्वयणुकों के संयोग से त्रयणुक या त्रसरेण का निर्माण होता है। इसी प्रकार चार चार त्रयणुक के संयोग 'चतुरणुक' तथा पाँच चतुरणुक के संयोग से 'पञ्चाणुक का निर्माण होता है। ये सभी ऋणुक कार्य द्रव्य होते हैं और द्वयणुक की अपेक्षा क्रमशः स्थूल से स्थूलतर एक व्यक्त से व्यक्ततर होते हैं। इस प्रकार पञ्चाणुकी के द्वारा उत्तरोत्तर स्थूल स्थूलतर स्थूलतम आदि तारतम्य से महाकाश महावायु महातेज महाजल और महापृथ्वी आदि कार्यद्रव्य उत्पन्न होते हैं। इन कार्य द्रव्यों से जगत् के अन्य सभी द्रव्य निर्मित एवं उत्पन्न होते हैं।

सृष्टि के विषय में एक अन्य विचार सरणि के अनुसार परम ब्रह्म परमात्मा ने सर्व प्रथम जल तत्व को उत्पन्न किया और उस जल में अपनी शक्ति रूप बीज को स्थापित किया। यह बीज सुवर्ण के समान तथा सुवर्ण की कान्ति से युक्त एक अणु के रूप में परिणत हो गया। यही अणु 'हिरण्यगर्भ' की संज्ञा से युक्त हुआ। इस हिरण्यगर्भ (अणु) से अतुल्य ब्रह्मा उत्पन्न हुई। परंपरात् उपर्युक्त अणु दो भागों में विभक्त हो गया। जिसके ऊर्ध्व अणु से 'अक्षय' एवं अधः अणु से 'पृथ्वी' की रचना हुई। अक्षय भाग से समुद्र काटो विशाए तथा अक्षय की रचना हुई। इसी प्रकार महाराज, अर्हकार सब एक सत्व-रज-समी गुण से युक्त अस्तित्व प्राप्त की

रचना हुई। पन शब्द स्पश रूप रस गन्धादि विषयो को ग्रहण करने वाली पाँच ज्ञानेन्द्रियो तथा विभिन्न कर्मों का सम्पादन करने वाली पाच कर्माद्रियो की उत्पत्ति हुई। उन इन्द्रियो एव महाभूतो के सूक्ष्मरूप तन्मात्राओ से युवत देव मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त जीवो की सृष्टि हुई।

गीता मे उपलब्ध होने वाले सृष्टि विषयक विवेचन के अनुसार परमात्मा के स्वेच्छा पूर्वक दो रूप हो गए — (१) वाम भाग और (२) दक्षिण भाग। भगवान् के वाम भाग से त्री तथा दक्षिण भाग से पुरुष की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये दो धाराएँ चली और इही दो धाराओ से जरायुज अण्डज स्वेदज तथा उद्भिज आदि योनियो के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति विभिन्न रूपो मे हुई। मनुष्य ही इन समस्त योनिया म प्रमुख प्राणी है।

आयुवद मे सृष्टि की उत्पत्ति का अनुकरण साख्य दशन के आधार पर किया गया है। यथास्थल आयुर्वेद प्रणताभा ने मत भिन्नता भी प्रकट की है। साख्य दशन मे सृष्टि की उत्पत्ति अव्यक्त तत्व से मानी गई है। इसे प्रकृति भी कहा गया है। यह दृश्यमान ससार सब प्रथम प्रकृति मे विलीन था अथवा सभी व्यक्त तत्व अव्यक्त मे एकीभूत होकर समाविष्ट थ। न तो उसका प्रयक्ष ही हो सकता था और न ही कि ही लक्षणो से उनका अनुमान किया जा सकता था। प्रकृति प्रक परम ब्रह्म ने स्वच्छा से पचभतामक शरीर को धारण कर पुन आकाशादि पच महाभूतो सहित महदादि चतुर्विंशति तत्वो जो प्रलय काल की अवस्था मे अव्यक्त मे विलिन हो गए थ को स्थूल रूप म प्रकाशित किया और साथ ही स्वय भी प्रकाशमान हुए।

आयुवद च कि मानव जीवन से सम्बन्धित शास्त्र है अत उसमे ऐसे सभी विषयो का प्रतिपादन किया गया है जो जीवन विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि गम धारण से भी पूव की स्थिति से लकर मृत्यु पय त समस्त घटनाक्रम का प्रसंगोपात्त वणन या उल्लेख इस शास्त्र म मिलता है। इसक अतिरिक्त यह शास्त्र विभिन्न दार्शनिक सिद्धांता से अनुप्राणित होने के कारण न केवल मनुष्य की अपितु सृष्टि की उत्पत्ति के विषय मे भी अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। यही कारण है कि महर्षि सुश्रुत एव महर्षि चरक ने इस विषय मे अपने गम्भीर चिन्तन के आधार पर जो मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है वह महत्वपूर्ण एव उपयोगी है।

आयुवद मे सृष्टि की उत्पत्ति का जो स्वरूप निरूपित किया गया है वह अपने आप मे परिपूर्ण एव अद्वितीय है। इसका कारण सम्भवत यह है कि आयुवद ने सृष्टि के विषय मे अधिक गहराई म न जाकर तथा उसकी सूक्ष्मता को ग्रहण न कर उसके सरल स्थल एव बुद्धिगम्य स्वरूप का विवेचन किया है। आयुर्वेद मे सृष्टि की उत्पत्ति

का मूल कारण अव्यक्त माना गया है। उस अव्यक्त तत्त्व से अन्य व्यक्त तत्वों की उत्पत्ति एवं सृष्टि के विकास का विवेचन महर्षि चरक ने अत्यन्त सुन्दर रूप से किया है।

‘सर्वभूतानां कारणकारण सत्त्वरजस्तमोलक्षणघट्टरूपमक्षितस्य जगत सम्भवहेतुरव्यक्त नाम । तत्रैक बहुना क्षेत्रज्ञानाभ्यिष्टान समुद्र इवौदकानां भवधानाम ।

—सुश्रुत संहिता शारीरस्थान १/३

अर्थात् जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है किन्तु स्वयं अकारण है (किसी अन्य तत्त्व से उत्पन्न नहीं होने के कारण स्वयं कारण रहित है) सत्त्व रज-तम इन तीन लक्षण वाला है (महददि तत्वों से युक्त होने के कारण) अष्टविध रूप वाला है और सम्पूर्ण ससार की उत्पत्ति में कारण है वह अव्यक्त नामक तत्व है। वह एक अव्यक्त अनेक क्षेत्रज्ञों (पुरुष आत्मा) का अधिष्ठान है। जिस प्रकार एक समुद्र अनेक जलचर प्राणियों का आधार (आश्रय) होता है उसी प्रकार एक ही अव्यक्त असंख्य क्षेत्रज्ञों का आश्रय होता है।

महान और अहंकार तत्व की उत्पत्ति

तस्म अव्यक्त त्महान्त्वद्यते तल्लिग एव तल्लिगाच्च महत्तस्नल्लिङ्ग एव हंकार उत्पद्यते । स च त्रिविधो वैकारिकस्तेजसो भतादिरिति ।

—सुश्रुत संहिता शारीरस्थान १/४

अर्थात् उन्हीं तीन (सत्त्व रज-तम) लक्षणों वाले अव्यक्त से उन्हीं तीन लक्षणों से युक्त महत् तत्व की उत्पत्ति होती है। उस महत् तत्व से उन्हीं तीन लक्षणों वाला अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। त्रिविध (सत्त्व रज-तम) लक्षणों से युक्त वह अहंकार तीन प्रकार का होता है—वैकारिक तेजस और भूतादि।

इन्द्रियों की उत्पत्ति

तत्र वैकारिकहंकारात्सत्त्वसहाय्याच्च तत्त्वक्षणान्येवैकारिकेन्द्रियेषुत्पद्यन्ते । तद्वथा - भोक्तृत्वकक्षुजिह्वाघ्राणवामघस्तीपस्थपादभनतीति । तत्र पूर्वणि इव बुद्धीन्द्रियाणि इतराणि पञ्च कर्मान्द्रियाणि उभयात्मक मन ।

—सुश्रुत संहिता शारीर स्थान १/४

अर्थात् तेजस अहंकार की सहायता से वैकारिक अहंकार से उन्हीं तीन (सत्त्व रज-तम) लक्षणों वाली ग्यारह इन्द्रिया उत्पन्न होती हैं। वे निम्न प्रकार हैं— भोत्र त्वक कक्षु जिह्वा घ्राण वाक (बाणी) हस्त उपस्थ (ग्रहण मूत्रेन्द्रिय) पादु (शुद्ध-मलेन्द्रिय) पाद और मन। इनमें से पहले वाली पाँच ज्ञानेन्द्रिया अन्य पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन उभयात्मक होता है।

पञ्चतन्मात्राओं एवं महाभूतों की उत्पत्ति

भतादेरपि तजसहाभ्यातल्लक्षणान्येष पञ्चतन्मात्राण्युपपन्नानि । तेषां शब्दतन्मात्रा शब्दार्थतन्मात्र रूपतन्मात्र रसतन्मात्र गन्धतन्मात्राभिति । तेषां विश्लेषः, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा । तेभ्यो भतानि व्योमानिलानलजलोव्य ।

—सुश्रुत संहिता शारीर स्थान १/४

अर्थात् तजस अ कार की सहायता से भूतादि अहकार से उन्हीं तीनों (सत्व रज-तम) लक्षणों वाली पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे शब्दतन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूपतन्मात्रा रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा। इन पञ्चतन्मात्राओं के विशिष्ट शब्द स्पष्ट रूप रस और गन्ध होते हैं। इन तन्मात्राओं से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। जैसे-आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी।

एवमेवा तत्त्वचतुर्विंशतिव्य वशात् ।

इस प्रकार चौबीस तत्वों का वर्णन किया गया।

इन चौबीस तत्वों के संयोग से शरीर का निर्माण होता है। इस चतुर्विंशति तत्व समुदायात्मक शरीर को क्षेत्र कहते हैं। आत्मा या पुरुष इस शरीर रूपी क्षेत्र में स्थित रहता है और वह उस क्षेत्र तथा तदगत समस्त भावों को जानता है इसलिए उसे (आत्मा को) क्षेत्रज्ञ कहते हैं। चतुर्विंशति तत्वों के समुदाय से निर्मित शरीर जड़ एवं अचेतन होता है। उसे चेतना प्रदान करने वाला पञ्चवीसवा तत्व पुरुष (आत्मा) होता है। यह पुरुष सृष्टि के मूल कारण प्रकृति और महदादि काय रूप विकार से समुक्त होकर चेतना प्रदान करने वाला तथा प्रवक्तव्य होता है। यद्यपि प्रधान (अव्यक्त प्रकृति) अचेतन है और अचेतन द्रव्य प्रवृत्ति नहीं करता है तथापि जिस प्रकार नव प्रसूता माता के स्तनों में शिशु के पाषण एवं वृद्धि के लिए अचेतन दूध प्रवृत्ति करता है। उसी प्रकार अचेतन प्रधान भी पुरुष के कवल्याय अर्थात् मोक्षार्थ प्रवृत्ति करता है। महर्षि सुश्रुत ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है। यथा—

तत्र सध एवाचतनवश पुरुष पञ्चविंशतितम कायकारणसव्यतद्वचतवित्ता भवति । सत्यप्यचतन्ये प्राधानस्य पुरुषकवल्याय प्रवृत्तिमुपदिशन्ति क्षीरादीन्व्यात्र हतनुवाहरन्ति ।

—सुश्रुत संहिता शारीरस्थान १/

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद ने साध्य मत के जिस सिद्धांत का अनुसरण किया है उसके अनुसार सृष्टि के आदि मूल तत्व दो हैं—प्रकृति और पुरुष। इन दोनों पुरुष अपरिणामी (परिवर्तन शून्य) एवं निर्विकार हैं। इसके विपरीत प्रकृति परिणामी है और उसमें उत्तरोत्तर परिवर्तन होकर विकार रूप महादादि तत्वों का प्रादुर्भाव होता है। इनमें प्रकृति के नाम से जाना जाने वाला मूल तत्व अव्यक्त और उससे समुत्पन्न षष महदादि अय तत्व व्यक्त होते हैं। पुरुष इन दोनों ही प्रकार के तत्वों से सवधा भिन्न निर्विकार रूप होता है। अव्यक्त से व्यक्त तत्वों की उत्पत्ति होने वाली क्रिया में पुरुष का काम केवल इतना है कि वह प्रकृति

के साथ विद्यमान रहता है। यद्यपि पुरुष का अपना कोई कार्य नहीं है। अर्थात् उससे कोई सत्व या द्वन्द्व उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु प्रकृति से उत्पन्न की कर्म द्वन्द्व उत्पन्न होते हैं उससे उसका सान्निध्य रहता है। पुरुष के सान्निध्य से ही प्रकृति अथ तत्त्वों के उत्पादन में समर्थ होती है। इसीलिए प्रकृति को प्रसवधर्मी और पुरुष को अप्रसवधर्मी कहा गया है।

यद्यपि प्रकृति और पुरुष में अनेक विषमताएँ हैं। जैसे प्रकृति त्रिगुणात्मिका अर्थात् सत्व रज-तम से युक्त जड़ विषय रूपा और अचेतन होती है जबकि पुरुष इससे विपरीत त्रिगुणातीत विवेकी विषयी और चेतन होता है। इस प्रकार दोनों विधर्मी हैं और परस्पर अलग रह कर कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के ससग में आने पर ही दोनों की सृष्टि की रचना में प्रवृत्ति होती है। परिणामतः सृष्टि की रचना होती है। यहाँ एक शका यह उत्पन्न होती है कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही स्वभावतः एक दूसरे से विपरीत या विरोधी एवं भिन्न हैं तो इनका पारस्परिक मिलन क्यों और कैसे होता है तथा ये किस प्रकार सृष्टि की रचना में प्रवृत्ति करते हैं। इसका समाधान सांख्य कारिका में निम्न प्रकार से किया गया है—

पद्मन्धवदुभयोरपि सयोगस्तत्कृत सग । —सांख्य कारिका ३१

इसके अनुसार पद्मन्ध न्याय से दोनों (प्रकृति और पुरुष) का सयोग होकर सर्ग (सृष्टि) की उत्पत्ति या रचना होती है। सांख्योक्त पद्मन्ध (पंगु-लंगडा और अघा) न्याय निम्न प्रकार है—

किसी जंगल में एक अघा और एक लंगडा रहता था। एक दिन अचानक अघा उस जंगल में आग लगी तो दोनों घबड़ाए। क्योंकि अघा देख नहीं सकता था कि वह किधर जाय और लंगडा भाग नहीं सकता था। अकस्मात् दोनों का मिलन हुआ। लंगडा को अघा ने अपने कंधे पर बठाया और लंगडा अघा को रास्ता बतलाता गया। इस प्रकार दोनों उस जंगल से बाहर निकल आए और विपत्ति से बच गए। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का परस्पर सयोग सृष्टि की उत्पत्ति करता है।

तत्त्व विज्ञान

तत्त्व शब्द का सामान्य अर्थ होता है वह मूल द्वन्द्व जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई अथवा सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास के साथ जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। व्याकरण के अनुसार तत्त्व शब्द की निष्पत्ति 'तन् विस्तारे' धातु से हुई है। अतः तत्त्व के आधिक्य अर्थ के अनुसार सम्पूर्ण ससार जिसके विस्तार से आच्छादित है अथवा सम्पूर्ण आकाश-व्योम से जो व्याप्त होकर स्थित है वह तत्त्व कहलाता है।

तत्त्व के विषय में विभिन्न दर्शनो ने अपने अपने सिद्धान्तानुसार विन्न विन्न सूक्ष्मकोष प्रस्तुत कर विन्न-विन्न प्रकार से विवेचन किया है। इस विषय में सर्वत्र मान्य एक मत स्थापित नहीं कर पाए हैं। सांख्य दर्शन में तत्त्वों का विवेचन मुख्यतः

स्थित रूप से उपलब्ध होता है। उसके मतानुसार मूल प्रकृति 'अव्यक्त' ही वह सर्व प्रथम तत्व है जिससे अन्य व्यक्त तत्वों एवं सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस सन्दर्भ में साध्य दशन पञ्चीस तत्वों का अनुमोदन करता है। वशेषिक दर्शन में भी किञ्चित् परि बतन के साथ उन्हीं तत्वों को स्वीकार किया गया है। किन्तु वह तत्वों की कुल सख्या चौबीस मानता है। वेदात दशन तथा उपनिषद् कालीन दार्शनिक विद्वान् एकमात्र परम तत्व ब्रह्म को ही स्वीकार करते हैं। वे ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं। ब्रह्म के अति रिक्त समस्त जगत् मिथ्या है— ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या। मीमासा दशन के सूत्रकार जमिनी का मत इस से ठीक विपरीत है। उनके मतानुसार सम्पूर्ण बाह्य जगत् सत्य है। अर्थात् जैसा वह दृष्टिगत होता है वन् वसा ही और यथाथ रूप है। जैमिनी के मतानु सार आत्मा अनेक है और स्वयं का अस्तित्व विद्यमान है। किन्तु स्वयं मे प्राप्त होने वाला सुख ऐश्वर्य एवं भोगोपभोग ससार के भोगों की भाँति ही भौतिक है। वे वेदों का प्रामाण्य भी स्वीकार करते हैं। चार्वाक दशन मे प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित तत्वों की व्यवस्था अथ दशनो से सधथा भिन्न है। वह पृथ्वी जल तेज और वायु इन चार को ही जगत के लिए उपयोगी मानता है। गीता मे ससार के लिए मध्य रूप से तीन तत्वों का ही वणन किया गया है। यथा प्रकृति पुरुष और अमत तत्व। वे तीन तत्व ही ससार के उपादक एवं नियामक हैं। जन दशन मे जो तत्व व्यवस्था स्वीकृत की गई है वह मुख्यत आत्मोक्त परक है। अत आत्मा की शुद्धि एवं तदनन्तर उसकी मक्ति के लिए ही तत्वों का विशेष महत्त्व है। जन दशन मे स्वीकृत तत्व व्यवस्था जन दशन की दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक नहीं है। उसके मतानुसार सृष्टि तो अनादि काल से इसी प्रकार चली आ रही है और अनन्त काल तक इसी प्रकार चलती रहेगी। उसका कर्ता या नियन्ता कोई नहीं है। जैन तत्व मीमासा के अतगत स्वीकृत तत्वों की सख्या क्रमश दो पाच सात और नौ है। दो तत्व यथा—जीव और अजीव। पाच तत्व यथा—धम अधम आकाश काल और पुदगल। सात तत्व यथा—जीव अजीव आस्रव बध सवर निजरा और मोक्ष। इन सात तत्वों मे पुष्य और पाप इन दो तत्वों का मिला लेने से तत्व सख्या नौ हो जाती है। तत्वों के इस सख्या विभाजन में भा सात तत्व विशेष महत्त्वपूर्ण हैं और इन्हीं सात तत्वों पर जन दशन मे विशेष जोर दिया गया है। इन तत्वों का सम्यक श्रद्धान एवं सम्यक ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है।

आयुर्वेद मे जो तत्व व्यवस्था स्वीकार की गई है वह बहुत कुछ साध्य दर्शन से समानता रखती है। कहीं कहीं उसी के अतगत वशेषिक दशन के मत को भी ग्रहण कर लिया गया है। आयुर्वेद सम्मत तत्व मीमासा प्रत्यक्षत आयुर्वेद के मूल प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य च विकारप्रशानम् पर आधारित एवं

अनुप्राणित है और इसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के उत्पत्तिक्रम में भाग लेने वाले पच्चीस तत्व होते हैं। इन पच्चीस तत्वों का सम्यक ज्ञान जिसे हो जाता है वह किसी भी ब्रह्मण का पुरुष ही चाहे वह ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो वह (तीन प्रकार के) दुखों से अवश्य ही मुक्त हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं है। आचार्यों ने इसी तथ्य का प्रतिपादन निम्न श्लोक में किया है—

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राभ्यने वसेत् ।

जटी मुण्डी शिखी वाऽपि मण्यते नाऽत्र सशय ॥

—स शि स ६/११

तत्वों का वर्गीकरण

सांख्य दर्शन में प्रतिपादित पच्चीस तत्वों को ज्ञान की सुविधा के लिए निम्न चार वर्गों में विभाजित किया गया है—

१ प्रकृति या मूल प्रकृति—वह तत्व जो दूसरे तत्व को उत्पन्न करने में कारण होता है किन्तु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होता। अर्थात् उसको उत्पन्न करने वाला कोई कारण नहीं होता प्रकृति कहलाता है। स्वयं कारण रहित होने से उसे मूल प्रकृति अथवा विकार रहि होने से अविकृति भी कहते हैं। सख्या की दृष्टि से यह तत्व केवल एक होता है। आदि मूल तत्व अव्यक्त को ही प्रकृति या मूल कहते हैं।

२ प्रकृति विकृति—जो तत्व अन्य तत्वों को उत्पन्न करता है वह प्रकृति और जो स्वयं दूसरे तत्वों से उत्पन्न होता है वह विकृति कहलाता है। अतः अन्य तत्वों को उत्पन्न करने के कारण तथा स्वयं किसी अन्य तत्व से उत्पन्न होने के कारण उसे प्रकृति विकृति कहते हैं। तत्व भीमासा में इनकी सख्या सात है। महान् अहंकार और पांच तन्मात्राएँ—ये सात तत्व प्रकृति विकृति कहलाते हैं।

३ विकृति या विकार—जो स्वयं दूसरे तत्वों से उत्पन्न होता है किन्तु स्वयं किसी अन्य तत्व को उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है विकृति या विकार कहलाता है। तत्त्व व्यवस्था में इनकी सख्या सोलह मानी गई है। ग्यारह इन्द्रिया और पांच महामूर्त ये सोलह तत्व कायमात्र होने से विकार कहलाते हैं। इनसे कोई अन्य तत्व उत्पन्न नहीं होता है।

४ न प्रकृति न विकृति—जो न तो किसी तत्व को उत्पन्न करता है और न ही किसी अन्य तत्व से उत्पन्न होता है। किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करने से न प्रकृति और स्वयं अनुत्पन्न होने से न विकृति अर्थात् न कारण और न कार्य होने से उसे न प्रकृति न विकृति कहते हैं। यह तत्व केवल एक मात्र पुरुष होता है।

सांख्य काविरका में उपर्युक्त तथ्य प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया गया है—

मूलप्रकृतिरविकृति/महवाचा प्रकृतिविकृतय सप्त ।

बोद्धव्यमस्तु विकारो न प्रकृतिं विकृतिं पुंशब्दः ॥

अर्थात् मूल प्रकृति (अव्यक्त) अविकृति महदादि सत्त्व तत्त्व प्रकृति-विकृति इन्द्रियादि सोलह विकार और पुंशब्द न प्रकृति न विकृति होता है ।

प्रकृति या अव्यक्त

जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है वह प्रकृति कहलाती है । यथा —
तच्च तरोरुपादन्तव प्रकृतिस्त्वम् ।

प्रकृति में अन्य तत्वों के उत्पादन की क्षमता रहती है । इसलिए वह कारण है । अन्य समस्त तत्व उसके काय हैं । समस्त तत्व उसी से उत्पन्न होने के कारण वह मूल प्रकृति भी कहलाती है । वह स्वयं किसी का काय या विकार नहीं होने से अविकृति वाचक भी होती है । प्रकृति शब्द की परिभाषा भी इसी अर्थ को ध्वनित करती है । यथा— प्रकरोतीति प्रकृति ।

प्रकृति का कोई स्वरूप विद्यमान नहीं होने से अथवा उसकी कोई अवस्था नहीं होने से या वह स्वयं व्यक्त नहीं होने से उसे अव्यक्त सज्ञा से भी व्यवहृत किया जाता है । प्रकृति यद्यपि ससार के समस्त पदार्थों या कायद्रव्यों का कारण होती है किन्तु वह कारण होते हुए भी व्यक्त नहीं होती । इसीलिए उसे अव्यक्त संज्ञा से व्यवहृत किया गया है । व्यक्त से भिन्न और विपरीत धर्मावलम्बी अव्यक्त होता है । महदादि व्यक्त तत्वों में सामान्यतः जो घटते हैं वे अव्यक्त में कदापि नहीं होते हैं । व्यक्त सदैव उत्पत्ति और विनाशशील होता है । वह अव्यापक सक्रिय अनेक स्वकारणाश्रित प्रधान का ज्ञापक सावयव और परतत्र होता है । इसके विपरीत अव्यक्त सबथा अहेतुमत् नित्य व्यापक निष्क्रिय एक अनाश्रित अलिङ्ग अनवयव (अवयव रहित) और स्वतत्र होता है । अव्यक्त (प्रकृति) त्रिगुणात्मक होता है । अर्थात् अव्यक्त में सब रज और तम तीन गुण विद्यमान रहते हैं । क्योंकि सत्कायवाद के सिद्धान्त के अनुसार जो गुण कारण में नहीं होते वे काय में भी स्वतत्र रूप से नहीं आ सकते । अन्तर केवल इतना होता है कि सृष्टि पदार्थों में वे गुण विषमावस्था एवं कार्यकर स्थिति में होते हैं किन्तु अव्यक्त (प्रकृति) में वे गुण साम्यावस्था एवं अकार्य करी स्थिति में होते हैं । इसलिए प्रकृति का निम्न लक्षण साम्यावस्था प्रतिपादित किया गया है— सश्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति अर्थात् सत्त्व रज और तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति कहलाती है ।

महत्तत्त्व

सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में अव्यक्त से उत्पन्न होने वाला प्रथम व्यक्त तत्व

'महत्' हीरा है। इसे महान् तत्व या बुद्धि तत्व भी कहते हैं। आयुर्वेद तथा दर्शन शास्त्रों में बुद्धि तत्व का प्रचलित प्रतिद्व सासान्य अर्थ 'ज्ञान' होता है। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में बुद्धि तत्व विशिष्टाश्रयाची के रूप में प्रकृत हुआ है। कुछ आचार्यों के मतानुसार ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। अतः सर्वव्यवहार शब्द प्रयोग का हेतु ज्ञान है। वह ज्ञान ही बुद्धि पदवाची है। यथा—'व्यवहारमात्रहेतुर्ज्ञानं बुद्धि प्रकीर्तिता— अर्थात् प्रत्येक व्यवहार के कारण घूट ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। दीपिकाकार के मतानुसार अनुव्यवसायगम्य ज्ञान ही बुद्धि है। विषय का ज्ञान व्यवसाय है और व्यवसाय का ज्ञान अनुव्यवसाय है। जैसे यह घट है इस प्रकार के घट का आशुष प्रत्यक्ष व्यवसाय कहलाता है और उसके अनन्तर मुझे घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है—ऐसा जो ज्ञान होता है उसको अनुव्यवसाय कहते हैं। इस अनुव्यवसाय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे बुद्धि कहते हैं। शिवादित्य के कथना नसार आत्मा का आश्रय करके रखा हुआ जो प्रकाश है उसका नाम बुद्धि है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के प्रथम परिणाम महत्तत्व रूप अन्तःकरण विशेष को बुद्धि कहते हैं और निमल बुद्धि के विशेष परिणाम को ज्ञान कहते हैं। अर्थात् बाह्य ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा विषय देश में पहुँचकर घट घट आदि विषय रूप में परिणत हुई बुद्धि को ज्ञान कहते हैं। स्वच्छ बुद्धि में स्थित ज्ञान से चैतन्य रूप पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं होने से भी जानता हूँ इस प्रकार का जो अभिमान होता है उसे उपलब्धि कहते हैं। किन्तु न्याय एवं श्रेषिक दर्शन में बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान को पर्याय रूप माना गया है। यथा बुद्धिर्य स्वधिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरम् (याय सत्र १।१।१५) यथा—'बुद्धिर्यस्वधिर्ज्ञानं प्रस्थम् इति पर्याया (वे सू ८/१२)। आयुर्वेद शास्त्र में अध्यवसायात्मिका व्यवसायात्मिका एवं निश्चयात्मिका तत्व को बुद्धि कहा गया है तथा उसकी गणना अन्तःकरण में की गई है। अर्थात् पुरुष (आत्मा) का ज्ञान कम तथा उसके फल रूप धीन (सासारिक दुःख सुख) और अपबग (मोक्ष) जिन साधनों की सहायता से होते हैं उन्हें करण कहा जाता है। ये करण दो प्रकार के होते हैं—बाह्य करण और अन्तःकरण। पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और पांच कर्मेन्द्रियाँ बाह्य करण कहलाते हैं। मन बुद्धि और अहंकार ये तीन अन्तःकरण कहलाते हैं। इनमें बुद्धि का कम अध्यवसाय अथवा निश्चय करना है। अर्थात् मन के द्वारा विषय का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् पुरुष को निश्चय करता है कि यह करना चाहिए अथवा नहीं? वहाँ जाना चाहिए या नहीं? यह कहना चाहिए या नहीं? इत्यादि हिताहित विषय का भिन्न होना ही बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य हित का अनुसरण और अहित का परित्याग करता है।

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सांख्य दर्शन के मतानुसार बुद्धि तत्व प्रकृति का ही परिणाम है और यह धारणिक परिणाम के अनुसार 'महत्तत्व' के नाम से व्यवहृत

होता है। प्रकृति जब पुरुष से संयुक्त होती है तो अपनी अवस्था एवं त्रिगुण साम्यावस्था का परित्याग कर व्यक्त एवं त्रिगुण वषम्ययुक्त अनेक तत्वों को उत्पन्न करती है। उन व्यक्त तत्वों में प्रथम तत्व होता है—महत् या महान्। यही महत्त्व बुद्धि तत्व भी कहलाता है। जसा कि कहा गया है—

यदेतत् विस्तत वीज प्रधानपुरुषात्मकम् ।

महत्तत्त्वमिति प्रोक्तं बुद्धित्त्वमिहोच्यते ॥

आयुष मे बुद्धि और बुद्धि के काय क विषय मे निम्न विवरण उपलब्ध होता है—

इन्द्रियेण्ड्रियार्थो हि समनस्कन गृह्यते ।

कल्प्यते मनसा तद्ध गुणतो दोषतोऽपि वा ॥

जायते विषये तत्र या बुद्धिर्निश्चयात्मिका ।

व्यवस्यति तथा वक्तु क्तु वा बुद्धिपूर्वकम् ॥

— चरक संहिता शारीर स्थान १/ २२३

अथ—मन सहित ज्ञानेन्द्रियो क द्वारा अपने-अपने विषय का ग्रहण होने के पश्चात् मन और बुद्धि का व्यापार होता है। इन्द्रियाय (विषय) का ग्रहण होने के अनन्तर मन के द्वारा सकृप किया जाता है कि गहीत विषय गुण युक्त होने से ग्राह्य है अथवा दोष युक्त होने से या य है। तत्पश्चान उस विषय क सम्बन्ध में स्थिर निश्चय होता है वही निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। इसे ही अध्यवसाय भी कहते हैं।

अहंकार

प्रकृति (अव्यक्त) से उत्पन्न होने वाले व्यक्त तत्वों की परम्परा में दूसरा व्यक्त तत्व अहंकार है जो उपयुक्त महत्त्व से उत्पन्न होता है। महत्त्व की भाँति यह भी त्रिगुणात्मक (सत्व रज और तम से युक्त) होता है। अहंकार में तीनों गुणों की विषम रूपा स्थिति रहती है। तीनों गुणों की वैषम्यावस्था के कारण ही अहंकार तत्व मनुष्यों में ममत्व भावना का उत्पादक होता है। सामान्यतः अहं भावना को ही अहंकार कहते हैं। मनुष्यों में सामान्यतः अभिमान (स्वाभिमान) या स्वयं को दूसरों से पृथक् रखने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वह अहंकार जनित ही होती है। सांख्यकारिका में अहंकार का अभिप्राय अभिमान ही ग्रहण किया गया है। यथा अभिमानोऽहंकारः ।

समाार के विभिन्न पदार्थों में मनुष्य का जो यह भाव उत्पन्न होता है कि मैं हूँ यह मेरा है मैं इसका अधिकारी हूँ मैं इससे पृथक् हूँ अथवा वह मुझ से भिन्न है इत्यादि भाव या वाक्य अहं भाव के द्योतक हैं और ये सब अहंकार से प्रेरित हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति सदैव अपने अभिमान की रक्षा करता है और कभी भी वह परतन्त्रता स्वीकार नहीं करता। स्वतन्त्र प्रवृत्ति एवं स्वेच्छाचारी वृत्ति ही उसके स्वभाव का गुण होता है। यह अहंकार का ही परिणाम है।

आयुर्वेद सम्मत सृष्टिक्रम

आयुर्वेद के मतानुसार सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में निम्न प्रकार से चतुर्विंशति तत्वों का संयोग होता है। यथा—

सादीनि बद्धिरव्यक्तमहंकारस्तथाष्टम ।

भक्तप्रकृतिरद्विष्टा विकाराश्चैव षोडश ॥

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कमन्द्रियाणि च ।

समनस्काश्च पञ्चार्था विकारा इति सञ्ज्ञिता ॥

—चरक संहिता शारीरस्थान १।६३ ६४

अथ—ख आदि अर्थात् आकाश वायु तेज जल और पृथिवी इन पांच महाभूतों के सूक्ष्म अंश (पाच तन्मात्राण) बुद्धि (महान् या महत्तत्त्व) अव्यक्त (मूल प्रकृति) और अहंकार ये आठ तत्व भूत प्रकृति कहलाते हैं। विकार सोलह होते हैं—पाच ज्ञानेन्द्रिया (श्रोत्र त्वक् चक्ष जिह्वा और घ्राण) पाच कर्मेन्द्रिया (हस्त पाद उपस्थ गुद वाक्) और मन सहित पाच अर्थ (इन्द्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध) ये विकार कहलाते हैं।

आयते बद्धिरव्यक्ताव बद्ध याहमिति मयते ।

पर सादीन्यहकाराबुपद्यन्ते यथाक्रमम् ॥

ततःसम्पन्न सर्वाणि जातोऽभ्यवितङ्ग उच्यते ।

—चरक संहिता शारीरस्थान १।६६ ६७

अर्थात्—अव्यक्त से बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। (जिसे मुश्त त ने महान् या महत्तत्व की सज्ञा दी है) बुद्धि तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से सूक्ष्म महाभूत क्रम से उत्पन्न होते हैं। तब सम्पूण अंगों की उत्पत्ति होने पर जात अर्थात् उत्पन्न हो गया—ऐसा कहा जाता है।

आयुर्वेद में पञ्च महाभूत से ही इन्द्रियों और तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानी गई है। जबकि साध्य दशन आदि में अहंकार से इन्द्रियों और तन्मात्राओं की तथा तन्मात्राओं से पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति मानी गई है। आयुर्वेद में पञ्च महाभूतों से इन्द्रियों की उत्पत्ति होने से इन्द्रिया भौतिक मानी गई हैं न कि अहंकारिक। अतः आयुर्वेद सम्मत सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में अव्यक्त से महान्-महान् से अहंकार अहंकार से पञ्च महाभूत पञ्च महाभूतों से बारह इन्द्रिया और सूक्ष्म तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं।

चरकानुमत चतुर्विंशति तत्व

सृष्टि के उत्पत्तिक्रम में अहंनि चरक ने चौबीस तत्वों का ही परिगणन किया है। उन्होंने प्रकृति और पृथ्वी को पृथक् पृथक् न मान कर दोनों को समुक्त रूपेण अव्यक्त पद से ग्रहण किया है। वे चतुर्विंशति तत्वों की गणना निम्न प्रकार से करते हैं—

पुनश्च धातुभेदेन चतुर्विंशतिक स्मृतः ।

मनो बसोन्द्रियाध्यर्था प्रकृतिश्चाष्टधातुकी ॥

— चरक संहिता शारीरस्थान १।१७

अर्थ—धातु भेद से अर्थात् प्रकृति विकृति भेद से यह (विकित्साधिकृत पुरुष या कम पुरुष) पुरुष चौबीस तत्वों का समुदाय रूप है। आयुर्वेद में चौबीस तत्वों की राशि से उत्पन्न पुरुष को राशि पुरुष भी कहा गया है। चौबीस तत्व निम्न हैं—मन दश इन्द्रियां और पाच अथ ये सोलह विकार और धातुरुपा प्रकृति अर्थात् अव्यक्त महान् अहका और पच महाभत ये आठ प्रकृतिर्था और उपयुक्त सोलह विकार मिल कर चौबीस तत्व होते हैं जो धातु पुरुष या राशि पुरुष को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पच महाभूतों का प्रकृति वग में कथन होने से सूक्ष्म महाभूत अर्थात् पच तन्मात्राओं का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ अव्यक्त पद से प्रकृति और पुरुष का समुक्त रूप ग्रहण करना चाहिए तब ही पुरुष का चतुर्विंशतिकत्व सिद्ध होता है। यदि अव्यक्त का अर्थ केवल प्रकृति ही ग्रहण किया जाय तो पुरुष में पच विंशतिकत्व आ जायगा जो आयुर्वेद शास्त्र में ग्राह्य नहीं है। अतः आयुर्वेद सस्मृत तत्त्व विनिश्चय साध्य मत से सवथा भिन्न है। अव्यक्त पद यहाँ के लिए आया है। सामान्यतः पद यहाँ के लिए आया है। सामान्यतः अव्यक्त पद मूल प्रकृति के लिए ही ग्राह्य है। इस के साथ विकार का भी ग्रहण किया गया है। अतः यहाँ पुरुषोपहित प्रकृति समझना चाहिए। क्योंकि पुरुषाधिष्ठित प्रकृति से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है।

जसा कि पूव में बतलाया जा चुका है कि साध्य दशन में मुख्य रूप से पञ्चीस तत्वों का ग्रहण किया गया है। इनमें प्रकृति आदि चौबीस तत्व अचेतन एवं पञ्चीसवा तत्व पुरुष' को चेतन निरूपित किया गया है। इनमें यह पुरुष ही भोक्ता है और प्रकृति भोग्य। यदि पुरुष का ग्रहण न किया जाय तो चेतना शून्य शरीर में रोग—आरोग्य की प्रवृत्ति सम्भव नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र का मुख्य उद्देश्य स्वस्थस्थ स्वास्थ्यरक्षणम् और आतुरस्थ विकारप्रशानम् है। यह कार्य तब ही सम्पन्न हो सकता है जब रोगारोग्य का कोई भोक्ता हो। अतः पुरुष का ग्रहण करना अनिवार्य है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महर्षि चरक द्वारा आयुर्वेद में प्रतिपादित चिकित्साधिकृत चतुर्विंशतिक पुरुष समीचीन एवं युक्तियुक्त है। इस तत्व समुच्चय में अव्यक्त तत्व पुरुष समुक्त प्रकृति का द्योतक है।

व्यक्त और अव्यक्त में अन्तर एवं साम्य

सृष्टि के उत्पत्ति क्रमान्तर्गत उपयुक्त तत्व विवेचन में मुख्य रूप से दो प्रकार के तत्वों का बर्णन दृष्टिगत हुआ। प्रथम अव्यक्त तत्व और दूसरे उससे उत्पन्न होने वाले व्यक्त तत्व। दोनों ही प्रकार के तत्वों में पाए जाने वाले कुछ धर्मों में तो असमानता होती है और कुछ धर्मों में समानता होती है। इसी का दिग्दर्शन साध्यकारिका की निम्न कारिकाओं में किया गया है—

हेतुतत्त्वविषयव्यवस्थायी अविद्यमानेकाचित्त्वसिगम् ।
 सावयव परतन्त्र व्यक्तं विपरीतव्यवस्थाम् ॥
 त्रिभुवनसंविद्येकी विषय सामान्यमेकैतन्म असत्त्वमि ।
 व्यक्त तत्त्व प्रधानम् ॥

अथ— हेतु वाला (उत्पद्यमान) अमित्या (विनाश काल), अव्यापी (अव्यापक) सक्रिय अनेको में आश्रित (अनेक स्वकारणाधीन) सिग वाला (प्रचलन का शापक) सावयव (अवयवयुक्त) और परतन्त्र (स्वकारणाधीन) तत्त्व को 'व्यक्त' कहते हैं । इन धर्मों से विपरीत धर्मों वाला तत्त्व अव्यक्त कहलाता है । अर्थात् अव्यक्त में व्यक्त तत्त्व के विपरीत निम्न धर्म होते हैं—अहेतुमत् नित्य व्यापक निष्क्रिय, एक अनाश्रित अलिग निरवयव और स्वतन्त्र ।

दोनों तत्वों (व्यक्त और अव्यक्त) के धर्मों में निम्न साम्य परिलक्षित होता है—दोनों ही तत्र त्रिगुणात्मक (सत्त्व रज तमो गण वाले) होते हैं दोनों ही तत्व अविद्येकी विषय सामान्य अचेतन और प्रसवधर्मों होते हैं ।

प्रकृति-पुरुष का साधर्म्य

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में भाग लेने वाले मुख्य रूप से दो तत्व हैं— प्रकृति और पुरुष । दोनों ही तत्वों के धर्मों में कुछ समानता होती है और कुछ असमानता । प्रकृति-पुरुष के जिन धर्मों में समानता होती है वह उनका साधर्म्य होता है और जिन धर्मों में असमानता होती है वह उनका वैधर्म्य होता है । प्रकृति और पुरुष का साधर्म्य या समान धर्मत्व विम्ब है—

उभावप्यवादी उभावप्यलिगौ उभावपि नित्यौ उभावप्यपरी उभौ च सर्वगतौ चित्ति ।
 —सुभूत संहिता शारीरस्थान १/६

अर्थात् प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि (आदि रहित) और अनन्त (अन्त रहित) हैं दोनों अलिङ्ग (लिङ्ग रहित) और नित्य (अविनाशी) होते हैं दोनों ही अपर (इन दोनों के परे कोई पदार्थ नहीं) है और दोनों ही सर्वगत (सर्वव्यापी या विभु) हैं ।

प्रकृति पुरुष का वैधर्म्य

प्रकृति और पुरुष में अनेक धर्म ऐसे होते हैं जिनमें समानता नहीं है । धर्मों की यह असमानता ही वैधर्म्य कहलाता है । इसे तत्वों की विधर्मता भी कह सकते हैं । प्रकृति-पुरुष का वैधर्म्य विम्ब है—

“शुद्धा तु प्रकृतिरचेतनाः त्रिभुवन जीवधर्मिणी प्रसवधर्मिण्यव्यवस्थधर्मिणी चैति ।
 व्यक्तानु मुख्यतचेतनप्रपरीर्युक्ताः अजीवधर्मिणीः प्रसवधर्मिणीः सत्त्वधर्मिणीश्चैति ।”

—सुभूत संहिता, शारीरस्थान १/६

अर्थात् प्रकृति एक और अचेतन है। वह त्रिगुणा (सत्त्व रज, तम गुण वाली) बीज धर्मिणी (महदादि तत्वों को बीज रूप में धारण करने वाली) और प्रसवधर्मिणी (महदादि विकारों को उत्पन्न करने वाली) है। वह अमध्यस्थ धर्मिणी (सत्त्वादि गुणों के प्रभाव में आने वाली) है। इनके विपरीत पुरुष (आत्मा) अनेक चेतन सत्त्वादि गुणों से रहित अबीजधर्मी और मध्यस्थ धर्मी है।

प्रकृति-पुरुष का साधम्य और वैधर्म्य निम्न वर्गीकरण के द्वारा सुगमता पूर्वक समझा जा सकता है—

साधम्य		वैधम्य	
प्रकृति	पुरुष	प्रकृति	पुरुष
अनादि	अनादि	एका	अनेक
अनंत	अनंत	अचेतना	चेतन
अलिंग	अलिंग	त्रिगुणा	अगुण (गुण रहित)
नित्य	नित्य	बीजधर्मिणी	अबीजधर्मी
अपर	अपर	प्रसवधर्मिणी	अप्रसवधर्मी
सर्वगत	सर्वगत	अमध्यस्थधर्मिणी	मध्यस्थधर्मी

प्रकृति पुरुष के सयोग का कारण

सम्पूर्ण सृष्टि एक कार्य है। जहा कार्य होता है उसके मूल में कारण अवश्य होता है। सृष्टि रूप काय का मूल कारण है प्रकृति और पुरुष का सयोग। जब तक प्रकृति और पुरुष का सयोग नहीं होता है तब तक सृष्टि की उत्पत्ति होना सम्भव नहीं है। न तो केवल प्रकृति ही इस सृष्टि रूप कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है और न केवल पुरुष के द्वारा ही यह काय होना सम्भव है। प्रकृति यद्यपि सक्रिय (क्रियावती) है किन्तु अचेतना होने के कारण वह स्वयं इस काय में प्रवृत्त नहीं हो पाती है। इसी प्रकार पुरुष यद्यपि सचेतन है किन्तु निष्क्रिय होने से उसकी भी इस कार्य में स्वतन्त्र रूपेण प्रवृत्ति होना सम्भव नहीं है। इसलिए चेतनावान् पुरुष से संयुक्त होकर ही प्रकृति अपनी क्रियाशीलता के कारण सृष्टि रूप काय को उत्पन्न करने में प्रवृत्त होती है तब उससे महदादि तत्व प्रादुर्भूत होते हैं। प्रकृति स्वयं अचेतनावती या अज्ञातिमा होने से सृष्टि रूप कार्य की उत्पत्ति में कैसे प्रवृत्त होती है? इसको निम्न सुष्ठान्तों के द्वारा समझा जा सकता है—

(१) ब्रह्म स्वयं अज्ञ एवं अचेतन है, किन्तु माता के गर्भ में कर्म उत्पन्न आती है तब से ही माता के स्तनों में ब्रह्म का संयोग होने लगता है और सम्तापीरवति होने पर उसके पोषण एवं वृद्धि के लिए स्वतः ही माता के स्तनों से ब्रह्म की प्रवृत्ति होने लगती है। इसी प्रकार अज्ञ प्रकृति भी पुरुष से संयुक्त होकर रचना काय शारम्भ करती है।

(२) जिस प्रकार संसार को निरन्तर गतिशील बनाये रखने के लिए कालचक्र सतत चरण चलायमान रहता है अर्थात् वर्षा शरद हेमन्त शिशिर वसन्त और ग्रीष्म इन ऋतुओं की प्रवृत्ति संसार के नियमित सन्तुलन के लिए स्वतः होती है उसी प्रकार पुरुष को संसार के बन्धनों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रकृति भी स्वतः प्रवृत्ति होती है और उसके द्वारा सृष्टि चक्र अविकल रूप से चलता रहता है। इस प्रकार प्रकृति सृष्टि रचना में स्वतः प्रवृत्त होती है।

(३) जिस प्रकार अभीष्ट सिद्धि के लिए मनुष्य विभिन्न कार्यों में स्वतः प्रवृत्ति करता है। प्रत्येक सम्भव उपाय के द्वारा अभीष्ट अर्थ प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है उसी प्रकार पुरुष के अभीष्ट साधन अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रकृति अनेक प्रकार की सृष्टि रचना में स्वतः प्रवृत्त होती है और शरीर के माध्यम से उसे मोक्ष प्राप्त कराने का प्रयत्न करती है।

(४) जिस प्रकार नतकी दर्शकों के लिए नृत्य गीत आदि में प्रवृत्त होती है और अपने विभिन्न प्रकार के हाव भाव के प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती है उसी प्रकार पुरुष के कैवल्य के लिए प्रकृति सृष्टि की सुन्दर रचना करने के लिए स्वतः प्रवृत्त होती है और अपने विभिन्न रूपों के द्वारा पुरुष को आकर्षित करने का प्रयत्न करती है।

इस प्रकार जब पुरुष प्रकृति की ओर आकर्षित होता है तो प्रकृति स्वयं पुरुष के साथ संयोग करती है। निष्क्रिय किन्तु सचेतन पुरुष के साथ सक्रिय ब्रह्म तिसका (अचेतन) प्रकृति का संयोग होने पर प्रकृति सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होती है और स्वयं में ब्रह्म रूप से विद्यमान महान् आदि विकार तत्त्वों को उत्पन्न करती है। यहां प्रकृति को एक नाचने वाली सामान्य स्त्री के रूप में तथा पुरुष (आत्मा) को एक सामान्य पुरुष (मनुष्य) के रूप में समझने पर इसे बली भाति समझा जा सकता है। जिस प्रकार नाचने वाली एक सामान्य स्त्री अपने अनेक प्रकार के विस्तारकर्म हाव भावों एवं मत्तमोहक नाच गानों से दर्शकों का मनोरंजन कर उन्हें सुख कर देती है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती है उसी प्रकार प्रकृति भी विविध प्रकार के भोग्य विषयों के द्वारा पुरुष को सुख कर अपनी ओर आकर्षित करती है। पुरुष इन भोग्य विषयों का उपयोग कर ब्रह्मत्व का अनुभव करता है।

और फिर उन्हीं क्रियाओं से रक्षण करता रहता है। उन विषयों की प्राप्ति नहीं होने पर वह दुःख का अनुभव करता है और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार अहंकार से विमूढ़ होकर वह सृष्टि का कर्तृत्व अपने में ही मानने लगता है और इस निष्पत्ति एवं भ्रम पूर्ण प्रपञ्च में फँस कर पुनः पुनः नवीन शरीर धारण करता है। जब तक पुरुष अहंकार से विमूढ़ होकर प्रकृति के माया जाल में फँसा रहता है तब तक मोहवशात् उसे मुक्ति नहीं मिलती है और कम-बधन के कारण वह संसार में अनन्त काल तक आवागमन करता हुआ विभिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है। जब पुरुष को यह ज्ञात हो जाता है कि वह तो स्वयं निर्विकार निरहंकार त्रिगुणातीत अकर्ता और चिदानन्द स्वरूप है तथा संसार के समस्त विषय उसे भटकाने वाले और उसके लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्ति में बाधक हैं तो वह संसार के भौतिक विषयों से विमुक्त होकर स्वानुभव में लीन होने का प्रयत्न करता है। तब ही उसे यह भी बोध होता है कि वह संसार से सबथा भिन्न स्वतंत्र है कर्त्री और त्रिगुणात्मिका तो प्रकृति है। प्रकृति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार वह स्वयं को संसार एवं प्रकृति से सर्वथा भिन्न समझने लगता है। तब पुरुष स्वयं प्रकृति से विरक्त होकर आम स्वभाव में लीन हो जाता है। इस स्थिति में प्रकृति स्वयं पुरुष का सगुण छोड़ देती है। प्रकृति से रहित होकर पुरुष जब अपने समस्त कम-बधनों का विच्छेद (अय) करके विकार रहित स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो निमल अव्याबाध एवं अक्षय ज्ञान के प्रकार प्रकाश से भासमान होकर केवलव (मोक्ष) को प्राप्त करता है।

त्रिगुण निरूपण

सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले तीन गुण हैं। यथा-सत्त्व रज तम। इन तीनों गुणों की समानता ही प्रकृति कहलाती है। जब तक इन तीनों गुणों का सन्तुलन ठीक रहता है तब तक ही प्रकृति का अस्तित्व रहता है। इन तीनों में यथाधिकता आ जाने अथवा सन्तुलन बिगड़ जाने से यह विकृति में परिवर्तित हो जाती है। विकृति में भी इन तीनों गुणों की व्यापकता रहती है। अतः सृष्टि के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योग रहता है।

सत्त्व रज तम इन तीनों के लिए गुण शब्द का व्यवहार अत्यन्त रुढ़ एवं प्रसिद्ध हो गया है। अष्टांग संहिता के रचियता आचार्य बागभट्ट ने भी इन्हें गुण की ही कोटि में रखकर इनके लिए महागुण शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु वस्तुतः शुक, अशु, अग्नि भौतिक गुणों के समान ये गुण नहीं हैं। ये द्रव्य हैं जिनमें गुण और कम-बधनों का सम्बन्ध से रहते हैं। इनके लिए गुण सत्त्वा गौणी है।

संस्कृत भाषा में एवं विभिन्न शब्द कोशों में गुण शब्द के अनेक अर्थ दिये जाते हैं।

एए हैं। उसके मुख्य अर्थों में से एक है खेरी (रज्जू) तथा दूसरा है राजा आदि के उपकरण (साधन) भूत अमात्य आदि। ये गुण (अप्रधान) होते हैं। इनके सादृश्य से सत्व आदि को भी गुण कहा जाता है। क्योंकि ये सत्व-रज-तम पुरुष को उसी प्रकार ससार के जन्म-मरण सुख-दुःख आदि के बन्धन में बाधते हैं जैसे खेरी (रज्जू) से पशु बाधा जाता है। जिस प्रकार अमात्य (मंत्री) आदि राजा के सम्पूर्ण कार्यों को सिद्ध करते हैं उसी प्रकार सत्व रज-तम भी पुरुष (जीवात्मा) के भोग और अपभोग (मोक्ष) रूप प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। इस सम्बन्ध में आचार्यों के निम्न मत दृष्टव्य हैं—

‘सत्त्वादीनि द्रव्याणि न च वैशेषिकगुणा संयोगविभाजत्वात् लघुत्वगुरुत्व-
चलत्वादिधर्मकत्वाच्च। तत्र शास्त्रे गुण शब्दः पुरुषोपकरणत्वात्। —विज्ञानभिक्षु।

अर्थात् सत्त्वादि तीनों द्रव्य हैं वैशेषिक गुण नहीं। क्योंकि ये संयोग और विभाज्यत्व होने से तथा लघुत्व गुरुत्व चलत्व आदि धर्म होने से ये द्रव्य हैं। शास्त्रों में सत्त्वादि के लिए गुण शब्द का व्यवहार इसलिए किया गया है कि ये पुरुष के उपकरण (साधन भूत) हैं। यह मत श्री विज्ञानभिक्षु का है।

‘लघुत्वादिगुणयोगात् सत्त्वादिभ्यः द्रव्यं तत्र गुणशब्दस्तु पुरुषोपकरणत्वात्।

—प्रसिद्ध वेदान्ती महादेवकल कृति।

अर्थात् लघुत्वादि गुणों का योग होने से सत्व आदि तीन (सत्व रज-तम) द्रव्य हैं। ये तीनों पुरुष के उपकरण (साधन) होने से इनमें गुण शब्द का व्यवहार किया जाता है। यह मत प्रसिद्ध वेदान्ती श्री महादेव का है।

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार द्रव्य में लघु-गुरु आदि गुण तथा विभिन्न कर्म पाए जाते हैं उसी प्रकार सत्व रज-तम इन तीनों में भी लघु-गुरु आदि गुण तथा प्रकाश करना चलन आदि कर्म पाए जाते हैं जिनका विवेचन अग्रे किया जायगा। अतः सत्त्वादि वस्तुतः गुण न होकर द्रव्य हैं।

‘सत्त्वरजस्तमांसि द्रव्याणि न तु गुणा संयोगविभाजलघुत्वचलत्वादिगुण-
धर्मकत्वात् गुणशब्दप्रयोगस्तुरज्जुसाम्यात् पुरुषधर्महेतुतायौपचारिक।

अर्थात्—सत्व रज-तम ये तीनों द्रव्य हैं गुण नहीं। संयोग-विभाज लघुत्व चलत्व-गुरुत्व आदि धर्म-गुण होने से ये तीनों द्रव्य हैं। इन में गुण शब्द का प्रयोग रज्जू साम्य के कारण पुरुष रज्जू में हेतु होने से औपचारिक है। अर्थात् जिस प्रकार रज्जू को औपचारिक रूप से गुण कहा जाता है, किन्तु वह पशु बंधन के लिए प्रयुक्त होती है। उसी प्रकार सत्व आदि भी पुरुष का बंधन करते हैं और औपचारिकतावत् उन्हें गुण कहा जाता है। अस्तु वे गुण नहीं हैं। यह मत अथर्वशास्त्रिक विज्ञान का है।

सत्व रज-तम के लक्षण

प्रतिप्रतीतिविधावात्मका प्रकाशप्रवृत्तिनियमाणा ।
 अन्योन्याभिभवान्प्रयजनननिधनवृत्तयश्च गुणा ॥
 सत्व सद्यु प्रकाशकमुपष्टम्भक चल च रजः ।
 गुरु धरणकनेच तम प्रदीपवक्त्राद्यतो वत्ति ॥

अर्थ—गुण अथात् सत्व रज तम ये तीनों गुण क्रमशः प्रीत्यात्मक (सुखात्मक) अप्रीत्यात्मक (दुखात्मक) और विषादात्मक (मोहात्मक) हैं। ये क्रमशः प्रकाश प्रवृत्ति और नियम के लिए हैं। ये अन्यो-याभिभव अर्थात् परस्पर एक दूसरे के धर्म से अभिभूत रहते हैं। ये अ-यो-याश्रय अर्थात् एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये अन्योन्य जनन अर्थात् एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये अन्योन्यनिधन वृत्ति वाले अर्थात् एक दूसरे से मिलकर रहने वाले हैं। ये अ-यो-न्यवत्ति अर्थात् एक दूसरे में रहने वाले हैं। सत्व गुण लघु अर्थात् अगो में लघुत्व उत्पन्न करने वाला और प्रकाश अर्थात् बद्धि को प्रकाशित करने वाला होता है। रजो गुण उपष्टम्भक अर्थात् सघर्ष या उत्तेजना पैदा करने वाला और चल अर्थात् गतिशील या गति को उत्पन्न करने वाला होता है। तमो गुण गुरु अर्थात् गरुत्व उत्पन्न करने वाला और धरणक अर्थात् धारण करने वाला होता है। प्रदीप के समान मिलकर ये अपने गुण प्रकट करते हैं। आयुबद के अनुसार सत्व रज-तम ये तीनों निम्न धम वाले होते हैं—

सत्व प्रकाशक विद्धि रजश्चापि प्रवतकम ।
 तमो नियामक प्रोक्तत्र योग्यनिधनप्रियम् ॥

—काश्यप संहिता सूत्रस्थान अ २८

निद्राहेतुस्तम सत्व बोधन हेतुवच्यते ।

—सुश्रुत संहिता शरीरस्थान ४।३५

अर्थ—सत्व को प्रकाशक रज को प्रवतक तम को नियामक और तीनों को परस्पर मिलकर रहने वाला समझना चाहिए। तम निद्रा को उत्पन्न करने में कारण और सत्व जागृत करने में कारण समझना चाहिए।

सत्व गुण के लक्षण—

सत्व गुण का विशेष लक्षण लघुता (लाघव) है। लघुता के कारण ही द्रव्य उर्ध्वगति वाला होता है। जैसे—प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं की उर्ध्वगति का कारण सत्व गुण है। सत्व गुण वाय्वात्मक होता है, अथवा वायु की लघुता का कारण सत्व गुण है। सांध्य के कारण ही द्रव्यों की तिर्यक गति होती है। जैसे—वायु की गति।

सत्त्व का दूसरा मुख्य लक्षण है अकारणकत्व । अर्थात् यह प्रकाश उत्पन्न करते बाका अथवा द्रव्यों को प्रकाशित करने बाका होता है । अरीर में स्थित रहकर सत्त्व गुण बुद्धि को प्रकाशित करता है । यह क्रान्तिद्रव्यों कर्मेन्द्रियों उभयैन्द्रिय (मन) बुद्धि और अहंकार इन तीरह करणों में परिलक्षित होता है । सत्त्व गुण इन तीरह करणों की प्रकाशमान करता है जिससे निर्मलज्ञान प्रस्फुटित होता है । ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय और मन की संरचना में भी सत्त्व गुण का बाहुल्य रहता है । बुद्धि और अहंकार में भी शेष दो गुणों के साथ सत्त्व गुण विद्यमान रहता है । उपयुक्त त्रयोदश करणों की अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति सत्त्व गुण के कारण होती है । सत्त्व गुण के इस वैशिष्ट्य या धर्म को प्रकाश या प्रकाशकत्व कहते हैं । इन्द्रियों में सब गुण की जितनी अधिकता होती है विषय प्रवृत्ति एव ज्ञान ग्रहण क्षमता भी उनकी उतनी ही अधिक होती है । अपने कम सम्पादन में भी वे उतनी ही अधिक समर्थ होती हैं । इन्द्रियों की विषय प्रवृत्ति ज्ञान ग्रहण क्षमता एव स्वकर्म सम्पादन का सामर्थ्य सत्त्व गुण के लघुत्व के कारण होता है । चेतन द्रव्यों में सत्त्व गुण की अधिकता का प्रयोजन ज्ञान का प्रकाश है ।

सत्त्व गुण अनेक मानवीय प्रवृत्तियों एव धार्मिक वृत्तियों का कारण होता है । सत्त्व गुण का परिणाम सुख होता है । सत्त्व गुण के उत्कृष्ट (अधिकता) के कारण उत्पन्न मन की निर्मलता शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म आदि सुख के कारण होते हैं । प्रसाद (इन्द्रियों की प्रसन्नता एव निर्मलता) लाघव (स्फूर्ति उत्साह) अनासक्ति (भोग विलास के प्रति विरिक्त) प्रीति (प्रसन्नता या सोहार्द भाव) क्षमा (क्रोधभाव) सन्तोष अनुकम्प्य सरलता मृदुता लज्जा विवेक आदि सद्गुण सुख के ही रूप एव सत्त्व गुण के परिणाम विशेष हैं ।

रजो गुण के लक्षण—

रजो गुण का विशेष लक्षण या धर्म है चलत्व । चलत्व का साधान्य अर्थ होता है गति शीलता अथवा प्रवृत्ति शीलता । इस चलत्व धर्म के कारण ही रजो गुण समस्त चेतन या अचेतन द्रव्यों की गति या प्रवृत्ति में कारण होता है । द्रव्यों में होने वाली गतिशीलता प्रवृत्तिशीलता एव क्रियाशीलता का मुख्य कारण रजो गुण है । कम का चञ्चलत्व भी रजो गुण की अधिकता का लक्षण है । रजो गुण की बहुलता वाले प्रवृत्ति वाले कम विद्या देने वाले, तीव्र स्वभाव वाले और अंतर्हीन प्रायण वाले (अर्वाचिद्रः) होते हैं । रजो गुण वाले समुच्च्य वैश्विक प्रकृति वाले होते हैं वे स्पष्ट अज्ञता एवं तीव्र कभी कभी होते हैं ।

यद्यपि सत्त्व गुण एवं तमोगुण अपने अपने विशेष कार्यों का सम्पन्न करने हैं, किन्तु वे तब तक अपने कार्यों का सम्पन्न नहीं कर सकते जब तक उन्हें रजोगुण प्रेरित न करे। अपने कार्यों को करने के लिए वे क्रियाशीलता रजोगुण से प्राप्त करते हैं। अतः रजो गुण ही ससार के समस्त पदार्थों को प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। रजो गुण का दूसरा धर्म उपष्टम्भक इसी तथ्य का द्योतक है। उपष्टम्भक शब्द का अर्थ होता है—प्रवतक प्ररक चालक।

रजो गुण का परिणाम दुःख होता है। अर्थात् मनुष्य को दुःख की अनुभूति या मन की खिन्नता का प्रतिपादक रजो गुण होता है। क्योंकि रजो गुण से प्रतिकूल वेदना होती है। मन के लिए प्रतिकूल वेदना ही दुःखजनक होती है। शोक खेद मान मद-मत्सर आदि इसी दुःख के रूप हैं। अतः अतमन मे उत्पन्न होने वाले ये सभी भाव रजोगुण की अधिकता को निरूपित करते हैं। इन भावों की न्यूनाधिकता रजो गुण की न्यूनाधिकता पर निर्भर है।

रजोगुण का मुख्य प्रयोजन प्रवृत्ति है। मनुष्य स्वभावतः शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है और उसके परिणाम स्वरूप वह शुभ या अशुभ बन्ध को बाधता है। शुभ या अशुभ बन्ध ही प्राणियों के जन्म या मरण का कारण है। ससार में पुनः पुनः जन्म धारण करने के कारण अनेक कष्ट उठाते हुए विभिन्न दुःखों को सहना पड़ता है। अतः शुभाशुभ कार्यों में प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य अन्त में जन्म मरण आदि के द्वारा दुःखों से पीड़ित होता है। इसीलिए रजो गुण का परिणाम दुःख कहा गया है। रजो गुण के कारण ही ससार का यह चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है अनन्त काल तक चलता रहेगा और पुण्य (आत्मा) इसमें भ्रमण करता रहेगा।

इस प्रकार चलत्व (प्रवृत्ति शीलता) उपष्टम्भकत्व (प्ररण या प्रवतन) और दुःख (प्रतिकूल वेदना) ये तीन लक्षण रजो गुण के निरूपित किए गए हैं।

तमो गुण के लक्षण—

तमो गुण का विशेष लक्षण है गुरुत्व। इसका अधिप्राय है गुरुता या भारीपन। यह लघुता का विरोधी गुण है। इसके कारण द्रव्यों में सत्वता जडता (विषय ग्रहण में असाध्य) और निष्क्रियता होती है। यह शक्ति एवं प्रवृत्ति में अवरोध उत्पन्न करने वाला होता है। निरोधात्मक होने के कारण यह अशुभ परिणाम कर्षक होता है। अचेतन द्रव्यों की रचना का मुख्य कारण उनकी तमोगुण प्रधान रचना है। चेतन द्रव्यों में भी तमो गुण की अधिकता होने पर मोह (अविद्या अज्ञान मिथ्या ज्ञान) बुद्धि की अल्पता इन्द्रियों की अपने विषयों में अल्प प्रवृत्ति एवं अल्प विषय-ग्रहण सामर्थ्य आदि विकार होते हैं। स्वाभिमान का अभाव पराधीनता वृत्ति अथ

की मध्यस्था आदि विकृतियों की तमोगुण व्यक्ति होती हैं। यज्ञ का शौर्य भी तमोगुण व्यक्त होता है।

तमो गुण का दूसरा लक्षण आवरण है। जिसका अर्थिनाय यह है कि यह अपनी गुरुता के कारण सत्व गुण और रजो गुण को सदा ढबाए रखता है, उनका नियमन नियंत्रण करता है। इस स्थिति में जब कभी तमोगुण का उत्कर्ष (अधिक्य) होता है तो रजो गुण की प्रवृत्ति शीलता मन्द हो जाती है और द्रव्य यदि चेतन (प्राणी) हो तो वह सर्वथा निष्क्रिय या मन्दकिया हो जाता है। इसी प्रकार तमोगुण के आवरण से सत्वगुण की भी ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति कुटिल हो जाती है और पुरुष को अज्ञान या मिथ्या ज्ञान होता है। यह बुद्धि मन अहंकार और इन्द्रियों को आवृत कर उन्हें स्वकाय प्रवृत्ति से रोकता है। इस प्रकार तमो गुण सत्व और रज का नियामक है।

तमो गुण की साम्यावस्था अर्थात् सत्वगुण एवं रजो गुण के साथ समानान्तर स्थिति प्रवृत्ति परक एव सृष्टि की उत्पादक व नियामक होती है किन्तु तमोगुण की परिवर्द्धावस्था विकृति कारक एव अहितकारक होती है। तमोगुण शरीर के प्राकृत कार्यों में अवरोध उत्पन्न करता है। साथ ही आत्मा इन्द्रिय मन बुद्धि और अहंकार का आवरण कर उन्हें अपने प्राकृत कार्यों से रोकता है। जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में धी धृति स्मृति मेधा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति का मानसिक विकास भी अवरुद्ध रहता है और मन का चाचल्य भाव आवृत रहने से समाप्त प्राय हो जाता है।

तमो गुण का परिणाम अथवा तीक्ष्ण विकृष्ट लक्षण विषाद है। विषाद धर्म मोहात्मक होता है। अत मोह के लक्षणात् होकर पुरुष (आत्मा) ससार के विभिन्न द्रव्यों में अपनी प्रियता मोह एव ममत्व को व्यक्त करता है। यही कारण है कि वह अपनी प्रियवस्तु के नष्ट हो जाने पर दुःखी होता है। शरीर के प्रति द्रव्य (अव्यय) की अनुभूति होने में मोह ही कारण है और मोह तमो गुण का परिणाम है। तमो गुण के कारण मनुष्य के ज्ञान केन्द्र आवृत या सुप्त रहते हैं, जिससे ज्ञानको सम्बन्ध ज्ञान की अनुभूति नहीं होती और वह मोह में अनुरक्त रहता हुआ अज्ञान-विषयाज्ञान व अविद्या का शिकार बन जाता है। तमो गुण के कारण शरीर में शुद्धता की वृद्धि होती है जिससे मनुष्य बालघ्नी निद्रालु, निष्क्रिय परिश्रम करने से करने वाला नीद्र, मन्द बलि और धीरे-धीरे कास करने वाला होता है, तमो गुण के कारण मनो अज्ञान अज्ञान रहता है, जिसके मनुष्य में प्रमाद कुटिलता शूर्तता कुतन्त्रता आदि दुर्गुण आ जाते हैं। ये समस्त दुर्गुण मोहात्मक अथवा मोह के ही रूप हैं।

इस प्रकार तमो गुण तीन लक्षण प्रदान है। शुद्ध आवरण और मोह। इस

रीनों लक्षणों के द्वारा ही वह अपने सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन करता है और सत्व तथा रजो गुण के नियमन में समर्थ होता है।

तीनों गुणों के समान लक्षण

उपयुक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट है कि सत्व गुण सुखात्मक रजोगुण दुःखत्मक तथा तमोगुण मोहात्मक होता है। सत्व में प्रकाश का 'रज' में प्रवृत्ति का और तम में नियमन का सामर्थ्य है। ये गुण क्रमशः प्रकाश क्रिया और स्थितिशील हैं। तीनों गुणों के उपयुक्त धर्म (लक्षण) एक दूसरे से विशिष्ट एवं भिन्न हैं। किंतु इनमें समान धर्म भी विद्यमान हैं जिनके कारण इनका सन्तुलन बना रहता है। जैसे इन तीनों का प्रथम समान धर्म है अन्यो याभिभव। अर्थात् ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे के धर्म से अभिभूत होते रहते हैं। अथवा ये तीनों गुण अपने अपने विरोधी स्वभाव के कारण एक दूसरे को दबाते हैं—अभिभव करते हैं। यथा—जब सत्वगुण उत्कृष्ट होता है तब रज और तम सत्व के प्रीति और प्रकाश धर्म से अभिभूत हो जाते (दब जाते) हैं। अथवा जब रजो गुण का उत्कृष्ट (आधिक्य) होता है तब वह रजो गुण और तमो गुण को दबाकर सुख आदि के रूप में अपनी क्रिया (शान्तावृत्ति) को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार जब रजो गुण उत्कृष्ट होता है तब सत्व और तमो गुण रज के प्रीति और प्रवृत्ति धर्म से अभिभूत हो जाते हैं। अथवा रजोगुण का प्राबल्य होने पर वह सत्व और तमो गुण को अभिभूत करके अपने स्वरूप (चोरावृत्ति) को प्रकाशित करता है। इसी भाँति जब तमो गुण की अधिकता होती है तब तमोगुण के विषाद और स्थित्यात्मक धर्म के द्वारा सत्व और रजो गुण दब जाते हैं। इन दोनों गुणों को दबाकर तमो गुण अपनी क्रिया (मूढावृत्ति) को उत्कृष्ट करता है। किन्तु यह स्थिति उस समय होती है जब उनकी पारस्परिक शक्ति में न्यूनताधिकता हो। इसके विपरीत जब तीनों गुणों का बल समान होता है उस समय ये तीनों गुण एक दूसरे को समान भाव से दबाकर रखते हैं। परिणाम स्वरूप तीनों में से किसी की भी प्रती रोधात्मक या अभिभवात्मक क्रिया नहीं हो पाती। यह अवस्था केवल प्रलय के समय होती है। उस समय स्थूल-सूक्ष्म चेतन—अचेतन समस्त कार्य इन्द्र अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। वस्तुतः सत्व रज तम की साम्बाधस्था ही प्रकृति कहलाती है। इसके विपरीत सर्ग काल या सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब इन तीनों गुणों का वैषम्य हो जाता है तब प्रत्येक गुण अपनी-अपनी ज्ञान प्रवृत्ति स्थिति आदि क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। जिससे उत्तरोत्तर कार्य इन्द्रों की उत्पत्ति होती है।

तीनों गुणों में दूसरा साम्य यह होता है कि तीनों गुण अपनी-अपनी वृत्ति

(क्रिया) का सम्पादन एक दूसरे का अन्वय लेकर अपना एक दूसरे की सहायता से करते हैं। अर्थात् सत्व गुण की अपनी क्रिया में प्रवृत्ति रजो गुण के कारण और उसका नियमन (सर्वादा) तमोगुण के कारण होता है। इसी प्रकार रजो गुण और तमोगुण अपनी-अपनी क्रिया में सत्व गुण के प्रकाश द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। रजो गुण की क्रिया का सम्पादन सत्वगुण के प्रकाश और तमोगुण के नियमन की सहायता से होता है और स्वयं प्रवृत्ति के द्वारा सत्व और तम की सहायता करता है। तमो गुण की अपनी क्रिया में सत्व गुण के प्रकाश और रजो गुण की प्रवृत्ति की सहायता प्राप्त होती है जबकि तमो गुण स्वयं अपने नियमन धर्म के द्वारा दोषों की सहायता करता है।

तीनों गुणों में तीसरा साम्य यह है कि प्रकृतिसंस्था में प्रकृति रूप समान द्रव्य की उत्पत्ति भी वे एक दूसरे की सहायता से करते हैं। क्योंकि तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति जन्म होती है। प्रकृति के निर्माण में वे अपना सन्तुलन बनाए रखते हैं। जब तक इनका सन्तुलन बना रहता है तब तक प्रकृति स्वरूपावस्थित होती है।

तीनों गुणों का चौथा साम्य यह है कि ये प्रकृति तथा उससे उत्पन्न अश्वत्थ व्यक्त (सूक्ष्म-स्थूल) चेतन-अचेतन स्थावर जगम सब द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं और मिलित रूप से ही तीनों गुण सब द्रव्यों में सदा विद्यमान रहते हैं।

ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि तीनों गुणों की क्रियाएँ एक दूसरे की विरोधनी-परस्पर विपरीत मामिनी या विरुद्ध मामिनी होती हैं। सत्वगुण सुखात्मक लघुत्वात्मक ज्ञानात्मक एव प्रकाशात्मक होने से रजोगुण की दुःखात्मक प्रवृत्ति तथा तमोगुण की गुह्यत्वात्मक मन्द अज्ञानात्मक अविद्यात्मक एव तमसात्मक प्रवृत्ति का विरोधी है। इस प्रकार तीनों गुणों की क्रिया परस्पर विपरीत एव विरुद्ध होने पर भी वे विषड और ब्रह्माण्ड के समस्त द्रव्यों के निर्माण तथा तसार के सत्वात्मक रूप में उपयुक्त प्रकार से सर्वदा साथ रहते हुए परस्पर सहायता करते हुए अपनी क्रिया प्रतिपादित करते हैं।

परस्पर विरुद्ध धर्मात्मकता होते हुए भी एक साथ मिलकर रहने का तीनों गुणों का मुख्य प्रयोजन यह है कि ये तीनों गुण पुण्य के भोग और अपवर्ग (मोक्ष) के लिए विविध साधन उपस्थित करते हैं। प्रयोजन के इस एक्य के कारण तीनों गुण परस्पर सहकार से कार्य करते हैं। जैसे दीपक की बत्ति और तेल जलकर समाप्त हो जाते हैं। किन्तु बत्ति तेल और अग्नि तीनों मिलकर दीपक रूप एक प्रयोजन को परस्पर सहकार पूर्वक सिद्ध करते हैं। यही स्थिति तीनों गुणों की भी है। एक मात्र उदाहरण के द्वारा भी इसे विनम्र प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे शरीर की उत्पत्ति, विभक्ति और प्रलय के कारणभूत जल-मिट्टी-कण एक दूसरे के विरुद्ध धर्म बाने होते हैं, तथापि परस्पर विरुद्ध धर्म बाने होते हुए भी प्रयोजन के साम्य के कारण परस्पर सहकार करते हुए ही क्रिया करते हैं।

षोडश अध्याय

लय और प्रलय निरूपण

सृजन से विपरीत स्थिति सहारामक होती है। सृजन को सृष्टि या सर्ग कहते हैं। इसके विपरीत स्थिति सहार को लय या प्रलय कहते हैं। सृष्टि में जिस प्रकार एक एक सूक्ष्म परमाणु का संयोग होकर काय द्रव्य का निर्माण होता है उसी प्रकार सहार में सृष्टि के विपरीत काय द्रव्य के प्रत्येक परमाणु का विघटन होकर कार्य द्रव्य का विनाश हो जाता है। परमाणु में जब सृष्टि के सहार करने की इच्छा होती है तब पृथ्वी आदि द्रव्यों के परमाणुओं में क्रियाशीलता उत्पन्न होती है जिसके परिणाम स्वरूप दो दो परमाणुओं का परस्पर विभाग हो जाता है और उन में विघटन होने लगता है। दो दो परमाणुओं का परस्पर विभाग होने से दो परमाणुओं के संयोग का नाश (विघटन) होता है। संयोग-नाश (परमाणु विघटन) होने से द्वयणुक रूप कार्य द्रव्य का नाश हो जाता है। इसी भाँति द्वयणुक का नाश होने से उपयुक्त त्र्यणुक चतुरणुक का भी नाश होता है। त्र्यणुक चतुरणुक आदि के नाश से महा पृथ्वी आदि समस्त काय द्रव्यों एवं पदार्थों का विनाश हो जाता है। समस्त काय द्रव्य अपने अपने मूल कारण रूप परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात् सबका अपने प्रकृति रूप मूल कारण में लय हो जाता है। सांख्य दर्शन में उपयुक्त तत्त्व को नाशकारण शब्द (सा का १।१२१) सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। कारण में कार्य का लय (विलीन) होना ही द्रव्य का नाश कहलाता है। अर्थात् निमित्त कारण के द्वारा अतीतावस्था को प्राप्त हुए समस्त काय द्रव्य अपने अपने कारण में अभेद सम्बन्ध से लीन हो जाते हैं—इसी को नाश कहते हैं। यही लय या प्रलय कहलाता है।

आयुर्वेद शास्त्र में भी लय या प्रलय शब्द से उपयुक्त भावार्थ ही ग्रहण किया गया है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से मनुष्य या प्राणी के जन्म को सृष्टि और मरण को लय शब्द से अभिप्रेत किया गया है। अतुल्यता तत्त्वों के संयोग से सृजित पुरुष प्रलयकाल में शरीरारम्भक महाभूतों के कारण में विलीन हो जाता है। तब यह बुद्धिवादीक दृष्टि भावों से वियुक्त हो जाता है। यही उसका मरण कहलाता है। वस्तुतः अव्यक्त से उत्पन्न तथा व्यक्तता को प्राप्त हुए तत्त्व तत्त्व अभिप्रेत

कारण में बिलीन हो जाते हैं। इस प्रकार व्यक्त से पुनः वे अव्यक्त हो जाते हैं। यही लय' या 'प्रलय' कहलाता है। महावि चरक ने लय का वर्णन निम्न प्रकार से किया है—

पुरुष प्रत्ये खेऽत पुनर्भावो विमुच्यते ।

अव्यक्ताव व्यक्ततां याति व्यक्तावव्यक्ततां पुनः ।

रजस्तमोन्मत्तमाविष्टश्चक्रकत परिवर्तते ॥

येषां द्वन्द्वे परस्परवितरहकारपरारब्धं वै ।

उदयप्रलयौ तैवा न तैवा ये त्वतोऽन्यथा ॥

— चरकसंहिता सारीर स्थान १।६७ ६१

अर्थात् वह पुरुष प्रलय काल में पुनः अपने इष्टभाव (आठ भूत प्रकृति और सोलह विकार) से रहित हो जाता है। इस प्रकार उत्पत्तिकाल में अव्यक्त से व्यक्त होता है। प्रलय काल में व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है। इस प्रकार पुरुष की व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त की परम्परा रज और तम से युक्त होने के कारण चक्र की तरह चलती रहती है। जिन मनुष्यों की रज और तम इन दोनों में अत्यन्त भाँसक्ति है या जो लोग ब्रह्मकार में पड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए उदय और प्रलय है। जो लोग रज और तम से विमुक्त हैं अहकार से भी रहित हैं उन लोगों का उदय (जन्म) और प्रलय (मृत्यु) नहीं होता।

यहा उदय से जन्म और प्रलय से मृत्यु का ग्रहण किया गया है। जन्म और मृत्यु के कारणभूत रज और तम दोनों जब तक मन में सम्बन्धित रहते हैं तब तक ही मन उनके अनुसार बध्म में पड़ने वाला काम करता है और उसी के अनुसार आत्मा को काम का बन्धन होता है। इसी लिये यह मन जब तक रज और तम से युक्त रहता है तब तक यह पुरुष चक्र की भाँति भ्रमण करता रहता है। अर्थात् ससार की विभिन्न योनिओं में जन्म-मरण को अग्रण करता रहता है। यही पुरुष का ससरण या ससार कहलाता है।

महा प्रलय होने पर सभी वस्तुओं का प्रकृति में प्रलय हो जाता है। प्रलय काल अर्थात् मृत्यु काल में पुरुष बुद्धि इत्यादि तत्वों से अलग हो जाता है और पुनः जन्म होने पर उनसे संयोग कर लेता है। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं। महा प्रलय काल में जब ससार में कुछ नहीं रह जाता तब या मौल की अवस्था में पुरुष बुद्धि आदि भावों से रहित हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि महा प्रलय होने पर समग्र सृष्टि अपने कारणभूत प्रकृति में बिलीन हो जाती है। यही लय कहलाता है।

पुनर्जन्म

पुनर्जन्म के विषय में प्राचीन काल से ही प्रकार के मत चलते आ रहे हैं। एक मत के अनुसार कुछ लोग पुनर्जन्म के विषय में पूर्ण आस्था रखते हुए उसके अस्तित्व को

स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत मत के अनुसार कुछ अन्य लोग पुनर्जन्म को केवल कल्पना का विषय मानकर उसके अभाव का समर्थन करते हैं। भारतीय दर्शनो में केवल चार्वाक दर्शन ही पुनर्जन्म को नहीं मानता है। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्षवादी होने से केवल प्रत्यक्ष होने वाले विषयों के अस्तित्व को ही स्वीकार करता है। पुनर्जन्म जन सामान्य के लिए प्रयत्न नहीं होने के कारण चार्वाक दर्शन के मतानुसार संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार आधुनिक भौतिकवादी प्रगतिशील विज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण पनबम के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता है। किन्तु कुछ इस प्रकार की विशिष्ट घटनाएँ प्रकाश में आई हैं जिन से पुनर्जन्म का समर्थन होता है। उन घटनाओं के कारण आधुनिक विज्ञान को भी इस दिशा में अन्वेषण काय करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस अन्वेषण कार्य के परिणाम स्वरूप अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं तथा और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की सम्भावना है।

पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन की मौलिक विशेषता है। आत्मवादी दर्शनो ने एक स्वर से इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्राणिमो का शरीर भौतिक है। आत्मा इस भौतिक शरीर को चेतना प्रदान करता है। आत्मा के द्वारा प्रदत्त वह चेतना अथवा सचेतन आत्मा उस भौतिक शरीर में उसकी आयु पर्यन्त स्थित रहता है। प्राणी की आयु समाप्त हो जाने पर आत्मा उस शरीर का परित्याग कर अन्य शरीर को धारण कर लेता है और उस अन्य शरीर में भी वह उसकी आयु पर्यन्त स्थित रहता है। एक शरीर से अन्य शरीर में आत्मा का यह संसरण ही पुनर्जन्म कहलाता है। इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि आत्मा ने जिस शरीर का परित्याग किया है उसी के समान पूर्ण रूप से निर्मित अन्य शरीर में प्रवेश कर वह उसको चेतना प्रदान करता है। अपितु पूर्ण शरीर का परित्याग करने पश्चात् आत्मा को गर्भ शरीर में प्रविष्ट होना पड़ता है और गर्भिणी के द्वारा उसका प्रसव किए जाने बाद ही उसका जन्म माना जाता है—यही पुनर्जन्म कहलाता है। इससे एक यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि आत्मा के द्वारा परित्यक्त पूर्ण शरीर पत चतन्य को प्राप्त नहीं कर सकता और उसका विनाश हो जाता है। इस प्रकार आत्मा के द्वारा पूब शरीर का त्याग और नवीन शरीर को धारण करने की यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है और अनन्तकाल तक चलती रहेगी। भगवत् गीता में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का अत्यन्त सुन्दर विवेचन मिलता है। यथा—

वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि बुद्धयस्ति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्वन्धानि संयासि नवानि वेदो ॥

अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहनाता है और

नवीन कर्म धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुनर्जन्म एवं जीर्ण (बाहु शेष हुए) शरीर का प्रतिपादन कर नवीन शरीरों को धारण कर लेता है ।

महर्षि भरक ने तीन वर्णों—प्रायश्चित्त वर्ण, अयश्चित्त वर्ण और अशुभ वर्ण का वर्णन करते हुए परलोकवर्णना के अन्तर्गत पुनर्जन्म के विषय में विभिन्न मतभेदों का उल्लेख किया है और सभी मत मतान्तरों का युक्तियुक्त खण्डन करते हुए पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । पुनर्जन्म के विषय में प्रथम मतभेदों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ ऐसे पुरुष हैं जो नास्तिकवाद को मानने वाले हैं । वे प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और परोक्ष होने के कारण पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं । कुछ अन्य लोग हैं जो आस्तिक हैं । वे शास्त्र प्रमाण से पुनर्जन्म को मानते हैं । शक्तियाँ भी परस्पर विरुद्ध मिलती हैं । मुख्य रूप से निम्न मत मिलते हैं जो पुनर्जन्म को न मान कर प्राणियों के जन्म में अन्य कारण मानते हैं ।

प्रत्यक्ष बाबी—आधुनिक विज्ञान केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और प्राचीन दर्शनों में नास्तिकवादी आर्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष से उपलब्ध वस्तुओं में ही विश्वास करता है । पुनर्जन्म प्रत्यक्षत उपलब्ध नहीं होता है । इसी प्रकार कर्म का फल और आत्मा ये सभी अप्रत्यक्ष हैं । अतः पुनर्जन्म के ये साधक भी प्रत्यक्ष नहीं हैं । इनके अप्रत्यक्ष होने के कारण पुनर्जन्म की सिद्धि सम्भव नहीं है ।

माता पितृ बाबी—कुछ लोग केवल माता-पिता को ही जन्म के प्रति कारण मानते हैं । अर्थात् आत्म निरपेक्ष माता-पिता का प्रोणित-शुक्र जन्म के प्रति कारण है, न कि पूर्व शरीर को छोड़ कर आत्मा नवीन शरीर को धारण करता है, क्योंकि दृश्य नहीं होने से आत्मा कोई द्रव्य नहीं है ।

स्वभाव बाबी—कुछ लोग जन्म के प्रति स्वभाव को कारण मानते हैं । जैसे—

अगप्रत्यक्षानिवृत्ति स्वभावमेव समते ।

अग्निवेश शरीरान्तरं अन्तस्तां पत्नोऽप्युच्यते ॥

—सुश्रुत संहिता शरीरस्थान ३/३६

शरीर के अग प्रत्यक्षों की अभिव्यक्ति स्वभाव से ही होती है । शरीरों का अग्निवेश तथा दांतों का गिरना और पुन उत्पन्न होना स्वभाव बल ही होता है ।

सत्त्वोऽध्वंशस्यो बलं योन्माश्रितस्वभावतः

—सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान, अ० २४

अर्थात् हाथ-पैर के टूटने में योम का जल्पन होना असम्भव है । यह स्वभाव से होता है ।

शरीरे जीवन्मृत्योः प्रति शरीरं प्राणिवो जगत्

स्वभावतः सृष्टिस्तथा मृतकेसाविति स्थितिः ॥

—सुश्रुत संहिता शरीरस्थान ४/२१

अर्थात् धातुओं के क्षीण होने पर भी मख और केश सदैव बढ़ते रहते हैं। यह प्रकृति का निर्माण स्वभाव ही करता है—यह स्मिति है।

स्वभावात्सर्वेषो मुद्गनास्तथा लावकपिञ्जला ॥

स्वभावाद् गरवो भाषा वाराहबहिषाचक्र ॥

—सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अ ३

अर्थात् मूग लाव और कर्पिजल (लाव पक्षी और सफ़ेद तीतर का मांस) स्वभाव से लघु होता है। माष (उड़द) वाराह (सुअर का मांस) बंसा आदि स्वभाव से गुरु होते हैं।

ये सब स्वभाव से सृष्टि (उत्पन्न) होने के प्रमाण और उदाहरण हैं। योगवासिष्ठ में भी कहा गया है—

क कष्टकानां प्रकरोति तद्व्य चित्र विचित्र जगत्प्रसिध च ।

माषुयमिक्षी कदता मरीच स्वभावत सवमिव प्रवत्तम् ॥

अर्थात् कांटो में नुकीलापन पशु-पक्षियों में चित्र विचित्रता ईश्वर में मधुरता और मिरच में खरपरापन कौन उत्पन्न करता है? यह सब स्वभावत ही होता है।

अतः शरीर की उत्पत्ति के प्रति आत्मा कर्मफल आदि कारण नहीं है न पुनर्जन्म है अपितु स्वभाव ही कारण है।

पर निर्माण बाबी—कुछ लोग पर निर्माण को जन्म का कारण मानते हैं। पर शब्द से यहाँ ईश्वर का ग्रहण किया जाता है। यथा— पर उत्कृष्ट विलक्षण-सम्पन्नकार्यकारी बुधश्च ईश्वरास्थः । वह ईश्वर ही जगत् को उत्पन्न करने वाला है। निम्नांकित वचन से ईश्वर ही जन्म के प्रति कारण सिद्ध होता है— ईशावास्थमिदं सब भक्तिकच जगत्सर्वा जयतः । (इशावास्थोपनिषद्)

यदच्छा बाबी—इन के सिद्धान्त के अनुसार जन्म की उत्पत्ति बिना कारण के यो ही हो जाती है। इसमें कोई भी कारण नहीं है। जैसे मेघ बिना आत्मा के जल की वर्षा करता है तथा भूमि आत्मा रहित अचेतन है फिर भी भूमिकम्प होता है। इन घटनाओं को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसे 'यदुच्छा' कहते हैं। यही जगत् की उत्पत्ति का कारण है।

इस प्रकार प्राणियों के जन्म के प्रति कारणों का प्रतिपादन करने वाले पाँच मतों का उल्लेख मिलता है जिससे पुनर्जन्म के विषय में सन्देह होता है। महर्षि सुश्रुत ने उत्पत्ति के लिए छ मतों का उल्लेख किया है। यथा—

स्वभावमीश्वर काल यदच्छां विवर्ति तथा ।

परिणाम च अन्यन्ते प्रवर्ति भूधृदक्षिण ॥

—सुश्रुत-संहिता शारीर स्थान १/११

अर्थात् स्थूलशरीर (दूरदर्शी-संशुद्धित विचार नहीं रखने वाले) स्वभाव (सकल ज्ञान से प्रतिबद्ध बहुवचन या वृत्त), शरीर, काय, अदृक्ता विषय (धर्माश्रय अतिरिक्त) और परिणाम इन्को ही प्रकृति (उपादान कारण) मानते हैं।

खण्डन एवं समाधान —

उपयुक्त मतों का अध्ययन करने के पश्चात् ज्ञात होता है कि सभी एक पक्षीय एवं दुराग्रहवृत्ति के सूचक हैं। इन में कोई भी मत ऐसा नहीं है जो कुछ प्रमाणी एवं समुचित तर्कों पर आधारित हो। महर्षि चरक ने इन सभी मतों का खण्डन एवं विभिन्न संकाओं का समाधान युक्ति पूर्वक निम्न प्रकार से किया है—

१ परलोक एवं पुनजम का विचार करने के लिए आवश्यक है कि बुद्धि मान् पुरुष सब प्रथम नास्तिक्यबुद्धि और विचिकित्सा (संशयबुद्धि) का परि त्याग कर दे। यदि कोई व्यक्ति घृष्टता पूर्वक नास्तिक मन जाय और प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अथ किसी प्रमाण की स्वीकार ही न करे तो इसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान करने योग्य विषय बहुत ही कम हैं और अप्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत हैं जिन का ज्ञान अथवा उपलब्धि वागम्य (शास्त्र प्रमाण या आप्तोपदेश) अनुमान और युक्ति प्रमाण के द्वारा होती है। दूसरी बात यह है कि यदि केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाय तो यह दोष उत्पन्न हो जायगा कि जिन इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होता है अथवा प्रत्यक्ष गम्य विषयों का ग्रहण होता है वे इन्द्रिया ही स्वयं अप्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे कारण होते हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में बाधक होते हैं। इन कारणों का उल्लेख प्रत्यक्ष प्रमाण के विवेचन में विस्तार से किया गया है।

२ माता पिता को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की संका का समाधान निम्न प्रकार से किया गया है—ये श्रुतियां भी परलोक या पुनर्भव को न मानने में कारण नहीं हैं क्योंकि युक्ति विरोध होता है। जैसे माता या पिता की आत्मा सन्तान के जाती है—यदि ऐसा मान लिया जाय तो यह प्रश्न उठता है कि आत्मा का सन्तान में गमन दो प्रकार से हो सकता है—(१) एक पक्ष में पूरा आत्मा सन्तान में गमन कर सकती है और (२) दूसरे पक्ष में आत्मा का अवयव (हिस्सा) सन्तान में जा सकता है। पहले पक्ष के अनुसार यदि आत्मा पूर्ण रूप से सन्तान में प्रवेश करती है तो माता या पिता की मृत्यु हो जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता है। यदि यह कहा जाय कि आत्मा का अवयव (हिस्सा) सन्तान में जाता है तो यह कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि आत्मा निरवयव (अवयव रहित) एक-सूत्र है।

प्रथम मत में दूसरी अवस्था यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति में यदि माता पिता की कारण माना जाय तो जो कारण जोनिनी (परापुत्र अवयव, शरीर) और जनिनी) माताई यदि हैं, वे नहीं हो पायेंगी। क्योंकि स्वयं तथा उद्भिन्न जोनिनी की उत्पत्ति

माता और पिता से नहीं होती। अतः वह मानना पड़ेगा कि कर्म के बन्धीभूत आत्मा की प्रेरणा से माता पिता के शरीर से शोणित रुक निकल कर वर्षाशय में जाकर सन्तान के शरीर का आरम्भ करते हैं। अर्थात् शरीर की उत्पत्ति कर्मानुसार होती है और कम जन्मान्तरीय रहता है। अन परलोक तथा मनर्जन्य की सिद्धि हो जाती है।

३ स्वभाव को जन्म के कारण मानने वाले पक्ष की शका का समाधान करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और आत्मा इन षड घातुओं के जो अपने लक्षण होते हैं उन्हें स्वाभाविक जानना चाहिए। इन षड घातुओं के संयोग और वियोग में कर्म ही कारण होता है। पृथिव्यादि पंच महाभूतों के अपने अपने लक्षण इस प्रकार होते हैं—

खरद्ववचलोष्णस्व भूजलानिलतेजसाम ।

आकाशस्याप्रतिघातो दृष्टं लिङ्गं यथाक्रमम् ॥

—चरक संहिता शारीरस्थान १/२६

आत्मा का चतन्य होना उसका अपना लक्षण है। जसा कि प्रतिपादित किया गया है—

निर्बिकार परस्वात्मा मत्स्वभतगुणेन्द्रिय ।

चतन्ये कारण

॥ चरक संहिता सूत्रस्थान १/५६

महाभूतों के उपयुक्त जो लक्षण बतलाए गए हैं तथा आत्मा का जो चतन्य लक्षण बतलाया गया है उनके वे अपने अपने लक्षण स्वभाव से होते हैं। किन्तु पंच महाभूत अचेतन हैं इनमें चेतनता का प्रादुर्भाव आत्मा के संयोग से होता है जबकि आत्मा के वियोग से चेतनता का अभाव होता है। संयोग और वियोग का कोई कारण अवश्य होना चाहिए। वह कारण क्या है? इसका उत्तर यही है कि जन्मान्तरीय कम ही संयोग वियोग में कारण होता है। यथा— भूतश्चतुभि इत्यादि। यदि कर्मों को कारण मान लिया जाता है तो पुनर्जन्म की सिद्धि स्वतः हो जाती है। यदि पंच महाभूत और आत्मा के संयोग और वियोग में स्वभाव को कारण मान लिया जाय तो स्वभावों दुरतिक्रम के अनुसार संयोग का अभाव कभी नहीं होगा। अतः कभी वियोग भी नहीं होगा। आरम्भक कर्म के क्षय होने पर ही शरीर प्राप्त-अर्थात् वियोग होता है। कर्म संयोग और वियोग में कारण होता है। यह बात कर्म के लक्षण से स्पष्ट है। यथा— 'संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितम् (च सू अ १) इस विवेचन से स्वभाववादी का जो यह मत है कि दो या अधिक पदार्थों के मिलने से चेतनता स्वभावतः आ जाती है, आत्मा कोई वस्तु नहीं है उसका खण्डन हो जाता है। क्योंकि स्वभावतः संयोग और विभागा में अनिश्चितता है और जन्मान्तरीय कम को मानने में अनिश्चितता नहीं है।

४ पर निर्माण को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की ओर का मतमान करने हुए आचार्य लिखते हैं कि जो अनादि विद्यया घातु (आत्मा) है उसके पर-निर्माण कर्त्तव्य पर (सूत्रों) के द्वारा निर्माण नहीं हो सकता। यदि पर सब्ब से ईश्वर माना जाय तो पर निर्माण मानना अभीष्ट है। क्योंकि आत्मा अनादि है। यदि आत्मा तो अतिरिक्त अन्य किसी से सृष्टि का निर्माण माना जाय तो वह आत्मा से पूर्व सिद्ध हो जाता है और आत्मा की स्थिति उसके बाद की हो जायकी। तब आत्मा सादि हो जायगा। आत्मा का अनादित्व नष्ट न हो अत उत्तकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। जब इसकी उत्पत्ति ही नहीं होगी तो पर निर्माण कैसे माना जायगा। अत पर निर्माण पक्ष उचित नहीं है।

५ यदृच्छावादी के अनुसार स्वीकृत सिद्धान्त का विरस करते हुए महर्षि लिखते हैं कि यदृच्छावाद से जिन्होंने अपनी आत्मा को उपहत (नष्ट) कर लिया है ऐसे नास्तिक लोगों के मत में परीक्षा परीक्षा का विषय कर्त्त कारण देवता ऋषि सिद्ध कम कम का फल आत्मा आदि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यदृच्छावादी नास्तिकों का यह ग्रह (आग्रह-जिह) सभी पापों से बढ़कर महा पाप है।

अभिप्राय यह है कि उसी व्यक्ति से विवाद किया जाता है और उसी व्यक्ति की बात भी मान्य होती है जो कि एक बात पर दृढ़ रहता है तथा कर्त्त कारण काय आदि को स्वीकार करता है। जैसे किसी व्यक्ति की व्याधि का समन कोई औषधि सेवन करने से हो जाता है तो यदृच्छावादी कहेगा कि व्याधि का समन भों ही हो गया। इसी प्रकार कुर्सी का निर्माण बढ़ई लकड़ी से करता है—यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। किन्तु यदृच्छावादी के मतानुसार कुर्सी का निर्माण यो ही हो जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विरोधी होने से यदृच्छावादी का मत अमान्य है।

चतुर्विध प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि

प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा—प्रतिदिन नवीन प्राणियों को उत्पन्न होते हुए देखा जाता है। प्रतिदिन अनेक प्राणियों की मृत्यु भी देखी जाती है। सामान्यतः स्तनधारी प्राणियों में यह प्रक्रिया देखी जाती है कि जन्म होने के पश्चात् कासक अन्धरा अन्ध प्राणी स्वेच्छा पूर्वक स्वतः अपनी माँ का दूध पीने लगते हैं। इसके अतिरिक्त बासक रोते हैं और कई बार उनके नेहुरे पर दुर्ब अथवा चम के घाव भी प्रकट होते हैं। संक्षेपतः बासक की स्तनपात की प्रक्रिया सबझाई नहीं जाती है। किन्तु पूर्व कालीन संस्कार अब वह इन प्रक्रियाओं के प्रति प्रेरित होता है। इसी प्रकार पूर्वजन्म कालीन कुर्बत अथवा दुःख संस्कारों का स्मरण होने पर उनके मुख पर दुर्ब और निर्धार के भाव प्रकट होते हैं।

इसी प्रकार माता-पिता के गुणों के समान सन्तानों का न होना और उत्पत्ति कारण के सुलभ होने पर भी वर्ण स्वर आकृति मन बुद्धि और भाव्य में विभिन्नता होना उत्तम और हीन कुल में जन्म होना नौकर और मालिक होना सुख-आयु और असुख-आयु का होना आयु की विषमता इस जगत् में जो कार्य किए जाते हैं उनका ही फल होना अशिक्षित शिशु का रोना दूध पीना हँसना भयभीत होना सामुद्रिक लक्षणों का होना कर्म की समानता होने पर भी फल में विशेषता का होना किसी कार्य में स्मरण शक्ति का होना और किसी कार्य में स्मरण शक्ति का नहीं होना इस जगत् में आना (जन्म लेना) और इस ससार में च्युत (मृत्यु को प्राप्त हुए) प्राणियों का जाति स्मरण होना समान रूप से दो व्यक्तियों को देखने पर एक को प्रिय और दूसरे को अप्रिय समझना यह पुनर्जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इसके अतिरिक्त अनेक घटनाएँ इस प्रकार की देखने को मिलती हैं जिनके द्वारा मनुष्य को अपने पूर्व जन्म की अनेक बातों का स्मरण हो जाता है और वह अपने पूर्व जन्म कालीन घटनाओं एवं स्थितियों का वर्णन करने लगता है। इस प्रकार की अनेक घटनाएँ प्रकाश में आई हैं और प्रत्यक्ष देखने को मिलती हैं। परीक्षा करने पर वे घटनाएँ सत्य पाई गईं। अतः इन सब प्रत्यक्ष प्रमाण सम्बन्धी तथ्यों के आधार पर पुनर्जन्म की पुष्टि एवं सिद्धि होती है।

अनुमान प्रमाण द्वारा— प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान किया जाता है कि पूर्व शरीर के द्वारा किया गया जो अपना कृत कर्म है जिसे दैव (भाग्य) कहा जाता है वह अपरिहार्य है। ऐसे आनुबन्धिक कर्म का यह फल है जो इस जन्म में भोगा जा रहा है। इस शरीर के द्वारा जो आनुबन्धिक कर्म किया जाता है उसका फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे फल से बीज का अनुमान और बीज से फल का अनुमान किया जाता है।

हमारे द्वारा किया गया कर्म सामान्यतः दो प्रकार का होता है—

(१) सामान्य कर्म (२) आनुबन्धिक कर्म।

(१) सामान्य कर्म—सामान्य कर्म का फल जीवित अवस्था में प्रतिदिन भोग लिया जाता है। उसके लिए कहा गया है कि स्वकृत कर्म अपरिहार्य होता है। यथा—
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं शुभाशुभम्।

(२) आनुबन्धिक कर्म—जो कर्म संचित होता है उसे ही भाग्य कहा जाता है। उसी कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है तथा पूर्व जन्म कृत समस्त शुभ और अशुभ आनुबन्धिक कर्म का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है।

इस प्रकार अनुमान के द्वारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों ही सिद्ध किए जाते हैं।

आप्तोपदेश प्रमाण द्वारा—आप्त द्वारा प्रणीत भाग्य (शास्त्र) को वेद

जाता है। दूसरे कोई भी आत्म जो परीक्षणों द्वारा प्रमाणित हों, वेद के अर्थों से अवि-
परीत (अनुकूल) हो शिष्ट पुरुषों के द्वारा अनुमोदित हो और लोक कल्याण की भावना
से प्रेरित होकर प्रकृत (रचे गए) हों तो ऐसे आत्मों को भी आप्त आत्म कहा जाता
है। आप्त के द्वारा रचित शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि—जान तपस्या गम,
सत्य बोधना अहिंसा का भाव रखना ये अभ्युदय और निश्चयस (कल्याण) करने
वाले होते हैं। प्रायः अभ्युदय से इहलौकिक सुखों को प्राप्त करना अहोचर्य का प्राप्ति
करते हुए उन्नति प्राप्त करना और निश्चयस से पारलौकिक भोग प्राप्त करना समझा
जाता है। अथवा अभ्युदय से स्वयं और निश्चयस से मोक्ष प्राप्ति का ग्रहण किया
जाता है।

आप्त पुरुषों ने अपनी योग साधना एवं तपश्चरण के आधार पर जो विशिष्ट
ज्ञान प्राप्त किया जिसके द्वारा उन्हें तीनो लोक की तीनो कालों की समस्त बातों
का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। उसके द्वारा उन्होंने पुनर्भव स्वयं नरक मोक्ष आदि
का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर जो प्रत्यक्ष किया उसी
का उन्होंने उपदेश दिया। इस प्रकार आप्तोपदेश के द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि होती है।

युक्ति प्रमाण द्वारा—पुनर्जन्म की सिद्धि में युक्ति है कि जिस प्रकार छह धातुओं
के समुदाय से गम की उत्पत्ति होती है कर्ता और कारण के संयोग से क्रिया होती है,
किए हुए कर्म का फल होता है जो कर्म नहीं किया जाता उसका फल नहीं होता है
बिना बीज के अकूर की उत्पत्ति नहीं होती है। उसी प्रकार माता के उदर में जो
गर्भोत्पत्ति होती है उसमें आत्मा कर्ता है और वह पूर्वजन्मकृत कर्मों के आधार पर
विभिन्न नीच-ऊँच योनियों में गमन करता रहता है। अर्थात् प्रत्येक जीव पूर्व जन्म के
शरीर के माध्यम से किए गए कर्मों के आधार पर इस जन्म में शरीर धारण करता
है। इस युक्ति प्रमाण से भी पूर्व जन्म और पुनर्जन्म इन दोनों की सिद्धि होती है।

इन चार प्रमाणों के द्वारा पुनर्जन्म स्पष्टतः सिद्ध है। आत्मा कर्म बंधन में बद्ध
हुआ होने के कारण पराधीन रहता है और उन कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः पुनः
उसके शरीर धारण करना पड़ता है। जब तक आत्मा स्वोपरिगत कर्म के बन्धनों से मुक्त
नहीं हो जाता तब तक उसे इसी प्रकार संसार में पुनः पुनः जन्म धारण कर विभिन्न
योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। कर्म बन्धन से मुक्त होने पर उसे पूर्व जन्म यहाँ
केवल पड़ता और वह अक्षय पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

मोक्ष का अनुसर्जन

जब आत्मा कर्मों के बन्धन से मुक्तकारण पा जाता है तब किसी भी कर्म का
उपयोग कर्मों के लिए उसे पुनः शरीर को धारण नहीं करना पड़ता है। जब वह कर्म

धारण नहीं करता है तो उसका मरण (मृत्यु) भी नहीं होता है। जन्म और मरण से रहित होने के कारण समार परिध्रमण की उसकी स्थिति सम्प्राप्ता हो जाती है। इस प्रकार आत्मा को ससार के आधागमन रूपी बन्धन से छुटकारा मिल जाने के कारण वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही आत्मा सतत प्रयत्नशील रहता है। यह मुक्ति पद अक्षय निमल अविनाशी अखण्ड परम अनन्त सुख कारक एव दिव्यालोक कारक होता है। इसे ही मोक्ष या अपवर्ग कहते हैं। आत्मा की कर्मों से आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाने के कारण इसे निवृत्ति भी कहते हैं। महर्षि चरक ने निवृत्ति का लक्षण निम्न प्रकार से किया है—

‘निवृत्तिरपवर्ग’ तत् पर प्रशान्त तबक्षरं तद् ब्रह्म स मोक्ष

—चरक संहिता शारीरस्थान ५।११

अर्थात् निवृत्ति माग को अपवर्ग कहते हैं वह अपवर्ग सबध पठ अत्यन्त शान्त अविनाशी एव ब्रह्म स्वरूप होता है उसे ही मोक्ष कहते हैं।

जब तक आत्मा कर्म बन्धन से युक्त रहता है तब तक वह सासारिक मोह ममता एव माया जाल में फसा रहता है। इसलिए उसे पन पन जन्म धारण करना पड़ता है। यही पुनर्भव कहलाता है। किंतु आत्मा के समस्त कर्मों का क्षय हो जाने पर उसे पन पन जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। पन जन्म धारण नहीं करना ही अपुनर्भव कहलाता है। यही आत्मा की मुक्तावस्था होती है और इसे ही मोक्ष अपवर्ग मुक्ति या निवृत्ति कहते हैं। महर्षि चरक ने मोक्ष की परिभाषा निम्न प्रकार की है—

मोक्षो रजस्तमोऽभावात् बलवत्कमक्षयात् ।

वियोगः सवसयोगरपुनर्भव उच्यते ॥

—चरक संहिता शारीरस्थान १।१४२

अर्थात् मन से जब रज और तम का अभाव हो जाता है और बलवान कर्मों का क्षय हो जाता है तब कम सयोग का वियोग अर्थात् कम जय बन्धनों से वियोग हो जाता है उसे अपनर्भव या मोक्ष कहते हैं जिस के हो जाने पर आत्मा को पुनर् शरीर या जन्म धारण नहीं करना पड़ता है।

बलवत् कर्मों का क्षय होने से मुक्ति होती है—यह सवतान्त्रिक सिद्धान्त है। मोक्ष का अस्तित्व स्वीकार करने वाले सभी दशनों ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि आत्म ससृष्ट समस्त कर्मों का क्षय होने पर ही आत्मा को मोक्षीपलब्धि होती है। किन्तु ‘नामुक्तो क्षीयते कम कल्पकोटिशतैरपि तथा प्रारब्धकर्मणो भोषादेव क्षय’ के अनुसार भोग कर लेने पर जब प्रारब्ध बलवान् कर्म का क्षय होता है तब मुक्ति होती है। कम का क्षय होने पर सर्व प्रथम आत्मा ज्ञानालोक से प्रतिभासित एवं देदीप्यमान होता है। आत्मा को होने वाला एतद्विध विशिष्ट ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। यह अपने आपमें परिपूर्ण निमल एव अखण्ड होता है। इस प्रकार का केवल ज्ञान प्रज्ञा

होने के बावजूद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि "प्रति ज्ञानान् मुक्तिर्भवती" बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। बंधनान् कर्मों का शय होने पर कर्मों के बन्धन में संयोग का वियोग (अभाव) स्वतः सिद्ध है। अतः मुक्त पुरुष की पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए यह अपुनर्भव या मोक्ष कहलाता है। मोक्ष में आत्मा अनन्त काल तक निवास करता है।

सांख्य दर्शन में मोक्ष विषय को अधिकृत कर विस्तृत विवेचन किया गया है। प्रकृति जिस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति में कारण है उसी प्रकार वह पुरुष (आत्मा) की मुक्ति में भी कारण है। सांख्यदर्शन के अनुसार बुरूप स्वभावतः अर्थात् एव मुक्त होता है किन्तु अविवेक के कारण प्रकृति के साथ उसका संयोग निष्पन्न होता है। इस संयोग से प्रकृति के द्वारा जो दुःख उत्पन्न होता है और उसका जो प्रतिबिम्ब पुरुष पर पड़ता है वही इस पुरुष का दुःख भोग संसार है। अतः सृष्टि का मूलकारण अविवेक है और दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति का साधन विवेक है। सांख्यदर्शन के अनुसार जो जीव एक बार मुक्त हो जाता है वह पुन बन्धन में नहीं पड़ता है। इस का कारण यह है कि पुरुष यह समझने लगता है कि प्रकृति के समस्त रूपों को मैं देख चुका हूँ। अतः देखी हुई वस्तु को पन क्या देखना? इसलिए वह प्रकृति के दर्शन को उपेक्षा कर देता है। प्रकृति भी समझती है कि पुरुष मेरे समस्त रूपों का अवलोकन कर चुका है, अतः वह सज्जा के कारण पुन पुरुष के सम्मुख नहीं आती है। इस प्रकार दोनों उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार की दोनों की अथवा दोनों में से किसी एक की उदासीनता को अपवर्ग कहते हैं। यथा— द्वयोरैकतरस्य वा द्वौघातीयस्यपवर्गः। प्रकृति और पुरुष का परस्पर वियोग होना अथवा एकाकी होना कैवल्य या मोक्ष है। बंध और मोक्ष वस्तुतः प्रकृति के धर्म हैं पुरुष के नहीं।

सांख्यदर्शन में किए गए विवेचन के अनुसार पुरुष न तो बन्ध को प्राप्त होता है और न मुक्त होता है। उसका संसरण भी नहीं होता है। प्रकृति ही अनेक आत्मों वाली होकर बुद्धि अहंकार, तन्मात्रा इन्द्रियाँ और महाभूतों से बद्ध होती है मुक्त होती है और संसार में आवागमन करती है। केवल प्रतिबिम्ब के कारण पुरुष पर बन्धन तथा मोक्ष का आरोप होता है। अतः प्रकृति ही पुरुष को बद्ध एवं मुक्त करती है। अर्थात् अभिप्राय निम्न कारिका से व्यक्त होता है—

तन्मात्रान् बध्यतेऽन्धा वा मुच्यतेऽसि संसरति कविचत् ।

संसरति बध्यते मुच्यते वा तान्मात्रान् प्रकृतिः ॥ —सांख्य कारिका ६२

पुरुष के मोक्ष प्राप्ति करने का अभिप्राय यह है कि वह अपनी तन्मात्रा अर्थात् और कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अन्ध-बन्धन तथा अज्ञान के कारण

ज्ञान से विवेक सिद्धि होती है, जिसका फल नि शेष दुःख निवृत्ति है। उसी अवस्था से पुरुष की कृतकृत्यता है। प्रत्येक पुरुष की बुद्धि के लिए ही प्रकृति का समस्त व्यापार होता है। यथा—

प्रतिशुद्धविमोक्षार्थं स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः । — सांख्य कारिका

सांख्यदर्शन में प्रकृति को नर्तकी एवं पुरुष को दशक के समान तिरूपित किया गया है। अर्थात् वह प्रकृति नर्तकी के समान है जो शृंगारादि रसों से तथा रति हास आदि भावों से रचे हुए गीत वाद्य नृत्य के द्वारा रग मच पर उभस्थित सभा सदो का मनोरञ्जन करती है। जब इसका काम समाप्त हो जाता है तो वह वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार पुरुष के सम्मुख स्वयं को प्रकट कर प्रकृति लौट जाती है। निम्नकारिका में यही भाव व्यक्त किया गया है—

रगस्य दशयित्वा निवसते नतकी यथा नृत्यात् ।

पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाशय निवसते प्रकृतिः ॥ — सांख्य कारिका ५६

सांख्य दर्शन में निरूपित प्रकृति इतनी सुकुमार एवं लज्जाशील है कि एक बार पुरुष के द्वारा उपभोग किए जाने पर वह दुबारा पुरुष के समक्ष उपस्थित नहीं होती है। अर्थात् विवेकशील पुरुष के प्रति प्रकृति का कोई व्यापार नहीं होता है। विवेक हो जाने से पुरुष को भी निश्चय हो जाता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ। यह भोग्य शरीर मेरा नहीं है। क्योंकि मैं इससे भिन्न हूँ। मैं भोक्ता भी नहीं हूँ। ऐसा संशय रहित पचविंशति तत्त्वमक ज्ञान पुरुष को जब उत्पन्न होता है तो प्रकृति स्वयं पुरुष का साथ छोड़ देती है। प्रस्तुत सन्दर्भ में निम्न कारिका दृष्टव्य है—

प्रकृते सुकमारतर न किञ्चिदस्तीति न मति ।

या वृष्टाऽस्मिति न पुनदर्शनमुपति पुरुषस्य ॥ — सांख्य कारिका

पुनश्च—

एव तत्साध्यास्ताम्रं स्मिन् मे नाहमित्यपरिशेषम् ।

अधिपर्ययाद्विशद के समत्यपते ज्ञानम् ॥ — सांख्य कारिका ६४

तत्त्व ज्ञान का उदय होने पर भी आत्मा जब तक पूर्व जन्म के संस्कार ब्रह्म शरीर को धारण किए रहता है तब तक शरीर के निर्वाह के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य ही करता रहता है। किन्तु उन कार्यों के प्रति राग द्वेष का अभाव होने से तथा ज्ञाननि के द्वारा दग्ध होने से वे काम दग्ध बीज की भाँति फल देने में असमर्थ रहते हैं। अतः वे कर्म कर्ता को बध्न में नहीं बाल सकते। इस प्रकार कर्मों का क्षय करने वाला ज्ञानी जब तक शरीर धारण किए रहता है अर्थात् जीवित रहता है तब तक वह जीवन मुक्त कहलाता है। किन्तु शरीर का त्याग कर देने के पश्चात् उसका निर्वाण हो जाने पर विमत देह वाला होने से विवेक मुक्त कहलाता है।

सप्तदश अध्याय

कार्य कारण भाव एव वाद निरूपण

जिस प्रकार दर्शन शास्त्र में कार्य कारण भाव का महत्त्व है उसी प्रकार आयुर्वेद में भी कार्य कारण सिद्धान्त को महत्त्व पूर्ण माना गया है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। यह प्रकृति का नियम है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोग अर्थात् कारण की अपेक्षा रखते हैं। रोगों को उत्पन्न करने वाले उन कारणों को आयुर्वेद में हेतु या निदान कहा गया है। जो रोग जिन हेतु या निदान का सेवन करने से उत्पन्न होता है उन हेतु या निदान के अभाव में व्याधि का उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार भिष्या आहार विहार रूप कारण के सेवन से वातादि दोष का प्रकोप रूप कार्य उत्पन्न होता है तथा दोष प्रकोप रूप कारण से रोगोदभव रूप कार्य उत्पन्न होता है। व्याधि का नाश या व्याधि का शमन भी कार्य है जो औषध रूप कारण के सेवन से उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर का निरोग होना या आरोग्य भी एक कार्य है जो स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन करने या समुचित औषध का सेवन करने से उत्पन्न होता है। शुक्र शोणित के संयोग से भ्रूण का निर्माण होता है। अतः शुक्र शोणित संयोग कारण और भ्रूणोत्पत्ति कार्य है। इस प्रकार आयुर्वेद में ऐसे अनेक भाव विशेष विद्यमान हैं जो कार्य कारण भाव (सिद्धान्त) की अपेक्षा रखते हैं।

कारण का स्वरूप एव अर्थ

जसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण के बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः वह भाव विशेष जिसके अभाव में कार्य का उत्पन्न होना सम्भव नहीं है कारण कहलाता है। भिन्न भिन्न शब्दकारों एवं दर्शनकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से कारण का स्वरूप प्रतिपादित किया है। यथा

कार्योत्पत्त्यर्थं कारणमस्त्वम् ।

—सप्तमोऽध्यायः

अर्थात् कार्य को उत्पन्न करने वाला कारण होता है।

कार्यनिवृत्त्यर्थं कारणमस्त्वम् ।

—सर्वेऽर्थेभ्यः

अर्थात् निवृत्त रूप से कार्य से पूर्ण निवृत्त होने वाले कारण होता है।

आत्मकारित्वविद्यतपूर्वमकारणम् ।

—सर्वेऽर्थेभ्यः

अर्थात् जो अन्यथा सिद्ध हो नियत (निश्चित) हो और पूर्ववर्ति (काय से पूर्व रहने वाला) हो वह कारण होता है ।

अन्यथासिद्धिकुन्वस्य नियता पूर्ववर्तिता ।
कारणत्व भवेत्तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम्

—भाषा परिच्छेद

अर्थात् अन्यथा सिद्धि से शून्य काय की नियता और पूर्ववर्तिता कारण होती है । वह (कारण) तीन प्रकार का कहा गया है ।

उपयुक्त लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कारण वह है जो बिना अपवाद के कारण से पूर्व विद्यमान रहता है और जिसकी आवश्यकता केवल मात्र सहायक के रूप में ही नहीं अपितु काय की उत्पत्ति के लिए भी है । वस्तुतः यह एक घटना क्रम का पूर्ववर्ती अवयव है जो सतत रूप से अनेक अवस्थाओं में पूर्ववर्ती रहा है । किन्तु केवल पूर्ववर्ती होना ही पर्याप्त नहीं है । इसे एक आवश्यक पूर्ववर्ती होना चाहिए ।

कारण सामान्यतः तीन प्रकार का माना गया है—समवायि कारण असमवायि कारण और निमित्त कारण ।

समवायि कारण—इसे उपादान कारण भी कहते हैं । यह कार्य की उत्पत्ति में प्रमुख होता है और काय के साथ विद्यमान रहता है । तक सग्रह में समवायि कारण का निम्न लक्षण प्रतिपादित किया गया है—यत्समवेत कायमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम् । अर्थात् जिस द्रव्य के समवाय सम्बन्ध से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे समवायि कारण कहते हैं । समवायि कारण अपने उत्पन्न हुए काय में समवेत रूप से विद्यमान रहता है । जैसे घट का समवायि कारण मिट्टी है कपड़े का समवायि कारण धागा या तन्तु है कुण्डल का समवायि कारण स्वर्ण है । न्याय दर्शन के अनुसार भी काय का नाश उपादान कारण के विनाश से होता है । समवायि कारण का नाश होने पर ही कार्य का नाश होता है । प्रत्येक कार्य का समवायि कारण अपने काय में विद्यमान रहता है । इसे इस प्रकार समझा जा सकता है । पट (कपड़ा) के निर्माण में तन्तु जुलाहा कपड़ा बुनने के उपकरण करघा तथा अन्य साधन आदि विभिन्न कारण विद्यमान रहते हैं जो समुक्त रूप से मिल कर पर (कपड़ा) का निर्माण करते हैं किन्तु जुलाहा आदि तो पट का निर्माण करके अलग हट जाते हैं जबकि तन्तु उसी पट में विद्यमान रहता है । उसे पट से पृथक् नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार जो कारण अपने कार्य से पृथक् नहीं होता है काय के साथ ही समवेत रूप से रहता है वह समवायि कारण कहलाता है ।

असमवायि कारण—काय एवं समवायि कारण का ऐसा संयोग जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति होना सम्भव न हो असमवायि कारण कहलाता है । इसका लक्षण

निमित्त कारण प्रतिपादित किया गया है— "कारणकारणत्व का प्रतीकत्वान्वय कालोत्पत्ति का कारणत्वसमवायिकारणत्वम्" — तर्क संग्रह । अर्थात् जो कार्य अथवा कारण के साथ किसी निमित्त (कारण) के समवेत होता हुआ कारण हो वह असमवायि कारण कहलाता है । अधिकार यह है कि ऐसा कारण जो स्वयं समवायि कारण व होता हुए भी कार्य अथवा समवायि कारण के साथ अविष्ट केष इस प्रकार सम्बद्ध हो कि उसके साथ समवेत होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती हो अन्यथा नहीं असमवायि कारण कहलाता है । जैसे तन्तुओं का धारस्पर्शिक संयोग । जब तक तन्तुओं का संयोजन व्यवस्थित रूप से नहीं होता या किया जायेगा तब तक पट (कपड़े) का निर्माण होना सम्भव नहीं है । तन्तुओं का ढेर लगा देने मात्र से उन तन्तुओं से पट निर्माण रूप कार्योत्पत्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती है । यद्यपि तन्तुओं का यह व्यवस्थित संयोजन (संयोग) कार्य (पट निर्माण) का समवायि कारण नहीं है तथापि उसके बिना पट का निर्माण होना सम्भव नहीं है और वह भी पट (कार्य) के साथ समवेत रहता है, अतः वह उस पट रूप कार्य का असमवायि कारण है ।

निमित्त कारण— कार्य की उत्पत्ति में सहयोग करने वाले अन्य कारण जो कार्योत्पत्ति के पश्चात् कार्य से पृथक् हो जाते हैं निमित्त कारण कहलाते हैं । यह निमित्त कारण उपयुक्त दोनों कारणों से भिन्न होता है । जैसा कि धारण में प्रतिपादित किया गया है— तन्तुभ्यस्भिन्न कारणं निमित्तकारणम् । —तर्क संग्रह । अर्थात् उपयुक्त दोनों से भिन्न जो कारण होता है वह निमित्त कारण कहलाता है । अधिकार यह है कि समवायि कारण के अतिरिक्त अन्य जो भी उपकरण एव साधन आदि कार्य की उत्पत्ति में सहायक रूप से कारण भूत होते हैं वे सब निमित्त कारण होते हैं । कार्य उत्पादक कर्ता भी निमित्त कारण के अंतर्गत ही जाता है । क्योंकि वह भी कार्योत्पत्ति के अनन्तर कार्य से पृथक् हो जाता है ।

इस प्रकार किसी भी कार्य की उत्पत्ति में उपयुक्त अविष्ट कारणों की अपेक्षा रहती है, अन्यथा कार्योत्पत्ति होना सम्भव नहीं है । यही कार्य कारण भाव होता है । इसे ही अन्य आचार्य कार्य कारण सिद्धान्त भी कहते हैं । तब संग्रह में कार्य को प्रागभाब का प्रतियोगी माना गया है । अर्थात् कार्योत्पत्ति से पूर्व उस कार्य का अभाव रहता है—यही प्रागभाब है । कार्य उत्पन्न हो जाने पर उसका अभाव स्वतः नष्ट हो जाता है अर्थात् प्रतियोगिता है । इसीलिए कार्य को प्रागभाब का प्रतियोगी कहा गया है ।

आद्युत्पत्ति में कार्य कारण भाव

आद्युत्पत्ति में कार्य कारण भाव का विशेष महत्त्व है । निमित्त कारणों की उत्पत्ति तब ही तब आद्युत्पत्ति सम्भव है यदि अनेक कारणों से ही कार्य कारण भाव उत्पन्न हो

आधारित है। जिस प्रकार संसार के अन्य कार्यों की उत्पत्ति के लिए समवायि अथवा वायि और निमित्त इन तीन प्रकार के कारणों की अपेक्षा रहती है उसी प्रकार रोगोत्पत्ति के लिए भी ये त्रिविध कारण अपेक्षित होते हैं। क्योंकि रोग भी एक कार्य है और कोई भी कार्य बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता है। रोग की उत्पत्ति में दोष वैषम्य समवायि कारण बाह्य आहार आचार आदि निमित्त कारण तथा विकृत दोष एव द्रव्य का संयोग असमवायि कारण होता है। इस प्रकार रोग की उत्पत्ति में इन तीनों प्रकार के कारणों की उपस्थिति अनिवार्य है। तीनों की स्वतन्त्र सत्ता है और तीनों अयोय प्रेरित हैं। ये परस्पर प्रतिद्वन्द्वी नहीं हैं अतः सामान्यतः तीनों ही रोगोत्पत्ति में कारण माने जाते हैं।

आयुर्वेद में रोगोत्पादक कारण को निदान या हेतु कहा जाता है। जैसा कि आचार्यों ने कहा है निदान रोगोत्पादको हेतु। अयत्र भी निदान कारणमित्यस्तमत्रे। इसी प्रकार रोग नाश रूप कार्य को करने में हेतु या कारण चिकित्सा है। तद्वदेष आरोग्य भी कार्य है और उसके सम्यक अनुरक्षण में हेतु या कारण सद्बृत्त (स्वस्थवृत्त) है। आयुर्वेद के अनुसार रोग को उत्पन्न करने में जो कारण होता है उसे निदान कहते हैं। वह निदान चार प्रकार का होता है। यथा-सन्निकृष्ट विकृष्ट व्यभिचारी और प्राधानिक।

सन्निकृष्ट हेतु—जैसे दिन रात ऋतु और भोजन इनके पृथक् पृथक् अन्न दोषों को प्रकुपित करने में कारण है वे दोष सचय आदि की अपेक्षा नहीं रखते। जैसे दिन और रात्रि के पव भाग में कफ मध्य भाग में पित्त और अन्त भाग में वात का प्रकोप होता है। इसी प्रकार भोजन के आदि मध्य और अन्त में क्रमशः कफ पित्त और वात का प्रकोप होता है।

विकृष्ट हेतु—जैसे हेमन्त ऋतु में संचित श्लेष्मा वसन्त ऋतु में प्रकुपित होकर श्लेष्मिक रोगों को उत्पन्न करता है। ग्रीष्म ऋतु में संचित वात वर्षा में प्रकुपित होकर वातज रोगों को और वर्षा ऋतु में संचित पित्त शरद ऋतु में प्रकुपित होकर पित्तिक रोगों को उत्पन्न करता है। यह दूरस्थ या विकृष्ट निदान है।

व्यभिचारी हेतु—जो हेतु व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है उसे व्यभिचारी हेतु कहा जाता है। जैसा कि महर्षि चरक ने भी कहा है—अज्ञानीवर्णोऽथवान् वध्मन्ति न तथा विकारप्रभिवृत्तिः। (च नि ४/५) अर्थात् निदानमयि जब निर्बल होते हैं और निर्बल होने से दूष्यों से सम्बन्ध नहीं करते तब विकारोत्पत्ति नहीं होती है।

प्राधानिक हेतु—उग्र स्वाभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रकुपित करके रोगों को उत्पन्न करने वाला हेतु प्राधानिक कहलाता है। भारक तीव्र विष इस श्रेणी

में आते हैं। विषय-व्यवस्थायी आदि इस-सुखों का भाव होने से शरीर में भीषण बीज्य होकर विकार उत्पन्न करता है।

इन चार प्रकार के हेतुओं के अतिरिक्त पुनः तीन प्रकार का हेतु बतलाया गया है। यथा १ असात्त्विकेन्द्रियार्थ संयोग २ प्रज्ञापरराध और ३ परिणाम। इन्हीं कोष आदि पांच ज्ञानेन्द्रियों से शब्द आदि इन्द्रियार्थों का हीन मिथ्या और अतियोग होना असात्त्विकेन्द्रियार्थ संयोग कहलाता है। अद्यत्त्वार्थ ज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करता प्रज्ञापरराध है। धृति और स्मृति के विसृप्त होने पर अनुष्य जो अशुभ कर्म करेगा है वह प्रज्ञापरराध कहलाता है। विभिन्न ऋतुओं के अपने अपने स्वभाव से होने वाली भीतता ग्रीष्म (उष्णता) एव वर्षा का अयोग अतियोग और मिथ्या योग हीनः परिणाम कहलाता है।

इसके अतिरिक्त रोगोत्पादक हेतु पुनः तीन प्रकार के बतलाए गए हैं। यथा दोष हेतु व्याधि हेतु और उभय हेतु। दोषों का संघय प्रकीर्ण एवं प्रसमन करने वाले स्वभावतः उत्पन्न मधुरादि रस दोष हेतु कहलाते हैं। दोष निरोधक व्याधि का उत्पादक हेतु व्याधि हेतु होता है। जैसे मद् भक्षण से पाण्ड रोग उत्पन्न होगा। विशिष्ट दोष का प्रकोपक होते हुए भी व्याधि विशेष का भी उत्पादक हेतु उभय हेतु कहलाता है।

इस प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के हेतुओं (कारणों) से विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होती है जिससे कार्य-कारण भाव स्पष्ट है। अर्थात् यदि कारण बाने रोगोत्पादक विविध हेतु नहीं होंगे तो कार्य बाने रोग उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार असात्त्विक रूपी कारण के अभाव में रोगनाश रूपी कार्य का होना असम्भव है। अतः स्पष्ट है कि कारण के होने पर ही कार्य होता है।

दार्शनिक मनीषियों द्वारा उपयुक्त कार्य-कारण भाव को व्यक्त करने वाले निम्न दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्वीकार किए गए हैं—सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। ये दोनों सिद्धान्त यद्यपि एक दूसरे से सवसा भिन्न एवं विपरीतता युक्त हैं, फिर भी कार्य और कारण भाव का विवेक इनमें विद्यमान होने के कारण इन्हें सर्वसौ माना गया है। ये दोनों सिद्धान्त यद्यपि एक दूसरे के मत का खण्डन करते हुए स्वमत का प्रतिपादन करते हैं, किन्तु कार्य की सत्ता के प्रति झू कि दोनों मतवालोंमें समान बुद्धिकोण रखते हैं, अतः एक ही धर्मों का प्रतिपादन किया जा रहा है।

सत्कार्यवाद

यह सर्वप्रथम दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के द्वारा सर्वप्रथम दर्शन कर्म और कारण में कोई भेद नहीं समझता। कर्म और कारण में भी कोई अतिरिक्तता होता है यह केवल व्यावहारिक है। अतः दार्शनिक दृष्टि के कोई भेद नहीं है। सर्वप्रथम

सांख्य दर्शन के मतानुसार जो कार्य उत्पन्न होता है उसका अस्तित्व उत्पन्न होने से पूर्व अपने कारण में अव्यक्त रूप से अवश्य विद्यमान रहता है। यदि उत्पन्न होने वाले कार्य का अव्यक्त अस्तित्व अपने कारण में विद्यमान न होता तो उससे कार्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। जैसे दूध में मक्खन विद्यमान रहता है किन्तु अव्यक्त होने से वह दिखलाई नहीं पड़ता। उसी दूध का दही जमाकर बिलोने से बह प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि कार्य केवल कारण की अव्यक्तावस्था है और कारण केवल कार्य की अव्यक्तावस्था है। अतः कार्य और कारण में कोई भौतिक भेद नहीं है। सांख्य दर्शन का यही सिद्धान्त सत्कायवाद कहलाता है। इस काय-कारणवाद को ही आचार्यों ने परिणामवाद भी कहा है। अतः ये दोनों इसी सिद्धान्त के दोस्तक नामान्तर मात्र हैं। सांख्य दर्शन ने अपने उपयुक्त सिद्धान्त के प्रतिपादन में निम्न कारण एवं युक्तियाँ दी हैं—

असदकारणानुपादानग्रहणतः सर्वसम्भवाभावात् ।

शक्यस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कायम् ॥

— सांख्य कारिका ६

अर्थात् असद् कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उपादान ग्रहण (सत् कारण) से ही सत्काय की उत्पत्ति होती है। सभी प्रकार के कारणों से सभी प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। शक्तिमान कारण से शक्य वस्तु की उत्पत्ति होती है अतः कारण की सत्ता होने के सत्काय होता है। याने कार्य का अस्तित्व प्रकाश में आता है।

असदकारणात्—जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है उसकी उत्पत्ति कदापि सम्भव नहीं है। क्योंकि जो वस्तु सत्तायुक्त (अस्तित्ववान्) होती है वही सत् होती है। सत्ता रहित वस्तु असत् होती है। जो वस्तु सत्ताहीन अविद्यमान अस्तित्वहीन वा असत् होती है उससे सत् रूप काय की उत्पत्ति कदापि सम्भव नहीं है।

जैसे नासङ्गुस्वाद्यो नुष्टु गवत (सां ब ११४) अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य के सिर में सीग उत्पन्न नहीं हो सकते हैं उसी प्रकार असत्काय की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं है। जो सत् रूप कार्य उत्पन्न होता है वह अपने उत्पादक सत् रूप कारण से पहले से विद्यमान रहता है। क्योंकि काय का अस्तित्व रहने पर ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है।

इसी प्रकार अव्यक्त से उत्पन्न होने वाले मनुष्यादि तत्त्व भी सत्कार्य हैं। क्योंकि वे बीज रूपेण अपने उत्पादक सत्कारण रूप अव्यक्त से विद्यमान रहते हैं। अतः सत् कार्य को उत्पन्न करने में मिट्टी कारण है। इसीमिट्टी मिट्टी से अट्ट का निर्माण (उत्पत्ति)

होना सम्भव है। यदि मिट्टी में घट रूप कार्य का अस्तित्व नहीं होता तो उससे किसी भी प्रकार घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि असत् कारण होने से अर्थात् कारण में कार्य का अस्तित्व नहीं होने से अनेक प्रयत्न करने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं किया जा सकता। जैसे पत्थर से पानी उत्पन्न करना सम्भव नहीं है। क्योंकि पानी रूप कार्य का अस्तित्व पत्थर रूप कारण में विद्यमान नहीं है।

उपादान ग्रहणात्—उपादान का तात्पर्य है नियत कारण। प्रत्येक कार्य का कारण नियत होता है। उसे ही उपादान कहते हैं। उपादान अर्थात् कारण के नियत होने से ही नियत कार्य की उत्पत्ति होती है। जिस कार्य का जो उपादान (नियत कारण) है उसी कारण से वह कार्य उत्पन्न होता है। 'उपादानविद्यवात्' (सां द. ११५) अर्थात् उपादान कारण का नियम होने से असत् (अविद्यमान) कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। सत कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति होना ही उपादान नियम है। जैसे दही का उपादान (नियत कारण) दूध है वस्त्र का उपादान कारण तन्तु है, घट का उपादान कारण मिट्टी है।

सर्व सम्भवाभावात्—सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति होना सम्भव नहीं है क्योंकि उचित काल एवं उपयुक्त साधन होने पर ही कारण से कार्य उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के कारण समस्त कार्यों को उत्पन्न करने में असमर्थ हैं—सर्वत्र सर्वदा सर्वासम्भवात् (सां द ११६) अर्थात् समस्त काल में प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति होना असम्भव है। अतः कार्य का अस्तित्व निश्चयित कारणों से ही रहता है और उसी कारण से वह उत्पन्न होता है न कि अन्य कारणों से। गन्ध प्राणी गन्ध से ही उत्पन्न होते हैं। स्वेदज अन्तु स्वेद से और अण्डज प्राणी अण्ड से ही उत्पन्न होते हैं। तेल तिलहन से ही निकल सकता है, मिट्टी या पत्थर से नहीं। दही दूध से ही जम सकता है, पानी या अन्य द्रव्य से नहीं।

शक्तस्य शक्यकरणात्—जिस कारण से कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य या शक्ति है वह कारण ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। अतः शक्ति सम्पन्न कारण से ही शक्य कार्य उत्पन्न होता है। अशक्त कारण में कार्योत्पादन का अभाव होने से उससे शक्य कार्य की उत्पत्ति होना सम्भव नहीं है। अतः कार्योत्पादन में सर्वत्र कारण से ही कार्य का अस्तित्व अवश्यम्भवेण विद्यमान रहता है।

कारणभावात्—कारण भाव से अर्थात् कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अपने कारणभाव में विद्यमान रहता है। जैसे उत्पत्ति होने वाला दूध अपने कारण भाव दही रूप में अत्यन्त स्पष्ट विद्यमान रहता है। अतः तन्तु, कार्य और कारण में कोई सीमा का भेद नहीं है। दोनों अविन्ध्य हैं। दोनों से केवल अशक्य भेद है। कार्य और कारण एक ही पदार्थ की ही अवस्था विन्ध्य हैं। अशक्यकारण कार्य और अशक्यकारण कारण कहलाते हैं।

उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि काय जब तक उत्पन्न नहीं होता है, अव्यक्त अपने व्यक्त स्वरूप में नहीं आता है तब तक वह अपने कारण में विद्यमान रहता है। बुद्धि से साध्य दर्शन मतानुसार न तो किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है और न किसी पदार्थ का विनाश होता है। अपितु हमें किसी द्रव्य की उत्पत्ति का जो अनुभव होता है वह वस्तुतः उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। कोई अव्यक्त पदार्थ यदि अपने व्यक्त स्वरूप में आता है तो व्यवहारिक रूप से हम धले ही उसकी उत्पत्ति कहें, किन्तु यथा र्थतः वह उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। इसी प्रकार पदार्थ की व्यक्तावस्था जब अव्यक्तावस्था में परिवर्तित हो जाती है तब कहा जाता है कि पदार्थ का विनाश हो गया। किन्तु यथार्थ स्थिति यह है कि काय अपने कारण में तिरोहित हो जाता है। पदार्थ का स्मृतत्व अपने सूक्ष्मत्व में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार सत्कार्यवाद के सिद्धान्तानुसार न तो किसी द्रव्य की सवधा नवीन उत्पत्ति होती और न ही नितान्ततः उसका विनाश होता है। क्योंकि जो असत् (अस्तित्व हीन) होता है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती और जो सत् होता है उसका कभी विनाश नहीं होता। हमें द्रव्य का जो विनाश दिखलाई पड़ता है वह केवल उसकी पर्याय या अवस्था का परिवर्तन मात्र है। भगवद् गीता में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है। यथा—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

अर्थात्—असत् (अस्तित्व रहित) द्रव्य का भाव (उत्पत्ति) और (अस्तित्ववान्) द्रव्य का अभाव (निवास) कभी नहीं होता। इसी तथ्य को आगे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है—

अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र बाव्यक्तसङ्गके ॥

—भगवद् गीता ८/१८

अर्थात् प्रभात होने (दिन निकल आने) पर समस्त पदार्थ अव्यक्त (अस्पष्ट या अधकारावृत) से व्यक्त (स्पष्ट या भासमान) हो जाते हैं और रात्रि होने पर पुनः उसी अव्यक्त सञ्ज्ञा (अधकार) में विलीन हो जाते हैं।

साध्य कारिका की उपयुक्त कारिका की व्याख्या करते हुए श्री वाचस्पति ने सत्कार्यवाद का समर्थन निम्न प्रकार से किया है—

एक वस्तु में उत्पत्ति तथा विनाश क्रिया की बुद्धि के व्यपदेश या समर्थन होने से एकान्तिक भेद की सिद्धि सम्भव नहीं है। जैसे वह तन्दु है यह पट है, इस प्रकार तन्दु में पट बुद्धि के व्यपदेश का समर्थन होने से एकान्तिक भेद नहीं होता। क्योंकि एक द्रव्य में उसकी विशेष अवस्था में आधिर्भाव और तिरोभाव होने से उनमें अन्तिक

श्रेय नहीं है। जैसे कछुआ अपने अंग (शिर और शीका) को अपने शरीर में छिपा लेता है अर्थात् उसके अंगों का तिरोभाव हो जाता है। इस का अभिप्राय यह नहीं है कि उसके अंगों का विनाश हो जाता है। इसी प्रकार युग वह अपने तिरोभूत या छुपाए हुए अंगों को बाहर निकालता है तब अंगों का आविर्भाव हो जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे अंग नवीन रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। अपितु अंग दो प्रत्येक अलग-थलग स्थानों में विद्यमान हैं वे केवल अव्यक्त और व्यक्त होते हैं। उसी प्रकार मिट्टी का घटा तथा स्वर्ण के मुकुट आदि का आविर्भाव उसकी उत्पत्ति का बोधक होता है और उसका निवेश अर्थात् घटे का पन मिट्टी रूप में होना तथा मुकुट का पुनः स्वर्ण रूप में होना उसका विनाश या विघ्नस कहलाता है। किन्तु वस्तुतः यह उत्पत्ति और विनाश न हो कर केवल अवस्थान्तर प्राप्ति है। अतः इस व्यवस्था से असत् की उत्पत्ति और सत् विनाश सम्भव नहीं है ?

जैन दर्शन में भी उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् यह सत् का लक्षण बतलाते हुए प्रत्येक द्रव्य की तीन अवस्थाओं का निरूपण किया है। तदनुसार जब मिट्टी से घट का निर्माण किया जाता है तो घटाकार की उत्पत्ति होती है मिट्टी की आकृति का विनाश होता है-यह व्यय है। किन्तु मिट्टी दोनों ही अवस्थाओं में बचावत रहती है। यह ध्रौव्यत्व है। इस प्रकार घट निर्माण से उत्पाद व्यय और ध्रौव्य युक्तता होने से वह सत् रूप है। इसी प्रकार स्वर्ण से जब कोई आभूषण बनाया जाता है तो आभूषण का निर्माण होना उत्पाद है जिस आकार विशेष से स्वर्ण विद्यमान था उसका विनाश होना व्यय है। आभूषण निर्माण और उससे पूर्वकी स्थिति दोनों में स्वर्ण विद्यमान है यह ध्रौव्य है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त होता है। कथन का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक द्रव्य अस्तित्ववान् है। जब एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का निर्माण होता है तो प्रथम द्रव्य का विनाश और दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति मानी जाती है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि न तो पूर्व द्रव्य का विनाश होता है और न ही अपर द्रव्य की उत्पत्ति अपितु द्रव्य की मात्र पर्याय बदलती है। जैसे मिट्टी अपनी पर्याय को छोड़कर घट पर्याय को धारण कर लेती है अथवा स्वर्ण अपनी पूर्व पर्याय का परित्याग कर कुण्डल या अन्य आभूषण की पर्याय को धारण कर लेता है।

असत्कार्यवाद

सत्कार्यवाद से विपरीत या भिन्न असत्कार्यवाद होता है। न्याय दर्शन में सत्कार्यवाद का खण्डन एवं निराकरण करते हुए असत्कार्यवाद को मान्य किया गया है। नैयायिकों के अनुसार किसी भी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उसकी सत्ता कारण में

नहीं रहती है। अतः सत्कार्यवादियों का यह कथन ठीक नहीं है कि कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। वस्तुतः कोई भी कार्य अपने किसी कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता है अपितु उत्पन्न होने के बाद वह प्रकट होता है। अतः वह एक सर्वथा नवीन रचना या कृति होती है और उत्पत्ति के बाद ही उसके अस्तित्व की अनुभूति होती है। नैयायिकों के मतानुसार प्रत्येक काय अपने उपादान कारण (समवायि या मूल कारण) से सर्वथा भिन्न होता है। साथ ही उसकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति में अन्य कारण जैसे कर्त्ता निमित्त कारण आदि भी अपेक्षित होते हैं। उन अन्य कारणों के अभाव में काय की उत्पत्ति होना सम्भव नहीं है। अतः यह मानना समीचीन नहीं है कि मूल कारण में काय की सत्ता पहले ही विद्यमान रहती है।

जिस स्वर्ण से कुण्डल (आभूषण) का निर्माण होता है वह स्वर्ण यद्यपि कुण्डल के निर्माण में कारण है किन्तु स्वर्ण ही कुण्डल नहीं है। इसी प्रकार जिस मिट्टी से घट का निर्माण होता है वह मिट्टी यद्यपि घट रूप काय की उत्पत्ति में कारण है किन्तु मिट्टी ही घटा नहीं है। अतः कुण्डल स्वर्ण से और घटा मिट्टी से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार काय असत् (अविद्यमान) होते हुए भी उत्पन्न होता है या उत्पन्न किया जाता है।

असत्कार्यवाद के समर्थक एवं सत्कार्यवाद के विरोधी दार्शनिकों के मतानुसार यदि काय को कारण से भिन्न नहीं माना जाय और यदि यह माना जाय कि उत्पन्न होने से पूर्व काय अपन ही कारण में अद्यत रूप से विद्यमान रहता है तो फिर उसकी उत्पत्ति के लिए निमित्त आदि कारणोत्तर अपेक्षित क्यों है? उसे स्वयं उत्पन्न हो जाना चाहिये था। साथ ही यदि कारण में काय का अस्तित्व पहले ही विद्यमान है तो एकाकार होने से दोनों को एक ही सत्ता (नाम) से व्यवहृत किया जाना चाहिये। पृथक् पृथक् नामकरण की आवश्यकता नहीं होना चाहिये थी। इस प्रकार दोनों में अभेद मान कर व्यवहार करना चाहिये। अर्थात् घड़ और मिट्टी को या तो घड़ा ही कहा जाना चाहिये था मिट्टी। ऐसी स्थिति में दोनों में भेद करना सम्भव नहीं होगा। किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है। दोनों भिन्न और पृथक् हैं। घड़ा अलग है और मिट्टी अलग है।

यदि कारण से काय भिन्न नहीं माना जाय और कारण में काय का अस्तित्व पहले ही स्वीकार कर लिया जाय तो दोनों से समान प्रयोजन की सिद्धि होना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं होता है। घड़ा पानी रखने के प्रयोजन को सिद्ध करता है जबकि मिट्टी गृह निर्माण तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण के प्रयोजन को सिद्ध करती है। अतः दोनों में भिन्नता एवं पृथग्अस्तित्व स्पष्ट है। घट और मिट्टी की आकृति स्वरूप आदि में भी भिन्नता स्पष्टतः लक्षित होती है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार मिट्टी से घट आदि का निर्माण होता है उसी प्रकार मृत्तमय घट से भी अन्य वस्तुओं का निर्माण

हीना नहीं है। किन्तु यह सम्भव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि घडा (कार्य) और मिट्टी (कारण) निम्न स्वभाव, किन्तु स्थिति और अस्तित्व प्राक् अलग-अलग द्रव्य हैं।

अनुवाद में अस्तकार्यवाद को मान्य नहीं किया गया है। अस्तकार्यवाद के अभाव में अनुवाद का मुख्य प्रयोजन स्वस्त्य स्वास्त्वरक्षणानुक्रमिक विकारप्रमाणक भी सिद्ध नहीं हो पायी। क्योंकि वह कार्य है और कारण के बिना इसका (कार्य का) होना सम्भव नहीं है। अतः अनुवाद में अस्तकार्यवाद को ही मान्य किया गया है।

परमाणुवाद

यह वैशेषिक दसन सम्मत महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार संसार के समस्त द्रव्यों का कोई न कोई परिमाण अवश्य होता है। द्रव्यगत वह परिमाण चार प्रकार का हो सकता है। यथा अणुपरिमाण महत्परिमाण ह्रस्व परिमाण और दीर्घ परिमाण। कोई भी द्रव्य इस चतुर्विध परिमाण का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। सामान्यतः द्रव्य उपयुक्त परिमाण की अपेक्षा रखते हैं। अर्थात् द्रव्य एक दूसरे की अपेक्षा अणु या महत्परिमाण वाले हो सकते हैं। जैसे एक घडा अपने से बड़े (महत्) घडे की अपेक्षा छोटा (अणु) है किन्तु वहीं घडा अपने से छोटे (अणु) घडे की अपेक्षा बड़ा (महत्) है। इस प्रकार अपेक्षा भेद से परिमाण में अन्तर हो सकता है। किन्तु प्रकृति का यह नियम है कि यदि किसी द्रव्य की निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाय तो किसी न किसी स्थान पर उसकी समाप्ति या विधाम अवश्य आती है। अर्थात् द्रव्य की वृद्धि की एक सीमा है जिसके आगे द्रव्य की वृद्धि नहीं होती है। वह सीमा ही परम महत् परिमाण है। जैसे-आकाश। आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों में महत्परिमाण वाला है। उससे अधिक महत्परिमाण किसी अन्य द्रव्य का सम्भव नहीं है। इसी प्रकार किसी द्रव्य को छोटे से छोटा किया जाय तो अन्त में उस स्थान पर आकर रुकना पडेगा जहाँ उसका उस से अधिक छोटा आकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार द्रव्य का सब से छोटा आकार ही अणु परिमाण कहलाता है। द्रव्य के नूनातिनून होने की अंतिम सीमा अणुपरिमाण तक है। इस से छोटा आकार उसका नहीं होने से वह 'परमाणु' कहलाता है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जो परम अणु अर्थात् परम सूक्ष्म परिमाण आता होता है उसे 'परमाणु' कहते हैं। वह परमाणु निरवयव एवं अजायब होता है। अर्थात् परमाणु का पुनः विभाग नहीं होता। क्योंकि उसका अन्य अवयव नहीं होता। अन्य अवयव नहीं होने से वह एकवचनी या निरवयव है। वह अतना सूक्ष्म होता है कि बसुओं के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है। अतः वह अचक्षुष है। इस सूक्ष्म का स्पष्टीकरण व्यास आचार्य में आस्तस्यन् मुनि द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है—

जब किसी मिट्टी के ढल को पीसने से उसके अवयवों का विभाग हो जाता है और उक्त विभाग से अवयव उत्तरोत्तर अल्प अल्पतर होते हुए जहाँ समाप्त हो जाते हैं अर्थात् जहाँ अवयवों के अल्प-अल्पतर होने का तारतम्य समाप्त हो जाता है जिसके अनन्तर विभाग करने पर भी कोई अवयव विभक्त नहीं हो सकता वही अन्तिम होने से अन्त्यावयव एवं अवयव रहित होने से निरवयव रूप हुआ परम सूक्ष्म होने के कारण परमाणु कहलाता है। यही परमाणु संसार के विभिन्न द्रव्यों की इकाई माना जाता है। यह सर्वापेक्षया सूक्ष्म इन्द्रियातीत निरवयव और नित्य होता है। द्रव्यों के असंख्य होने के कारण तथा एक द्रव्य के असंख्य परमाणु होने के कारण य असंख्य होते हैं।

सामान्यतः चक्षुषों के द्वारा दिखलाई देने वाला सूक्ष्मतम द्रव्य वह धूलिकण है जो बिजली के द्वारा आने वाले प्रकाश की किरणों में उड़ता हुआ परिलक्षित होता है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः यही अणु है और इससे सूक्ष्मतम अवयव या विभाग नहीं हो सकता। किन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। उसके उत्तरोत्तर विभाग किए जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि विभाग कहा तक किया जा सकता है? यदि केवल कल्पना के आधार पर ही विभाग किया जाय तो विभाजन का कार्य समाप्त नहीं हो सकेगा और न ही इस विभाजन शृंखला का अंत होगा। अतः यह प्रवृत्ति अनन्त तक चलती रहेगी। ऐसा होने पर अनवस्था दोष उत्पन्न होगा और अनवस्था होने पर संसार के सभी द्रव्यों को एक ही परिमाण वाला स्वीकार करना पड़गा। परिणामतः राई और पवत के परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। अभिप्राय यह है कि जिम द्रव्य के आरम्भक अवयवों की संख्या अधिक होती है वह अधिक परिमाण वाला और जिस द्रव्य के आरम्भक अवयवों की संख्या अल्प होती है वह न्यून परिमाण वाला होता है—यह नियम है। इस नियम के अनुसार पवत और राई दोनों के परस्पर परिमाण में भेद है। क्योंकि पवत के आरम्भक अवयवों की संख्या अधिक और राई के आरम्भक अवयवों की संख्या न्यून होती है। इन दोनों का क्रमशः विभाग करने पर कहीं न कहीं अंत अवश्य होगा। यदि इनके विभाग का अंत नहीं माना जाय तो अनवस्था होगी और अनवस्था के कारण दोनों का परिमाण एक ही होना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं है। अतः दोनों के विभाग का अंत अवश्य है। जो अन्तिम अवयव होगा वही द्रव्य की इकाई है और वही परमाणु कहलाता है। इसी आधार पर विद्वानों का मत है—

जालान्तरगते भानो यत्सूक्ष्म दृश्यते रज ।

तस्य त्रिंशत्सो भाग परमाणुदृश्यते बर्धे ॥

वैशेषिक दर्शन ने इस विषय में गम्भीर चिन्तन की विलक्षण विचार द्वारा

प्रस्तुत की है। प्रकृतवाचक भाष्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति परमाणु समूहों से हुई है। द्रव्य के सूक्ष्मतम अवयव की इकाई को परमाणु कहा गया है। इन परमाणुओं के संयोग से 'द्रव्यणुक' का निर्माण होता है। इसे अणु भी कहते हैं। कारण जब के द्वारा इसका ग्रहण नहीं होता है। अतः परमाणु की भाँति यह भी अतीन्द्रिय होता है। किन्तु कार्य होने से अणु अवयव द्रव्यणुक अनित्य होता है। इसके विपरीत परमाणु नित्य होता है। तीन द्रव्यणुओं के संयोग से द्रव्यणुक की उत्पत्ति होती है। वह त्रसरेणु भी कहलाता है। यह महत् परिमाण वाला होता है। महत् परिमाण वाला होने से त्रसरेणु चाक्षुष अर्थात् चक्षु इन्द्रियगम्य होता है। त्रसरेणु के आगे समस्त द्रव्य चाक्षुष एव कार्य होने से अनित्य होते हैं। संसार के समस्त द्रव्य कार्य हैं और प्रत्येक द्रव्य के आरम्भक परमाणु पृथक् हैं। पृथक् पृथक् होने से वे अनेक हैं। अतः एक ही परमाणु की कल्पना निमूल है। यदि एक ही परमाणु पृथ्वी आदि कार्य द्रव्यों का आरम्भक होता तो इसके नित्य होने से निरन्तर कार्य की उत्पत्ति बनी रहती और कभी भी कार्य का विनाश नहीं होता। क्योंकि निम्न दो कारणों से काय का विनाश होता है—(१) अवयव विभाग और (२) अवयव नाश। किन्तु परमाणु एक होने से उनका अवयव विभाग सम्भव नहीं है और परमाणु के नित्य होने से उसका विनाश भी सम्भव नहीं है। अतः प्रत्येक कार्य द्रव्य अपने पृथक्-पृथक् परमाणुओं का समूह मात्र है। सभी काय द्रव्यों का परमाणु एक नहीं है। अपितु भिन्न भिन्न और अनेक हैं।

भिन्न भिन्न दर्शनिक विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण एव सिद्धान्त के अनुसार परमाणु को भिन्न भिन्न नाम से व्यवहृत किया है। यद्यपि सामान्यतः प्रायः सभी दर्शनाचार्यों ने परमाणु के अस्तित्व को स्वीकार किया है, किन्तु उनके प्रतिपादन में मात्र संज्ञा भेद ही है मौलिक रूप से कोई अन्तर नहीं है। यद्यपि प्रकार भेद की दृष्टि से परमाणुओं का वर्गीकरण षड्धा श्रेणी विभाजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि काय द्रव्यों की अनेकता के कारण परमाणु भी अनेक हैं। किन्तु फिर भी सत्त्व रज और तम भेद से परमाणु तीन प्रकार के होते हैं। इन्हीं को सांख्य दशम अध्याय दर्शन और वेदान्त दर्शन में त्रिभुज संज्ञा से व्यवहृत किया गया है। न्याय वैशेषिक और मीमांसा दर्शन में इनकी परमाणु संज्ञा है। उपनिषदों में इनका उल्लेख लोहित शुक्ल और कृष्ण तथा प्रकाशक क्रिया जनक और आवरक नाम से किया गया है। इस प्रकार दार्शनिकों के मतानुसार कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण भूत द्रव्य परमाणु ही है किन्तु उसका संभरण भिन्न भिन्न है। उपादान कारणत्व की दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है।

आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी सृष्टि का स्वरूप परमाणुमय है। किन्तु उसके

मतनुसार जिन परमाणुओं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है वे परमाणु विभाजनशील और अनित्य हैं। भारतीय दार्शनिकों का मत इसके सर्वथा विपरीत है। न्याय और वैशेषिक दर्शन के प्रवक्त महर्षि गौतम एवं कणाद के अनुसार परमाणु वित्य और अविभाजनशील होता है। आधुनिक विज्ञान सम्मत परमाणु पाञ्च भौतिक है इसके विपरीत वैशेषिक दशनोक्त परमाणु महाभूतों को उत्पन्न करने वाला है। पाँच महाभूतों में से चार महाभूत अर्थात् पृथ्वी जल तेज और वायु परमाणु रूप से और आकाश व्यापक रूप से काय द्रव्य की उत्पत्ति में कारण होते हैं। द्रव्यों का विभाजित नहीं होने वाला अणु ही परमाणु है। इसके अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान सम्मत परमाणु स्वर्ध गुण रहित होते हैं और उनमें तौल स्थान व क्रम का अन्तर होता है। किन्तु महर्षि कणाद द्वारा स्वीकृत परमाणु विशेष गण से युक्त होता है। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के आचार्यों ने परमाणुओं को स्वतः गमनशील और आत्मा को भी उत्पन्न करने वाला निरूपित किया है। वे अनन्त आकाश में विचरण करते हुए परस्पर सघर्ष से सृष्टि की उत्पत्ति करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तानुसार परमाणु स्वभावतः शांत एवं निष्पद अवस्था में होते हैं। उनमें स्पन्दन क्रिया अदृष्टजन्य है। अर्थात् जिस प्रकार अयष्कात मणि (चम्बक विशाष) की ओर सुई की स्वाभाविक गति वृक्षों में रस का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना और मन की द्रत गति अदृष्टजन्य है। ये परमाणु महाभूत को उत्पन्न करने वाले होते हैं। आत्मा स्वयं नित्य और चेतनावान् है। अतः परमाणुओं के द्वारा आत्म तत्व की उत्पत्ति का पाश्चात्य सिद्धान्त न केवल भ्रामक अपितु निमूल है। इस प्रकार भारतीय दर्शन की चित्त तन धारा से अनुप्राणित परमाणुवाद सिद्धान्त पाश्चात्य परमाणुवाद के सिद्धान्त से सर्वथा विपरीत है।

स्वभावोपरमवाद

स्वभावोपरम का सामान्य अर्थ होता है—कारण निरपेक्ष विनाश अर्थात् जिसके विनाश में कोई कारण न हो अथवा स्वभावतः (अपने आप) वस्तु का विनाश होना। यथा—स्वभावात् विनाशकारणनिरपेक्षात् उपरमो विनाश स्वभावोपरम। इसके अनुसार ससार के समस्त भावों का स्वभावतः उपरम (विनाश) होता है। अर्थात् विनाश का कोई कारण नहीं होता। भावों की प्रवृत्ति या वृद्धि का तो कोई कारण अवश्य होता है किन्तु भावों के विनाश का कोई कारण नहीं होता। वह स्वभावतः स्वतः हो जाता है। यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। चिकित्सा की दृष्टि से यह अत्यधिक उपयोगी सिद्धान्त है। महर्षि चरक ने शरीर की धातुओं पर इस सिद्धान्त की उपयोगिता का प्रतिपादन किया है। यथा—

जायते हेतुवषम्याद्विषमा देहघातव ।

हेतुताम्यात्समास्तेषां स्वभावोपरम सदा ॥

—चरकसंहिता सूत्रस्थान १६/२७

अर्थात् जिन कारणों से धातुओं की पुष्टि होती है उन कारणों में यदि विषमता आ जाती है तो शारीरिक धातुओं में भी विषमता आ जाती है। यदि कारणों में समता रहती है तो वेह धातुओं में भी समता हो जाती है। इन धातुओं की क्षान्ति (शमन या विनाश) स्वभाव से ही होती रहती है।

आयुर्वेद के अनुसार समस्त साधन भेषज एवं अन्य भौतिक द्रव्य क्षणभंगी हैं, फिर भी शमन होता है। उपयुक्त श्लोक द्वारा इसी तथ्य की पुष्टि होती है। शरीर में धातुओं की वृद्धि और ह्रास सतत होता रहता है। हम जो कुछ भी आहार लेते हैं उससे रसादि सप्त धातु वातादि दोष एवं पुरीषादि मल पुष्ट होते हैं। इसका कारण यह है कि - वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीतैर्विषयैः के अनुसार जिस धातु के समान आहार रस होता है वह आहार रस उस धातु की वृद्धि करने वाला होता है और जिस धातु के गुणों के विपरीत आहार रस होता है वह रस उस धातु का ह्रास करने वाला होता है। इसी तथ्य का स्पष्टीकरण चरक के उपयुक्त श्लोक में किया गया है।

यद्यपि सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार शरीर के दोष धातु-मल की वृद्धि और ह्रास हुआ करता है किंतु इन दोनों कारणों के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य करने पर भी धातुओं का क्षय हुआ करता है जिसकी पूर्ति आहार रस के द्वारा क्रमशः हुआ करती है। अर्थात् रस से रक्त रक्त से मांस मांस से मेद मेद से अस्थि अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु की पुष्टि होती रहती है। आहार का सवन करने के पश्चात् जब उसका मधुर विपाक होता है तब मधुर रस उत्पन्न होने से कफ की अम्ल विपाक होने पर अम्ल रस की उत्पत्ति होने से पित्त की और कट विपाक होने पर (कट रस का निर्माण) होने से वात की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शरीर में दोष धातु आदि का जो स्वभावतः क्षय (नाश) होता है उसकी पूर्ति आहार रस से होती रहती है। महर्षि चरक के मतानुसार भावों की प्रवृत्ति तो सहेतुक होती है किन्तु स्वभावोपरम अहेतुक होता है। यथा—

प्रवृत्तिहेतुर्भावानां न निरोधोऽस्ति कारणम् ।

केचित्तत्रापि मन्यन्ते हेतु हेतोरवर्तमानम् ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान १६/२५

अर्थात् उत्पन्न होने वाले भावों की प्रवृत्ति (उत्पत्ति) का तो कारण होता है किन्तु उसके निरोध (नाश) में कोई कारण नहीं होता है। कुछ योग हेतु का नहीं होना ही नाश में कारण मानते हैं।

अभिप्राय यह है कि रस रक्तादि धातुओं की उत्पत्ति में आहार रस आदि

कारण होते हैं। किंतु धातुओं के नाश होने में कोई कारण नहीं होता है। क्योंकि नाश स्वभावत ही होता रहता है। इसी प्रकार आहार की विषमता से धातुओं में विषमता उत्पन्न हो जाती है। किन्तु विषमता के नाश में कोई कारण नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुसार जो यह बतलाया गया है कि—मधुराम्ललवणा वात श्लेष्मन्ति अर्थात् मधुर अम्ल और लवण रस से वायु का शमन होता है उसका नाश होता है। इसका अभिप्राय यह है कि मधुरादि रस अपने समान गण वाले दोष धातु की वृद्धि करने वाले होते हैं। ये बढ़ हुए दोष धातु अपने से विपरीत गुण वाले दोष धातु को स्वभाव कम कर देते हैं। अतः ये रस वात शामक हैं—ऐसा कहा जाता है। मधुर, अम्ल और लवण रस पूण रूप से कफ की वृद्धि करते हैं और अम्ल लवण रस पूण रूप से पित्त की वृद्धि करते हैं। अतः इससे विपरीत गुण वाली वायु में स्वभावत दुर्बलता आ जाती है। वायु में जब दुर्बलता आ जाती है तो स्वभावत उसका शमन हो जाता है। इसी प्रकार अय दोष और धातुओं के विषय में भी समझना चाहिए कि अपने विपरीत गण वाले दोष और धातु की वृद्धि हो जाने पर स्वभावत उनका क्षय हो जाता है। इसीलिए उत्पत्ति में कारण माना है विनाश में नहीं। इसी तथ्य को महर्षि चरक ने निम्न प्रकार से और भी अधिक स्पष्ट किया है। यथा—

न नाशकारणाभावाद् भावानां नाशकारणम् ।

ज्ञायते नित्यगस्यैव कालस्यात्ययकारणम् ॥

शीघ्रगत्याह्वयाम्नास्तास्तथाभावो विपद्यते ।

निरोध कारण तस्य नास्ति नवान्यथा क्रिया ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान १६/३२ ३३

अर्थात् नियम चलने वाले काल के नाश के कारण की तरह नाश के कारण का अभाव होने से उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थों के नाश का कारण ज्ञात नहीं होता है। भाव पदार्थ जिस तरह उत्पन्न होता है उसी प्रकार शीघ्रगामी होने से नष्ट भी हो जाता है। इस तरह भाव पदार्थ के नाश में कोई कारण नहीं है और उसमें कोई छत्कार भी नहीं किया जा सकता है। अभिप्राय यह है कि जैसे नित्य शीघ्रगामी काल का नाश अज्ञात कारण से होता है उसी प्रकार भावों के विनाश का कारण भी अज्ञात है। काल निरन्तर गमनशील है इसकी उपस्थिति में शरीर एवं सस्यार के सम्पूर्ण भाव भी गमनशील तथा परिवर्तनशील हैं। जो भाव नष्ट हो जाते हैं उनके स्थान पर नए भाव उसी भाँति उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भाव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। विनाश अकारण होने से इस विनाश को रोका नहीं जा सकता है तथा विनष्ट हुए द्रव्य को दूबरे रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार शरीर भी धातुएँ भी प्रतिक्षण नष्ट होती रहती हैं और रूपान्तर में परिणत होती रहती हैं। धातुओं के परिणाम और निरोध (विनाश) में कोई कारण नहीं है और इसके स्वरूप में हम कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते। जो वस्तु जिस समय जिस रूप में अवस्थित रहती है वह वस्तु दूसरे ही क्षण में ठीक अपने ही समान वस्तु को उत्पन्न कर तीसरे क्षण में स्वयं नष्ट हो जाती है। कर्मात् प्रथम क्षण में स्वयं उत्पन्न होती है दूसरे क्षण में अपने समान वस्तु को उत्पन्न करती है और तीसरे क्षण में स्वयं नष्ट हो जाती है। जब वस्तु तीसरे क्षण में स्वतः नष्ट होने लगती है तो उसमें किसी कारण की अपेक्षा नहीं होती। किन्तु ये क्रियाएँ इतनी तीव्र गति से सम्पन्न होती हैं कि सामान्यतः हमें इसका ज्ञान नहीं हो पाता। तात्पर्य यह कि उसकी प्रथम अवस्था के नाश में कोई कारण नहीं है और उसके विनाश में कोई मिल्न क्रिया भी नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि दोषों के विषम होने पर रोगोत्पत्ति होती है। यह विषमावस्था प्रथम क्षण में उत्पन्न होती है दूसरे क्षण में अपने समान ही विषम अवस्था को उत्पन्न कर तीसरे क्षण में स्वयं नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पहले की विषमावस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है। अतः उसे कम करने के लिए चिकित्सा शास्त्र की आवश्यकता होती है।

वैज्ञानिक दृष्टि में विचार करने पर सभेप में कहा जा सकता है कि शरीर में सदा निर्माण और उपरम (Wear and tear phenomena) का कार्य चल रहा है। Wear Phenomenon (निर्माण) में तो आहार आदि से पूति होने के कारण वह सहेतुक है। किन्तु Tear Phenomenon (उपरम) सदा स्वाभाविक (Natural) गति से ही होता है और वह अहेतुक है। स्वाभावो परमवाद वर्तमान वैज्ञानिक विचार सरणि से अत्यधिक मिलता जुलता है। प्राचीन दर्शनों में यह बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धान्त है।

परिणामवाद

परिणाम का अर्थ होता है परिवर्तन होना परिणत होना या बदल जाना। जब कोई वस्तु अपना स्वरूप परिवर्तन कर अन्य रूप धारण कर लेती है तो वह परि वर्तित रूप पूर्व वाली वस्तु का परिणाम कहलाता है। यह रूपान्तरण या विकार भी कहलाता है। जैसे दूध जब जम जाता है तो वह दही बन जाता है। अतः दही दूध का परिणाम या विकार कहलाता है। इसी प्रकार पानी जब जम जाता है तो वह ठोस रूप धारण कर बर्फ बन जाता है। पानी का यह रूपान्तरण भी परिणाम ही कहलाता है। दार्शनिकों ने इसे ही परिणामवाद की संज्ञा दी है। सर्वत्र दर्शन में परिणामवाद को मान्य किया गया है। इसी के आधार पर सांख्य दर्शन में सृष्टि के

उत्पत्ति क्रम की विवेचना की गई है। साध्य दसन में कुट्टि की उत्पत्ति का मूल कारण प्रकृति को माना गया है जिसे अव्यक्त के नाम से व्यवहृत किया गया है। यह कार्य रूपा सम्पूर्ण सृष्टि (सम्पूर्ण चराचर जगत) उसी मूल कारण रूप प्रकृति या अव्यक्त का परिणाम है। इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से परिणामवाद की उपयोक्तृत्वा स्वीकार की गई है।

आयुर्वेद में परिणामवाद की प्रतीति स्थान-स्थान पर होती है। हम प्रतिप्रिय जो आहार ग्रहण करते हैं उसका पाचन होकर वह सार और किट्टि रूप में परिवर्तित होता है। सार भाग रस कहलाता है और किट्टि भाग मल या पुरीष कहलाता है। इस प्रकार भुक्त आहार का परिणाम रस और पुरीष होता है। इसी प्रकार उस आहार रस का कुछ अश रस धातु में रस धातु का कुछ अश मांस धातु में मांस धातु का कुछ अश मेदो धातु में मेदो धातु का कुछ अश अस्थि धातु में अस्थि धातु का कुछ अश मज्जा धातु में और मज्जा धातु का कुछ अश शुक्र धातु में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एक धातु की उत्तरोत्तर धातु में परिणति होना परिणामवाद की ही ज्ञापक है। महर्षि सुश्रुत ने धातुओं का उपयुक्त परिणाम निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है —

रसाव्रक्त ततो मांस मासान्मेद प्रजायते ।

मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जा शुक्रस्य सम्भव ॥

—सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान १५/११

इसी प्रकार शरीर में जाठराग्नि के द्वारा आहार का परिपाक होने के अनन्तर जो रसो पत्ति होती है तथा रसों के परिपाक (परिणाम) के अंत में जो भाव विशेष उत्पन्न होता है वह विपाक कहलाता है। अतः विपाक भी रसों का परिणाम ही है। यही भाव आचार्य वाग्भट ने निम्न प्रकार से व्यक्त किया है —

जाठरेणाग्निना योगाद्यदुदेति रसान्तरम् ।

रसाना परिणामन्ते स विपाक इति स्मृत ॥ —अष्टांग हृदय

महर्षि चरक ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रस रक्तादि धातुएँ परिणाम को प्राप्त होती हैं और परिणाम को प्राप्त होने वाली उन धातुओं का अभिवहन करने वाले स्रोत होते हैं। इस प्रकार उहे भी परिणामवाद अभीष्ट था। इसका आभास उनके निम्न वचन से मिलता है—

स्रोतांसि कालु परिणाममापद्यमानानां धातूनामभिव्याहोनि भवन्त्ययनार्थेन ।

—चरक संहिता विचित्र स्थान ५/३

इस सूत्र वाक्य में प्रयुक्त परिणाममापद्यमानानाम् शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य चक्रपाणि दत्त ने निम्न प्रकार से उसे स्पष्ट किया है—

अर्थात् विरुद्ध (विपरीत या मिथ्या) 'यवहार (प्रतीति या आभास) जिसमें हो वह विवर्त कहलाता है। किसी वस्तु में यथाथ प्रतीति न होकर भ्रम भूलक मिथ्या या विपरीत प्रतीति होना विवर्तबाध है। जब हम किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में न जान कर किसी अय वस्तु के रूप में जानते या समझते हैं तो वह विवर्त कहलाता है। जैसे थोड़ी दूर पर पडी हुई रस्सी को सप समझ कर डर जाना। यहा पर रस्सी में सप का मिथ्या ज्ञान हुआ। इसी प्रकार साय काल के झुरमुट में किंचित दूरस्थ स्थाण (ठ ठ) को देखकर उसे पुरुषाकृति समझना विपरीत या मिथ्या ज्ञान के कारण विवर्तबाध है।

विवर्तवाद का समर्थन एव प्रतिपादन शाङ्कर वेदान्त के द्वारा किया गया है। आचार्य शंकर की भायता है कि विवर्तवाद के अनुसार वस्तुत कारण अपने काय रूप में परिवर्तित नहीं होता है जसा कि परिणामवाद में होता है अपितु कारण में मात्र कार्य की प्रतीति होने लगती है। इसमें रस्सी बदल कर सप नहीं बन जाती है या स्थाणु बदल कर पुरुष नहीं हो जाता है अपितु रस्सी में सप का और स्थाणु में पुरुषाकृति का आभास होने लगता है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप का परिवर्तन हुए बिना उसमें होने वाला विपरीत या मिथ्या ज्ञान अतात्विक अन्यथा प्रतीति होता है। इसे ही विवर्तवाद की सज्ञा दी गई है। इसमें सय और यथार्थ का अभाव रहता है। परिणामवाद की भाति वस्तु स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। कार्य या कारण अपने मौलिक स्वरूप में ही विद्यमान रहता है। अत यह अतात्विक अन्यथा प्रतीति होता है।

वेदान्तवादी दार्शनिक ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' का उद्घोष करते हुए सम्पूर्ण चराचर विश्व को मिथ्या मानते हैं। उनके अनुसार जगत् में मात्र ब्रह्म ही सत्य है शेष समस्त पदार्थ मिथ्या है। अत सम्पण जगत और उसमें विद्यमान समस्त पदार्थ मिथ्या होने से वितत रूप हैं। ब्रह्म कारण है और जगत उसका कार्य है। इस प्रकार काय रूप यह सम्पूण जगत कारण रूप ब्रह्म का विवर्त है। वेदान्त दशन में इस तथ्य का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया गया है—

ब्रह्मैव सज्जगद्विदु तु विवर्तरूपम।

मायेशशक्तिरखिल जगदात्मनोति ॥

अर्थात् ब्रह्म ही सत् (सत्य) है और यह ससार विवर्त रूप है। माया की शक्ति के कारण यह सम्पूण जगत् सत् स्वरूप प्रतिभासित (प्रतीत) होता है।

आयुर्वेद शास्त्र में विवर्तवाद कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। अत स्पष्ट है कि आयुर्वेद के मनीषियों को विवर्तवाद अभीष्ट नहीं है। किसी भी प्रसव में उन्होंने

इसका सम्बन्ध नहीं किया है। विषया ज्ञान होने से सम्बन्ध का अनुबोध में इसकी कोई उपयोगिताएँ एवं सार्थकता नहीं है। अन्य दशान शास्त्रों में भी इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

क्षणभंगुरवाद

इस सिद्धान्त के अनुसार संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। प्रत्येक भाव की एक क्षण में उत्पत्ति दूसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण में विनाश हो जाता है। इस प्रकार संसार का प्रत्येक द्रव्य या भाव प्रतिक्रमण परिवर्तित होता रहता है। यह बौद्धों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त है। इसके अनुसार बौद्ध प्रतिक्रमण तथा उत्पाद मानते हैं। उसकी दृष्टि में पूर्व एवं उत्तर के साथ वर्तमान का कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस काल में जो जहाँ है वह वहीं और उसी काल में नष्ट हो जाता है। सद्गता ही काय-कारण भाव आदि व्यवहारों की नियामिका है। वस्तुतः दो क्षणों का परस्पर कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार बौद्धों की दृष्टि में प्रत्येक द्रव्य की सत्ता क्षणिक होती है। यही बौद्धों का क्षणभंगुरवाद है। इसे असत्कायवाद की सज्ञा भी दी गई है।

क्षणभंगुरवाद बौद्ध दशान का सबसे बड़ा और प्रमुख सिद्धान्त है। इस वाद के अनुसार बिच में कुछ भी स्थिर नहीं है। चारों ओर परिवर्तन ही परिवर्तन दृष्टि गोचर होता है हमें अपने शरीर पर ही विश्वास नहीं है क्योंकि इस मानव देह और मानव जीवन का ही कोई ठिकाना नहीं है। बौद्ध दशान में भावनाओं के कारण ही क्षणभंगुरवाद का आविर्भाव हुआ है। जैसे तो प्रत्येक दशान ही भय (नाश) को मानता है किन्तु बौद्ध दशान की यह विशेषता है कि उसने जिस भय को अपनाया है उसके अनुसार कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थिर नहीं रह पाती है अगले (दूसरे) ही क्षण वह बही या उसी रूप में नहीं रहती है अपितु परिवर्तित या दूसरी हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक क्षण में स्वाभाविक विनाश होता रहता है।

बौद्ध दशान में तक के आधार पर क्षणिकत्व की सिद्धि इस प्रकार की गई है—
सर्व क्षणिक सत्त्वात् अर्थात् समस्त पदार्थ क्षणिक हैं सत् होने से। सत् वह है जो अर्थ क्रिया (कुछ काम) करे। जसा कि कहा गया है—'अचक्रियान्नामध्यालक्षणान्वाद् वस्तुम् । न्यायविन्दु पृ १७। इसके अनुसार इस ढङ्ग की अनेक व्याप्तियाँ बनी हुई हैं कि जो-जो सत् है वे सभी क्षणिक हैं अर्थात् नित्य नहीं हैं अथवा जो-जो सत् है वह सभी प्रकार से एक दूसरे से भिन्न और विलक्षण है। अर्थात् कोई भी किसी के समान नहीं है। उससे अतिरिक्त अन्य स्थानों में सत्पने का ध्याभाव हो जाने से अर्थ क्रिया की क्षति है। सम्पूर्ण सत् पदार्थ एक ही क्षण में सर्वथात या समस्त विच्छेद को प्राप्त

ही जाने वाले स्वभाववान हैं। अर्थात् प्रतिक्षण बिनाश हीना उत्पन्ना स्वभाव है। अन्तिमप्रायः यह है कि एक क्षण में ही उत्पन्न होकर आत्मलाभ करते हुए द्वितीय क्षण में बिना कारण ही ध्वंस को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रतिक्षण नवीन-नवीन उत्पन्न हो रहे पदार्थ सभी प्रकार से परस्पर में भिन्न एव विलक्षण होते हैं। कोई किसी के सदृश या समान नहीं होता है। बौद्धों के इस सिद्धांत के अनुसार सूय चद्रमा आत्मा सर्वज्ञ प्रत्यक्ष परमात्मा आदि पदार्थों के भी उत्तरोत्तर होने वाले असंख्य परिणाम सदृश नहीं भिन्न होते हैं।

बौद्ध दर्शन की मान्यता है कि नित्य वस्तु में अर्थ क्रिया नहीं हो सकती। क्योंकि नित्य वस्तु न तो युगपद् अथक्रिया करती है और न क्रम से। नित्य वस्तु यदि युगपत् अर्थक्रिया करती है तो ससार के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समर्थ में ही उत्पन्न हो जाना चाहिये और ऐसा होने पर आगे के समर्थ में नित्य वस्तु को कुछ भी काम करने को शेष नहीं बचेगा। अतः वह अर्थ क्रिया के अभाव में अवस्तु ही जायेगी। इस प्रकार नियम में युगपत् अथक्रिया नहीं बनती है। नित्य वस्तु क्रम से भी अर्थ क्रिया नहीं कर सकती तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सहकारी कारण उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं या नहीं? यदि सहकारी कारण नित्य में भी कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं तो वह नित्य नहीं रह सकती और यदि सहकारी कारण नित्य में कुछ भी विशेषता उत्पन्न नहीं करते हैं तो सहकारी कारणों के मिलने पर भी वह पहले की तरह काय नहीं कर सकेगी। दूसरी बात यह भी है कि नित्य स्वयं समर्थ है अतः उसे सहकारी कारणों की कोई अपेक्षा नहीं होगी फिर क्यों न वह एक समय में ही समस्त काय कर देगी। इस प्रकार नियम पत्थाय म न तो युगपद् ही अर्थक्रिया हो सकती है और न क्रम से। अथक्रिया के अभाव में वह सत भी नहीं कहला सकता। इसलिए जो सत् है वह नियम से क्षणिक है। क्षणिक ही अर्थक्रिया कर सकता है। यही क्षणभंगुरवाद है।

क्षणभंग के कारण ही बौद्ध दर्शन पदार्थों के विनाश को निर्हेतुक मानता है। विनाश प्रत्येक क्षण में स्वयं होता है किसी दूसरे के द्वारा नहीं। दण्ड के द्वारा (डण्डा मारने से) घट का जो विनाश होता हुआ देखा जाता है वह घट का विनाश नहीं अपितु कपाल की उत्पत्ति है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन क्षणभंगवाद के आधार पर प्रतिक्षण वस्तु को नवीन उत्पत्ति मानता है।

पौलू पाक—पिठर पाक

पौलू पाक एव पिठर पाक ये द्वौ सिद्धान्त क्रमशः वैशेषिक एवं न्याय दर्शन

इससे अतिवर्धित किए गए हैं। इन दोनों सिद्धान्तों का सम्बन्ध मुख्यतः पाक क्रिया से है जिसके द्वारा द्रव्यगत परिवर्तन होता है। द्रव्य के रूप रस गन्ध में जो परिवर्तन होता है उसका मूल कारण तेज (अग्नि) का संयोग माना गया है। जैसे जल जब कचका होता है तो रूप में वह हवा रस में अम्लीय और तपनरूप गन्ध आता होता है। वही जल तेज संयोग बसात प्रक जाने पर पीत वर्ण, मधुर रस और तदनुरूप गन्ध आता हो जाता है। जल के इस रूप परिवर्तन में पाक क्रिया ही मूल कारण है जो तेज संयोगजनित होती है।

वैशेषिक रस के अनुसार तेज संयोग के कारण होने वाली पाक क्रिया के परिणाम स्वरूप द्रव्य में जो परिवर्तन होता है वह मूलतः द्रव्यगत परमाणुओं में होता है न कि सम्पूर्ण द्रव्य में। वैशेषिक दखान च कि प्रत्येक द्रव्य को परमाणुओं का समुदाय मानीता है अतः द्रव्य में बिखलाई पड़ने वाला परिवर्तन भी उसके मतानुसार परमाणु निष्ठ होता है। जब कच्चे घड़े को आग पर चढ़ाया जाता है तो पुराना घड़ा नष्ट हो ही जाता है। इसका कारण यह है कि घड़े का अग्नि के साथ संयोग होने से एक प्रकार का अभिघात या नोदन होता है जिससे घड़े में बिघटन होता है। इस बिघटन से घड़े के परमाणुओं के अंतरम्भक संयोग का नाश होता है और संयोग नाश होने से घट द्रव्य का नाश होता है अर्थात् वह परमाणुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अग्नि का ताप लगने से परमाणुओं में लाल रंग उत्पन्न होता है और बिघटित परमाणु पुनः सघटित-सयुक्त होकर एक नवीन घड़े को उत्पन्न करते हैं। इस मत के अनुसार पहले समस्त इकाई का परमाणुओं के रूप में बिघटन होता है और फिर उसके पश्चात् उन परमाणुओं का पुनः सघटन होकर नए सिरे से एक नवीन इकाई का निर्माण होता है।

इसी प्रकार जब रोटी का पाक जनित रूपान्तर होता है तो प्रथम उसके परमाणुओं में बिघटन की क्रिया होती है पश्चात् परमाणु पाक होकर उनमें रूपान्तर हो जाता है और उन पाक को प्राप्त हुए उन परमाणुओं से पुनः रोटी का निर्माण होता है। वैशेषिक मतानुसार घट का विच्छेदन और पुनर्निर्माण इतनी शीघ्र गति से होता है कि इन दोनों क्रियाओं के मध्य काल का ज्ञान नहीं हो पाता। इस प्रकार यह एक जटिल प्रक्रिया है जो चक्षुगम्य वा चक्षुः का विषय नहीं है क्योंकि यह अत्यन्त द्रुत गति से केवल नौ क्षणों के ये व्यवधान में सम्पन्न हो जाती है।

नैय्यायिकों को वैशेषिक दखान का उपयुक्त सिद्धान्त उपयुक्त प्रतीत नहीं होता अतः वे इससे सहमत नहीं हैं। वे परमाणु पाक की अपेक्षा सम्पूर्ण बिघटन का को मानते हैं। उनके मतानुसार यदि द्रव्य के प्रत्येक अवयव (परमाणु) का पाक जाना जाय जिससे पूर्व द्रव्य का नाश और पुनः उसी द्रव्य की (नवीन) उत्पत्ति मानी जाय

तो ऐसा मानने में गौरव होगा। क्योंकि नवीन द्रव्य की उत्पत्ति में कारभान्तर की स्वीकार करना पड़ेगा। अतः उनके मतानुसार घटादि अव्ययी द्रव्य में सूक्ष्म छिद्र होने से अग्नि के सूक्ष्मावयव उनमें प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण द्रव्य (घट) का पाक करते हैं। इस परिपाक के परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण द्रव्य के रूप रंग रस-गुण आदि में परिवर्तन आ जाता है। इस मतानुसार न तो द्रव्य का नाश होता है और न उसकी नवीन उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह पिठरपाक कहलाता है। नैय्यायिक इसी पिठर पाक की पुष्टि करते हैं जो युक्तियुक्त प्रतीत होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि इन्द्रिय गम्य पदार्थों पर ताप का असर होता है जो यह दर्शाता है कि वे सर्वथा ठोस नहीं अपितु सच्छिद्र होते हैं।

नैय्यायिक लोग विशेषिक की पीलूपाक प्रकल्पना पर इम आघार पर आपत्ति उठाते हैं कि यदि पहला घडा नष्ट हो गया और उसके स्थान पर सर्वथा नवीन घडा उत्पन्न हुआ तो दूसरे घड को वही पुराना घडा कैसे कहा जा सकता है? और दोनो घडो को एक ही कैसे माना जा सकता है? हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम उसी पुराने घड को देखते हैं जिसे पहले देखते थे भेद केवल रंग का है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि वैशेषिक के मत में पृथ्वी के परमाणुओं का गुण और गद्य भी अनित्य है जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। कच्चे घडे और पक्के घड में केवल पाक जनित रूपान्तर होता है न कि पर्वघट का विनाश और नवीन घट की उत्पत्ति। यही कारण है कि नय्यायिक सम्मत सिद्धांत में हमें 'सैवाय घट इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा' बनी रहती है। यही प्रत्यभिज्ञा इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में प्रमाण है।

अनेकान्तवाद

एकांत से भिन्न या विपरीत अनेकान्त है। एकांत में एक ही पक्ष का कथन या प्रतिपादन होता है जबकि अनेकान्त में अन्य पक्ष का भी प्रतिपादन किया जाता है। एकांत के अनुसार जो कथन किया जाता है उसमें यह बात ऐसी ही है इसका प्रतिपादन किया जाता है जबकि अनेकान्त के अनुसार ही के स्थान पर भी शब्द को विलेश महत्व दिया जाता है। अर्थात् यह बात ऐसी ही है कहने की अपेक्षा "यह बात ऐसी भी है" — इस प्रकार कहा जाता है। अनेकान्त में एक ओर जहां पक्ष विशेष या दृष्टिकोण का एक पहलु है वही दूसरी ओर दूसरा पक्ष यह पहलु भी कहा जाता है। अतः उसमें दृष्टिकोण की व्यापकता विद्यमान रहती है। अनेकान्त में दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना पहला पक्ष। अतः यह समसता के दृष्टिकोण पर आधारित है। यही कारण है कि शास्त्र में एक स्थान पर जो बात कही गई है अन्य स्थान पर वही बात अन्यथा रूप में या भिन्न प्रकार से कही जा सकती है।

इसका कारण वहाँ प्रसंग या विषय की भिन्नता है। इसीलिए उसमें व्यापकता का दृष्टिकोण रहता है। दृष्टिकोण की व्यापकता उदारता की सूचक होती है जिससे दूसरे के मत को समझने में सहृदयता मिलती है। अनेकान्त के कारण विरोधभाव और विग्रह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती और वातावरण में सौम्यता बनी रहती है।

अनेकात् का अर्थ सामान्यतः इस प्रकार से किया जा सकता है—न एकान्त इति अनेकान्त अर्थात् जिसमें एकान्त (एक पक्ष का प्रतिपादन) न हो या जो एकान्त से विपरीत हो वह अनेकान्त है। इसी प्रकार अन्य व्याख्या के अनुसार अनेके अन्तः धर्मा यस्मिन् सोऽनेकान्त अर्थात् जिसमें अनेक अन्तः यानी धर्म हो वह अनेकान्त है। धर्म शब्द यहाँ स्वभाववाची है। कहीं-कहीं यह गुण के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यही कारण है कि वस्तु के लिए सामान्यतः कहा जाता है कि वह अनेक या भिन्न गुण धर्म वाली है। जैसे आयुर्वेद के अनुसार वायु में रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर आदि अन्याय गुण धर्म पाए जाते हैं। पित्त में उष्णता तीक्ष्णता द्रवता स्नेह अम्लता सर कट आदि गुण पाए जाते हैं और श्लेष्मा में शैत्य श्वस्य स्निग्धता गुरुता श्लक्ष्णता आदि गुण पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि वस्तु या द्रव्य अनेक गुण धर्मात्मक है।

अनेकात्त म आग्र के लिए कोई स्थान नहीं है। आग्र ही दृष्टिकोण को सकुचित या एकपक्षीय बनाता है। किसी भी वस्तु के विषय म आग्र-पूर्वक जब कहा जाता है तो उससे वस्तु स्वरूप का वास्तविक प्रतिपादन नहीं हो पाता। यही कारण है कि वस्तु को जसा समझा जाता है वह केवल वैसी ही नहीं है, उससे भिन्न कुछ अन्य स्वरूप भी उसका है जिसे जानना या समझना आवश्यक है। जैसे देवदत्त अमुक लडके का पिता है जब यह कहा जाता है तो वस्तुतः पुत्र की अपेक्षा से वह पिता है अतः यह ठीक है। किन्तु वह देवदत्त केवल पिता ही नहीं है अपितु वह अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र भी है और अपनी बहिन की अपेक्षा से भाई तथा मामा की अपेक्षा से भान्जा भी है। इस प्रकार वह एक ही देवदत्त अनेक धर्मात्मक है। इसका स्वरूप अथवा वह वस्तुस्थिति अनेकान्त के द्वारा भली भाँति समझी जा सकती है।

आयुर्वेद शास्त्र म भी अनेकात्त का आशय लिया गया है और उसके आधार पर वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है—यह अनेक उद्धारणो से सुस्पष्ट है। आयुर्वेद में जहाँ अनेकान्त के आधार पर विभिन्न विषयों का प्रतिपादन एवं चम्पीर विषयों का विवेचन किया गया है वहाँ उन्नतपुक्ति प्रकरण के अन्तगत उसका परिचय कर उसके स्वतंत्र अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। आयुर्वेद-शास्त्र में कुल ३६ उन्नतपुक्तियाँ प्रतिपादित की गई हैं जिनमें अनेकान्त भी एक उन्नतपुक्ति है। आयुर्वेद शास्त्रकारों ने विभिन्न-विभिन्न प्रकार से अनेकान्त की व्याख्या की है जो अपने-अपने

दृष्टिकोण से उपयुक्त है। सबप्रथम आचार्य चक्रपाणि दत्त द्वारा विहित व्याख्या का अनुशीलन करते हैं जो निम्न प्रकार है—

अनेकान्तो नाम अयतरपक्षानवधारण यथा—ये ह्यातुरा भेषजावृत भ्रियन्ते न च ते सब एव भेषजोपपन्ना समस्तिष्ठन्तः ।

—चरक संहिता सिद्धिस्थान १२/४३ पर चक्रपाणि टीका

अर्थात् दूसरे पक्षों का अनवधारण करना अनेकान्त कहलाता है। जैसे—जो रोगी केवल भेषज के बिना मर जाते हैं वे सभी रोगी भेषज से युक्त होने पर ठीक नहीं होते।

यहां पर केवल एक पक्ष का ही कथन महर्षि द्वारा नहीं गया है अपितु अन्य पक्ष का समर्थन भी किया है। जो रोगी पूण चिकित्सा नहीं मिल पाने के कारण मर जाते हैं वे सभी रोगी पूण चिकित्सा मिलने पर ठीक हो ही जाते हैं यह आवश्यक नहीं है। अर्थात् उनमें से भी कुछ रोगी पूण चिकित्सा मिलने पर भी मर जाते हैं—यह आशय है। यहाँ पर महर्षि ने अपनी बात कहने के लिए अनेकान्त का आश्रय लिया है। इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सभी व्याधियाँ उपाय-साध्य नहीं होती हैं। जो रोग उपाय (चिकित्सा) से साध्य हैं वे बिना उपाय (चिकित्सा) के अच्छे भी नहीं होते। असाध्य व्याधियों के लिए षोडशकल भेषज (चिकित्सा) का विधान भी नहीं है क्योंकि विद्वान और ज्ञान सम्पन्न वच भी मरणोन्मुख रोगियों को अच्छा करने में समर्थ नहीं होते।

अनेकान्त को महर्षि सुश्रुत ने कुछ दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है जो भिन्न आशय का द्योतक है। जैसे—

कश्चित्तथा कश्चिदभ्यसति य सौजनकान्त यथा—कश्चिदाचार्या कुर्वते द्रव्य प्रधान केचिद् रस केचिद् वीर्य कश्चिद् विपाकमिति ।

—सुश्रुत संहिता उत्तरतत्र ६५/२४

अर्थात् कहीं ऐसा और कहीं अन्यथा (दूसरा) इस प्रकार जो कथन किया जाता है वह अनेकान्त है। जैसे—कुछ आचार्य द्रव्य को प्रधान बतलाते हैं कुछ रस को कोई वीर्य को प्रधान मानते हैं तो कोई विपाक को।

यहाँ जो उदाहरण दिया गया है वह समन्वय एवं व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिपादक है। आयुर्वेद शास्त्र में सामान्यतः द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव में द्रव्य को प्रधान माना गया है किन्तु पथक पथक रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव को प्रधान मानने वाले आचार्यों के मतों को भी समाहित किया गया है जो अनेकान्त पर आधारित है। इसमें यद्यपि कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है किन्तु वस्तुतः वह विरोध या विरोधाभास न होकर दृष्टिकोण की उदारता और व्यापकता है जो समन्वय मूलक है।

महर्षि चरक ने केवल तत्रयुक्ति के रूप में ही अनेकान्त को नहीं अपनाया है, अपितु सिद्धान्त रूप में भी उसका प्रतिपादन किया है। तद् विषयक अनेक उद्धरण चरक संहिता में उपलब्ध होते हैं। उन्होंने विभिन्न पक्षों के एकात्मिक दुराग्रह को निंदा करते हुए एक स्थान पर कहा है—

तथर्षीणां विचरतामुवाचेह पुनवसु ।

मम बोधत तत्त्व हि बुध्याप पक्षसंभ्रयात् ॥

वादान सप्रतिवादान् हि ब्रह्मो विचिन्तानिच ।

पक्षान्त नव गच्छन्ति तिसपीडकबद्धतौ ॥

मुक्त्वच वावसधट्टमध्यात्मयुचिन्त्यताम ।

नाविभूते तम स्फुन्धे ज्ञेये ज्ञान प्रवर्तते ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान २५/२६ २५

अर्थात् इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए ऋषियों के बचन सुनकर पुनर्वसु ने कहा कि आप लोग ऐसा नहीं कहे। क्योंकि अपने-अपने पक्षों का आश्रय लेकर विवाद करने से तत्त्व को प्राप्त करना दुष्कर होता है। अर्थात् सिद्धांत का निर्णय नहीं हो पाता। वाद (उत्तर) और प्रतिवाद (प्रत्युत्तर) को निश्चित सिद्धांत की तरह कहते हुए किसी एक पक्ष के अन्त तक नहीं पहुँचा जा सकता है। जैसे तेल पेरने वाला बेल एक निश्चित घेरे में घमता हुआ जहाँ से आरम्भ करता है पुन वही पहुँच जाता है। उसी प्रकार एक पक्ष का आग्रहपूर्वक आश्रय करने वाला वाद विवाद करता हुआ अन्य पक्ष के खण्डन और स्वपक्ष के मण्डन पूर्वक पुन उसी बिंदु पर आ जाता है जहा से उसने आरम्भ किया था। अत वाद विवाद की प्रक्रिया को छोड़कर अध्यात्म (यथार्थ तत्त्व) का चिन्तन करना चाहिए। क्योंकि जब तक अज्ञान रूपी तम का नाश नहीं होता है, तब तक ज्ञेय (जानने योग्य) विषय में ज्ञान नहीं होता है।

अनेकान्त प्रतिपादन की दृष्टि से पुनवसु आश्रय का उपयुक्त कथन विशेष महत्वपूर्ण है। एकात्मवादियों के द्वारा स्वरूप प्रतिपादन हेतु किए गए प्रयास की तुलना उन्होंने तेल पेरने वाले मनुष्य से की है जो निरन्तर एक निश्चित दायरे में घूमता हुआ एक ही बिन्दु पर पुन आ जाता है और अन्य बातें उसके लिए महत्वहीन एवं निःसार होती हैं। पुनर्वसु आश्रय ने अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि जब किसी वस्तु या विषय विशेष के अन्वेषण एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रवृत्ति की जाती है तो आग्रह पूर्वक स्वपक्ष या अपनी बात दूसरों पर नहीं लादी जानी चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे न तो वस्तु स्वरूप की मर्वाचा की प्रतीति होना सम्भव है और न ही उससे लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है। एकान्त सर्वैव मत-भेदों को बढ़ाता है जबकि अनेकान्त उन्हें दूर कर सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करता

है। एकान्त-एकांगी होता है अतः उससे वस्तु का एक पक्ष ही उद्भासित होता है और सत्य की पूर्णता उसे विवृत नहीं कर पाती है। सत्य की अपूर्णता वस्तु के यथाथ स्वरूप के प्रतिपादन में बाधक होती है और कई बार उससे भ्रामक बातें ही प्रचारित की जाती हैं किन्तु अनेकान्त के द्वारा ऐसा नहीं होता।

यह निर्विवाद और असदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि महत्त्वपूर्ण विषयों के प्रतिपादन में आयुर्वेद शास्त्र में स्थान-स्थान पर अनेकान्त का आश्रय लिया गया है। जैसे वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ कतिपय दुराग्रही एवं एकातवादी लोगों का यह दृढ़ मत है कि विष का प्रयोग सवथा जीवन का हरण करता है। तीक्ष्ण विष के प्रयोग से तो मनुष्य का प्राणान्त अवश्यम्भावी है। किन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। इसी तथ्य को जब अनेकान्त के परिप्रक्षय में देखा गया तो महर्षि अग्निवेश को कुछ और ही अनुभव हुआ। उन्होंने तीक्ष्ण विष के विषय में स्वानुभूत तथ्य का विवेचन इस प्रकार से किया है—

योगाह्वयि विष तीक्ष्णमत्तम भेषज भवत् ।

भषज चापि द्रुय क्त तीक्ष्ण सन्पद्यते विषम ॥

तस्मान्न भिषजा युक्त यन्तिबाह्य न भषजम ।

धीमता किञ्चिद्वादेय जीवितारोग्यकाक्षिणा ॥

—चरक संहिता सूत्रस्थान १/१२६ २८

अर्थात् विधि पूर्वक सेवन (प्रयोग) करने से तीक्ष्ण विष भी उत्तम औषधि हो जाता है और अविधि पूर्वक प्रयोग की गई श्रेष्ठ औषधि भी तीक्ष्ण विष बन जाती है। इसलिए जीवन और आरोग्य की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा युक्ति बाह्य (युक्ति पूर्वक प्रयोग नहीं करने वाले) वैद्य से कोई भी औषधि नहीं लेना चाहिये।

यहाँ पर अपेक्षा पूर्वक विष का विषत्व और भषजत्व प्रतिपादित किया गया है। साथ ही युक्ति पूर्वक प्रयोग की अपेक्षा से औषधि का भेषजत्व और विषत्व बतलाया गया है। इस प्रकार का प्रतिपादन अनेकान्त का आश्रय लिये बिना सम्भव नहीं है। क्योंकि युक्ति की अपेक्षा से ही भषज श्रेष्ठ औषधि हो सकता है। यदि युक्ति की पेशा न रखी जाय तो बही भेषज रोगी का प्राणहरण कर सकती है। जैसा कि आजकल प्रायः देखा जाता है कि स्टेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन के इजेक्शन के प्रयोग में बरती गई जरा सी असावधानी रोगी का प्राणान्त कर देती है। यही इजेक्शन अच्छी तरह विचार कर विधि पूर्वक प्रयोग किए जाने पर जीवनदायी बन जाता है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य को संखिया कुचला घत्तूर आदि विषवर्गीय किसी द्रव्य का सेवन बिना संस्कार किए ऐसे ही करा दिया जाय तो निश्चय ही वह काष्ठ का घास बन सकता है, किन्तु वही विष जब शुद्ध और संस्कारित करके मात्रा पूर्वक औषध रूप में प्रयुक्त किया

जाता है तो अनेक बीषण व्याधियों का नाश उसके द्वारा किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों ने आनवात (गठियावाय) की व्याधि में विधि पूर्वक उचित मात्रा में सप विष का प्रयोग उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध किया है। इस प्रकार विषत्व की अपेक्षा से वह विष है किन्तु भेषजत्व की अपेक्षा से वही तीक्ष्ण विष जीवनदायी श्रेष्ठ औषधि है।

इस प्रकार आयुर्वेद-शास्त्र में ऐसे अनेक प्रकरण एवं उद्धरण विद्यमान हैं जो अनेकान्त का आश्रय लेकर प्रतिपादित किए गए हैं। इससे न केवल उस विषय की दुरुहता की समाप्ति हुई है अपितु अनेक शकाओं का अनायास ही निरसन हो गया है। अतः यह कहन में कोई सकोष नहीं है कि ऐसा करने से आयुर्वेद शास्त्र के दृष्टिकोण में पर्याप्त व्यापकता आई है और वह पूर्ण उदारतावादी कहलाने का अधिकारी है। जीवन विज्ञान के सदैव में मानव प्रकृति एवं आरोग्य मूलक सिद्धान्तों का प्रतिपादन आयुर्वेद शास्त्र की अपनी मौलिक विशेषता है। उसमें यदि सकुचित दृष्टिकोण एवं दुराग्रहों का आश्रय लिया जाता तो निश्चय ही आयुर्वेद-शास्त्र की शाश्वतता और लोकोपकारी भावना का लोप हो जाता किन्तु ऐसा नहीं है। इस दिशा में पर्याप्त अध्ययन मनन और अनुचिन्तन के द्वारा अनुसंधान अपेक्षित है। अनेकान्त ने आयुर्वेद को कितना सहिष्णु और व्यापक दृष्टिकोण वाला बनाया है। इसका सहज आभास उन स्थानों से मिलता है जहाँ अन्य ऋषियों के भिन्न दृष्टिकोण मूलक वचनों को भी समादृत किया गया है। अतः गम्भीर विमर्श पूर्वक इस दिशा में पर्याप्त अध्ययन मनन और अनुचिन्तन के द्वारा अनुसंधान अपेक्षित है।



अष्टादश अध्याय

तन्त्रयुक्त विज्ञानीय

तन्त्रस्य युक्तिरिति तन्त्रयुक्ति । तन्त्र कहते हैं शास्त्र को और युक्ति का अर्थ है योजना । अतः शास्त्र की योजना को तन्त्रयुक्ति कहते हैं । शास्त्र को अथवा शास्त्र में निहित विषय या गूढार्थ को प्रतिपादित के करने लिए जो योजना ग्रन्थकर्ता के द्वारा की जाती है वह तन्त्रयुक्ति कहलाती है । जैसे किसी भी शास्त्र या ग्रन्थ के निर्माण में व्याकरण छन्द आदि की अपेक्षा रहती है और उस शास्त्र को समझने के लिए व्याकरण छन्द आदि का ज्ञान अपेक्षित होता है तद्वत् शास्त्र में विशिष्ट रूप से कतिपय विषयों की योजना इस प्रकार की जाती है कि उसका ज्ञान शब्द विशेष के विशिष्टार्थ से ही होना सम्भव है । तन्त्रयुक्ति को आचार्य बल्हण ने निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है— त्रायते शरीरवनेनेति तन्त्र शास्त्र चिकित्सा च तस्य यक्षतयो योजना स्तन्त्रयुक्तयः । अर्थात् इससे शरीर की रक्षा होती है अतः यह तन्त्र है यही शास्त्र है चिकित्सा भी यही है । उसकी युक्ति याने योजना को तन्त्रयुक्ति कहते हैं । आचार्य के इस स्पष्टीकरण से तन्त्र का अभिप्रताथ चिकित्सा या चिकित्सा शास्त्र ध्वनित होता है जो आयुर्वेद के प्रसंग में समीचीन है । क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए चिकित्सा की योजना ही अपेक्षित रहती है ।

हमारे देश में प्राचीनकाल में जितने भी ग्रन्थों या शास्त्रों का निर्माण हुआ है उनकी यह परम्परा रही है कि उनमें अनेक बात सूत्र रूप में प्रतिपादित की गई हैं कुछ का सकेत मात्र कर दिया है कुछ गूढ़ भाषा में प्रतिपादित हैं और कुछ घुमा फिराकर कही गयी हैं तो कुछ के लिए अलंकारिक भाषा एवं शब्द विन्यास का प्रयोग किया गया है । कुछ बात प्रकारान्तर से कही गई हैं तो कई बात ऐसी हैं जिनका शब्दार्थ कुछ और है जबकि भाव कुछ और है । ऐसे सभी स्थलों को समझने और उनका सम्यग् ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने जो शास्त्र योजना की है उसका आश्रय लेना अनिवार्य है— यह शास्त्र योजना ही तन्त्रयुक्ति है ।

आयुर्वेद के चरक संहिता सुश्रुत संहिता आदि ग्रन्थ भी उसी परम्परा की देव हैं । अतः इन ग्रन्थों में उसकी रचना शैली एवं परम्परा का निर्वाह किया गया है । यही कारण है कि इन ग्रन्थों में विभिन्न स्थानों पर जो अस्पष्ट या गूढ़ विषय प्रतिपादित हैं

उनके सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्र में तन्त्रयुक्तियों को प्रतिपादित किया गया है। उन तन्त्र-युक्तियों को पढ़कर समझकर ही शास्त्र की योजना करनी चाहिये। जब तक उन तन्त्रयुक्तियों को नहीं समझा जायगा तब तक शास्त्र का ज्ञान एवं चिकित्सा के रहस्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। इस सन्दर्भ में शास्त्र का निम्न का बचन महत्वपूर्ण है—

अमन्त्रमक्षर नास्ति नास्ति द्रव्यमनौषधम् ।

अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र कुलम् ॥

अर्थात् ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो अमन्त्र हो (सभी अक्षर मन्त्र हैं) ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो अनौषध हो (समस्त द्रव्य औषध रूप हैं) अयोग्य पुरुष भी कोई नहीं है (सभी योग्य हैं) किन्तु विधिवत् योजना करने वाला दुर्लभ है।

तन्त्रयुक्ति की उपयोगिता

शास्त्र में आए हुए पदों के अर्थ का यथाथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तन्त्रयुक्ति का आश्रय लेना अनिवार्य है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किन्तु प्रसंगोपात् अर्थ का ग्रहण करना ही शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से अपेक्षित रहता है। उसके लिए तन्त्रयुक्ति मार्ग निर्देश करती है। आयुर्वेद शास्त्र में विशेषतः पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनका अर्थ शास्त्र के अनुसार करना अभीष्ट रहता है। जैसे आयुर्वेद में त्रिफला (तीन फल) से हरड़ बहेड़ा आवला ही अभिप्रत है। अन्य तीन फल नहीं। निशा जिसका अर्थ रात्रि है शब्द से हन्दी का ग्रहण किया जाता है। इन सब बातों के ज्ञान के लिए तन्त्रयुक्ति का ज्ञान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महर्षि चरक ने तन्त्रयुक्ति के ज्ञान की उपयोगिता निम्न प्रकार से बतलाई है—

एकस्मिन्नपि यस्येह शास्त्रं लब्धास्पदा भति ।

स शास्त्रमन्यत्प्यादा युक्तिज्ञत्वात् प्रबुध्यते ॥

अधीयानोऽपि शास्त्राणि तन्त्रयुक्त्या विना भिषक ।

ताधिगच्छति शास्त्रार्थानर्थान् भाग्यक्षये यथा ॥

अर्थात् जिसकी बुद्धि ने एक शास्त्र का भी सम्यकतया ज्ञान प्राप्त कर लिया है तन्त्रयुक्ति का जानने वाला वह युक्तिज्ञ अन्य शास्त्र को भी शीघ्र जान लेता है। शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाला भिषक तन्त्रयुक्ति के बिना शास्त्र के अर्थ को उसी प्रकार नहीं ग्रहण कर पाता है जिस प्रकार भाग्य का क्षय होने पर मनुष्य धन को प्राप्त नहीं कर पाता है।

अभिप्राय यह है कि शास्त्र के परिपूर्ण सम्यग्ज्ञान के लिए तन्त्रयुक्तियों का ज्ञान हीन आवश्यक है। अन्यथा युक्ति ज्ञान के अभाव में दुर्युक्त अच्छी भेषज भी हासिल या अर्थकारी हो सकती है जैसा कि महर्षि चरक ने कहा है—

योगादपि विषं तीक्ष्णमसम भेषज भवेत् ।

भषजञ्चापि द्रुयुक्त तीक्ष्ण सम्पद्यते विषम ॥

अर्थात् विधिपूर्वक सेवन (प्रयोग) करने से तीक्ष्ण विष भी उत्तम भेषज हो जाती है और अविधिपूर्वक प्रयोग की गई श्रष्ट औषधि भी तीक्ष्ण विष बन जाती है ।

इससे स्पष्ट है कि युक्तिज्ञ वद्य ही भेषज का समुचित प्रयोग करने एवं चिकित्सा के अभीष्ट फल को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है । अतः तन्त्रयुक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना वैद्य के लिए आवश्यक है ।

तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन

तन्त्रयुक्तियों के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मिथ्यावादी लोगों के द्वारा असंगत तर्कों के आधार जिन बातों का प्रतिपादन एवं समर्थन किया जाता है उनका निरसन युक्तियुक्त तर्कपूर्ण कथन के आधार पर करना तन्त्रयुक्ति के ज्ञान से ही सम्भव है । महर्षि सुश्रुत ने सुन्दर ढंग से इसका प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया है—

असद्वाविप्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषधनम् ।

स्ववाक्यसिद्धिरपि क्रियते तन्त्रयुक्तित ॥

व्यक्ता मोक्षताश्च ये ह्यर्था लीना ये चाप्यनिमला ॥

लेशीकता ये च केचित् स्युस्तेषामञ्चापि प्रसाधनम् ॥

यथाऽम्बुजवनस्याक प्रवीपो बहमनो यथा ।

प्रबोधस्य प्रकाशाद्यस्तथा तन्त्रस्य व्यक्तय ॥

—सुश्रुत संहिता उत्तरतन्त्र ६५/४

अर्थात् तन्त्रयुक्तियों के द्वारा असदवादियों (मिथ्यावादियों) के द्वारा प्रयुक्त किए गए वाक्यों का प्रतिषेध और अपने वाक्य (कथन) सिद्धि की जाती है । वाक्यों या शास्त्र में जो अर्थ ठीक से व्यक्त हुए नहीं होते हैं कहे गए नहीं होते हैं लीन (गूढ़ या छिपे हुए) होते हैं अनिमल (अस्पष्ट) होते हैं या सक्षिप्त रूप में कहे गए होते हैं उन सबका साधन तन्त्रयुक्ति के द्वारा होता है । जिस प्रकार कमलों के बन को सूर्य और चर को प्रदीप प्रकाशित करता है उसी प्रकार तन्त्रयुक्तियों का ज्ञान अर्थात् शास्त्र के अर्थ को प्रकाशित करती हैं ।

तन्त्र युक्तियों को सख्या

महर्षि चरक ने छत्तीस तन्त्रयुक्तियों का निदर्श किया है जबकि महर्षि सुश्रुत के द्वारा बत्तीस तन्त्रयुक्तियाँ ही मानी गई हैं । भट्टार हरिश्चन्द्र ने चालीस तन्त्रयुक्तियों का परिगणन किया है और कौटिल्यीय अर्थशास्त्र में बत्तीस तन्त्रयुक्तियों का उल्लेख

मिलता है। तन्त्रयुक्तियों की सख्या के विषय में आचार्यों में मतभेद का कारण सम्भवतः यह है कि स्वयंस्वरूप प्रयोजन के लिए जिस आचार्य को अतिरिक्ती तन्त्रयुक्तियाँ अभीष्ट प्रतीत हुईं उतनी ही तन्त्रयुक्तियों का प्रतिपादन उसने अपने शास्त्र में किया।

महर्षि सुश्रुत ने जिन बत्तीस तन्त्रयुक्तियों का उल्लेख अपने शास्त्र में किया है वे निम्न हैं —

१ अधिकरण २ योग ३ पदार्थ ४ हेत्वथ ५ उद्देश ६ निर्देश
७ उपदेश ८ अपदेश ९ प्रदेक्ष १ अतिवेश ११ अपव्यम १२ वाक्यशेष,
१ अथापत्ति १४ विषयम १५ प्रसंग १६ एकान्त १७ अनेकान्त १ पूर्वपक्ष
१९ निगम २ अनुमत २१ विधान २२ अनागतावेक्षण २३ अतिशान्तावेक्षण
२४ सशय २५ व्याख्यान २६ स्वसज्ञा २७ अनवचन २८ निवचन २९ नियोग
३ विकल्प ३१ समुच्चय ३२ ऊह्य।

महर्षि चरक ने उपर्युक्त ३२ तन्त्रयुक्तियों के अतिरिक्त निम्न चार तन्त्रयुक्तियाँ और बतलाई हैं जिससे उनके द्वारा कथित युक्तियाँ छत्तीस हो गई हैं — प्रयोजन प्रत्युत्सार उद्धार और सम्भव।

भट्टार हरिश्चन्द्र द्वारा सम्मत तन्त्रयुक्तियाँ बत्तीस हैं। उन्होने उपर्युक्त तन्त्रयुक्तियों के अतिरिक्त इन चार और तन्त्रयुक्तियों का उल्लेख किया है — परिप्रश्न व्याकरण व्युत्क्रान्ताभिधान और हेतु। चरक के अनुसार इन चारों तन्त्रयुक्तियों का समावेश उपर्युक्त तन्त्रयुक्तियों में ही हो जाता है। जैसे—परिप्रश्न का उद्देश में व्याकरण का व्याख्यान में व्युत्क्रान्ताभिधान का निदक्ष में तथा हेतु का विवेचन शास्त्र में प्रतिपादित प्रयक्ष-अनुमान आदि प्रमाण के वणन के समय किया गया है। अतः वे चार युक्तियाँ पथक से मानना आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त तन्त्रयुक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है —

१ अधिकरण—तत्र अक्षयमधिकृत्योच्यते तदधिकरणम्। यथा रस दोष च। अर्थात् जिस विषय को अधिकृत करके उसका वणन या विवेचन किया जाता है अथवा जिस विषय को अधिकार रूप में कहा जाय उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे रस या दोष। रस को अधिकृत करके सम्पूर्ण चिकित्सा का निर्देश किया गया है। दोष को प्रधान मानकर समस्त रोगों की उत्पत्ति मानी गई है। रस के बिना चिकित्सा सम्भव नहीं है और दोष के बिना रोगों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है।

२ योग—येन वाक्य युज्यते स योगः। अर्थात् वाक्य या पदों का एकत्र होना जिससे अर्थ ज्ञान होता है योग कहलाता है। आचार्य चक्रपाणिदत्त ने योग को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है—‘योगो नाम योजनान् व्यस्तानां पदानामपेक्षिकसम्बन्धः।’

योग का अर्थ है योजना अर्थात् किसी वाक्य या श्लोक में बिखरे हुए पदों को व्यवस्थित एकीकृत करना । उदाहरणार्थ—

प्रतिज्ञाहेतुवाहरणोपनयनिगमनानि तत्र प्रतिज्ञा मातज्जन्माद्यैर्गर्भ हेतु मातरं
मन्त्रेण गर्भनिवृत्तये वृष्टाश्च कटागार उपनय यथा नानाद्रव्यसमुदायात् कटागार
स्था गभनिवृत्तये तस्मात्मातज्जन्माद्यैर्मित्येषां प्रतिज्ञायोग ॥ अर्थात् प्रतिज्ञा हेतु,
उदाहरण उपनय और निगमन । प्रतिज्ञा—यह गभ मातज है हेतु—माता के बिना
गभ की अनुपपत्ति होने से दृष्टात्—जसे कटागार उपनय जैसे विभिन्न द्रव्यों के समूह
से कटागार का निर्माण होता है उसी प्रकार गभ का निर्माण होता है निगमन-अत गभ
मातृज होता है— इस प्रकार यह प्रतिज्ञा योग है ।

३ पदाथ- योऽर्थोऽभिहित सत्रे पदे वा स पदाथ पदस्य पदयो पदानां
बाऽथ पदाथ अपरिमिताश्च पदार्था । —चक्रपाणिदत्त

अर्थात् किसी सूत्र या पद में जो अर्थ अभिहित होता है वह पदाथ कहलाता
है । एक पद का दो पदों का अथवा अनेक पदों का जो अर्थ होता है वह पदाथ
कहलाता है । पदाथ अपरिमित होते हैं । एक पद के अनेक अर्थ भी होते हैं । अतः
प्रसंगानुसार पद के अर्थ का ग्रहण करना चाहिए ।

इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य चक्रपाणिदत्त लिखते हैं —

तत्र द्रव्यमिति पदेन खाद्यवृत्तना षष्ठा उच्यन्ते पदयोरर्थो नाम यथा
आयुषो ब्रह्म इति पदयोरयुषोर्बोधक तत्रमित्यर्थ । एव पदानामप्यथ उदाहाय ।

अर्थात् द्रव्य इस पद से आकाशादि पञ्च महाभूत और छठी चेतना धातु
कहलाती है । दो पदों का अर्थ जैसे आयुषो वेद (आयु का ज्ञान) इन दो पदों से वायु
का ज्ञान कराने वाला तत्र (शास्त्र) अर्थात् आयुर्वेद । इसी प्रकार अनेक पदों के अर्थ
के उदाहरण भी समझने चाहिए ।

४ हेत्वथ—हेत्वर्थो नाम यद्व्यञ्जाभिहितमन्यत्रोपपद्यते यथा समानगुणाभ्यासो
हि धातूनां बद्धिकारणम् (अ सू १२/५) इति वातमधिकृत्योक्तं तत्र वातस्येति
वक्तव्ये यदयं समानशब्द धातूनामिति करोति तेन यथा वायोस्तथा रसादीनामपि
समानगुणाभ्यासो बद्धिकारणमिति गम्यते । —चक्रपाणि दत्त

अर्थात् हेत्वर्थ उसे कहते हैं जो किसी प्रकरण में कही गई बात अन्य प्रकरण
में भी लागू हो । जैसे समान गुण वाले द्रव्य का सेवन धातुओं की वृद्धि का कारण
होता है । यह कथन यद्यपि वात को अधिकृत करके कहा गया था जिसका अभि-
प्राय था कि वायु के समान गुण धर्म वाले द्रव्यों का सेवन करने से वायु की वृद्धि होती
है इससे जैसे वायु के विषय में कहा गया है वैसे ही रसादि के भी समान गुणाभ्यास से
वह रसादि धातु की भी वृद्धि का कारण होता है ।

५ उद्देश—उद्देशो नाम संक्षेपाभिधानं यथा हेतुलिङ्गीषधज्ञानम् (च सू १)
अनेन सर्वापूर्वोक्तिभेदोद्देशः । —चक्रपाणि दत्त

अर्थात् संक्षेप में कहना उद्देश कहलाता है। जैसे चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय १ में हेतु लिङ्ग-औषध का ज्ञान प्रतिपादित किया गया है। इससे सम्पूर्ण आयुर्वेद ही अभिधाय है—यह उद्देश है।

महर्षि सुश्रुत ने इसका निम्न लक्षण बतलाया है— समासवचनमुद्देश । यथा शल्यमिति । (सुश्रुत संहिता उत्तर तन्त्र ६५।९) ।

अर्थात् संक्षिप्त वचन उद्देश कहलाता है जैसे शल्य । शरीर को पीडा पहुंचाने वाली वस्तु को संक्षेपतः शल्य कहा गया है।

६ निदश—निदशो नाम सख्येयोक्तस्य विवरणं यथा—हेतुलिङ्गीषधस्य पुनः प्रपञ्चनं सर्वदा सबभावानां इत्यादिना इत्युक्तं कारणं (च सू अ १) इत्यन्तेन कारणप्रपञ्चनमित्यादि । —चक्रपाणि दत्त

अर्थात् सख्येय रूप में कहे हुए विषय का विस्तारपूर्वक कथन करना निदश कहलाता है। जैसे हेतु लिङ्ग औषध का पुनः सर्वदा सबभावानां इत्यादि से लेकर इत्युक्त कारण पर्यन्त विस्तार पूर्वक कथन किया गया है।

महर्षि सुश्रुत ने भी निदश के विषय में यही भाव व्यक्त किया है। यथा— विस्तरवचनं निदशं यथा शरीरमागन्तुकञ्चेति । सु स उ त १५।१

अर्थात् विस्तार पूर्वक कहना निदश कहलाता है। जैसे शरीर और आगन्तुक । ऊपर संक्षेप में कहे हुए शल्य के दो भेद करते हुए उसे शरीर और आगन्तुक बतलाया गया है।

७ उपदेश—उपदेशो नामाप्तानुशासनं यथा—स्नेहस्यै प्रयुज्जीत ततः स्वेदमन्तरम् । —चक्रपाणि दत्त

अर्थात् आप्त के अनुशासन (आदेश) को उपदेश कहते हैं। जैसे चरक संहिता सूत्रस्थान अ १३ में निर्दिष्ट है कि प्रथम स्नेह का प्रयोग कर तत्पश्चात् स्वेदन का।

महर्षि सुश्रुत द्वारा कथित लक्षण के अनुसार एषमित्युपदेशः । यथास्तथा न जागृमद्वाजी विवास्वप्नञ्च वक्ष्येविति । अर्थात् ऐसा करना चाहिए (या ऐसा नहीं करना चाहिए) यह उपदेश है। जैसे रात्रि में जागरण नहीं करना चाहिए और दिन स्वप्न (दिन में शयन करना) वर्जित करना चाहिए।

८ अपदेश—अपदेशो नाम यत्प्रतिज्ञासाक्षात्करणाय हेतुवचनं यथा—वाता-कण्ठं ज्ञानाद्देशे वेत्नात् कालं स्वभावतः । विद्यादुष्परिहार्यत्वात्कित्यादि तत्र प्रतिज्ञा तार्थस्य हेतुवचनं दुष्परिहार्यत्वाविति । —आचार्य चक्रपाणिस्य

अर्थात् प्रतिज्ञात विषय के साधन (सिद्धि) के लिए जो हेतु रूप वचन कहा जाता है वह अपदेश कहलाता है। जैसे वायु से जल जल से देश और देश से काल स्वभावतः दुष्परिहार्य होने से भारी समझना चाहिये। यहाँ प्रतिज्ञात विषय की सिद्धि के लिए हेतु वचन दुष्परिहाय दिया गया।

महर्षि सुश्रुत ने अपदेश का कथन इस प्रकार से किया है— अनन कारणेनेत्यपदेश यथोपदिश्यते मधुर श्लेष्माणमभिवद्ध यतीति । — सुश्रुतसहिता उत्तरतन्त्र ६५।१२
अर्थात् इस कारण से ऐसा कहना अपदेश कहलाता है। जसा कि उपदेश किया गया है—मधुर श्लेष्मा की वृद्धि करता है। (मधुर होने से श्लेष्मा की वृद्धि होती है)

६ प्रदेश—प्रदेशो नाम यद्वद्गुत्वादर्थस्य कांश्चैनाभिधातुमशक्यमेकदेशेनाभिधीयते यथा—अन्नपानकदेशोऽयमवक्तव्यः प्राग्प्रयोगिकः । — चक्रपाणि वक्त

अर्थात् विषय की बहुलता (अधिकता) के कारण जिसे समग्र रूप से कहना अशक्य हो उसका एक देश से कथन करना प्रदेश कहलाता है। जैसे प्राय अधिकतर उपयोग में आने वाले अन्न (आहार) और पान (अनुपान) के एक देश का यहाँ उपदेश किया गया है।

महर्षि सुश्रुत ने प्रदेश का लक्षण इस प्रकार बतलाया है— प्रकृतस्यातिक्रान्तेन साधन प्रदेशः । यथा—देवदत्तस्यानन शल्पमुद्धत तस्मात् यज्ञदत्तस्याप्यद्विरिष्यति ।

अर्थात् प्रकृत अर्थ की अतिक्रान्त (अतीत अर्थ) से सिद्धि करना प्रदेश कहलाता है। जैसे इससे देवदत्त का शल्प निकाला गया था अतः यह यज्ञदत्त का भी निकालेगा।

१ अतिदेश—अतिदेशो नाम यत्किञ्चिद्देव प्रकाश्यायमनुक्तार्थसाधनायव एवममयदपि प्रत्येतव्यमिति परिभाष्यते । यथा यक्षान्यवपि किञ्चित् स्यादनुक्तमपि पूजितम् । वृत्त तवपि चात्र य सद्वाम्यनुमन्यते इति । — चक्रपाणि वक्त

अर्थात् अनुक्त विषय के साधन के लिए जिस किसी भी विषय को प्रकाशित करके अन्यत्र तद्वदेव प्रयत्न करना चाहिए—ऐसा जहाँ परिभाषित किया जाता है वह अतिदेश कहलाता है। जैसे—इस आयुर्वेद शास्त्र में जिन सद्वृत्तों का वर्णन नहीं है, किन्तु जो अयत्न वर्णित हों उन सद्वृत्तों का पालन करना भी आश्रय द्वारा सम्मत है।

महर्षि सुश्रुत ने कुछ भिन्न रूप में अतिदेश का लक्षण बतलाया है जो इस प्रकार है— प्रकृतस्वानागतस्य साधनमतिदेशः । यथा—अनेनास्य वायुदम्बमुत्तिष्ठते तेनोदावर्त्तो स्यादिति । — सुश्रुतसहिता उत्तरतन्त्र ६५।१४

अर्थात् प्रकृत विषय से अनागत (भावी) विषय का साधन करना अतिदेश होता है। जैसे इस रोगी की वायु ऊर्ध्व गति कर रही है अतः यह उदावर्त रोग से पीड़ित होमा।

११ अपवर्ण—अपवर्णो नाम साकस्वेनोद्दिष्टस्वेकदेशापकर्षणं यथा—न घर्षु वि-
ताम्नसाहवीताम्ब्यं मांसहरितशाष्कशाकफलभक्ष्येभ्यः । —चक्रपाणिदत्त

अर्थात् सम्पूर्ण रूप से कहे गए किसी विषय में से उसके एक देश को निकाल देना अपकर्षण कहलाता है । जैसे बासा अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिये मांस हरित और शुष्क शाक एव फल को छोड़ कर ।

महर्षि सुभ्रत ने इसी बात को संक्षेप में कहते हुए अपवर्ण का निम्न लक्षण बतलाया है— अभिव्याप्यापकर्षणमपवर्णं । यथा—अस्वेच्छा विषोपसृष्ट्वा अन्यत्र कीदृ विधाविति । अर्थात् सामान्य वचन के द्वारा किसी विषय को अभिव्याप्त करके उसमें से अश विशेष को पथक करना अपवर्ण कहलाता है । जैसे विष से आक्रान्त रोगी अस्वेच्छ (स्वेदन के अयोग्य) होते हैं कीट विष से पीडित को छोड़कर ।

१२ वाक्यशेष—वाक्यशेषो नाम यत्साधनार्थमाचार्येणवाक्येषु पदमङ्कल गम्यमानतया पूर्यते यथा— प्रवृत्तिहतु भावानां । इत्यत्र अस्ति इति पद पूर्यते तथा जाङ्गलज रस इत्यत्र मांस शब्द पूर्यते । वाक्येषु चैत एव पदा शेषा कियन्ते येऽपि वशिता अपि प्रतीयन्ते । —चक्रपाणि दत्त

अर्थात् आचार्य के द्वारा साधनार्थ वाक्यों में जो पद निवेश नहीं किया जाता है किन्तु गम्यमान पदक वह पूरित किया जाता है उसे वाक्यशेष कहते हैं । जैसे भावो की प्रवृत्ति में हेतु' इत्यादि वाक्य में अस्ति' (है) यह पद पूरित किया जाता है । इसी प्रकार जागल रस इस वाक्य में मांस पद पूरित करना होता है (जांगल पशु पक्षियों का मांस रस) । वाक्यों में ऐसे ही पद शेष रखे जाते हैं जो उनमें निवेशित (प्रविष्ट) हुए बिना भी उनका भाव प्रतीत कराते हैं ।

इसी आशय का लक्षण महर्षि सुभ्रत ने भी बतलाया है जो इस प्रकार है— येन पदेनानक्तेन वाक्य समाप्यते स वाक्यशेषः । यथा शिर पाणिपादपादार्थपठोबरोरसा मित्युक्ते पुरुषग्रहणं बिनाऽपि गम्यते पुरुषस्येति । —सु उ ६५/१६

अर्थात् जिस अनुक्त पद से वाक्य समाप्त होता है वह वाक्यशेष कहलाता है । जैसे क्षिर हाथ पर पार्ष्वं पूष्ठ, उदर उर कहने पर पुरुष शब्द का ग्रहण किए बिना भी श्रुति लिया जाता है कि ये (धर्म) पुरुष के होते हैं ।

१३ अर्थापत्ति—अर्थापत्तिर्नाम यदकीलितमर्थावापद्यते सार्थापत्तिः । यथा-नक्तं दक्षिणोत्तरनिबद्धं अर्थादविद्या भूःजीतेत्यापद्यते । —चक्रपाणिदत्त

अर्थात् जिससे अकथित विषय का ग्रहण होता है वह अर्थापत्ति कहलाता है । जैसे—रात्रि में दही खाने का निषेध है अर्थात् दिन में खाए-यह अर्थ निकलता है ।

महर्षि सुभ्रत ने भी अर्थापत्ति का उपयुक्त लक्षण ही कहा है । इसके लिए उन्होंने

यह उदाहरण दिया है— ओदन भोज्य इत्यन्तेऽर्थावापन्न भवति नाय पिपासुर्वायगुम्बिति । अर्थात् भगत खाना चाहिए— ऐसा कहने पर अर्थात्पत्ति से यह भाव निकलता है कि यह यवागू पीने का इच्छक नहीं है ।

१४ विषयय विषययो नाम अपकृष्टात प्रतीपोदाहरण यथा निदानोक्तान्यस्य चोपशेरेते विपरीतानि चोपशरते । —चक्रपाणि दत्त

अर्थात् अपकृष्ट से प्रतीप का उदाहरण विषयय होता है । जैसे निदान में कहा हुआ आहार इसे अनुकूल नहीं होता है विपरीत आहार अनुकूल होता है ।

सुश्रुत ने विषयय का यह लक्षण बतलाया है— यद् यत्राभिहित तस्य प्रति लोभ्य विषयय । यथा—कृशाल्पप्राणभीरवो दुश्चिकित्स्या इत्युक्त विपरीत गृह्यतबड़ावय सुचिकित्स्या इति ।

अर्थात् जो जहाँ कहा गया है उससे प्रतिलोम (उटा होना) विषयय होता है । जैसे कृश अल्प प्राण और भीरू दुश्चिकित्स्य होते हैं ऐसा कहने पर उससे विपरीत का ग्रहण होता है कि दृढ आदि सुचिकित्स्य होते हैं ।

१/ प्रसग — प्रसगो नाम पूर्वाभिहितस्याथस्य प्रकरणागतस्त्वाविना पुनरभिधान यथा—तत्रातिप्रभावतां दृश्यानामतिबशनमतियोग एवमाद्यभिधाय पुन अत्यग्रशब्दश्च यथाच्छवणात् सबशो न च' इत्यादिना पूर्वोक्त एवार्थोऽभिधीयते । —चक्रपाणि दत्त

अर्थात् पुन में कहे गए विषय का प्रकरण आदि उपस्थित होने पर पुन कहना प्रसग कहलाता है । जैसे अति प्रभा वाले दृश्य द्रव्यो को देखना अतियोग कहलाता है ऐसा पहले कह कर पुन अत्यन्त उग्र शब्दो का श्रवण करने अथवा शब्दो का बिल्कुल भी श्रवण नहीं करने से' इत्यादि के द्वारा पूर्वोक्त का ही कथन किया गया है ।

महर्षि सुश्रुत ने प्रसग का विवचन करते हुए लिखा है—प्रकरणान्तरेण समा पन प्रसग । यद्वा प्रकरणान्तरितो योऽर्थोऽसकदुक्त समाप्यते स प्रसग' । यथा—यञ्चसहा भतशरीरिसमवाय पुरुषस्तस्मिन् क्रिया सोऽधिष्ठानमिति बभोत्पत्ताविधाय भूतवि द्यायां पुनश्च यतोऽभिहित पञ्चमहाभतशरीरिसमवाय पुरुष इति स खल्वेव कर्म पुरुषश्चिकित्सायामधिकुन । —सभत संहिता उत्तरतत्र ६५/१९

अर्थात् दूसरे प्रकरण से विषय को समाप्ति करना प्रसग कहलाता है । अथवा प्रकरणान्तरित जो विषय पुन कहा जाकर समाप्त किया जाता है वह प्रसग है । जैसे पञ्च महाभूत और आत्मा इनका समवाय ही पुरुष कहलाता है उसी में चिकित्सा हो सकती है और बड़ी अधिष्ठान है—ऐसा वेदोत्पत्ति अध्याय में कहकर पुन भूतविद्या प्रकरण में कहना कि क्योंकि पञ्च महाभूत और आत्मा का समवाय पुरुष कहा गया है अतः वही कर्म पुरुष चिकित्सा के लिए अधिकृत है ।

१६ एकान्त—एकान्तो नाम यद्व्यधारणनोच्यते यथा निज शरीरदोषोत्थ ।
त्रिबद्धिरेच्यतीत्यादि । —अक्षयविवेक

अर्थात् जो अवधारण से (निश्चय पूर्वक) कहा जाता है उसे एकान्त कहते हैं ।
जैसे—शरीर दोष से समुत्पन्न हुआ निज होता है निशोष विरेचन करता है इत्यादि ।
महर्षि सुश्रुत ने भी ऐसा ही लक्षण प्रतिपादित किया है । उनके अनुसार-सर्वत्र
यद्व्यधारणनोच्यते स एकान्त । यथा त्रिबद्धि विरेचयति ज्वरफल वामयत्येव ।

१७ अनेकान्त - अनेकान्तो नाम अन्यतरपक्षानवधारण यथा—ये ह्यतुरा केवला
रूज्ज्जादृते च्रियते न च त सद्य एव भेषजोपपन्ना समुत्पिठरम् । —अक्षयविवेक
अर्थात् अन्यतर (किसी) पक्ष का अवधारण (निश्चय पूर्वक कथन नहीं किया
जाना) । जैसे जो रोगी केवल भेषज के अभाव में मर जाते हैं वे सभी औषध प्राप्त
होने पर स्वस्थ नहीं हो जाते हैं ।

महर्षि सुश्रुत के द्वारा प्रतिपादित लक्षण के अनुसार-अक्षयविवेक
सोऽनेकान्त । यथा—केचिदाचार्या बुवते द्रव्य प्रधान केचिद्रसं केचिद्वीर्यं केचिद्विपाक-
मिति ।

अर्थात् कहीं वसा और कहीं ऐसा कहना अनेकान्त है । जैसे कोई आचार्य कहते
हैं कि द्रव्य प्रधान है कोई रस को कोई वीर्य को और कोई विपाक को प्रधान मानते हैं ।

१८ पूर्वपक्ष—पूर्वपक्षो नाम प्रतिज्ञातार्थसंप्रपक्ष वाक्य यथा—‘मत्स्थान्
पयसाऽभ्यवहरेत् इति प्रतिज्ञातस्याथस्य सवननिव मत्स्थान् पयसाऽभ्यवहरेद्व्यत्र चिल
चिमात् ।

अर्थात् प्रतिज्ञात विषय को दूषित करने वाला वाक्य पूर्वपक्ष कहलाता है । जैसे
मछलियों का सवन दूध के साथ नहीं करे इस प्रकार का प्रतिज्ञात विषय सभी
मछलियों का सवन दूध के साथ न करे चिलचिम (एक विशेष प्रकार की मछली)
को छोड़कर इस वाक्य से दूषित होता है ।

महर्षि सुश्रुत ने इससे भिन्न लक्षण बतलाया है जो इस प्रकार है — आक्षय
पूर्वक प्रश्न पूर्वपक्ष । यथा कथं वातनिमित्ताश्चरवार प्रमेहा असाध्या भवन्तीति ।

अर्थात् आक्षयपूर्वक प्रश्न करना पूर्वपक्ष होता है । जैसे वात से समुत्पन्न चार
प्रमेह असाध्य कैसे होते हैं ?

१९ निर्णय—निर्णयो नाम विचारितस्वार्थस्यव्यवस्थापन यथा—अतुष्याद्य भेषज-
स्वादि विचार कृत्वाऽभिधीयते— यद्युक्त बोद्धव्यं पूर्वार्थाद्ये भेषजं तच्चू मित युक्तमज्ञ
मारोग्याय ।

अर्थात् विचारित विषय की व्यवस्था करना निर्णय होता है । जैसे अतुष्याद्य

भेषजत्व आदि का विचार करके कहा गया है—पूर्व अध्याय में जो षोडशकल भेषज बतलाई गई है उसका यदि युक्तियुक्त प्रयोग किया जाय तो वह आरोग्यदायक होती है ।

महर्षि सुश्रुत पूर्वपक्ष के उत्तर को ही निर्णय मानते हैं । जैसा कि उन्होंने कहा है—**तस्योत्तरं निणयम् । यथा—शरीरं प्रपीडय पश्चादधो गत्वा वसामेदोमज्जावसायुत् सूत्रं विसृजति वात एवमसाध्या वातजा इति । यथा चोक्तम्—**

कृत्स्नं शरीरं निष्पीडय भेदोमज्जावसायुत् ।

अधं प्रकुप्यते वायस्तेनासाध्यास्तु वातजा ॥

—सुश्रुत संहिता उत्तर तन्त्र ६५/२३

उस पूर्वपक्ष का उत्तर ही निणय होता है । जैसे—वायु शरीर को पीडित करके पश्चात् नीचे की ओर जाकर वसा मेद-मज्जा से अनुविद्ध सूत्र का त्याग करता है इसलिए वातज प्रमेह असाध्य होते हैं । जैसा कि कहा गया है—

सम्पूर्ण शरीर को पीडित करके मेद मज्जा और वसा से युक्त वायु अध भाग में प्रकुपित होता है इसलिए वातज प्रमेह असाध्य होते हैं ।

२ अनमत—अनमत नाम एकीयमतस्यानिवारणानमननं यथा—गभं शल्यस्य जरायु प्रपातनं कम सशमनमित्येकं इत्याह एकीयमतं प्रतिषाद्याप्रतिषेधादनुमन्यते ।

अर्थात् एकीयमत (किसी आचार्य के मत) का निवारण नहीं करना याने उसे मान लेना अनुमत कहलाता है । जैसे—गभं शल्य की जरायु का गिरा देना—यह कम सशमन है—इस प्रकार यह किसी का (एकीय) मत है । एतद्विध एकीय मत का प्रतिपादन करके उसका प्रतिषेध नहीं करते हुए उसे मान लिया जाता है ।

यही भाव व्यक्त करते हुए महर्षि सुश्रुत ने अनुमत का प्रतिपादन इस प्रकार किया है—**परमतमप्रतिसिद्धमनुमतम् । यथा—अथो जयात् सप्त रसा इति तच्छा प्रतिषेधादनमन्यते कश्चिदिति ।**

—सुश्रुत संहिता उत्तर तन्त्र ६५/२४

अर्थात् दूसरे के मत का प्रतिषेध नहीं करते हुए कश्चिद् रूप से उसे मान लिया जाता है ।

२१ विधान—विधानं नाम यत्सूत्रकारश्च विधाय वणयति यथा—मलायनानि बाध्यन्ते बुष्टैर्मात्राधिकमले इत्यत्र बुष्टि शब्देन मलानां हीनत्वमधिकत्वमात्रायाश्चहीनमाचार्यो वणयति-मलबुद्धिं गुचतया लाघवात्मलसक्षयम् । मलायनानां बुध्येत संश्लेस्सर्गा वलौक च इति केचित्त प्रकरणानुपूर्व्याऽर्षाभिधानं विधानमाहुः । यथा—रसचधिरवांस मेदोऽस्थिमज्जाशकाणामुत्पादकमानुरोधेनाभिधानम् ।

—चक्रपाणिबल

अर्थात् सूत्रकार विधान करके जिसका वणन करता है । जैसे—अधिक मात्रा में दूषित हुए मलो के द्वारा मल के मार्ग-स्रोतस् बाधित होते हैं ? यहाँ पर बुष्टि शब्द से

मत्तो का ह्रीनस् एव अधिकत्व आचार्य द्वारा ग्रह्य किया गया है। अचार्य उसका वर्णन करते हैं—गुस्ता क कारण मल की वृद्धि और शक्ति से मल का संक्षय (हानि) होता है। इसे मलबह श्रोतस् के सग (अवरोध) अथवा त्रति सर्ग (अधिक प्रवृत्ति) से जानना चाहिए। कुछ आचार्य प्रकरण के आनुपूर्वी से (क्रमानुसार) विषय के प्रतिपादन को विधान कहते हैं। जैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र की उत्पत्ति क्रम पूर्वक होती है।

यहां आचार्य चक्रपाणि दत्त ने जो एकीय मत प्रतिपादित किया है वह महर्षि सुश्रुत के मत क समान ही है। सुश्रुत ने विधान को इस प्रकार निरूपित किया है—प्रकरणानुपूर्व्याभिहित विधानम्। यथा-सक्विममर्षावेकावसा प्रकरणानुपूर्व्याभिहितानि।

अर्थात् प्रकरण के आनुपूर्वी (क्रमानुसार) कहना विधान कहलाता है। जैसे ग्यारह सक्वि मम प्रकरण के अनुसार कहे गए हैं।

२२ अनागतावक्षण—अनागतावेक्षण नाम यवनागत विधि प्रमाणीकृत्याय साधन यथा—अथवा तिवत्सपिब इत्याद्यानागतावेक्षणोच्यते। —चक्रपाणि दत्त अर्थात् अनागत विधि प्रमाणीकृत करके विषय की सिद्धि करना अनागतावक्षण है। जैसे—अथवा तिवत् घत का इत्यादि अनागतावेक्षण के द्वारा कहा जाता है।

महर्षि सुश्रुत ने इसे और अधिक स्पष्टता से प्रतिपादित किया है। यथा—एवं वक्ष्यतीत्यनागतवक्षणम्। यथा—इलोकस्थाने सूयाञ्चिकित्सितेषु वक्ष्यामीति।

अर्थात् आगे कहा जायगा—ऐसा कहना अनागतावेक्षण है। जैसे सूत्रस्थान में (प्रयकर्त्ता) कहे कि इसे चिकित्सा स्थान में कहा जायगा।

२३ अतीतावक्षण—अतीतावेक्षण नाम यवतीतवेषोच्यते अथा-स्त कुटी तच्छ क्षयन ज्वर सशमनस्यपि इत्यत्र स्वेदाध्याय विहितकुट्यादिकव्यतीतमवेक्षते। अर्थात् विगत विषय का कथन करना अतीतावक्षण कहलाता है। जैसे—बह कुटी और वह शयन ज्वर का सशमन करता है—यहां पर स्वेदाध्याय में विहित कुटी आदि को अतीत कहा जाता है।

महर्षि सुश्रुत ने इसे अतिक्रान्तावेक्षण कहा है। इसका लक्षण उन्होंने इस प्रकार बतलाया है—यत्पूजयन्त तवतिक्रान्तावक्षणम्। यथा—चिकित्सितेषु सूयाञ्च इलोकस्थाने यदीरितम्। —सुश्रुत संहिता उत्तर तत्र ६५/३१

अर्थात् पहले जो विषय कह दिया गया है वह अतिक्रान्तावेक्षण कहलाता है। जैसे—चिकित्सा स्थान में कहा जाय कि सूत्रस्थान में जो कहा गया है।

२४ संशयो नाव—विशेषाकाशाविद्यारितोभयविषयज्ञानं यथा—आंतर पितर चैके भयन्ते जन्म कारणम्। स्वभाव परनिर्माणं यदुच्छं चाचरे जना ॥

अर्थात् विशेष आकाशा पूर्वक निर्धारित दोनो विषयों का ज्ञान करना संशय कहलाता है। जैसे कोई लोभ माता पिता को जन्म का कारण मानते हैं और अन्य लोभ स्वभाव पर निर्माण यदुच्छं की मानते हैं इत्यादि कथनों के द्वारा संशय कहा गया।

मर्हषि सुश्रुत के अनुसार—उभयहेतुवर्शन सशय । यथा—तलहृदयान्निघात प्राणहर प्राणिनाश्छेदनमप्राणहरमिति । —सुश्रुत संहिता उत्तर तन्त्र ६५/३२

अर्थात् दोनों प्रकार के हेतुओं का निखाई देना सशय कहलाता है । जैसे तल हृदय का अभिघात प्राणहर होता है किन्तु हाथ पर का कट जाना प्राणहर नहीं है ।

२५ व्याख्यान—व्याख्यान नाम यत्सबबुद्धयविषय ध्याक्रियते यथा— प्रथमे भासि सम्मूर्च्छित सवधातुकसुषीकृत खेटभती भवत्यव्यक्तविग्रह इयादिनाऽस्मवाद्य विधितार्थव्याकरणम् । —चक्रपाणिदत्त

अर्थात् समस्त जनों की बुद्धि के अगम्य विषय को विशेष रूप से स्पष्ट करना व्याख्यान कहलाता है । जैसे प्रथम माह में सवधातुओं का सम्मिश्रण स्वरूप सकलित रूप बनकर कफ धातु का स्वरूप धारण कर अव्यक्त शरीर वाला होता है —इत्यादि के द्वारा अविदित विषय वाले हम लोगों के लिए स्पष्ट किया गया ।

मर्हषि सुश्रुत ने भी इसी से समानता रखने वाला लक्षण प्रतिपादित किया है । यथा—तन्त्र उतिशयोपवर्णन व्याख्यानम् । यथा—इह पञ्चविंशतिक पुरुषो व्याख्यायते । अथेव आयुर्वेदे तन्त्रे षु भूतादिप्रभृत्यारम्य चिन्ता । सु स उ ६५/३३

अर्थात् शास्त्र में किसी विषय का अतिशय (विस्तार पवक) वर्णन करना व्याख्यान कहलाता है । जैसे—यहाँ पञ्चीस तत्त्वामक पुरुष की व्याख्या की जाती है अन्य आयुर्वेद ग्रंथों में पञ्चमहाभूत आदि से आरम्भ करके पुरुष की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है ।

२६ स्वसज्ञा—स्वसज्ञा नाम या तत्रकारव्यवहाराद्य सज्ञा क्रियते । यथा— ज्ञाताक होलाकाविका सज्ञा । —चक्रपाणिदत्त

अर्थात् तत्रकारों के द्वारा व्यवहाराद्य जो सज्ञा विहित की जाती है उसे सज्ञा कहते हैं । जैसे—जेन्ताक होलाक आदि ।

मर्हषि सुश्रुत ने स्वसज्ञा का लक्षण कुछ भिन्न प्रकार से बतलाया है जो इस प्रकार है—अन्यशास्त्रासामान्या स्वसज्ञा । यथा मिथुनमिति मघसर्पिषोरग्रहणम् लोके प्रसिद्धमुवाहरणं वा । —सुश्रुत संहिता उत्तर तन्त्र ६५/३४

अर्थात् किसी विषय का इस प्रकार का नामकरण जो अन्य शास्त्र से असामान्य (विशिष्ट) हो स्वसज्ञा कहलाता है । जैसे—मिथुन' शब्द से मधु घृत का ग्रहण किया जाता है अथवा लोक में प्रसिद्ध इसी भाँति अन्य उदाहरण ।

२७ निवचन—निवचन नाम पण्डितबुद्धिगम्यो कृष्णान्तः यथा—ज्ञायते निवचनस्येव कालस्यात्ययकारणम् । —चक्रपाणिदत्त

अर्थात् विद्वान् के बुद्धिगम्य जो दृष्टान्त होता है उसे निवचन कहते हैं । जैसे नित्य चलने वाले काल के नाश का कारण ज्ञात नहीं होता है । (पुनर्वसु भाष्य में ने

स्वप्नावोपरम्भाद के समर्थ में यह उदाहरण देकर अपने शिष्यों को समझाया है। अतः यह विद्वद्बुद्धिगम्य दृष्टान्त है।)

महर्षि सुश्रुत ने कुछ भिन्न प्रकार से निर्वचन का प्रतिपादन किया है। जैसे—
‘निर्वचन वचन निर्वचनम् । यथा—आयुर्विद्यतेऽस्मिन्ननेन चाऽऽयुर्विद्यतेऽस्यायुर्वेद ।

अर्थात् निर्वचन वचन को निर्वचन कहते हैं। जैसे—इसमें आयु विद्यमान है या इससे आयु प्राप्त होती है, अतः यह आयुर्वेद है।

२८ निदर्शन—निदर्शन नाम मूर्खविदुषां बुद्धिसाम्यविषयो वृत्तान्त यथा—
विज्ञातममृत यथा । अर्थात् ऐसा दृष्टान्त प्रस्तुत करना जो मूर्ख (अल्प बुद्धि) और विद्वान् सभी के लिए समान रूप से बुद्धिगम्य हो वह निदर्शन कहलाता है। जैसे विज्ञात (जानी पहचानी) जीषधि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार अमृत होता है।

महर्षि सुश्रुत निदर्शन की व्याख्या करते हुए कहते हैं—दृष्टान्तव्यक्ति निदर्शनम् । यथा—अग्निर्वायुना सहित कोठे बाँध गच्छति तथा वातपित्तकफपुष्टो व्रण इति ।

अर्थात् दृष्टान्त के द्वारा विषय को व्यक्त (स्पष्ट) करना निदर्शन कहलाता है। जैसे—जिस प्रकार अग्नि वायु के साथ कोष्ठ में बुद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार वात पित्त-कफ से दूषित हुआ व्रण बुद्धि को प्राप्त होता है।

आचार्य चक्रपाणिदत्त ने निर्वचन और निदर्शन में निर्वचन को विशेष (महत्त्वपूर्ण) माना है। वे कहते हैं—निदर्शननिर्वचनयोरय विशेष—यन्निदर्शनं मूर्खविदुषां बुद्धि सामान्यविषय निर्वचन तु पण्डितबुद्धिवेद्यमेव किंवा निर्वचन निरुक्तिं यथा विविध सर्पति यतो विसर्पस्तेन सञ्जित । अर्थात् निदर्शन और निर्वचन में यह (निर्वचन) विशेष है। क्योंकि निदर्शन तो मूर्ख और विद्वान् दोनों की बुद्धि के लिए सामान्य विषय का प्रतिपादन करता है जबकि निर्वचन पण्डित बुद्धि द्वारा अय विषय को ही ज्ञापित करता है। अथवा निर्वचन को निरुक्ति भी कहते हैं जैसे—विविध प्रकार से यह विसर्पणशील होता (फैलता) है अतः इसे विसर्प कहते हैं।

२९ नियोग—नियोगो नाम अवस्थानुच्छेदतया विघ्नान यथा—न स्वका स्वैवमूर्च्छापरतैनापि पिण्डकथा विमोक्तव्या । —आचार्य चक्रपाणिदत्त

अर्थात् आवश्यक रूप से करने योग्य काम को करना नियोग कहलाता है। जैसे स्वैद और मूर्च्छा से युक्त होने पर भी तुम्हारे द्वारा यह चतुरता नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

महर्षि सुश्रुत भी नियोग के विषय में ऐसा ही मत व्यक्त करते हुए कहते हैं—
‘इदमेव कर्तव्यमिति नियोगः । यथा—पथ्यमेव जोषतव्यमिति । —सु सं० ७० सं०
अर्थात् ऐसा ही करना चाहिए—यह नियोग है। जैसे पथ्य ही जाना चाहिए।

३ समुच्चय—समुच्चयों नाम यदिह वेद चेति कृत्वा विधीयते यथा—
वणहच स्वरहच अर्थात् यह और यह इस प्रकार करके कहना समुच्चय है। जैसे—
वर्ण स्वर आदि। महर्षि सुश्रुत को भी समुच्चय से ऐसा ही भाव अभीष्ट है। वे कहते
हैं— इवञ्चवेत्ते समुच्चय । यथा—मांसवग एणहरिणादयो लावतित्तिरिसारङ्गाश्च
प्रधानानीति ।

अर्थात् यह और यह इस प्रकार से कहना समुच्चय है। जैसे मांस वग मे एण
हरिण आदि लाव तित्तिर और सारङ्ग प्रधान है।

३१ विकल्प—विकल्प पाक्षिकाभिधान यथा—सारोदक वाऽच कुशोदक वा ।
अर्थात् किसी विषय का पाक्षिक (आधा या आंशिक कथन करना)। जैसे—
सारोदक अथवा कुशोदक ।

विकल्प के विषय मे महर्षि सुश्रुत का भी ऐसा ही अभिमत है। वे कहते हैं—
इव वच वेत्ति विकल्प । यथा—रसौदन सघृता यवागर्वा ।

अर्थात् यह अथवा यह इस प्रकार कहना विकल्प है। जैसे—रसौदन (मांस
रस एव भात) अथवा घी के साथ यवाग ।

३२ ऊह्य—ऊह्यं नाम यदनिबद्ध ग्रन्थ प्रथया तर्कस्वनोपदिश्यते । यथा—
परिसंख्यातमपि यद्यद्वद्रव्यमयौगिक मध्येत तत्तदपकषयेत । —चक्रपाणि दत्त
अर्थात् ग्रन्थ मे जो प्रतिपादित नहीं है उसे प्रज्ञा और तक के आधार उपदिष्ट
करना ऊह्य कहलाता है। जैसे—परिगणित किया हुआ भी जो जो द्रव्य अयौगिक
माना जाए उसे कम कर दे (निकाल दे) ।

महर्षि सुश्रुत ने ऊह्य का जो लक्षण बतलाया है वह इस प्रकार है—यद्य
निदिष्ट बुद्ध्यावगम्यते तन्नूह्यम् । यथा—अभिहितमन्नपानविधौ चतुर्विधञ्चानसु-
पदिश्यते—भक्ष्यं भोज्यं लेह्यं पेयमिति एव चतुर्विध वक्तव्ये द्विविधमभिहितम् ।

अर्थात् जो अनिदिष्ट विषय बुद्धि से जाना जाता है वह ऊह्य कहलाता है।
जैसे—अन्नपानविधि मे कहा गया है—चार प्रकार का अन्न बतलाया जाता है—भक्ष्य
भोज्य लेह्य पेय । इस प्रकार चतुर्विध कहने पर द्विविध का भी कथन हो जाता है।

३३ प्रयोजन—प्रयोजन नाम यदथ कामायमान प्रवर्तते । यथा—घातु
साम्यक्रिया चोक्ता तत्रस्यास्य प्रयोजनम् । —चक्रपाणि दत्त

अर्थात् जिस विषय की अभिलाषा रखते हुए कर्त्ता प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन
कहते हैं। जैसे इस तन्त्र (ग्रन्थ-चरक संहिता) का प्रयोजन घातु साम्य हेतु क्रिया
चिकित्सा करना है।

महर्षि सुश्रुत ने इस प्रयोजन नामक तत्रयुक्ति को नहीं माना है।

३४ प्रत्युत्सार—प्रत्युत्सारो नाम उपपत्त्या परमतनिवारणं यथा—वायोविद
 प्राह रसजानि तु भूतानि व्याघ्रवद्वच पृथग्विधा इत्यादि । हिरण्याक्षो निषेधवति
 न ह्यात्मा रसज स्मृत इत्यादि । —चक्रपाणि दत्त

अर्थात् युक्ति एव तक से अन्य आशय के मत का निवारण करना प्रत्युत्सार
 कहलाता है । जैसे वायोविद का मत है कि समस्त प्राणी रसज (रस से समुत्पन्न) हैं
 और विभिन्न प्रकार की व्याधिया भी रसज हैं । हिरण्याक्ष उसका निषेध करते हुए
 कहते हैं—आत्मा रसज नहीं है ।

३५ उद्धार—उद्धारो नाम परपक्षदूषण कृत्वा स्वपक्षोद्धारणं यथा—देवानेव
 हि भावानां सप्त सज्जनेन्दरम । तेवानेव हि भावानां विषत व्याधीनुबरीयेत इत्यादिना
 स्वपक्षोद्धारणम् । —चक्रपाणिसप्त

अर्थात् दूसरो के पक्ष (कथन) को दूषित करके अपने पक्ष का समर्थन करना
 उद्धार कहलाता है । जैसे—जिन भावों की प्रशस्तता (गुणवत्ता) मनुष्य को उत्पन्न
 करती है उन्ही भावों की विषत (अप्रशस्तता वैषम्य) व्याधियों को उत्पन्न करती है ।
 इ यदि के द्वारा अपने पक्ष का समर्थन करना ।

महर्षि सुश्रुत ने उद्धार का परिगणन नहीं किया है ।

३६ सम्भव—सम्भवो नाम यद्यस्मिन्नपपद्यते स तस्य सम्भव यथा—
 मुख पिप्पल्यगनीलिकादय सम्भवन्तीति । —आचार्य चक्रपाणि दत्त

अर्थात् जो जिसमें उत्पन्न होता है (अन्यत्र नहीं) वह उसका सम्भव है । जैसे
 मुख पर पिप्पु व्यग नीलिका आदि की उत्पत्ति । अभिप्राय यह है कि पिप्पु आदि
 रोग मुख पर ही उत्पन्न होते हैं अन्यत्र नहीं ।

इस प्रकार छत्तीस तत्रयुक्तियाँ होती हैं । भट्टार हरिश्चन्द्र ने चार अन्य तन्त्र
 युक्तियाँ और मानी हैं । यथा—परिप्रश्न व्याकरण व्युत्क्रान्ताभिधान और हेतु । चरक
 संहिता में इनका कथन नहीं किया गया है अतः उपयुक्त में ही इनका अन्तर्भाव हो
 जाता है । जैसे परिप्रश्न का उद्देश में और व्याकरण का व्याख्यान में अन्तर्भाव हो
 जाता है । व्युत्क्रान्ताभिधान निदेश का ही भेद है अतः वह उसी में अन्तर्भूत है । हेतु
 शब्द से जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कहे गए हैं उनका हेतु में ही अन्तर्भाव हो जाता है ।



एकोनविंश अध्याय

व्याख्या कल्पना ताच्छील्य, अर्थाश्रय एव तत्रदोष

पूर्वोक्त तन्त्रयुक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें और हैं जिनका ज्ञान शास्त्र को समझने के लिए आवश्यक है। इनका बणन या उल्लेख भी प्रायः तत्र के अन्त में किया जाता है। किन्तु वर्तमान में उपलब्ध किसी भी ग्रंथ या शास्त्र में इनका प्रतिपादन नहीं मिलता है। आचार्य चक्रपाणि दत्त ने तन्त्रयुक्ति के प्रकरण में कहा है कि पन्द्रह प्रकार की व्याख्या सात प्रकार की कल्पना इक्कीस अर्थाश्रय सत्रह ताच्छील्य और चौदह तन्त्रदोष बतलाए गए हैं जिनका बणन आगे उत्तरतन्त्र में किया हुआ होने से यहाँ (सिद्धिस्थान में) नहीं किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि चरक संहिता में उत्तरतन्त्र भी पूरे में विद्यमान रहा होगा। सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदय में भी इन व्याख्या आदि का कोई विवरण या उल्लेख नहीं मिलता है। अष्टांग हृदय के यशस्वी टीकाकार आचार्य अरुणदत्त ने अपनी सर्वाङ्ग सुन्दरा व्याख्या में विस्तार से इन पर प्रकाश डाला है। भट्टार हरिश्चन्द्र ने भी अपने चरकन्यास टीका में उन सभी का प्रतिपादन सुन्दर ढंग से विस्तारपूर्वक किया।

पञ्चदशविध व्याख्या

व्याख्या का सामान्य अर्थ होता है किसी पद या वाक्य या अक्षर या प्रकरण या अध्याय या शास्त्र की विशिष्ट विवेचना पत्रक व्याख्या करना अथवा उसका अर्थ स्पष्ट करना। जसा कि व्याख्या शब्द के विश्लेषण से स्पष्ट है—जो निम्न प्रकार है—
वि + भा + ख्या इति व्याख्या—विशेषण वा समन्तात् ख्यापयतीति व्याख्या। जो कथित अक्षर के अर्थ को स्पष्ट करे उसे व्याख्या कहते हैं। व्याख्या के द्वारा शास्त्र के गूढ़ अस्पष्ट एवं लीन भाव (अर्थ) को स्पष्ट किया जाता है। व्याख्या के द्वारा अल्पमति भी शास्त्र के रहस्य को समझने में समर्थ हो जाता है। अतः व्याख्या वही श्रेष्ठ एवं साधक मानी जानी है जो अध्येता के लिए सरल सुबोध एवं शास्त्र के गूढ़ार्थ को स्पष्ट करने में समर्थ हो। व्याख्या सक्षिप्त भी हो सकती है और विस्तृत भी। यह तो व्याख्येय अक्षर पर निर्भर करता है। व्याख्या के माध्यम से व्याख्याकार अपने दृष्टिकोण का भी प्रतिपादन करता है। ग्रंथ में जो बातें अति संक्षेप या सूत्र रूप में कही गई हैं व्याख्याकार उन्हें विवेचित कर विस्तार पूर्वक कहता है। व्याख्या में इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है कि व्याख्या के दौरान ग्रंथकर्ता के द्वारा कथित मूल भाव खण्डित या विलुप्त न हो।

वाच्यों के अनुसार व्याख्या पन्द्रह होती है जो निम्न प्रकार हैं—

व्याख्या सु बंधवशविधा तां व्याकरिष्याम । तद्यथा-विण्णव्ययपदार्थविकरण प्रकरणभावकृच्छकलकठव्यासप्रयोजनानुलोमप्रतिलोमसूत्रसमध्वजाख्या ।

व्याख्या पन्द्रह प्रकार की बतलाई गई है—१ विण्ड व्याख्या २ पदव्याख्या ३ पदार्थ व्याख्या, ४ अधिकरण व्याख्या ५ प्रकरण व्याख्या ६ अर्थ व्याख्या ७ कृच्छ व्याख्या ८ फलव्याख्या ९ कठव्याख्या १ न्यासव्याख्या ११ प्रयोजन व्याख्या १२ अनुलोम व्याख्या १३ प्रतिलोम व्याख्या १४ सूत्रसम व्याख्या १५ ध्वज व्याख्या ।

१ विण्डव्याख्या—विण्डव्याख्या नाम या सक्षेपत तत्राध्यायचतुष्कप्रकरण सूत्राणां अन्वाख्या । यथा—निमित्तरित्यनेन सूत्रेण कृत्स्नवरिष्टस्थान समासत उपसगृहीतम तथा यदा ह्युते त्रयो निदानाविक्रिया विपर्यये विपरीता इति सर्व विकारविघातभावाभाव प्रति विशेषाभिनियु तिहेतुर्भक्त्युक्त ।

विण्डव्याख्या उसे कहते हैं जो सक्षप से तत्र अध्याय चतुष्क प्रकरण तथा सूत्र के विषयों का निर्देश करे । जैसे—निमित्तों से इत्यादि सूत्र के द्वारा सम्पूर्ण अरिष्टस्थान सक्षेपत निर्दिष्ट किया गया है तथा जब ये तीन निदानादि विशेष होते हैं इससे विपरीत होने पर विपरीत होते हैं । इस प्रकार ये समस्त विकारों की अनुत्पत्ति और सब रोगो की उत्पत्ति को भिन्न भिन्न विशेषताओं से उत्पत्ति स्वरूप कारण कहे गए हैं ।

इसके अतिरिक्त तत्र आदि पदो की निरुक्ति भी विण्डव्याख्या के ही अन्तर्गत आती है । यथा—

निरुक्त तत्रणात्तत्र स्थानमथप्रतिष्ठया ।

अधिकृत्यार्थमध्यायनामसज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

२ पदव्ययव्याख्या—पदव्याख्या नाम यत् पदानां परस्परसो विच्छेद कुर्याच्छारणम् ।

यथा—अधि + आय = अध्याय वि + या + क् + व्या = व्याख्या ।

पद के अवयवों का परस्पर विच्छेद कर जो स्पष्टीकरण किया जाता है वह पदव्याख्या कहलाती है । यथा—अधि + आय = अध्याय वि + या + क् + व्या = व्याख्या ।

३ पदार्थव्याख्या—‘पदार्थव्याख्या नामामीषामेव पदानामर्थवद्भावविकरणम् । यथाऽस्मिन्मथ सूत्रे अथ शब्दो भंगलाविकारः ।

अर्थात् इन्हीं पदो का जब अर्थ सहित भाव बतलाया जाता है तब वह पदार्थ व्याख्या कहलाती है । जैसे—अथ शब्द का मगल अर्थ में प्रयोग ।

४ अधिकरण व्याख्या—अधिकरणव्याख्या नाम यद् वस्तु प्रकृतमपेक्ष्य तदनुषंगेन व्याख्यानकारभते । यथा निम्निलखत्स्यधिकरणकुर्वन्वोवातिस्फूलकुर्याद्योहेतुसक्षेपविकारिता व्याख्याताः—अपेक्षेण प्रकृत इत्येवम् इति ।

अर्थात् जब प्रकृत वस्तु का आधार लेकर अनुषयत् उसका व्याख्यान किया

जाता है तब वह अधिकरण व्याख्या कहलाती है। जैसे—अष्टौ निर्दितीय प्रकरण मे अनुसंगत स्थूल और कृम के हेतु लक्षण और चिकित्सा का विवरण किया गया। उसी प्रकार वातकलाकलीय मे वात के अतिरिक्त अन्य विषयो का प्रतिपादन किया गया और नक्षत्रग्रहादि विकृति के प्रकरण मे भेषजोद्धरण का उपदेश किया गया।

५ प्रकरणव्याख्या—प्रकरणव्याख्या नाम एकस्मिन्नथ सूत्र वा प्रकृततेनाप्रकृतम् साध्यते। यथा चत्वार कणरोगा इत्यारभ्य यावच्चत्वारो मूर्च्छाया व्याख्याता अत्र समानदोषतया समानसख्यानान्च व्याख्या एव प्रकृतरप्रकृति साध्यते।

अर्थात् किसी अथ या सूत्र मे प्रकृत वस्तु से अप्रकृत वस्तु का व्याख्यान करना प्रकरणव्याख्या कहलाती है। जैसे चार कण रोग इत्यादि से आरम्भ कर चार मूर्च्छा पयन्त व्याख्या की गई। यहा समान दोष तथा समान सख्या होने से व्याख्या है। इसी प्रकार प्रकृति से अप्रकृति का साधन किया जाता है।

६ अथव्याख्या—अथव्याख्या नाम यत्र प्रकरणे सूत्र वा तत्त्वन वर्णन भावस्य क्रियते। यथा—गुर्वाविगुणयोग।

अर्थात् जब प्रकरण या सूत्र मे विषयवस्तु का तत्त्व वणन किया जाता है तब वह अथव्याख्या कहलाती है। जैसे—प्रकृति की व्याख्या करते हुए कहा गया—

प्रकृतिरुच्यते स्वभावो य पुनराहारव्याणां स्वाभाविको गुर्वाविगुणयोग।

७ कृच्छ्रव्याख्या—कृच्छ्रव्याख्या नाम यत्र लेशोक्तानाम अविस्पष्टानां अप्रकरणसूत्रे यत्नानुवभावनाम। यथा—वनस्पतिसत्वानकारेणेत्यनेन लेशतो वनस्पती नामपि ज्ञानमवभाव वशयति।

अर्थात् लेशोक्त एव अविस्पष्ट अर्थों का जिससे यत्नपूर्वक स्पष्टीकरण हो वह कृच्छ्रव्याख्या कहलाती है। जैसे वनस्पतिसवानुकारेण' इस कथन से वनस्पतियो मे भी लेशत ज्ञान का अस्तित्व सूचित होता है।

फलव्याख्या—फलव्याख्या नाम यस्मिन् वस्तुनि साध्ये बहुत्वनिश्चयेऽथ—रस इत्यवाच भद्रकाप्य इत्यारभ्य—असख्येया रसा इत्यनेन।

साध्य विषय के प्रतिपादन क्रम मे अनेक परकीय मतों का उल्लेख करते हुए उनका अगभाव से समावेश कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना फलव्याख्या कहलाती है। जैसे—रसों की सख्या के प्रसंग मे अनेक मतों का उल्लेख कर अन्त मे एक निष्कर्ष दिया गया और अन्य मतों का अगभाव से समावेश कर लिया गया।

८ कठव्याख्या—कठव्याख्या नाम यस्मिन् सूत्रे निवृत्तानी भूतान्यन्यान्पुद्गहरणानि तन्प्रान्तरत समाकृष्य स्थाप्यन्ते यथा पथिव्याविषु महाभूतसज्ञा स्थापिताऽऽचार्येण रसाविषु धातुसज्ञा निवृत्तानि-तत्रैव विचार्यते किं जलु महाभूतान्यपि क्षादीनि धातुसज्ञानि भवत्येवमिति वक्तव्यम्। तत्र प्राप्ताख्यात क्षावयश्चतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत। षष्ठधातुजस्तु पुरुषो रोगा षष्ठधातुजास्तथा षष्ठधातव समुचितता साक इति सर्वां लभन्ते (इत्यादिना) विषयस्य तत्रापुच्छिन्नोच्छिन्न साधनयोपनीयसे।

सूत्र में निर्दिष्ट पदार्थों की व्याख्या जब सन्बन्धत प्रामाण्य के बाधारे पर की जाती है तब वह कठव्याख्या कहलाती है । यथा—पृथिवी आदि की महामूर्त सत्ता है और धातु संज्ञा उस रक्त आदि की है । किन्तु पुरुष के सम्बन्ध में पृथिवी आदि की संज्ञा भी धातु ही जाती है जिससे पुरुष बढघात्वात्मक कहा जाता है ।

इसे भट्टार हरिश्चन्द्र ने उच्छिस्त व्याख्या कहा है ।

१ न्यासव्याख्या— न्यासव्याख्या नाम यस्मिन्नधिकरणे वर्तमानेन प्रकृते नाधिकरणार्थेन सम्बन्धमभिसम्मीक्याप्रकृतस्याथ उच्यते । यथा—तथा उवरादीनप्यातकान् जिष्योपचारितानकालमृत्युन यद्ययाम इति उवर चोक्तमप्येक्याहाग्निवश्य किं न जल भगवन उवरितेन्य पानीयमुष्ण प्रयच्छन्ति विषज ।

अर्थात् न्यासव्याख्या उसे कहते हैं जिसके द्वारा जिस अधिकरण में वर्तमान प्रकृत विषय के प्रकरणगत अथ से सम्बन्ध देखकर अप्रकृत विषय का अर्थ किया जाता है । यथा—कालाकाल मयु—विवेचन के प्रकरण में उवर के साथ सम्बन्ध देखकर यह प्रश्न किया गया कि वैद्य उवरित को उष्ण जल पीने के लिए क्यों देते हैं ?

११ प्रयोजनव्याख्या— प्रयोजनव्याख्या नाम यत् सूत्रमभिधीयमानस्वाथस्या व्यतिरिक्तस्यार्थनिवर्तौ निमित्तभावनपगमयति यथा—याद्यतो हि लोके भावविषया तावन्त पुरुषे यावन्त पुरुषे तावन्तो लोके—न ह्यनेन सूत्रपारब्धन कश्चिदुपकारो बुध्यते यथा लोकपुरुषसत्त्वान्यवर्शननिमित्ताभता अस्योत्तरकाल सत्याबुद्धिर्जायत इति नोक्त स्यात् तस्मादनेन प्रयोजनेद् लोकपुरुषसत्त्वान्यास्यान प्रवृत्तम् ।

सूत्र में कथित विषय की साथकता के प्रयोजन-परक जो स्पष्टीकरण किया जाता है वह प्रयोजन व्याख्या कहलाती है । यथा—लोक-पुरुष सामान्य प्रकरण में निर्दिष्ट विषय के स्पष्टीकरण के लिए सय-बुद्धि की उत्पत्ति प्रयोजन बतलाया गया है । यदि यह प्रयोजन न कहा जाय तो सारा विषय अस्पष्ट और निरर्थक रह जाता है ।

१२ अनुलोमव्याख्या— अवलोमस्य व्याख्यानम येनवानुक्रमेण सूत्रार्था निबद्धा तेनवानुक्रमेण भाष्येऽप्यभिधीयन्त यथा—प्रकृतिकरणसयोगादीन् सूत्रवित्वा भाष्यम् करोत तत्रप्रकृतिरुच्यते स्वभाव एवम् इ ।

जिस क्रम से सूत्र में विषय निबद्ध है उसी क्रम से यदि भाष्य में भी विवरण किया जाय तो वह अनुलोम व्याख्या कही जाती है । जैसे—प्रकृति करण संयोग आदि तथा कारण करण काययोनि आदि का जिस क्रम से सूत्र में उल्लेख किया गया उसी क्रम से भाष्य भी किया गया ।

१३ प्रतिशोभव्याख्या—प्रतिशोभव्याख्या नामानुपूर्वा सूत्रे नियुक्तैर्ध्व—स्तत्त्वानुपूर्वा व्युत्क्रम्याथस्य भावमप्यथारयति । यथा—त्यागाद् विषमहेतुनां सनाया अथोक्तैकनात् विषमहेतुत्यागस्य समहेतुसैकनस्य च प्रवक्तव्यमिति मृष्ट्यापि क्रमपूर्वक क्रमवान् सर्वोक्तिभावनपर्यवर्तनेवादिता काय तस्य प्रकृतिविद्योतानन्तर विद्योनेोक्तानां भाषानामनुपसेवनमत्र प्रतिशोभव्याख्याने प्रयोजनम् । तास्यान्पूर्वकवित्वात्प्रतिशोभ

पश्चाद् भूतं एव सशोऽभिध्यामीति क्षीरादिभिः सायं प्रातश्चर्यादयेत् समीरणार्थं च
क्रिमिणां कोष्ठाभिसरणार्थं च । अतो निदानवर्जनं आवौ नोपहितम् ।

जहाँ पर सूत्र में निर्दिष्ट अथ का आनुपूर्वी क्रम भगकर भाष्य किया जाता है वह प्रतिलोम व्याख्या कहलाती है । यथा—विषमहेतु के त्याग और सम के सेवन से धातुसाम्य का उपदेश करने के बाद पुनः उपदेश किया कि क्रिमिरोग में पहले क्रिमियो का अपकषण करना चाहिये ततः प्रकृतिविधात तथा निदानोक्त भावों का सेवन करना चाहिये । समीरण और कोष्ठाभिसरण के लिए पहले निदान का ही सेवन कराया जाता है । अतः निदान वर्जन पहले नहीं बतलाया ।

१४ सूत्रसमव्याख्या— सूत्रसमा व्याख्या नाम यत्र प्रागुद्दिष्टे तत्सूत्रस्यापि तत्तुल्यमभिधीयत यथा—ऋत्स्वानपूर्वो शिशिरादिशरत्तपर्यक्तानां पठिता तेनैव क्रमेण चयप्रकोपप्रशमा इलेष्मादीनां समयपक्षे तत्रैव क्रमेण सशोधनमक्तवान्— हैमन्तिक दोषघ्न्य वसन्त प्रवाहयेत्—एष सूत्र समवेक्ष्य भाष्य सूत्रसमा व्याख्या कथ्यते ।

सूत्रसमव्याख्या वह है जहाँ पूर्व निर्दिष्ट सूत्र के समान आगे के विषय उपस्थित किये जाए । यथा—ऋतुओं की गणना शिशिर से शरद तक की गई है उसके बाद उसी क्रम से वात पित्त-कफ के चय प्रकोप प्रशम तथा उनके सशोधन का उपदेश किया गया ।

१५ ध्वजव्याख्या— ध्वजव्याख्या नाम ध्वजमात्र सूत्रस्याथ कृत्वा सन्तिष्ठत यथा— विपरीतगणदशमात्रकालोपपावित । भवजैर्जनिवतन्ते विकारा साध्य सम्मता इत्यत्र विपरीतमिति भणता विपरीतस्य स्थापयितव्यम् । सति ह्यविपरीत विपरीतमिति तच्च विपरीत सामान्य स्थाप्यते । तच्च द्रव्य गुण कम सामान्य च बृद्धिकारणम् विषय विज्ञाप सोऽपि द्रव्यगणकमणा ह्रासकारण तस्य बृद्धिह्रासकारणमताविति ।

जो ध्वजा के समान सूत्र के अर्थ का संकेत करती है वह ध्वज व्याख्या कहलाती है । जैसे—देश मात्रा काल के अनुसार विपरीत गुण औषधि से साध्य विकारों का निराकरण होता है यह कहने से सामान्य और विशेष दोनों का संकेत होता है । तथा द्रव्य-गुण-कम का सामान्य वृद्धि का कारण तथा विशेष ह्रास का कारण होता है इतना अर्थ निकलता है ।

सप्तविध कल्पना

पद्म प्रकार की व्याख्या का वर्णन करने के बाद सप्तविध कल्पना का प्रतिपादन किया गया है । कल्पना का सामान्य अर्थ होता है रचना। या निर्माण करना या विशिष्ट रचना आदि । आयुर्वेद में यद्यपि औषधि निर्माण के सन्दर्भ में कल्पना शब्द विशिष्ट अर्थपूर्ण एवं विशिष्टाद्य का द्योतक है तथापि शास्त्रीय सन्दर्भ में उसका अपना विशिष्ट महत्त्व है । कल्पना शब्द यहाँ शैली-परक है और तत्र की शैली से सम्बन्ध रखता है ।

कल्पना सात प्रकार की बतलाई गई है—१ प्रधान २ गुण, ३ लेश ४ इहित ५ विभक्त ६ भक्ति ७ आज्ञा ।

'सप्तविधा कल्पनेत्युक्तम् तद्यथा प्रधानगुणलेशोक्तिभिर्भक्त्याज्ञा ज्ञातव्या ।

१ प्रधानकल्पना— 'तत्र प्रधानकल्पना नाम (प्रधानस्य कल्पना प्रधानेन वा कल्पना) यथा—सपि स्नेहयति क्षीर जीवयति मधु सद्यति इत्यत्र गर्वा क्षीरसपिचै प्रकृष्टगुणत्वात् मधु च भाविकम प्रधानत्वात् प्रधानेन तु कल्पना यथा—तेलम्, बजर या गौरसामां च यो वर्गो नवम परिकीर्तित न तु गन्धानेवात्र रस केवलो ह्युपदिष्ट महिषीजातिप्रभृतीनामपि तत्र रसा निरुक्ता प्राधान्येन तु कल्पनाप्यपदेश ।

प्रधान की या प्रधान से जो कल्पना की जाती है वह प्रधान कल्पना कहलाती है । यथा घृत स्नेहन करता है क्षीर जीवनी भाक्ति को बढ़ाता है और मधु सन्धान करता है । यहाँ पर प्रकृष्ट गुण एव प्रधान होने के कारण गाय का दूध और घी तथा मधुमक्खी का मधु लेते हैं—यह प्रधान की कल्पना हुई । प्रधान से भी कल्पना करते हैं यथा—तेल या गोरस । तेल शब्द से यद्यपि अन्य तेलों का ग्रहण होता है तथापि प्रधान होते के कारण तिल तल का ही ग्रहण करते हैं और इसी आधार पर इस सजा की कल्पना हुई । इसी प्रकार गोरस से महिषी आदि के रस का भी ग्रहण करते हैं किन्तु प्रधान होने के कारण गी के आधार पर यह कल्पना हुई ।

२ गुणकल्पना— गुणकल्पना नाम येन धर्मेण यदाद्यो पर्याप्तप्रयोजने नियज्यमानो भवति तेन धमण युक्तोऽसावगुणोऽपि सन् गुण इति कल्प्यते । यथा-बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना । समञ्चेति चतुष्कोऽयं प्रध्यानां गुण उच्यते ॥ उच्यत-सूत्र भाष्ये कर्मण्यपि गुणकल्पनामकरोत' घृत पित्तानिलहरमित्यादि ।

गुण या धर्म के अनुसार जब प्रयोग होता है तो वह गुणकल्पना होती है । जैसे चिकित्सा चतुष्पाद निरूपण में भेषज की कल्पना गुण के आधार पर की गई है । इसी के अनुसार कम में भी गुणकल्पना ही जाती है जैसे—घृतं पित्तानिलहरम् इत्यादि ।

३ लेशकल्पना— लेशकल्पना नाम अनपदिष्टस्य चित्तं—यत् किञ्चित् सूत्रावयव परिमृष्टात् कल्प्यते यथा—नयतत्र किञ्चित् कालमृत्योरकालमत्वोर्वा लक्षण प्रणीतं तत् लेशत उपनीयत ।

जो विषय अनुपदिष्ट हो किन्तु सूत्रावयव के संकेत पर उसका अर्थ गृहीत हो वह लेश कल्पना कहलाती है । जैसे—नयतत्र में काल और अकाल मृत्यु का लक्षण दिया गया और वहाँ से उसका लेश ग्रहीत हुआ ।

४ इहित कल्पना— इहितकल्पना नाम अकथयस्तन्नकार यावदथ सर्वपरित भावत यथा सर्वविद्यास्थानारम्भस्तन्त्रोऽस्मिन्मुक्तं कर्णाटपठितप्रश्लेषावदयम्यते ।

यथा दानितपोयज्ञा इत्यनेन धार्ताधारस्यग्रहः शान्तोपसंशानन देवतोऽज्ञानुभवमुद-
बुद्धिसिद्धाचारानि लेशयेदेवमादिना स्मृतेरभ्याहार । धर्माधिकारमनोसाधनाभित्तानामनु-
सैवने हितानां कोपलोकने अपतितत्त्वमित्यनेन विद्योपयोगः । नाधिच्छिन्नस्वर्ग नापरिचित

पदस्मात्तिङ्गुर भासिबिलम्बितं नास्यच्छेर्नासिनीचै स्वरैरञ्जयनमन्यस्येदित्य ध्ययनशिक्ष
बरोध ।

इन्द्रयाणां कल्पविधानोपदेशान् कल्प । अनवपतितशब्दमकष्टं शब्दं इत्यनेन
व्याकरणीयवैश । तन्त्रयात्तन्त्रमित्यनेन निवृत्तसप्तग्रहम् । पुण्यहस्तस्यवाशाश्वयुजा
अन्यतमेन नक्षत्रेण योगमुपगते बले सुहुत नागबलामलान्युद्धरेदिति ज्योतिष्टोम यत्नो
पावर्तनम् । अत्यन्तमात्रस्य प्रवस्योपदेशात् छन्दो विधितिसम्प्रवश । यथा—बहुविधमिदं
मन्त्रप्रबन्धात् तथा वीघ जीवितमविच्छन्न तथा बृहच्छरीर गिरिसारसारम् एवमादि
सामान्यादीनामपनिबन्धनात्कारवरोध । विवाहभागपदाभिधानाच्च हेतुशास्त्रनिगमनम् ।
विक्षपकालात् भाषाणां काल शोभ्रतरोऽप्ये तथा तथा स्वाभावोपरम सदा इत्यनेन
बौद्धप्रवचनमुपहतम् । लोकदोषदर्शनो भूमश्री इत्यनेन—शोकभागसदर्शनम् ।

बिना कहे हुए तत्रकार इगित के द्वारा जब अथ को उपस्थित करता है
तब यह इगित कपना कहलाती है ।

५ विभक्त्याविभक्तकल्पना— विभक्त्याविभक्तकल्पना नाम सक्षपोक्तस्याथस्य
सतो यस्य विभक्त तल्लक्ष्यते तस्य विस्तर कल्प्यते यथा—हेतुलिङ्गोपधज्ञानमिति
एतानि त्रीणि पदानि सूत्राणि—एतदेव च विस्तारमात्रं कृत्स्नं तत्र भवति ।

सक्षप से प्रस्तुत अथ को जब विस्तृत किया जाय तो वह विभक्तकल्पना होती
है । यथा—हेतुलिङ्गोपधज्ञान इस त्रिसूत्र के विवरण के रूप में ही सारा तत्र हुआ ।

६ भक्तिकल्पना— भक्तिकल्पना नाम यत्तद्विधित कल्प्यते उपचारमात्रेण यथा—
आयुर्वदोऽमृतानामिति ।

जो केवल उपचार के लिए जो कुछ भी कहा जाय वह भक्तिकल्पना होती है ।
यथा—उपचारवश आयुर्वेद को अमृतो में श्रष्ट बतलाया गया ।

७ आज्ञाकल्पना— आज्ञाकल्पना नाम यस्य हेतुरनष्टाने न शक्यतेऽवस्थास्मद्
विधेरभिधात् केवलमाप्तवचन प्रमाणोक्त्यामभयत यथा न छिन्द्यात्तणम न भूमि लिखत
एतस्मादिति न ह्यस्मिन् शक्यत हेतुराविष्कृतु म कल्पनाम करमनष्टानमित्यथ ।

जिस विषय का कथन करने के लिए हेतु का प्रतिपादन करना सम्भव नहीं हो
केवल अप्तवचन को ही प्रमाण मानकर अनुभव किया जाता है उसमें कोई हेतु नहीं
दिया जा सकता वह आज्ञा कल्पना कहलाती है । जैसे तिनका मत तोड़ो भूमि पर मत
लिखो इत्यादि ।

सप्तदश ताच्छीत्य

ताच्छीत्य का सामांय अर्थ होता है किसी विषय भाव या वस्तु के सदृश या
तत्समान अन्य भाव का ज्ञान होना । जैसे बाह्य भौतिक अमृत में स्थित अग्नि भौतिक
द्रव्यों का पाक करती है । उसी प्रकार सदृश भाव युक्त विषय या वस्तु का ज्ञान जिससे

होता है वह ताच्छील्य कहलाता है। आचार्यों ने इनकी सख्या सप्तह बतलाई है जो निम्न प्रकार है—

१ ताच्छील्य, २ अबयव ३ विकार ४ सामीप्य ५ भूमस्त्वम् ६ प्रकार ७ गुणि गुण बिभ्रव ८ ससक्तता ९ तद्धमता १ स्थान ११ साहचर्य १२ ताच्छीर्ष १३ कम १४ गुणनिमित्तता १५ चेष्टानिमित्तता १६ मूल सजा १७ तात्स्व्यम् । इनका विवरण निम्न प्रकार है—

१ ताच्छील्य— इसका सामान्य अर्थ है सादृश्य भाव । जब दो भिन्न द्रव्यो या भावो मे गुण धर्म स्वभाव या प्रकृति का सादृश्य भाव पाया जाता है तो वह ताच्छील्य कहलाता है । जैसे महर्षि चरक ने लोक और पुरुष का साम्य प्रतिपादित किया है । ताच्छील्य के उदाहरण में बतलाया गया है कि जिस प्रकार पुरुष सोया हुआ होता है उसी प्रकार शरीर के अंगो की सुप्तता होना ।

२ अबयव— किसी विषय का कथन करने पर उससे सम्बन्धित विषयान्तर का ज्ञान होना अबयव कहलाता है । जैसे— लघन से विकारोपशमन होकर आरोग्य का सम्पादन होता है । ऐसा कथन करने पर अनुक्त इस बात का भी ज्ञान होता है कि लघन नहीं करने से विकार का शमन नहीं होता है और शरीर मे रोग स्थिति बनी रहती है ।

३ विकार—विकार का सामान्य अर्थ है विकृति । प्रस्तुत प्रकरण मे ऐसे पद का प्रयोग जो उसके वास्तविक अर्थ को प्रकट नहीं करता हो विकार से अभिप्रेत है । जैसे पालक एक प्रकार का शाक है । उसे जब पकाया जाता है तो वह अपने मूल गुण धर्म को छोड देता है किंतु फिर भी वह शाक ही कहलाता है अत यह विकार है । अथवा द्रव्य विशेष की अवस्थान्तर भी विकार कहलाती है । जैसे दूध से दही जमाया जाता है । अत दही दूध का विकार कहलाता है ।

४ सामीप्य— भट्टार हरिप्रचन्द्र ने इसे 'संश्लेष' कहा है । जैसे—सामीप्य नाम 'संश्लेष तत संश्लेषावेतत् (वस्त्वन्तरम्) पित्तहृत्पचर सभते । अथा— श्लोत्रभस्तीनी-न्द्रियणि शिरसा सक्षिप्तानोव्य पचय से यदुक्त भांगमयानां शिरस्तदभिधीयते इत्यारम्भ यावत् प्रतिश्यायमखनासाक्षिकजरोपा ।

अर्थात् समीपता का अर्थ है संश्लेष । उस संश्लेष से यह (अन्य वस्तु) भी उसी के समान उपचार को प्राप्त होती है । जैसे श्लोत्र आदि इन्द्रियां शिर से संश्लिष्ट हैं—ऐसा व्यवहार किया जाता है । जो अंगो में उत्तमान है वह शिर कहलाता है—यहां से आरम्भ करके प्रतिश्याय मुख नासा, अक्षि कण रोग पर्यन्त । (देखिये चरक संहिता सूत्रस्थान अ १७ मे १२ एवं १३) ।

आचार्य अरुणदत्त ने इसका विवेचन नहीं किया है ।

५ भूमस्त्वम्—जो अनेक में विद्यमान रहता हुआ आधिक्य से जहाँ स्थित होता है अर्थात् जिसकी प्रमुखता रहती है वह भूमस्त्व है । जैसे अम्ब रस भोजन को रचिकर बनाता है—ऐसा कहा गया है । क्या मधुरादि रस भोजन को रचिकर नहीं

बनाते हैं—इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि अम्ल रस में भोजन की रोचकता अधि-
कता से पाई जाती है ।

६ प्रकार—जो जिस भाव का समान घर्मी होता है वह उसका प्रकार है । जैसे—
एरण्ड नाल से कण्ठ का स्पश करते हुए वमन करावे—ऐसा कहा गया है । उसके प्रकार
भूत सुवचला शतपुष्पा आदि के नाल का ग्रहण यहाँ नहीं है । अभिप्राय यह है कि
एरण्ड नाल ही अभीष्ट है ।

७ गणि गुण विभव—जहाँ गुण गुणत्व से और गुण गुणित्व से व्यपदिष्ट
होता है वहाँ गुणि गुण विभव होता है । गुणी गुणत्व से जैसे—शारीर गुण दो
प्रकार के होते हैं—मलभूत और प्रसाद भूत । मल भूत—स्वेद मूत्र पुरीष वात पित्त
श्लेष्मा कर्णादि का मल । प्रसादाख्य मल रसादि शुक्रान्त धातुएँ । गुण शब्द से गुणि कह
लाते हैं । इनका गुणित्व कैसे है ? द्रव्यत्व होने से । द्रव्य गणित्व होने से । ये सब द्रव्य
हैं गुण गुणित्व से जैसे—ऋषिगण रसायन के सेवन से मेघा स्मृति बल से युक्त अमि
तायु वाले हुए ।

८ ससक्तता—एक अनेक के साथ सम्बद्ध इष्ट कर्मों में विद्यमान होने हुए
अन्य सम्बन्धियों में एक का ही व्ययदेश होना ससक्तता है । जैसे—द्रव्य मधुर रस
वाले मधुर प्रायः मधुर प्रभाव वाले मधुर प्रभाव प्रायः वाले होते हैं । मधुर स्कन्ध में
मधुर रस वाले द्रव्यों का उल्लेख है । वहाँ पर एक मधुर रस अनेक द्रव्यों से सम्बद्ध
हैं । उन द्रव्यों में अम्लादि रसों की भी सम्भावना होती है । अतः मधुर प्रायः कहा
गया है । यही ससक्तता है ।

९ तद्धमता—जो तथाभूत (उसी प्रकार) का होता है धम दशन से अभिन्न
(सदृश) में व्याख्या को प्राप्त करता है वह तद्धमता है । जैसे—पृथ्वी पर मृत्यु के
अनुचर घूमते हैं । यह कबन छदमचर (अकुशल) वैद्य के लिए कहा गया है जो यम
तुल्य होता है । दोनों ही मृत्यु के अनुचर हैं ।

१ स्थान—जहाँ स्थानी से स्थान और स्थान से स्थानी का ज्ञान होता है
वह स्थान कहलाता है । जैसे—श्रोत्र । श्रोत्र इन्द्रिय होती है उसका सम्बन्ध स्थान
से है । श्रोत्रिन्द्रिय स्थानी है उससे उसके अधिष्ठान कण का ग्रहण किया जाता है । इसके
अतिरिक्त रस कहने पर जिह्वा विषयक भाव का बोध होता है किन्तु इसका ज्ञान
रसेन्द्रिय से होता है जो जिह्वा (अधिष्ठान) में स्थित रहती है । यह स्थान से स्थानी
का बोध कराता है ।

११ तावध्य—जिस प्रयोजन के लिए जो भाव प्रवर्तित होता है उसी से व्यपदेश
करना तावध्य कहलाता है । जैसे—स्नेह-स्वेद से आस्य (दोषोत्प्लेश के द्वारा) करके
अपामाग तण्डुल आदि का विरेचन देकर शिरो विरेचन देना चाहिये । उस प्रयोजन
के लिए प्रवृत्ति की जाती है । अट्टार हरिणचन्द्र ने इसे अभिताष कहा है ।

१२ साहचर्यम्—जो जिसके साथ सम्बन्ध प्राप्त करता है वह उसी सम्बन्ध से उसी सम्बन्धी शब्द को प्राप्त करता है। जैसे—छत्री दण्डी मीची आदि। मनुष्य के पास छाता होने पर वह छत्री दण्ड होने पर दण्डी कहलाता है। अतः छाता का छत्री (छाता धारी मनुष्य) दण्ड का दण्डी (दण्ड धारी मनुष्य) का साहचर्य भाव होता है।

१३ कर्म—कर्म नाम यत् न च कर्म कर्मेति शोपचर्यते। यथा—एतत्तदेकमयमं मन्त्रमोक्षस्य ब्रह्मस्य तद्वत् स्मृति बल येन गहनं च पुनरागता। अर्थात् जो कर्म नहीं है किन्तु कर्म उपचरित होता है। जैसे मुक्ति को प्राप्त जनों के द्वारा मोक्ष का यही एक माग बतलाया गया है उसी प्रकार जिससे स्मृति बल चला गया और पुनः वापिस नहीं आया।

१४ गुण निमित्तता—गुणनिमित्तं नाम यत् कस्यचिद् भावस्य विभूति प्रशंसा प्रख्याप्यते। यथा—प्रीतिर्बलं सखं ब्रह्मविस्तारो विभवः कुलम्। यस्योलोका सुखोद्ब्रह्मविस्तारोऽप्यस्य सञ्चिता। इत्यपत्यस्य प्रशंसा पूर्विका विभूति प्रख्याप्यते।

अर्थात् जो किसी भाव की विभूति प्रशंसा को व्यापित करती है वह गुण निमित्तता होती है। जैसे—प्रीति बल सुख वृत्ति का विस्तार वैभव कुल यज्ञ लोक सुखोदक और तुष्टि (सन्तोष) ये समस्त भाव अपत्य (सन्तान) में आश्रित होते हैं। इस प्रकार अपत्य की प्रशंसा पूर्वक विभूति व्यापित की गई है।

१५ चेष्टा निमित्त—चेष्टानिमित्तं नाम कस्मिन्निश्चयमात्रं कस्यचित् क्रिया च भवति भावस्य धर्मस्येत्यत्र न ह्यत्र प्रत्यन्द क्रिया इष्टा। तद्यथा उच्यतेत्यात्मनि सखं तत्सत्त्वं सप्रकाशते। शुद्धस्थिरप्रसन्नान्निर्दोषो दीपाशये यथा।

अर्थात् किसी भाव याने धर्म की जो क्रिया निमित्त मात्र होती है उसे चेष्टा निमित्त कहते हैं। यहाँ प्रत्यन्द क्रिया इष्ट नहीं है। जैसे—वह अवच्छेद मन आत्मा में इस प्रकार प्रकाशित होता है जैसे शुद्ध स्थिर और निर्मल किरण वाला दीपक दीपाशय में प्रकाशित होता है। यहाँ पर सत्व की प्रदीप की भाँति निर्मलत्व (तेज) उच्च विद्यमान होने के लिए नहीं है उसी प्रकार वह सन्निकृष्ट अन्य द्रव्यों को नहीं जलाता है रूप में अथवा स्थान में तैलवर्ती का दीपोदान है। यहाँ तो मात्र प्रकाश क्रिया को ही ग्रहण करके जलता है—यह समाख्या होती है।

१६ मल सङ्गा—मूल सङ्गा नाम यो लोकेऽस्मिन्मलं प्रसिद्धं तत्र चान्यस्मिन्मलं निवसितं यथा—लिपमाकृतिविचक्षणं सत्त्वान व्यञ्जन रूपम् इति। रूपस्य लोके शुक्लमीलसितकृष्णादिवृ स्वसङ्गान्तु विधाय लक्षणवाचि निरुक्तम्।

अर्थात् लोके में जो अर्थ प्रसिद्ध है उससे भिन्न अर्थ में निवेशित करना मूल सङ्गा होती है। जैसे—लोक में रूप शब्द का अर्थ शुक्ल मील कृष्ण आदि के लिए प्रसिद्ध है। किन्तु आमुर्वेद में रोग के लक्षण के लिए व्यवहृत होता है। लक्षण के पर्यायों में रूप का भी समावेश है। जैसे—लिप आकृति संस्वान चिह्न रूप।

१७ शब्दस्य—शब्दस्य नाम शब्दस्यैवात्म्यस्य भावः तत्त्वत्वादात्म्यस्यैव कल्प्यते सङ्घाता—वस्तुवैदिकस्यैव शब्दं मूलशब्दप्रतिरोधना। तत्रात्मनः शब्दं वस्तुवैदिकस्यैव कल्प्यते तत्रवैदिकस्यैव इति।

जो अन्य अर्थ का भाव वहाँ स्थित होने से अन्य का ही समझा जाता है वह सास्त्व्य होता है। जैसे—कहा गया है कि बस्ति एव शिम्न का शूल मूत्रकृच्छ्र शिरोरुजा। यहाँ बस्तुतः शूल का अनुभव आमा को होता है किन्तु स्थान विशेष से होने से बस्ति व शिम्न का शूल कहा जाता है।

एक विंशति अर्थाश्रय

शास्त्र के मुकर ज्ञान के लिए जिस प्रकार तत्रयुक्ति ध्याख्या कल्पना का समुचित ज्ञान अपेक्षित है उसी प्रकार आश्रय का ज्ञान भी आवश्यक है। शास्त्र में प्रतिपादित विभिन्न विषयों के वर्णन लिए जो वण विन्यास किया जाता है उनके समुचित अर्थज्ञान के लिए आश्रय का आश्रय लेना उपयोगी होता है। आश्रय शास्त्र में प्रतिपादित शब्दों वाक्यों अथ एव भाव की सगति बैठाने में महत्वपूर्ण होते हैं। शास्त्र में जो आश्रय बतलाए गए हैं उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे विशिष्ट प्रकार के नियम का संकेत करते हैं। उनसे शास्त्र में अपनाई गई विशिष्ट शली एव शब्द विन्यास की प्रक्रिया विशेष का भी आभास मिलता है। अष्टांग सग्रह के टीकाकार आचार्य अरुणदत्त ने बौध आश्रय बतलाए हैं जबकि भट्टार हरिश्चन्द्र ने इकोस आश्रयो का उल्लेख किया। उनका विवरण निम्नानुसार है—

१ आदि लोप—आदि याने आरम्भ के पद का अभाव। किसी सूत्र या पद में पूर्ववर्ती शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना आदि लोप होता है। जैसे रस ब ह्यति अर्थात् रस ब हण करता है। यहाँ रस से पहले मास का लोप है। इसी प्रकार धारणाद्वात्तव यहा धारण शब्द से पूर्व देह शब्द का लोप है।

२ मध्यलोप—किसी सूत्र या वाक्य में मध्यवर्ती पद का प्रयोग नहीं किया जाना मध्यलोप कहलाता है। जैसे अन्न विज्ञानीय या द्रव द्रव्य विज्ञानीय में मध्य शब्द स्वरूप का प्रयोग नहीं होने से यह मध्यलोप है। पूणपद अन्नस्वरूप तथा द्रवद्रव्यस्वरूप विज्ञानीय होना चाहिये।

३ अन्तलोप—जिस सूत्र या पद या वाक्य में अन्तवर्ती शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो वह अन्तलोप कहलाता है। जैसे सर्पास्ते पीतभारता यहा पर अन्त में इव शब्द का लोप है। इसी प्रकार व स्थावनबलो धातु स्नेहबध्य स चामिल। यहाँ अन्त में प्राय शब्द लोप है।

४ उभय लोप—दो पदों का प्रयोग नहीं किया जाना उभय लोप कहलाता है। यह तीन प्रकार का होता है १ आदिमध्यलोप २ आद्यन्तलोप ३ मध्यान्त लोप। आदि मध्य लो रसाधिकार में मधुराम्ललवणकटतिक्तकषाय में घडरस बतलाए गए हैं। यदि कहा जाय अम्लकटतिक्तकषाया तो यहा आदिभूत मधुर और मध्यमभूत लवण का लोप है। इसी प्रकार 'मधुराम्लकटतिक्त कहने पर मध्यमभूत लवण तथा अन्तभूत कषाय का लोप है यह अद्यन्त लोप है। अम्ललवणकटतिक्ता कहने पर आदिभूत मधुर और अन्तभूत कषाय का लोप है यह आद्यन्त लोप है।

५ आदिमध्यान्त लोप—जिस सूत्र या वाक्य में आदि मध्य अन्त तीनों अर्थों का प्रयोग नहीं किया जाय तो वहाँ आदि मध्यान्त लोप होता है। जैसे द्वौ रसाधिकारि

— अम्लकटकार्यं ति अर्थात् दो रस वत्र गए हैं—अम्ल और कट । यहाँ आदि भूत मधुर म धरत ज्ञ ण और तिक्त्न तथा अन्तम— कषाय का लोप है ।

६ उपधालोप— इसका उल्लेख भट्टार हरिश्च द्र ने किया है । अरुणवत्त ने इसका उल्लेख नहीं किया है । भट्टार हरिश्च द्र के बयानानुसार धन्वरसेन इन्द्रोष मधुरान्तस्य कटकार्यं य इत्यत्रोपान्तस्य लोप । अन्त्यात् पूर्वा भवः उपधा सन्ना इत्यन्तम् । अन्त्याच्च कषायान्तिकत्वं पूर्वं इति ।

अन्त से पूर्ववर्ती पद उपधा कहलाता है । उसका लोप होना उपधा लोप होता है । जैसे—पाँच रस वाले द्रव्य से मधुर अम्ल-लवण-कट-कषाय का कथन करने पर उपान्त (अ त का पूर्ववर्ती या समीप वर्ती) तिक्त का लोप किया गया । अत यह उपधा लोप है ।

७ वर्षोपजन— मध में यदि कोई वण अनुवत है तथा बाद म व्याख्या के समय आषाय द्वारा उपमाननीय अथ का कहा जाना वर्षोपजन है । जैसे 'त्रिरात्र माषक ब्रह्मात् पचाह वापि सर्पिषा' यन् स्नेह्य अथवा सपवत्त र यह वण उपजनित होता है ।

ऋषिक्लिष्ट कोई ऐसा पद या शब्द जो ऋषिपत्रक द्वारा अमावधान चित्त होने से अथवा अशक्ति से छष्ट रूप से या अशुद्ध रूप से उच्चारित होकर वैसा ही लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाय वह ऋषिक्लिष्ट होता है । जैसे—लोम के स्थान पर रोम परोडाश के स्थान पर परोलाश आदि ।

८ तन्त्र शील— सूत्रका के द्वा ि शिष्य को समझाने के लिए स्वयं ही सन्देह उत्पन्न कर पन उमका निराकरण क ते हैं वह तन्त्रशील होता है । जैसे— शशयश्चात्र कथ म्नि व्रथाश्च इतश्च्यता न वे । स्वयम्बोत्तराश्च सव्रह्म उत्तरत्र पुनर्निर्धारयन्नाह अ मा मातु पितुर्ग य सोऽपत्य सं रेखदि । ए म विना । अर्थात् नरक सहिता शरीर स्थ न मे यदि माता या पिता की आ मा सन्तान में सञ्चित होती है—इत्यादि के द्वा ि न्वय प्रथम स नेह उत्पन्न कर आगे उसका निराकरण कर दिया गया । यह तन्त्र रचना की श ि विशेष है अत इसे तन्त्रशील कहा गया ।

९ तत्र सज्ञा प्रथया त-न मे स-दभ विशेष मे किसी शब्द विशेष का सीमित अर्थ में प्रयोग करना तत्र सज्ञा कहलाता है । जैसे नव वर मे कषाय का निषेध किया गया है । कषाय शब्द से सामान्यत पञ्चविध कषाय अभिप्रेत होता है किंतु नव वर के प्रसंग में कषाय का सीमित अर्थ कषाय ही लिया गया है ।

११ प्रकृत—प्रकृत का सामान्य अर्थ है प्रस्तुत । अर्थात् ग्रंथ में जहाँ जसा प्रसंग हो तदनुसार ही अर्थ ग्रहण करना प्रकृत कहलाता है । जैसे— कार क्षीर फल पुष्प भस्मलैलानि कण्टक । यह औद्भिद गण है । इसके सन्दर्भ में यहाँ क्षीर शब्द से स्नुही अक आदि का क्षीर अभिप्रेत है न कि माय घैस आदि का क्षीर ।

१२ सञ्चानसञ्च प्रत्यय— ग्रंथ में प्रतिपादित किसी विषय विशेष का सञ्चन करने के लिए तन्वान्तर में प्रतिपादित कथन को उद्धृत क ना समानतत्र प्रथय कहलाता है । जैसे—भास्त्र में प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्य को नख केश दाढा आदि दंस दिन में काट लेना चाहिय । इसके समर्थन में अन्य भास्त्रो के वचनो को नउद्धृत रका ।

यस्य पुष्पौये के आहाराधिकार प्रकरण में चौरासी अन्नधानासन्न बतलाए गए हैं । अष्टमि हृदय मे मात्रागितीय अद्य य मे किमूचिका रोष का वर्णन ।

२ सम्भव—ऐसे विषय का प्रतिपादन या वर्णन करना जो उस सम्पूर्ण प्रकरण का व्यापक करे सम्भव कहलाता है । जैसे—भोजन वेला में आचमन करे । यहाँ आच न का उल्लेख भोजन प्रकरण की व्यापकता के कारण किया गया है ।

२१ विभव विविच्यमान जो सूत्र या प्रकरण अर्थ के व्यापक होने से सम्पूर्ण शास्त्र के द्वा । व्यख्यायित होता है वह विभव कहलाता है । जैसे शल्य शालाक्य आदि आयुर्वेद के श्राठ अंग सम्पूर्ण तंत्र को व्याप्त करते हैं अत उनकी व्याख्या सम्पूर्ण शास्त्र के द्वा रा की जाती है ।

चतुदश तन्त्रदोष

तत्र याने शास्त्र को दूषित करने वाले सूत्र पद भाव या विषय को तत्रदोष कहा जाता है । तत्रयुक्ति के स दश म इनका ज्ञान भी अपेक्षित है ताकि शास्त्र का विधिवित अध्ययन करने वाले विज्ञ जन तत्र दोषों का ध्यान रखते हुए और इनका परिहार करते हुए निमल ज्ञान के प्रकाश से आलोकित ह्ये । तत्रदोष के ज्ञान की उप यागिता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है—

दुलक्षणा हीनरश्मिज्ञानामपि भूषणम् ।

इत लारसम्बन्धादोषविज्ञानोपयेते ॥

अर्थात् अगा का दुलक्षणो (अशुभ लक्षण) से विन रहित) होना भी भूषण होता है इस प्रकार अलका से सम्बन्धित होने से उप विज्ञान कहा जाता है ।

अभिप्राय यह है कि जब दोषो का सम्यग ज्ञान होगा तब ही उनके परिहार या द क ने का उपाय किया जायगा । अत शास्त्र वा निदु ट सुलक्षण युक्त एव विद्वान गनीत यो य बनाने के लिए प्रथम तत्रदोषो का ज्ञान अपेक्षित है

सामायत आचार्यों द्वारा चतुदश तत्रदोष बतलाए गए हैं । उनका विवरण नि नासार है—

१ अप्रसिद्ध शब्द—जो शब्द लोक मे प्रचलित या प्रसिद्ध न हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अप्रसिद्ध शब्द कहलाता है । जैसे—उवाक्य गमन लक्ष्मी सम्मत्तानान अर्थात् उदक्या (रजस्वला) का आगमन असुख का कारण होता है । यहा उदक्या शब्द अप्रसिद्ध एव अप्र लित है क्योंकि उसका सामायत व्यव्ा नहीं होता है ।

असमा ताव जो अनुपसहृत यान अर्थक रूप से कहा जाय वह असमा प्तार्थ होता है । जैसे पिप्पली ि पत्नी मूल च वि क । र । इत प्रकार य पुन कहा गया । अ मे यह कुछ नहीं कहा गया कि इनम क्या करना है । यह अनर्थक कथन होने से असमा ताव त ।

३ अथ अनर्थक नामयद तात्रिमे आचाय योक्तम् । यथा—क च ट त पा इति पद्य अथ सत्र न कश्चिच्च क् अथ यथ साक्षादुक् । अर्थात् वार्ता क्रम में आचाय क द्वारा जो कहा जाय वह अनर्थक है जैसे क च ट त प ये पाँच वर्ग हैं । इसमे आचाय द्वारा कोई भी साक्षात अथ नहीं कहा गया है ।

अर्थान्य अर्थवदन्ते इति इस प्रकार प्रतिपादित किया है—अनर्थक नाम यद्वन्या यन पि पद्येनापस्तम्बोपदेशम् । अर्थात् जो अन्य अथ वाले पद से उपगताभिधेय हो वह अनर्थक है ।

४ अवाचक—अस्तकेतरहितमपि सुप्रोच्यमानम् । अवा-इन्द्रवाक्यीशब्दस्त्वपि अस्तिअसुराशब्द-अथात् सकैतः ० हित की सूच द्वारा उच्यमान हो । जैसे—इन्द्रवाक्यी शब्द के स्थान पर वासवसुरा शब्द का प्रयोग । आचाय अरुणदत्त के अनुसार जो सूत्रमे असाध्य है ।

५ अस्तुच्छास्त्रपरबन्ध—ऐसे विषयमाक्षर का निवेश जितका उच्छां ण वठिनता से हो जैसे—कार्त्तस्त्वय्यम् ।

६ विरुद्धम् यह तीन प्रकार का होता है। दृष्टान्तविरुद्ध सिद्धान्त विरुद्ध और समय विरुद्ध । दृष्टान्त विरुद्ध जैसे—पुरुष नित्य है (प्रतिज्ञा) अकृतकत्व होने से (हेतु) जैसे—हम लोग (दृष्टान्त) । हम लोगो के शरीर अकृत या नित्य नहीं है । अतः यह उदाहरण (दृष्टान्त) ठीक नहीं होने से विरुद्ध है । सिद्धान्त विरुद्ध जैसे मधुराम्ललवण रस श्लेष्मा का शमन करते हैं । वस्तुतः ये तीनों रस श्लेष्मा की वृद्धि करते हैं न कि शमन । सिद्धान्त विरुद्ध होने से यह सिद्धान्त विरुद्ध है । समय विरुद्ध—यथायदर्थी पूर्वाचार्यों के द्वारा जो कहा गया उसका अतिक्रमण करके उसके विरुद्ध कार्य करना । जैसे आचार्यों ने कहा है—मिट्टी का ढला नहीं फोड़ भूमि पर न लिखे तिनका नहीं त डे इत्यादि । इसके विपरीत ढेला फोड़ना भूमि पर लिखना तिनका तोड़ना समय विरुद्ध है ।

७ अति विस्तृत—अनावश्यक रूप से तत्र मे विषयो को अत्यधिक विस्तार पूर्वक वणन करना । जसे तत्र मे मधुर रस का वणन करते समय मधुर रस वाले मधुर प्रभाव वाले मधुर प्रभाव प्रायः वाले जितने भी द्रव्य पृथ्वी पर हैं उन सभी का वणन करना विषय एव तत्र का अनावश्यक विस्तार है ।

अतिसिद्धि—तत्र मे किसी भी विषय को अत्यंत सक्षम मे कहना निमस विषय का सम्यग्बोध नहीं हो पाए । जसे—हेतु लिङ्गौषध इन् पदो को कहा जाय इसकी व्याख्या या विस्तार पूर्वक कथन नहीं किया जाय ।

८ अप्रयोजन—बिना प्रयोजन किसी कार्य या तत्र रचने मे प्रवृत्त होना अप्रयोजन कहलाता है । जसे—तत्र मे आचरणीय विषय प्रतिपादित किया गया । यदि उसका प्रयोजन ऐसा आचरण करने से आयु आरोग्य एव यश की प्राप्ति होती है न बतलाया जाय तो उस आचरण मे कौन प्रवृत्त होगी ।

९ भिन्न क्रम—तत्र मे किसी विषय का निरूपण पूर्व मे जिस क्रम से किया गया है उसी क्रम से आगे वणन नहीं किया जाय तो वह भिन्नक्रम होता है । जसे शास्त्र मे हेतु, लिंग और औषध का ज्ञान प्राप्त करने का निदेश किया गया है । किन्तु आगे चलकर उसी क्रम से उसका वणन नहीं किया जाय । प्रथम औषध (चिकित्सा) का निदेश बाद में लिंग का और अन्त मे हेतु का प्रतिपादन करना भिन्न क्रम का दोषक है ।

११ सविध—जिस विषय मे निणय नहीं हुआ हो उसे सविध कहते हैं । जैसे अकाल मृत्यु है अथवा नहीं ?

१२ पुनश्चत—किसी विषय का पुनः पुनः कथन करना पुनश्चत होता है ।

१३ प्रमाणानुपबृहीत—जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से प्राप्त करना शक्य न हो वह प्रमाण से अनुपबृहीत होता है ।

१५ व्यग्रहृत—जिसमे पूर्व वाक्य वृत्ति से उत्तर वाक्य अथवा उत्तर वाक्य वृत्ति से पूर्व वाक्य व्याहृत या खण्डित होता है वह व्यग्रहृत कहलाता है ।

